ा, खंड 5, अंक 20

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY.

बुधवार, 19 अप्रैल, 2000
30 चैत्र, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...61.....
Date...12/1/2001...

(खंड 5 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे.एस. वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार, 19 अप्रैल, 2000/30 चैत्र, 1922 (शक)
की
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
विषय-सूची (i)	14	बंगलौर	मंगलौर
96	1	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्रा	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
122	24	श्री सी॰कप्पुसामी	श्री सी॰कुप्पुसामी
143	18	मवेशियों के लिए पेजजल	मवेशियों के लिए पेयजल
191	9, 12	इच्छामपिल्ल	इंचमपल्ली
246	21	श्री सुरेश रामराव जाध्य	श्री सुरेश रामराव जाध्य
285	नीचे से 7	वृद्ध व्यक्तियों	वृद्ध व्यक्तियों
458	नीचे से 6	अपराह्न 2॰36 बजे	अपराह्न 12॰36 बजे
458	नीचे से 3	अपराह्न 2॰36½ बजे	अपराह्न 12॰36½ बजे
485	नीचे से 3	सभापति महोदया	सभापति महोदय

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 5, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 20, बुधवार, 19 अप्रैल, 2000/30 चैत्र, 1922 (शक)

विषय	कालम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 364, 365 और 367	5–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 363, 366 और 368 से 380	29–56
अतारांकित प्रश्न संख्या 3889 से 4118	57–438
सभा का कार्य	439
सभा पटल पर रखे गए पत्र	440–443
राज्य सभा से संदेश	443
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	444
कार्य मंत्रणा समिति	
छठा प्रतिवेदन	444
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
छठा, सातवां, आठवां, नौंवा और दसवां प्रतिवेदन	444–445
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	445
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
उनसठवां, साठवां और इकसठवां प्रतिवेदन	446
परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति	
इकतालीसवां, बयालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन	446

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
इन्सेट-3बी उपग्रह का प्रक्षेपण	478-479
श्रीमती वसुन्धरा राजे	478
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) उत्तर प्रदेश में जौनपुर में जाफराबाद-उतरेठिया के समपार पर एक रेलवे उपरि पुल के शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्मयानन्द स्वामी	479
(दो) तिलहन उत्पादकों विशेष रूप से राजस्थान के तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	480
(तीन) राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	480
(चार) कर्नाटक में बंगलौर के निकट ताप विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	481
(पांच) बाल श्रमिकों विशेष रूप से उड़ीसा में इन श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए योजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभात सामन्तराय	482
(छः) रसोई ईंधन से पैदा होने वाले आन्तरिक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री विजय हान्दिक	482
रेल बजट - अनुदानों की मांगें-2000-2001	484-59
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	487
श्री पी. राजेन्द्रन	509
श्री प्रभुनाथ सिंह	511
श्री चन्द्र भूषण सिंह	514
श्री संतोष मोहन देव	516
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	526
श्री राजैया मल्याला	529
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	531
श्री अब्दुल रशीद शाहीन	538

विषय	कालम
श्री के.पी. सिंहदेव	539
डा. रामलखन सिंह	548
श्री रामानन्द सिंह	551
श्री बसुदेव आचार्य	551
श्री त्रिलोचन कानूनगो	557
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	560
श्री मुलायम सिंह यादव	564
प्रो. रासा सिंह रावत	565
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	569
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	572
श्री राम नगीना मिश्र	573
श्री अनिल बसु	574
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	575
श्री राम मोहन गाड्डे	577
प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	578
श्री आदि शंकर	579
कुमारी ममता बनर्जी	579
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक	593–594
विचार करने के लिए प्रस्ताव	593
खंड 2, 3 और 1	594
पारित करने के लिए प्रस्ताव	594

लोक सभा

बुधवार, 19 अप्रैल, 2000/30 चैत्र, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में सशस्त्र आतंकवादियों द्वारा नरसंहार

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि 20/21 मार्च, 2000 की रात्रि को जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में छत्तीसिंहपुरा गांव में भारी शस्त्रों से लैस आतंकवादियों ने 35 व्यक्तियों की हत्या कर दी।

हमें इनकी हत्या पर गहरा दु:ख है और सभा इस त्रासदी पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, अंधेर हो रही है। संसद सदस्यों के बिजली, पानी की लाइन काट दी गई है। आपके यहां बैठक हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि किसी हालत में बिजली-पानी की लाइन नहीं काटी जाएगी। आज तक के इतिहास में बिजली-पानी की लाइन नहीं काटी गई। चलते सत्र में सदस्यों की बिजली-पानी की लाइन काट दी गई तो कैसे वह सदन में आने के लिए पढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे? *...(व्यवधान)* नगरपालिका बिजली का बकाया होने पर सांसदों के भी कनेक्शन काट देती है लेकिन होटल ले-मैरिडियन को चलाने वाली कंपनी लाइसेंस फी अदा करने में बार-बार डिले करती रही। उसकी बकाया राशि 115 करोड़ रुपये है। सीएजी रिपोर्ट की है लेकिन माननीय सदस्यों की बिजली काट रहे हैं। *...(व्यवधान)* हम लोगों का मकान भाड़ा काटा जाता है, फर्नीचर भाड़ा काटा जाता है और अब बिजली भी काट दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक ही विषय पर तीन सूचनाएं तथा विशेषाधिकार संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह मेरे विचाराधीन है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 361-डा. मदन प्रसाद जायसवाल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके लिए विशेषाधिकार का मामला लाया जाए और उस एन.डी.एम.सी. के चेयरमैन को....* बुलाया जाए और पूछा जाए कि क्यों मैम्बर्स को क्यों इस तरह से ह्यूमिलियेट किया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह एक गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 361-डा. मदन प्रसाद जायसवाल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम दो बातें कहना चाहते हैं। एक तो सदस्यों की बिजली काटी जाती है और एक बिल ज्यादा भेजते हैं। हम पर 3,40,000 रुपये का बिल भेजा है। लेकिन आप कहेंगे कि नेता होकर भी बिजली का बिल नहीं देते हैं, इसकी वजह से हमने 3,40,000 रुपये का बिल तो स्वीकार ही कर लिया। लेकिन आप जांच करा लीजिए तो एक

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

लाख रुपये से ज्यादा का बिल नहीं आ सकता लेकिन सांसदों पर तीन-चार गुना ज्यादा बिल भेजते हैं और उसके बाद बिजली काटते हैं। बिजली कैसे काट सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख 'शून्य काल' में कर सकते हैं। मुझे इस मामले पर पहले ही विशेषाधिकार संबंधी सूचना प्राप्त हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह बहुत गम्भीर मामला है। अगर नौकरशाही चलाएंगे तो ठीक नहीं है। आप मुलायम सिंह को क्या समझाएंगे? नौकरशाह और पुलिस उद्योगपतियों से मिलकर बिजली खा गए। एक एक उद्योगपति पर करोड़ों रुपया बिजली का बकाया है पर उनकी बिजली नहीं काटी है। एक उद्योगपति का करोड़ रुपया बकाया है और सदस्यों की बिजली आप काट रह हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। कृपया इसे समझने की कोशिश करें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह सदस्यों के अपमान का सवाल है, यह सदस्यों के प्रिविलेज का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मुलायम सिंह यादव जी, मुझे इस मुद्दे पर दो-तीन सूचनायें प्राप्त हो चुकी हैं। ये मेरे विचाराधीन हैं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या उद्योगपतियों की बिजली काटी है? क्या नियम इसके लिए लाएं? आप कितनी बार कह चुके हैं और इसके लिए नियम लिखने हम जाएंगे। हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया प्रश्न काल में व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैसे सदन की कार्यवाही चलेगी? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले को प्रश्नकाल के बाद उठाने की अनुमति दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप जीरो आवर में इस मामले को उठा सकते हैं।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, रघुवंश जी ने अपने भाषण में गली-मोहल्ले की गाली दी है, वह कहीं रेकार्ड पर न चली जाए। उसको रेकार्ड से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। ऐसे कैसे आप बोल रहे है?

श्री मदन लाल खुराना : रघुवंश जी ने गली-मोहल्ले की भाषा में जिसको गाली कहते हैं, उसका प्रयोग किया है। उसको रेकार्ड से निकाल दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि हर कोई इस प्रकार के मुद्दों को प्रश्न काल में उठायेगा तो प्रश्न काल किस प्रकार चलाया जा सकेगा। हमें प्रक्रिया का पालन करना होगा। आप इसे 'शून्य काल' के दौरान उठा सकते हैं।

श्री विजय गोयल : श्री मदन लाल खुराना जी माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग की गई असंसदीय भाषा का उल्लेख कर रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, माननीय सदस्य डा. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा की बैठक शुरू होने से पहले मुझसे मिले थे। वे यहां देर रात तक थे जबकि सभा की बैठक देर रात्रि 10 बजे तक चली ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर): आप उत्तर देकर इस प्रथा को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कृपया इसे समझने की कोशिश करें। मेरे जैसे नए सदस्य इस स्थिति से अत्यधिक निराश हैं। कृपया प्रश्न काल जारी रहने दें। हम वरिष्ठ सदस्यों से सीखना चाहते हैं। वे प्रतिदिन यही कर रहे हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। कृपया इस परम्परा को प्रोत्साहित न करें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : महाजन जी, आप कहिए जो कहना है। ये कौन होते हैं रोकने वाले? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप कृपया बैठ जायें। आप सभा में इस प्रकार बारंबार व्यवधान डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 364-श्री उत्तमराव ढिकले।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

***364. श्री उत्तमराव ढिकले** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि पर मिलने वाले ब्याज को विकास कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी धनराशि पर अब तक राज्यवार कितना ब्याज मिला और सरकार का उक्त धनराशि को किस तरह खर्च करने का विचार है;

(ग) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ङ) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों पर अर्जित ब्याज को संबंधित सांसद की अनुशंसा पर उसी प्रयोजन पर खर्च किया जाए जिसके लिए मूल राशि आबंटित की गई थी। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधियों पर अर्जित ब्याज का ब्यौरा संबंधित जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध होता है।

(ग) से (ङ) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई थी, मार्च 1997, (1998 की रिपोर्ट सं. 3, संघ सरकार सिविल) को समाप्त वर्ष के लिए जिनकी रिपोर्ट संसद के पटल पर 11/6/98 को रखी गई थी।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नए मूल्यांकन अध्ययन का कार्य, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल है कि कितनी राशि ऐसी है जो बैंकों में पड़ी है और उस राशि पर हर साल कितना इंटरस्ट आता है? मुझे जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से 50 प्रतिशत राशि बैंकों में पड़ी रहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस राशि पर आपको कितना इंटरस्ट प्राप्त होता है। आप हमें स्टेट-वाइज जानकारी दें।

[अनुवाद]

श्री अरुण शौरी : महोदय, दो बातें हैं। सर्वप्रथम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जारी कुल धनराशि में से लगभग 1800 करोड़ रुपए की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है। इस 1800 करोड़ रुपए की धनराशि पर लगभग 107 करोड़ रुपए का ब्याज लग रहा है। मैं वर्षवार विवरण दे सकता हूं।

श्री उत्तमराव ढिकले : क्या आप हमें राज्यवार विवरण दे सकते हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरुण शौरी : राज्यवार आंकड़े भी उपलब्ध हैं। इसे पढ़ने में काफी समय लगेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए पढ़ सकता हूं।

महोदय, उपयोग किए जाने संबंधी तालिका भी है *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, राज्यवार आंकड़े लिखित उत्तर में परिशिष्ट के रूप में दिए जाने चाहिए थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। उन्हें उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : जब कोई मंत्री महोदय उत्तर देते हैं तो यह आम प्रथा है कि सभी प्रासंगिक सूचना लिखित उत्तर परिशिष्ट के रूप में दी जाती है। लेकिन अब हमारे सामने यह नई प्रथा शुरू हुई है*...(व्यवधान)* यदि कोई माननीय सदस्य सभा में कुछ जानकारी चाहते हैं तो इसे सभा में ही दिया जाना चाहिए।

श्री अरुण शौरी : मुझे उल्लेख करने दें *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया सरकार को भविष्य में सही उत्तर देने के निदेश दें।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं *...(व्यवधान)* क्या मैं आंकड़ों को पढ़ सकता हूं? *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह कहना कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के आंकड़े संबंधित जिलाधिकारियों के पास उपलब्ध है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दें।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह एक गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह एक बुनियादी प्रश्न है *...(व्यवधान)* गत पचास वर्षों से यह प्रथा रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब वे राज्यवार आंकड़े दे रहे हैं। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री अरुण शौरी : महोदय, मैं राज्यवार आंकड़े दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश में वर्ष 1993 से 2000 तक 403.45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। विभिन्न कार्यों हेतु 363.83 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। जारी की गई धनराशि 90 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, ये आंकड़े लिखित उत्तर में भी दिए जा सकते थे।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यह एक अत्यधिक खराब प्रथा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को कह रहा हूं। आप इसमें भी व्यवधान डाल रहे हैं। यह क्या है?

श्री ए.सी. जोस : इसे विवरण के साथ दिया जाना चाहिए था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री महोदय से यही बात पूछ रहा हूं। आप लोग कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, पूरा रिप्लाई स्टेटमैंट के साथ आना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जवाब तो देना चाहिए। *...(व्यवधान)* जो प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब नहीं दिया गया। *...(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज : आप स्टेटवाइज जानकारी सदन में बतायें। *...(व्यवधान)* इस बारे में सभी जानना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है। पहले माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, माननीय मंत्री महोदय को उत्तर में सुधार करने हेतु निदेश दें। यह अगली बार दी जा सकती है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : कृपया मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया मंत्री महोदय को उत्तर में त्रुटि सुधार करने का निदेश दें। इसे अगले सप्ताह दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल : उन्होंने उत्तर दे दिया है। हमारे समक्ष दिया गया उत्तर अधूरा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। कृपया समझने की कोशिश करें।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : यह सर्वाधिक असंतोषजनक उत्तर है *...(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी : महोदय, यह प्रश्न काल से संबंधित है। ब्याज से संबंधित आंकड़े राज्यवार उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास जारी की गई धनराशि तथा विभिन्न कार्यों के लिए जारी की गई धनराशि और उपयोग की गई धनराशि के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध हैं। ये आंकड़े राज्यवार उपलब्ध हैं। प्रश्न में इस संबंध में नहीं पूछा गया है।

प्रश्न धनराशि पर लग रहे ब्याज से संबंधित है। ये आंकड़े राज्यवार उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह पोर्टफोलियो भी महाजन साहब को दिलवा दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री उत्तमराव ढिकले : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं माननीय सदस्यगण से एक अनुरोध करना चाहूंगा। यहां उपस्थित सभी सदस्यों की प्रश्न पूछने की इच्छा है। मैं श्री पवन कुमार बंसल से विशेषरूप से अनुरोध करूंगा कि हम प्रश्न सं. 364 पर इसीलिए चर्चा कर सके क्योंकि प्रश्न सं. 361, 362 और 363 पूछने वाले सदस्यगण उपस्थित नहीं हैं। यदि आप इस पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम यह नहीं कह सकते कि पहले के तीन सदस्य उपस्थित होंगे अथवा नहीं और शायद इस प्रश्न पर चर्चा नहीं भी हो सके। हम इस पर भाग्यवश चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर आधे घंटे की चर्चा और कर सकते हैं। हमें प्रश्न पूछकर इसका उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री उत्तमराव ढिकले : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री उत्तमराव ढिकले : कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे एक प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या इस स्कीम की कोई समीक्षा की जाती है। यदि समीक्षा की जाती है तो उसकी डिटेल क्या है। समीक्षा के बाद अगर स्कीम अच्छी है यह जानकारी मिलती है तो 2 करोड़ राशि के बजाय क्या 5 करोड़ राशि देने की कुछ संभावना सरकार के सामने है।

श्री अरुण शौरी : जैसाकि आप जानते हैं, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 1998-99 में योजना की लेखा-परीक्षा की थी। उन्होंने उक्त योजना पर बहुत तीखी टिप्पणी की थी और वह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई थी।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, गलत जवाब दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)* लेखा परीक्षा वर्ष 1997 की थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पवन कुमार बंसल कृपया इनकी बात सुनें। कृपया उन्हें अपना जवाब पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री अरुण शौरी : नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 1997 को समाप्त हुई अवधि की अपनी रिपोर्ट पूरी की थी। उसमें यह सब दिया गया है। इस रिपोर्ट में कई प्रतिकूल टिप्पणियां की

गई हैं। उन टिप्पणियों की ओर कलक्टरों, राज्य सरकारों और संसद सदस्यों का ध्यान भी दिलाया गया है।

दूसरे, वित्त संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में तीन स्थानों पर बहुत जोरदार ढंग से यह सिफारिश की है कि उक्त योजना को असरदार बनाने के लिए एक सैम्पल सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। वित्त संबंधी स्थायी समिति की यह कड़ी टिप्पणी है। इसके परिणामस्वरूप, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इस माननीय सभा के 57 सदस्यों और राज्य सभा के 28 सदस्यों के यादृच्छिक चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में उनके नोडल जिलों का सर्वेक्षण किया है। उन मामलों में, आंकड़ों को संकलित करने का कार्य मार्च में शुरू किया गया था। इसे जून 2000 तक पूरा कर लिया जाएगा और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो पायेगी।

तीसरे, इस माननीय सभा द्वारा राशि को बढ़ाने के बारे में उठाई गई मांग के बाद, मुझे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा अवगत किया गया है कि उन्होंने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का एक बार और अध्ययन करने के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का गठन किया है जो इसका स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा।

[हिन्दी]

जो आपने समीक्षा की बात की, इसमें यह तीन चीजें हुई हैं।

[अनुवाद]

दूसरा मुद्दा उक्त राशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ अथवा 5 करोड़ रुपए करने के बारे में है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुप्रयुक्त राशि पहले से ...*(व्यवधान)* कृपया इस मामले की गम्भीरता के बारे में विचार करें। अनुप्रयुक्त राशि से आशय उस राशि से है जो जारी तो की जा चुकी है लेकिन उपयोग नहीं की गई है। यह राशि 1800 करोड़ रुपए है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपना जवाब पूरा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं करें, आप बैठ जाइए, प्लीज।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना जवाब पूरा करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: यदि आप केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर गौर करें तो आप पाएंगे कि यह राशि उधार पर ली गई राशि है और सरकार जारी की गई लेकिन अनुप्रयुक्त राशि पर लगभग 200 करोड़ रुपए ब्याज स्वरूप दे रही है। इसके कई कारण हैं। इसका मुख्य कारण इस योजना को धीमी गति से क्रियान्वित करना है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना जवाब पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन इस तरह से व्यवधान नहीं डालें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल: ये जवाब ही गलत दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जवाब गलत दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहें तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अरुण शौरी: इसमें अन्तर है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया यह बात समझें।

श्री अरुण शौरी: इसमें अंतर है। केन्द्र सरकार को उस राशि पर जो जारी की गई है लेकिन उपयोग नहीं की गई है, ब्याज देना पड़ता है क्योंकि वह आम बजट से जारी की गई है। लेकिन संसद सदस्यों के लेखे में, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है, 107 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देने पड़े हैं। आप इन दोनों में अंतर नहीं कर रहे हैं।

तीसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि इस समय विभिन्न उच्च न्यायालयों में छः याचिकाएं लंबित पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया समझें। अब लगभग 25 मिनट हो चुके हैं।

श्री के. येरननायडू: मैं कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा।

श्री अरुण शौरी: इस योजना की संवैधानिक वैधता पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं के माध्यम से विचार हो रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: वे स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। आप शोर क्यों मचा रहे हैं? आप सभा की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण शौरी: इस समय मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार का विचार 2 करोड़ रुपये की धनराशि को किसी और राशि तक बढ़ाने का नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमें बोलने दिया जाए। आप बैठिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मेरी माननीय मंत्री महोदय जिन्हें अपने पत्रकारिता व्यवसाय में मीडिया को बहुत अधिक अनुभव है उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वे मीडिया में पत्रकारिता व्यवसाय और सभापटल पर खड़े होकर बोलने में जो दोनों भिन्न चीजें हैं, इसके अंतर को नहीं समझ रहे हैं।

तथापि, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि संसद सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बकाया कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और धनराशि को विलम्ब से जारी करने और अधिकांश स्थानों पर कलक्टरों, से सहयोग न मिलने के कारण इस कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको: संसद सदस्य भी इसके लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। कृपया इस बात को समझें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मंत्री महोदय कलक्टरों को स्पष्ट रूप से निर्देश देंगे कि संसद सदस्यों के साथ कार्यक्रम की निर्धारित कार्यसूची के संबंध में दो माह में एक बार बैठक आयोजित की जाए, दूसरे, कलक्टर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करने के लिए संसद सदस्यों के साथ बैठकों का आयोजन करते समय अधिकारियों को आमंत्रित करेंगे? संसद सदस्यों को पासबुक दी जाएंगी ताकि संसद सदस्यों को इस बात का पता चल सके कि कितनी धनराशि खर्च की गई है और कितना ब्याज, आदि देय हो गया है और इस संबंध में वे निगरानी रख सकें।

श्री अरुण शौरी: माननीय सदस्य ने दो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, पहला धनराशि जारी करने के लिए और दूसरा कलक्टरों द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के संबंध में। मैं तथ्य पेश करूंगा।

धनराशि जारी करने के संबंध में, हम प्रत्येक सोमवार की सुबह को माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय, चेयरमैन के कार्यालय और पुस्तकालय को एक विवरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य को जारी की गई धनराशि का उल्लेख किया जाता है। हम यह विवरण वहाँ प्रस्तुत करते हैं ...*(व्यवधान)* यह एक बड़ी पुस्तक है, आप इसे पुस्तकालय में देख सकते हैं। यह पुस्तक वहाँ उपलब्ध है। ...*(व्यवधान)* मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रत्येक संसद सदस्य को उनके दिल्ली के पते और उसके निर्वाचन क्षेत्र के पते दोनों पर सूचना भेजी जाती है ...*(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो, तो हम इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। मंत्री महोदय, क्या आपको कोई आपत्ति है?

श्री अरुण शौरी: नहीं। हम चर्चा कर सकते हैं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

***365. श्री सुबोध मोहिते:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के लिए खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में संतोषजनक दक्षिण-पश्चिम मानसून के बावजूद खाद्यान्नों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता प्रतिवर्ष घटती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ङ) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1999-2000 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन 210.00 मिलियन मी. टन के लक्ष्य के मुकाबले 201.56 मिलियन मी. टन होने की संभावना है जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(मिलियन मी. टन)

फसल/फसल वर्ग	लक्ष्य 1999-2000	उत्पादन 1999-2000*
चावल	86.00	88.55
	74.00	70.10
मोटे अनाज	34.50	29.36
दलहन	15.50	13.55
कुल खाद्यान्न	210.00	201.56

*27.3.2000 के अनुसार अग्रिम अनुमान

(ग) और (घ) वर्ष 1999 के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता 470.1 ग्राम प्रति दिन रही जो यद्यपि 1997 के 509.3 ग्राम प्रति दिन से कम थी, लेकिन यह 1998 के 450.4 ग्राम प्रति दिन से अधिक थी।

(ङ) देश में खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार चावल/गेहूं/मोटे अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्र में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना आदि क्रियान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों/परियोजना के अंतर्गत बीजों की अधिक उत्पादक किस्मों के उपयोग, समेकित कृमि प्रबंध के अनुप्रयोग, सूक्ष्म सिंचाई सहित वैज्ञानिक जल प्रबंध के प्रचार तथा उन्नत कृषि औजारों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिये जाते हैं। उन्नत प्रौद्यगिकियों के विकास हेतु सतत् अनुसंधान भी किये जा रहे हैं, ताकि भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण हेतु कृषक और कृषि मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए किसानों का जोतों पर क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था, मुझे उसका उत्तर मिल गया है। मैंने लिखित उत्तर में दिए गए ब्यौरे का अध्ययन किया है। इसमें यह कहा गया है कि किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं। मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ वह बहुत ही गम्भीर है। खाद्यान्न क्षेत्र, दो किस्म के लोगों नामत: एक किसान और दूसरे उन लोगों जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध मोहिते, आपको यह सभी स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुपूरक प्रश्न पूछें। मंत्री जवाब देंगे।

श्री सुबोध मोहिते: जब कभी खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन होता है, उसका तत्काल निर्यात किया जाना चाहिए। इसी तरह से, जब कभी कमी होती है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में खाद्यान्न दिए जाने चाहिए।

क्या अतिरिक्त उत्पादन और कमी पर नियंत्रण रखने और संतुलन बनाए रखने के लिए कोई रिस्पांस टाइम सिस्टम है? मैं "फैक्ट" का उदाहरण देना चाहूंगा। जब 'फैक्ट' वित्तीय घाटे के दौर से गुजर रहा था, वस्तुओं का आयात करने में चार माह का समय लगता था इस दौरान, प्याज की कीमतें बढ़ गईं। अत: मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अतिरिक्त उत्पादन और कम उत्पादन में संतुलन रखने के लिए कोई रिस्पांस टाइम सिस्टम है?

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, यह प्रश्न न तो उत्पादन और न ही उपभोग से संबंधित है। इसका जवाब वाणिज्य मंत्री देंगे।

श्री सुबोध मोहिते: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने यह बताया है कि यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है।

अब, आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है?

श्री सुबोध मोहिते: मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन और कमी को संतुलित करने की क्या प्रणाली है?

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, मैंने पहले ही बताया है कि यह मामला वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जवाब दे रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, मेरे मंत्रालय का काम खाद्यान्नों का उत्पादन और सप्लाई करना है। यदि खाद्यान्नों का अतिरिक्त उत्पादन होता है, तो हम खाद्यान्नों का निर्यात नहीं कर सकते हैं। अत: यह वाणिज्य मंत्रालय पर निर्भर करता है कि वह मामले पर गौर करते हुए खाद्यान्नों का निर्यात करे अथवा उनका आयात प्रतिबंधित करे। वास्तव में इस संबंध में कोई कठिनाई है। अनाज का पर्याप्त भंडार है। जबकि चावल और गेहूं का उत्पादन अधिक हुआ है, दालों का उत्पादन कम हुआ है। मैंने इस संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है।

श्री शिवराज वी. पाटील: हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। खाद्यान्नों का उत्पादन घटा है। खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि दर में 0.8 प्रतिशत की कमी आई है। सिंचाई बांधों का निर्माण करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। किसानों को कृषि ऋण सुविधा का लाभ भी नहीं पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने यह प्रावधान किया है कि बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण में से 18 प्रतिशत ऋण किसानों को दिया जाएगा। हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि किसानों को केवल 8 प्रतिशत ऋण ही दिया जाता है। कृषि में अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए, सरकार को यह देखना चाहिए कि खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाए और देश के लोगों को इन्हें उपलब्ध कराया जाए। लोगों को अपेक्षित मात्रा में जो देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक को दी जानी चाहिए, उपलब्ध कराई जाए। हम इस सरकार से यह जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या योजना तैयार की है और वे इस उद्देश्य को किस तरह से प्राप्त करेंगे।

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: खाद्यान्नों की मांग 195 मिलियन टन है। इस मांग की तुलना में, इस वर्ष वास्तविक रूप से 200 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। अत: इसमें कोई गिरावट नहीं आई है। खाद्यान्नों का उत्पादन करने का अनुमानित लक्ष्य 210 मिलियन टन था। अत: उत्पादन में लगभग 8 टन की गिरावट आई है और इसका कारण जलवायु परिस्थितियां और उड़ीसा में आया भयंकर चक्रवात है। हमारे पास पर्याप्त खाद्यान्न है। कभी सिर्फ दलहनों और तिलहनों की है। कुछ तेल का आयात किया जा रहा है। उसमें न्यूनतम मूल्य का कारक भी है। देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति के कारण दलहनों के उत्पादन में कमी आई है।

जहां तक इसके लिए कोई योजना तैयार करने का संबंध है, हम इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जो भी सहायता राज्य सरकार मांगती है, हम उसे प्रदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: देश में खाद्यान्नों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित समेकित अनाज विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। ''बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम एरिया'', राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, इत्यादि भी क्रियान्वयनाधीन है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीजों की किस्मों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किये जाते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला: लिखित उत्तर में मंत्री द्वारा यह बातें पहले ही बताई जा चुकी हैं। वह इसे पुन: क्यों पढ़ रहे हैं?

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: अनुसंधान भी किए जा रहे हैं। कोई भी कमी नहीं आई है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सिर्फ चावल को छोड़कर सभी मामलों में उत्पादन कम हुआ है। चावल के क्षेत्र में भी उत्पादन केवल 2.55 मिलियन टन ही अधिक हुआ है। खाद्यान्नों की उपलब्धता में भी कमी आई है। 1997 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 509.3 ग्राम थी और वर्ष 1998 में यह कम होकर 450.4 ग्राम हो गई। उन्होंने इसकी तुलना 1998 से की है, लेकिन 1997 से नहीं की। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का कम उत्पादन उर्वरकों की खपत में आई कमी के कारण हुआ है क्योंकि अनेक यूरिया उत्पादक इकाइयां बन्द कर दी गई हैं और उर्वरकों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं।

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि अभी केवल हाल ही में की गई है जिसका उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वास्तव में उत्पादन केवल दालों एवं तिलहनों का कम हुआ है जिसका कारण, राजस्थान में विशेषरूप से सूखे की स्थिति थी जहां दलहनों और तिलहनों का उत्पादन किया जाता है। कृषि केवल सरकार के समर्थन पर निर्भर नहीं करती है बल्कि यह प्राकृतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। प्राकृतिक परिस्थितियां भी किसानों को उत्पादन बढ़ाने में मदद करती हैं। वास्तव में, अनाजों के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है बल्कि हमारे पास इसका फालतू भंडार है।

जहां तक दलहनों का संबंध है, हम समुचित कार्यवाही कर रहे हैं और हम दलहनों के क्षेत्र में भी आत्म-निर्भर बन जाएंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह पहले ही बता चुके हैं कि यह कमी उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्पादन बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है—पहली, इस बात की आवश्यकता होती है कि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, ताकि किसान फसल ज्यादा पैदा करे और दूसरी, अवेयरनैस की, जिसके लिए कृषि चैनल्स की आवश्यकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने इन चीजों की ओर ध्यान दिया है, जिससे किसान ज्यादा पैदावार करें? लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो किसान ज्यादा पैदावार करेगा और साथ ही कृषि चैनल्स के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा किसान एवेयर होंगे कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई डाली जाए, जिससे फसल बरबाद न हो। फसल बरबाद होने से किसान को ही नुकसान नहीं होता है, देश को भी नुकसान होता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है?

[अनुवाद]

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, सरकार ने किसानों को वाणिज्यिक खेती करने की सलाह दी है जिसकी आवश्यकता बाजार में होती है। लेकिन कभी-कभार किसान स्वयं अपनी पसन्द की खेती करते हैं। उसके बाद भी हम उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेते हैं। हम हमेशा किसानों की सहायता करने की कोशिश करते हैं। हम किसानों को खेती करते समय हमेशा सजग बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक अपदाओं के कारण पैदावार घटती और बढ़ती है। पैदावार घटती है, तो प्रकृति जिम्मेदार है और पैदावार बढ़ती है तो सरकार जिम्मेदार होती है। यह आपका ही कहना नहीं है, अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, उन सभी का भी यही कहना था। मैं चाहता हूं कि इस परम्परा को बन्द किया जाए।

दूसरी बात, मंत्री महोदय ने कहा है कि उड़ीसा में आए तूफान की वजह से पैदावार पर असर पड़ा है। यह तो प्रतिवर्ष होता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सुखाड़ होता है और कहीं पर तूफान आता है। क्या इसको रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने या कभी...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न है कि क्या सरकार प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पाने के लिए कोई कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार एक रिपोर्ट आई थी। एक अंग्रेज ने भी सर्वे कराया था।

जब बाढ़ आएगी तो पानी का निकास हो जाएगा और सूखा पड़ेगा तो किसानों को पानी मिलेगा। अगर इस तरह की कोई रिपोर्ट हो, हम पता नहीं लगा पाए, यह सही है, अगर सरकार पता लगाए तो उस पर आप क्या अमल करेंगे। दूसरी बात यह है कि वहां उड़ीसा और आंध्रा में तूफान आया था, लेकिन जहां तूफान ही नहीं आया और बाढ़ भी भारी नहीं आई, क्या उस सूबे में उत्पादन बढ़ा है? मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण बताता हूं, आप बताइए उत्तर प्रदेश में इन दो वर्षों में उत्पादन बढ़ा है या घटा है और यदि घटा है तो उसके क्या कारण हैं? आप यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं हट सकते कि उड़ीसा में, आंध्रा में हुआ है, यह सही है लेकिन जिन सूबों में तूफान नहीं आया और कुछ वे इलाके हैं जहां बाढ़ भी नहीं आई तो वे क्या कारण हैं जिनकी वजह से किसानों का उत्पादन घटा है, यह मंत्री जी बताने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह नहीं है। वहां उत्पादन कम नहीं हुआ है; उसे बरकरार रखा गया है। माननीय सदस्य का कहना है कि सरकार को खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का श्रेय नहीं लेना चाहिए। भारतीय किसान बहुत सजग है। खाद्यान्न उत्पादन में जो भी वृद्धि हुई है, उसका श्रेय सबसे पहले किसान को ही जाता है। जिन भी कठिनाइयों का सामना हमारा किसान कर रहा है, उसके लिए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मौसम और जलवायु को उसका मददगार होना होता है। सरकार उसकी मदद कर रही है और उसे खेती के नए तरीकों, तिलहनों तथा उर्वरकों के क्षेत्र में सहायता प्रदान कर रही है। अभी तक उन्हें राजसहायता भी उपलब्ध थी।

उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह नहीं है। अभी तक राज्य में कोई तूफान अथवा बाढ़ नहीं आई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जलवायु विषयक स्थितियां कमोबेश खराब रही हैं। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जलवायु विषयक स्थितियां कमोबेश खराब रही हैं। गत वर्ष जलवायु विषयक स्थितियां बहुत अच्छी थीं। कृषि समुदाय में एक कहावत है कि हमें औसत हिसाब-किताब पांच वर्षों के आधार पर रखना होता है। पांच वर्षों में जलवायु विषयक स्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अत:, हमें किसान की औसत आय पांच वर्षों के हिसाब से निकालनी होगी। यह कहावत सभी ग्रामीण समुदायों में प्रचलित है। अत:, हमें गत पांच वर्षों की

स्थितियों को देखना होगा। गत वर्ष जलवायु संबंधी स्थितियां बहुत अच्छी थीं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए क्या सरकार ने किसी स्थायी समाधान पर विचार किया है?

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सरकार तुरन्त कार्यवाही करती है। जैसे ही राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट भेजती है, हम अपने विशेषज्ञ दल भेज देते हैं और वे सहायता की सिफारिश करते हैं। हम 75 : 25 के अनुपात में धन देते हैं। हम पहले ही इसे सभी राज्यों को भेज चुके हैं। कुछ अभी भी लम्बित हैं और उन पर शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाएगा।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: हमने माननीय मंत्री द्वारा दिया गया एक वक्तव्य सुना कि देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 195 मिलियन टन की आवश्यकता के मुकाबले देश में उत्पादन 201 मिलियन टन हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूं कि संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के दिए जाने वाले उत्तरों को लेकर विभिन्न मंत्रालयों के बीच कोई समन्वयन नहीं है। गत माह, एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्टरूपेण यह बताया गया था कि देश में हुए खाद्यान्न उत्पादन में से लगभग सात से दस प्रतिशत खाद्यान्न भण्डागारों में सड़ रहा है। यदि यह मान भी लिया जाये कि खाद्यान्न उत्पादन 201 मिलियन टन हुआ है तो भी यदि भण्डागारों में सात प्रतिशत की दर से होने वाले नुकसान को उसमें से निकाल दिया जाये तो उपभोग के लिए कुल उपलब्ध मात्रा लगभग 186 मिलियन टन होती है। जबकि माननीय मंत्री ने बताया है कि कुल खाद्यान्न आवश्यकता 195 मिलियन टन की है। इस संगठन का क्या आधार है? क्या यह प्रति व्यक्ति प्रति दिन कुल आहार आवश्यकता पर आधारित है? 195 मिलियन टन खाद्यान्न आवश्यकता की संगणना करने का आधार क्या है?

महोदय, इस देश में 39 प्रतिशत जनसंख्या के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण स्थिति है। वे ऐसे आंकड़े कैसे दे रहे हैं? इस संगणना का आधार क्या है?

अध्यक्ष महोदय: आप सीधे-सीधे मंत्री जी से पूछ सकते हैं कि इस संगणना का क्या आधार है। मंत्री जी आपको सारे ब्यौरे देंगे।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: उन्होंने कहा कि 195 मिलियन टन की आवश्यकता है। आप दिए गए आंकड़ों पर पुन: नजर डालिए। आप पाएंगे कि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि मंत्री जी वक्तव्य पढ़ रहे हैं और दूसरी ओर आप भी वही चीज कर रहे हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: मैं मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की और आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं कि खाद्यान्नों की उपलब्धता 509 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति से घटकर 470 ग्राम हो गई है। क्या यह गंभीर स्थिति नहीं है? असल में ये सब खराब बीजों, मिलावट युक्त बीजों, कीटनाशी दवाओं, उर्वरकों के अपर्याप्त इस्तेमाल, ऋण की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण हो रहा है। ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर सामूहिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि देश में 195 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। यह आंकड़ा स्वयं को धोखा देने वाला है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह बीज अधिनियम और कीटनाशी दवाओं संबंधी अधिनियम में संशोधन करने तथा उर्वरकों की बढ़ाई गई कीमतों को भी वापस लेने जा रहे हैं ताकि अधिकाधिक मात्रा में उर्वरकों को खरीदा जा सके। 195 मिलियन टन खाद्यान्न आवश्यकता की संगणना का आधार क्या है?

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, उपभोग हेतु 165 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। बीज उत्पादन तथा नष्ट होने वाले अनाजों की भरपाई करने के लिए 33 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता है। इस प्रकार, कुल आवश्यकता 198 मिलियन टन की होती है। उत्पादन 200 मिलियन टन का हुआ है। फालतू खाद्यान्नों की उपलब्धता इस समय 3 मिलियन टन है। अत: राष्ट्रीय आहार संस्थान, हैदराबाद द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर हमें 185 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता प्रति वर्ष होती है।

[हिन्दी]

कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

***367. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विभिन्न उपजों के नाम क्या हैं जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए थे और उक्त समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद करने के लिए कोई श्रेणीकरण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण 24 मुख्य कृषि फसलों के लिए किया जाता है एवं गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित समर्थन मूल्यों का ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण कृषि फसलों की उचित औसत गुणवत्ता (एफ ए क्यू) हेतु किया जाता है। तथापि, धन/चावल की खरीद दो वर्गों, यानि श्रेणी 'ए' एवं सामान्य हेतु की जाती है। 2.5 या इससे अधिक लंबाई और चौड़ाई के अनुपात वाले अनाज को श्रेणी 'ए' में रखा जाता है जबकि 2.5 से कम लंबाई-चौड़ाई अनुपात वाले अनाज को सामान्य श्रेणी में रखा जाता है जूट के मामले में, कच्चे जूट की टी डी-5 श्रेणी का न्यूनतम मसर्थन मूल्य सरकार निर्धारित करती है जबकि भारतीय जूट निगम मुख्य श्रेणी के मंडी मूल्य अंतरों के आधार पर अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कपास के मामले में, सरकार दो मुख्य किस्मों, यानि एफ-414/एच-777/जे-34 एवं एच-4 का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है जबकि भारतीय कपास निगम द्वारा अन्य किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण मूल्य किस्म और सामान्य मंडी मूल्य में अंतरों के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार, तम्बाकू के मामले में सरकार दो श्रेणियों, यानि एल-2 एवं एफ-2 के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है जबकि अन्य श्रेणियों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण तम्बाकू बोर्ड द्वारा मूल किस्म और सामान्य मंडी मूल्य में अंतरों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	जिंस	किस्म	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6
1.	धान	सामान्य	415	440	490
		श्रेणी 'ए'	445	470	520
2.	ज्वार		360	390	415
3.	बाजरा		–	–	–
4.	रागी	–	–	–	
5.	मक्का		360	390	415
6.	गेहूं		510*	550	580
7.	जौ		350	385	430
8.	चना		815	895	1015
9.	अरहर		900	960	1105
10.	मूंग		900	960	1105
11.	उड़द		900	960	1105

1	2	3	4	5	6
12.	गन्ना@		48.45	52.70	56.10
13.	कपास	एफ-44/एच-777	1330	1440**	1575**
		एच-4	1530	1650	1775
14.	मूंग (छिलका सहित)		980	1040	1155
15.	पटसन		570	650	750
16.	रैपसीड/सरसों		940	1000	1100
17.	सूरजमुखी बीज		1000	1060	1155
18.	सोयाबीन	काला	670	705	755
		पीला	750	795	845
19.	कुसुम		910	990	1100
20.	तोरिया		905	965	1065
21.	तम्बाकू (वीएफसी)	काली मिट्टी (एफ-2 श्रेणी)	20.50	22.50	25.00
	(रु. प्रति किलो)	काली मिट्टी (एल-2 श्रेणी)	23.50	25.50	27.00
22.	खोपरा	मिलिंग	2700	2900	3100
	(कैलेण्डर वर्ष)	बॉल	2925	3125	3325
23.	तिल		950	1060	1205
24.	रामतिल		800	850	915

*55.00 रु. प्रति क्विंटल (1.4.98 से 30.6.98 के बीच देय) केन्द्रीय बोनस सहित।

**जे-34 किस्म के लिए भी।

@सांविधिक समर्थन मूल्य 8.5% की आधार भूत वसूली से संबद्ध है और उस स्तर से प्रत्येक 0.1% अधिक वसूली पर आनुपातिक प्रीमियम देय है।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो समर्थन मूल्य घोषित किया था, उसमें एफएक्यू के कारण जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया था, उस पर कहीं भी सोयाबीन और गेहूं नहीं खरीदा गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में गुणवत्ता के आधार पर ए-ग्रेड का अनाज समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे और उसके बाद बी-श्रेणी का जो अनाज है उसके लिए भी कोई समर्थन मूल्य घोषित करेंगे, क्योंकि यह समर्थन मूल्य घोषित न होने के कारण पिछले वर्ष किसानों का भारी शोषण हुआ।

[अनुवाद]

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: महोदय, गत वर्ष चुनावों के कारण समर्थन मूल्य की घोषणा करने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था और हम फौरी कार्यवाही नहीं कर सके। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि भविष्य में समर्थन मूल्य की घोषणा समय पर की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि वर्तमान में केवल ए-ग्रेड के लिए समर्थन मूल्य घोषित होता है और जो एजेंसियां खरीदती हैं वे छोटो-मोटी खामी बताकर, जो

अच्छी क्वालिटी का अनाज होता है उसे भी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदतीं।

तो क्या दो प्रकार की श्रेणियां घोषित करके समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। मान लो कि "ए" ग्रेड का 550 रुपये हो तो "बी" ग्रेड का या जनरल 525 रुपये होगा। क्या इस प्रकार की दो श्रेणियां घोषित करेंगे, ताकि समर्थन मूल्य का उद्देश्य पूरा हो सके और कृषकों का शोषण न हो। यह मेरा प्रश्न है।

[अनुवाद]

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: खाद्यान्नों, विशेषरूप से चावल की दो श्रेणियां हैं *...(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: यह केवल चावल के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक चीज के लिए है।

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: दूसरी श्रेणी के मूल्य घोषणा जब जरूरत होती है तो की जाती है। असल में, हम मूल्यों को समान बना रहे हैं। लेकिन लाभ किसानों को नहीं प्राप्त हो रहा है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में जब कभी भी 'बी' श्रेणी की किस्म की कीमतें बढ़ाई जाएं तो उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या उनके मंत्रालय को पता है कि खाद्यान्न उत्पादन में आई कमी का कारण फसल प्रणाली में आया परिवर्तन है और अब अधिकाधिक किसान नकदी फसल पैदा करने लगे हैं क्योंकि उन्हें खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसल के मामले में अच्छा लाभार्जन होता है। जो किसान खाद्य फसलों का उत्पादन करते हैं उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। ऊपर से और मुसीबत यह है कि जब समूचे देश में खाद्यान्न उत्पादक किसान सूखे की विकट परिस्थितियों, कीटनाशी दवाओं की दरों में वृद्धि, मालभाड़े की दरों में वृद्धि, छोटे किसानों के लिए विद्युत दरों में वृद्धि के कारण और राज्य सरकार की बाधक एवं विलक्षण नीतियों के कारण परेशान होता है तो आपका मंत्रालय कोई खास हस्तक्षेप नहीं करता। छोटे किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या उन्होंने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि अब देश में हमारे कितने खाद्यान्न उत्पादक किसानों ने नकदी फसल की खेती करनी शुरू कर दी है।

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: असल में, माननीय सदस्या के मस्तिष्क में नकदी फसल की ही बात घूम रही है। वास्तव में, किसानों को वाणिज्यिक फसलों की बिक्री करने में खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम इसे तम्बाकू, मिर्च, कपास, मक्का और अन्य ऐसी फसलों के मामले में देख रहे हैं।

खाद्य फसलों का बाजार नियमित है। हां, कीमतों में 40 रु. से 50 रु. का अंतर जरूर हो सकता है। लेकिन नियमित आय केवल खाद्य फसलों से ही होती है।

जहां तक विद्युत तथा अन्य चीजों के अभाव का संबंध है तो उससे राज्य सरकारें निपटती हैं? उन्हें राज्य सरकारों द्वारा देखा जाएगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अध्यक्ष-पीठ को भी काफी परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: खाद्य फसल खेती के लिए सुरक्षित है। जहां नियमित जल आपूर्ति नहीं है वहां लोग वाणिज्यिक फसलें पैदा करते हैं। जब कभी भी पानी की आपूर्ति पूरी तरह से होती है तो वे उसे खाद्य फसलों में बदल देते हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी: पुष्प कृषि तथा सुगंधित पौधों की खेती में तेजी से वृद्धि हुई है। *...(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न सं. 365 और 367 आपस में सहबद्ध हैं, मैं इस संबंध में एक मिला-जुला प्रश्न पूछना चाहूंगा। सरकार देश के लिए नई कृषि नीति कब लेकर आएगी जिससे कि अंतोगत्वा किसानों को फायदा हो सके? मैं यह बात सबसे पहले जानना चाहूंगा। दूसरे, "टर्मिनेटर" बीज के अत्यधिक प्रयोग ने खाद्यान्न उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तीसरे, जहां तक धान की खरीद का संबंध है, आज उड़ीसा में धान की "स्वर्ण" किस्म जोकि एक बेहतर किस्म का धान है—की खरीदारी भारतीय खाद्य निगम मोटे अनाजों की किस्मों को दी जा रही दरों पर कर रही है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगे?

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: हम इससे अवगत हैं। हम "टर्मिनेटर" बीजों के आयात की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

हमने एक राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार की है। इसे कैबिनेट को प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि खाद्यान्न उत्पादन उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक नहीं हुआ है; इस तथ्य को देखते हुए कि खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट आई है; माननीय मंत्री द्वारा सदन को दिए गए इस आश्वासन को देखते हुए कि सरकार किसानों को प्रोत्साहन देती है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री उर्वरक राजसहायता में 15 प्रतिशत की कमी को किसानों के लिए प्रोत्साहन मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का संबंध कृषि फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से है।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, आपने पिछले वक्ता को प्रश्न सं. 365 को 367 से जोड़ने की अनुमति दी थी। कि उसी तरह, मैं भी पूछ रहा हूं कि क्या उर्वरक राजसहायता कम करने से किसानों को कोई प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: कभी-कभार न्यूनतम मूल्य निम्न दर पर भी निर्धारित किए जाते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो सरकार और अधिक मूल्य देती है। हमने इसे किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या किसानों को कोई प्रोत्साहन दिया जा रहा है?

...(व्यवधान)

श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव: हम इसे धान और चावल के मामले में दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद: बहुत अच्छे। किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सरकार कीमतों में वृद्धि कर रही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त होता है?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

*361. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाये गये और अपनी ड्यूटी में अत्यधिक अनियमितताएं तथा लापरवाही बरतने वाले अखिल भारतीय सेवा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियंत्रिण करने वाले केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवाओं, रेल-सेवा आदि के अधिकारियों को नियंत्रित करने वाले तद्नुरूपी नियमों में, भारी शास्तियों में से एक शास्ति-स्वरूप "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" का प्रावधान है। सही और पर्याप्त कारणों से, किसी सरकारी कर्मचारी पर यह शास्ति, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का निर्वाह करके लगाई जा सकती है। फिर भी, उपर्युक्त नियमों में यह निर्धारित है कि अवैध रूप से घूस लेने का आरोप सिद्ध होने के प्रत्येक मामले में सेवा से निकाल दिए जाने अथवा बरखास्त कर दिए जाने की शास्ति लगाई जाए।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार इस बात के आधार पर सेवा के सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर सकती हैं कि अधिकारी कदाचार करते समय कहां (किस सरकार के अधीन) सेवारत था। राज्य-सरकारें भी उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित केन्द्रीय सरकार द्वारा ही लगाई जा सकने वाली सेवा से बरखास्तगी, निकाल दिए जाने की और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तीन भारी शास्तियों को छोड़कर, अन्य सभी शास्तियां लगाने में सक्षम हैं। किसी अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति के उपरांत उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ली जानी अपेक्षित होती है। इसके अतिरिक्त,

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में, भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत मंजूरी केन्द्र सरकार द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के संबंध में संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का प्रयोग करता है। अन्य दो अखिल भारतीय सेवाओं अर्थात भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) और भारतीय वन सेवा (आई. एफ. एस.) के संबंध में संवर्ग-नियंत्रण प्राधिकारी, क्रमशः गृह-मंत्रालय तथा पर्यावरण और वन-मंत्रालय है।

राज्य-सरकारों द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर, तीन भारी शास्तियों को छोड़कर, लगाई गयी अन्य शास्तियों/उनके विरुद्ध शुरू की गई कार्रवाही के बारे में जानकारी, केन्द्रीत रूप से नहीं रखी जाती अथवा मॉनीटर नहीं की जाती। पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 1995 से वर्ष, 1999 के दौरान ऐसे मामलों की संख्या सुलभ जानकारी के अनुसार निम्नानुसार हैं जिनमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई, अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई और उन पर शास्ति लगाई गई:-

श्रेणी	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से संबद्ध	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से संबद्ध	भारतीय वन-सेवा के अधिकारियों से संबद्ध
जिन मामलों में अभियोजन की मंजूरी दी गई	29	8	2
जिन मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई	28	27	60
जिन मामलों में शास्ति लगाई गई	14	12	1
जिन मामलों में मामला (मुकदमा) समाप्त कर दिया गया	2	8	-

[अनुवाद]

जल प्रबन्धन

***362. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन:**
श्री पी. डी. एलानगोवन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई जनसंख्या और हिमालय के हिमनदों के प्रसार क्षेत्र के कम होने के कारण देश में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता में तेजी से कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में जल संसाधनों को बढ़ाने और उनका दोहन करने के लिए कौन से ठोस और वैज्ञानिक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ख) देश में जल की वार्षिक उपलब्धता कमोबेश स्थिर रहती है। तथापि, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, देश में प्रतिव्यक्ति जल की उपलब्धता, जोकि 1951 में 5177 घन मीटर थी, वर्तमान में घटकर 1869 घन मीटर रह गयी है। हालांकि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी एस आई) द्वारा हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर पर किए अध्ययनों से पता चलता है कि यह ग्लेशियर धीर-धीरे कम हो रहा है लेकिन इसका देश के जल संसाधनों की समग्र उपलब्धता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

उपलब्ध जल संसाधनों को उपयोग में लाने तथा जल आपूर्तियों में वृद्धि करने के वास्ते 1995 तक 177 बिलियन घन मीटर कुल सक्रिय भंडारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए लगभग 3600 बड़े बांधों और जलाशयों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं वाले बांधों का निर्माण पूर्ण होने पर 75 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त बांध बनाने के प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहे हैं/राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार जल विभाजक प्रबन्धन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहयता मुहैया कराई जाती हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए प्रायोगिक अध्ययन भी शुरू किए हैं।

विवरण

राज्य-वार भंडारण

(इकाई : मिलि. घन मी.)

क्र. सं.	राज्य	सक्रिय भंडारण क्षमता			
		पूर्ण परियोजनाएं	निर्माणाधीन परियोजनाएं	कुल	विचाराधीन परियोजनाएं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	24851.42	7123.27	31974.69	1726.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	--	--	--	45500.00
3.	असम	--	1054.32	1054.32	1023.90
4.	बिहार	4660.93	4352.73	9013.66	3583.13
5.	गोवा	44.30	674.45	718.75	--
6.	गुजरात	14919.07	7248.38	22167.45	258.00
7.	हरियाणा	--	--	--	356.40
8.	हिमाचल प्रदेश	13806.44	109.55	13915.99	14.95
9.	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	96.69
10.	कर्नाटक	21556.07	3013.31	24569.38	1948.57
11.	केरल	4617.81	1615.69	6233.50	8091.28
12.	मध्य प्रदेश	18580.13	21633.14	40213.27	5174.83
13.	महाराष्ट्र	22095.71	12918.88	35014.59	16315.00
14.	मणिपुर	396.50	124.58	521.08	508.94
15.	मेघालय	697.96	--	697.96	--
16.	मिजोरम	--	--	--	--
17.	नागालैंड	--	1220.00	1220.00	21864.08
18.	उड़ीसा	14286.77	3304.63	17591.40	--
19.	पंजाब	24.75	2344.00	2368.75	1800.63
20.	राजस्थान	8323.15	1591.48	9914.63	--
21.	सिक्किम	--	--	--	--
22.	तमिलनाडु	6719.51	36.55	6756.06	--
23	त्रिपुरा	312.00	--	312.00	20160.16
24.	उत्तर प्रदेश	16347.36	7057.56	23404.92	171.44

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	1475.15	--	1775.15	--
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	--	--	--	--
27.	चंडीगढ़	--	--	--	--
28.	दादरा और नगर हवेली	--	--	--	--
29.	दमन और दीव	--	--	--	--
30.	दिल्ली	--	--	--	--
31.	लक्षद्वीप	--	--	--	--
32.	पांडिचेरी	13.79	--	13.79	--
	कुल मिलि. घन मी. में	173728.82	75422.51	249151.33	132323.89
	कुल (बिलि. घन मी.)	173.23	75.42	249.15	132.30

टिप्पणी: केवल 10 मिलि. घन मी. और अधिक की सक्रिय भंडारण क्षमता वाली परियोजनाओं को ही शामिल किया गया है। 10 मिलि. घन मी. से कम की क्षमता वाली मध्यम परियोजनाओं के द्वारा 3 घन किमी. (लगभग) अतिरिक्त भंडारण क्षमता के सृजन का अनुमान है। इस प्रकार पूर्ण परियोजनाओं में 177 घन किमी. की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता होगी।

[हिन्दी]

क्लिंटन का दौरा

***363. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य:**
श्री चन्द्रकांत खैर:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत की यात्रा के दौरान भारत और अमरीका के बीच हस्ताक्षर किए गए विभिन्न समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चर्चा के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ भारत-पाक संबंध, आतंकवाद, दक्षिणी एशियाई सुरक्षा परिदृश्य, प्रतिबंध पेटेंट्स, सी. टी. बी. टी., सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की दावेदारी और कश्मीर पर चर्चा की गयी थी;

(ग) यदि हां, तो इन पर बिल क्लिंटन की क्या टिप्पणी थी;

(घ) उक्त मुद्दों पर ये टिप्पणियां किस सीमा तक भारतीय दृष्टिकोण के साथ मेल खाती हैं;

(ङ) उनके शिष्टमण्डल में शामिल व्यक्तियों के स्वागत तथा ठहरने पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च की गई;

(च) क्या दोनों देश हॉट लाइन स्थापित करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बधों को किस सीमा तक बढ़ावा मिला है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) 21-25 मार्च, 2000 तक अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन ने 21 मार्च को नई दिल्ली में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये, जिसमें उन्होंने भारत और अमरीका के बीच 21वीं सदी में गुणात्मक रूप से नये संबंध और नियमित व्यापक संस्थागत वार्ता प्रक्रिया के निर्माण के अपने स्वप्न की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारत और अमरीका ने दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक संपर्क और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से भारत-अमरीका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंच का गठन किए जाने के लिए भी एक करार संपन्न किया। दोनों पक्षों ने ऊर्जा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग तीव्र किए जाने के संबंध में तथा वाणिज्यिक वार्ता के लिए विचारार्थ विषयों की प्रस्तुति के लिए अलग-अलग

दो संयुक्त वक्तव्य जारी किये। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच भी कई करार और समझौता ज्ञापन संपन्न किये गये।

(ख) राष्ट्रपति क्लिंटन की यात्रा से दोनों पक्षों को एक सौहार्द्रपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा रचनात्मक वातावरण में आपसी हित के सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ।

(ग) और (घ) 21 मार्च को प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा संपन्न किया गया विजन वक्तव्य व्यापक द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर अपना विचार व्यक्त करता है। यह दोनों देशों के बीच समानता साझे मूल्यों तथा साझे हितों पर बल देता है।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद का मुकाबला किये जाने के लिए सहयोग तीव्र किये जाने के प्रति अपने दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन ने पाकिस्तान में लोकतंत्र के समक्ष आये गतिरोध और पाकिस्तान में बढ़ते उग्रवाद पर अपनी चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति क्लिंटन ने माना की पाकिस्तानी सरकार में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कश्मीर में आतंकवादी कृत्यों में शामिल लोगों का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी माना कि दक्षिण एशिया के इन दो देशों के बीच जो समस्या है इसका समाधान शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के जरिये इन्हीं दोनों देशों द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि अमरीका कश्मीर के संबंध में मध्यस्थता नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान से ऐसी परिस्थितियां पैदा करने के लिए कहा जिनमें द्विपक्षीय वार्ता सफल हो सके। अब सीमा-पार से लगातार उकसाये जाने की कार्रवाई का मुकाबला किये जाने में भारत द्वारा दिखाये जा रहे संयम के प्रति अमरीका में बेहतर समझबूझ है।

भारत और अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा इसकी शांति बनाये रखने के प्रयासों को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार मसलों पर जारी अपनी वार्ता का रचनात्मक मूल्यांकन किया और वे इस बात पर सहमत हुए कि इन मसलों पर आपसी समझबूझ बढ़ाने के लिए तथा मतभेदों को कम करने के लिए इसे जारी रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति क्लिंटन ने माना कि भारत को अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में निर्णय लेने का हक है और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने भारत में जो देखा-सुना उससे वे काफी प्रभावित हुए।

(ङ) सरकार द्वारा किये गये व्यय का बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) भारत और अमरीका के बीच नियमित व्यापक संस्थागत वार्ता प्रक्रिया का निर्माण किये जाने के एक रूप के भाग में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत के प्रधान मंत्री एवं अमरीकी राष्ट्रपति दोनों देशों की राजधानियों में बारी-बारी से अथवा अन्य स्थानों पर तथा बहुपक्षीय बैठकों के अवसरों पर भी नियमित द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। टेलीफोन तथा पत्रों के जरिए वे लगातार संपर्क में रहेंगे।

(ज) प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति क्लिंटन द्विपक्षीय संबंधों को एक नयी तथा उद्देश्यपूर्ण दिशा प्रदान किए जाने और समानता, आपसी सम्मान एवं पारस्परिक लाभ आधारित एक घनिष्ठ तथा गुणात्मक संबंध की रूपरेखा बनाये जाने पर सहमत हुए।

वे व्यापार और वाणिज्य, वित्त और निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी और जानकारी पर आधारित अन्य उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा 21वीं सदी में विश्व में शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए। इस यात्रा के दौरान स्थापित की गयी नियमित व्यापक संस्थागत वार्ता संरचना का उद्देश्य इन लक्षणों की प्राप्ति है। प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति के बीच होने वाली नियमित द्विपक्षीय शिखर बैठकों के अतिरिक्त मंत्री तथा अधिकारी स्तर पर विदेश नीति एवं सुरक्षा मामलों पर नियमित विचार-विमर्श भी किया जाएगा। आर्थिक और वाणिज्य मसलों, आतंकवाद का मुकाबला, ऊर्जा और पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में वार्ता किये जाने के लिए एक संस्थापक ढांचा भी स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

पुलिस जांच के बगैर पासपोर्ट जारी किया जाना

***366. श्री आर. एस. पाटिल:**
श्री शिवाजी माने:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पुलिस जांच के बगैर भारी संख्या में पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक ऐसे कितने मामले स्थान-वार और राज्य-वार केन्द्र सरकार के ध्यान में लाए गये;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) पुलिस रिपोर्ट देर आने के कारण राज्य-वार कितने अपराधियों को पासपोर्ट जारी किए गए; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर पासपोर्ट जारी न हों तथा अपराधियों को पासपोर्ट जारी न किए जायें?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) सामान्यता पासपोर्ट समुचित पुलिस सत्यापन के पश्चात जारी किए जाते हैं। किसी प्रकार की तत्काल प्रकृति के अल्प वैधता वाले पासपोर्ट भारत सरकार के किसी उप-सचिव के पद पर अथवा इससे किसी उच्च अधिकारी द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्त पर जारी किए जा सकते हैं। कुछ मामलों में पासपोर्ट ''कालातीत'' पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी किए जाते हैं। यदि पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने में चार सप्ताह से अधिक विलम्ब हो गया हैं। जारी करने के पश्चात जिन मामलों में कोई नकारात्मक पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होती हैं, उन पासपोर्ट आवेदकों से स्पष्टीकरण देने के लिए संपर्क किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो, उनके पासपोर्टों को निरस्त/जब्त कर लिया जाता है।

(ग) सभी मामलों को सामान्य पासपोर्ट जारी करने का मामला माना जाता है और पश्च पुलिस सत्यापन मामलों के पृथक आंकड़े अथवा कालातीत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी पासपोर्टों के लिए रजिस्टर नहीं रखा जाता है।

(घ) चूंकि इस प्रकार की सूचना को सामान्य केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखा जाता है इसे एकत्र किया जाएगा।

(ङ) सरकार ने पासपोर्ट आवेदनों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच और पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया है।

[हिन्दी]

कर्मचारी भविष्य निधि

*368. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि में प्रतिवर्ष कितनी राशि जमा पड़ी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार उपरोक्त निधि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार को इस पर प्रतिवर्ष कितना-कितना ब्याज मिला?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि का कुल समेकित निवेश 70,000.99 करोड़ रुपये था जिसमें 41,309.57 करोड़ रुपये गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र में था तथा 28,691.42 करोड़ रुपये छूट प्राप्त क्षेत्र में था। राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक नहीं कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित पैटर्न के अनुसार किया जाता है। तदनुसार भ. नि. धन का 40 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में, 40 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश किये जाने के लिए न्यासी बोर्ड के विवेक पर रखा गया है। न्यासी बोर्ड को जोखिम-आमद संभाव्यता के अपने आकलन के अनुसार रहते हुए इस 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक उन निजी क्षेत्र के बंधपत्रों/प्रतिभूतियों में निवेश करने का भी विकल्प दिया गया है। जिनकी निवेश ग्रेड रेटिंग कम से कम दो निक्षेप रेटिंग एजेंसियों से है।

(घ) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए निवेश से अर्जित ब्याज क्रमश: 3351.47 करोड़ रुपये, 3794.66 करोड़ रुपये तथा 4363.66 करोड़ रुपये था। इसमे से वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश से अर्जित ब्याज क्रमश: 104.44 करोड़ रुपये, 127.99 करोड़ रुपये तथा 117.97 करोड़ रुपये था।

विवरण

(रुपये करोड़ में)

राज्य	1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	59.97	70.34	117.18
असम	47.54	55.13	73.04
बिहार	197.01	221.02	268.27
गुजरात	29.44	34.58	60.30

1	2	3	4
गोवा	–	0.76	0.76
हरियाणा	6.77	6.77	14.14
हिमाचल प्रदेश	1.67	1.67	1.67
जम्मू एवं कश्मीर	2.29	4.82	9.84
कर्नाटक	34.14	36.66	40.76
केरल	33.24	41.44	44.17
मध्य प्रदेश	52.42	56.45	64.44
महाराष्ट्र	19.29	60.98	81.96
मणिपुर	11.43	10.52	10.52
मेघालय	5.10	5.10	5.10
मिजोरम	1.50	1.50	1.50
नागलैंड	20.85	19.67	20.00
उड़ीसा	58.88	61.15	66.41
पंजाब	7.97	9.97	21.94
राजस्थान	23.35	28.33	43.08
सिक्किम	5.57	5.57	5.57
तमिलनाडु	54.66	56.69	70.29
त्रिपुरा	19.91	18.48	13.47
उत्तर प्रदेश	244.89	299.12	331.86
पश्चिम बंगाल	71.66	71.68	56.85
कुल योग	1009.52	1178.40	1423.09

[अनुवाद]

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करना

***369. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी विभागों/अर्धसरकारी संगठनों में लगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन अन्य संगठनों में दिल्ली में कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी लगे हुए हैं और उनकी निरन्तर सेवावधि कितनी है;

(ग) प्रत्येक मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया;

(घ) क्या सरकार को सेवा में बगैर अन्तराल के 18 महीनों से पांच वर्षों तक की अवधि से अधिक समय तक लगातार सेवा करने के पश्चात् भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त किये जाने की जानकारी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) सरकार ने जून, 1988 को अनुदेश जारी किया था कि नियमित प्रकृति के कार्य के लिए दैनिक मजदूरी पर व्यक्तियों की भर्ती नहीं की जानी चाहिए तथा दिहाड़ी मजदूरों की भर्ती केवल नैमित्तिक, मौसमी या आवधिक प्रकृति के कार्य के लिए की जानी चाहिए। तथापि विभिन्न स्कीमों के तहत् निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा कई विभागीय/संवर्ग विशिष्ट स्कीमें अनुमोदित की गई थी।

(ख) से (ङ) ऐसी सूचनाएं किसी एक स्थान पर नहीं रखी जाती क्योंकि समस्त मंत्रालयों/विभागों से आशा की जाती है कि वे इन्हें अपने स्तर पर मॉनीटर करें।

(च) सरकार इस समय केवल उन्हीं नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित कर रही है जो उन पर लागू स्कीमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

द्वितीय श्रम आयोग

***370. डॉ. संजय पासवान:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रथम श्रम आयोग की सिफारिशों को द्वितीय श्रम आयोग के कार्यभार में सम्मिलित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(घ) क्या दूसरे श्रम आयोग की प्राथमिकताएं, अभिधारणाएं और कार्यभार निर्धारित कर दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) दिसम्बर, 1966 में गठित प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषय इस तरह से तैयार किए गए थे कि उनका श्रमिकों की रहन-सहन दशाओं, ऐसे परिवर्तन जो स्वतंत्रता के बाद हुए, जिस हद तक संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से कर्मकारों की कमाई, रहन-सहन दशाओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा, दक्षता, प्रशिक्षण एवं कल्याण को योगदान मिला, से सीधा संबंध था। आयोग के लिए आचार संहिता, संयुक्त प्रबंधन परिषदों, वेतन बोर्डों आदि जैसे औद्योगिक संबंध तंत्रों की पर्याप्तता और कारगरता की समीक्षा करना और समुचित सिफारिशें करना भी आवश्यक था। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों में मजदूरी नीति और न्यूनतम मजदूरी, रोजगार सेवाओं की दक्षता व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रम सांख्यिकी, अनुसंधान एवं श्रमिक शिक्षा में सुधार करने और सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा अगस्त, 1969 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के बाद से और द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन के निर्णय की तारीख जिसका निर्णय सरकार द्वारा 24 दिसम्बर, 1998 को लिया गया था, के बीच अनेक परिवर्तन हो चुके हैं औद्योगिक परिवेश, श्रम बाजार, रोजगार संबंधी आमेलन एवं सुमेलन द्वारा औद्योगिक उद्यमों की स्थिति में परिवर्तन और उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के मद्देनजर औद्योगिक संबंधों के माहौल में समग्र परिवर्तन हुए हैं, द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारार्थ विषय इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये गये हैं। अनुमोदित विचारार्थ विषय के अंतर्गत आयोग से संगठित क्षेत्र में श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों को युक्ति संगत बनाने और असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों के न्यूनतम संरक्षण का स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान का सुझाव देने की भी अपेक्षा है। आयोग से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से 24 माह के भीतर अर्थात् 15.10.2001 तक अपनी सिफारिशें दे देने की अपेक्षा की गई है।

सिंचाई परियोजनाएं

***371. श्री विलास मुत्तेमवार:**
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी की प्रतिक्षा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही अभी तक लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना की अनुमानित और वर्तमान बढ़ी हुई लागत क्या है तथा इस असाधारण विलम्ब के कारण क्या हैं;

(घ) इन परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) ऐसी सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) कोई भी सिंचाई परियोजना दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से ही केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित नहीं है।

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

***372. डा. वी. सरोजा:**
श्री राजेश वर्मा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय ने संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। संशोधन प्रस्तावों का मुख्य लक्ष्य श्रमिक संघों की संख्या को कम करना, आन्तरिक प्रजातंत्र को बढ़ाना, श्रमिक संघों में सामान्य जन का नेतृत्व और उनका क्रमबद्ध विकास एवं विनियमन है।

[हिन्दी]

अम्बेडकर ग्राम योजना

***373. श्री राम टहल चौधरी :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अम्बेडकर ग्राम योजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-श्रीलंका संबंध

***374. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **सूचना, प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत-श्रीलंका संबंधों के संवर्धन के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद् और श्रीलंका निर्यात संवर्धन बोर्ड के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके नियम तथा शर्तें क्या हैं;

(ग) इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आगामी वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुल कितना निर्यात होने का अनुमान है; और

(घ) 'दक्षेस' देशों को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) जी, हां। समझौता-पत्र की शर्तें एवं निबंधन इस प्रकार हैं—

- सूचना का आदान-प्रदान
- देश में आने वाले प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करना ताकि उनके कारोबारी लक्ष्यों को बढ़ावा मिले।
- व्यापार मेलों में प्रतिभागिता क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में सहायता देना।
- संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करना/भाग लेना।
- औद्योगिक स्थिति और भविष्य के बारे में परामर्श सेवाएँ।

(ग) इस समझौता-पत्र से भारत और श्रीलंका के बीच इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार में प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यह श्रीलंका और भारत के व्यापार एवं उद्योग जगत के बीच संचार की कमी को दूर करने में सहायता करेगा। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में श्रीलंका को होने वाले भारत के निर्यात में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

(घ) भारत सरकार द्वारा दक्षेस देशों सहित अन्य देशों को सूचना के क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन

1. इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम लाइसेंसिंग योजना डीजीएफटी के दिनांक 16.9.98 के सार्वजनिक नोटिस सं. 41 (आई -98)/1997-2002 के जरिए अधिसूचित कर दी गई हैं। इस योजना के अंतर्गत आयात से पहले निर्यात होगा तथा लाइसेंस सकारात्मक मूल्य संवर्धन सहित जारी किए जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटी) के पदनामित अधिकारियों को निर्यात संबंधी उत्पाद में उपादानों की संगतता/उपयोगिता तथा अपेक्षित मात्रा के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है।

2. उत्पादन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के एक मुख्य कदम के रूप में, 1 करोड़ रुपये की घटी हुई आरम्भिक सीमा से निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं का आयात शून्य शुल्क पर करने की सुविधा 14 अप्रैल,1998 से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग पर भी लागू कर दी गयी है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र के लिए यह सीमा घटा कर 10 लाख रुपये कर दी गई है। पूरी की जाने वाली निर्यात संबंधी बाध्यता छह वर्षों की अवधि में जहां पर्यन्त नि:शुल्क आधार पर पूँजीगत वस्तु के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 6 गुना अथवा एनएफई आधार पर पूँजीगत वस्तु के लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 5 गुना है।

3. इलेक्ट्रॉनिकी तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों से संबंधित ईपीसीजी आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए एक अलग कार्यविधि डीजीएफटी के दिनांक 8.6.98 के सार्वजनिक

नोटिस सं. 15 (आरई-98)/ 1997-2002 के जरिए अधिसूचित की गयी है, जिनके अनुसार इन आवेदन-पत्रों को ईपीसीजी समिति के समक्ष पेश किये जाने के बजाय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पदनामित अधिकारियों की संस्तुति पर लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा इन पर विचार किया जाता है डीजीएफटी ने दिनांक 1.9.99 को एक सार्वजनिक नोटिस संख्या 29 (आरई-98)/1997-2002 भी जारी किया है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिकी तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में इकाइयों के पास आयात की जाने वाली पूँजीगत वस्तुओं के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के साथ संबंध के बारे में की गई स्व-घोषणा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष ईपीसीजी लाइसेंस के लिए आवेदन करने का विकल्प होगा।

4. केवल निर्यात के लिए स्थापित की गई इकाइयों में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है, निर्यातोमुखी इकाइयों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं जिसमें पूँजीगत वस्तुओं, कच्ची सामाग्रियों, संघटन पूर्जों तथा अन्य उपादनों का शुल्क मुक्त, आयात-निर्यात के लिए शुल्क मुक्त अवधि तथा घरेलू बाजार की उपलब्धता शामिल हैं। ऐसी इकाइयां भी किसी योजना के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं अर्थात् इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) तथा 100% निर्यातोन्मुखी इकाई (ईओयू)। ईएचटीपी योजना विश्वव्यापी स्तर के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना डेटा संचार संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक माध्यम के रूप में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए एक निर्यातन्मुखी योजना है जिसमें व्यावसायिक सेवाओं का निर्यात भी शामिल है।

5. ईएचटीपी तथा एसटीपी योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यन्वित की जाती हैं।

6. वाणिज्य मंत्रालय की कार्यविधि पुस्तिका (खण्ड 1) 1997-2002(जिसमें 31.3.99 तक किए गए संशोधन शामिल है) के पैरा 9.37 के जरिए एसटीपी/ईएचटीपी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पादनामित अधिकारियों के अनुमोदन की शक्तियों को और अधिक बढ़ा दिया गया है वे अब ऐसी एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों की स्थापना को अनुमोदन दे सकते हैं जहाँ पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा (कर के बाद शुद्ध) 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तक है।

7. भारतीय सॉफ्टवेयर कम्पनियों के लिए एक विशेष स्टॉक योजना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ए.डी. (एम.ए.) के दिनांक 7.8.98 के परिपत्र सं. 25 के जरिए अधिसूचित की गई हैं। जो एक साधन के रूप में इन कम्पनियों की एडीआर/जीडीआर प्रदत्त राशि से संबंधित हैं ताकि ये कम्पनियां प्रोत्साहन देकर अपने उच्च कुशलतायुक्त व्यवसायविदों को कायम रख सकें।

8. भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर उद्योग को कार्यशील पूजी के प्रबंध की मंजूरी देने के लिए दिनांक 8.8.98 के दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

9. सरकार ने 100 करोड़ रुपये के सग्रह से एक सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएसआईटी) का गठन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंशदान 30 करोड़ रुपए होगा।

10. कम्पनियों द्वारा स्वीट इक्विटी जारी करने का प्रावधान कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 में लागू किया गया है।

11. आयात-निर्यात नीति, 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक किये गये संसोधन शामिल हं), में निर्यात के जहाज पर्यन्त शुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू टैरिफ क्षेत्र की उपलब्धता की अनुमति ईओयू/इपीजेड/ ईएचटीपी योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाईयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजनाओं के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाईयों को दी गयी है, अनुमति पत्र के शामिल मदों के लिए ईएचटीपी इकाइयों द्वारा विनिर्मित हार्डवेयर की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री पर ब्रॉडबैंडिंग की अनुमति दी गई है।

12. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजनाओं के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के प्रचालन की कार्यविधियों को काफी सरल बना दिया गया है तथा वाणिज्य मंत्रालय

की कार्यविधि पुस्तिका (खण्ड-1) 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक किए गए संशोधन शामिल हैं) के अध्याय 9 के अनुसार स्व-प्रमाणन के आधार पर कई प्रचलनों की अनुमति दी गयी है।

13. घरेलू टैरिफ में उत्पादन प्रक्रिया को उप-अनुबंध पर देने की कार्यविधि को राजस्व विभाग की दिनांक 2.7.98 की अधिसूचना सं. 44/98- सीमा-शुल्क के अनुसरण में ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी इकाइयों के लिए सरल बनाया गया है।

14. इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के जिन विनिर्माताओं - आयातकर्ताओं ने 3 करोड़ रुपये से ज्यादा पूँजीनिवेश किया है तथा जिनकी ईपीजेड/ईएचटीपी तथा एसटीपी में इकाइयां हैं वे वित्त मंत्रालय (सीबीईसी) के दिनांक 3.8.98 के परिपत्र सं. 56/98 के अनुसार अपने द्वारा आयात की गई वस्तुओं की शीघ्र मंजूरी के पात्र हैं।

15. आयात-निर्यात नीति 1997-2002 (जिसमें 31.3.99 तक के संशोधन शामिल हैं) के पैरा 7.10 के अनुसार अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अंतर्गत रूस को रुपये में निर्यात किये जाने के लिए मूल्य संवर्धन संबंधी मानदण्ड 100% से घटाकर 33% कर दिए गए।

16. कम्प्यूटरों पर 60% की दर से मूल्यह्रास की अनुमति दी गई है।

17. वर्ष 2000-2001 के बजट में कम्प्यूटरों तथा पेरिफलों पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। सभी भण्डारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों माइक्रोप्रोसेसरों, आँकडा प्रदर्श टयूबों तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक-पुर्जो पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है।

18. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

19. दिनांक 31.3.2000 तक स्थापित ईओयू/ईपीजेड/ एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को 10 वर्षों तक निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी जाएगी।

20. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त लाभ, आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई के अधीन आयकर कटौतियों के पात्र हैं।

21. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गयी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

22. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्त्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

23. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गयी है।

24. कम्प्यूटर प्राणियों का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता हैं

25. वित्त मंत्रालय की दिनांक 16.7.98 की अधिसूचना संख्या 47/48 सीमा शुल्क के जरिए ईओयू/ईपीजेड/ एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यक शिक्षण संस्थानों पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों में सार्वजनिक, पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों आदि को दान करने की अनुमति दी गयी हैं।

26. विदेशी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों को दिए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर को वित्त मंत्रालय की दिनांक 11.2.99 की अधिसूचना संख्या 18/99 सीमा शुल्क के जरिए सीमा शुल्क की छूट दी गयी है।

27. उद्यम पूँजी द्वारा निधि अथवा उद्यम पूँजी कम्पनी जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है। में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूँजी उपक्रम किये गये निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूँजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

28. उद्यम पूँजी वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूँजी निधियों को पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एक मात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

29. पोर्टपोलियो निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यपूँजी के कुल 24% तक निवेश की अनुमति दी

गयी है। जिसे अनुमोदन के आधार 30% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2000-01 के बजट में इस सीमा को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।

30. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा कम्पनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुई आय पर 10% के रियायती दर पर आय कर देय होगी।

31. कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में एवं अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर

*375. **श्री अनंत गुढ़े:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और विकास कार्यों के निष्पादन और उनकी शिक्षा के गिरते स्तर की समीक्षा की है;

(ख) क्या विशेषज्ञ समिति ने कोई मूल्यांकन किया हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान विकसित देशों के सहयोग से कृषि क्रांति को सुदृढ़ समर्थन देने के लिए कृ षि शिक्षा संस्थानों और उनके अनुसंधान और विकास के पुनर्गठन और पुन: अनुकूलन संबंधी कार्य योजना क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) जी, नहीं। कृषि शिक्षा राज्य का विषय है और विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं तथा उन्हें धनराशि मूलत: राज्य सरकारों द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। अत: राज्य सरकारों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास के लिए प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व सौपा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह कार्य करता है। अत: यह कृषि शिक्षा को सबल बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) लागू नहीं।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित विशिष्ट कार्ययोजना विकसित की गई :

* राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में पुराने उपकरों का नवीनीकरण और उनकी पुनर्माडलिंग।

* नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी उपकरणों से युक्त व्याख्यान कक्षों का आधुनिकीकरण।

* 5 अतिरिक्त बालिका छात्रावासों के निर्माण के द्वारा महिलाओं को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से सबल बनाना।

* राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सबलता को ध्यान में रखते हुए विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत भारत में प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी छात्रों को आकृ ष्ट करना। प्रस्ताव है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 200 से अधिक विदेशी छात्रों को शिक्षित किया जायेगा। इससे वांछित विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

* राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर शैक्षणिक विनियमों को लागू करना।

* कम्प्यूटर के लिए अनुशिक्षण सामग्री तथा मल्टीमीडिया का विकास।

* कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों के सभी विषयों में स्नातकपूर्व शिक्षण कार्यक्रमों के अनिवार्य अंके रूप में ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव को लागू करना।

* स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर स्तर पर संशोधित पाठयक्रमों को लागू करना।

* परीक्षा प्रणाली में सुधार।

* विश्वविद्यालयों को उनके कार्य निष्पादन के आधार पर सहायता प्रदान करना।

* शिक्षा की गुणवत्ता के लिए मानदंडों और मानकों को लागू करना।

* सुदूर शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयारी।

पाकिस्तान द्वारा प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती

***376. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''ए-टिप्ड पाक मिसाईल्स ट्रेण्ड ऑन सिटीज इन इंडिया रिपोर्ट'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने उन खबरों को देखा है, जो अमरीकी स्थित एक गैर-सरकारी संगठन अमरीकी वैज्ञानिक परिसंघ इन्टरनेट पर उपग्रह चित्रों के प्रकाशन से संबंधित है। कुशाब में विशेष अस्त्र सुविधाएं तथा सरगोधा में प्रक्षेपास्त्र अड्डे को प्रदर्शित करने वाले चित्रों को अमरीकी वैज्ञानिक परिसंघ की लोक दृष्टि परियोजना के अन्तर्गत जारी किया गया।

(ग) सरकार पाकिस्तान द्वारा व्यापक विनाश के हथियारों तथा उन्हें चलाये जाने के साधनों के तैनाती सहित अन्य सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखती है। सरकार खतरों के अपने आकलन के अनुरूप भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के प्रभावी संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए पूरी तरह से कृतसंकल्प है।

सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनिवासी भारतीयों के लिए कोटा

***377. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों के संबंध में कोई व्यापक नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का भारत में सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर तलाशने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए कोई कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) व्यापार और उद्योग के बारे में प्रधान-मंत्री परिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, ''विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के निवासियों के धन और उनकी प्रतिभा के देश के विकास में उपयोग'' के क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा सकने योग्य कार्य-बिन्दुओं पर विचार करने और उनके बारे में सिफारिश करने की दृष्टि से सरकार ने दिनांक 14.12.1999 को एक विशेष-विषय दल गठित किया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फसलों की बर्बादी

***378. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य फसल बर्बाद होने के कारण गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो फसलों की इस प्रकार की बर्बादी से प्रभावित राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान विशेष रूप से रबी और खरीफ फसलों की बर्बादी के कारण कृ षि क्षेत्र को रुपयों में कुल कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने फसलों की बर्बादी से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से तत्काल सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(च) संबंधित राज्यों के लिए अनुदान की स्वीकृति और धनराशि जारी करने में विलम्ब के क्या करण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा): (क) और (ख) जी, हां। वर्षा वितरण में स्थानिक और कालिक अनियमितता के कारण कुछ राज्यों में खरीफ फसलों की क्षति हुई। गुजरात और आंध्र प्रदेश में मूंगफली की फसल गंभीर

रुप से प्रभावित हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में खरीफ फसल के मोटे अनाज भी प्रभावित हुए। महाचक्रवात के कारण, उड़ीसा में धान को भी नुकसान हुआ। बहरहाल, इन आघातों के बावजूद, देश में खाद्यान्न का समग्र परिदृश्य संतोषजनक है।

(ग) धन के रूप में हानि विषयक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) से (च) विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जिनसे फसलें भी प्रभावित हुई राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता के लिए 15 राज्यों ने ज्ञापन दिए थे इनमें 13 राज्यों को इस कोष से सहायता दी गई। शेष दो राज्यों के संबंध में महसूस किया गया कि वे स्थिति का सामना आपदा राहत कोष के तहत उपलब्ध धन से कर सकते हैं।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच

*379. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 मार्च, 2000 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार एच. डी. डब्ल्यू. रिश्वत मामले के बारे में जांच पूरी करने में विलंब के लिए एक जाँच एजेन्सी के रूप में जाँच ब्यूरो की क्षमता तथा उसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो एच.डी.डब्ल्यू. मामले में जाँच को अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण हैं और जाँच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है; और

(ग) सरकार का केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के ''चार्टर ऑफ ड्यूटीज'' के अंतर्गत न आने वाली जाँच को ब्यूरो से हटाने के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 7.3.2000 को एच डी डब्ल्यू मामले का अन्वेषण शीघ्रता से किए जाने हेतु दायर रिट याचिका सिविल सं. 2141/97 की सुनवाई करते समय, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा पेश की गई अन्वेषण की स्थिति की रिपोर्ट पर गौर किया। बाद में, दिनांक 27.3.2000 को की गई सुनवाई में उपर्युक्त न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अनुरोध-पत्रों की तामील किये जाने के संबंध में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के प्राधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखकर उन्हें मामले में अपेक्षित कार्यवाई शीघ्रता से करने का स्मरण करवाते रहने का निदेश दिया।

(ख) भारत में अपेक्षित अन्वेषण पूरा कर लिया गया है। फिर भी, अधिकांश अन्वेषण स्विट्जरलैंड और जर्मनी में किया जाना था, जो संबंधित प्राधिकारियों को जारी अनुरोध-पत्रों की तामील पर निर्भर हैं यद्यपि उनसे लगातार संपर्क बनाए रखकर उन्हें भी मामले में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्रता से करने का स्मरण करवाया जा रहा है। तथापि, अन्वेषण पूरा करने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो द्वारा सामान्यत: अन्तरराज्यीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर फैले मामले और केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के दंड मैन्यूअल में विनिर्दिष्ट अन्य श्रेणियों के मामले अन्वेषण हेतु लिए जाते हैं। किसी राज्य में किसी अपराध के अन्वेषण हेतु, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1996 की धारा 5 के अंतर्गत ऐसे राज्य के क्षेत्र के संबंध में, केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो के अधिकारियों और अधिकार-क्षेत्र का विस्तार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार की सम्मति लेने के उपरान्त किया जाता है। उच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय भी अन्वेषण हेतु मामले केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को सौंपते हैं।

म्यूनिख सम्मेलन

*380. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधव राव सिंधिया:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फरवरी 2000 में आयोजित विश्व शान्ति और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण संबंधी 36वें म्यूनिख सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए; और

(ख) इन निर्णयों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) म्यूनिख सुरक्षा नीति सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष हरबर्ट क्वांट फाउन्डेशन म्यूनिख द्वारा किया जाता। पारंपरिक रूप से सम्मेलन द्वारा न तो कोई निर्णय लिया जाता है और न ही कोई विज्ञप्ति जारी की जाती है।

[हिन्दी]

बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

3889. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आवश्यक कर दिया गया है कि केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को बैंक के माध्यम से ही पेंशन का भुगतान किया जायेगा और उत्तर प्रदेश के सरकारी कोषालयों ने केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को भुगतान बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों विशेषकर गढ़वाल में बैंक भी केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशनों का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुरोध/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों को उनके बकाया पेंशन की धनराशि का भुगतान ब्याज सहित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह सूचित किया है कि यद्यपि सरकारी कोषागारों के माध्यम से पेंशन के भुगतान की प्रणाली रोकी नहीं गई है, तथापि उसने (उपर्युक्त राज्य सरकार ने) केन्द्र सरकार के पेंशन-भोगियों को पेंशन का संवितरण सरकारी कोषागारों द्वारा किया जाना रोक देने के अनुदेश जारी दिए हैं। यह, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा इंगित, राज्य के कोषागारों द्वारा संवितरित की जा रही पेंशन की धनराशि की, केन्द्र से प्रतिपूर्ति में लगने वाले समय के कारण होने वाली वित्तीय हानि के मद्देनजर जारी किए गए आदेश के अनुसरण में किया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में निर्दिष्ट बैंक, पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे पेंशन-भोगियों को भी पेंशन का भुगतान करते आ रहे हैं। फिर भी, महालेखाकार के आदेशों के कार्यान्वयन तथा पेंशन के भुगतान का प्राधिकार, सरकारी कोषागारों से बैंकों में अन्तरित कर दिए जाने के कारण इस बारे में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं। जिन मामलों में परिवर्तित प्राधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, उनमें अस्थाई उपाय के रूप में, पेंशनभोगियों को सरकारी कोषागारों के माध्यम से पेंशन लेने देकर इन कठिनाईयों पर काबू पाया जा रहा है।

(ङ) और (च) इस क्षेत्र में पेंशनभोगियों की कठिनाई कम करने के सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। मौजूदा पेंशन-नियमों के अन्तर्गत, पेंशन का भुगतान देर से होने पर ब्याज देय नहीं है?

इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क और चूना-पत्थर

3890. श्री रामानन्द सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिला स्थित बाबूपुर लौह अयस्क खान से निकलने वाले लौह अयस्क और चूना-पत्थर गुणवत्ता में सर्वोत्तम माने जाते थे और इनकी आपूर्ति राउरकेला इस्पात संयंत्र को की जाती थी;

(ख) क्या उक्त खान के लिए अलग से रेल लाइन बिछाई गयी थी और करोड़ों रुपये की मशीनें व उपकरण खरीदे गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उक्त खान के बन्द होने के क्या कारण हैं और इसके बन्द होने से कितने श्रमिकों व कर्मचारियों के प्रभावित होने की संम्भावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) यह सही है कि बाबूपुर जिला सतना स्थित इस्पात लाइम स्टोन क्वेरी (आई.एल.क्यू) में उत्पादित चूना-पत्थर राउरकेला इस्पात संयंत्र को सप्लाई किया जा रहा था सतना उपलब्ध चूना-पत्थर की क्वालिटी को देश में उपलब्ध चूना-पत्थर की क्वालिटी को सर्वोत्तम नहीं माना जाता।

(ख) आई एल क्यू, सतना खान वर्ष 1961 में विकसित की गयी थी और तब से यह कार्य कर रही है। आईएलक्यू, सतना में उत्पादित चूना पत्थर के प्रेषण के लिए सतना में एक निजी साइडिंग का निर्माण किया गया था। उपरोक्त रेलवे साइडिंग का सुरक्षा कारणों से इंजन बचाव लाइन उपलब्ध कराने और 58 बाक्स-एन बैगनों की व्यवस्था करने के लिए सुधार किया गया था। इस सुधार कार्य की स्वीकृति लागत 1.91 करोड़ रुपये थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में 1991-95 के दौरान 6.40 करोड़ रुपये की लागत से एक नए क्रासिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र का निर्माण किया गया था।

(ग) उक्त खान से उत्पादन और प्रेषण कार्य धीरे-धीरे कम हो गया है। इस्पात संयंत्रों में हुए प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण लोहा और इस्पात के उत्पादन के लिए सतना में उपलब्ध चूना-पत्थर की क्वालिटी फिलहाल स्वीकार्य नहीं है। पिछले वर्षों में राउरकेला इस्पात संयंत्र ओपन हर्थ फर्नेश और एस. डी. कन्वर्टरों, दोनों से इस्पात का निर्माण कर रहा था अब राउरकेला इस्पात संयंत्र एल डी कन्वर्टर प्रक्रिया से ही इस्पात का निर्माण कर रहा है। सतना का चूना-पत्थर ओपन हर्थ प्रक्रिया के लिए उपयुक्त था। सिलिका की अधिक प्रतिशतता के कारण यह एल डी प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सतना के चूना-पत्थर की इस समय कोई मांग नहीं है।

किसी भी कर्मचारी/श्रमिक की छंटनी नहीं की गई है। सेल की वी. आर .एस.-98 योजना के तहत खान के 174 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प दिया। सेल की वी. आर. एस.-99 योजना के तहत खान के और 280 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए विकल्प दिया। शेष कर्मचारियों ने सेल की अन्य खानों/इकाइयों में पुन:तैनाती के लिए विकल्प दिया है। तदनुसार उनके लाभपूर्ण उपयोग के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

उत्पादन लागत

3891. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेलम इस्पात संयंत्र में उत्पादन लागत अधिक हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मिश्र धातु इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र अन्योन्य एकक हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो मिश्र धातु इस्पात संयंत्र की अर्थक्षमता का प्रभाव क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। एक नई तप्त बेलन मिल स्थापित करने के कारण ब्याज और मूल्यह्रास प्रभारों के अधिक होने की वजह से सेलम इस्पात संयंत्र में उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

(ग) और (घ) मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर की बेदाग इस्पात स्लैबों को सेलम इस्पात संयंत्र में बेलने की मूल रूप से परिकल्पना की गई थी। तथापि, मिश्र इस्पात संयंत्र की स्लैबों की लागत आयातित स्लैबों की तुलना में अधिक है। अत: सेलम इस्पात संयंत्र में मिश्र इस्पात संयंत्र की स्लैबों को बेलना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है।

भारी आयात शुल्क

3892. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के विशेष कर तिप्तूर क्षेत्र में सूखा खोपरा (नारियल) उपजाने वाले कृषक, खोपरा की कीमतों में गिरावट होने से भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि, हां, तो क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस उत्पाद पर, इसके नारियल-आयात को नियंत्रित करने के लिए, भारी आयात-शुल्क लगाने का अनुरोध किया है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. पी. बी. के. सत्यनारायण राव): (क) 2000 मौसम के लिए खोपरे संबंधी मूल्य नीति अभी सरकार के विचाराधीन हैं। खोपरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होते तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को 1999 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलिंग खोपरे के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल तथा खोपरे गोले के लिए 3325 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खोपरे की खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। तिपतूर में खोपरे गोले के बाजार मूल्य वर्ष 1999 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं।

(ख) और (ग) नारियल के आयात पर नियंत्रण के लिए इस उत्पाद पर भारी आयात शुल्क लगाने के संबंध में भारत सरकार को केरल सरकार से अब तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं। मौजूदा आयात-निर्यात नीति के अनुसार नारियल तेल तथा इसके उत्पादों का सरणीकरण राज्य व्यापार निगम एवं हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है। 35% आधारभूत शुल्क के अलावा खोपरे की टेरिफ दर 35% तथा सरचार्ज 10% है नारियल तेल के मामले में चाहे वह कच्चा अथवा परिष्कृत हों, प्रभावी मूल्य 35% तथा सरचार्ज 10% की दर से है। और अधिक प्रसंस्करण, अथवा व्यापार हेतु आयातित खोपरे और नारियल तेल दोनों पर 4% विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रभारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान

3893. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कान्ति सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौ से अधिक संसद सदस्यों ने वर्ष 1995-96 में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान परिषद (आईसीवीआर) की स्थापना हेतु कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन अगस्त, 1996 के दौरान तत्कालीन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को प्रस्तुत किया गया था; इसमें ग्रामीण घरों में पशुधन वितरण, कुल सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान, स्व रोजगार के अवसर तथा देश में पशुचिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान की मौजूदा प्रणाली का ब्यौरा शामिल था। ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए अलग से एक भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

(ग) मामले पर निर्णय करने के लिए प्रस्ताव सरकार के समक्ष पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के आरोप

3894. श्री पी. मोहन:
श्री सुबोध राय:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि. कर्मचारी यूनियन की ओर से निगम के प्रमुख सतर्कता अधिकारी और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की एक शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) ईटीएण्डटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कॉर्पोरेशन के कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध एक शिकायत केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त हुई थी। शिकायत ईटीएण्डटी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास भेजी गई थी। उन्होंने सूचित किया है कि ईटीटीडीसी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने शिकायत लिखने एवं हस्ताक्षर करने से इंकार किया है।

(ग) शिकायत पर कोई कार्रवाही नहीं की गई क्योंकि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां

3895. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:
सरदार बूटा सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार अनु. जातियों/अनु.जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन बकाया रिक्तियों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार अनु.जाति/अनु. जनजाति के लिए आरक्षित प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की अलग-अलग कितनी रिक्तियां खाली पड़ी हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए बकाया चली आ रही। रिक्तियों के बारे में जानकारी इस समय, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

इस बारे में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों से, आरक्षित पद समय पर भरे जाने की कार्रवाई करने और आरक्षित रिक्त पद उसी वर्ष में ही भरने के सभी सम्भव प्रयास करने की अपेक्षा की जाती है जिसमें वे रिक्त हों।

[हिन्दी]

सरकारी नौकरशाह

3896. सरदार बूटा सिंह:
श्री राम सजीवन:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1996 और 1 जनवरी, 2000 की तिथि के अनुसार केन्द्र सरकार, स्वायत्त निकायों, अधीनस्थ और सांविधिक संगठनों में अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कितने पद हैं और ऐसे पदों पर कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारी काम कर रहे हैं और कुल पदों की तुलना में उनका प्रतिशत क्या है;

(ख) उस समिति/बोर्ड का स्वरूप और संघटन क्या हैं जो ऐसी समितियों/बोर्डों में अ.जा./अ.ज.जा. के ऐसे संबद्ध पदों के लिए व्यक्तियों का पैनल निर्दिष्ट करती हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पद, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भरे जाते हैं। चूंकि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, जाति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अत: इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के पद धारक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या पृथक रूप से नहीं रखी जाती। दिनांक 1.1.1996 और 1.1.2000 को मौजूदा स्थिति के अनुसार, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव एवं समकक्ष पदों के धारक अधिकारियों की संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई जा रही है।

(ख) और (ग) भारत सरकार में अपर सचिव उनके समकक्ष पदों पर नियुक्ति के प्रयोजन से, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी, सचिवों की विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर और मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के अनुमोदन से पैनल में रखे जाते हैं। सचिवों की विशेष समिति में मंत्रिमंडल-सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह-सचिव तथा सचिव (कार्मिक) होते हैं। समिति के ये सभी सदस्य पदेन होते हैं।

संयुक्त सचिव अथवा उनके समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु अधिकारियों के पैनल में अधिकारियों को सिविल सेवा बोर्ड (सी. एस. बी.) की सिफारिशों के आधार पर और मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के अनुमोदन से रखा जाता है। सिविल सेवा बोर्ड में मंत्रिमंडल-सचिव, सचिव (कार्मिक), भारत सरकार द्वारा प्रथमत: एक वर्ष के लिए नामित भारत सरकार के एक सचिव तथा स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव होते हैं।

निदेशक तथा उप सचिव स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु अधिकारियों के पैनल में अखिल भारतीय सेवाओं/समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों को रखे जाने की कोई प्रणाली नहीं है। इन स्तरों पर नियुक्ति हेतु विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों की उम्मीदवारी पर विशिष्ट पदों हेतु उनकी उपयुक्तता के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

दिनांक 1.1.1996 तथा दिनांक 1.1.2000 को मौजूदा स्थिति के अनुसार अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक तथा उप सचिव के स्तरों के पदों के धारक अधिकारियों की संख्या के बारे में जानकारी

	पद धारित अधिकारियों की संख्या			
दिनांक	अपर सचिव	सयुक्त सचिव	निदेशक	उप सचिव
1.1.1996	74	344	356	396
1.1.2000	107	454	526	441

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में अनियमितताएं

3897. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) में पिछले तीन वर्षों के दौरान खरीद और अन्य मामलों में हुई अनियमितताओं का पता लगाया है;

(ख) क्या उक्त अवधि की अनियमितताओं की जांच/लेखा परीक्षा की टिप्पणियां की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच-समिति का गठन किया है?

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष रहे और सरकार द्वारा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, (वैज्ञानिक विभाग) के चार क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बकाया पड़े लेखा परीक्षा पैरा (आडिट पैराज) के विवरण के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों/प्रायोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के मामले में बकाया पैरा की क्षेत्रवार स्थिति निम्नवत है:-

क्षेत्र	रिपोर्ट	अनुच्छेद(पैरा)
उत्तर क्षेत्र (30.9.99 की स्थिति)	95	648
दक्षिण क्षेत्र (31.3.99 की स्थिति)	59	314
पूर्वी क्षेत्र (30.9.99 की स्थिति)	79	272
पश्चिमी क्षेत्र (31.3.99 की स्थिति)	20	101

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कानूनी मामले

3898. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान "इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड" के विरूद्ध दायर किये गए तथा निर्णय हेतु लम्बित पड़े कानूनी मामलों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या हैं तथा प्रत्येक मामले की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) कानूनी मामलों पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निम्नलिखित उपायों के जरिए कानूनी खर्च कम करने तथा विवादों के शीघ्र निपटान के प्रयास किए जाते है।

(1) मामलों में आपसी विचार-विमर्श का आश्रय लेना तथा वाद से परहेज करना।

(2) माध्यस्थम का आश्रय लेना।

विवरण

पिछले चार वर्षों (1995-2000) के दौरान दायर किए गए एवं लम्बित कानूनी मामले

क्रम सं.	विवरण	दायर करने की तारीख	धनराशि	वर्तमान स्थिति	कानूनी शुल्क के रूप में खर्च की गयी राशि (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	(क) ईटीएण्डटी अधिकारी कल्याण संघ बनाम इटीएण्डटी (माध्यम वेतनमान)	149/95 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	शून्य	वर्ष 1992 में ईटीएण्डटी ने अप्रैल 1992 से प्रभावी नए वेतनमान लागू किए। संघ ने लागू किए गए गैर-कानूनी वेतनमान को समाप्त करने और डीपीई की अनुमति से परामर्शानुसार नए वेतनमान निर्धारित करने के लिए अर्जी दायर की ताकि उन्हें दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के	52,745.00

1	2	3	4	5	6
				वेतनमान के तुल्य बनाया जा सके। ऊपर उल्लिखित रिट याचिका दिनांक 20.1.2000 को सुनवाई के लिए न्यायाधीश नन्दी के सम्मुख प्रस्तुत हुई। ईटीएण्डटी ने तर्क प्रस्तुत किया कि संम्पूर्ण अर्जी निष्फल हो गयी है क्योंकि जिस प्रयोजन से रिट याचिक दायर की गई है उसे ईटीएण्डटी ने पहले ही पूरा कर दिया गया है। याचिका पक्षकारों का प्रतिनिधित्व एक प्रॉक्सी परिषद ने किया और इसलिए न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के लिए 16 मई, 2000 की तिथि निर्धारित की।	
	(ख) ईटीएण्डटी अधिकारी संघ बनाम ईटीएण्डटी (वेतन संशोधन)	705/1998 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	शून्य	अधिकारी संघ ने 1-1-92 से प्रभावी वेतनमान के संशोधन के लिए मामला दायर किया। 31-3-2000 को अपनी अंतिम सुनवाई में न्यायालय ने इस मामले का निपटान कर दिया तथा भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह अपना निर्णय दो महीने के भीतर सूचित करे। ऊपर के कानूनी शुल्क में इसका भी शुल्क शामिल है।	ऊपर के कानूनी शुल्क में इसका भी शुल्क शामिल है।
3.	गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कार्पोरेशन (जीआरएसई) बनाम ईटीएण्डटी	412/1998 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	3.50 करोड़	जून 1990 में जीआरएसई ने 5.00 करोड़ रुपये का अन्तर-निगम ऋण उपलब्ध कराया, इटीएण्डटी को 1.50 करोड़ रुपये पुनर्भुगतान कर दिए। जीआरएसई ने शेष ऋणों का भुगतान न करने के आधार पर ईटीएण्डटी के परिसमापन के लिए रिट याचिका दायर की। यह मुकदमा दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित है।	17,270.00
4.	मेसर्स पंजाब कम्यूनिकेशन लि. (पीसीएल) बनाम ईटीएण्डटी	1998 (उन पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) खरार का न्यायालय	2.00 लाख	पीसीएल ने 2.00 लाख रुपये की वसूली के लिए ईटीएण्डटी के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया हैं। दोनों पक्ष अपने लेखे ब्यौरे द्वारा समाधान करते हैं। यह पाया गया कि ईटीएण्डटी के अनुसार दावा 21,979.95 रुपये होने चाहिए। न्यायालय ने पीसीएल को निर्देश दिया कि वह उपर्युक्त आँकड़े का प्रतिकथन दायर करें। उसे अभी कथन दायर करना है।	20,000.00

1	2	3	4	5	6
5.	स्कोप बनाम ईटीएण्डटी	1996 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	5.86 करोड़	स्कोप ने भुगतान न करने के आधार पर परिसमापन की याचिका दायर की है स्कोप को निर्देश दिया गया कि वह समझौता पत्र दायर करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। यह वाद दिल्ली न्यायालय में लम्बित है।	35,230.00
6.	मेसर्स जे. एस. सरना बनाम ईटीएण्डटी	825/1994 एवं 1354/1998 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	शून्य	ईटीएण्डटी को आवासीय प्रयोजन से दिए गये परिसर के दुरूपयोग के लिए तथा उसे खाली करने के लिए अर्जी पत्रकार ने ईटीएण्डटी के विरुद्ध दो रिट दायर किए। यह मुकदमा न्यायालय में लम्बित हैं।	21,950.00
7.	श्री मुन्नीलाल कृते दिल्ली मजदूर संघ, दिल्ली बनाम ईटीएण्डटी	78/99 (श्रम न्यायालय दिल्ली)	77,849/-	याचिकादाता ने अपनी नौकरी की अवैध समाप्ति के लिए ईटीएण्डटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, हालांकि वह अनुबंध पर कार्य करने वाला था। आदेश की अन्तिम प्रति प्रतीक्षित है।	8,910.00
8.	वर्कमेन कृते जनरल मजदूर संघ दिल्ली बनाम ईटीएण्डटी	आई डी. नं. 788/95 (श्रम न्यायालय, दिल्ली)	शून्य	याचिकादाता ने अनुबंध के आधार पर उनकी नौकरी की अवैध समाप्ति तथा रोजगार की बहाली के लिए ईटीएण्डटी तथा उनके बीच औद्योगिक विवाद दर्ज किया। ईटीएण्डटी ने उनके आवेदन-पत्र को रद्द करने के लिए एक आवेदन-पत्र दर्ज किया है।	6,880.00
9.	श्री सी. के. मोहनदास बनाम ईटीएण्डटी	3788/2000 (मद्रास उच्च न्यायालय)	शून्य	याचिकादाता, जो ईटीएण्डटी, चेन्नई का कर्मचारी है, ने उनको दिए गए स्थांनातरण आदेश के लिए ईटीएण्डटी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका चेन्नई से अहमदाबाद स्थांनातरण किया गया है। न्यायालय ने 6-4-2000 तक अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया है।	इस मुकदमे की अभी न्यायालय में सुनवाई होनी है।
10.	श्री डी. दामोदर राव बनाम ईटीएण्डटी	974/2000 आंध्र प्रदेश (उच्च न्यायालय)	शून्य	याचिकादाता ईटीएण्डटी का कर्मचारी है तथा उन्होंने अपनी पदोन्नति न होने के कारण कम्पनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। यह मामला आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दर्ज किया गया है।	इस मुकदमे की अभी न्यायालय में सुनवाई होनी है।

1	2	3	4	5	6
11.	एमआरटीपी आयोग में डीजी (आईएण्डआर)	1997 (एमआरटीपी)	शून्य	ईटीएण्डटी शिक्षण तथा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अनुसरण की जा रही एमआरटीपी पद्धति के लिए डीजी (आईएण्डआर) एमआरटीपी द्वारा 22-5-98 को मुकदमा दर्ज किया गया, एमआरटीपी ने डीजी के आवेदन पत्र का यह कहते हुए विरोध किया कि कम्प्यूटर शिक्षा एमआरटीपी अधिनियम की परिधि में नहीं आती है।	26,480.00
12.	डॉ. ललित कुमार ईटीएण्डटी शिक्षण तथा प्रशिक्षण, विकासपुरी, दिल्ली	1999 (दिल्ली उच्च न्यायालय)	शून्य	याचिकादाता ने इस आधार पर मुकदमा दायर किया कि उन्होंने बिना जानकारी के लाइसेंसधारक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। न्यायालय द्वारा यह याचिका रद्द कर दी गई।	16,670.00
13.	श्री कोटा पूर्णचन्द्र राव गुदिवा, आंध्र प्रदेश	1997 (अधीनस्थ न्यायाधीश न्यायालय, गुदीवाड़ा)	1.83 लाख	यह आईडी कार्ड परियोजना के लिए ईटीएण्डटी सिकन्दराबाद द्वारा सीता इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से हस्ताक्षर की गई हुण्डी का मामला हैं जिसका ईटीएण्डटी बंगलौर कार्यालय द्वारा विस्तार किया गया। मुख्यालय के अनुमोदन के अनुसार 1.50 लाख रुपये की हुण्डी पर हस्ताक्षर किए गये तथा पार्टी न्यायालय में चली गई है, क्योंकि हमने उनके द्वारा पेश की गयी हुण्डी स्वीकार नहीं की है। न्यायालय के आदेश के अनुसार 1.83 लाख रुपये के सुरक्षा बन्ध-पत्र हमारे द्वारा दिए गए। उपर्युक्त न्यायालय याचिका द्वारा दिनांक 13.12.97 को ईटीएण्डटी के पक्ष में रद्द कर दी गयी। हमारे द्वारा दिए गए 83,648 रुपये के सुरक्षा बंध-पत्र की हमने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय, गुदीवाड़ा से वापस ले लिए हैं। ओएस 64/97 के अन्तर्गत इस मुकदमे की सुनवाई दिनांक 12.6.2000 को होगी।	3,737.00
	कुल				2,09,872.00

वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

3899. श्री कृष्णमराजू : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रयोगशालाओं में किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन प्रयोगशालाओं को स्थापित करने से किसानों को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(ङ) इन प्रयोगशालाओं को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): **(क)** और (ख) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में 261 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्य करने हेतु परिषद का 53 स्थानों पर क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(ग) इन अनुसंधान केन्द्रों में पहले से ही उपलब्ध बुनियादी ढ़ाचे की सुविधाओं और कर्मचारियों के अलावा इन्हें अत्यावश्यक सहायता देने का प्रस्ताव है जिसमें अतिरिक्त स्टाफ, फार्म मशीनरी, कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों को शुरू करने के लिए आनुशंगिक सहायता और जहां कहीं भी जरूरत हो प्रशिक्षु छात्रावास चलाना शामिल है।

(घ) आधुनिक कृषि कार्यों में कुशलता संबंधी प्रशिक्षण स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को पहचानने के लिए फार्म परीक्षण और किसानों के खेतों पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए सुधरी हुई प्रौद्योगिकियों पर अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन से किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

(ङ) इन क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को मजबूत बनाने के प्रस्ताव को नौवीं योजना अवधि के दौरान लागू किए जाने की संभावना है।

विवरण I

विभिन्न राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्रों का वितरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	16
3.	अरूणाचल प्रदेश	1
4.	असम	4
5.	बिहार	21
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	10
9.	हरियाणा	12
10.	हिमाचल प्रदेश	8
11.	जम्मू और कश्मीर	4
12.	कर्नाटक	11
13.	केरल	9
14.	लक्षद्वीप	1
15.	मध्य प्रदेश	20
16.	महाराष्ट्र	23
17.	मणिपुर	1
18.	मेघालय	1
19.	मिजोरम	2
20.	नागालैण्ड	1
21.	उड़ीसा	12
22.	पाण्डीचेरी	2
23.	पंजाब	10
24.	राजस्थान	31
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	16
27.	त्रिपुरा	2
28.	उत्तर प्रदेश	30
29.	पश्चिम बंगाल	9
	कुल	261

विवरण II

क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के अतिरिक्त कार्यभार को संभालने के लिए सुदृढ़ करने हेतु पहचाने गए जिले

क्रम संख्या	राज्य	पहचाने गए जिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	6
3.	बिहार	3
4.	हिमाचल प्रदेश	3
5.	कर्नाटक	8
6.	केरल	2
7.	मध्य प्रदेश	4
8.	महाराष्ट्र	4
9.	उड़ीसा	2
10.	तमिलनाडु	3
11.	उत्तर प्रदेश	8
12.	पश्चिम बंगाल	1
13.	गुजरात	3
14.	जम्मू और कश्मीर	1
15.	पंजाब	1
16.	राजस्थान	1
	कुल	53

भीमकुंड सिंचाई परियोजनाएं

3900. श्री अनन्त नायक: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में भीमकुंड सिंचाई परियोजना केन्द्र की मंजूरी हेतु लम्बे समय से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना के पूरा हो जाने पर कुल कितने हैक्टेयर भूमि क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना के क्रियान्वयन से कितने क्षेत्रों के जलप्लावित होने की संभावना है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना की शीघ्र स्वीकृति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ सिंचाई लाभ तथा जलमग्नता की संभावना वाले क्षेत्रों का ब्यौरा दर्शाते हुए भीमकुंड सिंचाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया है।

हज तीर्थयात्रियों की मृत्यु

3901. श्री टी. गोविन्दन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सऊदी अरब में मृत हुए भारतीय हज तीर्थयात्रियों का वर्षवार क्या है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इनके आश्रितो को क्या सहायता दी गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जद्दा स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास को निम्नलिखित हज यात्रियों की मृत्यु की सूचना मिली:

वर्ष	मृतकों की संख्या
1998	221 (189 स्वाभाविक मृत्यु, 32 मीना में हुए भगदड़ में)
1999	184 (178 स्वाभाविक मृत्यु, 6 सड़क दुर्घटनाओं में)
2000 (13 अप्रैल तक)	256 (252 स्वाभाविक मृत्यु, 4 सड़क दुर्घटनाओं में)

उपर्युक्त सभी मामलों में मृतकों के निकट सबंधियों को सूचित करने, हजयात्रियों के सामान को भारत भेजने तथा सऊदी अरब में समुचित तरीके से उनको दफनाने के लिए कार्रवाई की गयी।

केन्द्रीय भण्डार

3902. श्री रघुनाथ झा : क्या **प्रधान मंत्री** 15 दिसंबर, 1999 के अतारांकित प्रश्न सं. 2447 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार में होने वाली बिक्री नवम्बर, 1999 से मार्च, 2000 के बीच प्रत्येक माह गत वर्ष इसी अवधि में हुई बिक्री के मुकाबले महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी शाखावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष, 1999-2000 के दौरान हुए लाभार्जन सहित केन्द्रीय भण्डार की समस्त बिक्री की तुलना एन सी सी एफ और सुपर बाजार से की जा सकती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय भण्डार में नवम्बर, 1999 से मार्च 2000 तक की अवधि के दौरान हुई समग्र बिक्री, वर्ष, 1998-99 की इसी अवधि के दौरान, कुछ महीनों में, कुछ क्षेत्रों से सम्बद्ध बिक्री के कम रहने के बावजूद वर्ष 1998-99 की सदृश्य अवधि के दौरान हुई बिक्री से अपेक्षाकृत अधिक रही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भण्डार के वर्ष 1999-2000 के लेखे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। फिर भी, केन्द्रीय भण्डार की समग्र बिक्री की तुलना एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार की बिक्री से की जानी संगत प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उपर्युक्त तीनों संगठनों के कार्य-क्षेत्र इत्यादि पूर्णत: समान नहीं हैं।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालय

3903. श्री राजो सिंह : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार के रोजगार कार्यालयों में कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाति के हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) दिसम्बर 1999 के अंत में, बिहार में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों की संख्या 31.80 लाख थी।

(ख) दिसम्बर 1997 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 4.60 एवं 2.49 लाख थी। दिसम्बर 1997 के अंत में रोजगार चाहने वालों की कुल संख्या के परवर्ती आंकड़े 33.5 लाख के लगभग थे।

[अनुवाद]

ईपीएफ और ईएसआईसी अधिनियम

3904. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कर्नाटक राज्य में उन चूककर्त्ताओं का व्यय ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा ई पी एस और ई एस आई सी अधिनियम के अंतर्गत बकाया धन राशि जमा नहीं करने के कारण कार्रवाई की गई है; और

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य में लंबित श्रम विवादों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कर्नाटक में क. भ. नि. और क. रा. नि. चूककर्त्ताओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	क.भ.नि. चूककर्त्ताओं की संख्या	क.रा.बी. चूकर्त्ताओं की संख्या
31.3.1998	889	701
31.3.1999	753	1074
31.3.2000	591	1290

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 30.6.1997 तक कर्नाटक में राज्य के विभिन्न श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में 16,674 औद्योगिक विवाद के मामले लम्बित थे।

सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक

3905. श्री साहिब सिंह: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के विकसित देशों में कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिक हैं;

(ख) भारत में अगले पाँच-दस वर्षों में कितने सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों की आवश्यकता होगी;

(ग) देश में सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों को शिक्षित करने की लागत क्या है; और

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को किस प्रकार पूरा किया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) विकसित देशों में कार्य कर रहे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के संबंध में सरकार द्वारा कोई आँकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल ने वर्ष 2008 तक के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सॉफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इस लक्ष्य के सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया हैं। मैकिन्से रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2008 तक सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुल 22 लाख विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।

(ग) देश में सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायविदों के शिक्षण की लागत औपचारिकता तथा अनौपचारिकता दोनों ही क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के प्रकार तथा इसकी अवधि के आधार पर भिन्न है।

(घ) यहां मामला गुणवत्ता का है न कि संख्या का और सरकार का प्रयास शिक्षण की गुणवत्ता के स्तर का दर्जा लगातार बढ़ाना है।

मिर्च और कपास की फसलों की क्षति

3906. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों के मिर्च और कपास के किसानों को फरवरी 2000 माह के दौरान बेमौसम की वर्षा होने के कारण भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मिर्च और कपास के प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रदान किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश के किसानों को फरवरी 2000 में बेमौसम की वर्षा के कारण मिर्च के मामले में हानि उठानी पड़ी थी जबकि कपास में हानि की कोई सूचना नहीं थी।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6000 हैक्टेअर क्षेत्र में मिर्च की फसल को जो परिपक्वता के विभिन्न चरणों में थी, आन्ध्र प्रदेश के प्रकाशन, गुण्टूर, नेल्लोर और कृष्णा जिलों में हानि पहुंची थी।

(ग) इसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, हालांकि मसाला बोर्ड के माध्यम से मिर्च के उत्पादकों को रिआयती दर पर तारपालीन की चादरें उपलब्ध करायी गयी थी।

[हिन्दी]

आई. एस. आई. के मामले को उठाना

3907. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत वर्षों के दौरान अब तक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के आंतरिक मामलों में आई.एस.आई. के दखल के मामले को उठाया है अथवा पाकिस्तान को इस मामले के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) सरकार ने सीमा पार आंतकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन और भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के सतत प्रयासों के संबंध में समुचित रूप से तथा प्रभावकारी ढंग से अन्तराष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया है। पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए सरकारी प्रायोजन से संबंधी तथ्यों को कतिपय अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर पेश किया गया है और विश्व के नेताओं के साथ उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय चर्चाओं के दौरान भी उठाया गया है। सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ भी उठाया है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अब जम्मू और कश्मीर तथा भारत में अन्यत्र आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के सरकारी प्रायोजन और हमारे देश तथा इस क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके प्रभाव को मुक्त कंठ से मानने लगा है। यह बात बृहत्तर रूप से कतिपय सरकारों के सरकारी प्रवक्ताओं के वक्तव्यों और पाकिस्तान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में परिलक्षित हो रही है।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

3908. श्री के. बेरननायडू : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र का मामला बी. आई. एफ. आर. को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके पुनरुद्धार के लिए कौन सी नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एसआई सी ए) की धारा 23(क) के अंतर्गत विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड़ को केवल रिपोर्ट किया गया है क्योंकि इसकी निवल हानि इसके निवल मूल्य के 50% को अपरदित कर गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आर आई एन एल) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के अपने पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक समग्र परिवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हानि को बट्टे खाते में डालना शामिल है। विनिवेश आयोग ने इसकी शेष साम्या की 51% से अनाधिक साम्या को एक नीतिपरक क्रेता को विनिवेश करने सहित 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार कंपनी की संपूर्ण संचित हानि को बट्टे खाते डालने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

के.वी.आई.सी द्वारा एक समान सुविधा वाले केन्द्र

3909. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के विभिन्न भागों में 50 एक समान सुविधा वाले केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार एक समान सुविधा केन्द्रों द्वारा दी गई सेवाओं का कितनी ग्रामीण/ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों द्वारा लाभ उठाया गया है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान किन-किन स्थानों पर एक समान सुविधा केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जी, हां। समान सुविधा केन्द्रों को खोलने के उद्देश्य से रोजगार के अवसरों का सृजन करने तथा निर्यात का विकास करने की दृष्टि से ग्रामोद्योग इकाइयों के कलस्टरों का संवर्धन करना; प्रगतिशील एवं पिछड़े सम्पर्क के साथ-साथ सैटेलाइट कलस्टर इकाइयों को समान सेवाएं मुहैया करना तथा कलस्टर में इकाईयों को प्रौद्योगिकी संबंधी अपूर्व सेवाएं उपलब्ध करना है।

अभी तक छह केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं तथा इन केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं का सभी ग्रामीण एवं ग्रामोद्योग इकाईयां लाभ उठा सकती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का वर्ष 2000-2001 में देश के विभिन्न भागों 20 समान सुविधा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

कृषि अनुसंधान

3910. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान संस्थान के पंचवर्षीय समीक्षा दल ने वर्ष 1987-95 की रिपोर्ट में भारतीय कृषि सांख्यिकीय अनुसंधान में किसी पाठ्यक्रम को बंद करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम के नाम और उपर्युक्त सिफारिश के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) पंचवर्षीय समीक्षा दल ने कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एम. एससी. उपाधि के लिए पाठ्यक्रम को समाप्त करने की सिफारिश की है।

इसके लिए पंचवर्षीय समीक्षा दल ने निम्नलिखित कारण दिए है:-

(1) स्नातक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश देने की क्षमता में कमी आई है।

(2) पाठ्यक्रम पुराना हो गया है।

(3) विशिष्ट संकाय सदस्यों की कमी थी।

(ग) भा. कृ. अ. प. की धारणा हैं कि चूंकि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली में कृषि विज्ञानों में कम्प्यूटर अनुप्रयोग के लिए योग्य तथा प्रशिक्षित व्यवसायिक कर्मियों की आवश्यकता है, अत: भा. कृ. सां. अनु. सं. में कम्प्यूटर अनुप्रयोग पर एम. एससी. उपाधि के लिए पाठ्यक्रम को जारी रखा जाना चाहिए। तथापि, इस दिशा में कदम उठाये जायेंगे ताकि योग्य स्टाफ की भर्ती की जा सके, वर्तमान स्टाफ को प्रगत प्रशिक्षण दिया जा सके और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी पी पी) द्वारा एम सी ए के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम को अद्यतन किया जा सके।

कुशल और अकुशल श्रमिक

3911. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका, जर्मनी और अन्य देशों द्वारा और अधिक विदेशी श्रमिकों की मांग की गई है जिसमें अच्छा-खासा अनुपात भारतीय लोगों का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं तथा किन क्षेत्रों में इनकी मांग की गई है; और

(ग) सरकार ने कुशल/अकुशल श्रमिकों को अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों को भेजने के मामले में क्या मानदण्ड तय किये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के मुताबिक, कोई विदेशी नियोक्ता किसी भारतीय कामगार की भर्ती या तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परमिट के आधार पर कर सकता है या फिर उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के तहत सरकार को पंजीकृत भर्ती एजेंटों के जरिए न तो किसी विदेशी नियोक्ता ने सरकार से कोई मांग की है और न ही केन्द्र सरकार विदेशों में भारतीय कामगारों की नियुक्ति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।

पासपोर्टों को जारी करने संबंधी निर्देश

3912. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय पासपोर्ट कार्यालयों में अभी भी एक ही व्यक्ति को विभिन्न नामों अथवा पहचान के अंतर्गत जारी होने वाले पासपोर्टों की संख्या की जांच के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट आने के बाद कि इंडियन एयरलाइंस की आई सी-814 उड़ान के पांच अपहर्ताओं में से दो ने मुंबई से अपने पासपोर्ट प्राप्त कर लिए थे और उनमें से एक अपहर्त्ता को दो पासपोर्ट तब जारी कर दिए गए थे, के संबंध में कुछ नए निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) सभी पासपोर्ट कार्यालय दस्तावेजों की जांच करने एवं पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सहित पासपोर्ट जारी करने के लिए एक-सी प्राणाली अपनाते हैं। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक का नाम तथा उसकी पहचान स्थापित होती है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार ने अपराधियों को गलत विवरणों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रक्रिया को कड़ा बनाया है। इस प्रक्रिया में आवेदन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों की और अधिक गहन जांच तथा और अधिक कड़ी पुलिस जांच करना शामिल है।

[हिन्दी]

रणबंभीर राष्ट्रीय बांध परियोजना

3913. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रणथंभौर राष्ट्रीय बांध परियोजना को पूरा करने से कितने लोग प्रभावित हुए हैं;

(ख) क्या इस परियोजना के अंतर्गत जिन किसानों की भूमि अधिगृहित कर ली गई है उनका न तो पुनर्वास किया गया है और न ही उन्हें रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी प्रभावित किसानों का कब तक पुनर्वास कर दिया जाएगा और रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) राज्य सरकार ने रणथंभौर राष्ट्रीय बांध परियोजना के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण प्रभावित किसानों के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना का कार्य स्वयं किया जाता हैं।

मंद बुद्धियों के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट

3914. श्रीमती शीला गौतम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक अशक्तता और बहु-अशक्तता के शिकार लोगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय ट्रस्ट की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य क्या हैं और 50 प्रतिशत मानसिक अशक्तता के शिकार बच्चों के जीवन भर के लिए होस्टल सुविधा जैसी सुविधाएं कब उपलब्ध कराई जाएंगी;

(ग) इसके लिए राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गयी है और इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधियनम, 1999, 30 दिसम्बर, 1999 से प्रभावी हुआ है।

(ख) इस न्यास के उद्देश्य तथा मानसिक मंदताग्रस्त बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) चूंकि यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम हाल ही में प्रवृत्त हुआ है, इसलिए कार्यक्रमों को शुरू नहीं किया गया है। अत: लाभग्राहितों की संख्या अथवा इस न्यास को प्रदान कराई गई वित्तीय सहायता के बारे में बताना संभव नहीं है।

विवरण

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु-विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य

(क) विकलांग व्यक्तियों को यथासंभव रूप से और पूर्ण रूप से उस समुदाय के अंतर्गत तथा निकट रहने के लिए समर्थ तथा अधिकार सम्पन्न बनाना, जिससे वे संबंधित हैं,

(ख) विकलांग व्यक्यिों को अपने स्वयं के परिवारों के अंतर्गत रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को मजबूत करना,

(ग) विकलांग व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठन को समर्थन प्रदान करना,

(घ) उन विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं से निपटना, जिनका पारिवारिक आधार नहीं है,

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु की स्थिति में उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए उपायों को प्रोत्साहन देना,

(च) उन विकलांग व्यक्तियों के अभिभावकों तथा न्यासियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तैयार करना जिन्हें इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है,

(छ) विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी को साकार करने को सुसाध्य करना, तथा

(ज) कोई अन्य कार्य करना जो उपर्युक्त लक्ष्यों के अनुरूप हों।

मानसिक मंदताग्रस्त बच्चों को प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाएं:

(क) परिवार के सदस्यों को परामर्श एवं प्रशिक्षण

(ख) व्यस्क प्रशिक्षण यूनिटों की स्थापना

(ग) व्यक्तिगत तथा सामुदायिक गृहों की स्थापना

(घ) राहत देखभाल एवं फोस्टर पारिवारिक देखभाल संबंधी कार्यक्रम

(ङ) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए दिवा देखभाल सेवाएं

(च) नि:शक्त व्यक्तियों के स्व-सहायता समूहों की स्थापना

(छ) अभिभावकत्व का अनुमोदन प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर की समितियों की स्थापना करना।

[अनुवाद]

यूरेनियम रिएक्टर

3915. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने यूरेनियम रिएक्टर हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) उनमें से कितने रिएक्टर कार्य कर रहे हैं और किस स्रोत से इन रिएक्टरों की यूरेनियम आवश्यकता को पूरा किया जाता है;

(ग) क्या इन रिएक्टरों ने गत तीन वर्षों के दौरान इष्टतम विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) वर्तमान में, यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाने वाले निम्नलिखित 12 परमाणु विद्युत रिएक्टर देश में काम कर रहे हैं:

बिजली घर का नाम तथा स्थान	रिएक्टर यूनिटों की संख्या
तारापुर परमाणु बिजली घर, (टीएपीएस) महाराष्ट्र	2
राजस्थान परमाणु बिजली घर, (आरएपीएस) रावतभाटा, राजस्थान	3
मद्रास परमाणु बिजली घर, (एनएपीएस), कलपाक्कम, तमिलनाडु	2
नरोरा परमाणु बिजली घर, (एनपीएस) नरोरा, उत्तर प्रदेश	2
ककरापार परमाणु बिजली घर, (केएपीएस) ककरापार, गुजरात	2
कैगा परमाणु बिजली घर, कैगा, कर्नाटक	1
	12

(ख) उपर्युक्त सभी रिएक्टर काम कर रहे हैं, इनमें से, बायलिंग वाटर रिएक्टर (बी डब्ल्यू आर) प्रौद्योगिकी पर आधारित दो रिएक्टर (टीएपीएस-1 और 2) मामूली से समृद्ध यूरेनियम को ईंधन के रूप में लाते हैं, दाबित भारी पानी रिएक्टर (पीएडब्ल्यू आर) प्रौद्योगिकी पर आधारित शेष दस रिएक्टर, स्वदेशी तौर पर उपलब्ध प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के रूप में काम में लाते हैं, तारापुर परमाणु बिजली घर 1 और 2 की ईंधन की आवश्यकता को आयात द्वारा पूरा किया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम की आवश्यकता स्वदेशी स्रोतों से पूरी की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

शीतागारों के लिए राजसहायता

3916. श्री अशोक अर्गल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को पूंजी निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत शीतागार निर्माण हेतु राजसहायता देने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) आज की तारीख तक किस संगठन को राजसहायता मिली है; और

(ग) आज की तारीख तक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पास कितने प्रस्ताव अभी तक लम्बित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम मे नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्षों (1999-2002) के दौरान क्रियान्वयन के लिए दिसम्बर, 1999 में शुरू की गई पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम के तहत राजसहायता स्वीकृति हेतु 134 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन 134 प्रस्तावों में से 66 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 47 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा एवं 21 सीधे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा राजसहायता हेतु प्राप्त किए गए थे। इस स्कीम में परियोजना समाप्ति के बाद संबद्ध वाणिज्य/सरकारी बैंकों के माध्यम से प्रोत्साहकों/लाभभोगियों को तुरन्त राजसहायता की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा निर्मुक्त राजसहायता का प्रचालन नाबार्ड पुन: वित्त स्कीम के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में नाबार्ड द्वारा और राष्ट्रीय सहकारी निगम द्वारा वित्त पोषित सहकारी परियोजनाओं के मामले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जाता है। साथ ही, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना समाप्ति पर उन एककों को सीधे राजसहायता देता है। जहां आवधिक ऋण संस्थागत स्रोतों से नहीं लिए जाते हैं और परियोजना का वित्त पोषण आंतरिक संसाधन जनन द्वारा किया जाता है। अभी तब बोर्ड ने स्कीम के तहत नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 28.00 करोड़ रु. की राजसहायता निर्मुक्त की है। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों के तकनीकी और वित्तीय दृष्टि से मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन उन्हीं संगठनों द्वारा किया जाता है। बोर्ड को सीधे मिले प्रस्तावों का मूल्यांकन भी निगम करता है। अत: बोर्ड को सीधे प्राप्त 21 प्रस्तावों का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है।

इंटरनेट पर अधिसूचनाएँ

3917. श्री राजैया मल्याला: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के आदेशों, अधिसूचनाओं, पत्रों तथा ज्ञापनों इत्यादि को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक मंत्रालय के वेबसाइट के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना इंटरनेट पर कब तक उपलब्ध हो जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने निकनेट पर अपनी वेबसाइटें स्थापित की हैं, जिनमें अधिसूचनाओं, अधिनियमों, आदेशों तथा आम जनता के लिए सुसंगत सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। केन्द्र सरकार के इन मंत्रालयों तथा विभागों की वेबसाइटों की सूची संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन वेबसाइटों का हाइपर लिंक डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एन.आई.सी.आई.एन. में भी उपलब्ध कराया गया है और इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

सरकारी वेबसाइटों की निर्देशिका, भारत सरकार

* भारत की संसद
* भारत के राष्ट्रपति
* भारत का उच्चतम न्यायालय
* मंत्रीमंडल सचिवालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
परमाणु ऊर्जा विभाग
महासागर विकास विभाग
कृषि मंत्रालय

* नारियल विकास बोर्ड
* कृषि एवं सहकारिता विभाग
* पशुपालन एवं डेयरी विभाग
  (इस समय यह केवल आईई ब्राउजर का प्रयोग करके ही देखा जा सकता है।)
* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग
* भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

* रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
* उर्वरक विभाग

नागर विमानन मंत्रालय

* नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

* वाणिज्य विभाग
  - विदेश व्यापार महानिदेशालय (एक्जिमपोल)
* विस्फोटक सामग्री विभाग
* औद्योगिक विकास विभाग
* औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
  - औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो
  - औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए)
* आपूर्ति विभाग
  - आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय
  - राष्ट्रीय परीक्षण गृह

संचार मंत्रालय

* दूरसंचार विभाग
* राष्ट्रीय आवृत्ति आबंटन योजना मसौदा (संचार मंत्रालय)
* भारतीय डाक

उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

संस्कृत, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय

* संस्कृति विभाग
  - राष्ट्रीय संस्कृति निधि
* युवा मामले एवं खेल विभाग
  - लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (एलएनआईपीई)
  - भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई)

रक्षा मंत्रालय

* भारतीय सशस्त्र सेना

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

विदेश मंत्रालय

* कान्सूलर पासपोर्ट एवं वीजा प्रभाग

वित्त मंत्रालय

* महालेखा नियंत्रक
* आर्थिक विभाग
  - औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
* राजस्व विभाग
  - केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी)
  - केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो
  - आयकर विभाग, दिल्ली
  - आर्थिक अपराध निवारक अभिकरण (सीईआईबी)
* आर्थिक सर्वेक्षण, 1999-2000 (नया)
  - भारत का बजट 2000 (नया)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

* केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस)
* भारत की चिकित्सा एवं होम्योपैथी पद्धति विभाग
* राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)

भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय

* भारी उद्योग विभाग
* लोक उद्यम विभाग

गृह मंत्रालय

* राजभाषा विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

* शिक्षा विभाग
  - वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)
  - राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
* महिला एवं बाल विकास विभाग
  - महिला अधिकारिता
  - राष्ट्रीय महिला कोष

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

* विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी)
* क्षेत्रीय प्रसार निदेशालय
* फिल्म महोत्सव निदेशालय
* प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)
* संगीत एवं नाटक प्रभाग

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटी)

* राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

श्रम मंत्रालय

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

* कम्पनी कार्य विभाग
* भारतीय न्यायालय
* भारतीय विधि आयोग

खान एवं खनिज मंत्रालय

* कोयला विभाग
* खान विभाग
* भारतीय खान ब्यूरो

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

* केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)
* प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
* सचिवालयी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम)
* लोक उद्यम चयन बोर्ड
* कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)

पेट्रोलियम एवं प्रकृतिक गैस मंत्रालय

आयोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

* कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग
* सांख्यिकी विभाग

विद्युत मंत्रालय
रेल मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय

* लोक कार्य उन्नयन एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी परिषद् (कॉपार्ट)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

* जैव प्रौद्योगिकी विभाग
  - जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली
  - एफएआरएम परियोजना
* वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (निसात)
  - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)

लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

* केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (सीएआरए) नया

इस्पात मंत्रालय

* लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त

भूतल परिवहन मंत्रालय
कपड़ा मंत्रालय

* एशिया प्रशांत कपड़ा एवं वस्त्र फोरम

पर्यटन मंत्रालय

आदिवासी मामले मंत्रालय

शहरी विकास मंत्रालय

जल संसाधन मंत्रालय

* केन्द्रीय जल आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)
सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यदल
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2000)
योजना आयोग
प्रधान मंत्री परिषद

* दूरसंचार समूह
* प्रधान मंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद
* प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद

मूल संरचना कार्यदल

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना द्वारा विस्थापित लोग

3918. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सरदार सरोवर परियोजना से लाभ प्राप्त करने वाली राज्य सरकारों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए धन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक लाभार्थी राज्य सरकार को कितना धन प्रदान किया गया है;

(ग) क्या पुनर्वास कार्य के निष्पादन में अनियमितता और इस प्रकार के धन का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग के मामले को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अभियुक्तों के प्रत्यर्पण का मामला खटाई में पड़ना

3919. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ बाल यौन शोषण मामलें में क्रमश: ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, स्वीडन और जर्मनी से चार अभियुक्तों के प्रत्यर्पण का मामला खटाई में पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभियुक्तों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) सरकार के पास निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है:-

न्यूजीलैण्ड : न्यूजीलैण्ड की सरकार ने अभियुक्त ई.सी. मेकब्रिज को प्रत्यर्पित किया है, जिसे नवम्बर 1999 में भारत लाया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है और गोवा में उस पर अभियोग चल रहा है।

फ्रांस : गिरफ्तारी वारन्ट और अनुरोध-पत्र फ्रांस भेजे गए थे। तथापि इसी दौरान अभियुक्त डोमिनीक सेबिरे दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे और उसे गिरफ्तार किया था। उस पर गोवा में अभियोग चला रहा है।

यूनाइटिड किंगडम/थाईलैण्ड : यू. के. और थाईलैण्ड दोनों ने सूचित किया है कि रेमण्ड एण्ड्रू वालें थाईलैण्ड में रह रहे एक ब्रिटिश नागरिक का उनके अपने-अपने देशों में पता नहीं लगाया जा सका। इसलिए उसका पता लगाने और अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सभी देशों को इन्टरपोल के जरिए एक रेड कार्नर नोटिस जारी करवाया है।

आस्ट्रेलिया: आस्ट्रेलिया की सरकार के लिए भेजे गए गिरफ्तारी वांरट के आधार पर अभियुक्त वर्नर, बुलफ, इनगो, को आस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने नियंत्रण में रखा हुआ है।

स्वीडन : अभियुक्त नील्स आस्कार जानसन के विरुद्ध स्वीडन की सरकार को अनुरोध-पत्र के साथ गिरफ्तारी वांरट भेजा गया है। स्वीडन के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उनकी विधि के अनुसार वे अपने नागरिकों को दूसरे देशों के लिए प्रत्यर्पित नहीं कर सकते हालांकि उसके विरुद्ध स्वीडन की अदालत में अभियोजन कार्यवाही आरम्भ करेंगे। तदानुसार सभी संगत दस्तावेजों को स्वीडन के प्राधिकारियों के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने सूचित किया है कि उनकी अपनी विधि के अनुसार उपलब्ध साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

जर्मनी: राजनयिक माध्यम और इन्टरपोल के माध्यम से भेजे गए अनुरोध-पत्र के आधार पर अभियुक्त जेल जर्गन एन्ड्रीज को पकड़ा गया और पूछताछ की गई है। जर्मन विधि के अनुसार किसी जर्मन नागरिक को किसी अन्य देश के लिए प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है। जर्मनी में अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन कार्यवाही आरम्भ करने के लिए संगत कागजात और दस्तावेजों को जर्मन प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है।

[हिन्दी]

महिला श्रमिक

3920. श्री महेश्वर सिंह: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में महिला श्रमिकों की संख्या से संबंधित कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने फैक्टरियों में काम कर रहे महिला श्रमिकों की संख्या और बीड़ी श्रमिकों की अलग-अलग संख्या का पता लगया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उनको प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में महिला श्रमिकों सहित कुल महिला श्रम बल 8,97,67,563 है। इन कार्मकारों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1997 के दौरान कारखानों में 6,76,868 महिला कार्यकार नियोजित थी। वर्ष 1998 में देश में कुल बीड़ी कर्मकारों की संख्या 43,99,644 थी। अनुमान है कि कारखाना कर्मकार श्रेणी तथा गृह कर्मकार श्रेणी में महिलाओं की संख्या बीड़ी बनाने के काम में लगे कर्मकारों की कुल संख्या का क्रमश: 50 प्रतिशत व 68 प्रतिशत है।

(घ) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत महिलाओं को कारखानों में जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं में नियोजित नहीं किया जा सकता। अधिनियम में सामान्यत: 30 से अधिक महिला कर्मकारों को नियोजित करने वाले कारखानों में शिशु सदनों तथा मजदूरी सहित 12 सप्ताह तक प्रसूति अवकाश की भी व्यवस्था है।

राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बीड़ी व सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966 में बीड़ी बनाने में लगी महिला कर्मकारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त सरकार महिला कर्मकारों सहित बीड़ी कर्मकारों के लाभ के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के तहत स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्रों में विभिन्न कल्याण सुविधाओं को कार्यान्वित कर रही है।

विवरण

महिला कर्मकारों की राज्यवार संख्या (1991 की जनगणना)

क्र.सं.	राज्य के. शा. प्र.	कर्मकारों की संख्या
1	2	3
	भारत	89,767,563
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरूणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	881,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,985
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणीपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैंड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	418,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	पश्चिम बंगाल	3,662,855

1	2	3
25.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	16,584
26.	चंडीगढ़	29,443
27.	दादर एवं नगर हवेली	32,944
28.	दमन एवं दीव	11,584
29.	दिल्ली	314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

नोट : 1991 में जम्मू व कश्मीर में जनगणना नहीं की गई।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण

3921. श्री मणि शंकर अय्यर: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काबेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिरम अधिनिर्णय को लागू करने के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक के किलिंगुडलू में या तमिलनाडु के मेट्टुर डैम जलाशय में जल के प्रवाह की माप की जा रही है;

(घ) क्या अगस्त 1998 से सप्ताह-दर-सप्ताह का जल का प्रवाह अंतरिम अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार रहा है;

(ङ) यदि हां, तो सप्ताह-दर-सप्ताह का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) न्यायाधिकरण के अंतिम अधिनिर्णय कब तक दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.4.1997 के आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम-1956 की धारा-6 (ए) के तहत प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में कावेरी जल प्राधिकरण की स्थापना की है। बेसिन राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता वाली मानीटरिंग समिति जिसके कावेरी बेसिन राज्यों के मुख्य सचिव और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष सदस्य हैं कावेरी नदी प्राधिकरण की सहायता करती है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग, कर्नाटक तमिलनाडु सीमा पर बिल्लीगुंडुलु में कावेरी नदी पर और मैत्तूर जलाशय के 60 कि.मी. प्रतिप्रवाह पर जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थल का संचालन करता हैं यहां पर दैनिक आधार पर प्रवाहों को मापा जाता है। मैत्तूर जलाशय, तमिलनाडु राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा जलाशय में अन्तर्वाह संबंधी आंकड़ों का प्रेक्षण और अनुरक्षण तमिलनाडु राज्य द्वारा किया जाता है।

(घ) से (च) कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 के अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक राज्य के अपने जलाशयों से जल छोड़ने का निदेश दिया ताकि तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में प्रति वर्ष जून से मई के दौरान 205 टी.एस.सी. जल का उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जा सके। अधिकरण ने पुन: यह निदेश दिया कि कर्नाटक राज्य द्वारा जल की ये निर्मुक्तियां विशिष्ट मासिक प्रणाली में विनियमित की जानी चाहिए। किसी विशेष माह के संबंध में ये निर्मुक्तियाँ चार समान किस्तों में की जानी चाहिए। यदि किसी सप्ताह में जल की वांछित मात्रा छोड़ा जाना संभव नहीं है तो इस कमी को अगले सप्ताह पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस अधिकरण ने आगे स्पष्ट किया है कि उनके 25 जून, 1991 के आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी सप्ताह विशेष की कमी को बाद के किसी भी सप्ताह के दौरान पूरा किया जा सकता है और यह आवश्यक नहीं है कि यह कमी उसी माह की जाए जिसमें यह कमी होती है। यह कमी जब तक पूरी नहीं कर दी जाती तब तक यह संचित होती रहेगी। किसी वर्ष के दौरान निर्मुक्तियों में होने वाली कमी या अधिकता को उस सत्र विशेष की समाप्ति से पहले उपयुक्त ढ़ंग से समायोजित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अगस्त, 1998 से मार्च, 2000 की अवधि के दौरान तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में साप्ताहिक प्रवाहों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 अधिकरणों द्वारा जल विवादों के निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।

विवरण

साप्ताहिक प्रवाह 1998-1999 (टी एम सी)

महीना	कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार अपेक्षित प्रवाह	मेत्तूर में प्राप्त अन्तर्वाह (जैसाकि तमिलनाडु सरकार द्वारा सूचित किया गया है)
1	2	3
अगस्त-98		
1	12.356	10.580
2	12.356	4.727
3	12.356	12.475
4	17.652	12.946
कुल	54.720	40.728
सितम्बर-98		
1	6.851	7.027
2	6.851	5.951
3	6.851	9.203
4	8.808	16.622
कुल	29.361	38.803
अक्तूबर-98		
1	6.813	10.381
2	6.813	10.855
3	6.813	13.577
4	9.732	8.861
कुल	30.171	43.674
नवम्बर-98		
1	3.745	9.368
2	3.745	9.837
3	3.745	5.200
4	4.815	5.607
कुल	16.050	30.012
दिसम्बर-98		
1	2.342	4.441
2	2.342	5.882
3	2.342	4.122
4	3.345	3.370
कुल	10.371	17.815
जनवरी-99		
1	0.567	1.334
2	0.567	1.334
3	0.567	0.916
4	0.810	1.293
कुल	2.511	4.877
फरवरी-99		
1	0.543	1.212
2	0543	0.718
3	0.543	1.084
4	0.543	1.012
कुल	2.172	4.026
मार्च-99		
1	0.542	1.299
2	0.542	0.974
3	0.542	0.668
4	0.774	2.258
कुल	2.400	5.199

1	2	3
अप्रैल -99		
1	0.541	0.605
2	0.541	0.701
3	0.541	2.313
4	0.696	2.443
कुल	2.319	6.062
मई-99		
1	0.454	3.045
2	0.454	1.887
3	0.454	3.051
4	0.648	2.940
कुल	2.010	10.923
साप्ताहिक प्रवाह 1999-2000 (टी एम सी)		
जून-99		
1	2.371	1.211
2	2.371	2.865
3	2.371	1.283
4	3.048	5.077
कुल	10.161	10.436
जुलाई-99		
1	9.655	0.989
2	9.655	0.956
3	9.655	4.271
4	13.794	17.894
कुल	42.759	24.110
अगस्त-99		
1.	12.356	19.829
2	12.356	23.968
3	12.356	6.669
4	17.652	5.413
कुल	54.720	55.879
सितम्बर-99		
1	6.851	3.279
2	6.851	2.026
3	6.851	0.884
4	8.808	4.017
कुल	29.361	10.206
अक्तूबर-99		
1	6.813	13.807
2	6.813	9.313
3	6.813	11.958
4	9.732	46.874
कुल	30.171	81.952
नवम्बर-99		
1	3.745	12.657
2	3.745	6.415
3	3.745	4.765
4	4.815	15.590
कुल	16.050	39.427
दिसम्बर-99		
1	2.342	6.071
2	2.342	4.490
3	2.342	4.196
4	3.345	5.325
कुल	10.371	20.082

1	2	3
जनवरी-2000		
1	0.567	2.145
2	0.567	1.958
3	0.567	1.486
4	0.810	1.600
कुल	2.511	7.189
फरवरी - 2000		
1	0543	0.872
2	0.543	1.000
3	0.543	0.862
4	0.543	1.616
कुल	2.172	4.350
मार्च-2000		
1	0.542	1.733
2	0.542	1.099
3	0.542	--
4	0.774	--
कुल	2.400	

जल प्रबंधन

3922. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक की इस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत में जल उपयोग की क्षमता में दस प्रतिशत सुधार से कुल सिंचित क्षेत्र में 14 मिलियन हेक्टेयर भूमि की वृद्धि हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मौजूदा सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में सुधार करने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने मौजूदा सिंचाई ढांचों के उपयोग में यह सुधार लाने के लिए किसी वित्तीय सहायता की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में, विशेषकर विश्व बैंक से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों से तथा उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों ने विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं के कार्य के अनुसार निष्पादन में सुधार लाने के लिए विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ई आर एम) स्कीमें शुरू की हैं। भारत सरकार जल संसाधन समेकन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने में राज्य सरकारों की सहायता भी कर रही हैं। आठवीं योजना के अन्त तक 89.56 मिलियन हेक्टेयर सृजित सिंचाई क्षमता में से 80.75 मिलियन हेक्टेयर का उपयोग किया जा रहा था। इस अन्तर को दूर करने के लिए भारत सरकार केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के जरिए लगातार सहायता प्रदान कर रही हैं। इन सभी कार्यक्रमों से विद्यमान सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में सुधार लाने में सहायता मिल रही है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक, हरियाणा, तमिलनाडु और उड़ीसा में जल संसाधन समेकन परियोजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-3 और आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (सिंचाई घटक) भी विश्व बैंक सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि	समझौते/पूरा होने की तारीख	फरवरी 2000 तक उपयोग
1	2	3	4	5
(1)	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना-3	325.00	3.6.1997/ 31.1.2003	76.828

1	2	3	4	5
(2)	आन्ध्र प्रदेश आर्थिक पुन: संरचना परियोजना (सिंचाई घटक)	142.00	30.1.1999/ 31.3.2004	30.00
(3)	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	258.00	06.4.1994/ 31.12.2000	138.958
(4)	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	290.90	05.1.1996/ 30.9.2002	130.385
(5)	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	282.90	22.9.1995/ 31.3.2002	86.725

उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना और राजस्थान जल संसाधन समेकन परियोजना का विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

प्रशासनिक ढांचा

3923. डा. सुशील कुमार इन्दोरा:
श्री अरुण कुमार:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रशासनिक ढांचे में विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान प्रशासनिक ढांचे में विस्तार का पदों के नाम सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान आज की तारीख तक कितने मंत्रिमंडल स्तर के मंत्रियों, सचिवों, उप सचिवों तथा सहायक सचिवों के पद सृजित किए गए हैं; और

(घ) इन वर्षों के दौरान उक्त अतिरिक्त पदों को सृजित किए जाने के कारण कितना अतिरिक्त व्यय हुआ है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार में 31 मार्च, 1996, 31 मार्च, 1997 और 31 मार्च, 1998 को स्वीकृत (असैनिक) पदों की संख्या क्रमश: 42.18 लाख, 42.18 लाख और 41.93 लाख थी। 31 मार्च, 1996 की तुलना में 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या में लगभग 25,000 पदों की मामूली कमी आई। पदों की उपर्युक्त स्वीकृत संख्या के तहत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 31 मार्च, 1996 को 38.93 लाख, 31 मार्च 1997 को 38.95 लाख तथा 31 मार्च 1998 को 38.47 लाख थी।

1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान केबिनेट मंत्रियों की संख्या क्रमश: 22, 22 और 29 थी। 1997-98 के दौरान पिछले वर्ष (अर्थात् 1996-97) की अपेक्षा यह संख्या अधिक हो गई थी। 1998-99 के दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई। 1999-2000 के दौरान इस संख्या में 7 की वृद्धि हुई। इस प्रकार 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में कुल मिलाकर 8 की वृद्धि हुई।

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान केन्द्र में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव या समकक्ष स्तर के पदों पर सावधिक आधार पर कार्यरत अधिकारियों तथा केन्द्रीय सचिवालय के ऐसे अधिकारियों जिन पर सावधिक नियम लागू नहीं होते, की संख्या में वृद्धि के संबंध में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं।

पद	1.4.97	1.4.98	1.4.99	1.4.2000
	की स्थिति के अनुसार			
सचिव	110(38)	116(37)	137(47)	149(49)
अपर सचिव	98(42)	106(52)	106(53)	103(47)
संयुक्त सचिव	368(152)	400(182)	438(221)	454(232)
निदेशक	399(96)	462(122)	477(140)	531(183)
उप सचिव	396(118)	411(127)	395(133)	455(159)
जोड़	1371(446)	1495(520)	1553(594)	1692(670)

टिप्पणी : कोष्ठक के अंदर दिए गए आकड़े समकक्ष स्तर के पदों को दर्शाते हैं और ये कुल पदों में शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका में दी गई सूचना में ऐसे विभिन्न संगठित ग्रुप 'क' सेवाओं/संवर्गों के संबंध में सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पदों की संख्या शामिल नहीं हैं जो संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रशासित किये जाते हैं और जिनके बारे में इस संबंध में अपेक्षित सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान केबिनेट मंत्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण उनके और भत्तों पर अतिरिक्त व्यय लगभग क्रमश: 3 लाख रुपये, शून्य और 21 लाख रुपये था। वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान सचिव अपर सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर (जिनका उल्लेख उपर्युक्त तालिका में किया गया है) के पदों की संख्या में वृद्धि के कारण लगभग समग्र अतिरिक्त व्यय क्रमश: 2.70 करोड़ रुपये, 1.59 करोड़ रुपये और 2.81 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

कोवालम-नाडायरा टी.सी. नहर की परियोजना रिपोर्ट

3924. श्री वी.एस. शिवकुमार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल की कोवालम-नाडायरा टी.सी. नहर के संपूर्ण हिस्से को सुदृढ़ करने के संबंध में राज्य सरकार से कोई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं

3925. श्री रामजीवन सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अपनाई जा रही परीक्षा प्रणाली में कुछ निश्चित बदलाव के प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं की प्रणाली की समीक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उपर्युक्त आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के माध्यम से जिन पदों पर/सेवाओं में भर्ती की जाती है उनकी अपेक्षाएं ध्यान में रखते हुए, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श

से आयोग, परीक्षाओं की प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा करता है।

(ग) और (घ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं का चलन आरंभ किए जाने के मुद्दे पर उपर्युक्त आयोग द्वारा नियुक्त डा. सतीश चन्द्र समिति द्वारा विचार किया गया। उपर्युक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर, इस नाजुक मुद्दे पर मतैक्य (आम राय) कायम किए जाने के प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां

3926. श्री रूप चन्द्र पाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में फरवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार उन गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का वर्तमान बाजार-मूल्य क्या है। जिनका सरकार द्वारा विनिवेश हेतु पहचान की गयी है; और

(ख) इन परिसंपत्तियों के विक्रय से कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) सेल द्वारा स्वत्वहरण के लिए अभिज्ञात की गई गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य मर्चेंट-बैंकरों द्वारा मूल्यांकन किए जाने के बाद ही ज्ञात होगा इसके अतिरिक्त स्वत्वहरण प्रक्रिया से जुटाने जाने वाली अनुमानित धनराशि का पता बोलियां प्राप्त होने और बातचीत पूरी होने के बाद ही लग पाएगा।

[हिन्दी]

विकास कार्य

3927. श्री जवाहर लाल जायसवाल:
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परिधेय विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में नवगढ़ और रामनगर लाइम स्टोन माइनों और बिहार के गढ़वा जिला में भवनाथपुर लाइम स्टोन माइनें में कौन-कौन से विकास कार्य शुरू किए गये;

(ख) क्या उक्त खानों के 8 कि.मी. परिधि क्षेत्र के विकास कार्यों की जिम्मेदारी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सामग्री विभाग की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान परिधीय विकास योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी राशि खर्च की गयी;

(घ) नवगढ़ और भवनाथपुर लाइम स्टोन माइनों के 8 कि.मी. के परिधि क्षेत्र में विकास कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) सेल की बिहार के गढ़वा जिले में केवल भावनाथपुर चूना-पत्थर खान है। सेल द्वारा परिसरीय विकास कार्य अपनी इस्पात बस्तियों और उनके आसपास किए जाते हैं। भावनाथपुर में किए गए परिसरीय विकास कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1997-98 : हैण्ड पम्प लगाना, हैजा महामारी के दौरान समीपवर्ती गावों में दवाइयों का वितरण।

1998-99: समीपवर्ती गांवों में दवाइयों का वितरण।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिसरीय विकास योजना के अन्तर्गत आबंटित और खर्च की गई राशि नीचे दी गई है:-

वर्ष	आबंटित राशि (रुपए)	खर्च की गई राशि (रुपए)
1997-98	1,00,000	1,00,000
1998-99	90,000	90,000
1999-00	शून्य	शून्य

(घ) और (ङ) भावनाथपुर में 1997-98 और 1998-99 के दौरान परिसरीय कार्य किए गए थे। प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण और बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण, जिससे उन्नत उत्पादन प्रक्रिया शुरू हुई, से गुणता प्राचल अधिक कड़े हो गए हैं। इसके पिछले कुछ वर्षों में भावनाथपुर चूना-पत्थर खान बोकारो इस्पात संयंत्र को चूना-पत्थर के प्रेषण में गिरावट आई है।

इस समय 600 से अधिक कर्मचारी अधिशेष हैं और इस प्रकार सेल प्रबंधन को कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी पर व्यय वहन करना पड़ रहा है। अत: सेल परिसरीय विकास कार्यों के लिए कोई अतिरिक्त व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं है।

[अनुवाद]

कश्मीर समस्या का समाधान

3928. श्री आर. एल. भाटिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1999 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''नो पीस टिल कश्मीर रिजाल्व्ड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) जी हां। सरकार ने 20.12.99 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में छपी खबरों को देखा है।

पाकिस्तान के नेताओं के बढ़ते हुए कटु वक्तव्य यह रेखांकित करते हैं कि पाकिस्तान सीमापार आतंकवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा हैं एवं उसे प्रायोजित कर रहा हैं।

संपूर्ण जम्मू और कश्मीर राज्य भारत संघ का अभिन्न भाग है। इस राज्य के क्षेत्र का एक भाग पाकिस्तान के अवैध एवं बेजरन कब्जे में है। भारत-पाकिस्तान के साथ अनुसुलझे सभी बकाया मसलों को शिमला समझौते के अंतर्गत सुलझाने के लिए कृत संकल्प है। पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वह जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमापार आतंकवाद को रोक कर तथा भारत के विरुद्ध अपना दुष्प्रचार बन्द करके इस समझौते को मानने की अपनी इच्छा व्यक्त करें।

सरकार देश की सुरक्षा तथा अखण्डता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़ है।

[हिन्दी]

क्रायोजेनिक इंजिन

3929. डा. अशोक पटेल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने उपग्रह प्रक्षेपण वाहन (जी.एस.एल.वी.) के लिए पूर्णत: देश में तैयार किए गए क्रायोजेनिक इंजिन का परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन राकेट (जी.एस.एल.वी.) में उपयोग करने के लिए स्वदेशी रूप में विकसित क्रायोजेनिक इंजिन की जांच शुरू कर दी है। इससे इंजिन की भूमि पर अर्हता जांचों की श्रृंखला की शुरूआत हो गई है।

(ख) फरवरी 16, 2000 को तमिलनाडु में महेन्द्रगिरि स्थित द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र जांच कम्प्लेक्स में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हुए क्रायोजेनिक इंजिन के प्रथम उड़ान रूपान्तर का प्रज्वलन किया गया। इस जांच से कई उपलब्धियां अर्जित हुई, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(1) सम्पूर्ण क्रायोजेनिक इंजिन का संविरचन, समुच्चय और समाकलन;

(2) जांच स्टैंड का वैधीकरण और अभिचालन;

(3) इंजिन और संबद्ध प्रणाली का अधोशीतलन परीक्षण;

(4) अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार क्रायोजेनिक प्रणोदकों का उत्पादन; और

(5) जांच अवधि के मूल्यवान आंकड़ों के संग्रहण के साथ-साथ उपयुक्त सुरक्षा प्रक्रियाओं का वैधीकरण।

तथापि, 30 सैकण्डों की निर्धारित अवधि के स्थान पर इस जांच को 15 सैकण्डों के बाद रोक देना पड़ा। इसके प्रारम्भिक विश्लेषणों से पता चला है कि हाइड्रोजन के अप्रत्याशित रिसाव के कारण इंजिन के बाहर एक ज्वाला उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप जांच को समय से पूर्व रोक देना पड़ा। जांच के दौरान हुई विसंगति का सही-सही पता लगाने के लिए तथा इस संबंध में उपयुक्त संशोधी कार्रवाई करने के लिए जांच के दौरान व्यापक यंत्रीकरण द्वारा जांच से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

दुग्ध इकाइयों का पंजीकरण

3930. डा. चरणदास महंत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुग्ध और दुग्ध उत्पादन आदेश, 1992 जारी होने के बाद केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कितनी दुग्ध इकाइयों का पंजीकरण किया गया;

(ख) इन दुग्ध इकाइयों के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या ग्वालियर मिल्क कोआपरेटिव के आधीन मैसर्स एस. एम. मिल्कोज और मै. स्टरलिंग एग्रो इन्डस्ट्रीज तथा इन्दौर-उज्जैन मिल्क कोआपरेटिव के अधीन प्रीमियर न्यूट्रिशन पंजीकरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने इनका पंजीकरण किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश में कई दुग्ध सहकारी संस्थाएं अपनी क्षमता की तुलना में कम दुग्ध आपूर्ति के कारण घाटे में चल रही है;

(च) कहीं ये सहकारी दुग्ध संस्थाएं निजी क्षेत्र की डेयरी इकाइयों के कारण बंद तो नहीं हो जाएंगी; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति को रोकने हेतु राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1992 में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश के जारी होने के बाद मार्च, 2000 तक भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत दुग्ध ईकाइयों की संख्या निम्नानुसार है:-

(1) केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरणों की संख्या-261

(2) राज्य पंजीयन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरणों की संख्या-258 (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार)

(ख) प्राप्त आवेदन-पत्रों की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश (एम.एम.पी.ओ.) 1992 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पंजीयन प्राधिकरण द्वारा जांच की जाती है।

(ग) और (घ) मैसर्स एस. एम. मिल्कोस तथा मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्वालियर दुग्ध सहकारिता के अधीन नहीं हैं तथा "प्रीमियर न्यूट्रीशन" भी इन्दौर उज्जैन दुग्ध/सहकारिता संघों के अधीन नहीं हैं। तथापि मैसर्स एस.एम. मिल्कोस और मैसर्स स्टर्लिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज को केन्द्रीय पंजीयन प्राधिकरण द्वारा यह पुष्टि कर लेने के बाद ही पंजीकरण प्रदान किए गए थे कि विपणन योग्य अधिशेष दूध प्रस्तावित मिल्कशेड क्षेत्र में उपलब्ध था। मैसर्स प्रीमियर न्यूट्रीशन इंदौर को कोई पंजीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं।

(ङ) यह सही है कि मध्य प्रदेश में कई सहकारी दुग्ध संघ घाटे में चल रहे हैं। तथापि यह दूध की कमी आपूर्ति के कारण नहीं बल्कि संघों द्वारा अधिप्राप्त किए गए दूध की वास्तविक कम मात्रा सहित विभिन्न अन्य आन्तरिक एवं बाह्य कारणों से हैं।

(च) और (छ) जो एम एम पी ओ के तहत पंजीकरण प्राप्त करने के बाद निजी क्षेत्र में चल रही डेयरी ईकाईयों को उन गांवों से दूध अधिप्राप्त करने की अनुमति नहीं है जहां ग्राम डेयरी सहकारितायें कार्य कर रही हैं। तथापि, मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी परिसंघ ने सूचित किया है कि निजी डेयरी ईकाईयों के अवैध संचालन ने सहकारी डेयरी संयंत्रों की दुग्ध अधिप्राप्ति को प्रभावित किया है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के दुग्ध आयुक्त राज्य के जिला कलेक्टरों के दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश (एम एम पी ओ) के पैरा 15 के तहत अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है।

[अनुवाद]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3931. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषत: जम्मू-कश्मीर में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कौन-कौन सी योजनाएं आरंभ की गयी;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के तहत सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन योजनाओं के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जन प्रतिनिधियों, सांसदों को शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) देश में केन्द्रीय प्रायोजित कमान कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय यह जम्मू व कश्मीर सहित 23 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में चलाया जा रहा है।

(ख) और (ग) कुशल जल प्रबंधन से संबंधित नवीनतम गतिविधियां शुरू करने के अलावा खेत चैनलों, खेत नालियों के निर्माण, भूमि समतलन और उसे आकार देना तथा ताराबंदी लागू करने जैसे खेत संबंधी विकास कार्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन गतिविधियों के जरिए कुशल जल प्रबंधन के परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे सिंचित क्षेत्र और कृषि उत्पादकता आदि बढ़ाने में सहायता मिली है।

(घ) से (च) देश में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कुशल और सुचारू कार्यान्वयन में विभिन्न बैठकों अर्थात जल संसाधन मंत्रालय की संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति, कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति आदि के जरिए संसद सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। इन बैठकों में दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

प्रतिनियुक्त अधिकारी

3932. श्री राम सजीवन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय/विभागों और अन्य स्वायत्त सांविधिक अधीनस्थ, सम्बद्ध कार्यालयों के अधीन विभिन्न वर्गों/श्रेणियों के पदों को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं और संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करके भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु व्यक्तियों के चयन के लिए चयन समिति/बोर्ड की प्रकृति क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) आज की तिथि तक उप सचिव/निदेशक संयुक्त सचिव और सचिव के उक्त संबंधी पदों पर कुल कितने व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति की गई और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) संगठित समूह "क" सेवाओं में विशेष रूप मे सवर्ग में सम्मिलित पदों को छोड़ कर, केन्द्र के सचिवालय प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा, अखिल भारतीय सेवाओं और समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं से अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेकर की जाती हैं। स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों में, पदों पर नियुक्तियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती हैं तथा ये नियुक्तियां, इनके बारे में निर्धारित नियमों, विनियमों और क्रिया विधियों के अनुसार नियंत्रित की जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत उप सचिवों, निदेशकों और संयुक्त सचिवों के पदों/समकक्ष स्तरों पर नियुक्तियां, सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं। उपर्युक्त बोर्ड में निम्नलिखित होते हैं:-

(1)	मंत्रिमंडल-सचिव:	– अध्यक्ष (पदेन)
(2)	सचिव (कार्मिक):	– सदस्य (पदेन)
(3)	भारत सरकार के एक सचिव: (प्रथमत: एक वर्ष हेतु नियुक्त किए जाने अपेक्षित)	– सदस्य
(4)	स्थापना अधिकारी:	– सदस्य-सचिव (पदेन)
(5)	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग के सचिव	– सहयोजित सदस्य

इन पदों पर नियुक्तियां, केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग द्वारा सूचित की गई रिक्तियों तथा केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए संबंधित संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा की गई पेशकश में उपलब्ध अधिकारियों के आधार पर की जाती हैं।

(ग) 1.1.2000 को मौजूदा स्थिति के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव और सचिव के स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार थीं:

सचिव तथा समकक्ष	–	149
अपर सचिव तथा समकक्ष	–	103
संयुक्त सचिव के स्तर के	–	454
निदेशक के स्तर के	–	531
उप सचिव के स्तर के	–	455

चूंकि उपर्युक्त पदों पर नियुक्तियां किए जाने की दृष्टि से जाति/जन जाति कोई मानदंड नहीं होती, अत: उपरिलिखित स्तरों के पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या से संबंधित जानकारी अलग से नहीं रखी जाती।

रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना

3933. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना की पहली और दूसरी इकाई में से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट से घटकर क्रमश: 100 और 200 मेगावाट रह गयी है;

(ख) यदि हां, क्या इन दोनों इकाइयों में मरम्मत होती रही है और इनके दोबारा चालू होने के उपरांत भी विद्युत की अनियमित आपूर्ति रही है;

(ग) क्या राज्य में विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण राजस्थान के औद्योगिक और कृषि विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना की पहली और दूसरी इकाई की क्षमता में आई कमी की क्षतिपूर्ति और राज्य में विद्युत की नियमित और बेहतर आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार ने रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी और चौथी इकाई से प्राप्त विद्युत को राज्य को समर्पित करने की बात कही है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की कब तक इन दोनों इकाइयों को राज्य सरकार की समर्पित कर देने की इच्छा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। तथापि, वर्तमान में राजस्थान परमाणु बिजली घर-1 को 150 मेगावाट तक के विद्युत स्तर पर चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया हुआ है।

(ख) दोनों यूनिट वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान संतोषजनक रूप से काम करते हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 ने वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में 69% तथा 80% क्षमता गुणक हासिल किया राजस्थान परमाणु बिजलीघर-1 ने वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान 63% तथा 71% (150 मेगावाट विद्युत स्तर के संदर्भ में) क्षमता-गुणक हासिल किया।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि राजस्थान को बिजली की सप्लाई करने के लिए परमाणु विद्युत ही एकमात्र स्रोत नहीं है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार को राजस्थान सरकार से, आर ए पी पी यूनिट-3 तथा 4 में उत्पादित संपूर्ण विद्युत राजस्थान को दिए जाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ था। किसी क्षेत्र में क्षेत्रीय बिजलीघरों से बिजली का आवंटन राज्यों को किए जाने के संबंध में निर्णय, केन्द्रीय उत्पादन बिजली घरों पर लागू फार्मूला के अनुसार किया जाता है। अत:, आर ए पी पी-3 तथा 4 से प्राप्त होने वाली संपूर्ण विद्युत का आवंटन अकेले राजस्थान को नहीं किया जा सकता है। आर ए पी पी-3 तथा 4 से प्राप्त बिजली का आवंटन उत्तरी क्षेत्र के संघटक राज्यों को, प्रचलित फार्मूले के आधार पर विद्युत मंत्रालय द्वारा पहले ही किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालय

3934. श्री रतन लाल कटारिया: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी भी बड़ी संख्या में मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरूणाचल प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर) ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 14 के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए वर्तमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए छ: राज्यों तथा आन्ध्र प्रदेश (5), गुजरात (3), कर्नाटक (4), मध्य प्रदेश (25), राजस्थान (17) तथा तमिलनाडु (4) में भी विशेष न्यायालय (संख्या उनके सामने दर्शायी गई है) स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1997 और 1998 के अंत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

1989 के तहत लम्बित मामलों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	लम्बित मामलों की संख्या
1997	1,26,666
1998	1,12,253(अनन्तिम)

(ङ) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों (50:50) तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (100%) को अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उनके द्वारा किए गए उपयोंग का समर्थन करने के लिए केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जाती हैं जिसमें कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं का प्रवाधान, अभियोजन के आरम्भ अथवा पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, समितियों और विशेष न्यायालयों की स्थापना, आवधिक सर्वेक्षण करना, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान तथा अत्याचार के पीड़ितों/आश्रितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना आदि शामिल है।

गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित अपने दिनांक 12.11.1998 के पत्र में उनसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत नीतियों/योजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा मानीटर करने को उच्चतर प्राथमिकता देने तथा इस प्रयोजन के लिए एक समुचित तंत्र पर विचार करने का अनुरोध किया है।

मामलों के शीघ्र निपटान के लिए मंत्रालय ने जहां अधिक मामले लम्बित हैं, दिनांक 5.1.99 के अ. शा. पत्र के माध्यम से राज्यों के मुख्य मंत्रियों से विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर शिक्षा

3935. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर प्रदान करने का है;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी कम्प्यूटर संस्थान हैं;

(ग) कितने नये कम्प्यूटर संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले और अन्य भागों में क्षेत्रीय इंजिनियरिंग कालेजों की तरह कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की शिक्षा के लिए व्यावसायिक कालेज खोलने पर विचार करेगी;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इनसे कितने छात्र लाभान्वित होंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा देश के अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण योजना (ईजीटीएस) हैं। इस योजना का समग्र उद्देश्य पूर्वोत्तर तथा अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को पूरा करने के प्रयोजन से शिक्षित युवओं को ''रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण'' उपलब्ध कराने में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का उपयोग करना है।

(ख) केन्द्र सरकार के अन्तर्गत देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत नया कम्प्यूटर संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुरूत्वीय तरंगें

3936. श्री सी. कप्पुसामी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने वायुमण्डल में गुरूत्वीय तरंगों का अध्ययन करने के लिए गहन वैज्ञानिक अभियान प्रारंभ किया है जिसमें ध्वनि-राकेट 'रोहिणी' शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ग) इस भू-अवलोकन और अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस अध्ययन पर कितनी राशि खर्च हुई है और इसका लागत-लाभ अनुपात कितना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) इस अभियान के उद्देश्य निम्न प्रकार है:

(1) वायुमण्डल के क्षोभमण्डल और मध्यमण्डल क्षेत्रों में 2 से 70 कि.मी. की रेंज की ऊंचाईयों के लिए वायुमण्डलीय पवनों और तापमानों में भूमध्यरेखीय तरंगों का संरेखण करना।

(2) उपर्युक्त ऊंचाई की रेंज में इन भूमध्यरेखीय तरंगों के ऊर्ध्वाधर संवेग अभिवाहों का आकलन करना।

(ग) भू- आधारित पर्यवेक्षणों में राष्ट्रीय एम. एस. टी. राडार सुविधा, गादंकी से प्रकाश संसूचन और सर्वेक्षण प्रणाली (लिडार) तथा मध्यमण्डल, समतापण्डल और क्षोभमण्डल राडार का परिचालन करना शामिल है।

भू-आधारित पर्यवेक्षणों के साथ-साथ राकेट और बेलून परीक्षणों की शृंखलाओं से एकत्रित पवन तापमान और सम्बद्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि मध्यमण्डलीय ऊंचाईयों तक वायुमण्डल के माध्यम से संवेग अभिवाहों के विविध चरणों के संचरण के परिकलन तथा भूमध्यरेखीय तरंगों के विशिष्टीकरण का निर्धारण किया जा सके।

(घ) राकेट और बेलून प्रमोचनों तथा भू-आधारित परीक्षणों के परिचालन की लागत लगभग 65 लाख रुपये तक हो जाती है। इनके परिणाम ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वायुमण्डलीय माडलों के वैधीकरण के लिए अत्यन्त मूल्यावान हैं, जोकि निम्न-वायुमण्डलीय मौसम तथा जलवायु और मध्य/ऊपरी वायुमण्डलीय परिघटनाओं के बीच विविध संबंधों के बारे में हमारी जानकारी को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

3937. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक विशिष्ट योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों को किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का निर्धारण किया गया है तथा निर्धारित आरक्षण के अनुरूप ही नियोक्ताओं को पद भरने होंगे।

[अनुवाद]

प्रादेशिक योजना बोर्ड

3938. श्री विष्णु पद राय: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रादेशिक योजना बोर्ड गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड का क्षेत्र और कार्य क्या होंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भण्डार द्वारा खरीदी गई वस्तुएं/वस्तुएं सप्लाई करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए निर्धारित मानदंड

3939. श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री चन्द्र नाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय भण्डार में वस्तुओं की खरीद और आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय भण्डार के अधिकारियों द्वारा उक्त मानदंडों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए;

(ङ) सरकार द्वारा चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) उन नियमों/मानदंडों का ब्यौरा क्या है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय भण्डार में पंजीकृत किसी आपूर्तिकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा की जाने वाली आपूर्ति को बन्द करके कार्रवाई की जा सकती है;

(छ) क्या केन्द्रीय भंडार को विविध सामग्री की आपूर्ति करने वाले अनेक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश नहीं दिए जा रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) उपभोक्ता सहकारी समिति के रूप में केन्द्रीय भण्डार अपने अनुभव और सरकारी विभागों सहित अपने ग्राहकों की मांग के आधार पर बनाए गए अपने ही मानदंडों का निर्वाह करता हैं। उपभोक्ता पदों का चयन, भिन्न-भिन्न मदों से संबंधित खरीद-समितियों के माध्यम से मांग का मूल्यांकन करके किया जाता है। ये वस्तुएं केन्द्रीय भण्डार के विनिदेशों के अनुरूप होती है। जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के विनिर्देशों से ज्यादा कड़े हैं तथा ये वस्तुएं उच्चतर विनिर्देशों (मानकों) से जुड़े प्रयोगशाला परीक्षणों के अध्यधीन होती हैं। जहां तक ब्रैंड नाम वाले मदों का सम्बन्ध है, उत्पाद की लोकप्रियता, उसकी बिक्री की सम्भावना तथा उसकी बाजार में चल रही दर का पता लगाने की दृष्टि से बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) केन्द्रीय भण्डार के पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वस्तुओं की आपूर्ति पारस्परिक रूप से तय किए, विनिर्देशों/नमूनों, सामान की सुपुर्दगी की अवधि तथा अन्य शर्तों के अनुसार करें। इन सभी अपेक्षाओं का निर्वाह नहीं किए जाने की स्थिति में केन्द्रीय भण्डार को अपने आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध, कार्रवाई करने का अधिकार है जिसमें आपूर्ति की जब्ती, कुछ समय के लिए आपूर्ति बन्द कर देना, आपूर्ति पर रोक लगाना इत्यादि शामिल है। पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं से दालें खरीदने की दृष्टि से दालों की गुणवत्ता बनाए रखने के प्रयोजन से गुणवत्ता-नियंत्रण हेतु दरजा-निर्धारण (रेटिंग) प्रणाली शुरू की गई है। घटिया दरजे की वस्तुओं के आपूर्तिकर्त्ताओं को अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने की चेतावनी दी जाती है।

(छ) और (ज) जी, हां। जब कभी किसी आपूर्तिकर्त्ता की पेशकश, केन्द्रीय भण्डार की निविदा-जांच-पड़ताल अर्थात विनिर्देशों, सामान की आपूर्ति की समय सीमा, भुगतान की शर्तों, पिछले कार्य-निष्पादन, बिक्री की सम्भावना इत्यादि से जुड़े मानदण्डों के अनुरूप नहीं होती है, तब ऐसे आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति का आदेश नहीं दिया जाता।

कैगा परमाणु विद्युत परियोजना

3940. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

(ग) क्या इस परियोजना के पूरा होने में हो रहे विलम्ब के कारण लागत में कोई वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) परियोजना के क ब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब मुख्यत: मई 1999 में यूनिट-1 के रिएक्टर गुम्बद की परत के गिर जाने की घटना की वजह से हुआ था तथापि, इस परियोजना का दूसरा यूनिट अब पूरा कर लिया गया है और उसने 16.3.2000 से वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरू कर दिया है। यूनिट-1 की क्रांतिकता प्राप्त करने की प्रत्याशित तारीख सितम्बर, 2000 है।

(ग) और (घ) 2275 करोड़ रुपये की अंतिम अनुमोदित लागत में 621 करोड़ रुपये की वृद्धि, मुख्यत: निर्माण के दौरान

लगने वाले ब्याज और मूल्यवृद्धि तथा निर्धारित से अधिक समय लगने के कारण हुए उपरिव्यय की वजह से हुई है।

(ङ) यूनिट-2 पूरा किया जा चुका है और उसने 16.3.2000 से वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन शुरू कर दिया है यूनिट-1 की क्रांतिकता प्राप्त करने की प्रत्याशित तारीख सितम्बर, 2000 है।

सरदार सरोवर बांध

3941. श्री दिलीप संघाणी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरदार सरोवर बांध का कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस रुकावट के परिणामस्वरूप कितना वित्तीय घाटा हुआ और

(घ) इस परियोजना के कार्य को पुन: आरंभ करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) वर्ष 1994 में उच्चतम न्यायालय में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा दायर सिविल रिट याचिका के कारण बांध के अवरुद्ध निर्माण कार्य के अतिरिक्त सरदार सरोवर परियोजना के विभिन्न घटकों का कार्य प्रगति पर है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 5.5.1995 के अंतरिम आदेश में 81.5 मीटर जलाशय स्तर पर बाँध की प्रभावी ऊंचाई कायम रखने का निर्देश दिया है। तथा 18.2.99 को बाँध की सुरक्षा के लिए अपेक्षित हम्पों को छोड़कर 85 मीटर आर.एल. तक बाँध की ऊंचाई उठाने की अनुमति दी है।

(ग) और (घ) बाँध की ऊंचाई को और अधिक बढ़ाने संबंधी यह मामला इस समय माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है। बाँध के निर्माण में बिलम्ब होने के कारण होने वाली क्षति का अनुमान लगाने के लिए एक निश्चित निर्माण कार्यक्रम आवश्यक है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्ति

3942. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बेरोजगार विकलांग युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का है;

(ग) यदि हां, तो कब से और इसकी राशि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों (रोजगार चाहने वाले विकलांग व्यक्तियों सहित) को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है, मांग की पूर्ति करने हेतु संसाधनों का अभाव इसका एक महत्वपूर्ण कारण है।

[अनुवाद]

तिलहनों के उत्पादन में कमी

3943. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 2000 के 'द बिजनेस स्टैन्डर्ड' में "एडिबल ऑयल प्रोडक्शन पर्सन्टेज फॉलिंग 13%" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या चालू रबी मौसम के दौरान विभिन्न राज्यों में तिलहन उत्पादन क्षेत्र भी कम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तिलहन उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1998-99 के दौरान तिलहन उत्पादन 252.10 लाख मी. टन था जबकि वर्ष

1999-2000 के दौरान 215.39 लाख मी. टन उत्पादन का ही अनुमान है, जो कि उत्पादन में 14.56% की गिरावट है।

(ग) और (घ) रबी 1999 मौसम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में कम वर्षा के कारण वर्तमान रबी मौसम में तिलहन के तहत क्षेत्र घटकर 4.86 लाख हैक्टेयर रह गया है। रबी मौसम 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान तिलहन के तहत क्षेत्र का विवरण संलग्न में है।

(ङ) देश में तिलहन का क्षेत्र तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 राज्यों के 395 चयनित जिलों को शामिल करने वाला एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जारी है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनीकिटों, स्प्रिंकलर सैटों, फार्म उपकरणों का वितरण जिप्सम/पाइराइट्स, गौण पौषक तत्वों, रिजोबियम कल्चर आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, उन्नत उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए किसानों के खेतों पर अग्रणी तथा सामान्य प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 रबी मौसमों के दौरान तिलहन के तहत राज्यवार क्षेत्र इंगित करने वाला विवरण

1000 हैक्टे. क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	601.2	542.0
2.	अरूणाचल प्रदेश	20.6	--
3.	असम	299.0	329.0
4.	बिहार	177.1	181.0
5.	गोवा	1.0	--
6.	गुजरात	465.0	462.0
7.	हरियाणा	554.0	530.0
8.	हिमाचल प्रदेश	13.7	14.0
9.	जम्मू और कश्मीर	63.8	64.0
10.	कर्नाटक	954.5	946.0
11.	मध्य प्रदेश	1092.6	1100.0
12.	महाराष्ट्र	822.0	794.0
13.	मणिपुर	1.4	--
14.	मेघालय	6.9	--
15.	मिजोरम	2.2	.--
16.	नागलैंड	17.2	--
17.	उड़ीसा	100.4	99.0
18.	पंजाब	158.3	99.0
19.	राजस्थान	3011.3	2950.0
20.	सिक्किम	5.7	--
21.	तमिलनाडु	307.2	385.0
22.	त्रिपुरा	3.8	--
23.	उत्तर प्रदेश	1274.8	1247.0
24.	पश्चिम बंगाल	380.2	346.0
25.	अन्य	4.8	65.0
	अखिल भारत	10338.7	9853.0

खरीफ की फसल का उत्पादन

3944. श्री जी. जे. जावीया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खरीफ की फसल के उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो खरीफ की फसल के उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष किस राज्य को सहायता अनुदान प्रदान किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सहायता अनुदान वास्तव में किसानों को पहुंचे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान खरीफ की फसलों के उत्पादन के लिए निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

	मात्रा (मिलियन मीटरी टन)
चावल	76.3
मोटा अनाज	17.1
मक्का	10.0
दलहन	6.0
कुल खाद्यान्न	109.4
तिलहन	16.5
कपास	14.5*
पटसन तथा मेस्ता	10.0**

*170.-170 कि. ग्रा. की मिलीयन गांठे
**80-180 कि. ग्रा. की मिलीयन गांठें

(ग) संबंधित राज्य में उगाई जा रही फसल एवं स्कीम में सहभागिता के आधार पर सभी राज्यों को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा हैं।

(घ) इस विभाग द्वारा राज्यों में प्लान स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित व्यवस्था है। इनके लिये आवधिक लेखा परीक्षा तथा उनके अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने की शर्तें रखी गई हैं।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

3945. श्री चैको: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों तथा पासपोर्ट आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रों की राज्यवार और स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोयम्बूटर में नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) देश में 28 पासपोर्ट कार्यालय तथा 16 पासपोर्ट आवेदन संग्रह केन्द्र हैं। उनकी राज्य-वार अवस्थिति इस प्रकार है:-

राज्य	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय	संग्रह केन्द्र
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद पासपोर्ट कार्यालय, विशाखापट्टनम	तिरूपति विजयवाडा
असम	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुवाहटी	
बिहार	पासपोर्ट कार्यालय पटना	दरभंगा रांची
चण्डीगढ़	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चण्डीगढ़	
दिल्ली	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली	
गोवा	पासपोर्ट कार्यालय, गोवा	
गुजरात	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय अहमदाबाद	सूरत
हिमाचल प्रदेश	कोई नहीं	
जम्मू तथा कश्मीर	पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू पासपोर्ट कार्यालय, श्रीनगर	
कर्नाटक	पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर	बंगलौर

1	2	3
केरल	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोचीन पासपोर्ट कार्यालय, कोजीकोड पासपोर्ट कार्यालय, त्रिवेन्द्रम	
महाराष्ट्र	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई पासपोर्ट कार्यालय, नागपुर पासपोर्ट कार्यालय, पुणे पासपोर्ट कार्यालय, ठाणे	औरंगाबाद
मणिपुर	कोई नहीं	इम्फाल
मध्य प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय भोपाल	
मेघालय	कोई नहीं	शिलांग
मिजोरम	कोई नहीं	ऐजवाल
नागालैंड	कोई नहीं	कोहिमा
उड़ीसा	पासपोर्ट कार्यालय, भुवनेश्वर	
पंजाब	पासपोर्ट कार्यालय, जालन्धर	अमृतसर
राजस्थान	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर	
सिक्किम	कोई नहीं	गंगटोक
तमिलनाडु	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चेन्नई पासपोर्ट कार्यालय, तिरूचिरापल्ली	मदुरई
त्रिपुरा	कोई नहीं	अगरतल्ला
उत्तर प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ पासपोर्ट कार्यालय, बरेली पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद	
पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कलकत्ता	

(ख) इस समय कोयम्बटूर में नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोयम्बटूर और उसके आस-पास के क्षेत्रों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की प्रति वर्ष औसत संख्या 23074 है। नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना कतिपय मानदण्डों से प्रशासित होता है। जैसे मौजूदा कार्यालयों की अवस्थिति, क्षेत्र विशेष से प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा विदेश मंत्रालय से संम्बद्ध संसद की स्थायी समिति की यह सिफारिश कि जहां नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना है। उस क्षेत्र से कम से कम 50,000 आवेदन प्रति वर्ष प्राप्त होना। इसे देखते हुए फिलहाल कोयम्बटूर नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार नहीं किया जा रहा

बी.सी.आर.डी.एफ. का ज्ञापन

3946. मोहम्मद अनवारुल हक:
श्री रामप्रसाद सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पशु संसाधन विकास प्रतिष्ठान ने अगस्त, 1999 में पशुओं और भैंस की संकर नस्ल के संबंध में केन्द्र सरकार को ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ज्ञापन पर क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) ज्ञापन में प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं (1) वर्ण संकर को अगले 10-15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से हटाना, (2) सभी वर्ष संकर गोपशु फार्मों को स्वदेशी नस्लों के फार्म के रूप में बदलना, (3) स्वदेशी गोपशु नस्लों के प्रजनन के लिए गोशालाओं का एकीकरण और इस प्रकार के कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना (4) किसानों को स्वदेशी नस्लों के लाभों के बारे में शिक्षित करना (5) भारवाही शक्ति का संवर्धन गोबर और मूत्र, आदि का इस्तेमाल।

(ग) उक्त में से अन्तिम सुझाव इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शेष सुझाव राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना की प्रस्तावित नौवीं योजनागत स्कीम के अनुरूप हैं। जिसमें दूध की बढ़ती मांग, भारवाही शक्ति की आवश्यकता तथा स्वदेशी नस्लों के परिरक्षण की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

3947. श्री भालचन्द्र यादव : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल कितने इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई नए कदन उठाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राव): (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 26.48 एम.टी. होने का अन्तिम रूप से अनुमान लगाया गया है।

(ख) से (घ) इस्पात उद्योग के उदारीकरण के पश्चात सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उत्पादक मांग प्रक्षेपणों के आधार पर अपने इस्पात उत्पादन की योजना बनाते हैं।

कृषि सूचना प्रौद्योगिकी

3948. श्री रामपाल सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और कृषि-क्षेत्र में उसके महत्वपूर्ण भूमिका होने के दृष्टिकोण से आधुनिक कृषि कार्य में उसके अनुप्रयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) कृषि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अलग से कोई स्कीमें तैयार नहीं की गयी हैं। हालांकि निम्नलिखित स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं: यथा:-

1. कृषि अनुसंधान सूचना प्रणाली ए. आर. आई. एस. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलायी जा रही है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी प्रमुख अनुसंधान केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केन्द्रों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गयी हैं। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसके तहत देश भर में कम्प्यूटरों, नेटवर्क उपकरणों, दूरसंचार आदि के प्रयोग के माध्यम से कृषि अनुसंधान शिक्षा और विस्तार के क्षेत्र में सूचना का आदान-प्रदान किया जाता है। इस समय 235 ए आर आई एस है तथा नवीं योजना के अवधि के अन्त तक कुल लगभग 832 ए आर आई एस केन्द्र स्थापित कर दिये जायेंगे। तथा ए. आर. आई. एस. प्रणाली से किसानों में कृषि अनुसंधान एवं विस्तार से सम्बन्धित आधुनिकतम जानकारी का तेजी से प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

2. एन.ए.टी.पी.के.आई.टी.डी. घटक (इन्प्रोवेशन इन टेक्नालाजी डिस्सेमिनेशन) के अंतर्गत 6 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पंजाब के 24 जिलों में इस परियोजना के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त रूप से कम्प्यूटर की व्यवस्था करने की संकल्पना की गई है। कृषक सूचना एवं सलाहकार केन्द्र (एफ. आई. ए. सी.) के ब्लाक स्तरीय संस्थानों और जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेन्सियों (ए. टी. एम. ए.) में कम्प्यूटरों की व्यवस्था होने से किसानों में

ृषि संबंधी अद्यतन प्रौद्योगिकी का तेजी से प्रचार-प्रसार हो केगा।

3. नवीं योजना अवधि के राष्ट्रीय कृषि सूचना केन्द्रों के ख्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण से संबंधित एक केन्द्रीय ायोजित स्कीम चलायी जा रही है और पूर्व चेतावनी सूचना णाली (अर्लीवर्निंग सिस्टम) का प्रयोग किया जा रहा है।

अनुवाद]

गोल्डन हैन्डशेक स्कीम

3949. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गोल्डन न्डशेक स्कीम का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य ंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक र प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य ी (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के नियम (क) के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी 20 वर्ष की क सेवा पूरी कर लेने पर किसी भी समय स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति सकता है। इस नियम के अंतर्गत स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने ा कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक 5 वर्ष की क सेवा का लाभ इस शर्त के अध्यधीन प्राप्त करने का हकदार ा है कि उसकी कुल अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक नहीं हो । अधिकतम 5 वर्ष की अर्हक सेवा से संबंधित लाभ का शुमार के उसकी कुल अर्हक सेवा उसकी (सरकारी कर्मचारी की) वर्धिता की तारीख से आगे नहीं चली जाए। मौजूदा स्वैच्छिक निवृत्ति-योजना, उपर्युक्त अपेक्षाएं उपयुक्ततः पूरी करती है।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना

3950. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कुछ नए बड़े, मझौले और लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में अलग-अलग राज्यवार कितने संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार "लोहा और इस्पात उद्योग" को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रवाधानों से भी छूट दे दी गई है। अत: स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों को छोड़कर लोहा और इस्पात उत्पादन/प्रकमण सुविधाएं स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस अपेक्षित नहीं है। इसलिए उद्यमी अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर देश में कहीं भी इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय देश में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आई.ए.एस./आई.पी.एस./आई.एफ.एस. अधिकारी

3951. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में तथा विदेशों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से महिला अधिकारियों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ग) इनमें सामान्य श्रेणी, अनु. जाति, अनु. जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की संख्या पृथक-पृथक कितनी है; और

(घ) इन सेवाओं में प्रत्येक वर्ष कितनी नई नियुक्तियां की जाती हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इन सेवाओं अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) भारतीय पुलिस-सेवा (भा.पु.से.) और भारतीय विदेश-सेवा (भा.वि.से.) के देश और विदेशों में कार्यरत अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.वि.से.
भारत में कार्यरत	5111	3163	432
विदेशों में कार्यरत	86	56	177
कुल	5197	3219	609

(ख) इस समय कार्यरत उपर्युक्त सेवाओं की महिला अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.वि.से.
538	108	72

(ग) विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उपर्युक्त सेवाओं के अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

	*भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.वि.से.
सामान्य	3281	2325	421
अनुसूचित जातियों के	551	417	127
अनुसूचित जनजातियों के	261	227	44
अन्य पिछड़े वर्गों के	107	250	17

*इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त 997 अधिकारी हैं। जिनकी श्रेणी का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान, उपर्युक्त सेवाओं में की गई नई नियुक्तियों की संख्या निम्नानुसार है:-

(1) उपर्युक्त सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किए गए अधिकारियों की संख्या

परीक्षा का वर्ष	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.वि.से.
1996	76	91	14
1997	55	80	16
1998	55	34	10

(2) उपर्युक्त सेवाओं में प्रतियोगी पदोन्नति/चयन द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या

भर्ती का वर्ष	भा.प्र.से.	भा.पु.से.	भा.वि.से.
1996-97	202	79	-
1998	62	39	-
1999	82	51	-

[अनुवाद]

तालिबान अधिकारियों को धन का भुगतान

3952. डॉ. नीतिश सेनगुप्ता: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कंधार में आई. ए. सी. विमान के रुकने के दौरान पार्किंग प्रभारों, खान-पान के मूल्यों आदि के लिए काफी बड़ी राशि का भुगतान किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, तालिबान ने कन्धार में अपहरण हुए इण्डियन एअरलाइन्स के विमान आई.सी. 814 के लिए दिए गए भोजन, ईंधन और अन्य सेवाओं के लिए 1,11,324 अमरीकी डालर के बिल भेजे हैं। सरकार ने तालिबान के विरुद्ध लगाए प्रतिबन्धों से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प सं. 1267 के अन्तर्गत यह मामला संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति को भेजा है।

[हिन्दी]

सॉफ्टवेयर पार्क

3953. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक-पृथक कितनी वित्तीय सहायता मांगी और मंजूर की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर मध्य प्रदेश में, इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर प्रौद्यागिकी-पार्क स्थापित करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ङ) इन्दौर में द्रुतगति डेटा संचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक एक संस्था के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जो ग्वालियर और भोपाल में नोड उपलब्ध कराएगी। शेष क्षेत्रों को, जहां भी उपलब्ध हो प्रकाशित तन्तुओं से जोड़ा जा सकता है। द्रुतगति डेटा संचार चालू होने पर इन्दौर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क शरू हो जाएगा।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ नियंत्रण

3954. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:**
श्रीमती कान्ति सिंह:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री विजय हान्दिक :
श्री शीशराम सिंह रवि :
श्री राशिद अलवी:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई भाग गंगा, ह्मपुत्र तथा बागमती नदी की बाढ़ और जल जमाव से अत्यधिक भावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त राज्यों में गत तीन वर्षों के ौरान इस नियमित बाढ़ को नियंत्रित करने हेतु क्या दीर्घावधि और ल्पावधि के उपाय किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष ज्यवार कितनी धनराशि की मांग की गई है तथा केन्द्र सरकार ारा राज्य सरकारों को इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि जारी की ई है;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से बाढ़ नियंत्रण के बंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इन पर क्या निर्णय लिए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जी, हां। असम, बिहार और उत्तर प्रदेश के अनेक हिस्से ब्रह्मपुत्र और गंगा तथा उनकी सहायता नदियों द्वारा होने वाली बाढ़ आयोग की रिपोर्टों के अनुसार असम, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में क्रमश: 3.15 मिलियन हेक्टे., 4.26 मिलियन हेक्ट. और 7.34 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आने की संभावना रहती है। असम राज्य में जल निकास संकुलता वाले 30 स्थानों को अभिज्ञात किया गया है। बिहार में कोसी और गंडक कमान तथा मोकामा तल क्षेत्र गंभीर जल निकास संकुलता वाले क्षेत्र हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी जल निकास संकुलता होती है।

(ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपायों का निष्पादन राज्यों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजना आयोग द्वारा आबंटित अपनी योजना निधि से किया जाता है। केन्द्र सरकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार राज्यों द्वारा स्वीकृति के लिए स्कीमें भेजे जाने पर तकनीकी सलाह देती है और उनका मूल्यांकन करती है। भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन के लिए व्यापक मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की है। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा तैयार की गयी मास्टर योजनाएं कार्यान्वयन के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश सहित संबंधित गंगा बेसिन राज्यों को भेजी गई है। इसी प्रकार भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार करने के वास्ते वर्ष 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर योजनाएं कार्यान्वयन के लिए असम सहित बेसिन राज्यों को भेजी गई हैं। इन सभी मास्टर योजनाओं में बाढ़ नियंत्रण के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों की सिफारिशें हैं। वर्ष 1998 में, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में मानसून के दौरान आई गंभीर बाढ़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के अनुरोध पर भारत सरकार ने इन राज्यों में जोखिमपूर्ण क्षेत्रों की पर्याप्त सुरक्षा और कार्यान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के वास्ते नवंबर, 1998 में अध्यक्ष गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रतिनिधि इस दल के सदस्य हैं। कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट स्कीमों पर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को उनके कार्यान्वयन के कार्यक्रम संबंधी सुझावों सहित पहले ही संबंधित राज्यों को भेजा जा चुका है। राज्यों को सुझाए गए उपायों को शीघ्रता से कार्यान्वित करना है।

केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार को बिहार में लाल बकिया नदी के तटबंध को ऊंचा उठाने और उसे सुदृढ़ करने के लिए 1.8 करोड़ रुपये और नेपाल में कोसी नदी

के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण के लिए 8.85 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। नेपाल में गंडक नदी के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को 0.93 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ प्रबंधन के लिए असम सरकार को केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 51 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान बाढ़ नियंत्रण उस क्षेत्र में योजना आयोग द्वारा असम, बिहार और उत्तर प्रदेश को जारी की गई निधियों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) असम, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों से बाढ़ नियंत्रण के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों (अर्थात 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) के दौरान तकनीकी परीक्षण के वास्ते प्राप्त प्रस्तावों की संख्या क्रमश: 131, 79 एवं 9 है जिसमें से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रमश: 73, शून्य एवं 2 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

विवरण

असम, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लिए गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के वास्ते वार्षिक प्रस्तावित परिव्यय एवं अनुमोदित परिव्यय का विवरण

करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्य का नाम	1997-98		1998-99		1999-2000	
		प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय
1.	असम	19.92	21.42	लागू नहीं	20.27	27.57	27.57
2.	बिहार	42.28	44.00	55.00	43.00	110.00	110.00
3.	उत्तर प्रदेश	18.15	27.00	50.00	45.90	23.53	23.53

मवेशियों के लिए पेजजल

3955. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान के 12 रेगिस्तानी जिलों में प्रत्येक पशु के लिए पेयजल सहित प्रतिदिन 70 यूनिट जल प्रदान करने संबंधी योजना को स्वीकृत करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है और राज्य के सभी जिलों को ये सुविधाएं मुहैया न करने का क्या कारण है; और

(ग) सरकार का विचार राज्य के सभी जिलों में पशुधन के लिए पेयजल की मांग को किस प्रकार पूरा करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत वैयक्तिक जल आपूर्ति योजनाओं के आयोजन तथा क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करती है। इन मानदंडों में आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक तथा राजस्थान राज्यों में पहले से अभिज्ञात 36 डी डी पी जिलों के 227 अंचलों में गर्म तथा ठंडी मरू भूमि/पारिस्थितिक प्रणालियों में पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति पशु प्रतिदिन की व्यवस्था है।

(ख) और (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना के लिए 1999-2000 के दौरान राजस्थान को 36.52 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। कुल 104066 ग्राम्य बासियों में से, 6543 ग्राम्य बासियों को पूर्ण रूप से शामिल किया गया है, 35577 को इस योजना के तहत आंशिक रूप से शामिल किया गया है।

निजी कम्पनियों में आरक्षण

3956. श्री रामदास आठवले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार, सरकारी या उन निजी कम्पनियों ं जिनमें सरकार की आंशिक भागीदारी है, अनुसूचित जातियों और नुसूचित जनजातियों को आरक्षण उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, ा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में माननीय संसद दस्यों और अन्य सामाजिक संगठनों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए ; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए ाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम न्द्र सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा तैयार आरक्षण ीति का पालन करते हैं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित ानजातियों को आरक्षण प्रदान करते हैं। निजी कम्पनियों में आरक्षण ा कोई प्रावधान नहीं है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रोत्साहन

3957. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री सुकदेव पासवान:
श्री अरुण कुमार :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने ी कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग देश के ग्रामीण क्षेत्रों ं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिसम्बर, 1999 के अंत तक आयोग द्वारा प्रदान किए गये प्रोत्साहन से कौन-कौन से राज्यों में कुटीर उद्योगों की इकाइयां स्थापित की गयी हैं और स्थापित किये गये ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है;

(घ) इन कुटीर औद्योगिक इकाइयों में नियोजित लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है;और

(ङ) रुग्ण कुटीर उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर परियोजना लागत की 25% दर से राज सहायता दी जाती है। (अनु.जा./अनु ज. जा./अन्य पिछड़े वर्ग/ महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों और अल्प समुदाय लाभार्थियों/संस्थानों एवं पहाड़ी सीमा क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के मामलों में यह 30% है। 10 लाख रुपये से अधिक किंतु 25 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर परियोजना लागत की 10% अतिरिक्त राजसहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देता है। इन कुटीर उद्योगों में रोजगार में लगे हुए लोगों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण पर है।

(ङ) रुग्ण कुटीर उद्योगों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है?

विवरण

राज्य-वार रोजगार-1998-99

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	खादी	ग्रामोद्योग आयोग	योग
	2	3	4	5
	आन्ध्र प्रदेश	0.33	3.26	3.59
	अरूणाचल प्रदेश	*	*	*

1	2	3	4	5
3.	असम	0.27	0.98	1.25
4.	बिहार	2.54	1.26	3.80
5.	गोवा	0	0.05	0.05
6.	गुजरात	0.46	0.55	1.01
7.	हरियाणा	0.52	0.39	.091
8.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.69	0.83
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.35	0.88	1.23
10.	कर्नाटक	0.46	1.96	2.42
11.	केरल	0.15	1.93	2.08
12.	मध्य प्रदेश	0.14	1.15	1.29
13.	महाराष्ट्र	0.18	4.47	4.65
14.	मणिपुर	*	0.42	0.42
15.	मेघालय	*	0.11	0.11
16.	मिजोरम	0	0.15	0.15
17.	नागालैंड	*	0.19	0.19
18.	उड़ीसा	0.03	1.95	1.98
19.	पंजाब	0.77	0.96	1.73
20.	राजस्थान	1.04	3.29	4.33
21.	सिक्किम	*	0.06	0.06
22.	तमिलनाडु	0.62	10.54	11.16
23.	त्रिपुरा	0	0.23	0.23
24.	उत्तर प्रदेश	5.18	5.33	10.51
25.	पश्चिम बंगाल	0.63	3.42	4.05
	योग-I	13.81	44.22	58.03
संघ शासित प्रदेश				
26.	अण्मान एवं निकोबार	0	*	*
27.	चंडीगढ़	0	0.03	0.03

2	3	4	5
. दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
. दमन एवं दीव	0	0	0
. दिल्ली	0.03	0.15	0.18
. लक्षद्वीप	0	*	*
. पांडिचेरी	0.01	0.04	0.05
योग II	0.04	0.22	0.26
कुल योग I+II	13.85	44.44	58.29

00 से कम

अनुवाद]

लघु उद्योग इकाइयों का बंद होना

3958. कुमारी उमा भारती :
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने ी कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी को देश में भारी संख्या में बंद पड़े लघु द्योग इकाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा बंद पड़ी काइयों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) बंद होने के कारण कितने कर्मचारियों की छंटनी की ई ;

(घ) सरकार द्वारा इन बंद पड़ी इकाइयों को पुन: चालू करने तु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा 1998 तक लघु द्योग आरक्षण के अंतर्गत उद्योगों को स्थापित करने संबंधी कौन-ौन से प्रस्ताव मंजूर किए गए ?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य ी; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक र प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, हां। लघु औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के मुख्य कारणों में ऋण अपर्याप्तता, विपणन समस्या, अपर्याप्त प्रबंधन, अनुपयोगी प्रौद्योगिकी इत्यादि हैं। भारतीय रिजर्व बैंक रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के डाटा का रखरखाव करता है। लेकिन बंद इकाइयों की नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित किए वर्तमान डाटा के अनुसार मार्च, 1999 के अंत में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 3,06,221 है। मार्च, 1998 के अंत तक राज्यवार रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों का डाटा संलग्न विवरण पर है। मार्च, 1999 के अंत तक राज्यवार रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों का डाटा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया गया है। लघु उद्योग इकाइयों के बंद होने के परिणामस्वरूप छंट गए कर्मचारियों की संख्या के डाटा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सरकार लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की प्रासंगिकता से पूरी तरह ग्रस्त है और संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान एवं पुनर्वास करने की सुविधा के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तर पर अंत: संस्थागत समिति के रूप में संस्थागत तंत्र, बैंक एवं राज्य वित्त संस्थानों में विशेष पुनर्वास प्रकोष्ठ तथा पात्र इकाइयों के लिए पुनर्वास सहायता का विस्तार किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त शामिल हैं।

(ङ) लघु उद्योग के लिए आरक्षित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए अगस्त, 1991 से दिसम्बर 1998 की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल 143 विदेशी सहयोग के अनुमोदनों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योगों का राज्य-वार डाटा

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च, 1998 के अंत तक
1	2
असम	15774
मेघालय	4076
मिजोरम	615
बिहार	24935
अरूणाचल प्रदेश	456
पश्चिम बंगाल	53617
नागलैंड	1386
मणिपुर	1919
उड़ीसा	1889
सिक्किम	33
त्रिपुरा	2011
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	45
उत्तर प्रदेश	14294
दिल्ली	3580
पंजाब	2376
हरियाणा	2149
चंडीगढ़	163
जम्मू एवं कश्मीर	1627
हिमाचल प्रदेश	735
राजस्थान	15655
गुजरात	6808
महाराष्ट्र	17925
दमन एवं दीव	5
गोवा	670
दादर एवं नगर हवेली	2
मध्य प्रदेश	8348
आन्ध्र प्रदेश	12074
कर्नाटक	6680
लक्षद्वीप	0
तमिलनाडु	12289
केरल	8969
पांडिचेरी	431
कुल	221536

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयोग

3959. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के अल्पसंख्यकों महिलाओं, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों मुख्यालय में जाने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का राज्य ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त आयोग अपने उद्देश्यों से भटक गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन सभी आयो को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनकी एक व्यापक समी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त आयोगों द्वारा सामाजिक, आर्थि और शैक्षिक असमानताएं दूर करने के लिए किए गए प्रयासों ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मं (श्रीमती मेनका गांधी): (क) भारत सरकार द्वारा राष्ट्री अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा व आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजा आयोग की उनके दिल्ली में मुख्यालयों सहित स्थापना/गठन त समूहों के हितों के संरक्षणार्थ किया गया था। इन आयोगों के सं संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ये राष्ट्रीय आयोग लक्ष्य समूहों के लिए नीति निर्माण ी निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक असमानताएं कम से कम हो, लक्ष्य मूहों के लिए अभिप्रेत विभिन्न योजनाओं के कार्य निष्पादन की ांच, मानीटर तथा मूल्यांकन करते हैं।

विवरण

. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
लोक नायक भवन,
खान मार्किट,
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन (जैसा कि दिनांक 21.1.2000 को अधिसूचित है)

ायमूर्ति मोहम्मद शमीम	–	अध्यक्ष
। तरलोचन सिंह	–	उपाध्यक्ष
. जनरल (सेवानिवृत्ति) ए.एम. सेठना	–	सदस्य
। टी. के लोचेन तुक्कू	–	सदस्य
। जॉन जोसेफ	–	सदस्य
। शमीम कासिम	–	सदस्य
। विजय कुमार दर	–	सदस्य

. राष्ट्री महिला आयोग,
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110 002

ायोग का गठन (जैसा कि 8.2.2000 को अधिसूचित है

श्रीमती विभा पार्थसारथी	–	अध्यक्ष
डॉ. सैदा एस. इमीम	–	सदस्य
श्रीमती विजय दक्ष	–	सदस्य
डा. पूर्णिमा अडवानी	–	सदस्य
श्रीमती के. शान्ता रेड्डी	–	सदस्य
कुमारी अनुसुइया उके	–	सदस्य

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग,
त्रिकूट-1, भीखाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली

आयोग का गठन (जैसा कि 6.4.2000 को अधिसूचित)

श्री एम.एस. मथारू	–	सदस्य
श्री सी टी बेंजामिन	–	सचिव (एन सी बी सी)
रिक्त पद	–	सदस्य-2
		अध्यक्ष-1

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग,
पांचवीं मंजिल, लोक नायक भवन,
नई दिल्ली

आयोग का गठन (जैसा कि 30.6.1999 को अधिसूचित है)

श्री दिलीप सिंह भूरिया	–	अध्यक्ष
श्री कामेश्वर पासवान	–	उपाध्यक्ष
श्रद्धेय लामा लोबजंग	–	सदस्य
श्री हरिन्दर खालसा	–	सदस्य
श्री छोटराय मांझी	–	सदस्य
श्री एम. कन्नन	–	सदस्य (उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। त्याग पत्र अभी स्वीकार नहीं हुआ है।)
श्रीमती वीणा नरुयर	–	सदस्य

शाखा कार्यालय

क्र.सं.	स्थान		अधिकार क्षेत्र
1	2		3
1.	अगरतला	–	त्रिपुरा
2.	अहमदाबाद	–	गुजरात, दादर और नगर हवेली
3.	बंगलूर	–	कर्नाटक
4.	भोपाल	–	मध्य प्रदेश
5.	भुवनेश्वर	–	उड़ीसा
6.	कलकत्ता	–	पश्चिम बंगाल, सिक्किम
7.	चंडीगढ़	–	पंजाब, हरियाणा, चडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश

1	2	3
8.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	जयपुर	राजस्थान
11.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
12.	मद्रास	तमिलनाडु, पांडिचेरी
13.	पटना	बिहार
14.	पूणे	महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीव
15.	शिलांग	मेघालय और मिजोरम
16.	तिरुवनन्तपूरम	केरल और लक्षद्वीप

[अनुवाद]

हानिकारक कीटनाशी दवाओं पर प्रतिबंध

3960. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री राजेश वर्मा :
डा. संजय पासवान :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हानिकारक रसायनों/कीटनाशी दवाओं की पहचान करा ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों के हितों की रक्षा करने हेतु कीटनाशी अधिनियम, 1968 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) कृमिनाशियों के निर्माण या आयात के लिए पंजीकरण कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन गठित पंजीकरण समिति द्वारा सुरक्षा एवं उनके प्रभाव संबंधी सभी संगत प्रतिमानों से संतुष्ट हो जाने पर ही किया जाता है। किसानों द्वारा उपयोग करते समय पंजीकृत कृमिनाशियों के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए समिति उनके खुराक, सुरक्षा अंतराल, इत्यादि के संबंध में वैधानिक दिशा-निर्देश भी तैयार करती है। सरकार द्वारा समय-समय पर गठित विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से कृमिनाशियों के, उनके मानव, पशु और पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के संदर्भ में, उपयोग को जारी रखने या न रखने संबंधी अन्य विषयों की समीक्षा भी की जाती है। इन समीक्षाओं के आधार पर संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 21 रासायनिक कृमिनाशियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(ग) और (घ) कीटनाशी अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2000 को चालू सत्र में लोक सभा में पेश किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर कड़े दण्ड, अदालती मामलों के शीघ्र निपटान और कृषक समुदाय को उत्तम कृमिनाशी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिनियम के कुछ प्रावधानें को अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

प्रतिबंधित कृमिनाशी

1. एल्ड्रिन
2. बेंजीन हेक्साक्लोराइड
3. कैल्सियम सायनाइड
4. क्लोरडेन
5. कॉपर एसिटोआर्सेनाइट
6. डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन
7. एन्ड्रिन
8. इथाइल मर्करी क्लोराइड
9. इथाइल पैसथियन
10. हेप्टाक्लोर
11. मेनाजोन
12. निकोटिन सल्फेट*
13. *नाइट्रोफेन*
14. पैराक्वेट डाइमिथाइल सल्फेट
15. पेन्टाक्लोरो नाइट्रोबेन्जीन
16. पेन्टाक्लोरोफेनोल

*भारत में इस कृमिनाशी का निर्माण मात्र निर्यात के लिए किया जाता है।

17. फेनाइल मर्करी एसीटेट

18. सोडियम मीथेन आर्सोनेट

19. टेट्राडिफोन

20. टोक्साफेन

21. मेथोमिल 24% फार्मूलेशन।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

3961. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उस न्यूनतम प्रेंशन राशि को ढ़ाने का है जिसकी वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों के मामलों में र भी विचार करने और उन्हें भी लाभ प्रदान करने का है जो स योजना की शुरूआत अर्थात् 1972 से लगातार इसमें अंशदान रते रहे किन्तु 1993 के बाद से सेवानिवृत्त हो गए; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव, जीवन-निर्वाह व्यय सूचकांक ो ध्यान में रखकर पेंशन की राशि को एक निश्चित अवधि श्चात् समीक्षा करते रहने का है, जैसाकि अन्य पेंशन योजनाओं ं किया जाता है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, 16.11.1995 से लागू ई। तदनुसार यह योजना 16.11.1995 को या उसके बाद रोजगार रहे व्यक्तियों पर लागू है। तथापि 1.4.1993 से 16.11.1995 दौरान सेवानिवृत्त या मृत होने वाले बन्द हो गई परिवार पेंशन जना, 1971 के सदस्य भी वैकल्पिक आधार पर नई योजना के यरे में पेंशन के लिये पात्र हैं।

(घ) कर्मचारी पेंशन योजना के अधीन वार्षिक आधार पर शन निधि के मूल्यांकन तथा पेंशन लाभ की समीक्षा करने का ावधान है। तदनुसार, प्रथम वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण करने पर 16.11.96 ो लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन पर 4% की वृद्धि की मंजूरी ी गई है। द्वितीय वार्षिक मूल्यांकन पूर्ण करने पर 1.4.1998 से पेंशनभोगियों को 5.5% की अतिरिक्त राहत मंजूर की गई है। कर्मचारी पेंशन योजना सीमित संसाधनों वाली अंशदायी योजना है। अतएव वास्तव में इस योजना को निर्वाह सूचकांक की लागत से जोड़कर असीमित देयता का बोझ रखना बीमांकन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची

3962. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री खारबेल स्वाइं :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में कुछ नई जातियों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नई जातियों के नाम क्या हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे;

(घ) क्या इन जातियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर शामिल किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त आयोग की कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें हैं;

(च) क्या सरकार का विचार केन्द्र की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में उड़ीसा के "खडायतों" को शामिल करने का है क्योंकि राज्य सरकार पहले ही ऐसा कर चुकी है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) हाल में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कुछ समावेश/संशोधन भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 241, दिनांक 27.10.1999 तथा संख्या 270 दिनांक 6.12.1999 के द्वारा किए गए हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग को शामिल करने संबंधी अनुरोधों की जांच करता है और सूची में किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने अथवा कम शामिल करने संबंधी शिकायतों को सुनता है तथा केन्द्र सरकार को पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पहलुओं

को शामिल करने वाले मानदंडों पर आधारित ऐसा सुझाव देता है जो यह उचित समझता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार आयोग का सुझाव सामान्यत: केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उड़ीसा के ''खंदायतों'' को अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया है तथा इसके शामिल करने संबंधी अनुरोध को अस्वीकार करने की सिफारिश की है।

नौकरियों में आरक्षण

3963. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण जनों हेतु अन्य पिछड़े वर्गों की सूची को बढ़ाया है;

(ख) क्या सरकार ने रक्षा, वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों और न्यायपालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण देने, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश को नामंजूर कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) हाल ही में भारत के राजपत्र के अधिसूचना संख्या 241 दिनांक 27.10.1999 तथा संख्या 270 दिनांक 6.12.1999 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में कुछ समावेश/संशोधन प्रकाशित किए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 8.9.1993 के अनुसार भारत सरकार ने सरकार के अंतर्गत सिविल पदों तथा सेवाओं में सीधी भर्ती में सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों (क्रीमी लेयर) को शामिल न करने की शर्त पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षणों का प्रावधान किया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 2.8 में यह बताया है कि रक्षा बलों, वैज्ञानिक स्थापनाओं, न्यायपालिका आदि में कोई आरक्षण नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्ष बाद जबकि पर्याप्त अर्हता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी उपलब्ध हैं तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को अवसर देने से इन्कार करते हुए इन क्षेत्रों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए कोई कारण आयोग को नहीं दिखाई देता है। इन्दिरा साहनी निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार सहित सभी पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार करना न तो उपयुक्त है और न उचित है।

अदरक का संवर्द्धन और प्रसंस्करण

3964. श्री पी.सी. थामस : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अदरक का कितना उत्पादन हुआ, कितने क्षेत्र में इसकी खेती की गई इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अदरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए कितनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है और क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अदरक का प्रसंस्करण व्यावसायिक आधार पर शुरू किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार केरल में इस तरह का कोई प्रसंस्करण इकाई खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान अदरक के वर्षवार उत्पादन और उसकी खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अदरक के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिये निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं:-

(1) उन्नत किस्मों के गुणवत्ताप्रद बीज राइजोम का उत्पादन

(2) किसानों के खेतों में प्रदर्शन एवं बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना

(3) उन्नत किस्मों के बीच मिनीकिटों का संवितरण

(4) पादप संरक्षण उपायों का प्रचार-प्रसार करना

(5) निर्यातोन्मुखी किस्मों के क्षेत्र का विस्तार करने को प्रोत्साहित करना।

(ग) जी, हां। अदरक के प्रमुख संसाधित उत्पाद हैं - सौंठ, अदरक का पाउडर, अदरक का तेल तथा जिंजर ओलियोरेसिन्स। इनका वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इस समय 33 ऐसी ईकाइयां हैं जिनमें अदरक सहित सभी मसालों के 15 हजार मीटरी टन तेल और ओलियोरेसिन्स का उत्पादन होता है।

(घ) और (ङ) केरल में ऐसी किसी ईकाई की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान अदरक का उत्पादन और इसकी खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
	क्षे. (.000 है.)	उत्पादन (.000 टन)	क्षे.(.000 है.)	उत्पादन (.000 टन)	क्षे.(.000 है.)	उत्पादन (.000 टन)
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	2.41	8.96	1.91	6.77	1.91	6.77
2. अरूणाचल प्रदेश	3.33	24.34	4.19	32.08	4.34	31.09
3. बिहार	0.79	1.13	0.63	0.89	0.71	0.98
4. गुजरात	0.56	2.24	0.65	7.60	1.19	4.76
5. हरियाणा	0.03	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01
6. हिमाचल प्रदेश	1.43	0.69	1.54	0.74	1.81	0.87
7. कर्नाटक	4.41	5.81	3.62	4.75	3.94	5.26
8. केरल	12.81	48.47	14.10	49.75	14.57	49.95
9. मध्य प्रदेश	3.70	5.36	4.01	5.34	3.86	5.57
0. महाराष्ट्र	1.06	1.01	1.24	1.19	1.27	1.21
1. मणिपुर	0.74	1.22	0.54	0.83	0.59	0.97
2. मेघालय	7.31	46.18	7.36	45.26	9.55	49.06
3. मिजोरम	4.37	21.79	4.48	22.18	4.10	20.50
4. नागालैंड	0.47	7.20	0.65	5.20	0.76	6.69
5. उड़ीसा	9.83	10.56	13.18	25.86	13.52	26.91
6. राजस्थान	0.28	1.09	0.32	0.65	0.30	0.42
7. सिक्किम	4.60	4.00	4.91	2.18	2.49	4.32
8. तमिलनाडु	0.60	14.50	0.58	18.22	0.60	19.01

1	2	3	4	5	6	7
19. त्रिपुरा	1.01	1.85	1.10	2.19	1.20	2.40
20. उत्तर प्रदेश	1.32	7.00	1.00	5.41	1.07	6.41
21. पश्चिम बंगाल	8.85	17.94	9.14	18.85	9.40	18.81
22. अ.नि. द्वीपसमूह	0.38	1.16	0.39	1.16	0.39	1.17
योग	70.29	232.51	75.57	252.11	77.61	261.17

विकलांग युवक

3965. श्रीमती निवेदिता माने : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात और महाराष्ट्र के रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग श्रेणी के कुल कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं;

(ख) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इन श्रेणियों के श्रेणीवार कितने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराये गए हैं;

(ग) क्या विकलांगों के लिए आरक्षित कोटा भर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार निर्धारण किया गया है तथा निर्धारित आरक्षण के अनुरूप ही नियोक्ताओं को पद भरने होंगे। रोजगार कार्यालय नियोक्ता से प्राप्त मांग के अनुसार रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के नामों को प्रायोजित करते हैं।

विवरण

गुजरात एवं महाराष्ट्र में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत एवं नियोजित व्यक्तियों की संख्या

(हजार में)

श्रेणी	31.12.1997 को चालू रजिस्टर पर संख्या		निम्न के दौरान रोजगार में नियोजित व्यक्तियों की संख्या			
			1996		1997	
	गुजरात	महाराष्ट्र	गुजरात	महाराष्ट्र	गुजरात	महाराष्ट्र
अनु. जाति	200.4	573.1	2.1	4.4	3.0	4.0
अनु. जनजाति	94.5	139.1	6.2	1.2	6.8	1.3
शारीरिक रूप से विकलांग	16.4	28.9	0.4	0.4	0.5	0.5

टिप्पणी : 1. रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों में यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों।
2. अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी संबंधी सूचना नहीं रखी जाती है।

असम में बाढ़

3966. श्री एम.के. सुब्बा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम और उसके अन्य निकटवर्ती इलाकों में प्रति र्ष ब्रह्मपुत्र नदी के कारण महाविनाशकारी बाढ़ आती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98, 1998-99 और चालू वर्ष क दौरान जान-माल, फसल और पशुधन तथा अन्य प्रकार का हुई ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार ारा उक्त प्रत्येक वर्ष क्या उपाय किए गए और गत तीन वर्षों के दौरान इन पर कितना खर्च हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) ब्रह्मापुत्र नदी प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में लोगों के जीवन एवं पारिस्थितिकी को प्रभावित करती है।

(ख) ब्यौरे संबंधी एक विवरण संलग्न है।

(ग) उपयुक्त कदम उठाना मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बहरहाल, भारत सरकार अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए असम सरकार को केन्द्रीय सहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य योजना के तहत खाद्य प्रबंध हेतु राज्य को दी गई सहायता इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
ाज्य योजना के तहत स्वीकृत परिव्यय	19.92	20.27	27.57
ल संसाधन मंत्रालय के बजट से केन्द्रीय सहायता	18.00	18.00	15.00

उपर्युक्त प्रदत्त धन से राज्य सरकार ने अल्पकालीन बाढ़ नियंत्रण उपाय किए हैं।

विवरण

असम में बाढ़ के कारण क्षति

र्ष	मृत व्यक्ति	घरों/झोपड़ियों को क्षति (सं.)	फसल क्षेत्र को क्षति (लाख है.)	पशु/पशुधन क्षति (सं.)	अन्य नुकसान
997-98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
998-99	105	30399	2.89	7814	शून्य
999-2000	3	126	1.06	शून्य	शून्य

कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की रणनीति

3967. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 2000 के 'दि न्दुस्तान टाइम्स' में "मुशर्रफ अरजेज ओ.आई.सी. टू एग्जर्ट प्रेशर ान इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया या है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) से (ग) पाकिस्तान स्वभावत: एवं नियमित रूप से ओ.आई.सी. मंच तथा इस संगठन के सदस्य राज्यों के साथ भारत

विरोधी संवेदनाओं को संवर्धित करने के लिए भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार में संलिप्त है। सरकार ने प्रभावी तौर पर एवं उपयुक्त तरीके से ओ.आई.सी. के सदस्य राज्यों सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के संबद्ध तथ्यों से अवगत कराया है। ओ.आई.सी. के सदस्य देशों सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बेहतर ढंग से जम्मू एवं कश्मीर तथा भारत में अन्यत्र पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को समझता है।

[हिन्दी]

भर्ती पर प्रतिबंध

3968. श्री उत्तमराव पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति के कब तक जारी रहने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सरकारी नौकरियों में भर्ती पर पूर्ण रोक लगाने के बारे में सरकार ने कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किए हैं। फिर भी, राजकोष का उपयोग सूझ-बूझ से किए जाने और किफायत बरती जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि से यह अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किए हैं कि रिक्त पदों को वित्त-मंत्रालय (व्यय-विभाग) के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा समीक्षा किए जाने तक नहीं भरा जाए। इन अनुदेशों की प्रति, इस अनुरोध सहित, सभी राज्य-सरकारों को भेज दी गई है कि वे भी ऐसे ही अनुदेश जारी करने के बारे में विचार करें।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को भूमि का वितरण

3969. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "अनुसूचित जाति/जनजाति के सांसदों के मंच" ने प्रधान मंत्री जी को 17.12.1996, 1.9.1997 और 23.7.1998 को भेजे गये अपने अभ्यावेदनों में नौवीं पंचवर्षीय योजना और आगामी योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजातियों के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में उनके विकास के लिए धनराशि के आवंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले (1997-98) दूसरे (1998-99) और तीसरी (1999-2000) वार्षिक योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए भूमि की खरीद और वितरण हेतु मांगी, आवंटित और वितरित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मांगों को पूरा न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां। फोरम द्वारा प्रधान मंत्री जी को सौंपे गये दिनांक 17.12.96, 1.9.97 और 23.7.98 के ज्ञापन में मांग की गयी थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में निधियों का आबंटन किया जाये।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग की पहली जिम्मेदारी कृषि उत्पादन को बनाये रखना है। विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के माध्यम से यह विभाग कृषि विकास को बढ़ावा दे रहा है, कृषि विस्तार और उसके समेकन के लिये मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी स्कीमों को सहायता दे रहा है, कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इन क्रियाकलापों से अनुसूचित जाति/जनजाति समेत सभी वर्गों के किसानों को लाभ पहुंचता है। चूंकि ये स्कीमें क्षेत्र विशिष्ट और उत्पादोन्मुखी हैं अत: अनुसूचित जातियों/जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर धन की मांग नहीं की जाती है। फिर भी जहां कहीं भी संभव होता है, वार्षिक योजनाओं में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिये जनजातीय उपयोजना चलायी जाती है।

[हिन्दी]

सिंचाई कोष की स्थापना

3970. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अरुण कुमार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिंचाई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 3,500 करोड़ की धनराशि से एक कोष स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ धन एकत्र करने हेतु स्रोतों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कोष में किन-किन मदों के अंतर्गत ऋण वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) देश में सिंचाई क्षेत्र को वित्तीय सहायता देने के लिए 3500 करोड़ रु. का एक कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। तथापि, योजना आबंटन की कमी को पूरा करने तथा अधिक से अधिक भूमि सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से भारत सरकार वर्ष 1996-97 से प्रारम्भ किए गए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत चल रही बकाया वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 1999-2000 से अद्यतन संशोधित वित्तीय पद्धति के अनुसार, विशेष श्रेणी राज्यों जिसमें पूर्वोत्तर राज्य, पहाड़ी राज्य-जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट जिलों को 3:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की जा रही है जबकि अन्य सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 2:1 है। अब तक विभिन्न राज्यों को 4026.14 करोड़ रु. की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई है जिसमें वृहद और मध्यम परियोजनाओं के लिए 3963.43 करोड़ रु. और लघु सिंचाई स्कीमों के लिए 62.71 करोड़ रु. शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 1995-96 में प्रारम्भ तथा नाबार्ड द्वारा संचालित ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के तहत वर्ष 1999-2000 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं और बाढ़ नियंत्रण सहित ग्रामीण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त देने के लिए आर.आई.डी.एफ.-5 के वास्ते बैंकिंग क्षेत्र से 3500 करोड़ रु. आबंटित किए गए थे। इन वर्ष 2000-01 के दौरान आर.आई.डी.एफ.-6 का कार्पस 4500 करोड़ रु. तक बढ़ाने और इस ऋण पर लिए गए ब्याज को आधे प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योगों की सूची

3971. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विशेषकर उड़ीसा में आये महाचक्रवात के बाद विभिन्न सुविधाओं/रियायतों के लिए कृषि और ग्रामीण उद्योगों की एक सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले कुल कितने लाभार्थी है तथा प्रत्येक श्रेणी के तहत कुल कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से युक्त रिलीफ़ पैकेज की घोषणा की जा चुकी है। पैकेज के साथ-साथ इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित हैं:-

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 5 मुख्य क्लस्टरों में पुनर्गठन कार्यक्रम और स्थानीय संस्थानों को विपणन सहायता उड़ीसा राज्य वित्त निगम को 50 करोड़ रु. की अतिरिक्त पुन: वित्त सुविधा का विस्तार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा उड़ीसा की औद्योगिक संवर्धन और निवेश कंपनी लि. को 20 करोड़ रु. देना।
- उड़ीसा राज्य वित्त निगम और इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड को ऋणों के सम्बन्ध में मूलधन और ब्याज को पुन: अनुसूचित किया जाना।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावित इकाइयों की ऋण पुनर्अदायगी की आस्थागन ऋण आवेदनों की संख्या को केन्द्रीय रूप से मोनीटर नहीं किया जाता है।

राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन

3972. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत स्टेशन में कार्यरत भारी संख्या में श्रमिक कैंसर से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रमिकों में कैंसर फैलने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य ंत्री; **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक** और **प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राजस्थान परमाणु बिजलीघर में टाटा स्मारक केन्द्र (टीएमसी) तथा एस एम एस मेडिकल कालेज तथा अस्पताल, जयपुर द्वारा किए गए प्रतिनिधिक वर्गीय सर्वेक्षण से पता चला है कि विकिरण की स्थिति में काम करने वाले कार्मिकों के मामले में, आम जनता की तुलना में कैंसर होने के मामलों में सांख्यिकीय दृष्टि से उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई है। सर्वेक्षण से यह भी पता चला है कि ये कार्मिक आम जनता से अधिक स्वस्थ हैं और उन्हें कैंसर तथा अन्य रोगों से खतरे का कम सामना करना पड़ा है। ''स्वास्थ्य कार्मिक प्रभाव'' राजस्थान परमाणु बिजलीघर में देखे गए कैंसर के मामलों के लिए विकिरण के प्रभाव को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है, बल्कि ये मामले उन व्यक्तियों की अपनी आदतों और रहन-सहन के तरीकों की वजह से पाए गए हैं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नति में अवरोध

3973. श्रीमती सुशीला सरोज:
श्री नरेश पुगलिया:
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पात्र अधिकारियों की अवर सचिव और उप सचिव ग्रेड में पदोन्नति में अवरोध की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हीं पदों पर कार्य करने को मंजूरी देते हुए अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के कुछ पदों का अस्थायी रूप से उन्नयन किया है;

यदि हां, तो 1 जुलाई, 1999 की तिथि के अनुसार पात्र अनुभाग अधिकारियों को कब तक पदोन्नति दे दी जाएगी;

(घ) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारी इस सेवा के नियमित अधिकारियों की भांति लाभ पाने के पात्र हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) अनुभाग अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्चतम न्यायालय में चली लम्बी मुकदमेबाजी के कारण अवर-सचिव तथा उप-सचिव के स्तरों पर पदोन्नति के लिए 1986 के पश्चात् केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अवर-सचिव के स्तर के पैनल और 1993 के बाद केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के उप-सचिव स्तर के पैनल को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इससे, अनुभाग अधिकारियों/अवर-सचिवों के ग्रेडों में गतिरोध आ गया। उच्चतम न्यायालय के दिनांक मई 9, 1997 के निर्देशों का अनुपालन करके अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची दिनांक 3.12.1997 को अधिसूचित की गई। बाद में, पात्र अधिकारियों को एक बारगी उपाय के तौर पर वैयक्तिक/स्वस्थाने आधार पर पदोन्नत करने की दृष्टि से अनुभाग अधिकारियों/अवर-सचिवों के ग्रेडों के विनिर्दिष्ट पद, अस्थायी रूप से, अपग्रेड करके क्रमश: अवर सचिव और उप सचिव के स्तर के कर दिए जाने के बारे में सितम्बर, 1998 तथा अगस्त, 1999 में आदेश जारी किए गए।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमों/कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अनुज्ञेय लाभों के हकदार हैं।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

3974. श्री ए. नरेन्द्र: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की किन-किन परियोजनाओं को मंजूर किया गया है, किन-किन परियोजनाओं को वापिस किया गया है तथा कितनी परियोजनाएं मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का संशोधन इत्यादि के लिए वापिस कर दी गई परियोजनाएं केन्द्र सरकार को पुन: प्राप्त हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) संलग्न विवरण में अपेक्षित सूचना दी गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण इन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन एवं उनके कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकार का है।

विवरण

दिसम्बर, 1991 से कुछ प्रेक्षणों के अधीन तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य परियोजनाएं	आंध्र प्रदेश सरकार को वापस भेजी गई परियोजनाएं	राज्य सरकार के साथ संदर्भाधीन परियोजनाएं
1	2	3
वृहद परियोजनाएं		
1. पुलिंचिताला सिंचाई परियोजनाएं	तेलगू गंगा परियोजना	वामसधारा परियोजना फेज-1 चरण-2
2. कृष्णा डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	श्री सैलम बायां तट नहर	
3. भीमा लिफ्ट सिंचाई	गालेरु नागरी	
4. श्रीराम सागर चरण-2	पोलावरम परियोजना	
5. एस आर एस पी से बाढ़ प्रवाह नगर	इंचामपल्ली	
जुराला परियोजना	गुंडलाकम्मा	
चगलनाडु लिफ्ट सिंचाई परियोजना	गोदावरी डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	
वामसधारा परियोजना चरण-2	येलेरू जलाशय फेज-1	
–	पेन्नार डेल्टा प्रणाली आधुनिकीकरण	
). –	वेलिगोंडा परियोजना	

1	2	3
मध्यम		
1. पेड्डेरू जलाशय	जंझावती	वल्लिगल्लू जलाशय
2. पालेमवागु	बहुदा बैराज	सुद्दावागु
3. येर्रावागु	भूपति पालेम	पेड्डावागु
4. सुरमपालेम जलाशय स्कीम	पेड्डागुड्डा	कोव्वाइकालवा
5.	मोदिकुंतावागु	

[हिन्दी]

ऋणों को माफ करना

3975. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (एस.ए.आई.एल.) पर बकाया ऋण माफ किये जाने संबंधी इस्पात मंत्रालय के आई.डी.बी.आई. तथा मैकेन्जी प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ऋणों को माफ किये जाने के क्या मानदण्ड हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर गैर-बकाया ऋणों को माफ करने के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) मार्च, 98 के अंतिम खातों के आधार पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी आई बी) ने एक वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की सिफारिश की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 4809 करोड़ रुपये के एस डी एफ/भारत सरकार ऋणों को बट्टे खाते डालना शामिल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1622 करोड़ रुपए के शेष एस डी एफ ऋण को पूंजी आरक्षित में परिवर्तित करने की भी सलाह दी थी जिसे 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार 6069 करोड़ रुपए का कुल एस डी एफ बकाया माफ होगा।

(ख) से (ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए सरकारी ऋणों को माफ करने के बारे में कोई नीति अथवा मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। सामान्य नियम के रूप में सरकारी ऋणों को बट्टे खाते नहीं डाला जाता है। तथापि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्राय: अपने पुनर्संरचना/समग्र परिवर्तन प्रस्तावों के भाग के रूप में सरकारी ऋणों को माफ करने का प्रस्ताव करते हैं। उपक्रम विशेष की वित्तीय और कारोबार परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और उपक्रम का पुनरुद्धार करने और इसे व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में मामला दर मामला माफ करने पर विचार किया जाता है।

पदोन्नतियों में आरक्षण

3976. श्री हरपाल सिंह साथी:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में आरक्षण बहाल करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान में पदोन्नतियों में आरक्षण वापिस ले लेने के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों की हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से, इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आवश्यक आदेश जारी करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अब तक जारी किए गए आदेशों और उपायों का ब्यौरा क्या है और पदोन्नतियों में आरक्षण को फिर कब तक पूर्णत: बहाल किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर और सेवाओं में, पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण वापस नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधान मंत्री द्वारा किये गये विदेशी दौरे

3977. श्री सुन्दर लाल तिवारी: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो महीने के दौरान प्रधान मंत्री ने कौन-कौन से देशों की यात्रा की है;

(ख) इन यात्राओं की क्या उपलब्धियां हैं; और

(ग) संबंधित देशों के साथ किये गये समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) प्रधान मंत्री 10-12 मार्च, 2000 तक मारीशस के प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर, उनके सहस्त्राब्दि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मारीशस की यात्रा पर गए।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और ऋण के क्षेत्र में तीन करार तथा समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर विदेश राज्य मंत्री तथा लघु उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री ने हस्ताक्षर किए थे।

अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रशिक्षण

3978. श्री चिंतामन वनगा:
श्री के. मुरलीधरण:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए कोई सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण योजना अथवा विकास कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों विशेष रूप से केरल राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) क्या इन योजनाओं में कोई स्वयंसेवी संस्थाएं भी शामिल हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा देश के अन्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण योजना (ईजीटीएस) है। इस योजना का समग्र उद्देश्य पूर्वोत्तर तथा अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी को पूरा करने के प्रयोजन से शिक्षित युवाओं को "रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण" उपलब्ध कराने में इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का उपयोग करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (छ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

कश्मीर मुद्दा

3979. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 2000 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "फ्रांस टू सेज सिचुएशन इन कश्मीर डेनजर्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) फरवरी, 2000 में फ्रांस के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

मसलों और आतंकवाद, स्वापकों एवं हथियारों के दुर्व्यापार पर अपनी साझी चिन्ताओं सहित पड़ौस की घटनाओं की समीक्षा की। यह स्पष्ट किया जा चुका है जम्मू और कश्मीर पर चर्चा नहीं की गई।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

3980. डा. गिरिजा व्यास: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित कराई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): वर्ष 1996 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) को बदलकर बुनियादी न्यूनतम सेवा (बीएमएस) कार्यक्रम कर दिया गया था। योजना आयोग ने बीएमएस कार्यक्रम के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधनों को पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बीएमएस के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) आबंटित की है।

बहरहाल, वर्ष 2000-2001 में प्रधान मंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) के रूप में एक नई पहल करने का निर्णय लिया गया है जिससे कि ग्राम स्तर पर सतत मानव विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। पीएमजीवाई के दो घटक होंगे, अर्थात ग्रामीण सड़कें और पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रम। अन्य कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार शामिल हैं। पीएमजीवाई के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 5000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। दोनों में से प्रत्येक घटक के लिए एसीए का 2500 करोड़ रुपये का आबंटन होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय पीएमजीवाई के ग्रामीण सड़कें घटक के लिए उत्तरदायी होगा। जहां तक पीएमजीवाई के दूसरे घटक का संबंध है, बीएमएस के लिए दी जाने वाली एसीए को बदलकर पीएमजीवाई के अन्य कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली एसीए किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार किया गया आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पीएमजीवाई के लिए एसीए का आवंटन-2000-2001

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसीए 2000-01
1	2	3
	गैर विशेष श्रेणी राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	14206
2.	बिहार	28725
3.	गोआ	78
4.	गुजरात	6479
5.	हरियाणा	1678
6.	कर्नाटक	7513
7.	केरल	6908
8.	मध्य प्रदेश	11377
9.	महाराष्ट्र	9913
10.	उड़ीसा	9855
11.	पंजाब	4040
12.	राजस्थान	9640
13.	तमिलनाडु	10479
14.	उत्तर प्रदेश	34891
15.	पश्चिम बंगाल	16782
	उपजोड़	172564
	विशेष श्रेणी	
1.	अरुणाचल प्रदेश	6817
2.	असम	17957
3.	हिमाचल प्रदेश	7061
4.	जम्मू व कश्मीर	17158
5.	मणिपुर	4856

	2	3
.	मेघालय	4059
.	मिजोरम	4041
.	नागालैण्ड	4113
.	सिक्किम	2811
0.	त्रिपुरा	5083
	उप जोड़	73956
संघ राज्य क्षेत्र		
.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1105
.	पांडिचेरी	477
.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1027
.	चंडीगढ़	456
.	दादर व नगर हवेली	132
.	लक्षद्वीप	177
.	दमन व दीव	106
	उपजोड़	3480
	कुल जोड़	250000

इस्सार इस्पात उद्योग

3981. श्री किरीट सोमैया: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्सार इस्पात को गत दो वर्षों के दौरान घाटा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थानों पर इस्सार इस्पात की कितनी धनराशि का बकाया है;

(घ) क्या वित्तीय संस्थानों ने कंपनी को भविष्य में धनराशि देने से मना कर दिया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान एस्सार स्टील के लाभ/हानि (-) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	लाभ/हानि (करोड़ रुपए)
1998-99	-496
1999-2000 (अप्रैल-दिसम्बर, 99)	-395.56

पड़ौसी देशों से इस्पात की डंपिंग, प्रमुख प्रयोक्ता क्षेत्रों में स्थिर मांग, आदान लागतों में वृद्धि और वित्त की उच्च लागत के कारण कंपनी को हानि हुई।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, एस्सार स्टील द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए रुपया/विदेशी मुद्रा आवधिक ऋणों और डिबेन्चरों की बकाया राशि 1662 करोड़ रुपए है।

(घ) से (च) कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मौजूदा ऋणों की पुनर्संरचना की मंजूरी को छोड़कर, उन्होंने हाल में वित्तीय संस्थाओं से किसी प्रकार का कोई निधियन नहीं मांगा है।

चल रही इस्पात परियोजनाओं की समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ देश में मौजूदा इस्पात संयंत्रों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने इस्पात राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक परियोजना समन्वय दल का गठन किया है। इस दल की पहली बैठक 13.3.2000 को हुई जिसमें वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों ने भी भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न कंपनियों जिसमें एस्सार स्टील भी शामिल है, द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सतर्कता अधिकारी को पर्याप्त अधिकार

3982. श्री तिरुनावकरसू:
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:
श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए संपत्ति जब्त करने और पुलिस अधिकारों सहित पर्याप्त अधिकार देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य सतर्कता आयुक्त ने भी इस संबंध में कोई प्रस्ताव या अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या ब्रिटेन के "पब्लिक डिसक्लोजर एक्ट" की तरह के अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए सी.वी.सी. ने इस मुद्दे को विधि आयोग के साथ उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अधिनियम का प्रारूप कब तक तैयार कर लिया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) मुख्य सतर्कता-अधिकारियों को पुलिस-अधिकार दिये जाने के बारे में केन्द्रीय सतर्कता-आयोग से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (छ) ईमानदार लोक-सेवकों को भ्रष्ट आचरण-पूर्ण कार्यों का पर्दाफाश करने के प्रति प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ब्रिटेन के लोक हित प्रकटन अधिनियम, (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट) 1998 की तर्ज पर केन्द्रीय सतर्कता-आयुक्त ने अगस्त, 1999 में विधि-आयोग के अध्यक्ष को गैर-कानूनी और अनैतिक कार्य करने वालों के बारे में जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित किये जाने से संबधित अधिनियम का मसौदा तैयार करने पर विचार करने का सुझाव दिया था।

मध्य प्रदेश की डेयरी विकास परियोजनाएं

3983. श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से विशेषकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से एकीकृत डेयरी विकास परियोजनाओं के लिए कोई नए प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान प्राप्त प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उनकी तत्संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) चरण-1 और चरण-2 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई और जारी की गई; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकार किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के सिधी जिले में एकीकृत गोपशु विकास कार्यक्रम के लिए पायलट परियोजना के लिए फरवरी, 2000 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं किया गया है और राज्य सरकार को अनुरोध किया गया था कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे। कोई संशोधित प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र से चालू वर्ष में कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए मंजूर पहले की परियोजनाओं के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(राशि लाख रुपए में)

परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत परिव्यय	31.3.2000 तक जारी धनराशि
1	2	3
(क) मध्य प्रदेश परियोजना 1, 2 और 3 (1993-94 में स्वीकृत)	781.06	665.00

1	2	3
परियोजना-4 (1995-96 में स्वीकृत)	599.85	163.00
(ख) महाराष्ट्र परियोजना-1 (1995-96 में स्वीकृत)	1985.235	1985.235
परियोजना-2 (1997-98 में स्वीकृत)	1941.55	475.26

(घ) उक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अधिकारियों की पदोन्नति

3984. श्री नरेश पुगलिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1986 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभागीय सीमित परीक्षा के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को अवर सचिवों के पदों पर पदोन्नत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को अवर सचिव के रूप में निर्धारित पांच वर्षों की सेवा पूरी करने पर नियमित आधार पर उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन अधिकारियों को नियमित आधार पर उप सचिव के रूप में कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) की वर्ष, 1986 की प्रवर सूची में शामिल किये जाने हेतु संघ-लोक-सेवा-आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 14 अधिकारियों की सूची संस्तुत की थी। तद्नुसार, इन अधिकारियों के नाम प्रवर सूची में शामिल कर लिये गये और उन्हें अवर सचिवों के रूप में पदोन्नत कर दिया गया।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के उप सचिव ग्रेड में पदोन्नति अवर सचिवों की प्रवर सूचियों के आधार पर होती है। अमृत लाल और अन्य के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपने दिनांक 31.8.1988 के आदेश द्वारा अवर सचिवों की वर्ष, 1984 से वर्ष 1986 तक की प्रवर सूचियां खारिज कर दीं। परिणामत: उपर्युक्त सूचियों के आधार पर अवर सचिवों की उप सचिवों के रूप में पदोन्नति नहीं की जा सकी। सुरजीत सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 9.5.1997 के आदेश के अनुसरण में, 3.12.1997 को जारी की गई अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची के आधार पर, इस समय उपर्युक्त सूचियों की समीक्षा की जा रही है। स्पष्ट रूप से यह बता पाना संभव नहीं है कि उपर्युक्त अधिकारी किस समय तक उप सचिवों के रूप में नियमित रूप से पदोन्नत होने संभावित हैं।

आई.एस.आई. की भूमिका

3985. श्री सी.पी. राधाकृष्णन:
श्री अब्दुल हमीद:
श्री भीम दाहाल:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 2000 को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में "आई.एस.आई. फोमेन्टिंग टेररिज्म इन असम, सेज यू.एस. स्टेट डिपार्टमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से बातचीत की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां। सरकार ने प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित समाचार देखे हैं।

(ख) यह समाचार अमरीकी समाचार पत्र वाशिंगटन टाइम्स में 10 मार्च को प्रकाशित एक रिपोर्ट पर आधारित है। अमरीकी समाचारपत्र ने अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी, जिनका नामोल्लेख नहीं किया गया है, के इस कथन को उद्धृत किया है कि आई एस आई असम में आतंकवादियों की सहायता कर रही है।

(ग) सरकार भारत में सीमापार से आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन और प्रायोजित की ओर प्रत्येक अवसर पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकृष्ट करती है। सरकार ने आतंकवाद की रोकथाम के लिए उपायों पर अनेक देशों के साथ सहयोग की पहल की है। इस क्षेत्र में सहयोग को गहन बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आतंकवाद-विरोधी संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है। जैसाकि ऊपर उद्धृत रिपोर्ट में कहा गया है, भारत में सीमापार से आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन देने और प्रायोजित करने को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अधिकाधिक मान्यता मिल रही है।

(घ) जी, हां। राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ सीमापार से आतंकवाद की समस्या सहित क्षेत्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ङ) दोनों पक्षों ने आतंकवाद की रोकथाम करने में सहयोग को गहन करने के अपने निश्चय की अभिव्यक्ति की। राष्ट्रपति क्लिंटन ने इस बात को माना कि पाकिस्तानी सरकार में कुछ ऐसे घटक है जिन्होंने कश्मीर में हिंसा में संलिप्त लोगों को सहायता दी है। उन्होंने पाकिस्तान से भी द्विपक्षीय वार्ता के लिए वातावरण तैयार करने के लिए कहा।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संजय सरोवर जल परियोजना

3986. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में अन्तर्राज्यीय संजय सरोवर जल परियोजना का खुदाई कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें कितनी प्रगति हुई है और इस परियोजना के पूरा न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) संजय सरोवर (अवर वेनगंगा) जल परियोजना चल रही वृहद सिंचाई परियोजना है। जून, 1999 तक 249.72 करोड़ रुपये (1998 मूल्य स्तर) की अद्यतन अनुमानित लागत की तुलना में इस परियोजना पर 194.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और 105253 हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता की तुलना में 76398 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। इस परियोजना के पूरा न होने के मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना का अपर्याप्त वित्त पोषण तथा रूमल और बारगूर पिक अप वीयर्स के साथ-साथ उनकी नहर प्रणालियों को शामिल करते हुए इस परियोजना का कार्यक्षेत्र बढ़ाना है।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस परियोजना के जून, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

सेलम इस्पात संयंत्र को बेचना

3987. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री सुनील खां:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेलम इस्पात संयंत्र को बेचने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) सरकार द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) के लिए अनुमोदित किए गए वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना

पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखते हुए सेलम इस्पात संयंत्र (एस एस पी) के लिए संयुक्त उद्यम बनाना शामिल है।

सेल, सेलम इस्पात संयंत्र के लिए संयुक्त उद्यम की संभावना तलाश करता रहा है जिसके जरिए इसे इस्पात के उत्पादन और स्लैब ढलाई की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा सकती हैं क्योंकि सेलम इस्पात संयंत्र को निरंतर हानि हो रही है। इन सुविधाओं के जुड़ने से पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। फिर भी, वित्तीय अड़चनों के कारण सेल सेलम इस्पात संयंत्र की अधिक निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ है।

(ग) और (घ) मैसर्स जे एम मोर्गन स्टेनली लि. (जे एम एम एस) को सेलम इस्पात संयंत्र की पुनर्संरचना के लिए वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया है।

गुजरात में चारा का अकाल

3988. श्री दिनशा पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 2000 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "गुजरात फॉडर फेमिन: कैट्स स्टार्व टु डेथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य को कोई सहायता प्रदान करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घास/चारे को राज्य से बाहर ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से आदेश जारी करने के लिए गुजरात सरकार को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

(ग) आहार और चारा विकास के लिए 1999-2000 के दौरान गुजरात सरकार को पहले ही प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता में शामिल हैं:

- आहार और चारा विकास के लिए राज्य को सहायता—137 लाख रुपए
- किसानों के लिए राज्य को सप्लाई की गई चारा फसलों की केन्द्रीय मिनीकिट की संख्या—18500

उक्त के अलावा राष्ट्रीय आपदा सहायता समिति ने 27.3.2000 को हुई बैठक में 54.58 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी और वित्त मंत्रालय ने वह राशि गुजरात सरकार को 31.3.2000 को जारी की थी। यह वर्ष 1999-2000 के दौरान आपदा राहत कोष के तहत राज्य को 161.40 करोड़ रुपये के आबंटन के अतिरिक्त था।

मछली का उत्पादन

3989. श्री अनंत गंगाराम गीते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में महाराष्ट्र में मछली का कितना वार्षिक उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या वर्तमान मछली उत्पादन की क्षमता राज्य के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्य में मछली के उत्पादन और भंडारण क्षमता और विपणन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान तथा दिसम्बर, 1999 तक वार्षिक मछली उत्पादन निम्नानुसार है:

वार्षिक मछली उत्पादन	(लाख टन में)
1996-97	5.90
1997-98	5.80
1998-99	5.20
1999-2000 (अप्रैल से दिसम्बर 99 तक)	3.81

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए तालाबों/जलाशयों में इष्टतम आवश्यकता के अनुसार फिंगरलिंग्स/मत्स्य बीज को स्टाक करने के लिए कदम उठाए हैं। अंतर्देशीय क्षेत्र में प्रजनन स्थलों को भी सुरक्षित किया जा रहा है। मसुद्री क्षेत्र में, समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों को सुरक्षित/संरक्षित रखने के लिए राज्य मानसून अवधि के दौरान (1 जून से 15 अगस्त या नरिली पूर्णिमा, जो भी पहले हो) यांत्रिकृत मत्स्यन यानों द्वारा मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाने के लिए समुद्री मात्स्यिकी

विनियमन अधिनियम, 1981 को लागू कर रहा है। राज्य सरकार वैज्ञानिक मत्स्य पालन को जिससे दूसरी बातों के अलावा मत्स्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रायोजित योजना "समेकित तटवर्ती जलकृषि" तथा "ताजा जल जलकृषि का विकास" क्रियान्वित कर रहा है।

महाराष्ट्र सरकार का तीन शीत भंडारण और तीन बर्फ फैक्ट्रियां बनाने का प्रस्ताव है जिससे राज्य में शीत भंडारण क्षमता और विपणन सुविधाओं में वृद्धि होगी।

इच्छामपल्लि बांध

3990. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र से इच्छमपल्लि [illegible] की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) इंचमपल्ली आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय संयुक्त परियोजना है जिसे इन राज्यों द्वारा सहमत ऊंचाई के साथ शुरू किया जाना है।

इस्पात संबंधी नीति

3991. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मानक मानदंडों के आधार पर निर्धारित लक्ष्य और इसकी प्राप्ति के संबंध में इस्पात उद्योग से प्राप्त ज्ञापनों के आलोक में कई नीतिगत उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका अब तक इस्पात क्षेत्र के कार्यनिष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) इस्पात क्षेत्र को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तथा अर्थक्षम बनाने हेतु द्वितीय चरण में क्या सुधार किए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) इस्पात उद्योग की उन्नति और विकास के लिए सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों में कई नीतिगत उपाय किए हैं। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

1. पिछले दो बजटों में अवसंरचना विकास, आवास, विद्युत, राजमार्गों के लिए वर्धित आवंटन।
2. विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्र में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है।
3. इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने के लिए इस्पात निर्यातक मंच गठित किया गया है।
4. इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।
5. निर्माण क्षेत्र में इस्पात के सघन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस्पात विकास और संवर्धन संस्थान बनाया गया है।
6. निर्यात के लिए किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित कुछ उपाय शामिल हैं:

(1) निर्यात से अर्जित आय की बाजार विनिमय दर पर पूर्ण परिवर्तनीयता,

(2) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत कच्चे माल की अपनी आवश्यकता का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए निर्यातकों को उपलब्ध सुविधा,

(3) निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी भी आयातित अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क को वापस करना,

(4) लोहे और इस्पात के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए लोहे और इस्पात की अधिकांश मदों पर ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास-बुक (डी ई पी बी) योजना के अंतर्गत ड्यूटी क्रेडिट दरों की युक्तिसंगतता,

(5) सस्ती दरों पर आयात को रोकने के लिए यूक्रेन और रूस से एच आर कायलों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाना,

(6) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस्पात क्षेत्र को अधिक परियोजना निधियन और ई सी बी शर्तों को शिथिल करने की कड़ी सिफारिश की गई है;

(7) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के स्टॉकयार्डों से किए गए इस्पात के प्रेषण पर-उत्पाद शुल्क परिकलित करने के लिए भाड़े और संभाल प्रभारों को शामिल नहीं करना,

(8) इस्पात के उत्पादन में प्रयुक्त कच्ची सामग्री पर शुल्क में कमी करना,

(9) सस्ती दर पर आयात को रोकने के लिए परिसज्जित इस्पात की कतिपय मैटों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए गए थे।

पिछले तीन वर्षों से विकास की गति मंद रहने के बाद इस्पात उद्योग द्वारा किए गए इन उपायों के परिणामस्वरूप पुनरुद्धार के संकेत दिखाई देने लगे हैं।

(ग) दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों के शीघ्र कार्यान्वयन की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) को और अधिक उदार बनाने के लिए सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई)/अनिवासी भारतीय (एन आर आई) और समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओ सी बी) निवेश के लिए लोहा और इस्पात सहित सभी मदों/कार्यकलापों को कतिपय शर्तों पर ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत रखा है। उम्मीद है कि इससे लोहा और इस्पात क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और साथ ही साथ निवेश भी आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उदारीकरण के बाद स्थापित अथवा स्थापित किए जा रहे नए इस्पात संयंत्रों ने लोहा और इस्पात उत्पादों के उत्पादन के लिए आधुनिक, लागत प्रभावी, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्रौद्योगिकियों को अपना लिया है/अपना रहे हैं और इससे इस्पात संयंत्रों को प्रतिस्पर्धात्मक लागत पर गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात के संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का इस्पात उत्पादन निष्पादन निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

वर्ष	सेल	वी एस पी
1997-98	9043	2250
1998-99	8602	1933
1999-2000	9530 (अनंतिम)	2382 (अनंतिम)

मत्स्य पत्तन का विकास

3992. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वानकबरा दीव में मत्स्यन पत्तन और घोघला दीव में मत्स्यन अवतरण केन्द्र के विकास के लिए 1997-98 के दौरान 90 लाख रुपए आवंटित किए थे;

(ख) क्या इस केन्द्र के लिए कोई सर्वेक्षण पूरा किया गया है; और

(ग) यदि हां, इस प्रयोजनार्थ वास्तविक रूप से कितनी राशि जारी और उपयोग की गई और कितनी राशि अप्रयुक्त रही तथा इसके कारण क्या थे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर ने बंदरगाह का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है।

(ग) भारत सरकार ने 1997-98 के दौरान घोघला में मछली उतारने के केन्द्र के निर्माण के लिए 50.00 लाख रुपए तथा वनकबारा दीव में मछली उतारने के केन्द्र के लिए 40.00 लाख रुपए जारी किए थे। संघ शासित प्रदेश के प्रशासन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वे समयाभाव के कारण धनराशि का उपयोग नहीं कर सके। चूंकि जारी की गई धनराशि वित्तीय वर्ष 1997-98 के अंत में व्यपगत हो गई थी, अत: संघ शासित प्रदेश के प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि वे धनराशि जारी करने के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धनराशि जारी करने के लिए संघ शासित प्रदेश से प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

विकलांग महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं

3993. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारी कुल आबादी की लगभग 6 प्रतिशत महिलाएं अशक्त और विकलांग हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अशक्त और विकलांग महिलाओं के कल्याण हेतु कोई नीति या योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु विचाराधीन है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या यह विकलांग महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने विकलांग व्यक्तियों की संख्या संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए जुलाई-दिसम्बर, 1991 में 47वें दौर की राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया। नमूना सर्वेक्षण के आधार पर देश की कुल जनसंख्या का लगभग 1.9% व्यक्ति एक अथवा अधिक विकलांगताओं से पीड़ित हैं। अनुमानित जनसंख्या के अन्य 3% विलम्बित मानसिक विकास से पीड़ित हैं। अत: लगभग 5% जनसंख्या एक अथवा दूसरी विकलांगता से पीड़ित हैं। महिलाओं के लिए प्रचलन दर ग्रामीण क्षेत्रों में 1.7% तथा शहरी क्षेत्रों में 1.8% है। इन दोनों के बीच महिला की अपेक्षा पुरुषों में शारीरिक विकलांगता सीमान्त रूप से अधिक है।

(ख) महिलाओं सहित विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लाभ के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को सरल ऋण प्रदान कर रहा है। निगम से ऋण प्राप्त करने वाली महिलाओं को ब्याज में 2% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

3994. श्री हरिभाई चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस योजना को किन-किन राज्यों में शुरू किया गया;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ङ) इस समय विभिन्न राज्यों में यह योजना किन-किन फसलों के लिए लागू है; और

(च) चालू और आगामी तीन वर्षों के दौरान इस योजना का प्रस्तावित विस्तार क्या है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम रबी 1999-2000 से लागू की गई है। रबी 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम लागू करने वाले राज्य हैं:-असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पांडिचेरी।

निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के क्रियान्वयन के लिए 46.68 करोड़ रुपये की धनराशि निर्मुक्त की थी।

(ङ) और (च) इस समय इस स्कीम के तहत सभी खाद्यान्न फसलों (अनाज, कदन्न तथा दलहन), तिलहन तथा तीन वार्षिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों अर्थात गन्ना, आलू, कपास को कवर किया गया है। अगले तीन वर्षों में अन्य सभी वार्षिक बागवानी तथा वाणिज्यिक फसलों का भी बीमा किया जाएगा बशर्ते उनकी पैदावार के संबंध में पुराने आंकड़े उपलब्ध हों।

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम के स्वैच्छिक स्वरूप के मद्देनजर रबी 1999-2000 के दौरान नौ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने इसे कार्यान्वित किया। खरीफ 2000 मौसम में 6 और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के इसमें शामिल होने की संभावना है। चूंकि नई स्कीम में किसानों, फसलों तथा जोखिम के संबंध में कवरेज का दायरा हाल ही में पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है, अत: निकट भविष्य में कवरेज को और बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

नशे की लत

3995. श्री पी.आर. खुंटे:
श्री हरिभाऊ शंकर महाले:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेष रूप से युवाओं में नशे की लत दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और राज्य-वार कितने व्यक्तियों को नशे की लत है;

(घ) क्या संयुक्त राष्ट्र ने भी अपना सहयोग प्रदान किया है तथा देश में बढ़ती हुई नशे की लत का मुकाबला करने के लिए भारत को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का उक्त सहायता का उपयोग किस तरह करने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) देश के युवाओं में नशे की लत के संदर्भ में मंत्रालय ने विश्वविद्यालय के छात्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रचलन का मूल्यांकन करने के लिए 1975-76 में एक बहु केन्द्रित अध्ययन तथा 1985-86 में एक पुन: अध्ययन प्रायोजित किया। अध्ययनों में प्रतिनिधि के बड़े शहर शामिल हैं तथा निष्कर्षों में, अन्य बातों के साथ-साथ शहरी पृष्ठभूमि वाले युवकों में नशे की लत अधिक विद्यमान होना शामिल है। 1990 में चुनिन्दा 33 शहरों/कस्बों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में किए गए राष्ट्रव्यापी अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि 16 से 35 वर्ष का आदु वर्ग नशे की लत से अधिक बुरी तरह से प्रभावित हैं। अल्कोहल तथा नशीली दवा दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत संगठनों से मंत्रालय को प्राप्त रिपोर्टों से भी इस बात की पुष्टि होती है।

(घ) से (च) मंत्रालय ने यूनाइटिड नेशन्स इंटरनेशनल ड्रग कन्ट्रोल प्रोग्राम (यू एन .सी पी) तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से अल्कोहल तथा नशीली दवा की मांग के सहयोग से अल्कोहल तथा नशीली दवा की मांग की कमी के बारे में दो वृहद योजनाएं शुरू की हैं:

(1) भारत में समुदाय व्यापी मांग में कमी तथा कार्य स्थल नियंत्रण।

(2) भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में समुदाय व्यापी मांग में कमी।

वर्ष 1999-2003 से 4 वर्ष की अवधि के दौरान 4 चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का कुल बाह्य वित्तीय अंशदान समस्त योजना अवधि के लिए 5.60 मिलियन अमरीकी डालर का होगा जिसे यू.एन.डी.सी.पी. तथा आई.एल.ओ. के बीच बांटा जाएगा। भारत सरकार भी अपने सतत कार्यक्रम के माध्यम से 16.35 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान करेगी। संक्षेप में परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र में निवारण तथा पुनर्वास के लिए सेवाओं की डिलीवरी को सुदृढ़ करेगी, प्रशिक्षित पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के व्यावसायिक पुनर्वास के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।

[अनुवाद]

नकली बीज और खाद

3996. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष में कर्नाटक के किसानों को घटिया/नकली बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए कितनी बीज और खाद कम्पनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने गरीब किसानों का शोषण रोकने के लिए भारतीय बीज अधिनियम और कीटनाशक अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबध में क्या कार्रवाई की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा बीज अधिनियम, 1966 के अंतर्गत कर्नाटक में नकली/मिलावटी उर्वरकों/बीजों की बिक्री के बारे में इस मंत्रालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले वितरकों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। गैर-मानक उर्वरक नमूनों तथा बीज नमूनों के संबंध में कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है:

उर्वरक:

वर्ष	खारिज पंजीकरण प्रमाण-पत्र	उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 की धारा 23 के अंतर्गत निपटान	जब्ती/बिक्री पर रोक	अभियोजन कार्रवाई	अन्य कार्रवाई
1996-97	1	5	0	22	275
1997-98	7	0	0	4	244
1998-99	25	16	20	16	286

बीज:

वर्ष	अदालत में दायर मामलों की संख्या	अदालत द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या जिनमें अर्थदण्ड/ कारावास की सजा दी गई	अदालत में लम्बित मामलों की संख्या
1996-97	88	9	79
1997-98	15	2	13
1998-99	32	–	32

(ग) बीज अधिनियम तथा कीटनाशी अधिनियम में संशोधन हेतु कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ए.आई.बी.पी.

3997. श्री विक्रम केशरी देव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में हाल ही के महाचक्रवात को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार का विचार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कार्यान्वित की जा रही सिंचाई परियोजनाओं की कुल लागत को वहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) मानकों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं की कुल लागत को केन्द्र सरकार वहन नहीं कर सकती।

बाल श्रम परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन

3998. श्री अब्दुल हमीद: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान बाल श्रम परियोजनाओं हेतु किया गया बजट आवंटन बिल्कुल पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस उद्देश्य हेतु बजटीय आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुनि लाल): (क) से (घ) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2000-2001 के दौरान बाल श्रम परियोजनाओं के बजट प्राक्कलन 35.9 करोड़ रुपए है। योजना-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्कीम – 35 करोड़ रुपए

(2) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-अनुदान आयोग – 0.90 करोड़ रुपए।

वर्ष 1999-2000 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक निर्गत राशियां 37.90 करोड़ रुपए थी। संशोधित प्राक्कलन स्तर पर अतिरिक्त निधियों की मांग की जा सकती है।

अल्कोहल ईंधन संयंत्रों की स्थापना

3999. श्री कोलूर बसवनागौडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक राज्य में चीनी मिलों में सीरे का अनुमानित स्टॉक कितना है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से पेट्रोल के विकल्प के रूप में अल्कोहल ईंधन संयंत्रों की स्थापना करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

4000. डॉ. ए.डी.के. जयशीलन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की दुर्दशा और अपर्याप्त सुविधाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अस्पतालों के आधुनिकीकरण हेतु पर्याप्त धनराशि आबंटित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रावधान का प्रशासन, दिल्ली और नौएडा को छोड़कर जहां इसका संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे ही किया जा रहा है, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है। तथापि, निगम इस पर नजर रखता है कि बीमित व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत उचित चिकित्सा देख-रेख प्राप्त हो। इस प्रयोजन हेतु निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के कर्मचारियों और उन्हें सुसज्जित करने के संबंध में मानदण्ड/दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। निगम स्वयं की लागत पर अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण करता है और कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देख-रेख पर किए गए व्यय के 7/8 को भी पूरा करता है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में चिकित्सकों के उपलब्ध न होने, दवाइयों, उपस्करों, मरहम पट्टी आदि की कमी के बारे में छुट-पुट शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें उपाचरात्मक कार्रवाइयों के लिए संबंधित राज्य सरकारों के लिए अग्रेषित कर दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों के कार्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने हाल ही में एक कार्य योजना तैयार की है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के लिए अग्रेषित कर दिया गया है। कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपस्करों का प्रावधान, क्षेत्रीय अभिज्ञात केन्द्रों की स्थापना, श्रेष्ठ विशिष्ट सेवाओं, ब्लड बैंकों, कैंसर निवारक केन्द्रों की स्थापना दवाइयों की स्वदेशी पद्धति का विकास, औषधालयों में आवश्यक उपस्करों का प्रावधान शामिल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों को उन्नत बनाने तथा आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के लिए 16.34 करोड़ रुपये की धनराशि की पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा देख-रेख के संचालन में राज्य सरकारों के संसाधनों की स्थिति में सुधार करने के लिए 1.4.99 से चिकित्सा देख-रेख पर व्यय की अधिकतम सीमा को प्रतिवर्ष 500/- रुपए प्रति बीमित व्यक्ति से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 600 रुपये प्रति बीमित व्यक्ति कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आर्थिक प्रतिबंध

4001. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोखरण नाभिकीय परीक्षण के पश्चात् संयुक्त राज्य अमरीका और जापान को छोड़ कर अन्य देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके द्वारा उक्त प्रतिबंध उठाने के लिए उठाये गये कदमों/उठाये जाने वाले कदम क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) मई, 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के पश्चात्, यू एस ए और जापान के अतिरिक्त, कनाडा, जर्मनी, द नीदरलैण्ड, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड और आस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ कतिपय प्रतिबंधात्मक आर्थिक कार्रवाईयां की थीं। ये उपाय अधिकांशत: विकासात्मक सहायता अथवा रियायती ऋणों से संबद्ध हैं। इनमें से कुछ देशों ने मानवीय कार्यक्रमों, गरीबी उन्मूलन, खाद्य और आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं से संबद्ध सहायता को इन प्रतिबन्धों से विशेष रूप से मुक्त रखा है।

(ख) सरकार प्रतिबंधात्मक आर्थिक प्रतिबन्धों को उठाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर मुख्य वार्ताकारों के साथ वार्ता जारी रखेगी।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विकास

4002. श्री के. मुरलीधरन: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग को विकसित करने के लिए कोई नया प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए प्रस्तावित नई योजनाएं क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भंडार के मेडिकल स्टोर/काउन्टर

4003. श्री रामजी मांझी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडार का राजधानी में कोई भी मेडिकल स्टोर/काउन्टर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सुपर बाजार की तरह चलाए जा रहे केन्द्रीय भंडार के अंतर्गत कुछ मेडिकल स्टोरों/काउन्टरों को खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) इस समय केन्द्रीय भण्डार राजधानी में कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं चला रहा है क्योंकि ड्रग्ज और दवाओं की खुदरा बिक्री करने की दृष्टि से इसे अभी आवश्यक अनुभव अर्जित करना है, आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी है तथा अर्ह (योग्य) कर्मचारी लेने हैं। फिर भी उपर्युक्त भण्डार कुछ सरकारी संस्थाओं/अस्पतालों को दवाओं, शल्य चिकित्सा से संबंधित मदों और उनसे जुड़े मदों की थोक आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है और उपर्युक्त भण्डार, चिकित्सा संबंधी मदों का स्टॉक नहीं करता।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

4004. श्री श्रीनिवास पाटील:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार के पास कुछ प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2000 तक कितने प्रस्तावों स्वीकृति दी गई;

(घ) क्या सरकार निर्धनों के लिए कोई सस्ता शीतल संयंत्र स्थापित करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य त्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) विभिन्न योजना स्कीमों त तहत वित्तीय सहायता के इच्छुक 109 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण द्योग विभाग के पास लम्बित पड़े हैं।

(ख) राज्यवार वित्तीय सहायता के इच्छुक इन प्रस्तावों के यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान विभाग ने 94 मामलों में वित्तीय सहायता दी।

(घ) और (ङ) सरकार स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करती। वैसे भी, इस तरह की परियोजना हेतु वित्तीय सहायता के लिए इच्छुक कोई प्रस्ताव, विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के इच्छुक प्रस्तावों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावों की सं.	उद्देश्य
.	आंध्र प्रदेश	4	खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना
.	बिहार	4	–वही–
.	गुजरात	1	कोल्ड स्टोरेज
.	जम्मू एवं कश्मीर	1	–वही–
.	केरल	3	खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 1 प्रस्ताव और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण के लिए दो प्रस्ताव
.	महाराष्ट्र	7	खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 6 और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के लिए एक।
.	मणिपुर	3	
.	मध्य प्रदेश	1	मछली प्रसंस्करण
.	मेघालय	1	खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र
0.	नागालैंड	9	–वही– खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए 4 और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए पांच।
1.	उड़ीसा	22	सभी खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के वास्ते।
2.	पंजाब	2	
3.	तमिलनाडु	1	खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें
4.	त्रिपुरा	2	खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र
5.	उत्तर प्रदेश	48	मछली प्रसंस्करण सभी खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के वास्ते।
	कुल	109	

विदेशों में स्थापित सांस्कृतिक केन्द्र

4005. श्री रमाकांत आंग्ले:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में अब तक किन-किन स्थानों पर सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान विदेशों में नए सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विदेशों में 14 भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र जार्जटाउन (गयाना), पारामारिबो (सूरीनाम), पोर्ट लुई (मारीशस), जकार्ता (इंडोनेशिया), मास्को (रूस), बर्लिन (जर्मनी), काहिरा (मिश्र), लन्दन (यू.के.), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका), डरबन (दक्षिण अफ्रीका), ताशकंद (उजबेकिस्तान), पोर्ट ऑफ स्पेन (त्रिनीडाड एवं टोबैगो) और कोलम्बो (श्रीलंका) में स्थित है।

(ख) और (ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पास नए सांस्कृतिक केन्द्र खोलने के बहुत से प्रस्ताव हैं, जिनकी विदेश मंत्रालय के परामर्श से जाँच की जा रही है। ये केन्द्र उनकी आवश्यकताओं के आकलन तथा अतिरिक्त निधि की उपलब्धता के आधार पर खोले जाएंगे।

समाकोई बांध परियोजना

4006. श्री अनादि साहू: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंगूल जिले में समाकोई बांध सिंचाई परियोजना का मामला केन्द्रीय जल आयोग के पास लंबे समय से स्वीकृति हेतु लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने सितम्बर, 1999 में सामाकोई बैराज परियोजना की शोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

मलिन बस्ती विकास के लिए अतिरिक्त निधियां

4007. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के लिए मांगी गई धनराशि और इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) योजना आयोग को राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम देश में 1996-97 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना आयोग, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्लम जनसंख्या के यथानुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित करता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जल पूर्ति, सीवरेज, विद्युत, गलियों के फर्श आदि और आश्रय उन्नयन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के माध्यम से मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन की स्थिति में सुधार लाना/उन्नयन करना है। योजना आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य को 1996-2001 के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आवंटित की है:

वर्ष	धनराशि
1996-97	14.80 करोड़
1997-98	18.98 करोड़
1998-99	18.98 करोड़
1999-2000	20.88 करोड़
2000-2001	20.88 करोड़ (अनंतिम)

[अनुवाद]

वरिष्ठ अधिकारियों के लिए व्याख्यान का आयोजन

4008. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार विभाग "आईडियाज दैट हैव वर्क्ड" के संबंध में केवल वरिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए व्याख्यान माला आयोजित करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या दार्शनिक सिद्धान्त है;

(ग) इन व्याख्यानों में भाग लेने के लिए किस स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है और इनमें से कितने प्रतिशत अधिकारी आये हैं; और

(घ) उपस्थिति को बढ़ाने के लिए कार्य दिवसों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके इसे और प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) 'आईडियाज दैट हैव वर्क्ड" विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार, सिविल सेवा अधिकारी संस्थान तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस व्याख्यान माला को आयोजित करने का उद्देश्य सहभागियों को प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा उनके क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्यों संबंधी विचारों और अनुभवों से अवगत कराना तथा अधिकारियों को सफलताओं के आधार पर भावी निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है। इस व्याख्यान माला में, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, सिविल सेवा अधिकारी संस्थान के सदस्यों तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नामित अधिकारियों, कुछ चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों, मीडिया के प्रख्यात व्यक्तियों, संकाय सदस्यों तथा शीर्ष केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों आदि को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। आमंत्रित किये गये व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया है, इसके आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(घ) इन व्याख्यानों का आयोजन शनिवार को किया जा रहा है ताकि प्रतिष्ठित व्यक्तियों और आमंत्रितों की उपलब्धता और सुविधा को सुनिश्चित किया जा सके।

दवे समिति

4009. **श्री विकास चौधरी:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवे समिति ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले कुछ विशेषज्ञों के साक्षात्कार लिए थे;

(ख) यदि हां, तो उन विशेषज्ञों के नाम और पदनाम क्या हैं;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय की तरह सेन्ट्रल ट्रेड यूनियनों से किसी व्यक्ति को इस समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञों के नाम और उनके पदनामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, स्व. श्री आर.एस. कौशिक ओएसिस परियोजना विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। सभी सम्मेलनों और सेमिनारों में भाग लेने के लिए सचिव (श्रम मंत्रालय) को आमंत्रित किया गया जहां अन्य विशेषज्ञ आमंत्रित किए गए थे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

श्री/श्रीमती/कुमारी	
मेनका गांधी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
आशा दास सचिव	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
बी.के. चतुर्वेदी विशेष सचिव-बीमा	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
डी.आर. मेहता अध्यक्ष	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

लक्ष्मीधर मिश्रा सचिव	श्रम मंत्रालय
एन. रंगाचारी अध्यक्ष	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारत सरकार
स्वर्गीय आर.एस. कौशिक केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	श्रम मंत्रालय
पी.एस. सुब्रमनियम अध्यक्ष	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
अदिति मेहता संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री	प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार
एम.ए. दवे अध्यक्ष	ओएशिश परियोजना विशेषज्ञ समिति
वाई.वी. रेड्डी उप राज्यपाल	भारतीय रिजर्व बैंक
ए.पी. कुरियन अध्यक्ष	भारतीय मुचुवल फंड परिसंघ
जैमिनी भगवती संयुक्त सचिव	वित्त मंत्रालय भारत सरकार
ए.पी. सिंह निदेशक (बचत बैंक)	संचार मंत्रालय भारत सरकार
एस.सी. पांडेय निदेशक (बजट)	वित्त मंत्रालय
अजय शाह सहायक प्रोफेसर	आई.जी.आई.डी.आर.
अशोक लाहिरी निदेशक	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान
बासुदेव सेन कार्यकारी निदेशक	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
अजय श्रीनिवासन प्रबंध निदेशक	प्रूडेन्सियल आई.सी.आई.सी.आई.एम.सी.
अजय एम. कौल अध्यक्ष एवं कन्ट्री प्रबंधक	एलायन्स कैपिटल मैनेजमेन्ट
आनन्द बोर्दिया परियोजना प्रबंधक	यू.एन.डी.सी.पी., भारत
रियार्ड पी. हिन्ज निदेशक-नीति एवं अनुसंधान पेंशन एवं कल्याण लाभ प्रशासन	संयक्त राज्य श्रम विभाग
अशोक देशाई कन्सलटेन्ट सम्पादक	बिजनेस स्टैन्डर्ड
सी.बी. भावे प्रबंध निदेशक	नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड
सी. एस.राव संयुक्त सचिव (बीमा)	वित्त मंत्रालय
डी.एन. रावल कार्यकारी निदेशक	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
यूआन रास मैकडोनाल्ड कार्यकारी उपाध्यक्ष	भारतीय एच.एस.बी.सी. प्रतिभूति
जी. कृष्णमूर्ति अध्यक्ष	भारतीय जीवन बीमा निगम
जी.वी. नागेश्वर राव प्रबंध निदेशक	आई.डी.बी.आई. पूंजी बाजार सेवा
गिरिजा पांडे निदेशक निधि प्रबंधन प्रमुख	ए.एन.जेड. ग्रीनलेज बैंक
हेमन्त सहाय पार्टनर	जे. सागर एसोसिएट्स
जुआन कास्टेन अर्थशास्त्री	विश्व बैंक
जुआन येर्गो कान्सलटेन्ट	ओ.ई.सी.डी.
एम. विजयनुन्नी मुकुल डाशेर वित्त प्रोफेसर	भारतीय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त सिंगापुर विश्वविद्यालय
पीटर थार्मन प्रोग्राम आफिसर	यू.एस.ए.आई.डी.
प्रवीण विसारिया निदेशक	इन्स्टीच्यूट आफ इकोनोमिक ग्रोथ
पृथ्वी हल्दीया प्रबंध निदेशक	प्राइम डाटा बेस

आर. रविमोहन प्रबंध निदेशक	क्रिसिल
आर.एच. पाटिल प्रबंध निदेशक	नैशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया
राजेन्द्र पी. चिताले मैनेजिंग पार्टनर	एम.पी. चिताले एंड कम्पनी
एम.के. टंडन प्रबंध निदेशक	भारतीय साधारण बीमा निगम
राबर्ट पालशियोरा अर्थशास्त्री	विश्व बैंक
एस. एच. भोजानी कार्यकारी निदेशक	आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड
संजीव सचदेव लोबल मैनेजर इंडिया	प्रिन्सपल फाइनैन्सियल ग्रुप
सुरजीत भल्ला अध्यक्ष	आक्सस रिसर्च एंड इन्वेस्टमेन्ट
सुरान थामस हायक प्रोफेसर	इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
वी.एस. लशकर रपर आर्थिक सलाहकार	वित्त मंत्रालय
र्जित आर. पटेल कार्यकारी उपाध्यक्ष	इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फाइनेन्स कम्पनी
आई.एच. गलेजम बंध पार्टनर	एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
जय महल धान अर्थशास्त्री	नैशनल काउन्सिल आफ एयरलाइड इकोनोमिक रिसर्च
जित एम. शरण युक्त सचिव (बीमा)	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
लोक कुमार देशक (बैंकिंग)	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
शोक के झा. ीय शहरी कास कार्यालय	यू.एस.ए.आई.डी.
ुल चतुर्वेदी सचिव	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
बी.एन. सोम सदस्य (प्रचालन) डाक सेवा बोर्ड	संचार मंत्रालय, भारत सरकार
बबनी लाल संयुक्त निदेशक (एन.एस.ए.पी.)	ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
ब्रियन अग्रीही हैड आफ ग्रुप पालिसी डेवलपमेन्ट	प्रूडेन्शियल कारपोरेशन पी.एल.सी.
दिलीप मडगावकर चीफ इन्वेस्टमेंट आफीसर	प्रूडेन्शियल आई.सी.आई.सी.आई.ए.एम.सी.
दीपक सतवालेकर प्रबंधक निदेशक	एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड
धर्मेन्द्र देव संयुक्त सचिव	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
गौतम भारद्वाज प्रबंध निदेशक	इनवेस्ट इंडिया इकोनोमिक फाउन्डेशन
हेमन्त रस्तोगी हेड मार्केटिंग	आई.एन.जी. इनवेस्टमेंट मैनेजमेन्ट
के. सुब्रमण्यम एक्च्यूरी	बीमा नियामक विकास प्राधिकरण
निहाल कोठारी हेड आफ टैक्सेशन	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
नार्मन आर. सोरेनसेन अध्यक्ष	प्रिंसिपल इन्टरनैशनल इन्क.
पी.एस. सुब्रमण्यम अध्यक्ष	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
पी.सी. गुप्ता कार्यकारी निदेशक (एक्चूअरियल)	भारतीय जीवन बीमा निगम
आर. रंगनाथ निदेशक (बीमा)	वित्त मंत्रालय
राज प्रताप सिंह निदेशक	प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार
रिर्चाड मान्टेवर्डे वित्तीय अर्थशास्त्री	एसियन डेवलपमेंट बैंक
एस.एन. माथुर कन्सलटेन्ट	एशियन इन्स्टीच्यूट आफ ट्रान्सपोर्ट डेवलपमेंट
शिगेको हतोरी वित्तीय/पूंजी बाजार विशेषज्ञ	एशियन डेवलपमेंट बैंक

अजित रानाडे अर्थशास्त्री	आई.सी.आर.आई.ई.आर.
अशोक वधवा मैनेजिंग पार्टनर	एम्बिट कारपोरेट फाइनान्स
जान बावमैन ग्रुप हेड आफ पेंशन डेवलपमेंट	कमर्शियल यूनियन
नलिन ठाकोर सदस्य	परियोजना ओएसिस विशेषज्ञ समिति
सुधा पिल्लई संयुक्त सचिव	ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार
कल्पना मोरपारिया महाप्रबंधक	आई.सी.आई.सी.आई. लिमिटेड
पी.एम. भुजंग मेडिकल निदेशक	हरकिशन दास एन. हास्पीटल एंड रिसर्च सेन्टर
रिचर्ड ओवर्टन प्रबंध निदेशक	आई.टी.सी. ग्रेडनीडल
टिम बर्डसाल लाईफ एक्चुरी	कमर्शियल यूनियन
विनोद कुमार सदस्य	विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेषज्ञ सलाहकार पैनल
सी.आर. करोडे महाप्रबंधक	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा
एन. नागराजन सलाहकार	भारतीय रिजर्व बैंक
अलवर्तो मुसालेम पेंशन अर्थशास्त्री	विश्व बैंक
राजीव विज मुख्य कार्यकारी	टेम्पल्टन ए एम सी
एस. कुप्पुस्वामी महाप्रबंधक	भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मक्का की खेती

4010. श्री अनंत नायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषरूप से उड़ीसा में मक्का की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने की व्यापक सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान मक्का के उत्पादन के अंतर्गत आने वाले भू-क्षेत्र को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मक्का के उत्पादन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ग) जी, हां। उड़ीसा राज्य के समेत देश में मक्का के उत्पादन की काफी संभावना है। इसीलिये भारत सरकार 1995-96 से उड़ीसा समेत देश के 23 राज्यों के मक्का उत्पादक जिलों में एक त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) चला रहा है जिसके अन्तर्गत अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के संवितरण, प्रदर्शनों और प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रौद्योगिकी के अंतरण आदि के लिए सहायता दी जाती है। त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम (ए.एम.डी.पी.) के अन्तर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना के पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और देश भर में मक्का के क्षेत्र और उत्पादन का ब्यौरा और निर्धारित तथा निर्मुक्त धनराशि और 2000-2001 के लक्ष्य को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष		1997-98		1998-99		1999-2000*		2000-2001 लक्ष्य	
	विवरण	उड़ीसा	अखिल भारत	उड़ीसा	अखिल भारत	उड़ीसा	अखिल भारत	उड़ीसा	अखिल भारत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क्षेत्रफल (लाख है. में)	0.52	63.08	0.51	60.83	0.50	65.11	लक्ष्य निर्धारित नहीं	
2.	उत्पादन (लाख मी. टन)	0.64	108.54	0.66	106.78	0.66	107.76	0.90	110.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	आवंटित धनराशि (भारत सरकार का हिस्सा) (लाख रुपये)	43.58	1000.00	45.87	1000.00	35.18	890.00	11.22	800.00
4.	जारी की गई धनराशि (लाख रुपये)	31.50	650.00	63.00	495.00	35.18	510.00	–	–

*31.3.2000 के अनुसार अनुमानित।

केन्द्रीय भंडार के आपूर्तिकर्त्ता

4011. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केन्द्रीय भंडार को विभिन्न मदों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं के प्रति केन्द्रीय भंडार के अधिकारियों द्वारा दिखाई जाने वाली दुर्भावना और पक्षपात से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है जो इसके लिए उत्तरदायी पाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कथित अवधि के दौरान, आपूर्तिकर्त्ता के प्रति अभिकथित पक्षपात का केवल एक मामला ही केन्द्रीय भंडार के ध्यान में आया था।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर चल रहे संबंधित अधिकारी को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

4012. श्री राजो सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान बिहार में कृषि उत्पादों में वृद्धि हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) अब तक प्राप्त हुए परिणामों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार सरकार को इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वर्ष के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 1999-2000 के दौरान बिहार सरकार को निधियां निर्मुक्त की गई हैं, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकता में वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान निम्नवत वृद्धि का अनुमान है:-

वर्ष	क्षेत्र (000' है.)	उत्पादन (000' मी. टन)	कि.ग्रा./है.
1998-99	8958.5	12908.8	1441
1999-2000*	9079.0	13404.0	1476

*अग्रिम अनुमान

विवरण

बिहार में वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्यान्वयनाधीन केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची

(लाख रुपये)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1999-2000 के दौरान निर्मुक्तियां
1.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम	43.27
2.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत विकास	53.78
3.	समेकित मसाला विकास कार्यक्रम	14.30
4.	उर्वरकों का संतुलित व समेकित उपयोग	5.00
5.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा	44.10
6.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि	36.50
	कुल	196.95

[अनुवाद]

मिश्रधातु इस्पात संयंत्र

4013. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्पादन लागत में कमी लाने हेतु ए.ओ.डी. की स्थापना के लिए मिश्रधातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को 50 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) मिश्र इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर को 50 करोड़ रुपए निर्मुक्त करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

बाल गृह और निगरानी गृह

4014. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री रामानन्द सिंह :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान किशोरों संबंधी सामाजिक कुप्रबन्धन के निवारण और नियंत्रण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत निगरानी गृहों (बालिकाओं के लिए) और बाल गृहों को स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक राज्यवार कितने ऐसे गृह खोले गए हैं और कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(घ) क्या राज्य सरकारें भी इन गृहों को खोलने के लिए अंशदान दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र और राज्यों का अनुपात कितना है; और

(च) लम्बित प्रस्तावों का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण तथा नियंत्रण की योजना 6 किशोर न्याय के लिए एक कार्यक्रम के रूप में पुनर्नामित के अंतर्गत निरीक्षण गृहों/विशेष गृहों, बाल गृहों की स्थापना के

लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है।

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक खोले गए गृहों की संख्या तथा केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 में योजना के आरंभ वर्ष 1999-2000 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान के रूप में दी गई कुल राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार का अनुपात 50:50 है। दूसरे शब्दों में राज्य सरकारों द्वारा गृहों की स्थापना पर 50% व्यय करना अपेक्षित है।

(च) लम्बित प्रस्तावों की उक्त योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता की शर्त पर संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होते ही निकासी कर दी जाएगी।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या			वर्तमान स्थिति
		1997-98	1998-99	1999-2000	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	वारंगल, विशाखापत्तनम तिरूपति और करनूल में 4 निरीक्षण गृह	शून्य	1998-99 के दौरान 54.18 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
2.	असम	शून्य	बोक और सिलचर प्रत्येक में एक बाल ,गृह	शून्य	1998-99 के दौरान 10.00 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
3.	गुजरात	शून्य	पालमपुर में एक निरीक्षण गृह	शून्य	1998-99 के दौरान 9.03 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
4.	हरियाणा	शून्य	रिवाड़ी में एक बाल गृह	शून्य	1998-99 के दौरान 19.37 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	सुन्दर नगर में 1 बाल गृह ऊना में एक बाल गृह	शून्य	प्रस्ताव अपूर्ण था और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण और अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।
6.	केरल	एर्नाकुलम में एक बाल गृह	थालासरी में एक निरीक्षण गृह	इन्दुकी में एक निरीक्षण गृह	*12.50 लाख रुपए निर्मुक्त - 9.03 लाख रुपए निर्मुक्त अनेक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए
7.	मध्य प्रदेश	शून्य	सियोनी में एक-एक गृह सियोनी में एक निरीक्षण गृह इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सागर, रायपुर और बिलासपुर में लड़कियों के लिए निरीक्षण गृह सागर और इन्दौर प्रत्येक में एक बाल गृह	छतरपुर में सुरगुजा और गुना गुना में 3 निरीक्षण गृह	ये प्रस्ताव 1998-99 के दौरान प्राप्त हुए थे और विचार किया गया था लेकिन उस वर्ष के दौरान निधियों की अनुपलब्धता के कारण अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका। 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार से गृहों के निर्माण की स्थिति और इस उद्देश्य के लिए 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय संबंधी सूचना देने का

1	2	3	4	5	6
					अनुरोध किया गया था। उनसे 1999-2000 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान की पुष्टि करने का भी अनुरोध किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना अभी प्राप्त होनी है।
8.	मेघालय	शून्य	शून्य	इसमें किराए के भवन में निरीक्षण गृह की स्थापना	1.77 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए
9.	उड़ीसा	शून्य	दयाबिहार पुरी जिले में बाल गृह जो गैर सरकारी संगठन निलाचल सेवा प्रतिष्ठान द्वारा चलाया जा रहा है।	शून्य	प्रस्ताव अपूर्ण था और राज्य सरकार को अनेक स्पष्टीकरण और अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया थी, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।
10.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पश्चिम बंगाल	कटवा में एक बाल गृह जो गैर सरकारी संगठन आनन्द निकेतन द्वारा चलाया जा रहा है। (प्रस्ताव 1996-97 के दौरान प्राप्त हुआ)	पुरूलिया, किशालय और मिदनापुर में 3 निरीक्षण गृह	शून्य	1997-98 के दौरान 8,12,700 रुपए निर्मुक्त किए गए 1998-99 के दौरान 27,09,000 रुपए निर्मुक्त किए गए

विवरण-II

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अब तक खोले गए गृहों की संख्या					केन्द्र सरकार द्वारा 1986-87 से 1999-2000 तक दी गई राशि
		निरीक्षण गृह	बाल गृह	विशेष गृह	देखभाल गृह	कुल गृह	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	9	5	2	1	17	140.56
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	–	–	2	14.14
3.	असम	7	25	1	1	34	96.49
4.	बिहार	10	8	5	2	25	241.53

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा	2	2	2	–	6	62.52
6.	गुजरात	25	5	2	14	46	358.01
7.	हरियाणा	3	3	1	1	8	75.96
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1	–	2	6.9
9.	जम्मू और कश्मीर						1.64
10.	कर्नाटक	22	19	–	11	52	300.02
11.	केरल	12	5	2	–	19	221.23
12.	मध्य प्रदेश	22	2	3	1	28	633.47
13.	महाराष्ट्र	45	101	3	3	152	1237.26
14.	मणिपुर	1	2	1	–	4	7.27
15.	मेघालय	1	–	–	–	1	32.72
16.	मिजोरम	3	3	–	–	6	77.83
17.	नागालैंड	–	1	1	–	2	27.61
18.	उड़ीसा	12	2	–	–	14	83.56
19.	पंजाब	7	2	1	2	12	189.71
20.	राजस्थान	11	4	1	–	16	91.36
21.	सिक्किम	1	–	–	–	1	15.88
22.	तमिलनाडु	14	17	3	3	37	459.18
23.	त्रिपुरा	1	1	–	–	2	13.36
24.	उत्तर प्रदेश	59	10	1	–	70	647.76
25.	पश्चिम बंगाल	7	19	4	6	36	593.65
26.	अं. और निको. द्वीप समूह	–	–	–	–	–	1.64
27.	चंडीगढ़	1	1	1	–	3	2.00
28.	दादर और नगर हवेली	–	–	–	–	–	0.0
29.	दमन और द्वीव	–	–	–	–	–	1.64
30.	दिल्ली	3	11	–	–	14	43.59
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	1.64
32.	पांडिचेरी	1	1	1	1	4	3.83
	कुल	280	251	36	46	613	5683.77

[हिन्दी]

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला

4015. श्री हरिभाऊ शंकर महाले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में बनाये गये गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में संशोधन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। वार्षिक योजना 1997-98 को अंतिम रूप देने के समय उपाध्यक्ष, योजना आयोग और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठकों के दौरान कुछ मुख्यमंत्रियों ने सुझाव दिया था कि गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले की समीक्षा की जाए। मुख्यत: गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सहायता के आबंटन में निष्पादन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का सुझाव था कि पिछड़ेपन और गरीबी पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें

4016. श्री बसुदेव आचार्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में 125 मिलियन बच्चे खतरनाक कार्यों में नौकरी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत सरकार को बाल श्रम के सबसे घटिया प्रकारों को खत्म करने के लिए सिफारिशों की सूची भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाल श्रम समाप्त करने के लिए क्या तत्काल उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) देश में बाल श्रम के बारे में प्रामाणिक सूचना दस वर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार की जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार, भारत में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन है। कामकाजी बच्चों की राज्य-वार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जून, 1999 में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) के 87वें सत्र में आम सहमति से बाल श्रम के सर्वाधिक विकृति रूपों के प्रतिषेध और उसके उन्मूलन के लिए तत्काल कार्रवाई करने से संबंधित एक नया अं.श्र.सं. अधिसम संख्या 182 और सम्बद्ध सिफारिश सं. 190 आम सहमति से अंगीकार किए गए थे।

(घ) सरकार सभी किस्म के बाल श्रम उन्मूलन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। समस्या के स्वरूप और महत्व को समझते हुए बाल श्रमिकों को हटाने एवं उनके पुनर्वास के लिए एक धीमा, प्रगामी एवं सतत स्वरूप का दृष्टिकोण अपनाया गया है। अब तक कार्य से हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए देश के 92 बाल श्रम बहुल जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

विवरण

1991 की जनगणना के अनुसार कामकाजी बालकों का राज्य-वार विवरण

(मिलियन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1991		
	मुख्य कर्मकार	सीमान्त कर्मकार	कुल कर्मकार
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	1,537,293	124,647	1,661,940
2. असम	259,953	67,645	327,598

1	2	3	4
3. बिहार	795,444	146,801	942,245
4. गुजरात	373,027	150,558	523,585
5. हरियाणा	89,030	20,661	109,691
6. हिमाचल प्रदेश	30,771	25,667	56,438
7. जम्मू और कश्मीर	**	**	**
8. कर्नाटक	818,159	158,088	976,247
9. केरल	28,590	6,210	34,800
10. मध्य प्रदेश	997,940	354,623	1,352,563
11. महाराष्ट्र	805,847	262,571	1,068,418
12. मणिपुर	13,478	3,015	16,493
13. मेघालय	30,730	3,903	34,637
14. नागालैंड	16,106	370	16,476
15. उड़ीसा	325,250	127,144	452,394
16. पंजाब	132,414	10,454	142,868
17. राजस्थान	490,522	283,677	774,199
18. सिक्किम	5,254	344	5,598
19. तमिलनाडु	523,125	55,764	578,889
20. त्रिपुरा	13,506	2,972	16,478
21. उत्तर प्रदेश	1,145,087	264,999	1,410,086
22. पश्चिमी बंगाल	593,387	118,304	711,691
23. अंडमान और निकोबार	758	507	1,265
24. अरूणाचल प्रदेश	11,632	763	12,395
25. चंडीगढ़	1,839	31	1,870
26. दादर और नगर हवेली	2,677	1,739	4,416
27. दिल्ली	26,670	681	27,351
28. दमन और द्वीव	741	200	941
29. गोवा	3,938	718	4,656
30. लक्षद्वीप	17	17	34
31. मिजोरम	6,391	10,020	16,411
32. पांडिचेरी	2,565	115	2,680
कुल	9,082,141	2,203,208	11,285,349

*जनगणना नहीं की जा सकी।

नोट : 1991 के आंकड़े 5–14 वर्ष के कर्मकारों से संबंधित है।

तदर्थ अनुसंधान योजनाएं

4017. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को कतिपय तदर्थ अनुसंधान योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं को स्वीकृत करने और उनके लिए अनुदान देने के कार्य में विलम्ब होने का क्या कारण है; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन तदर्थ अनुसंधान योजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण के अनुसार।

विवरण

	तदर्थ अनुसंधान स्कीमें	स्थिति
1.	मराठवाड़ा भैंसों का पुनर्निधारण, मूल्यांकन और संरक्षण	31.61 लाख रुपये राशि की स्कीम पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और पहले वर्ष के लिए अनुदान जारी किया गया है। इसकी स्वीकृति में कोई देरी नहीं हुई है।
2.	मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली और परिभणी जिलों में हल्दी के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का अर्थशास्त्र	इस स्कीम पर परिषद द्वारा पहले से ही गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। इससे संबंधित निर्णय के विषय में वर्ष 2000 के अंत तक सूचित कर दिया जाएगा।
3.	खाद्य तथा रेशा फसलें-बाजार की पोषण क्रिया विधि, इसके लम्बे समय तक खराब न होने के गुणों और पेस्टिंग संबंधी व्यवहार के साथ-साथ इससे रोटी बनाने व अन्य खाद्य पदार्थ तैयार करने संबंधी विषयों का अध्ययन।	निर्णयता (रैफरी) की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
4.	अरहर मुरझान रोग-हेतु विज्ञान, महामारी विज्ञान तथा समेकित प्रबंध।	निर्णयता (रैफरी) की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
5.	सरकोंस्पोरा माउजि जीम (माइकोस्फेरेला म्यूइकोला) से होने वाले केले के सिगाटोका पत्ती चिती रोग के महामाही विज्ञान और प्रबंधन का अध्ययन।	इन स्कीमों पर विचार किया गया है/लेकिन इन्हें परिषद की कृषि उत्पाद उपकर निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।
6.	आम आधारित उत्पादों तथा उपोत्पादों में संपूर्ण आम का उपयोग।	इन स्कीमों पर विचार किया गया। लेकिन इन्हें परिषद की कृषि उत्पाद उपकर निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

स्वस्थाने पदोन्नति

4018. श्री ब्रजकिशोर त्रिपाठी :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1982, 1983 और 1984 की प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं में भर्ती अधिकारियों को उप सचिव के ग्रेड में स्वस्थाने पदोन्नति दे दी गई है;

(ख) क्या रक्षा मंत्रालय के तहत वायुसेना मुख्यालय प्रशासनिक सेवा के समान सेवा के सदस्यों को उप सचिव के समकक्ष ग्रेड में स्वस्थाने पदोन्नति नहीं दी गई है जिससे दोनों सेवाओं के बीच बैच समानता बाधित हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सिविल सेवा परीक्षा, 1982, 1983 के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय-सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी, वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर उप-सचिव के ग्रेड में नियुक्त कर दिए गए हैं। फिर भी, सिविल सेवा-परीक्षा, 1984 के माध्यम से नियुक्त किए गए अधिकारी अभी तक उप सचिव के ग्रेड में नियुक्त नहीं किए गए हैं।

(ख) से (घ) सशस्त्र सेना-मुख्यालय में सिविल स्टाफ अधिकारियों के वरिष्ठ सिविल स्टाफ अधिकारियों के स्तर पर स्वस्थाने पदोन्नति के प्रस्ताव की कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा जांच की गई। फिर भी यह देखा गया कि जिन परिस्थितियों के अंतर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारियों का वैयक्तिक आधार पर, स्वस्थाने उन्नयन किया गया था, सशस्त्र सेना-मुख्यालय के उपर्युक्त अधिकारियों के मामले में संगत नहीं थी। अत: रक्षा-मंत्रालय को संवर्ग की समीक्षा, संगठनात्मक अध्ययन आदि जैसे सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई जिससे उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति में चल रहे गतिरोध की समस्या का स्थायी समाधान होना प्रत्याशित था।

भूमिगत जल

4019. श्री जी.एस. बसवराज: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक उपयोग के लिए बोर किये गये कूपों के जरिये भूजल का अत्यधिक दोहन होने के कारण बैंगलोर के निकटस्थ औद्योगिक कस्बे होसूर में और इसके आस-पास क्षेत्रों में भूजल का स्तर, हाल ही के वर्षों में नीचे चला गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जल की अनुपलब्धता के कारण इस औद्योगिक केन्द्र में बहुत सी इकाइयां बंद होने की स्थिति में हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने जल आपूर्ति बढ़ाने और अवशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया है;

(घ) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने देशभर में इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कोई आकस्मिक योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के पास बंगलौर के निकट होसूर औद्योगिक कस्बे के आस-पास जल उपलब्ध न होने के कारण औद्योगिक इकाईयों के बन्द होने संबंधी कोई सूचना नहीं है।

(ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल आपूर्ति बढ़ाने तथा गन्दे जल के पुन:उपयोग करने के लिए कार्रवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(घ) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड देश के कुछ "अति-दोहित" और "डार्क" ब्लाकों में विभिन्न पुनर्भरण संरचनाओं की क्षमता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययनों" पर प्रायोगिक आधार पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना

4020. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में बहुत सी लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का वित्त पोषण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या चंबल नदी पर रामेश्वर घाट की इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना की अनुमति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के लिए कितनी राशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) योजना पर काम कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक पूरा होगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी हां, केन्द्र सरकार वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कुछ सिंचाई परियोजनाओं की अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है।

(ख) से (घ) राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई स्कीम के निर्माण के वास्ते कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

4021. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण सरकार द्वारा इस संबंध में प्रोत्साहन देने की योजना अब तक विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्य से सम्बद्ध प्रक्रिया को सरल बनाने और इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को भी शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस समय अन्तर्देशीय दत्तकग्रहण 1995 में जारी किये गये भारतीय बच्चों के दत्तकग्रहण संबधी संशोधित दिशा निर्देशों द्वारा किये जाते हैं जो भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। भारत में बच्चों का दत्तक ग्रहण हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अंतर्गत किया जाता है। इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को देश भर में एक समान दिशानिर्देशों का उपयोग करने संबधी अनुदेश परिचालित किये हैं ताकि देश के भीतर दत्तक ग्रहण को सुचारू बनाया जा सके। दत्तक ग्रहण क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठन भी बड़ी संख्या में शामिल हैं और यह मंत्रालय देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं के लिए गृहों (शिशु गृह) से संबंधित स्वैच्छिक संगठनों को सहायता संबंधी योजना का भी संचालन कर रहा है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरकारी कर्मचारी

4022. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात संवर्ग के कितने कर्मचारी केन्द्र सरकार की सेवाओं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबद्ध अभिकरणों व अन्य अन्तरराष्ट्रीय अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति अथवा तैनाती पर नियुक्त है;

(ख) क्या गुजरात सरकार द्वारा कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर से प्रतिबंध को उठा लिए जाने के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के सेवा-नियमों और गुजरात सरकार के नियमों में विसंगति उत्पन्न हो गई है चूंकि केन्द्रीय नियमों में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ग) क्या सरकार इन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को उपरोक्त (क) में उल्लिखित संवेदनशील विसंगति के परिप्रेक्ष्य में निरस्त करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या परिणाम हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा तथा भारतीय वन-सेवा के गुजरात संवर्ग के 38 अधिकारी केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इन सेवाओं के 2 अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र तथा उससे संबद्ध अभिकरणों और अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिकरणों में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं।

(ख) से (घ) गुजरात सरकार द्वारा मार्च 8, 2000 को जारी किये गये परिपत्र के अनुसार उपर्युक्त राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयं सेवक-संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने/उनसे जुड़ने का फिर से निषेध कर दिया है और इस प्रकार इस मामले में केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार के अनुदेशों में कोई भी विरोधाभास नहीं है।

जल प्रबंधन

4023. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने देश में जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय भावी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना के मुख्य संघटक क्या हैं; और

(ग) योजना में परिलक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हाँ।

(ख) से (ग) जल संसाधन विकास संबधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अन्तर सम्पर्क स्थापित करने की योजना है। इसमें दो मुख्य घटक अर्थात (क) हिमालयी नदी विकास, और (ख) प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन करने तथा सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए जुलाई, 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 65.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

गरीबी कम होना

4024. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 2000 में जारी प्रथम भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से मध्य तथा पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में राज्य-वार घटी/बढ़ी गरीबी की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है और

(ग) सरकार द्वारा गरीबी को और कम करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित इंडिया रूरल डिवेलपमेंट रिपोर्ट, 1999 के पृष्ठ-11 की तालिका 2.2 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या का पांच बार का राज्यवार प्रतिशत दिया गया है। ये, योजना आयोग द्वारा मार्च, 1997 को जारी किये गये गरीबी के सरकारी अनुमान हैं। इसे उद्धृत करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का प्रतिशत 1973-74 के 56.44 प्रतिशत से कम होकर 1993-94 में 37.27 प्रतिशत हो गया है। रिपोर्ट में व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं तथा साथ ही विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किये गये ग्रामीण गरीबी के अनुमानों को भी उद्धृत किया गया है। 1973-74 तथा 1993-94 में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के अनुमान तथा इस अवधि के दौरान राज्य स्तर पर उसमें हुई बढ़ोत्तरी/कमी के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) देश में गरीबी में कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। ये हैं (क) आर्थिक विकास में तेजी लाना (ख) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने आदि के माध्यम से मानव व सामाजिक विकास, तथा (ग) रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

हाल ही में, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पर सीधे प्रहार हेतु कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है। आईआरडीपी तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को मिलियन वैल्स स्कीम के साथ ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नाम से एक एकल स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में पुन: संरचित कर दिया गया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है, गरीबी उपशमन हेतु संकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना। जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) को भी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) के रूप में पुन: संरचित किया गया है जिसका प्राथमिक उद्देश्य है-ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसम्पत्ति सहित मांग चालित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना का सृजन करना तथा सतत रोजगार हेतु अवसरों में वृद्धि के लिए ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाना है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों हेतु पूरक रोजगार का सृजन करना है। रोजगार आश्वासन स्कीम को भी 1.4.1999 से एक एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में सुदृढ़ बनाया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रह रहे परिवारों को दिया जाता है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1973-74	1993-94	बढ़त (+) कमी (-)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	48.41	15.92	-32.49
2.	अरूणाचल प्रदेश	52.67	45.01	-7.66
3.	असम	52.67	45.01	-7.66
4.	बिहार	62.99	58.21	-4.78
5.	गोवा	46.85	5.34	-41.51
6.	गुजरात	46.35	22.18	-24.17
7.	हरियाणा	34.23	28.02	-6.21
8.	हिमाचल प्रदेश	27.42	30.34	2.92
9.	जम्मू और कश्मीर	45.51	30.34	-15.17
10.	कर्नाटक	55.14	29.88	-25.26
11.	केरल	59.19	25.76	-33.43
12.	मध्य प्रदेश	62.66	40.64	-22.02
13.	महाराष्ट्र	57.71	37.93	-19.78
14.	मणिपुर	52.67	45.01	-7.66
15.	मेघालय	52.67	45.01	-7.66
16.	मिजोरम	52.67	45.01	-7.66
17.	नागालैण्ड	52.67	45.01	-7.66
18.	उड़ीसा	67.28	49.72	-17.56
19.	पंजाब	28.21	11.95	-16.26
20.	राजस्थान	44.76	26.46	-18.30
21.	सिक्किम	52.67	45.01	-7.66
22.	तमिलनाडु	57.43	32.48	-24.95
23.	त्रिपुरा	52.67	45.01	-7.66
24.	उत्तर प्रदेश	56.53	42.28	-14.25

2	3	4	5
25. पश्चिम बंगाल	73.16	40.80	-32.36
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	57.43	32.48	-24.95
27. चंडीगढ़	27.96	11.35	-16.61
28. दादरा एवं नागर हवेली	46.85	51.95	5.10
29. दमण और द्वीव	-	5.34	-
30. दिल्ली	24.44	1.90	-22.54
31. लक्षद्वीप	59.19	25.76	-33.43
32. पाण्डिचेरी	57.43	32.48	-24.95
अखिल भारत	56.44	37.27	-19.17

विद्युत-संयंत्रों और शेयरों की बिक्री

4025. श्री रूपचन्द पाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के बोकारो, दुर्गापुर और राउरकेला विद्युत संयंत्रों और शेयरों को बेचने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरियों का संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों के लिए संयुक्त उद्यम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है:

* राउरकेला इस्पात संयंत्र और राउरकेला में केन्द्रीय विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र में 2 × 60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II
* दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 2×50 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II
* बोकारो इस्पात संयंत्र में 122 मेगावाट (2×55 मेगावाट+12 मेगावाट बैक प्रैशर टरबाइन) का निजी विद्युत संयंत्र-I, 3×60 मेगावाट का निजी विद्युत संयंत्र-II और 660 एम टी/घंटे की वाष्प सृजन क्षमता।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने नीतिपरक साझेदार के चयन हेतु निम्नलिखित पूर्व-शर्तें निर्धारित की हैं:

(1) विद्युत संयंत्रों में कार्यरत कार्मिकों और संबधित परिसंपत्तियों को नियोजित किया जाएगा।

(2) कर्मचारियों की सेवा शर्तें सेल में मौजूदा सेवा शर्तों से कमतर नहीं होंगी।

(3) कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे आवास, चिकित्सा आदि जैसे लाभ उपलब्ध करवाये जाते रहेंगे।

[हिन्दी]

आई.पी.एस./आई.ए.एस./आई.एफ.एस. में अन्य पिछड़े वर्ग

4026. श्री राम टहल चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा की परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के कितने प्रत्याशियों ने उच्च स्थान प्राप्त किये हैं; और

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां के ये प्रत्याशी हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) मई 25, 1999 को घोषित किए गए सिविल सेवा परीक्षा, 1998 के परिणाम के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग के 17 उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा में, 03 उम्मीदवार भारतीय विदेश-सेवा में और 10 उम्मीदवार भारतीय पुलिस-सेवा में आबंटित किए गए हैं।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा में आबंटित किए गए 17 उम्मीदवारों में से (01) आंध्र प्रदेश के, (01) असम के, (05) बिहार के, (01) केरल के, (02) मध्य प्रदेश के, (02) महाराष्ट्र के, (01) राजस्थान के और (04) उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। भारतीय विदेश सेवा में आबंटित 03 उम्मीदवारों में से बिहार, कर्नाटक और पंजाब राज्य का एक-एक उम्मीदवार है। भारतीय पुलिस सेवा में आबंटित 10 उम्मीदवारों में से (01) आंध्र प्रदेश के, (03) बिहार के, (01) केरल के, (01) मध्य प्रदेश के, (03) तमिलनाडु के और (01) उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। कोष्ठक में दर्शाए गए अंक संबंधित राज्यों के उम्मीदवारों की संख्या दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की परमाणु क्षमता

4027. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जनवरी, 2000 को "द टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार-शीर्षक, "पाकिस्तान कैन एन-टिप मिसाइल्स बेटर: एक्सपर्ट" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं जिसमें अमरीका के विश्लेषक के उस विश्लेषण को उद्धृत किया गया है कि पाकिस्तान के पास मिसाइलों पर नाभिकीय अस्त्रों को ले जाने की बेहतर क्षमता है।

(ग) सरकार सामूहिक विनाश के हथियारों सहित अस्त्र शस्त्रों तथा उनको ले जाने वाले साधनों के अनुसंधान, विकास एवं उनके अधिग्रहण पर निकट दृष्टि रखती है। सरकार चुनौती के प्रति अपने आंकलन के अनुरूप देश की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की संरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

दुग्ध संघों को ऋण

4028. डा. चरणदास महंत: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कितने दुग्ध संघों को "ऑपरेशन फ्लड" योजना के अंतर्गत अल्पावधि के ऋण दिए गए हैं तथा इन ऋणों की वापसी हेतु क्या-क्या नियम एवं शर्तें हैं और ये ऋण कब-कब से दिए गए हैं;

(ख) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार इन दुग्ध संघों द्वारा देय कितने ऋण, ब्याज तथा शेष धनराशि बकाया है;

(ग) क्या रुग्ण दुग्ध संघों द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नियमों के अनुसार ऋण और ब्याज का पुन: भुगतान कर दिए जाने की संभावना है तथा सरकार द्वारा इन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन दुग्ध संघों को अपनी-अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने हेतु कोई सहायता देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) मध्य प्रदेश में केवल एक दुग्ध फैडरेशन है और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इसे कोई अल्पकालिक ऋण नहीं दिया है।

(ख) से (ङ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा से आई.ए.एस. अधिकारी

4029. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा से चयन किये गये अनेक आई.ए.एस. अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नौकरियां प्रदान *नहीं की गई हैं;*

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय-वार तथा बैच-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित चयनित सभी आई.ए.एस. अधिकारियों की कब तक नियुक्ति किये जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्र में उप सचिव और उससे उपर के स्तरों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति विनियमित किये जाने की मौजूदा योजना केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में विस्तृत रूप से निरूपित की गई है। केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में, विभिन्न पदों पर अधिकारियों के चयन तथा उनकी नियुक्ति का प्रावधान इस मूलभूत सिद्धान्त के आधार पर है कि सेवाओं में इस प्रकार लिए गए अधिकारी, निर्धारित कार्यकाल तक भारत सरकार के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर सेवारत रहेंगे और उसके पश्चात् वे अपने मूल संवर्ग में लौट जाएंगे। केन्द्रीय सरकार की आवश्यकताओं को सर्वोच्च महत्व देते समय अधिकारी की वरिष्ठता, योग्यता, सक्षमता और केन्द्र सरकार में रिक्त पद विशेष हेतु अधिकारी की विशिष्ट उपयुक्तता पर समुचित विचार किया जाता है। विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने की दृष्टि से अधिकारियों की उपयुक्तता आंकते समय ध्यान में रखे जाने वाले मानदंडों में जाति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अत: अपनी वरिष्ठता, योग्यता और सक्षमता के आधार पर भारत सरकार के अंतर्गत इन पदों पर नियुक्त किये गये या नियुक्त किये जा सकने वाले अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की संख्या से संबंधित आंकड़े न तो रखे जाते हैं और न ही रखे जाने अपेक्षित हैं।

नौकरियों में आरक्षण

4030. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सरकारी सेवा में तथा निजी शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए नौकरी में 15 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को युक्तियुक्त बनाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में पहली बार अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण किया गया है; और

(घ) क्या इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा मान लिया गया है और यह निर्णय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए किस प्रकार सहायक होगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षणों का यौक्तिकीकरण) अध्यादेश, 1998 यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है कि आरक्षणों का लाभ सभी अनुसूचित जातियों को समान और उचित उपयोग के लिए उपलब्ध हो तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में किसी तरह उल्लेख अथवा हस्तक्षेप किए बिना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की तर्क संगत व्याख्या प्रस्तुत करते हुए संवैधानिक अधिदेश लागू हो।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्तियां

4031. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को माध्यमिक/स्नातक स्तर पर दी गई शैक्षिक छात्रवृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे कितने छात्रों को लाभ पहुंचा और छात्रवृत्ति के रूप में पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक तौर पर राज्य-वार कितनी राशि संवितरित की गई;

(ग) यदि हां, तो छात्रवृत्ति की दरें अंतिम बार कितनी निर्धारित की गई थीं;

(घ) क्या सकल घरेलू उत्पादों के मूल्यों और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति की श्रेणी में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को शामिल करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों को विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए माध्यमिक/स्नातक स्तर पर चार केन्द्रीय प्रायोजित शैक्षिक छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, वे हैं:

1. अस्वच्छ व्यावसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना।
3. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना।
4. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना।

वर्ष 1999-2000 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित *छात्रों की संख्या तथा राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।*

(ग) उपर्युक्त योजनाओं की दरों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II पर हैं।

(घ) और (ङ) कुल समग्र घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) फिलहाल, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए इन योजनाओं को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ज) फिलहाल नई योजनाएं शुरू नहीं की जा रही हैं। शैक्षिक सुविधाओं और विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पहले से ही योजनाएं विद्यमान हैं:

1. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के प्रत्याशियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण।
5. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक
6. *अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों* का कौशल उन्नयन
7. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना
8. *अन्य पिछड़े वर्ग* के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति
9. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
10. अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण तथा
11. पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग

विवरण I

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति वर्ष 1999-2000 के दौरान कवर और निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (अनुमानित)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता			लाभार्थियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2761.582	963.023	3724.605	222087	44946	267033
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	130	130	0	9713	9713
3.	असम	328.65	2005.599	2334.249	16486	143685	160171
4.	बिहार	468.476	1206.896	1675.372	86332	91267	177599
5.	गोवा			0	125	0	125
6.	गुजरात			0	44327	56936	101263
7.	हरियाणा			0	13470	0	13470
8.	हिमाचल प्रदेश		18	18	4478	3662	8140
9.	जम्मू और कश्मीर		12	12	5729	3457	9186
10.	कर्नाटक	1092.18	243	1335.18	110020	32118	142138
11.	केरल	554.865	185	739.865	45393	4090	49483
12.	मध्य प्रदेश	193.849		193.849	89357	80000	169357
13.	महाराष्ट्र			0	223018	45435	268453
14.	मणिपुर	49.36	672.42	721.78	2859	25813	28672
15.	मेघालय	2.984	605.542	608.526	500	28285	28785
16.	मिजोरम	0	334.75	334.75	0	16934	16934
17.	नागालैंड	0	673.11	673.11	0	21991	21991
18.	उड़ीसा	342.24	323.16	665.4	42949	32495	75444
19.	पंजाब			0	44055	0	44055
20.	राजस्थान	308.28	218.31	525.59	51889	41023	92912
21.	सिक्किम			0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	516.86		516.86	165000	660	165660
23.	त्रिपुरा	136.82	53.19	190.01	7623	4820	12443
24.	उ.प्र.	1257.847	4	1261.847	267812	2912	270724

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	पं. बंगाल	878.0066	33	411.0066	117760	8905	126665
26.	अं. और निकोबार			0.5476		182	182
27.	दमन और दीव			1.27	81	59	140
28.	दादर और नगर हवेली				40	379	419
29.	दिल्ली				4925		4925
30.	पांडिचेरी			15	2701		2701
	कुल	8392	7681	16089.82	1569016	699767	2268783

1999-2000 के दौरान अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति हेतु कवर और निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (अनुमानित)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त के. स.	लाभार्थियों की संख्या
	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	74.07773	17816
2.	असम	शून्य	3880
3.	बिहार	33.25	7200
4.	गोवा	शून्य	103
5.	गुजरात	306.33325	158526
6.	हरियाणा	13.44	23865
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	2052
8.	जे. एंड के.	शून्य	1908
9.	कर्नाटक	शून्य	8304
10.	केरल	7.0035	2519
11.	मध्य प्रदेश	86.04775	74189
12.	महाराष्ट्र	174.6635	52654
13.	उड़ीसा	7.72784	1810
14.	पंजाब	4.83093	9964
15.	राजस्थान	शून्य	29600
16.	सिक्किम	0.60175	251
17.	तलिनाडु	63.26125	30920
18.	त्रिपुरा	2.0225	3955
19.	उत्तर प्रदेश	शून्य	5693
20.	पश्चिम बंगाल	शून्य	541
21.	दिल्ली	शून्य	185
22.	पांडिचेरी	15	1870
	कुल	788.26	427805

अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और कवरेज. (अनुमानित)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता		लाभार्थियों की संख्या	
		मैट्रिक पूर्व	मैट्रिकोत्तर	मैट्रिक पूर्व	मैट्रिकोत्तर
1.	आंध्र प्रदेश	400	366.38	86000	29547
2.	कर्नाटक	0	128.62	0	12035
3.	त्रिपुरा	100	55	46292	3475
	कुल	500	550	132292	45057

विवरण II

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और अन्य पिछड़ा वर्ग को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत होस्टल वासियों तथा दिवा छात्रों के लिए पाठ्यक्रम वार अनुरक्षण भत्ते की दरें।

अनुरक्षण भत्ता के पाठ्यक्रम	(रुपये प्रतिमाह) होस्टलवासी तथा दीवाछात्रों के लिए अनुरक्षण भत्ता दर	
(1)	(2)	(3)
समूह "क" 425	190	
चिकित्सा/प्रौद्योगिकी भारतीय औषधि में डिग्री स्तर का चिकित्सा पाठ्यक्रम बी.ए.एम. तथा एस और आयुर्वेद, यूनानी तिब्बिया तथा होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति में तुलनात्मक पाठ्यक्रम		
बी.एस.सी. (कृषि/बी.वी.एस.सी.)		
बी.वी.एस.सी. (मत्स्यपालन)		
कृषि तथा पशुचिकित्सा में उच्चतर तकनीकी तथा सभी व्यावसायिक अध्ययन जैसे डिग्री स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
समूह "ख"	290	190
भारतीय चिकित्सा में स्तरीय पाठ्यक्रम तथा आयुर्वेद/यूनानी/तिब्बिया तथा होमोयोपैथी चिकित्सा पद्धति में तुलनात्मक पाठ्यक्रम		
औषधि प्रौद्योगिकी, तकनोलीजी, वास्तुशिल्प, औषधि में डिप्लोमा तथा तुलनात्मक पाठ्यक्रम और मुद्रण तकनीकी में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा समुद्रपारीय नक्शानवीस, सर्वेक्षण, वाणिज्यिक जहाज चालक के लिए पाठ्यक्रम, होटल प्रबंधन, कैटरिंग तकनीकी तथा अप्लायड पोषाहार में डिप्लोमा तथा उच्चतर पाठ्यक्रम		
नर्सिंग तथा फार्मेसी में डिग्री तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
बेतार तथा दूरदर्शन आपरेटर/ध्वनि रिकार्डिंग तथा ध्वनि प्रौद्योगिकी, चलचित्र/फोटोग्राफी, फिल्म निर्देशन/अभिनय/पटकथा लेखन, कार्य प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चार्टेड तथा कास्ट/वर्क्स एकाउन्टेंसी		
विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		
समूह "ग"	290	190
इंजीनियरी/तकनीकी/वास्तुशिल्प चिकित्सा में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, कृषि, फार्मेसी, पशु चिकित्सा, मत्स्यपालन, दुग्ध विकास, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य. स्वच्छता निरीक्षक पाठ्यक्रम, ग्रामीण सेवाएं, सहकारिता तथा सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय, नागपुर में उप अधिकारी पाठ्यक्रम, पुस्तकालय विज्ञान शिक्षक प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा, गाना ललित		

(1)	(2)	(3)
कला तथा विधि में डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा, होटल प्रबंधन/कैटरिंग प्रबंधन तथा उच्च पोषाहार, यात्री यातायात प्रबंधन, फार्मेसी, में सम्बद्ध डिग्री में प्रमाणपत्र कला तथा वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।		
समूह "घ"	**230**	**120**
स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष और आगे)		
समूह "ङ"	**150**	**90**
स्नातक स्तर तक इन्टरमिडिएट पाठ्यक्रम तथा सामान्य पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष		

(ख) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा अन्य पिछड़ावर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें।

(1) छात्रावास वाले छात्र

कक्षा 3 से 10 तक छात्रावास वाले छात्रों को शामिल किया जायेगा।

छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:

कक्षा 3 से 8	200/-रु. प्रति माह 10 महीने के लिए।
कक्षा 9 से 10	250/-रु. प्रति माह 10 महीने के लिए।

(2) दिवा छात्र

इसमें कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के दिवा छात्र शामिल होंगे। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:

कक्षा 1 से 5	25/- रु. प्रति माह 10 महीने के लिए।
कक्षा 6 से 8	40 रु./ प्रति माह 10 महीने के लिए
कक्षा 9 से 10	50/- रु. प्रति माह 10 महीने के लिए।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा चलायी जा रही औद्योगिक इकाइयाँ

4032. श्री रघुराज सिंह शाक्य:
डॉ. जसवन्त सिंह यादव:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही औद्योगिक इकाइयों/संस्थानों के वर्ष 1999-2000 के दौरान कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज्य-वार कितनी औद्योगिक इकाइयाँ चलाई जा रही हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों द्वारा कितना कार्य किया गया; और

(ङ) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इस समय कितने ग्रामीण उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देश में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 5149 पंजीकृत संस्थान हैं, 798435 वैयक्तिक हैं, 30130 सहकारी सोसाइटियाँ कार्य कर रही हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) उत्पादन, रोजगार, बिक्री और आय की शर्तानुसार विगत तीन वर्षों के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्य-निष्पादन रिपोर्ट निम्नांकित है:

(करोड़ रु. में)
(रोजगार लाखों में)

	1996-97	1997-98	1998-99
उत्पादन	4516.25	4519.31	5112.37
बिक्री	4814.00	5065.28	5601.00
रोजगार	58.17	56.50	58.29
आय	1532.55	1546.34	1797.54

(ङ) एक छोटी सी प्रतिबंधित सूची के अलावा खादी ग्रामोद्योग आयोग सभी ग्राम उद्योगों के गठन को प्रोत्साहित करता है।

विवरण

31.3.1999 की स्थिति के अनुसार खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, सहकारी सोसाइटियाँ और वैयक्तिक संस्थानों संबंधी ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य और संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत संस्थानों की सं.	सहकारी सोसाइटियों की सं.	वैयक्तिक सं.
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	284	2427	115910
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	1	145
3.	असम	35	298	7517
4.	बिहार	86	3065	43259
5.	गोवा	21	1	4366
6.	गुजरात	35	897	4222
7.	हरियाणा	362	433	29625
8.	हिमाचल प्रदेश	60	2	17885
9.	जम्मू एवं कश्मीर	22	1264	21492
10.	कर्नाटक	312	3822	15060
11.	केरल	38	1880	12813
12.	मध्य प्रदेश	135	886	19696
13.	महाराष्ट्र	967	2136	37272
14.	मणिपुर	17	293	14003
15.	मेघालय	1	13	7043
16.	मिजोरम	–	98	4520
17.	नागालैंड	5	–	10862
18.	उड़ीसा	77	3531	349
19.	पंजाब	152	794	40778
20.	राजस्थान	110	1586	111673
21.	सिक्किम	–	1	1717
22.	तमिलनाडु	131	3219	38246
23.	तिरपुरा	5	–	171
24.	उत्तर प्रदेश	2098	3174	145682
25.	पश्चिमी बंगाल	183	260	85365
26.	अंडमान एवं निकोबार	–	–	485
27.	चंडीगढ़	–	15	418
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–	1
29.	दमन व द्वीव	–	–	–
30.	दिल्ली	10	24	5612
31.	लक्षद्वीप	–	8	17
32.	पांडिचेरी	1	2	2231
	जोड़	5149	33130	798435

पाकिस्तानी जेलों में यातना भोग रहे भारतीय

4033. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री रामपाल सिंह:
श्री जितेन्द्र प्रसाद:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पाकिस्तानी जेलों में कितने भारतीय यातना भुगत रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनमें से कितनों को मुक्त किया गया;

(ग) कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कितने नागरिकों और सेनाकर्मियों को बंदी बनाया गया; और

(घ) जेल में बंदी भारतीयों को मुक्त करने और वर्तमान में पाकिस्तान में बंदी व्यक्तियों के परिवारों की सहायता करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि 1040 भारतीय राष्ट्रिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 595 भारतीय राष्ट्रिकों की रिहाई हुई।

(ग) शून्य।

(घ) पाकिस्तानी जेलों में नजरबन्द भारतीय राष्ट्रिकों की शीघ्र रिहाई तथा उन्हें भारत प्रत्यावर्तित करने का मामला पाकिस्तान के साथ बार-बार तथा सभी स्तरों पर उठाया गया है। पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय राष्ट्रिकों की शीघ्र रिहाई के हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

[अनुवाद]

प्रशासनिक ढांचे में कमी किया जाना

4034. श्री सुबोध मोहिते:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जून, 2000 तक सरकार का आकार छोटा करने के लिए एक समयबद्ध पांच स्तरीय पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौकरशाही का आकार छोटा करने और व्यय में कमी करने के अपने प्रयासों के रूप में मंत्रालयों के अधीन अनेक आयोग और विभागों को बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या, आकार छोटा करने के वायदे के बावजूद बढ़ रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) सरकार प्रशासनिक ढांचे के आकार को कम करने और इस दिशा में कार्रवाई करने की आवश्यकता के प्रति सचेत रही है। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा योजनागत और गैर-योजनागत पदों के सृजन पर नियंत्रण रखने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी किये जाते रहे हैं। अगस्त, 1999 में उस मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी किये गए थे कि वे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के साथ परामर्श करके, मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि में रिक्त पड़े सभी पदों की समीक्षा करें। इन अनुदेशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की व्यवस्था की गई है कि इस समीक्षा के पूरी होने तक, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अनुमोदन के बिना कोई भी खाली पद नहीं भरा जाएगा। इसके अलावा, ऐसे मंत्रालयों/विभागों को, जिन्होंने जनवरी, 1992 में पदों में एक समान रूप से 10% कटौती करने के संबंध में दिये गये आदेश का अनुपालन करते हुये (1.1.1992 की स्थिति के अनुसार) पदों की संख्या में कमी करने से संबंधित सरकार के निर्णय को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया है, उस निर्णय को तत्काल पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना अनुसार, इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों के लगभग 1.6 लाख पद पहले ही समाप्त कर दिये गये हैं।

सरकार के ढांचे को पुनर्व्यवस्थित/सही करने के संबंध में किये गये प्रशासनिक उपायों के एक हिस्से के रूप में भारत

सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे निम्नलिखित उपायों के संबंध में कार्रवाई करें:

(1) 1.1.1992 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या में 10% कटौती करना, यदि ऐसा पहले न किया गया हो, तथा जनवरी, 1992 और दिसम्बर, 1999 के बीच सृजित पदों में और 10% कमी करना।

(2) व्यय विभाग के दिनांक 5.8.99 के कार्यालय ज्ञापन संख्या (7(3)/ई(समन्वय)/99 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और उसके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में खाली पड़े सभी पदों की समीक्षा करना।

(3) सभी अस्थायी पदों की समीक्षा करना ताकि उन्हें 28 फरवरी, 2000 से समाप्त किया जा सके।

(4) कर्मचारी निरीक्षण एकक की ऐसी रिपोर्टों को जून, 2000 से पूर्व एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्यान्वित करना, जिन पर मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों की सहमति हो।

(5) डेस्क अधिकारी प्रणाली को और अधिक क्षेत्रों में शुरू करने पर विचार करना।

(ङ) और (च) केन्द्र सरकार में 31 मार्च, 1996, 31 मार्च, 1997 और 31 मार्च, 1998 को स्वीकृत (असैनिक) पदों की संख्या क्रमश: 42.18 लाख, 42.18 लाख और 41.93 लाख थी। 31 मार्च, 1996 की तुलना में 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत पदों की संख्या में लगभग 25,000 पदों की मामूली कमी आई। पदों की उपर्युक्त स्वीकृत संख्या के तहत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वास्तविक संख्या 31 मार्च, 1996 को 38.93 लाख, 31 मार्च, 1997 को 38.95 लाख तथा 31 मार्च, 1998 को 38.47 लाख थी।

सिंगापुर का दौरा

4035. श्री आर.एस. पाटिल:
श्री अनंत गुढ़े:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.जी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री प्रकाश जावडेकर:
श्री जी.जे. जाखीया:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश और व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल ने हाल ही में सिंगापुर का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को विकसित करने/बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए किन प्रस्तावों पर बातचीत की गई;

(ग) सिंगापुर की इस यात्रा का क्या परिणाम हुआ साथ ही निवेश संबंधी किन-किन सौदों को अंतिम रूप दिया गया और ई-कॉमर्स से संबद्ध अनुसमर्थित सेवाओं तथा जनशक्ति, अनुसंधान और विकास इत्यादि को विकसित करने के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के क्या प्रभाव होंगे;

(घ) अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधिमण्डल द्वारा अन्य देशों की यात्रा करने की योजना क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने 28 मार्च, 2000 से 31 मार्च, 2000 की अवधि के दौरान सिंगापुर का दौरा किया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों पर सहमति हुई है:

1. इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य
2. इलेक्ट्रॉनिक सरकार
3. सूचना सुरक्षा
4. मानव संसाधन विकास
5. अनुसंधान, डिजाइन एवं विकास
6. तृतीय विश्व बाजारों, विशेषरूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बाजारों, का पता लगाना।

इस संदर्भ में, सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने के प्रयोजन से सूचना प्रौद्योगिकी में एक कार्य दल का गठन करने के लिए भारत सरकार तथा सिंगापुर सरकार के बीच एस समझौता-पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) विस्तृत अनुवर्ती कार्रवाई तैयार करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया है:

- भारत में आईसीटी प्रतिभा इन्क्यूबेटरों की स्थापना करना
- भारत में उच्चतर अधिगम संस्थानों का चयन करना
- अंकीय हस्ताक्षरों का सुमेलन तथा प्रतिप्रमाणन
- भारत तथा सिंगापुर के बीच इन्टरनेट सम्पर्क में वृद्धि करना
- परस्पर सक्रिय ब्रोडबैण्ड मल्टीमीडिया विषय-वस्तु, सूचना सुरक्षा तथा ई-सरकार का संयुक्त रूप से विकास करना तथा
- भारत और सिंगापुर के बीच आईसीटी प्रतिभाओं के विकास, पारम्परिक सम्पर्क तथा विनिमय की सुविधा प्रदान करना।

(ङ) सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ऐसे दौरों की योजना बनाई जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

4036. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान और उसके पश्चात् किए गए भारत-अमरीका प्रोटोकॉल/व्यापार समझौता/संयुक्त उद्यमों से अगले कुछ वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को दस गुना बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तकनीकविदों तथा इंजीनियरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) जानकारी आधारित उद्योगों में भारत अमरीका आर्थिक सहयोग के परिणामस्वरूप उन्नयन, विस्तार और सुदृढ़ किए जाने वाली संस्थाएं कौन-कौन सी हैं; और

(घ) वर्ष 2000-2001 हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अंतिम रूप दी गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) भारत के प्रधानमंत्री तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें 21वीं शताब्दी में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों पर उनका दृष्टिकोण संक्षेप में दिया गया है। दृष्टिकोण बयान में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को स्वीकार किया गया है कि दोनों राष्ट्र सूचना युग में अग्रणी हैं तथा नवीन उच्च प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में अग्रवर्ती हैं। दोनों पक्षों ने एक नियमित, व्यापक स्तर के वार्तालाप की शैली स्थापित की है जिसमें व्यापार तथा वाणिज्य वित्त एवं पूंजीनिवेश के क्षेत्र शामिल हैं। आर्थिक एवं वाणिज्यिक वार्तालाप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परस्पर लाभदायक सहयोग में वृद्धि होने की संभावना है। ज्ञान पर आधारित उद्योगों में सहयोग पर फिक्की तथा संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत व्यवसाय परिषद् के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता-पत्र (एमओयू) से ज्ञान पर आधारित उद्योगों में सहयोग को भी लाभ होगा।

(ख) चूंकि इस समय लगभग 58 प्रतिशत सॉफ्टवेयर का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जा रहा है, अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2008 तक देश में कुल 22 लाख सॉफ्टवेयर व्यवसायविदों की आवश्यकता होगी, यह उम्मीद है कि केवल सॉफ्टवेयर क्षेत्र में ही भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार के लिए सॉफ्टवेयर व्यवसायविदों की आवश्यकता वर्ष 2008 तक 10 लाख से कुछ ज्यादा होगी।

(ग) और (घ) ज्ञान पर आधारित उद्योगों में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक सहयोग के संदर्भ में अलग से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया है। किन्तु, देश में सॉफ्टवेयर व्यवसायविदों की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक आम उपाय के रूप में विद्यमान 43 अग्रणी इंजीनियरी कालेजों/क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का दर्जा आईआईटी स्तर तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण कोटा

4037. श्री रामानन्द सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पिछड़ी जातियों के आरक्षण कोटे को 27 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव गत पांच वर्षों से लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के बहुत से राज्यों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों हेतु आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत के अधिक है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में कुल आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाए जाने में क्या कठिनाई है; और

(घ) मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों को कब तक 27 प्रतिशत आरक्षण कोटा प्रदान किया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

4038. डा. संजय पासवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों के 97 उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा अन्तिम तौर पर उत्तीर्ण कर ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या 97 उम्मीदवारों में से अन्य पिछड़े वर्गों के 47 उम्मीदवारों का चयन रद्द कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग (इसके बाद विवरण में सं.लो.से.आ.) यू.पी.एस.सी.) के नाम से संदर्भित) ने सिविल सेवा परीक्षा (सी.एस.ई.), 1997 के आधार पर, अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सीज.) के कुल 215 उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु संस्तुत किया था : इन 215 उम्मीदवारों में से, अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित 166 रिक्तियों को भरने हेतु 166 उम्मीदवार, पात्रता के शिथिलीकृत मानक अपनाकर संस्तुत किए गए थे, शेष 49 उम्मीदवार, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के एक भाग-स्वरूप, नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए थे क्योंकि वे सिविल सेवा परीक्षा, 1997 में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को सुलभ ढीलों/रियायती में से किसी भी ढील/रियायत का लाभ उठाए बिना ही अर्ह (सफल) रहे थे।

2. योग्यता-क्रम में उम्मीदवारों की स्थिति, उपलब्ध सेवाओं के संबंध में पसंद के क्रम, श्रेणी-वार रिक्ति, डॉक्टरी तौर पर स्वास्थ्य की दुरूस्ती की स्थिति और पिछले रोजगार को ध्यान में रखते हुए, 28 भिन्न-भिन्न सेवाओं/पदों के संबंध में उम्मीदवारों को किसी सेवा में आबंटित किए जाने का आधार, संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) द्वारा घोषित संयुक्त योग्यता-क्रम हुआ करता है। उम्मीदवारों को सेवा में आबंटित किए जाने के दौरान, यह पाया गया कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची के एक भाग-स्वरूप संस्तुत, 49 उम्मीदवारों को सेवा में आबंटित किए जाने के प्रयोजन से, आरक्षण का लाभ उठाए बिना उनके द्वारा चाही गई अपेक्षाकृत ज्यादा पसन्द की सेवा में केवल 2 उम्मीदवार ही आबंटित किए जा सके और इस प्रकार, उन्हें अनारक्षित रिक्तियों पर समयोजित कर दिया गया। फिर भी, शेष 47 उम्मीदवारों को उनके द्वारा बताई गई अपेक्षाकृत ज्यादा पसंद की सेवा में आबंटित किए जाने के प्रयोजन से, शिथिलीकृत मानकों के जरिए आरक्षण का लाभ देकर ही उन्हें उनकी अपेक्षाकृत ज्यादा पसंद की सेवा में आबंटित किया जा सका और इसलिए उन्हें उस सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर समायोजित कर दिया गया। इस तरह, अन्य पिछड़े वर्गों के 213 (166+47) उम्मीदवार, अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 166 रिक्तियों पर आबंटित किए जाने हेतु सुलभ थे। अन्य पिछड़े वर्गों के इन 213 उम्मीदवारों में से-

(क) अन्य पिछड़े वर्गों के 166 उम्मीदवार विभिन्न सेवाओं में आबंटित कर दिए गए।

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों के 30 उम्मीदवार आबंटित किए जाने के पात्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने या तो पहले की सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर किसी सेवा में आबंटित किया जाना स्वीकार कर लिया था और सिविल सेवा परीक्षा, 1997 के नियमों के नियम 18 के अनुसार उन सेवाओं में/पदों के संबंध में आबंटित किए जाने हेतु अनर्ह (असफल) रहे थे जो उनकी अपेक्षाकृत ज्यादा पसंद की थी/थे अथवा वे चिकित्सा-बोर्ड द्वारा, नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिए गए थे।

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के शेष 17 उम्मीदवार, सिविल सेवा परीक्षा, 1997 के आधार पर, अपनी बारी आने पर, अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी के अन्तर्गत रिक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण, किसी भी सेवा में आबंटित नहीं किए जा सके।

3. संस्तुत उम्मीदवारों को सेवा में आबंटित किए जाने का सरकार द्वारा अपनाया जा रहा तरीका, सिविल सेवा परीक्षा, 1997 के नियमों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रितेश आर. शाह (जे.टी. 1996 (2) एस.सी. 495) : एम. नीति. चन्द्र (1996 6 एस.सी.सी. 36) और डा. अनिल कुमार (1998 9 एस.सी.सी. 405) के मामले में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही है।

[अनुवाद]

दुग्ध पाऊडर में चॉक पाउडर पाया जाना

4039. डा. वी. सरोजा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले दुग्ध पाउडर में चॉक पाउडर पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) दिल्ली दुग्ध योजना के मेहसाना डेयरी, गुजरात से प्राप्त 1760 स्किम्ड दुग्ध चूर्ण थैलों में स्किम्ड दुग्ध चूर्ण की जगह 21 चाक पाऊडर के थैले पाए गए थे।

चाक पाऊडर थैलों का पता लगने के बाद, इन्हें पृथक करके अलग रखा गया था। आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया गया था और इस मामले की सूचना खाद्य मिलावट अधिकारियों को दी गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने, जिन्होंने जांच पड़ताल की थी, उन ट्रक कर्मियों को गिरफ्तार किया है जो इस खेप को मेहसाना, गुजरात से दिल्ली दुग्ध योजना, नई दिल्ली लाए थे। तब से माल उतारने से पहले तथा प्रसंस्कृत माल का उपयोग करने से पहले कड़ी सुरक्षा तथा गुणवत्ता नियंत्रण निगरानी रखी जा रही है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

4040. **श्री राजैया मल्याला :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-96 से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली आन्ध्र प्रदेश राज्य की बड़ी धनराशि का ऋणी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह ऋण किस कारण लिया गया था; और

(ग) इस राशि के शीघ्र भुगतान के लिये निगम ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुपि लाल): (क) से (ग) क.रा.बी. योजना के अधीन चिकित्सा देख भाल से संबंधित कुल व्यय इस संदर्भ में निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत क.रा.बी. निगम और राज्य सरकार के बीच 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। क.रा.बी. योजना के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित क.रा.बी. निगम की सम्पूर्ण देय अंशदान राशि आन्ध्र प्रदेश सरकार को 1997-98 तक के लिए जारी की जा चुकी है। निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार को "लेखा के अनुसार" वर्ष 1998-99 के लिए 17.34 करोड़ रुपये का और 1999-2000 21.36 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान भी किया जा चुका है। शेष राशि, यदि क.रा.बी. योजना के अनुसार देय होगी तो इसका भुगतान, लेखा प्रमाण पत्रों के प्राप्त होने पर उन्हें कर दिया जायेगा।

चालू सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

4041. **श्री अनंत गुडे :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई नहरों की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया जाना है;

(ग) क्या सरकार ने उन चालू सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जो अपने निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में पीछे चल रही हैं को शीघ्र पूरा करने के लिए किसी कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा देश के विशेषकर बिहार के विभिन्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों से जमा हुए पानी को निकालने के लिए क्या योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजय चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन और वित्त पोषण स्वयं राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ङ) बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में जल निकासी स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सिंचित कमानों में जल-जमाव वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए आनुपातिक आधार पर उपलब्ध कराई जाती है।

गेहूं का उत्पादन

4042. श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नयी नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के विशेषकर महाराष्ट्र के गेहूं का उत्पादन करने वाले सीमांत और लघु किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध कराने और साथ ही उन्हें वित्तीय सहायता भी मुहैया कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) गेहूं की उत्पादकता और उत्पादन को टिकाऊ रूप से बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक दीर्घकालीन नीति विकसित की है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- ब्रैड और ड्यूरम गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली ऐसी किस्मों का विकास जो जैविक एवं अजैविक प्रतिकूल स्थितियों की प्रतिरोधी/सहिष्णु हों और भिन्न-भिन्न सस्य-पारिस्थितिकी क्षेत्रों और उत्पादन दशाओं के लिए अन्य वांछनीय विशेषताओं से युक्त हों।

- समेकित पोषण प्रबंध, जल प्रबंध, खरपतवार नियंत्रण, रोग प्रबंध और नवीन कृषि कार्यों सहित सुधरी हुई उत्पादन-प्रतिरक्षण प्रौद्योगिकियों के पैकेज का विकास।

(ग) और (घ) हालांकि प्रमाणित/अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन तथा छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को उनके वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, तथापि कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, राज्य सरकारें और बीज उत्पादन एजेंसियों के साथ रबी और खरीफ के मौसम के लिए छमाही क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों में परस्पर व्यापक विचार-विमर्श करके बीज की मांग और उसकी उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन करती है ताकि बीज की मांग को अधिकतम संभव सीमा तक पूरा किया जा सके।

भारत सरकार के पास प्रमाणित बीज सहित विभिन्न निवेशों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना है और इन कार्यक्रमों में पहले ही यह निर्देश मौजूद हैं कि विभिन्न राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, में छोटे और सीमांत किसानों को वरीयता दी जाए। हाल ही में नवीनतम जारी/अधिसूचित किस्मों और सुधरी हुई उत्पादन प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने के लिए मिनिकिटों पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत मामूली दर पर प्रमाणित बीज की आपूर्ति की जाती है। गेहूं और अन्य फसलों के उत्पादन पर उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए समेकित अनाज विकास स्कीमों के तहत गेहूं के प्रमाणिक बीज पर 200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है।

[हिन्दी]

नदियों को जोड़ना

4043. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संसाधनों के संकुचित होते जाने भूमिगत जल के स्तर में गिरावट आने और पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण पश्चिमी/उत्तरी राज्यों, विशेषकर राजस्थान में कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा क्षेत्र असिंचित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा हिमालयीन नदियों के दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों के साथ जोड़कर जल के अभाव वाले राज्यों को अतिरिक्त जल की त्वरित आपूर्ति करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) राज्य में पर्याप्त जल राशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारत के जल संसाधनों का वितरण बहुत असमान है। राजस्थान सहित पश्चिमी/उत्तरी राज्यों के कुछ अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में कम वर्षा होने तथा सीमित भू-जल संसाधनों के कारण कृषि भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की बहुत सीमित गुंजाइश है। तथापि, राज्य सरकारों ने उपलब्ध जल का उपयोग करने के लिए बहुत-सी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं: राजस्थान तथा विभिन्न राज्यों में कृष्य क्षेत्र, निवल बुआई क्षेत्र तथा निवल सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए वर्ष 1980 में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें जल को अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के वास्ते विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों के बीच अन्तर सम्पर्क स्थापित करने

की योजना है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन तथा अन्य अध्ययन करने और सम्पर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में स्थापना की है। ऐसे जल हस्तान्तरण सम्पर्कों का कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता, संबंधित राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने और सह-बेसिन राज्यों के बीच आम सहमति होने पर निर्भर करता है।

विवरण

वर्ष 1996-97 में कुल कृष्य क्षेत्र, निवल बुआई क्षेत्र तथा निवल सिंचित क्षेत्र का ब्यौरा

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल कृष्य क्षेत्र	निवल बुआई क्षेत्र	निवल सिंचित क्षेत्र
1.	हरियाणा	3779	3615	2755
2.	हिमाचल प्रदेश	805	558	105
3.	जम्मू व कश्मीर	1051	733	313
4.	पंजाब	4250	4139	3847
5.	राजस्थान	25695	16790	5588
6.	उत्तर प्रदेश	20832	17475	11999
7.	गुजरात	12361	9600	3042

[अनुवाद]

'सिडबी' द्वारा प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

4044. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का (सिडबी) का विचार कानपुर में एक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किस सीमा तक लघु उद्योगों को मदद मिलने की सम्भावना है;

(घ) क्या 'सिडबी' ने केन्द्र सरकार से लघु क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या उक्त केन्द्रों को अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी हां। अनुसंधानकर्त्ता लघु उद्योग क्षेत्र में नॉलिज बेसड इंडस्ट्रीज पर विशेष ध्यान देंगे जिसमें उच्च अनुसंधान और विकास घटक तथा अभिनव प्रौद्योगिकी/उत्पाद की विशेषता है।

(ग) लघु उद्योग इकाइयां जो कि प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिसमें उच्च अनुसंधान एवं विकास घटक हैं तथा जिसमें प्रौद्योगिकी पर बल दिया है उसे प्रस्तावित अनुसंधानकर्त्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। अनुसंधानकर्त्ता, अनुसंधान निधियन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाशील क्षेत्रों नामत: प्रबंधन सहायता, नीतिगत आयोजना, बीज/परीक्षण विपणन, लघु उद्योग इकाइयों को अनुसंधान एवं विकास सहायता में महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रदान करेगा।

(घ) से (छ) वित्त मंत्रालय, लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक मिलकर लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के लिए काम कर रहे हैं। सिडबी अनुसंधान एवं विकास संगठनों, इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन संस्थानों इत्यादि के साथ संगठन में प्रवेश करने की संभावनाओं की छानबीन कर रहे हैं जो देश के विभिन्न केन्द्रों पर अभिनव तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना में प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रबंधन सहायता प्रदान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

4045. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए कॉयर क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना नामत: "सहकारीकरण" का संचालन कर रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई निधियां निम्नलिखित हैं:-

(लाख रुपये में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
केरल	146.58	-	-
उड़ीसा	1.42	-	-
तमिलनाडु	-	87.86	-
कर्नाटक	-	-	42.90

[अनुवाद]

नियंत्रण रेखा पर क्लिंटन की टिप्पणी

4046. श्री राजेश वर्मा :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री भीम दाहाल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 मार्च, 2000 के 'दि टाइम्स ऑफ इण्डिया' में 'क्लिंटन फाइंड्स एल.ओ.सी. मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में छपे समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार को राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा दक्षिण एशिया को विश्व में सर्वाधिक खतरनाक स्थान बताए जाने के साथ ही साथ इस क्षेत्र के संबंध में उनकी टिप्पणी की जानकारी है।

(ग) भारत ने अपने हितों की संरक्षा के अपने संकल्प और क्षमता को संयमित और जिम्मेदार ढंग से उजागर किया है। पाकिस्तान की ओर से निरंतर आने वाली चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा बरते जा रहे संयम की अब अमरीका भी सराहना कर रहा है। सरकार ने अमरीका सहित अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से अवगत करा दिया है कि भारत के विरुद्ध हिंसा, आतंकवाद तथा दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार को रोकने के लिए पाकिस्तान को समझाने हेतु वह दक्षिण एशिया में तनावों पर ध्यान दें। सरकार अपने पड़ोसी देशों के साथ सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय श्रम सम्मेलन

4047. श्री वैको : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अगला भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें चर्चा की जाने वाली कार्यसूची क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दूसरे श्रम आयोग के कार्यकरण की कभी समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) भारतीय श्रम सम्मेलन के 36वें सत्र का आयोजन दिनांक 14 व 15 अप्रैल, 2000 को नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन में औद्योगिक रूग्णता, उद्योग में कामगारों की भागीदारी और कामगार शिक्षा से संबंधित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श और चर्चा की गई।

(ग) से (ङ) द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 15.10.99 को किया गया था। आयोग की पहली बैठक 4.11.99 को तथा दूसरी बैठक 15.3.2000 को आयोजित हुई थी। आयोग ने नई दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अकादमी (नैट्स) के भवन से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। आयोग को विभिन्न प्रकार की तर्कसंगत सहायता प्रदान करने के लिए और इसके कार्य को सुविधाजनक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए द्वितीय श्रम आयोग के कार्यकरण की लगातार समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

बिना प्रतिभूति के लघु उद्योगों को ऋण

4048. श्री रामपाल सिंह : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों को बिना किसी प्रतिभूति के पांच लाख रुपये तक की राशि का ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) वित्त मंत्री के वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने दिनांक 3 मार्च, 2000 के परिपत्र में सलाह दी है कि अति लघु क्षेत्र के लिए (अर्थात लघु उद्योग जहां संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं हो) कोलेटरल प्रतिभूति प्राप्त करने हेतु उधारकर्ता खातों की छूट सीमा को तत्काल प्रभाव से 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाए।

कश्मीर समस्या का क्लिंटन समाधान

4049. डा. अशोक पटेल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन ने कश्मीर समस्या के समाधान को सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थाई सदस्यता के मुद्दे से जोड़ा है तथा कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव को इस प्रक्रिया में मुख्य बाधा बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार ने उस खबर को देखा है जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है जो अमरीका में एक निजी फाउण्डेशन द्वारा आरोपित प्रेस अनुज्ञप्ति के आधार पर राष्ट्रपति क्लिंटन पर की गई टिप्पणी पर आधारित प्रतीत होती है।

(ग) सरकार का यह विचार है कि प्रत्येक विषयपरक मानदण्ड के आधार पर भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी प्रकार के विस्तार में स्थायी सदस्यता का दावा है। सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में स्थायी सदस्यता के अपने न्यायोचित दावे को जम्मू तथा कश्मीर के मसले से जोड़ने को स्वीकार नहीं करती है।

[अनुवाद]

चावल प्रसंस्करण परिसर

4050. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से कतिपय चावल प्रसंस्करण परिसरों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिसरों को किन-किन राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषक अधिकार विधेयक, 1999

4051. श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन नाइडू :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कृषक अधिकार विधेयक, 1999 का विरोध किया है और उसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने बीज अधिनियम 1966 में कुछ संशोधन करने की भी मांग की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा किस संशोधन का प्रस्ताव किया गया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 1999 लोक सभा में 14.12.1999 को प्रस्तुत किया गया और इसे जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया। संसद की संयुक्त समिति को अपने अध्ययन दौरे के दौरान इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों जिसमें कृषक अधिकार प्रावधान शामिल है, पर राज्य सरकार सहित विभिन्न अभिकरणों/संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए। कुछ ने कृषक अधिकारों पर एक अलग और अधिक सर्वांगपूर्ण अध्याय के लिए सुझाव दिया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने अधिसूचित और अनधिसूचित किस्मों के अनिवार्य पंजीकरण, नमूना लेने की प्रक्रिया, बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों के उत्तरदायित्व, दण्ड प्रावधानों में वृद्धि आदि से संबंधित बीज अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन का सुझाव दिया है।

(ङ) बीज क्षेत्र से संबंधित वर्तमान विधान की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन का सुझाव देने के लिए एक बीज नीति समीक्षा दल का गठन किया गया। विभाग द्वारा समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

डाकरानाल सिंचाई परियोजना

4052. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मुंगेर जिले में डाकरानाल गंगा नहर बना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च हुआ है; और

(ग) इस परियोजना से कुल कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क)जी नहीं, इस परियोजना के नौवीं योजना से आगे की संभावना है।

(ख) बिहार के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार मार्च, 1999 तक इस परियोजना के चरण-I पर 61.39 करोड़ रुपये और चरण-II के लिए 5.43 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

(ग) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार चरण-I और चरण-II के तहत क्रमश: 17,343 हेक्टेयर और 4024 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जानी है।

[अनुवाद]

भारत-नेपाल द्विपक्षीय सन्धियां

4053. **श्री आर.एल. भाटिया** :
श्री अब्दुल हमीद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अपराध एवं आतंकवाद से निपटने के लिए भारत ने नेपाल को द्विपक्षीय संधियों की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पेशकश कब की गयी थी; और

(ग) इस पर नेपाल की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) भारत सरकार ने राजनयिक माध्यमों के जरिए नेपाल की शाही सरकार को आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी द्विपक्षीय करार का एक मसौदा और दोनों पक्षों की व्यावहारिक अपेक्षाओं और प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा के अनुरूप भारत और नेपाल के बीच विद्यमान 1953 की प्रत्यर्पण संधि को नवीकृत करने के लिए प्रत्यर्पण संधि का एक नमूना पाठ भेजा है।

(ख) 22 जून, 1999 को प्रस्तावित मसौदा करार भेजे गए थे। दोनों मसौदे संयुक्त राष्ट्र नमूना पाठों पर आधारित हैं। आपराधिक मामलों में परस्पर विधिक सहायता संबंधी प्रस्तावित करार के परिणामस्वरूप आतंकवाद से संबद्ध अपराधों सहित, अपराध के अन्वेषण, अभियोजन और दमन में सहयोग के सुविधाजनक बन जाने की सम्भावना है। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण व्यवस्था को अपराधियों के परस्पर प्रत्यर्पण संबंधी प्रावधान समाविष्ट करते हुए, जोकि स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय परम्परा बन गई है, को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस प्रत्यर्पण संधि को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) नेपाल की शाही सरकार ने कहा है कि इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

आरक्षण विधेयक

4054. सरदार बूटा सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को नियुक्तियों और पदों का आरक्षण इस समय प्रथम श्रेणी सेवाओं के निम्नतम पद तक सीमित है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यह प्रतिबंध कब से और किन परिस्थितियों के तहत लगाया गया और यह प्रतिबंध लगाने से पूर्व क्या पद्धति थी;

(घ) क्या उक्त प्रतिबंध का संबंध प्रशासन में तथाकथित कार्यकुशलता कारक है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(च) सेवाओं और पदों में किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों में प्रोन्नति के मामलों में आशय की व्यवस्था करने वाले 77वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल अनुच्छेद 16 (4क) के तहत की गई व्यवस्था को सेवाओं में उच्च पदों पर और नियुक्तियों के मामले में मौजूदा आरक्षण नीति को लागू न करने के क्या कारण है;

(छ) क्या सरकार का विचार संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 16(4क) के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संसद में एक विधेयक लाकर अधिनियम बनाने का है; और

(ज) यदि हां, तो वर्ष 1993 से इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और आरक्षण संबंधी विधेयक की क्या स्थिति है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) सीधी भर्ती और पदोन्नति की गैर-चयन पद्धति से भरे जाने वाले सभी समूहों के पदों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सुलभ है। संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधान ध्यान में रखते हुए समूह "क" के न्यूनतम स्तर तक पदोन्नति की चयन पद्धति से भरे जाने वाले पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुलभ है।

(च) संविधान में अनुच्छेद 16(4क), पदोन्नति के संबंध में इस अनुच्छेद को समाविष्ट किए जाने से पहले चल रही आरक्षण की नीति को जारी रखने के उद्देश्य से समाविष्ट किया गया।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृष्णा सिंह समिति

4055. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग की सलाहकार सुश्री कृष्णासिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था जिसमें विभिन्न मंत्रालयों की सभी गरीबी उपशमन योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने हेतु एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस नोडल एजेंसी के अंतर्गत लाये जाने वाली गरीबी उपशमन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (ग) योजना आयोग ने सुश्री कृष्णा सिंह, सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है। तथापि गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा करने और उन्हें युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रो. एस.आर. हाशिम, तत्कालीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में फरवरी, 1997 में एक समिति का गठन किया था। तत्कालीन ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय (अब ग्रामीण विकास मंत्रालय), कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), लघु उद्योग, कृषि व ग्रामीण उद्योग विभाग और महिला और बाल विकास विभाग के कार्यक्रमों/स्कीमों की समिति द्वारा जांच की गई थी। समिति ने अप्रैल, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने मौजूदा स्कीमों के सुप्रवाही बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए मानदंडों और प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की। रिपोर्ट में सभी गरीबी उपशमन स्कीमों को एक सिंगल केन्द्रीय नोडल एजेंसी के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों का दौरा

4056. श्री रामदास आठवले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश का दौरा करने वाले राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राष्ट्राध्यक्षों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनमें से प्रत्येक के साथ किन-किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां

4057. श्री नवल किशोर राय :
श्री अरूण कुमार :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1997, 1998 और 1999 में कितनी लघु औद्योगिक इकाइयां रुग्ण थीं;

(ग) उस अवधि के दौरान कुल कितनी इकाइयां काम कर रही थी;

(घ) इन इकाइयों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत थे;

(ङ) क्या सरकार ने ये इकाइयां किस कारण रुग्ण हुई इसका पता लगाया है, यदि हां, तो प्रतिशत के रूप में रुग्णता किस हद तक थी, और इसके आम कारण क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित आंकड़ों के अनुसार मार्च, 1997, 1998 और 1999 में रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या निम्नलिखित है:-

निम्नलिखित महीने के अंत में	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की कुल संख्या
मार्च, 1997	2,35,032
मार्च, 1998	2,21,536
मार्च, 1999	3,06,221 (अनंतिम)

(पी) - अनंतिम

(ग) और (घ) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान कार्य कर रही इकाइयों की कुल संख्या तथा उनमें काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:-

वर्ष	इकाइयों की संख्या (लाख में)	रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या (लाख में)
1996-97	28.57	160.00
1997-98	30.14	167.20
1998-99 (अनंतिम)	31.21	171.58 (प्रक्षेपित)

(ङ) और (च) लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता की प्रासंगिकता ऋण की अपर्याप्तता, विपणन समस्याएं, प्रबन्धकीय अपर्याप्ता आदि जैसे विभिन्न तथ्य हैं। 31 मार्च, 1999 (अनंतिम) को कुल लघु उद्योग इकाइयों की प्रतिशतता की शर्तों में रुग्णता की मात्रा 9.8 प्रतिशत है। सरकार लघु उद्योग इकाइयों के बीच औद्योगिक रुग्णता की प्रासंगिता से पूरी तरह ग्रस्त है और संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समय पर पहचान एवं पुनर्वास करने की सुविधा के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य स्तर पर अन्त:-संस्थागत समिति के रूप में संस्थागत तंत्र, बैंक एवं राज्य वित्त संस्थानों में विशेष पुनर्वास प्रकोष्ठ तथा पात्र इकाइयों के लिए पुनर्वास सहायता का विस्तार किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल हैं।

[अनुवाद]

द्विभाषी वेब-साइट्स

4058. कुमारी उमा भारती : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी विभागों को उनकी वेब-साइट्स को द्विभाषी रूप में तैयार करने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने मंत्रालयों/विभागों ने इन निर्देशों का पालन किया हैं; और

(ग) इस संबंध में इन निर्देशों का अनुपालन न करने के जिम्मेवार पाए गए विभागों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने मंत्रालयों/विभागों से अपने वेबसाइट द्विभाषी बनाने का अनुरोध किया हैं। 2 मंत्रालयों/विभागों ने अपने-अपने वेबसाइट में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी में सूचना उपलब्ध कराई हैं।

सूअर गोश्त की गुणवत्ता में सुधार

4059. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सूअर गोश्त की गुणवत्ता में सुधार करने और भेड़ तथा भैंस की नस्ल का विकास करने के लिए कोई योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) उक्त योजना को शुरू करने का क्या उद्देश्य है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय और वर्ष 2000-2001 का योजनागत परिव्यय कितना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सरकार बूचड़खानों/पशु शव उपयोगिता केन्द्र का सुधार/आधुनिकीकरण नामक एक योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षित एवं पौष्टिक मांस उपलब्ध कराना हैं। भेड़ एवं भैंस की नस्ल को सुधारने के लिए, सरकार भेड़ एवं भैंस के स्टॉकों को सुधारने के लिए एक-एक योजना क्रियान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार उन्नत स्टॉकों का उत्पादन करने तथा उन्हें राज्य सरकारों को वितरित करने के लिए एक केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म तथा सात गोपशु प्रजनन फार्म भी संचालित कर रही है। नौवीं योजना तथा वर्ष 2000-2001 के लिए इन योजनाओं/फार्मों का परिव्यय विवरण के रूप मे संलग्न है।

विवरण

मांस की गुणवत्ता सुधारने तथा भेड़ एवं भैंस की नस्ल को सुधारने क लिए योजना का परिव्यय

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	नौवीं योजना परिव्यय	वर्ष 2000-2001 के लिए परिव्यय
1.	बूचड़खानों/पशुशव उपयोगिता केन्द्रों का सुधार/आधुनिकीकरण	55.00	2.50
2.	राष्ट्रीय मृग/मेंढ़ा उत्पादन कार्यक्रम	21.05	2.50
3.	राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन परियोजना		
	(क) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम	320.00	32.00
	(ख) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम	82.20	12.00
4.	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार	15.65	3.50
5.	केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म	49.53	6.35

लागत और समय वृद्धि

4060. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और ठेकेदारों के बीच विवादों के कारण काफी धनराशि का प्रवाह अवरूद्ध हो गया है जिसके परिणामस्वरूप लागत और समयवृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या निर्माण उद्योग विकास परिषद ने ऐसे विवादों के शीघ्र निपटान हेतु एक मध्यस्थता समिति के गठन का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) निर्माण उद्योग विकास परिषद के अनुसार, 8-10 वर्ष की अवधि तक विवादित राशि 52,000 करोड़ रुपए के लगभग है। विवादों के समाधान में विलंब से परियोजनाओं में समय एवं लागत वृद्धि होती है।

(ग) निर्माण उद्योग परिषद, जो योजना आयोग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, ने एक विवाचन समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है जो उनके बोर्ड द्वारा 15/3/2000 को अनुमोदित किया गया था।

(घ) उनके प्रस्ताव का विवरण सरकार से अभी प्राप्त होना है।

वृद्धि व्यक्तियों के लिए गृह/पेंशन

4061. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री राम प्रसाद सिंह :
मोहम्मद अनवारूल हक :
श्री अमर राजप्रधान :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को क्या सुविधाएं/राहत दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति साठ वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वृद्ध व्यक्ति मानती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे और एयरलाइन्स द्वारा तथा राज्य सरकारों द्वारा इस उद्देश्य हेतु तैयार की गई विभिन्न योजनाओं में भी दी गई विभिन्न सुविधाएं/रियायतें 65 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को दी जाती हैं जिनमें दिल्ली में रियायती दरों पर दिल्ली परिवहन निगम के पास भी शामिल हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन रियायतों को बढ़ाने के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की आयु को मान्यता देने के लिए इस मुद्दे को रेलवे/एयरलाइन्स और राज्य सरकारों के साथ उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार महानगरों और अन्य बड़े शहरों में वृद्ध व्यक्तियों को रोगों और मौसम संबंधी परिस्थितियों से बचाने के लिए गृहविहीन वृद्ध व्यक्तियों को सस्ता आश्रय प्रदान करने पर विचार करेगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सरकार द्वारा जनवरी, 1999 में घोषित वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति में यह परिकल्पित है कि राज्य वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, कल्याण और अन्य जरूरतों के लिए समर्थन प्रदान करेगा तथा दुरूपयोग और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा, वृद्ध व्यक्तियों के क्षमता विकास का प्रयास करेगा और सेवाएं प्रदान करेगा जिससे कि वे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। इस नीति को सभी राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों को इस नीति के कार्यान्वयन के लिए अपनी-अपनी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए परिचालित किया गया है। जैसा कि इन नीति में परिकल्पित है, एक केन्द्रीय कार्रवाई योजना भी तैयार की गई है और यह आशा की जाती है कि इसके कार्यान्वयन से वर्ष 2000 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को अनेक सुविधाएं/राहत मिलेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। वास्तव में इस मुद्दे को अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ उठाया गया था। रेल मंत्रालय ने प्रत्युत्तर में कहा है कि वे इन रियायतों को देने के लिए वृद्ध व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष से 60+ करने के लिए सहमत नहीं हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) वृद्ध व्यक्तियों संबंधी राष्ट्रीय नीति में यह प्रावधान है कि आश्रय एक मूलभूत माननीय जरूरत होने के कारण शहरी तथा ग्रामीण आय क्षेत्रों के लिए आवास योजनाएं वृद्ध व्यक्तियों को आवंटन के लिए गृहों/गृह स्थलों का 10% निर्धारित करेंगी। इस नीति को शहरी विकास मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकारों सहित केन्द्रीय मंत्रालयों को वृद्ध व्यक्तियों के लिए आश्रय सहित उनसे संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन पर विचार करने के लिए पहले ही परिचालित कर दिया गया है।

जातीय हमले

4062. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में अलार्मिंग राइज इन इन्सिडेन्ट्स आव् रेसिस्ट अटेक्स आन् एशियन्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत छपे समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) हालांकि इस आशय की कोई नई रिपोर्ट नहीं है कि यू.के. में किसी भी जातीय हमले में विशेष रूप से भारतीय मूल के व्यक्तियों को लक्ष्य बनाया गया है, लेकिन आम तौर पर ऐसे मामले ब्रिटिश अधिकारियों की जांच के दायरे में आते हैं। सरकार इन जांचों के तौर-तरीकों पर निरन्तर निगाह रखती है।

उच्च अधिकार प्राप्त विकास बोर्ड

4063. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के शीघ्र विकास और वहां के पर्याप्त बुनियादी ढांचों को पूरा करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विकास बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले के माध्यम से, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य माना गया है, आधारिक संरचना सहित विभिन्न क्षेत्रकों के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। विशेष श्रेणी राज्य केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले फार्मूले से दो प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करते हैं : (क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अपेक्षित निधियां और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए उचित राशि अलग से रखने के बाद इन राज्यों को शेष की 30 प्रतिशत राशि मुहैया कराई जाती है, भले ही उनकी जनसंख्या काफी कम हो, और (ख) इन राज्यों को अनुदान और ऋण के रूप में उदार आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, अर्थात् अनुदान और ऋण का अनुपात 90:10 है जबकि गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में यह अनुपात 30:70 का है। इसके अलावा, बुनियादी न्यूनतम स्कीमों के लिए अनिवार्य, राज्यों का 15 प्रतिशत का योगदान विशेष श्रेणी राज्यों पर लागू नहीं है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश को विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अर्थात् सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की जाती है।

[हिन्दी]

लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए निधि

4064. श्री सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग की इकाइयों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक निधि के गठन का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी धनराशि होगी और इन निधियों को किन-किन स्रोतों से जुटाया जाएगा;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस निधि के गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले लघु उद्योगों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) अति लघु क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी निधि योजना की स्थापना, सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

यूरोपीय देशों द्वारा कृषि हेतु सहायता

4065. श्रीमती शीला गौतम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्ष के दौरान कुल यूरोपीय देशों ने देश में कृषि परियोजनाओं हेतु कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई सहायता और निधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय से संबद्ध (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को छोड़कर जो हाल ही में कृषि मंत्रालय का अंग बना है) कृषि परियोजनाओं के लिए प्रदत्त सहायता और धन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	परियोजना का नाम	सहायता की कुल राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	डेनिडा (डेनमार्क)	महिला एवं युवा विस्तार प्रशिक्षण परियोजना	
		चरण-II	4.73
		चरण-II	8.89
2.	-वही-	कृषि में तमिलनाडु की महिलाएँ परियोजना	
		चरण-I	4.13
		चरण-II	33.92
3.	-वही-	कृषि में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं विस्तार (उड़ीसा)	
		चरण-I	3.22
		चरण-II	11.85
4.	-वही-	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण (म.प्र.)	6.24
5.	-वही-	व्यापक पनधारा विकास परियोजना चरण-II (तिरूनेलवेली) (तमिलनाडु)	41.70

1	2	3	4
6.	डेनिडा (डेनमार्क)	व्यापक पनधारा विकास परियोजना रामनाथपुरम तमिलनाडु	13.00
7.	-वही-	व्यापक पनधारा विकास परियोजना (कर्नाटक) चरण-II	21.00
8.	-वही-	व्यापक पनधारा विकास परियोजना (उड़ीसा)	13.25
9.	-वही-	व्यापक पनधारा विकास परियोजना (म.प्र.)	17.52
10.	-वही-	पशुधन विकास परियोजना तमिलनाडु, चरण-II	डीकेके 51.480 मि.
11.	-वही-	समेकित पशुधन विकास परियोजना, बस्तर (म.प्र.)	डीकेके 28.3 मि.
12.	-वही-	समेकित पशुधन विकास परियोजना कोरापुत (उड़ीसा) चरण-I	डीकेके 19.9 मि.
13.	जर्मनी	पनधारा प्रबंध परियोजना, कर्नाटक	45.89
14.	-वही-	पनधारा प्रबंध परियोजना, महाराष्ट्र	
		चरण-I	17.93
		चरण-II	4.50
15.	-वही-	यूएचजे विसंक्रमण के लिए मेम्ब्रेन सान्दित दूध के उष्ण स्थिरता पर अध्ययन	डीएम 84.600
16.	फ्रांस	महाराष्ट्र में ताजा जल प्रॉन हैचरी की स्थापना	2.90 करोड़
17.	-वही-	गुजरात में ताजा जल प्रॉन हैचरी की स्थापना	2.98 करोड़
18.	नीदरलैंड	कृषि में महिलाओं का प्रशिक्षण गुजरात	
		चरण-I	4.92
		चरण-II	12.13
19.	-वही-	कृषि में आंध्र प्रदेश की महिलाएं	5.71
20.	-वही-	उत्तरी बंगाल तराई विकास परियोजना चरण-IV (पश्चिम बंगाल)	23.02
21.	-वही-	जलमग्न एवं लवण युक्त भूमि के सुधार के सुधार के लिए अग्रणी परियोजना	8.36
22.	-वही-	कृषि मानव पारिस्थितिकी चरण-IV	20.70
23.	-वही-	नहर आहरण क्षेत्र में लवण नियंत्रण के लिए अपवाह एवं जल प्रबंध पर भारत-डच नेटवर्क ओआरपी	13.00
24.	नोराड (नार्वे)	चयनित जनन के माध्यम से वृद्धि के लिए रोहू का आनुवंशिक सुधार	0.63

1	2	3	4
25.	स्विटजरलैंड	भारत-स्विस भागीदारी पनधारा विकास परियोजना, कर्नाटक	9.19
26.	-वही-	पशु जनन, चारा उत्पादन एवं डेयरी विकास के लिए भारत-स्विस परियोजना	3.05
27.	-वही-	भारत-स्विस परियोजना - उड़ीसा (पशुपालन एवं दुग्ध विकास)	3.30
28.	-वही-	भारत-स्विस परियोजना-उड़ीसा (पशुपालन एवं दुग्ध विकास)	2.64
29.	-वही-	भारत-स्विस परियोजना-सिक्किम (पशुपालन, दुग्ध एवं बागवानी विकास के लिए)	3.90
30.	-वही-	भारत-स्विस परियोजना-सिक्किम (पशुपालन, दुग्ध एवं बागवानी विकास के लिए)	4.08
31.	यूनाइटेड किंगडम	कर्नाटक पनधारा विकास परियोजना	83.40 करोड़ रु.
32.	-वही-	भारत-यू.के. सहयोग-तिलहन फसलों पर, चरण-II	0.45 यू.के. पाउण्ड
33.	-वही-	चारा उत्पादन पर भारत-यू.के. सहयोग परियोजना	1.876 मिल. यू.के. पाउण्ड
34.	-वही-	रबी सरिगम में कृषक भागीदारी किस्मीय चयन पर भारत-यू.के. भागीदारी परियोजना	0.18 करोड़ रु.
35.	-वही-	पौध जर्मप्लाज्म संरक्षण एवं उपयोग पर भारत-यू.के. सहयोग परियोजना	554,406 यू.के. पाउण्ड
36.	-वही-	दीर्घकालीन संरक्षण के लिए क्रायो संरक्षण तकनीकों का विकास	48,250 यू.के. पाउण्ड
37.	-वही-	चावल-गेहूं परितंत्र में फालारिस माइनर के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव को न्यून करना	212,294 यू.के. पाउण्ड

[अनुवाद]

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय

4066. श्री भर्तृहरि महताब : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत शामिल औद्योगिक श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें शामिल श्रमिकों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई;

(ख) उड़ीसा में आज की तिथि के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों तथा औषधालयों की जिला-वार संख्या कितनी है तथा 2000-2001 के दौरान कितने चिकित्सालय तथा औषधालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में कुछ चिकित्सालयों/औषधालयों का कोटि उन्नयन या आधुनिकीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन परिधि में आए कर्मचारियों की संख्या उड़ीसा में मार्च, 1966 में 1,18,200 थी जो बढ़कर मार्च, 1999 में 1,29,050 हो गई है। इस अवधि के दौरान परिधि में आए कर्मचारियों की संख्या में 9.18% की वृद्धि दर्ज हुई है।

(ख) उड़ीसा में इस समय पांच कर्म.रा.बी. अस्पताल है अर्थात् ब्रजराजनगर, चौहद्वार, जेकेपुर, कनासमल और भुवनेश्वर प्रत्येक में एक-एक कार्य कर रहा है। कर्म.रा.बी. औषधालयों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राउरकेला में एक कर्म.रा.बी. अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है तथा चालू करने के लिए राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। तथापि, उड़ीसा में नया कर्म.रा.बी. औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) कर्म.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से, कर्म.रा.बी. निगम ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है तथा इसे उड़ीसा सरकार सहित राज्य सरकार को कार्यान्वयन हेतु भिजवा दिया गया है। कार्रवाई योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अस्पतालों में आधुनिक उपकरणों का प्रावधान, औषधालयों में आधारभूत उपकरणों की उपलब्धता, क्षेत्रीय अभिघात केन्द्रों की स्थापना, अति विशिष्ट सेवाओं, रक्त बैंकों, कैन्सर उपचार केन्द्रों की स्थापना, औषधियों की देशी प्रणाली आदि भी शामिल है। निगम ने उड़ीसा में कर्म.रा.बी. अस्पतालों/औषधालयों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए 53.19 लाख रुपये के उपकरणों की स्वीकृति प्रदान की है।

विवरण

उड़ीसा में कर्म.रा.बी. औषधालयों का ब्यौरा

क्र.सं.	कर्म.रा.बी. औषधालय का नाम
1	2
1.	कर्म. रा.बी. औषधालय, आस्का
2.	,, ,, ,, ब्रजराजनगर
3.	,, ,, ,, बोडदाल
4.	,, ,, ,, बोलानगिर
5.	,, ,, ,, बेहरामपुर
6.	,, ,, ,, बारंग
7.	,, ,, ,, भगतपुर
8.	,, ,, ,, भुवनेश्वर
9.	,, ,, ,, बारीपादा
10.	,, ,, ,, बारबिल
11.	,, ,, ,, ब्रहमनिपाल
12.	,, ,, ,, बालासौर
13.	,, ,, ,, भद्रक (रानदिया)
14.	कर्म. रा.बी. औषधालय बाला गोपालपुर
15.	,, ,, ,, सीआईएसएफ कालोनी (राउरकेला)
16.	,, ,, ,, चौदवार
17.	,, ,, ,, चांदनी चौक
18.	,, ,, ,, चाराम्पा
19.	,, ,, ,, धनमंडल
20.	,, ,, ,, धेन कैनल
21.	,, ,, ,, एफसीआई कालोनी राउरकेला
22.	,, ,, ,, गंजम
23.	,, ,, ,, गोविन्दपुर
24.	,, ,, ,, हीराकुंड
25.	,, ,, ,, जे.के. पुर
26.	,, ,, ,, झाडसुगुदा

1	2			
27.	कर्म.	रा.बी.	औषधालय	जगतपुर
28.	,,	,,	,,	जाजपुर रोड
29.	,,	,,	,,	जे पुर
30.	,,	,,	,,	कन्सभल
31.	,,	,,	,,	कंलुगा
32.	,,	,,	,,	कीरई
33.	,,	,,	,,	खापुरीया
34.	,,	,,	,,	खुर्दा
35.	,,	,,	,,	मानचेश्वर
36.	,,	,,	,,	पीपीएल एरिया
37.	,,	,,	,,	नोपन्ता
38.	,,	,,	,,	पारादीप
39.	,,	,,	,,	राउरकेला
40.	,,	,,	,,	राज गंगपुर-I
41.	कर्म.	रा.बी.	औषधालय	राज गंगपुर-II
42.	,,	,,	,,	राजाबगीचा
43.	,,	,,	,,	साम्भलपुर
44.	,,	,,	,,	सोनपुर
45.	,,	,,	,,	टीपी मिल एरिया चौदवार
46.	,,	,,	,,	त्रितुल
47.	,,	,,	,,	तेंलगापेन्था
48.	,,	,,	,,	तुरा
49.	,,	,,	,,	आईडीएल कैमिकल्स राउरकेला
50.	,,	,,	,,	पुरी
51.	,,	,,	,,	अंगुल
52.	,,	,,	,,	छानपुर

घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा संबंधी मिशन परियोजना

4067. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने घरेलू खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा पर एक तीन वर्षीय परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां तो इसके उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रचुर रूप से पोषक और विषय पर्यावरण में भी अस्तित्व में बने रहने में सक्षम जनजातीय पहाड़ी और पिछड़े इलाकों में उगाई जाने वाली फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पारिवारिक खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर एक मिशन मोर्ड परियोजना शुरू की है।

(ख) उद्देश्य:

(1) जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित फसलों की स्यूडोसीरियल किस्मों, कदन्नों, देशी दलहनों, तिलहनों और अल्प उपयोग में लाए गए पौधों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना

(2) खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी तथा सब्जी वाटिकाएं लगाना

(3) आदिवासी, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में पशुधन उत्पादकता में सुधार लाना

(4) मीठा जल मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना और आदिवासी, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना

(5) मूल्यवर्धन तथा फसल कटाई के उपरान्त प्रबंधन के जरिए खाद्य और पोषण सुरक्षा बढ़ाना

(6) आदिवासी, पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उपयोग तथा फसल विविधीकरण के प्रभाव का आकलन करना।

(ग) उठाए गए कदम:

केन्द्रक संस्थान के रूप में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, पूसा परिसर, नई दिल्ली तथा देशभर में फैले सहयोगी केन्द्रों के लिए 1110.00 लाख रुपए के बजट प्रावधान के साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक परियोजना अनुमोदित की गई है। इसकी गतिविधियों के अन्तर्गत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के सभी प्रमुख आदिवासी, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र आते हैं। ये गतिविधियां 50 से अधिक सहयोगी केन्द्रों, जिनमें राज्य कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, केन्द्रीय विश्वविद्यालय और गैर सरकारी संगठन शामिल हैं, द्वारा चलाई जाएगी। ये कार्यक्रम विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी वाले अलग-अलग केन्द्रों/क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से संबंधित गतिविधियों और प्रभावी हस्तांतरण एवं अंगीकरण के लिए तकनीकों को बेहतर बनाने पर दी गई है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की संख्या

4068. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई 1999 की तिथि के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी और सहायक ग्रेडों में कितने-कितने स्थाई पद हैं;

(ख) क्या 1962 में सी.एस.एस. नियमों को अपनाए जाने के बाद अन्य संगठित सेवाओं की तरह अनुपूर्वी क्रम में इन पदों का उचित ढांचागत अनुपात बनाए रखने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये मानदण्ड कब तक बना लिए जायेंगे?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अनुसार, उप सचिवों और अवर सचिवों के पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा-सहित किसी भी प्रतिभागी सेवा विशेष के लिए विशेषत: उद्दिष्ट नहीं किए जाते, और इसलिए इन ग्रेडों के स्वीकृत पदों की संख्या के बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। फिर भी, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारियों की सिविल सूची तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मिली जानकारी के अनुसार उपर्युक्त ग्रेडों के स्वीकृत पदों की संख्या की स्थिति के निम्नानुसार है:-

ग्रेड	प्राधिकृत पद संख्या
उप सचिव	133 (1.5.1984 को मौजूद स्थिति के अनुसार)
अवर सचिव	631 (1.1.1987 को मौजूद स्थिति के अनुसार)
अनुभाग अधिकारी	2309 (अक्तूबर/नवम्बर 1999 की मौजूद स्थिति के अनुसार)
सहायक	4859 (तदैव)

(ख) से (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपर्युक्त ग्रेडों में कोई ढांचागत अनुपात बनाए रखने की दृष्टि से कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं और नियमों में ऐसा किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं होने के कारण, इस बारे में कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय सचिवालय-सेवा की अन्य समूह "क" संगठित सेवाओं से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि यह सेवा मुख्यत: समूह "ख" सेवा है जो सहायक (अराजपत्रित समूह "ख") और अनुभाग अधिकारी (राजपत्रित समूह "ख") से आरंभ

होती है और तत्पश्चात् उपर्युक्त ग्रेडों के अधिकारी केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत अवर सचिव (समूह ''क'') के स्तर पर पदोन्नत होते हैं तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा-नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध उप सचिव का पद उनके लिए उच्चतम ग्रेड है।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की गुणवत्ता

4069. श्री हरपाल सिंह साथी :
श्री सईदुज्जमा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले दूध की शुद्धता/गुणवत्ता की जांच प्रयोगशालाओं में की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूध के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ इसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया है;

(ग) यदि हां, तो दूध के मूल्यों में वृद्धि से पूर्व और बाद में इसकी गुणवत्ता का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने दूध की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या प्रयास किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की गुणवत्ता/शुद्धता की जांच कड़े विश्लेषणात्मक परीक्षणों के माध्यम से की जाती है और इसकी पुष्टि दिल्ली दुग्ध योजना की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में योगात्मक मुक्त तथा शुद्ध दूध के रूप में की जाती है।

(ख) से (ङ) दिल्ली दुग्ध योजना ने दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। इसके उत्पादों के उच्च गुणवत्ता मानकों के सुनिश्चय में इसकी वचनबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूध खाद्य अपमिश्रण निवारण के विशिष्ट मानकों के अनुरूप होता है और अब तक कोई नकारात्मक मामला सामने नहीं आया है।

[अनुवाद]

''मिल्क प्लांट प्रोजेक्ट ऑन फास्ट ट्रेक''

4070. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 2000 के हिन्दुस्तान टाइम्स में ''मिल्क प्लांट प्रोजेक्ट ऑन फास्ट ट्रेक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में मामले के किन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) यह समाचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित है।

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखा पार करना

4071. श्री किरीट सोमैया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने 27 फरवरी, 2000 को पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखापार करके भारतीय सुरक्षाबलों पर किए गए आक्रमण का मामला पाकिस्तान उच्चायोग के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर पाकिस्तानी उच्चायोग की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार ने 27 फरवरी, 2000 को पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले के मामले को दृढ़ता से उठाया। इसने पाकिस्तानी बलों की कायरतापूर्ण तथा बर्बर कार्रवाइयों की भर्त्सना की तथा पाकिस्तान से नियंत्रण रेखा का सम्मान करने का आह्वान किया।

पाकिस्तान नियंत्रण रेखा तथा जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार अकारण गोलाबारी करता रहा है ताकि आतंकवादियों की घुसपैठ करायी जा सके और साथ ही भारत-पाकिस्तान संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया जा सके। सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़संकल्प है।

गरी का लाभकारी मूल्य

4072. श्री तिरूनावकरसु:
श्री रमेश चेन्नितला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गरी का लाभकारी मूल्य 31.25 रु. से बढ़ाकर 42 रु. करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार "नबार्ड" को किसानों से सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से सीधे गरी खरीदने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) से (ङ) 2000 मौसम के लिए खोपरे संबंधी मूल्य नीति अभी सरकार के विचाराधीन है। चालू मौसम के लिए खोपरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने तक भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत 1999 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की दर से खोपरे की खरीद करने का निर्देश दिया गया है। नेफेड द्वारा राज्य स्तरीय अभिकरणों जैसे केरल नारियल उत्पादक परिसंघ लि. (केराफेड) तथा केरल राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्केटफेड) के माध्यम से खरीद की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और केरल में 12.04.2000 तक नेफेड द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत खोपरे की 6120 मीटरी टन की खरीद की गई है। खरीद कार्य प्रगति पर है।

ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट की खपत

4073. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड" और "न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्पलैक्स लिमिटेड" अपनी परमाणु विद्युत परियोजनाओं की खपत के लिए ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट का आयात करते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट का स्रोत क्या है और उक्त प्रत्येक कम्पनी की खपत क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा पृथकत: कितनी मात्रा में ट्राइब्यूटिल फॉस्फेट का आयात किया गया; और

(ग) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इनके द्वारा उक्त कच्ची सामग्री के आवास हेतु पृथकत: कुल कितनी राशि व्यय की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड तथा नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र ट्राई ब्यूटिल फास्फेट का आयात नहीं करते।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास

4074. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करके, सफाई कर्मचारियों की दशा में सुधार करने का प्रयास किया है जिससे कि उन्हें अन्य लोगों के समकक्ष लाया जा सके मगर कुछ राज्यों में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी जारी है;

(ख) क्या सरकार उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु राज्य सरकार को सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसमें शामिल सफाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा गत वर्ष राज्य-वार कितनी वार्षिक सहायता प्रदान की गई; और

(घ) सरकार द्वारा इन सफाई कर्मचारियों की मुक्ति हेतु तथा वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 12 अगस्त, 1994 को किया गया। बाद में इसकी अवधि 31 मार्च 2002 तक बढ़ायी गयी थी। आयोग से अन्य बातों के साथ-साथ सफाई कर्मचारियों के लिए असमानता को समाप्त करने तथा स्तर सुविधाओं और अवसरों के बारे में कार्रवाई करने संबंधी कार्यक्रमों तथा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र सरकार को कार्रवाई के विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करने की उम्मीद की जाती है।

(ख) जी, हाँ। सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत मैला तथा गंदगी हाथ से उठाने के परम्परागत और अमानवीय व्यवसाय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए तथा वैकल्पिक और प्रतिष्ठित व्यवसायों में लगाने हेतु उन्हें अवसर प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) देश में योजना के अंतर्गत वित्तीय रूप में सहायता प्राप्त करने वाले लगभग 5.77 लाख सफाई कर्मचारियों का पता लगाया गया है। 1998-99 तक 1.35 लाख सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा योजना के अंतर्गत 3.24 लाख सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान की गई है। 83393 सफाई कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने के लिए 1999-2000 के दौरान 70 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। इसका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)	सहायता प्राप्त करने वाले संभावित कर्मचारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1041.055	6,025
2.	गुजरात	1160.59	15,000
3.	मध्य प्रदेश	883.357	15,000
4.	राजस्थान	1661.79	22,368
5.	तमिलनाडु	2253.19	25,000
	कुल	7000.00	83,393

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय योजना को जोर-शोर से बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह कर रहा है तथा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए सेनेटरी मार्टस की अवधारणा को अपनाने के संबंधी प्रस्ताव करने की पहल की है जो पश्चिम बंगाल राज्य में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। कई राज्य सरकारों ने इस अवधारणा को पहले ही अपना लिया है और 1999-2000 के दौरान योजना के अंतर्गत 70 करोड़ रु. की लागत से 3336 सेनेटरी मार्टस की स्थापना करने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1999 में की गई थी, आय सृजक एवं व्यवहार्य अवसर/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए उनको रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों के चहुँमुखी सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में भी कार्य करता है। सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. 5 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण सहायता जो परियोजना लागत के अधिकतम 90% तक हो। 2 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजना के लिए प्रवर्तक के अंशदान के लिए बल नहीं दिया जाता है। यूनिट द्वारा अपेक्षित शत प्रतिशत कार्यशील पूंजी को यूनिट की वित्त-पोषित लागत का भाग बना दिया जाता है।

2. 5 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए किन्हीं मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा स्वीकृत निवेश आर्थिक सहायता अथवा स्वीकृत निधि के किसी अन्य स्रोत की तुलना में ब्रिज ऋण सहायता प्रदान करना।

3. कौशल तथा उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के लिए 90% अनुदान दिया जाता है।

निगम ने प्रारम्भ में 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 8473 व्यक्तियों के लाभ के लिए 34.91 करोड़ रु. वितरित किए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आपदा राहत समिति

4075. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आपदा राहत समिति के कार्यकरण के लिए इसकी अवसंरचना और दिशा-निर्देशों में उपयुक्त परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रभावी कार्यकरण हेतु हाल ही में हुए परिवर्तनों तथा निकट भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख तक समिति के अंतिम निर्णय हेतु लम्बित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय आपदा राहत समिति गंभीर किस्म की आपदाओं तथा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता दिये जाने वाले मामलों का निपटान करती है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से स्कीम 31.3.2000 को समाप्त हो गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सहायता के लिए प्राप्त सभी अनुरोधों पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा विचार किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई है।

मछुआरों हेतु कल्याण योजनाएं

4076. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु तैयार की गई कल्याण योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाने वाले मछुआरों को समय पर संकेत देने के लिए तैयार की गई विशिष्ट योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ग) इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, विशेषत: दमन और दीव को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने मछुआरों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) भारत सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण" क्रियान्वित कर रही है। इस योजना में निम्नलिखित तीन घटक हैं:

(1) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा;

(2) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास; तथा

(3) समुद्री मछुआरों के लिए बचत-सह-राहत।

(ख) और (ग) मंत्रालय समुद्र में मत्स्यन के लिए जा रही मछुआरों को विशिष्ट रूप से समयबद्ध संकेत देने के लिए कोई योजना क्रियान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, भारतीय मौसम विभाग (आई एम डी) ने पूरे पूर्व एवं पश्चिमी तट के लिए प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों तथा चक्रवातों के मामले में पूर्व चेतावनी प्रदान करने के लिए मुम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि में स्थित 6 चेतावनी केन्द्रों की स्थापना की है। इन चक्रवात चेतावनी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली चेतावनियों का रेडियो, टेलेक्स, वायरलेस, फैक्स जैसे संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से तथा उपग्रह संचार के माध्यम से भी व्यापक रूप से प्रसार किया जाता है।

(घ) भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याण योजनाएं मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के बाद बनायी गयी हैं। इन योजनाओं के तहत मछुआरों अथवा उनके आश्रितों को अस्थायी या स्थायी विकलांगता या मृत्यु के मामले में न केवल मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है बल्कि मछुआरा गांवों में घर, ट्यूब वैल तथा सामुदायिक हॉल भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समुद्री मछुआरों को मानसून

अवधि के दौरान जब वे भयावह समुद्री स्थितियों में अपने पारम्परिक यानों को चलाने में असमर्थ होते हैं, वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र

4077. **श्री कोलुर वसवनागौड़:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र के इर्द-गिर्द के कुछ गांवों का चयन कर उनका विकास आदर्श (मॉडल) गांवों के रूप में किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उनका चयन कर उनका विकास आदर्श ंवों के रूप में करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा ठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य त्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के ार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी ल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) परमाणु विद्युत परियोजनाओं में भूमि के धिग्रहण तथा परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का ं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास योजना के अनुसार ा जाता है, जिसके लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ या लिमिटेड (एनपीसीआईएल) धनराशि उपलब्ध कराता मॉडल गांवों का विकास, परमाणु विद्युत परियोजना धकारियों के ऐसे पुनर्वास कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है। पि, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ं "मॉडल गांव" नहीं "अपनाया" गया है, तथापि, परियोजना धकारियों द्वारा परियोजना के आस-पास रहने वाले लोगों के पदे के लिए, एक सदभाव पूर्ण कार्य के रूप में मौजूदा ालय के भवन में अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था करना, पानी की सप्लाई, निकट के स्कूलों के लिए शिक्षण सामग्री जुटाना, पहुँच मार्ग की मरम्मत करना, चिकित्सा शिविर लगाना आदि जैसे कुछ कल्याण कार्य किये जाते हैं।

आरालम फार्म

4078. **श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आरालम फार्म में कुल कितनी खेती योग्य भूमि है;

(ख) क्या इस फार्म की देख-रेख के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यबल उपलब्ध है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कार्यबल की कमी के कारण पूर्ण रूप से विकसित रबड़ के पेड़ों का दोहन नहीं हुआ है जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) फार्म के अंतर्गत कुल 3060 हैक्टेयर क्षेत्र है। पौध रोपण फसलों की बढ़ोत्तरी के लिए उपयुक्त भूमि 2541 हैक्टेयर क्षेत्र है।

(ख) फार्म की देख-रेख के लिए कार्यबल की कोई कमी नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के दृष्टिगत लागू नहीं होता।

(घ) जी, नहीं, रबड़ के सभी परिपक्व वृक्षों का दोहन हुआ है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानी सैनिक शासन की नीयत

4079. **श्री माधवराव सिंधिया:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के मुख्य कार्यकारी जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा परमाणु अस्त्रों के प्रथम प्रयोग (फस्ट यूज) के संबंध में पाकिस्तान की स्थिति को लेकर दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने परमाणु अस्त्रों का प्रथम प्रयोग न करने की भारत की वचनबद्धताओं के बावजूद परमाणु अस्त्रों के प्रथम प्रयोग के विकल्प को खुला रखने के बारे में पाकिस्तानी सैनिक शासन की स्पष्ट नीयत से अमरीका तथा अन्य बड़ी शक्तियों को अवगत कराया है और अमरीका तथा बड़ी शक्तियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हाँ। कथित रिपोर्ट पर गौर किया गया है।

(ख) नाभिकीय मसलों पर पाकिस्तान के व्यवहार में असंयम, जो कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा दिए गए कुछ गैर जिम्मेदाराना बयानों में परिलक्षित हुआ था, को सरकार अन्य देशों के साथ अपनी बातचीत में निरंतर उजागर करती रहती है। यह ''पहले प्रयोग नहीं'' और ''न्यूनतम निवारक'' के प्रति भारत की वचनबद्धता के विपरीत है। भारत की स्थिति की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने सराहना की है।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां

4080. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां करने के बारे में क्या अद्यतन आदेश जारी किये गए हैं;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा इन नियमों की कठोर व्याख्या करने के कारण विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आवेदन पत्रों का निपटान करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) केन्द्रीय सरकार में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना, इस विभाग के दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के समय-समय पर यथा-संशोधित कार्यालय-ज्ञापन संख्या-14014/6/94-स्थापना (घ) में निहित है। उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन तथा उसमें किए गए संशोधनों की प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की मौजूदा योजना के अंतर्गत, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने के अधिकार, संबंधित मंत्रालय/विभाग/विभागाध्यक्ष को विकेन्द्रीकृत आधार पर हैं। अत: अनुकम्पा के आधार पर ऐसी कोई नियुक्ति अनुमोदित करने से पूर्व नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित कर लेना उनका ही दायित्व है। अत: अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लंबित चल रहे आवेदन-पत्रों के बारे में जानकारी केन्द्रीकृत रूप में संकलित/रखी नहीं जाती। फिर भी, इस बारे में मौजूदा योजना में पिछले माह में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर प्रत्येक मास के दूसरे सप्ताह के दौरान विचार किये जाने का प्रावधान है तथा इस योजना में, समूह ''ग''/''घ'' पदों की सीधी भर्ती के कोटे की अधिकतम 5 प्रतिशत रिक्तियों की निर्धारित सीमा के भीतर ही रिक्तियां उपलब्ध होने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किये जाने के वास्तव में योग्य मामलों में, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एक वर्ष के भीतर ही की जानी संकल्पित है।

विवरण

सं. 14014/6/94-स्था. (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली 110001 अक्तूबर 9, 1998

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना-संशोधित समेकित अनुदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किये जाने हेतु

संबंधित अनुदेशों की, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय और अन्य निर्णयों जिनमें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों के साथ-साथ उपर्युक्त विषय पर प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार की गई 1990 तथा 1994 की अध्ययन रिपोर्टें शामिल हैं, के प्रकाश में समीक्षा कर ली गई है और इन्हें संलग्न योजना में तदनुसार संशोधित/सरलीकृत एवं समेकित कर दिया गया है जिनसे इस विषय पर मौजूद सभी अनुदेश अधिक्रमित हो जायेंगे। इन्हें सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को ध्यान में लाया जाए।

(के.के. झा)

निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग।
3. राज्य सभा सचिवालय।
4. लोक सभा सचिवालय।
5. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/गृह मंत्रालय के अधीन सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
8. अन्य पिछड़े वर्गों हेतु राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद।
10. महारजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय।
11. प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110 001
12. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी कार्यालय/अनुभाग।
13. स्थापना (घ) अनुभाग (500 प्रतियां)

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना

उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य, किसी सरकारी कर्मचारी की कार्य करते हुए मृत्यु हो अथवा डॉक्टरी आधार पर उसे सेवा निवृत्त कर दिये जाने की वजह से उसके परिवार से गरीब हो जाने और आजीविका का कोई और साधन न होने की स्थिति में उक्त परिवार को वित्तीय अभावग्रस्त से छुटकारा दिलाने और संकट से उबारने के लिए परिवार के किसी आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देना है।

किस पर लागू है

(अ) किसी सरकारी कर्मचारी

(क) जिसकी मृत्यु (आत्म हत्या द्वारा मृत्यु भी शामिल है) सेवाकाल में हो जाए, अथवा

(ख) जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा (डॉक्टरी परीक्षा) नियम 1957 के नियम 2 अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा विनियमों के तदनुरूपी प्रावधान के अंतर्गत 55 वर्ष का हो जाने (समूह ''घ'' सरकारी कर्मचारी के संबंध में 57 वर्ष) से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, अथवा

(ग) जिसे केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम, 1972 के नियम 38 अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा विनियमों के तदनुरूपी प्रावधान के अन्तर्गत 55 वर्ष (समूह ''घ'' सरकारी कर्मचारी के संबंध में 57 वर्ष) का हो जाने से पहले डॉक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, अथवा

(ब) सशस्त्र सेना के किसी सदस्य-

(क) जिसका सेवाकाल के दौरान देहांत हो जाए, अथवा

(ख) जो लड़ाई में मारा जाए, अथवा

(ग) जिसे डॉक्टरी बोर्ड द्वारा बाहर कर दिया जाए और जो सिविल रोजगार हेतु अयोग्य हो, के परिवार के किसी आश्रित सदस्य पर लागू होगी।

टिप्पणी-I "परिवार का आश्रित सदस्य" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) पति/पत्नी, अथवा

(ख) पुत्र (दत्तक पुत्र भी शामिल है), अथवा

(ग) पुत्री (दत्तक पुत्री भी शामिल है), अथवा

(घ) इस पैरा के (अ) अथवा (ब) में संदर्भित सरकारी कर्मचारी अथवा सशस्त्र सेनाओं के सदस्य के अविवाहित होने की स्थिति में, भाई अथवा बहन-

- जो सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र सेनाओं के सदस्य पर उसके कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो जाने अथवा डॉक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त किए जाने के समय, जैसी भी स्थिति हो, पूर्णत: आश्रित थे।

टिप्पणी-II इन अनुदेशों के प्रयोजनार्थ "सरकारी कर्मचारी" से वह सरकारी कर्मचारी अभिप्रेत है जिसे नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो न कि, दिहाड़ी पर अथवा नैमित्तिक अथवा प्रशिक्षु अथवा तदर्थ अथवा अनुबंध अथवा पुनर्नियोजन के आधार पर कार्यरत कर्मचारी।

टिप्पणी-III "स्थायीक्त कार्यप्रभारित कर्मचारी" भी उपर्युक्त टिप्पणी-3 में उल्लिखित "सरकारी कर्मचारी" की परिभाषा में शामिल किया जाएगा।

टिप्पणी IV "सेवा" में, किसी सिविल पद पर सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्, सेवा में की गई वृद्धि भी शामिल है (परन्तु पुनर्नियोजन शामिल नहीं है)

टिप्पणी-V "पुनर्नियोजन" में किसी सिविल पद सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु से पूर्व भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन शामिल नहीं होता।

3. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने वाला सक्षम प्राधिकारी

(क) संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव।

(ख) अनुपूरक नियम 2(10) के अंतर्गत संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय के मामले में विभागाध्यक्ष।

(ग) विशेष प्रकार के मामलों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव।

4. ऐसे पद जिन पर ऐसी नियुक्तियाँ की जा सकती हैं।

सीधी भर्ती कोटे के मुद्दे समूह "ग" अथवा समूह "घ" पद।

5. पात्रता

(क) परिवार निर्धन हो तथा आर्थिक कठिनाई से राहत पाने हेतु तुरन्त सहायता मुहैया करवाए जाने योग्य हो; और

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाला अभ्यर्थी समेत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत हर लिहाज से पद के लिए पात्र एवं उपयुक्त होना चाहिए।

6. अ. छूट

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करने से मुक्त हैं:

(क) भर्ती प्रक्रिया अर्थात बिना कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय जैसे अधिकरणों के माध्यम से।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिशेष प्रकोष्ठ/ रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय से अनापत्ति लिये जाने से।

(ग) पद भरे जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा जारी किए गए प्रतिबंध संबंधी आदेश से।

(ब) शिथिलताएं

(क) जहाँ कहीं आवश्यक पाया जाए ऊपरी आयु सीमा में ढील दी जा सकेगी। तथापि, किसी भी स्थिति में, निचली आयु सीमा में ढील देकर इसे 18 वर्ष की आयु से कम नहीं किया जाय।

टिप्पणी I–आयु-पात्रता आवेदन करने की तारीख को निर्धारित की जाएगी न कि नियुक्ति की तारीख को।

टिप्पणी–II–किसी मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु अंतिम निर्णय लेने वाला सक्षम प्राधिकारी ऐसी नियुक्ति करने हेतु ऊपरी आयु सीमा में ढील दिये जाने हेतु भी सक्षम होगा।

(ख) संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव संगत भर्ती नियमों में यथा निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में अस्थाई रूप से ढील देने हेतु सक्षम है यदि नियुक्ति न्यूनतम स्तर अर्थात् समूह ''घ'' या अवर श्रेणी लिपिक के पद पर की जाती है। ऐसा आपवादिक परिस्थितियों में, परिवार की आर्थिक हालत बहुत कम होने तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु कोई ऐसी रिक्ति न होने की स्थिति में किया जा सकता है जिसके लिए परिवार का आश्रित सदस्य शैक्षिक अर्हता रखता हो। ऐसी ढील दो वर्ष तक अनुमत्य होगी, उसके पश्चात शैक्षिक अर्हता रखता हो। ऐसी ढील दो वर्ष तक अनुमत्य होगी, उसके पश्चात शैक्षिक अर्हताओं में कोई ढील देय नहीं होगी तथा संबंधित व्यक्ति की सेवाएं यदि वह तब भी अर्हता न रखता हो, समाप्त की जा सकती हैं।

टिप्पणी - संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए गए अवर श्रेणी लिपिकों के पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के मामले में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी अपेक्षा से छूट, इस संबंध में जारी सामान्य आदेशों द्वारा शासित होगी:-

(1) यदि पद केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल है तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय सचिवालय प्रभाग द्वारा जारी आदेशों द्वारा अथवा

(2) यदि पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में शामिल नहीं है तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग द्वारा जारी आदेशों द्वारा

(घ) जहां किसी विधवा की समूह ''घ'' पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जाती है, उसे संगत नियमों में निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त होने से संबंधित अपेक्षा से छूट दी जाएगी बशर्ते कि ऐसी अर्हताएं प्राप्त न होने पर भी वह पद से संबद्ध कार्य संतोषजनक रूप से कर सके।

7. रिक्तियों का निर्धारण/उपलब्धता

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति केवल नियमित आधार पर ही की जानी चाहिए और ऐसा तभी किया जाना चाहिए जब इस प्रयोजन के लिए नियमित रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां, सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत किसी भी समूह ''ग'' अथवा ''घ'' पद के संबंध में होने वाली रिक्तियों के अधिकतम 5% तक की जा सकती हैं। नियुक्ति प्राधिकारी, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अथवा अन्यथा उपर्युक्त वर्गों में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के 5% तक रिक्तियों को रोके रख सकता है ताकि ऐसी रिक्तियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरा जा सके। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु चुना गया व्यक्ति भर्ती रोस्टर में उपयुक्त श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य जिस श्रेणी से वह संबंधित है, उस श्रेणी के मद्दे समायोजित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति की श्रेणी से संबंधित है तो उसे अनुसूचित जाति आरक्षण बिन्दु (पाइंट) के स्थान पर समायोजित किया जाएगा यदि अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग का है तो उसे अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के बिन्दु के स्थान पर और यदि वह सामान्य वर्ग से संबंधित है तो उसे सामान्य श्रेणी के संबंध में अभिप्रेत रिक्ति बिन्दु के मद्दे समायोजित किया जाएगा।

(2) यद्यपि नियमित रिक्तियों के मद्दे, सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवारजन की दिहाड़ी/नैमित्तिक/तदर्थ/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करके अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु 5% की अधिकतम सीमा को उलझाया नहीं जाना चाहिए परन्तु ऐसी नियुक्ति किए जाने के क्रम में उस पर विचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है यदि ऐसी नियुक्तियों में शासित करने वाले सामान्य नियमों/आदेशों के अनुसार वह पात्र हो।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने के संबंध में सीधी भर्ती रिक्तियों की 5% सीमा, कोई अन्य रिक्ति अर्थात् खेल कोटा-रिक्ति का उपयोग करके बढ़ायी नहीं जानी चाहिए।

(4) योजना के अन्तर्गत नियोजन उस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तक ही सीमित नहीं होता जिसमें दिवंगत/डाक्टरी आधार पर सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी कार्यरत था। ऐसी नियुक्ति, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत किसी उपयुक्त रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार के अन्तर्गत कहीं भी की जा सकती है।

(5) यदि किसी कार्यालय विशेष में, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ, प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को शीघ्र ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिलाने के लिए यह मामला उठाने में स्वतंत्र है।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु देर से प्राप्त निवेदन

(6) मंत्रालय/विभाग सरकारी कर्मचारी की बहुत पहले अर्थात् पांच वर्ष अथवा इसके आसपास मृत्यु अथवा डाक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त हो जाने जैसे मामलों में भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु निवेदनों पर विचार कर सकते हैं। तथापि ऐसे देर से प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करते समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अवधारणा अधिकांशत:, सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तत्काल सहायता जुटाने संबंधी आवश्यकता से जुड़ी है। इस तथ्य कि उक्त परिवार इन सब वर्षों में किसी तरह गुजर-बसर कर सका होगा, को सामान्यत: पर्याप्त साक्ष्य मान लिया जाना चाहिए कि परिवार के गुजर बसर के कुछ अवलम्बनीय साधन थे। अत: ऐसे मामलों में जांच-परख में बड़ी चौकसी की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्णय, संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव के स्तर पर लिया जाना चाहिए।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई निवेदन देर से प्रस्तुत किया गया है या नहीं, यह बात सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा डाक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त होने की तारीख के संदर्भ में निश्चित की जाय न कि उक्त निवेदन पर विचार करने के समय आवेदक की आयु के संदर्भ में।

9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त विधवा की पुन: शादी हो जाना

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किसी विधवा पुन: शादी हो जाने के बाद भी उसे सेवा में बने रहने दिया जाएगा।

10. जहां परिवार में कोई धनार्जन करने वाला सदस्य हो

(क) सुपात्र मामलों में जहां परिवार में पहले ही कोई कमाऊ सदस्य है वहां भी परिवार के किसी आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने के प्रति संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव के पूर्व अनुमोदन से विचार किया जा सकता है जो ऐसी नियुक्ति का अनुमोदन करने से पूर्व अपनी संतुष्टि कर लेगा कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति आश्रितों की संख्या, सरकारी कर्मचारी द्वारा पीछे छोड़ी गई परिसंपत्तियों और देयताओं, कमाऊ सदस्य की आय के साथ-साथ उसकी देयताओं तथा इस तथ्य सहित की कमाऊ सदस्य सरकारी कर्मचारी के परिवार के साथ रह रहा है और क्या वह परिवार के अन्य सदस्यों को सहारा देने का साधन नहीं हो पाएगा, के संबंध में न्याय संगत है।

(ख) ऐसे मामलों में जहां दिवंगत अथवा डाक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य पहले ही नियोजित है और सरकारी कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को सहारा नहीं दे रहा है, सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के आर्थिक संकट का पता लगाने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए ताकि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने संबंधी सुविधा को सुलझाया न जाए और इस आधार पर इसका गलत प्रयोग न किया जाए कि पहले से नियुक्त परिवार का सदस्य परिवार को सहारा नहीं दे रहा है।

11. लापता सरकारी कर्मचारी .

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, लापता हो गए,

सरकारी कर्मचारियों के मामले भी आते हैं:-

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रसुविधा प्रदान किए जाने के अनुरोध पर विचार सरकारी कर्मचारी के लापता हो जाने की तारीख से कम से कम 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है, बशर्ते कि-

(1) इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है।

(2) लापता व्यक्ति का हीं कोई सुराग नहीं रहा है तथा

(3) सक्षम प्राधिकारी का यह मंतव्य है कि मामला यथार्थ है।

(ख) यह प्रसुविधा उस सरकारी कर्मचारी के मामले में लागू नहीं होगी:-

(1) जिसके लापता होने की तारीख को सेवानिवृत्त होने में दो वर्ष से कम समय बचा हो; अथवा

(2) जिस पर धोखाधड़ी करने, किसी उग्रवादी संगठन में शामिल होने अथवा विदेश चले जाने का संदेह हो।

(ग) लापता सरकारी कर्मचारी के मामले में भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अन्य कर्मचारियों की तरह ही अधिकार की बात नहीं होगी और उक्त नियुक्ति, योजना के अन्तर्गत ऐसी नियुक्ति के संबंध में निर्धारित रिक्ति की उपलब्धता सहित सभी शर्तें पूरी करने के अधीन होगी।

(घ) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय, पुलिस जांच के परिणाम भी ध्यान में रखे जाने चाहिए; और

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु ऐसे किसी निवेदन पर निर्णय संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव के स्तर पर ही लिया जाना चाहिए।

12. प्रक्रिया

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी आवश्यक जानकारी का पता लगाने और उक्त मामलों पर कार्रवाई करने के क्रम में संबंधित मंत्रालयों/विभागों कार्यालयों द्वारा अनुबंध में दिया गया प्रोफार्मा प्रयोग में लाया जाय

(ख) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के कल्याण अधिकारी को दिवंगत सरकारी कर्मचारी के देहांत के पश्चात् शीघ्र ही उसके परिवार के सदश्यों से, अनुकम्पा के आधार पर नियूक्ति दिलाने के क्रम में उन्हें सलाह देने और सहायता करने हेतु मिलना चाहिए। पहले चरण में ही स्वयं आवेदक बुलाया जाना चाहिए और उसे उसके द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाओं और औपचारिकताओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से सलाह दी जानी चाहिए।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पर, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना प्रभाग) द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी अनुदेशों के प्रकाश में अधिकारियों की एक समिति, जिसमें तीन अधिकारी एक अध्यक्ष, दो सदस्य मंत्रालय/विभाग के संबंध में उपसचिव/निदेशक के स्तर के अधिकारी तथा संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में इसके समतुल्य स्तर के अधिकारी होंगे, द्वारा विचार किया जायेगा। कल्याण अधिकारी को उसके रैंक के आधार पर समिति का सदस्य/अध्यक्ष बनाया जाएगा समिति हरेक माह के द्वितीय सप्ताह के दौरान पिछले माह के दौरान प्राप्त हुए मामलों पर विचार करने के लिए अपनी बैठक आयोजित करेंगी। मामले के तथ्यों की बेहतर जानकारी हेतु यदि आवश्यक हो तो समिति द्वारा आवेदन को वैयक्तिक सुनवाई का अवसर भी दिया जाए।

(घ) समिति की सिफारिश, निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जानी चाहिए। यदि सक्षम प्राधिकारी समिति की सिफारिश से असहमत हो तो मामला निर्णय हेतु अगले उच्चतर प्राधिकारी को भेज दिया जाए।

13. बचन

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी योजना के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को अनुबंध में दिए गए अनुसार एक लिखित वचन देना चाहिए कि वह संबंधित सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र सेनाओं के सदस्य के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा तथा बाद में किसी भी समय यदि यह साबित हो जाए की उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा हैं अथवा उनका सही ढ़ंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा हैं तो उसकी नियुक्ति को तुरन्त समाप्त कर दिया जाए।

14. पद/व्यक्ति के संबंध में परिवर्तन का अनुरोध

जब कोई व्यक्ति अनुकम्पा के आधार पर पद-विशेष पर नियुक्त किया जाता हैं। तो उन परिस्थितियों जिनके कारण ऐसी

नियुक्ति हुई, को ऐसी नियुक्ति के परिणामस्वरूप समाप्त हुआ मान लिया जाना चाहिए । अत:-

(क) अपने व्यावसायिक जीवन (कॅरिअर) में आगे बढ़ने के लिए उसे अपने सहयोगियों की तरह प्रयास करना चाहिए तथा अनुकम्पा के आधार पर किसी उच्चतर पद नियुक्ति हेतु उसके अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं की जानी सकती तथा अनुकम्पा के आधार पर ऐसा किए जाने के अनुरोध को निरपवाद रूप से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

15. वरीयता

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में आपसी वरीयता, उनकी नियुक्ति की तारीख से नियत की जाए। उनका सीधे भर्ती/पदोन्नत कर्मचारियों से अन्तर्वेशन भी सीधे भर्ती/पदोन्नत कर्मचारियों की आपसी वरीयता को गड़बड़ाए बिना ही, (उनकी) नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में ही किया जाए।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यग्रहण की तारीख को उसकी नियमित नियुक्ति की तारीख माना जाएगा।

16. सामान्य

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां इस तरह से की जानी चाहिए कि पद पर नियुक्त व्यक्तियों के पास पद के संबंध में प्रशासन की कार्यकुशलता बनाए रखने संबंधी अपेक्षा के अनुरूप अपेक्षित आवश्यक शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हताएं और अनुभव हो।

(ख) यह अभिक्रिया नहीं हैं कि दिवंगत अथवा डॉक्टरी आधार पर सेवा-निवृत समूह "घ" सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य के रोजगार के केवल समूह "घ" पद तक सीमित कर दिया जाए। अत: ऐसे समूह "घ" सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य की नियुक्ति समूह "ग" के पद पर की जा सकती हैं। यदि इस प्रयोजन हेतु समूह "ग" का पद रिक्त हो तथा वह व्यक्ति पद के अनुकूल शैक्षिणिक योग्यता रखता हों ।

(ग) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना पर विचार पीछे सन् 1958 में किया गया था। तब से सरकार ने कई कल्याणकारी उपाय किए है जिससे कार्य के दौरान हुई मृत्यु को प्राप्त/डॉक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार को वित्तीय स्थिति में काफी अन्तर आया है। तथापि, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन को केवल इसलिए अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी के परिवार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पर विचार करते समय परिवार की परिसम्पत्तियों तथा जिम्मेवारियों (जिसमें ऊपर उल्लिखित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ भी शामिल हैं) तथा सभी संगत पहलुओं जैसे कमाने वाले सदस्य का होना, परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों की आयु, परिवार की अनिवार्य जरूरतें इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उसकी वित्तीय स्थिति का एक संतुलित तथा निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाना होगा।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति को मात्र इसलिए अस्वीकृत अथवा इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए कि मंत्रालय/विभाग/कार्यालय का पुनर्गठन करना है। यदि ऐसी रिक्ति है जिसे अनुकम्पा के आधार पर भरा जाना है तो यह संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध कराई जानी चाहिए यदि वह इस योजना के अंतर्गत उपयुक्त तथा पात्र पाया जाता है।

(ङ) समूह "घ" स्टाफ की मृत्यु अथवा डाक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्ति के मामले में अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति हेतु अनुरोध पर, मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानदण्डों में छूट देते हुए और अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(च) अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति को अधिशेष कर्मचारियों के आभेलन तथा अस्थायी स्तर वाले/बिना अस्थाई स्तर के दैनिक वेतन/नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किए जाने से वरीयता दी जाएगी।

(छ) उपर्युक्त पैरा 2(क), (ख) तथा (ग) में निर्धारित समूह "क"/"ख"/"ग" सरकारी कर्मचारियों के संबंध

में डाक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्ति की 55 वर्ष की अधिकतम आयु-सीमा को बढ़ाकर इस आधार पर इसे समूह ''घ'' सरकारी कर्मचारी के समान 57 वर्ष किए जाने हेतु कि हाल ही में (मई, 1998) में समूह ''क''/''ख''/''ग'' सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष से 60 वर्ष कर दिया गया है जो (जो समूह ''घ'' सरकारी कर्मचारी पर लागू होने वाली सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष की आयु के समान है) अथवा अन्य किसी आधार पर किए गए ऐसे अनुरोध को निरापवाद रूप से अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर उपलब्ध लाभ का अपने कार्य-काल के अंतिम चरण में डाक्टरी आधार पर सेवानिवृत्ति लेकर दुरूपयोग नहीं हो तथा इस तथ्य के मद्देनजर कि समूह ''घ'' सरकारी कर्मचारी की 57 वर्ष की अधिकतम आयु-सीमा इस कारणवश निर्धारित की गयी है कि वे औरों की तुलना में बहुत कम अस्वस्थता पेंशन पाने वाले अल्प वेतन प्राप्त सरकारी कर्मचारी होते हैं।

17. महत्वपूर्ण न्यायालयी निर्णय

. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर विचार करते समय निम्नलिखित निर्णयों में निहित न्यायालयी आदेशों को भी ध्यान में रखा जाए:-

(क) भारत के महालेखा परीक्षक तथा अन्य बनाम जी. अनन्त राजेश्वर राव [(1994) (एस.सी.सी. 192)] मुकदमे में अपने दिनांक अप्रैल 8, 1993 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय के व्यवस्था दी है कि उत्तराधिकार के आधार पर नियुक्ति से स्पष्टत: संविधान के अनुच्छेद 16(2) का अतिक्रमण होता है; परन्तु यदि ऐसी नियुक्ति, कार्य के दौरान दिवंगत होने वाले सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री अथवा विधवा, जिसे परिवार में अन्य कोई कमाने वाला सदस्य न होने की स्थिति में, परिवार के निर्वाह के लिए कमाने वाले व्यक्ति की आय का नुकसान पूरा करने के प्रयोजन से, परिवार के सदस्यों को आर्थिक मुसीबत से राहत दिलाने हेतु तुरंत सहायता की आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति की आवश्यकता है, तक सीमित हो तो यह उचित है।

(ख) उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य [(जे.टी. 1994)(3) एस.सी. 525] मुकदमे में दिनांक मई 4, 1994 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए हैं:-

(1) अनुकम्पा के आधार पर केवल ऐसे सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति दी जा सकती है जिसकी कार्य के दौरान मृत्यु हो गई हो तथा जिसके परिवार के निर्वाह का अन्य कोई स्रोत नहीं और परिवार गरीब हो।

(2) समूह ''ग'' तथा ''घ'' (पहले श्रेणी III तथा IV) के पद मैनुअल तथा गैर-मैनुअल श्रेणी के सबसे निम्न स्तर के पद होते हैं अत: केवल इन्हीं पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया जा सकता है तथा अन्य कोई पद अर्थात् समूह ''क'' अथवा समूह ''ख'' श्रेणी का पद इस उद्देश्य हेतु प्रस्तावित किया जाना अपेक्षित अथवा आवश्यक नहीं है क्योंकि यह कानूनी रूप से अनुमत नहीं है।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने का मुख्य उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबारना तथा दिवंगत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से राहत दिलाना और आपातिक स्थिति से उसे उबारना है।

(4) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति को दिवंगत या चिकित्सीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के परिवार की वित्तीय स्थिति से असम्बद्ध कर स्वाभाविक रूप से प्रदान करना कानूनी रूप से अनुमत नहीं है।

(5) न तो आवेदक (परिवार या आश्रित सदस्य) की अर्हताओं न ही दिवंगत अथवा चिकित्सीय रूप से सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारी के पद की कोई प्रासंगिकता है। यदि आवेदक को ऐसा लगे कि उसके लिए प्रस्तावित पद को स्वीकार करना उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं है तो उसे ऐसे पद को त्यागने की पूरी आजादी है। ऐसा पद उस व्यक्ति के स्तर को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि परिवार को आर्थिक संकट में सहायता देने हेतु दिया जाता है।

(6) पर्याप्त अवधि के बीत जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती और यह कोई निहित हकदारी नहीं है जिसे भविष्य में कभी भी उपयोग किया जा सकता है।

(7) कोई अधिकारी विशेष तदर्थ आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दे सकता।

(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम श्रीमती आशा रामचन्द्र अम्बेकर तथा अन्य [(जे टी 1994) (2) एस सी 183) मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने 28 फरवरी, 1995 को यह निर्णय दिया है कि उच्च न्यायालय तथा प्रशासनिक अधिकरण अनुकम्पा के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु निर्देश नहीं दे सकते वे केवल इस प्रकार की नियुक्ति के दावे पर विचार करने के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।

(घ) हिमाचल पथ परिवहन निगम बनाम दिनेश कुमार [जे टी 1996(5) एस सी 319] तथा हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लि. बनाम श्रीमती ए. राधिका तिरूमलाई [जे.टी. 1996 (9) एस सी 197) मुकदमों में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः दिनांक 7 मई, 1996 तथा 9 अक्तूबर, 1996 को यह आदेश दिए कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति तभी दी जा सकती है जब इस उद्देश्य हेतु कोई रिक्ति उपलब्ध हो।

(ङ) हरियाणा राज्य तथा अन्य बनाम रानी देवी तथा अन्य [जे.टी. 1996(6) एस.सी. 646] मुकदमें में उच्चतम न्यायालय ने 15 जुलाई, 1996 को यह निर्णय दिया कि यदि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना को प्रशिक्षु की हैसियत से कार्य करने वाले व्यक्तियों सहित सभी प्रकार के नैमित्तिक (कैजुअल) व तदर्थ कर्मचारियों के मामले में भी लागू किया जाए तो ऐसी योजना संवैधानिक आधार पर न्याय संगत नहीं हो सकती।

अनुबन्ध

सेवा के दौरान मरने वाले/अशक्तता पेंशन पर सेवा-निवृत्त हुए सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को रोजगार देने संबंधी प्रोफार्मा

भाग-क

1. (क) सरकारी कर्मचारी का नाम (मृत/डाक्टरी आधार पर सेवानिवृत्त) .....

(ख) सरकारी कर्मचारी का पदनाम

(ग) क्या समूह "घ" कर्मचारी है अथवा नहीं? .....

(घ) सरकारी कर्मचारी की जन्म-तिथि .....

(ङ) मृत्यु/डाक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्ति की तारीख .....

(च) कुल कितने वर्षों की सेवा की गई .....

(छ) क्या स्थायी है अथवा अस्थायी .....

(ज) क्या अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. से सम्बन्धित थे .....

2. (क) नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थी का नाम .....

(ख) सरकारी कर्मचारी से उसका संबंध .....

(ग) जन्म-तिथि .....

(घ) शैक्षिक योग्यता .....

(ङ) क्या परिवार का कोई अन्य आश्रित सदस्य अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किया गया है

3. कुल छोड़ी गयी सम्पत्ति का विवरण जिसमें निम्नलिखित धनराशि भी शामिल है:-

(क) कुटुम्ब पेंशन

(ख) मृत्यु-सह-सेवा निवृत्ति उपदान

(ग) सामान्य भविष्य निधि में शेष राशि

(घ) जीवन बीमा पॉलिसी (डाक जीवन बीमा सहित) .....

(ङ) चल तथा अचल सम्पत्तियां तथा परिवार को उससे होने वाली वार्षिक आय

(च) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बीमा की राशि

(छ) छुट्टी नकदीकरण की राशि

(ज) कोई अन्य परिसम्पत्ति

कुल

4. जिम्मेवारियां, यदि कोई हो, का संक्षिप्त विवरण

5. सरकारी कर्मचारी के परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण (यदि कुछ सदस्य रोजगार प्राप्त हों, तो उनकी आय तथा क्या वे एक साथ रहते हैं अथवा अलग-अलग)

क्र.सं.	नाम	सरकारी कर्मचारी से संबंध	आयु	पता	रोजगार प्राप्त है अथवा नहीं (यदि रोजगार प्राप्त हों परिलब्धियों का (विवरण)
2		3	4	5	6

6. घोषणा/उद्घोषणा

1. मैं घोषणा करता हूं कि मैंने ऊपर जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे मेरी जानकारी के अनुसार पूरी तरह सत्य हैं। यदि उपर्युक्त उल्लेखित कोई तथ्य भविष्य में कभी भी असत्य पाया जाता है तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं सरकारी कर्मचारी/सैन्य बल के सदस्य जिनका उल्लेख इस फार्म के भाग-क के 1(क) में किया गया है के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करूंगा तथा यदि किसी समय यह सिद्ध हो जाता है कि मैं उनकी उपेक्षा कर रहा हूं अथवा उनका समुचित भरण-पोषण नहीं कर रहा हूं तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जाए।

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... को जानता हूं तथा उसने जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे सही हैं।

दिनांक :

स्थायी सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

मैंने सत्यापित कर लिया है कि अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित तथ्य सही हैं।

दिनांक :

कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

भाग-ख

(जिस कार्यालय में रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव है उस कार्यालय द्वारा भरा जाए)

1. (क) नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी का नाम .....

(ख) सरकारी कर्मचारी से उसका संबंध .....

(ग) आयु (जन्म तिथि), शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो .....

(घ) किस पद पर रोजगार देने का प्रस्ताव है और क्या यह पद समूह "ग" है अथवा समूह "घ" .....

(ङ) क्या उस पद के लिए अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना के अंतर्गत निर्धारित 5% की उच्चतम सीमा के अन्दर रिक्ति उपलब्ध है

(च) क्या भरे जाने वाला पद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल किया गया है अथवा नहीं? .....

(छ) क्या संगत भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान है .....

(ज) क्या अभ्यर्थी उस पद के लिए भर्ती नियमों की अपेक्षाएं पूरी करता है

(झ) रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया के अतिरिक्त और कौन-सी छूट दी जानी है

2. क्या भाग-क में उल्लिखित तथ्यों को कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया है और यदि हां, तो रिकार्डों को दर्शाया जाए

3. यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/डाक्टरी आधार पर सेवा-निवृत्ति 5 वर्ष पहले हुए थी, तो इससे पहले मामले को क्यों नहीं प्रवर्तित किया गया

4. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष की व्यक्तिगत सिफारिश (हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर/सील सहित)

फा.सं.-14014/23/99-स्था.(घ)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110 001,
दिनांक दिसम्बर 3, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय : अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की समय-सीमा।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94-स्था.(घ) का हवाला देने और यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की समय-सीमा निर्धारित करने के मुद्दे पर उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन के पैरा 7(ख) में, समूह "ग" अथवा समूह "घ" के किसी भी पद की सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आने वाली रिक्तियों की अधिकतम 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा ध्यान में रखते हुए और उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर विचार करते हुए सम्यक् विचार किया गया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जबकि उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन के पैरा 12 में निर्धारित समिति ऐसी नियुक्ति हेतु रिक्ति की उपलब्धता से संबंधित स्थिति ध्यान में रखे, उपर्युक्त समिति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए जाने के वास्तव में योग्य मामले में ही, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए जाने की सिफारिश करे और उपर्युक्त समिति ऐसी नियुक्ति की सिफारिश तभी करे जबकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अभिप्रेत रिक्ति, एक वर्ष के भीतर ही उपलब्ध होने वाली हो और वह भी ऊपर उल्लिखित 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर ही हो। इससे अनुकंपा के

आधार पर नियुक्ति एक वर्ष के भीतर ही की जानी सुनिश्चित की जा सकेगी। उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन के पैरा 7(1) में किए गए उल्लेख के अनुसार, समिति अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किए जाने के वास्तव में योग्य अन्य मामलों में नियुक्ति, भारत-सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में किए जाने पर विचार हेतु, मामला उनसे (भारत-सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से) उठाए जाने की ही सिफारिश करे।

2. दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के कार्यालय-ज्ञापन में निहित अनुदेश उपर्युक्त सीमा तक आशोधित हो गए हैं।

3. उपर्युक्त निर्णय, सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पक्षों को ध्यान में ला दिया जाए।

ह०
(के.के. झा)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

फा.सं.-14014/16/99-स्था.(घ)
भारत-सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110 001,
दिसम्बर 20, 1999

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति—अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण।

अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/6/94-स्था. (घ) के अनुसार, उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप से यह वचन दिया जाना अपेक्षित है कि वह दिवंगत सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र सेनाओं के सदस्य के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का भरण-पोषण करेगा/करेगी और यदि बाद में किसी भी समय यह सिद्ध हो जाए कि उसके द्वारा दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों की अनदेखी की जा रही है अथवा उनका उचित रूप से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त कर दी जा सकती है। इसे कानूनन लागू किए जा सकने से संबंधित मुद्दे की विधि-मंत्रालय, विधि-कार्य-विभाग के परामर्श से जांच-पड़ताल कर ली गई है और यह तय किया गया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश में इसे एक अतिरिक्त शर्त के रूप में समाविष्ट किया जाए।

2. दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन में निहित संगत अनुदेश उपर्युक्त सीमा तक आशोधित हो गए हैं।

3. उपर्युक्त निर्णय सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पक्षों को ध्यान में ला दिया जाए।

ह०
(के.के. झा)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि।

सं.-14014/24/99-स्था. (घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110 001
दिसम्बर 28, 1999

कार्यालय ज्ञापन

विषय : अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति-पदों का समूहीकरण करके रिक्तियों का परिकलन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94 स्था. (घ) का हवाला देने तथा यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञापन के पैरा 7(ख) में विशेषत: छोटे कार्यालयों/संवर्गों में समूह "ग" अथवा समूह "घ" के किसी भी पद की सीधी भर्ती-कोटे की अधिकतम 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर ही रिक्तियों की अनुपलब्धता के मुद्दे पर सरकार द्वारा, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सच्चे और

उचित मामलों में भी महसूस की जा रही कठिनाइयां ध्यान में रखते हुए विचार कर लिया गया है।

2. तद्नुसार, छोटे कार्यालयों/संवर्गों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किए जाने हेतु रिक्तियों का परिकलन करने के प्रयोजन से पदों का समूहीकरण करने देना तय किया गया है। परिणामत: किसी भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती की 20 से कम रिक्तियों वाले समूह "ग"/"घ" पदों का समूहीकरण कर लिया जाए और ऐसे समूहीकरण से परिकलित कुल रिक्तियों की संख्या की 5 प्रतिशत रिक्तियां, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति द्वारा इस शर्त पर भरी जाएं कि ऐसे किसी भी पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति एक से अधिक नहीं हो।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों का परिकलन किए जाने के प्रयोजन से, रिक्ति के आधे अथवा आधे से अधिक लेकिन एक से कम अंश को एक रिक्ति माना जाए।

4. इस विषय पर दिनांक अक्तूबर 9, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/6/94-स्था. (घ) में निहित अनुदेश उपर्युक्त सीमा तक आशोधित हो गए हैं।

5. उपर्युक्त निर्णय सूचना, मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पक्षों के ध्यान में ला दिया जाए।

ह०/-
(के.के. झा)
निदेशक (स्थापना)

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

महिला श्रमिकों को प्रशिक्षण

4081. श्री चिंतामन वनगा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष खेतों में काम करने वाली महिला श्रमिकों को बड़ी संख्या में कृषि की आधुनिकतम तकनीक और इनसे संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रशिक्षण पर प्रति वर्ष कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान खेतों में काम करने वाली देश की और महिला श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है और साथ ही इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए मानदंड क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) राज्यवार विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है

(ग) प्रत्येक वर्ष व्यय की गई कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित की जाने वाली महिला किसानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

केवल "कार्यरत महिला किसानों" अर्थात छोटे तथा मध्यम कृषक परिवार की महिलाओं को ही जो वास्तव में कृषि कार्य में लगी हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चुना जाता है।

विवरण-I

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "कृषि में महिलाएं" तथा डैनिश एवं डच सहायता वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला कृषक

क्र.सं.	राज्य	स्कीम	प्रशिक्षित महिला किसानों की संख्या		
			1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	महाराष्ट्र	केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "कृषि में महिलाएं"	4,160	4,160	6,390

1	2	3	4	5	6
2.	हरियाणा	कृषि क्षेत्र की स्कीम "कृषि में महिलाएं"	4,780	4,800	4,400
3.	राजस्थान	-तदैव-	4,360	4,160	3,430
4.	हिमाचल प्रदेश	-तदैव-	5,010	4,415	5,755
5.	उत्तर प्रदेश	-तदैव-	4,360	3,780	3,815
6.	केरल	-तदैव	2,300	4,210	4,200
7.	पंजाब	-तदैव-	4,060	3,550	4,385
	कुल		29,030	29,075	32,395
1.	कर्नाटक	डैनिश सहायता प्राप्त परियोजना	3,250	3,540	3,862
2.	तमिलनाडु	-तदैव-	10,748	11,948	5,348
3.	उड़ीसा	-तदैव-	37,787	23,073	39,562
4.	मध्य प्रदेश	-तदैव-	350	3,410	4,800
	कुल		52,135	41,971	53,572
1.	गुजरात	डच सहायता प्राप्त परियोजना	11,753	8,687	17,207
2.	आंध्र प्रदेश	-तदैव-	11,442	11,049	11,281
	कुल		23,195	19,736	28,488

विवरण-II

व्यय की गई कुल राशि/परियोजना लागत

1. केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "कृषि में महिलाएं"

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "कृषि में महिलाएं" के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई कुल राशि इस प्रकार है:

1996-97	46.87 लाख रु.
1997-98	39.66 लाख रु.
1998-99	41.94 लाख रु.

2. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कुल लागत इस प्रकार है:-

क. डैनिश सहायता प्राप्त परियोजना*

क्र.सं.	राज्य	अवधि	कुल परियोजना लागत
1	2	3	4
1.	कर्नाटक चरण-II	1981 से मई, 2000	18.89 करोड़ रु.
2.	तमिलनाडु चरण-II	30.9.93 से 31.3.2000	33.90 करोड़ रु.
3.	उड़ीसा चरण-II	1.7.95 से 30.6.2000	11.85 करोड़ रु.
4.	मध्य प्रदेश चरण-I	11.11.93 से दिसंबर, 2000	6.24 करोड़ रु.

1	2	3	4
ख.	डच सहायता प्राप्त परियोजना*		
1.	गुजरात चरण-II	1.7.97 से 30.6.2003	12.31 करोड़ रु.
2.	आंध्र प्रदेश चरण-II	24.8.93 से 31.8.99	5.71 करोड़ रु.

*डैनिश/डच सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत धनराशि कृषि एवं सहकारिता विभाग के बजट के माध्यम से नहीं बल्कि राज्यों को सीधे दे दी जाती है।

विवरण-III

देश के 12 राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मांचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, मणिपुर, मेघालय, जोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा में अगले तीन वर्षों के दौरान ीय क्षेत्र की स्कीम "कृषि में महिलाएं" के विभिन्न घटकों अंतर्गत महिला किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रक्षेपित लक्ष्य

(प्रशिक्षित की जाने वाली महिला कृषकों की संख्या)

घटक	1999-2000	2000-2001	2001-2002
मैण्ठविच ट्रेनिंग रोइन्फ्रेसमेंट	5250	5250	5250
ग्राम आधारित प्रशिक्षण/पुनश्चर्या			
प्रशिक्षण	3750	3750	3750
निंग वर्कर प्रशिक्षण	360	360	360
महिला गोष्ठी	7200	7200	7200
अध्ययन दौरे	600	600	600
परिक्षम प्रदर्शन	1200	1200	1200
कुल	18,360	18,360	18,360

देशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए तावित महिला कृषक

डैनिश तथा डच सहायता से

डैनिश सहायता वाली विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कर्नाटक, ड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में चलाई जा रही है। गुजरात मंत्री यह तथा आंध्र प्रदेश डच सहायता वाली परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं।

संबंधित परियोजना संबंधी अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार महिला किसानों को प्रशिक्षण/विस्तार सहायता प्रदान की जाएगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रतिमान/प्रशिक्षण की अवधि पूर्व वर्षों के अनुसार ही होगी।

ग. यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम

यू.एन.डी.पी. खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में महिलाओं का प्रशिक्षण/अधिकारिता हेतु तीन उप कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगले तीन वर्षों के दौरान इन उप कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित की जाने वाली महिला किसानों की संख्या इस प्रकार हैं:-

उत्तर प्रदेश	600	महिला किसान
आंध्र प्रदेश	14000	-तदैव-
उड़ीसा	14000	-तदैव-
उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित जिले	8000	-तदैव-

उल्फा उग्रवादियों को फर्जी पासपोर्ट

4082. श्री रामजीवन सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 मार्च, 2000 को "द एशियन एज" में "पाकिस्तान एनवॉय इन ढाका एडिंग उल्फा : महन्त" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, उल्फा नेतृत्व ढाका स्थित पाकिस्तान के हाई कमीशन के कुछ अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए हुए है। ऐसी भी सूचना है जिससे इस बात का पता चलता है कि कुछ उल्फा नेताओं ने कपटपूर्ण तरीकों से विदेशी पासपोर्ट प्राप्त कर लिए हैं।

सरकार बंगलादेश के साथ सीमा-पार आतंकवाद और आई.एस.आई. गतिविधियों सहित विभिन्न सुरक्षा से संबद्ध मसलों को दोनों देशों के बीच विद्यमान राजनयिक माध्यमों और संस्थागत तंत्रों के जरिए विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से उठती रही है। 24-26 जनवरी, 2000 तक भारत-बंगलादेश संयुक्त कार्यदल की बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने-अपने इस संकल्प को दोहराया कि वे अपने-अपने प्रदेशों का उपयोग एक दूसरे के सुरक्षाहितों के विरुद्ध गतिविधियों के लिए अवांछित तत्वों को अनुमति नहीं देंगे और नोडल कार्यालयों के जरिए कार्रवाई योग्य सतर्कता में सहभागिता करने के लिए सहमत हुए।

डि-कैल्सियम फॉस्फेट पर प्रतिबंध

4083. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डि-कैल्सियम फॉस्फेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डि-कैल्सियम फॉस्फेट के बारे में क्या मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डि-कैल्सियम फॉस्फेट पर प्रतिबंध लगाने वाले मार्ग-निर्देश मुर्गियों और जलचरों के चारों पर भी लागू है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी सहकारी संघों/परिसंघों को केवल यह सलाह दी है कि वे चट्टानी मूल के डाइकेल्सियम फास्फेट का प्रयोग करें जिसे बी.आई.एस. विशिष्टताओं के अनुसार डिफ्लूरिनेटिड किया गया है तथा हड्डी मूल की डाइकेल्सियम फास्फेट का प्रयोग न करें। कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं

4084. श्री राजो सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं जिन्हें बिहार में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परियोजना-वार कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं;

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) 1.4.1997 तक, बिहार में आठवीं योजना अवधि के दौरान 10 परियोजनाएं पूरी की जानी थीं इसमें से अभी तक 6 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, 2 परियोजनाएं पूर्ण होने की अग्रिम स्थिति में हैं तथा शेष 2 मार्च, 2001 तक पूरी होंगी। 4 विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में संलग्न हैं।

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न निम्नलिखित हैं:-

(1) अवरोधों को अभिज्ञापित करने तथा समय रहते उपचारी उपाय करने की दृष्टि से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन

(2) विलम्ब को कम करने के लिए, परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अधिकरणों के साथ प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा।

(3) परियोजनाओं को अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

विवरण

8वीं योजना के दौरान बिहार राज्य में शुरू होने वाली परियोजनाएं

इकाई : (लागत/व्यय करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परि. (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकार के अनु. की तिथि (वास्तविक) (संशो.)	शुरू होने की तारीख मूल. (संशो)	प्रत्या. (एलआर ईपी)	समय वृद्धि (महीने) मूल पर कुल %	पिछली तिमाही पर अति	संशो. पर कुल %	लागत अनुमोदित मूल	प्रत्या	मूल पर % लागत वृद्धि (संशो.)	संचयी व्यय	वास्तविक वृद्धि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्षेत्र : परमाणु ऊर्जा														
यूसीआईएल														
1.	नरवापहार के गुद्दा डमिस्स सिंहभम बिहार	टीपीवाई 326 यू 308	1989/04 1994/11	1993/12 1995/09	2000/03	75 134	3	54 70	495.54 311.41	306.74	-38 -1	299.57	99.90	परियोजना लगभग पूर्ण खनन चल रहा है
क्षेत्र : कोयला														
बीसीसीएल														
2.	पुटकी बोलिहारी यूवी धनबाद बिहार	3.00 1.00 एमटीवाई	1983/12 1997/04	1994/03 2000/03	2001/03	84 68	0	12 6	199.87 199.87	181.94	-9 -9	167.94	-	परियोजना की क्षमता जैसा कि प्रस्तावित है घटकर 0.68 मि. टन प्रतिवर्ष होनी है।
सीसीएल														
3.	के बचरा यूवी रांची बिहार	0.60 एमटीवाई	1991/03	1997/03	2000/03	36 50	0	36 50	30.19	30.19	0 0	17.51	-	परियोजना को 0.6 एमटी वाई की कम क्षमता पर पूरा किया जाना है।
क्षेत्र : रेलवे														
आरई														
4.	गुमिया पलामु बिहार	कि.मी. 72	1992/03	1997/03	एन.ए. 1998/03	एन.ए. एन.ए.	एन.ए.	एन.ए. एन.ए.	27.25 32.64	32.64	20 0	31.92	97.00	पूर्ण होने के करीब

शब्दावली यूसीआईएल : भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड बीसीसी : भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड सीसीएल : केन्द्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड
आईई. : रेल विद्युतीकरण

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण

4085. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विचार इ-कामर्स शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या "सेल" इस उद्देश्य के लिये भागीदारी की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह रणनीति "सेल" की किस तरह से सहायता करेगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) फिलहाल इस्पात उद्योग में ई-कामर्स के बढ़ते महत्व और सेल के लिए इसकी संगतता का मूल्यांकन कर रहा है। अपने कारोबार प्रचालनों को इष्टतम करने के लिए सेल ई-कामर्स शुरू करने पर विचार कर रहा है।

(ख) और (ग) सेल द्वारा ई-कामर्स क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए विकल्प देना समग्र आर्थिक लाभों जिनके इस प्रकार की व्यवस्था में प्राप्त होने की संभावना है, पर निर्भर करता है।

(घ) सेल में ई-कामर्स समाचार अपनाने से अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए अपने विपणन नेटवर्क को बढ़ाने में मदद मिल सकेगी:

(1) सेल के उत्पात-मिश्र और सेल के उत्पादों की उपलब्धता से संबंधित सूचना संभावित ग्राहकों को सुलभ होगी।

(2) ग्राहक-पहुंच में वृद्धि होने की संभावना है, विशेष रूप से निर्यात क्षेत्र में।

[हिन्दी]

लोकपाल/लोकायुक्त

4086. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000 के दौरान लोकपाल नियुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) लोकपाल को नियुक्त करने का निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) लोकपाल की संस्था स्थापित करने के प्रयोजन से, लोकपाल विधेयक दिनांक 3.8.1998 को लोक सभा में पेश किया गया था। फिर भी, 26.4.1999 को 12वीं लोक सभा भंग हो जाने के परिणामस्वरूप उपर्युक्त विधेयक व्यपगत हो गया। सरकार ने लोकपाल से संबंधित विधान अधिनियमित किए जाने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है और वह इसे शीघ्रातिशीघ्र अधिनियमित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

(ङ) यह मामला संबंधित राज्य-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

[अनुवाद]

उग्रवादियों को निमंत्रण

4087. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि में बिछाई जाने वाली सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्विट्जरलैण्ड द्वारा चलाया गया अभियान नामक आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में भारत से उग्रवादियों को भी आमंत्रित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि 24-25 मार्च, 2000 को जेनेवा इण्टरनेशनल सेण्टर में गैर सरकारी संगठन ने एक दो दिवसीय सम्मेलन "एन्गेजिंग नॉन-स्टेट एक्टर्स इन ए लेण्डमाइन बैन" का आयोजन किया था। इस प्रकार का संचालन "वर्किंग ग्रुप ऑन नॉन-स्टेट एक्टर्स ऑफ द इण्टरनेशनल कैम्पेन टु बैन लेण्डमाइन्स (आई सी बी एल)" ने किया था और स्विस कैम्पेन टु बैन लैण्डमाइन्स सहित छह गैर-सरकारी संगठनों ने सीधे तौर पर इसका आयोजन किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास करके "मानवरोधी भूमिगत सुरंगों के उपयोग, उत्पादन, भण्डारण, उत्पादन और हस्तान्तरण तथा उनके विनाश से सम्बद्ध अधिसमय" नामक ओटावा संधि को पूरा करना था, जिसके अंतर्गत पक्षकार राज्य आते हैं। भारत के दो गैर-सरकारी संगठनों अर्थात्

भारतीय शान्ति, निरस्त्रीकरण और पर्यावरणीय संरक्षण, नागपुर और शान्ति एवं संघर्ष अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया था।

(ग) सरकार ने राज्यों द्वारा और अधिक सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता को निरन्तर उजागर किया है ताकि सेना रोधी भूमिगत सुरंगें गैर-सरकारी संगठनों को हस्तान्तरित न की जाएँ। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भारत में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मानवरोधी भूमिगत सुरंगों के अविवेकपूर्ण उपयोग और बेहतर विस्फोटक सामग्री की ओर आकर्षित किया है और गैर-सरकारी संगठनों को ऐसे हथियारों के हस्तान्तरण पर रोक लगाने की माँग की है।

इस्पात-गलन शॉप

4088. श्री सुनील खाँ: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने मिश्र इस्पात संयंत्र का उपयोग करने के बजाय सेलम इस्पात संयंत्र में एक बेहतर तरीके से काम करने के लिए इस्पात-गलन शॉप के अधिष्ठापन और स्टेनलेस स्टील चादरों, के उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदा जारी की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) सेल के साथ संयुक्त उद्यम में सेलम में बेदाग इस्पात उत्पादन और स्लैब ढलाई की उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि (सेल) ने अनुभवी और सक्षम कंपनियों (नीतिपरक साझेदार) को आमंत्रित करते हुए वैश्विक निविदा जारी की है। संयुक्त उद्यम कम्पनी बनाने के लिए नीचे बताए गए विकल्पों में से किसी एक या दोनों के लिए अपनी रुचि व्यक्त करने के लिए कहा गया है:

1. बेदाग इस्पात प्रगलन, परिष्करण और ढलाई सुविधाएं स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन।

2. सेलम इस्पात संयंत्र में साम्या भागीदारी के जरिए संयुक्त उद्यमी कंपनी का गठन।

सिर पर मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों का पुनर्वास

4089. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी:
श्री पवन कुमार बंसल:
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के प्रति वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14.2.2000 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्कैवेन्जर्स रिहेबिलिटेशन प्लान फेसिज फाइनैन्शियल क्रंच" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1999-2000 के दौरान सिर पर मैला ढोने वाले सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया है;

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(छ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अंगीकृत संसाधन अभिकरण (सीआरए) के खोले जाने के बावजूद भी कई राज्य इसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार ने सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को हाथ से मैला एवं गन्दे पदार्थ साफ करने के परम्परागत तथा अमानवीय व्यवसाय से सफाई कर्मचारियों और आश्रितों को मुक्ति दिलाने और उनका पुनर्वास करने के लिए सफाई कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास योजना मार्च, 1992 में शुरू की। इस योजना का उद्देश्य उन्हें वैकल्पिक तथा सम्मानित व्यवसायों में 1.35 लाख सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और

3.25 लाख सफाई कर्मचारियों को उनके पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस योजना को जोर-शोर से बढ़ावा देने का आग्रह करता रहा है और सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए उनसे सैनिटरी मार्टस की अवधारणा को अपनाने संबंधी प्रस्ताव की पहल की। तदनुसार अनेक राज्य प्रस्तावों सहित आगे आए और उनके लिए 1999-2000 के दौरान 83,393 सफाई कर्मचारियों को शामिल करने वाले 3336 सैनिटरी मार्टस की स्थापना के लिए 70 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई।

(ङ) जी. नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) पश्चिम बंगाल राज्य मान्यता प्राप्त स्थापना एजेंसियों ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता से केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से छूट संबंधी एक स्थगन आदेश प्राप्त किया है जैसाकि भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के पैरा 2.14 के अंतर्गत अपेक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को रद्द करने संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं का नवीकरण

4090. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार बड़े और मझोले आकार की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और गत तीन वर्षों के दौरान इन पर वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश परियोजनाओं पर अनुमान से अधिक लागत आयी है और समय भी अधिक लगा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इनमें से कुछ परियोजनाओं को आज तक नहीं निपटाया है; और

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र निपटाये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) चल रही विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण स्कीमों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) अद्यतन लागत तथा किये गये व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने संसाधनों में से अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। वृहद परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि तथा अद्यतन लागत में वृद्धि विभिन्न बातों जैसे-इसका आकार, भूमि की उपलब्धता राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों से स्वीकृति प्राप्त करने तथा भौगोलिक स्थितियों आदि पर निर्भर करती है। इसी प्रकार राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को आबंटित निधियों का भी महत्व है।

(ङ) और (च) विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकारें कितनी तत्परता से केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	ई.आर.एम.
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	–
3.	असम	3
4.	बिहार	1
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1

1	2	3
9.	जम्मू व कश्मीर	5
10.	केरल	2
11.	कर्नाटक	3
12.	मध्य प्रदेश	4
13.	महाराष्ट्र	6
14.	मणिपुर	4
15.	मेघालय	–
16.	मिजोरम	–
17.	नागालैंड	–
18.	उड़ीसा	1
19.	पंजाब	8
20.	राजस्थान	5
21.	सिक्किम	–
22.	तमिलनाडु	1
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तर प्रदेश	6
25.	पश्चिम बंगाल	6
	कुल	74

विवरण-II

नौवीं योजना की चल रही विस्तार नवीकरण आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई	अनुमानित लागत		3/97 के अन्त तक संचयी व्यय	चरम क्षमता (ह.डे.)	आठवीं योजना के अन्त सृजित व्यय	नौवीं योजना के दौरान व्यय		1999-2000 अभ्युक्ति का परिव्यय
			मूल	नवीनतम व्यय (ह.हे.)				97-98 (वा.)	98-99 प्रा.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश										
1.	तुंगभद्रा एच.एल.सी. चरण-II	III	11.95	467.26	171.77	89.62	48.00	6.39	13.50	10.00
2.	गोदावरी डैराज	IV	26.59	191.65	163.05	स्थि.	–	4.48	6.00	4.00
3.	निजाम सागर का सुधार	V	यूए	83.35	24.56	-वही-	–	7.09	4.76	2.00
4	सनकेसुला डैराज और अलीमनुर जलाशय सहित के.सी. नहर आधुनिकीकरण	VIII	674.29	674.29	120.27	-वही-	–	17.40	52.29	70.00
असम										
5.	यमुना का आधुनिकीकरण	VIII	60.27	25.00	0.31	13.76	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	सुक्ता का आधुनिकीरण	VIII	यू.ए.	25.00	0.26	9.05	0.0	0.0	0.0	0.0	
7.	लोंग्न का आधुनिकीकरण	IV	यू.ए.	10.00	–	4.63	0.0	0.0	0.0	0.0	
	बिहार										
8.	सोन का आधुनिकीकरण	VII	235.93	304.07	34.73	48.60	17.50	18.51	16.97	55.00	
	गोवा										
9.	अंजुनेम का आधुनिकीकरण	IX	यू.ए.	4.08	0.0	एन.ए.	0.0	0.0	0.0	0.0	
	गुजरात										
10.	फतेवाड़ी की नहरों का आधुनिकीकरण	VI	24.77	64.62	49.11	4.33	4.62	4.15	0.70	2.25	
11.	दांतीवाड़ा की नहरों का आधुनिकीकरण	VI	34.88	59.06	51.80	12.13	12.13	1.59	1.00	2.20	
12.	भादर की नहरों का आधुनिकीकरण	VII	18.60	38.70	28.97	1.71	–	2.70	2.00	2.43	
13.	शेत्रुंजी की नहरों का आधुनिकीकरण	VI	26.68	43.36	41.50	3.78	3.8	2.88	–	–	पूर्ण परि.
14.	मच्छु-II की नहरों का आधुनिकीकरण	VII	8.12	22.22	12.52	1.07	1.07	2.47	2.00	3.50	
15.	लवणता प्रवेश की रोक-थाम करना	VII	100.24	1185.15	161.41	33.01	21.72	33.49	34.51	33.66	
16.	उकाई ककरापार आधुनिकीकरण	VI	60.12	73.94	64.55	3.09	3.09	1.00	1.00	–	पूर्ण परि.
17.	कालिन्द्री	VIII	1.04	3.88	3.26	2.56	1.16	0.09	–	–	वही
18.	कदाना दायां तट नहर प्रणाली	VIII	यू.ए.	10.25	6.90	4.04	0.43	3.33	3.38	4.50	
	हरियाणा										
19.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	VIII	1442.12	1858.25	599.81	113.00	57.0	270.83	322.52	355.00	
20.	मौजूदा पुरानी नहर का नवीकरण/रीकंडीशनिंग/ रिमाडलिंग	VII	यू.ए.	417.18	147.44	96.00	2.00	21.04	52.38	31.87	
21.	बी.एम.एल. की क्षमता का पुनरुद्धार	VIII	यू.ए.	–	7.31	0.00	–	0.91	4.46	1.50	
22.	नलकूपों को परस्पर जोड़ना, संवर्धन,	VI	यू.ए.	5.00	0.67	6.00	–	0.0	0.0	0.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	हिमाचल प्रदेश										
23.	भाबोरसाहिब लिफ्ट फेज-II	VII	यू.ए.	11.42	11.00	3.43	2.34	0.50	0.25	0.00	पूर्ण
	जम्मू एवं कश्मीर										
24.	मारतंड नहर का आधुनिकीकरण	VII	यू.ए.	17.72	5.96	6.50	एन.ए.	0.75	1.00	3.30	
25.	जैंगीर नहर का आधु.	VII	यू.ए.	10.07	6.26	7.10	एन.ए.	1.39	1.00	3.30	
26.	रणवीर नहर का आधु.	VII	84.40	84.40	24.93	9.27	0.90	3.29	3.65	11.50	
27.	नई प्रताप नहर का आधु.	VII	यू.ए.	10.94	3.59	13.39	0.50	0.67	1.12	3.01	
28.	कचुवा नहर का आधु.	VII	यू.ए.	12.00	2.93	14.30	एन.ए.	0.44	1.13	2.14	
	कर्नाटक										
29.	वरूणा दायां तट नहर	IV	यू.ए.	209.50	122.56	32.37	0.40	35.44	46.91	35.00	
30.	घाटप्रभा चरण-3	V	90.54	871.00	275.75	178.05	38.73	44.05	54.59	103.16	
31.	अपर कृष्णा चरण-II	VIII	यू.ए.	3237.20	0.00	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
	केरल										
32.	कनक कनादवा पर आर/आर	VIII	यू.ए.	11.47	5.44	स्थिरीकरण		1.00	2.88	5.00	
33.	चरमा-अवट्टोम पर आर/आर	VIII	यू.ए.	70.00	3.93	9.66	–	0.00	0.00	0.00	
	मध्य प्रदेश										
34.	चम्बल फेज II	VIII	यू.ए.	9.06	8.57	एन.ए.	–	0.24	एन.ए.	0.10	
35.	हरसी का आधु.	VII	यू.ए.	24.80	9.48	एन.ए.	–	0.15	0.20	0.50	
36.	सिंध रिमूवल संपर्क	VII	यू.ए.	22.31	6.37	7.30	–	0.47	0.79	0.24	
37.	चम्बल लिफ्ट	VII	यू.ए.	25.80	3.91	एन.ए.	–	0.14	0.40	0.25	
	महाराष्ट्र										
38.	राधानगरी बांध का सुदृढ़ीकरण	V	यू.ए.	13.84	6.44	0.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
39.	कृष्णा नहर का विस्तार	VII	यू.ए.	11.76	3.80	1.29	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
40	एकरुख बांध का सुदृढ़ीकरण	VI	यू.ए.	–	1.93	0.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
41.	भातसा बांध का सुदृढ़ीकरण	V	यू.ए.	5.77	5.61	0.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
42.	खोदासी पर गेटेड वीयर	VI	यू.ए.	13.49	4.67	0.00	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	संगोला शाखा नहर	VI	यू.ए.	157.20	50.00	9.72	0.00	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	
	मणिपुर										
44.	लोकतक लिफ्ट सिंचाई का आधुनिकीकरण	VIII	यू.ए.	27.27	7.70	0.00	0.00	0.82	0.51	3.00	
45.	इम्फाल बैराज का आधु.	VIII	यू.ए.	1.45		0.30	0.00				
46.	खोठपम बांध का आधु.	IX	यू.ए.	0.80		0.10	0.00				
47.	सेकमइ बैराज का आधु.	VIII	यू.ए.	1.00		0.25	0.00				
	उड़ीसा										
48.	जल संसाधन समेकन परियोजना	VIII	428.20	671.54	177.70	–	–	91.50	63.94	67.80	
	पंजाब										
49.	(क) होशियार पर तक शाहनहर प्रणाली का विस्तार सुधार	VI	10.63	101.04	22.36	25.36	0.61	7.95	10.59	3.92	
	(ख) गैर विश्व बैंक घटक			47.44	114.25			0.59	0.85	1.00	
	चैनलों को पक्का करना फेज-2	VIII	82.79	195.00	148.50	70.00	64.20	29.57	38.96	16.00	
51.	नहर प्रणाली की नहर नियमन संरचना का पुनर्वास और सुधार	VIII	34.49	47.44	31.04	25.20	16.20	7.31	12.94	एन.ए.	
52.	फ्री बोर्ड मुहैया कराने के लिए भाकड़ा मुख्य नहर की लाइनिंग को बढ़ाना	VII	8.27	16.02	एन.ए.	0.00	–	0.20	0.20	1.40	
53.	जालंधर शाखा पर 203760 फीट आर.डी. पर सुपर पैसेज का निर्माण	VIII	यू.ए.	9.20	3.57	0.00	–	0.39	0.50	1.00	
54.	होशियारपुर से बाला ड्रैन कांडी नहर का विस्तार फेज-II आर.डी. 595 से 73.4 कि.मी.	IX	यू.ए.	91.11	–	एन.ए.	–	7.35	10.59	3.92	
55.	चैनलों को पक्का करना (नाबार्ड)	IX	यू.ए.	418.00	–	एन.ए.	–	0.00	0.10	10.40	
56.	संशोधित जल भत्तों को पूरा करने के लिए यू.बीडीसी प्रणाली के चैनलों की रिमाडलिंग	VIII	यू.ए.	99.81	0.65	–	–	0.00	0.00	0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राजस्थान										
57.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I	VIII	121.92	100.00	55.15	–	–	15.00	23.00	10.00	
58.	गंग नहर और गंग संपर्क नहर का आधुनिकीकरण	VIII	यू.ए.	250.84	36.89	307.97	–	3.00	4.50	2.00	
9.	जयसमन्द (उदयपुर)	VIII	12.40	18.00	10.73	8.35	7.26	3.50	1.50	0.50	
0.	गम्भीरी	VIII	11.76	17.00	11.43	4.77	3.76	1.23	1.00	1.50	
1.	मेजा	VIII	31.62	10.15	8.56	8.69	एन.ए.	0.41	0.20	–	
	तमिलनाडु										
2.	जल संसाधन समे. परि.	VIII	807.49	815.26	एन.ए.	स्थिरीकरण		46.66	47.30	220.71	
	उत्तर प्रदेश										
63.	टौंस पम्प नहर का नवीकरण	V	1.75	38.80	35.05	31.17	–	1.40	0.05	0.00	
.	घग्घर नहर का आधु.	V	यू.ए.	59.20	45.61	0.0	–	9.84	3.72	0.00	
.	आगरा नहर का आधु.	V	यू.ए.	51.53	14.14	64.00	5.00	0.00	0.10	0.00	
.	अपर गंगा सिंचाई आधु.	VI	467.76	724.50	665.87	9.00	–	35.77	38.12	23.05	
.	बुन्देल खंड और भागल खंड क्षेत्र में चैनलों को पक्का करना	V	57.37	57.37	7.39	24.48	6.42	0.00	0.10	0.00	
3.	लचुरा का आधु. एच./डब्ल्यू.	VI	8.53	60.00	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	पश्चिम बंगाल										
9.	मयूराक्षी तक विशेष मरम्मत	VIII	यू.ए.	10.00	6.28	0.00	–	0.88	4.50	3.00	
0.	मयूराक्षी का आधु.	VI	यू.ए.	60.00	3.68	एन.ए.	–	0.0	0.0	0.0	
1.	डी.वी.सी. का आधु.	VI	यू.ए.	100.00	3.38	एन.ए.	–	0.0	0.0	0.0	
	बन्धु का विस्तार	VII	यू.ए.	5.88	4.18	0.53	–	0.30	0.55	0.53	
	मिदनापुर नहर की विशेष मरम्मत	VIII	यू.ए.	2.50	1.59	0.0	–	0.39	0.15	0.25	
	कंग्साबती का आधु.	VIII	329.07	491.00	0.99	एन.ए.	–	0.0	0.0	0.0	
	कुल जोड़			14996.11	3674.65						

ए. - अनुमोदित
ए. - उपलब्ध नहीं

विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति हेतु मानदण्ड

4091. श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) किन-किन देशों में ऐसी नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) उपर्युक्त नियुक्तियां अभी किन-किन देशों में की जानी हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) विदेशों में राजदूत/हाई कमिशनरों की नियुक्ति कई मानदण्डों के आधार पर तय की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनकी वरिष्ठता, जीवनवृत्त, संगत अनुभव और कार्य तथा पद के लिए उनकी समग्र उपयुक्तता पर विचार किया जाता है।

(ख) इस संबंध में एक सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) इस संबंध में एक सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है। इन देशों में उपयुक्त राजदूतों/हाई कमिशनरों के चयन तथा नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

विवरण-I

वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान विदेशों में कार्यरत भारतीय मिशनों की सूची

देश	कार्यालय	मिशन
1	2	3
अल्जीरिया	भारत का राजदूतावास	अल्जीयर्स
अंगोला	भारत का राजदूतावास	लुआंडा
आर्मेनिया	भारत का राजदूतावास	येरेवान
अर्जेंटीना	भारत का राजदूतावास	ब्यूनस आयर्स
आस्ट्रेलिया	भारत का हाई कमीशन	केनबरा
आस्ट्रिया	भारत का राजदूतावास	वियना
अजरबेजान	भारत का राजदूतावास	बाकू
बहरीन	भारत का राजदूतावास	बहरीन
बंगलादेश	भारत का हाई कमीशन	ढाका
बेलारूस	भारत का राजदूतावास	मिंस्क
बेलजियम	भारत का राजदूतावास	ब्रुसेल्स
भूटान	भारत का राजदूतावास	थिम्पू
बोत्सवाना	भारत का हाई कमीशन	गेबरोन
ब्रूनी दारू सलाम	भारत का हाई कमीशन	ब्रूनी
बुलगारिया	भारत का राजदूतावास	सोफिया
बुरकीना फासो	भारत का राजदूतावास	उगाडुगु
ब्राजील	भारत का राजदूतावास	ब्रासिलिया
कम्बोडिया	भारत का राजदूतावास	नामपेन्ह
कनाडा	भारत का हाई कमीशन	ओटावा
चिली	भारत का राजदूतावास	सान्तियागो
चीन	भारत का राजदूतावास	बीजिंग
कोलम्बिया	भारत का राजदूतावास	बगोटा
कोटे डी आइवरी	भारत का राजदूतावास	अबिदजान
क्रोएशिया	भारत का राजदूतावास	जगरेब
क्यूबा	भारत का राजदूतावास	हवाना
साइप्रस	भारत का हाई कमीशन	निकोशिया
चेक गणराज्य	भारत का राजदूतावास	प्राग
डेनमार्क	भारत का राजदूतावास	कोपनहेगन
मिस्र	भारत का राजदूतावास	काहिरा
इथोपिया	भारत का राजदूतावास	अदिस अबाबा
फिनलैंड	भारत का राजदूतावास	हेलसिंकी
फीजी	भारत का हाई कमीशन	सूवा
फ्रांस	भारत का राजदूतावास	पेरिस
जर्मनी	भारत का राजदूतावास	बर्लिन
घाना	भारत का हाई कमीशन	अकरा
यूनान	भारत का राजदूतावास	ऐथेन्स
गयाना	भारत का हाई कमीशन	जार्जटाउन
हंगरी	भारत का राजदूतावास	बुडापेस्ट

1	2	3
इण्डोनेशिया	भारत का राजदूतावास	जकार्ता
ईरान	भारत का राजदूतावास	तेहरान
इराक	भारत का राजदूतावास	बगदाद
आयरलैंड	भारत का राजदूतावास	डबलिन
इजरायल	भारत का राजदूतावास	तेल अबीव
इटली	भारत का राजदूतावास	रोम
जमैका	भारत का हाई कमीशन	किंगस्टन
जापान	भारत का राजदूतावास	टोकियो
जोर्डन	भारत का राजदूतावास	अम्मान
कजाकस्तान	भारत का राजदूतावास	अल्माती
कीनिया	भारत का हाई कमीशन	नैरोबी
उत्तरी कोरिया	भारत का राजदूतावास	प्योंगयांग
दक्षिणी कोरिया	भारत का राजदूतावास	सियोल
कुवैत	भारत का राजदूतावास	कुवैत
किर्गिजस्तान	भारत का राजदूतावास	बिशकेक
लाओस	भारत का राजदूतावास	वियनतियाने
लेबनान	भारत का राजदूतावास	बेरूत
लीबिया	भारत का राजदूतावास	त्रिपोली
मेडागास्कर	भारत का राजदूतावास	अन्तानानरिवो
मलेशिया	भारत का हाई कमीशन	कुआलालम्पुर
मालदीव	भारत का हाई कमीशन	माले
मारीशस	भारत का राजदूतावास	पोर्ट लुई
मैक्सिको	भारत का हाई कमीशन	मैक्सिको सिटी
मंगोलिया	भारत का राजदूतावास	उलान बटोर
मोरक्को	भारत का राजदूतावास	रबात
मोजाम्बिक	भारत का हाई कमीशन	मापूतो
म्यांमा	भारत का राजदूतावास	यांगोन
नामीबिया	भारत का हाई कमीशन	विन्डहोक
नेपाल	भारत का राजदूतावास	काठमांडू
नीदरलैंड	भारत का राजदूतावास	दी हेग
न्यूजीलैंड	भारत का हाई कमीशन	विलिंगटन

1	2	3
नाईजीरिया	भारत का हाई कमीशन	लागोस
नार्वे	भारत का राजदूतावास	ओस्लो
ओमान	भारत का राजदूतावास	मस्कट
पाकिस्तान	भारत का हाई कमीशन	इस्लामाबाद
पनामा	भारत का राजदूतावास	पनामा
पपुआ न्यू गिनी	भारत का हाई कमीशन	पोर्ट मोर्सबी
पेरू	भारत का राजदूतावास	लीमा
फिलीपींस	भारत का राजदूतावास	मनीला
पोलेण्ड	भारत का राजदूतावास	वारसा
पुर्तगाल	भारत का राजदूतावास	लिस्बन
कतर	भारत का राजदूतावास	दोहा
रोमानिया	भारत का राजदूतावास	बुखारेस्ट
रूसी परिसंघ	भारत का राजदूतावास	मास्को
सऊदी अरब	भारत का राजदूतावास	रियाद
सेनेगल	भारत का राजदूतावास	डकर
सेशेल्स	भारत का हाई कमीशन	माहे
सिंगापुर	भारत का हाई कमीशन	सिंगापुर
स्लोवाक गणराज्य	भारत का राजदूतावास	ब्रातिस्लावा
दक्षिण अफ्रीका	भारत का हाई कमीशन	प्रिटोरिया
स्पेन	भारत का राजदूतावास	मेड्रिड
श्रीलंका	भारत का हाई कमीशन	कोलम्बो
सूडान	भारत का राजदूतावास	खार्तूम
सूरीनाम	भारत का राजदूतावास	पारामारीबो
स्वीडन	भारत का राजदूतावास	स्टाकहोम
स्विटजरलैंड	भारत का राजदूतावास	बर्न
सीरिया	भारत का राजदूतावास	दमिस्क
ताजिकिस्तान	भारत का राजदूतावास	दुशान्बे
तंजानिया	भारत का हाई कमीशन	दारूस्लाम
थाईलैंड	भारत का राजदूतावास	बैंकाक
त्रिनीडाड तथा टोबेगो	भारत का हाई कमीशन	पोर्ट आफ स्पेन
ट्युनीशिया	भारत का राजदूतावास	ट्युनिश

1	2	3
तुर्की	भारत का राजदूतावास	अंकारा
तुर्कमेनिस्तान	भारत का राजदूतावास	अशकाबाद
उगांडा	भारत का हाई कमीशन	कम्पाला
उक्रेन	भारत का राजदूतावास	कीव
संयुक्त अरब अमीरात	भारत का राजदूतावास	आबुधाबी
यू.के.	भारत का हाई कमीशन	लन्दन
यू एस ए	भारत का राजदूतावास	वाशिंगटन
उजबेकिस्तान	भारत का राजदूतावास	ताशकंद
वेनेजुएला	भारत का राजदूतावास	कराकस
वियतनाम	भारत का राजदूतावास	हनोई
यमन	भारत का राजदूतावास	साना
युगोस्लाविया	भारत का राजदूतावास	बेलग्रेड
जाम्बिया	भारत का हाई कमीशन	लुसाका
जिम्बाब्वे	भारत का हाई कमीशन	हरारे

टिप्पणी

1.	कुल देश		114
2.	नीचे दिए अनुसार मिशनों/केन्द्रों की कुल संख्या		114
	राजदूतावास	हाई कमीशन	योग
	84	30	114

विवरण-2

11.4.2000 की स्थिति के अनुसार विदेश स्थित उन मिशनों की सूची जहां मिशन प्रमुख नहीं हैं

क्र.सं.	देश	कार्यालय	मिशन/केन्द्र
1.	मंगोलिया	भारत का राजदूतावास	उलान बटोर
2.	मोजाम्बिक	भारत का हाई कमीशन	मपुतो
3.	पपुआ न्यू गिनी	भारत का हाई कमीशन	पोर्ट मोर्सबे

[अनुवाद]

लम्बित परियोजनाएं

4092. **श्री आर.एस. पाटिल :**
श्री जी.जे. जाधीया :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री शिवाजी माने :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाइडे :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई परियोजना, पुलिस बल सुदृढ़ करने संबंधी और नई रेलवे लाइन बिछाने संबंधी परियोजनाएं जिन्हें गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजा गया है, योजना आयोग के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लम्बित पड़ी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) योजना आयोग द्वारा उक्त परियोजना में से प्रत्येक को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) राज्यों की वार्षिक योजनाओं में प्रस्तुत की गई स्कीमों/परियोजनाओं को योजना आयोग में वार्षिक योजना परिचर्चाओं के दौरान राज्य सरकारों के साथ परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। सिंचाई, पुलिस बल को सुदृढ़ करने तथा नई रेलवे लाइनें बिछाए जाने से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं को भी संबंधित मंत्रालयों द्वारा निवेश दृष्टि से स्वीकृति हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत किया जाता है। फिलहाल, संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुशंसित कोई भी परियोजना योजना आयोग में स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है।

योजना और अनुदान

4093. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाजे :**
श्री अनन्त गुढे :
श्रीमती निवेदिता माने :
डा. बलिराम :
श्री चिंतामन वनगा :
डा. गिरिजा व्यास :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री राजैया मल्लाला :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, शोषित बच्चों, विधवाओं, विकलांगों और समाज के अन्य निर्बल वर्गों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं/शुरू की जानी हैं जिनके लिए गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान जारी किया जा रहा है और प्रत्येक योजना का उद्देश्य क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में उद्देश्यों, निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के मद्देनजर राज्यवार चालू परियोजनाओं के प्रस्तावों की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक योजना के लिए योजनावार अलग-अलग कितनी राशि का आवंटन और व्यय किया गया; और

(ङ) राज्यवार कितने गैर-सरकारी/स्वयंसेवी संगठनों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त किए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) उन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है जिनके अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय योजनाओं का राज्यवार समीक्षा नहीं करता है। तथापि, विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी परियोजनाएं नामित निरीक्षण एजेंसियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण के अधीन हैं। गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों के सन्तोषजनक कार्यकरण की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त सहायता के लिए परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।

(घ) ब्यौरा देने संबंधी विवरण-II संलग्न है।

(ङ) ब्यौरा देने संबंधी विवरण-III संलग्न है।

विवरण-I

गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के संक्षिप्त उद्देश्य तथा प्रमुख विशेषताएं

(1) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना :

स्वैच्छिक क्षेत्र को बढ़ावा देना - शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायता सुविधाएं - क्रेच, चिकित्सा यूनिटों तथा बालवाडियों, कानूनी सहायता, लाभग्राही सेवाएं, मानव अधिकार संबंधी पहलुओं तथा पर्यावरण से संबंधित कार्यकलापों आदि जैसे कार्यों के लिए 90% सहायता अनुदान।

(2) सहायक तंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य-जरूरतमंद, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ परिष्कृत तथा वैज्ञानिक दृष्टि से निर्मित आधुनिक मानक सहायक यंत्र तथा उपकरण प्रदान करने में सहायता प्रदान करना है जिससे विकलांगता के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को संवर्धित किया जा सके तथा उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया जा सके। योजना में चिकित्सा/सर्जिकल सुधार तथा मध्यक्षेप भी शामिल है जो सहायक यंत्रों तथा उपकरणों को लगाने से पूर्व अनिवार्य है।

(3) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देने की योजना

यह एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास को शामिल करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यापक किस्म के कार्य शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में मंत्रालय विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए 4 अलग-अलग योजनाएं पहले ही चला रहा था। इन्हें हाल ही में इस अम्ब्रेला योजना में शामिल कर लिया गया है।

(4) बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम

(5) वयोवृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी आयु के व्यक्तियों के लिए समाज को बढ़ावा देना और वृद्धजनों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और उन्हें अधिकार प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता विकास करना और जरूरतमंद वृद्ध व्यक्तियों

को देखभाल प्रदान करने तथा वृद्धजनों के उत्पादक उपयोग के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय में क्षमता का सृजन करना है।

(6) वृद्धाश्रमों/वृद्धजनों के लिए बहु सेवा केन्द्रों को निर्माणार्थ पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता की योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य वृद्धाश्रमों तथा वृद्धजनों के लिए बहु सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(7) समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सामान्य सहायतानुदान कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों को गैर चार्टहित क्षेत्रों जो इस समय ब्यूरो के किसी विद्यमान कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है, को सहायता प्रदान करना है। इस समय इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से सेक्स वर्करों के बच्चों के लिए अनेक ड्राप आउट शेल्टरों को सहायता दी जा रही है।

(8) आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों को परीक्षापूर्व कोचिंग उद्देश्य

अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों को विभिन्न नौकरियों के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगी/व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करना। यह योजना राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर की निजी कोचिंग संस्थाओं, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करने के क्षेत्र में केवल प्रमाणित क्षमता वाली ख्याति प्राप्त संस्थाएं ही सहायता के लिए पात्र हैं। अल्पसंख्यकों के उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 44,500 रुपए से अधिक न हो, कोचिंग के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गृहविहीन, पारिवारिक संबंधों से अलग हुए बच्चों का सम्पूर्ण विकास करना और निराश्रितता को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम के आवश्यक घटकों में आश्रम पोषण स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता तथा आरोग्य, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा, मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान करना और निराश्रित एवं उपेक्षित बेसहारा बच्चों के दुरूपयोग एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 लाख अथवा अधिक आबादी वाले सभी राज्यों की राजधानियां और शहर शामिल हैं जो देश भर के 23 नगरों में पहले से ही प्रचालन में है।

9. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

इस योजना का उद्देश्य लक्ष्य समूह अर्थात् अन्य पिछड़े वर्गों की शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र को शामिल करना है ताकि उन्हें कुछ क्षेत्र अथवा अन्य क्षेत्रों में लाभप्रद रूप से नियोजित होने अथवा अपने स्तर पर आय सृजक कार्यकलापों की शुरूआत करने में समर्थ बनाने के लिए उनके कौशल का उन्नयन किया जा सके।

10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि उन्हें विभिन्न प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाया जा सके। मानदंड वह उम्मीदवार जिनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की उम्मीदवारों की आय सहित सभी स्रोतों से कुल आय प्रतिवर्ष 1.00 लाख रुपए से कम है, इस परीक्षापूर्व कोचिंग केन्द्र में प्रवेश के पात्र होंगे।

11. मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान एवं पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण संबंधी योजना को 1984-85 के कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अन्य बातों के साथ-साथ नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्रों, नशीली दवा जागरूकता, परामर्श तथा सहायता केन्द्रों को चलाने और नशामुक्ति शिविरों के संचालन के लिए वित्तीय सहायता निर्मुक्त की जाती है।

वित्तीय सहायता के मानदंड

इस योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान करने संबंधी विस्तृत मानदंड इस प्रकार हैं:-

(1) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, (2) नामित प्राधिकरण द्वारा आवेदन पत्र की संस्तुति और निरीक्षण रिपोर्ट (3) स्वस्थ वित्तीय स्थिति (4) परियोजना शुरू करने संबंधी प्रमाणित क्षमता (5) परियोजना की व्यवहार्यता तथा (6) परियोजना आदि का स्थान।

सहायता अनुदान के लिए पात्रता

1. निकाय का सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1850 के अंतर्गत पंजीकृत होना।
2. सार्वजनिक पंजीकृत न्यास।

3. कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंससुदा धमार्थ कम्पनी।

4. भारतीय रेड क्रास सोसायटी या इसकी शाखाएं।

5. कानूनी दर्जा प्राप्त अन्य सार्वजनिक संस्थाएं।

6. सहायता के लिए आवेदन के समय निकाय को कम से कम दो वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

7. उसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय के लाभार्थ संचालित नहीं होना चाहिए।

विवरण-II

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक बजट आबंटन, व्यय को दर्शाने वाला विवरण

	ब.अ. 1997-98	व्यय 1997-98	ब.अ. 1998-99	व्यय 1998-99	ब.अ. 1999-2000	व्यय 1999-2000
विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	27.00	20.20	46.00	35.84	62.29	53.96
सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	15.00	8.94	25.00	23.98	30.00	28.41
शराबखोरी तथा द्रव्य पदार्थ (नशीली दवाओं) के दुरुपयोग का निवारण	17.50	11.52	16.00	15.20	19.00	19.00
समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	0.44	0.32	2.07	0.52	2.01	2.98
वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	6.00	3.48	8.00	5.16	9.00	7.90
वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु-सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्वावलम्बी समूहों को सहायता	12.50	6.14	15.00	7.75	15.00	10.84
बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	5.00	0.30	3.20	1.55	2.39	2.36
अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	20.00	10.03	18.00	18.00	30.00	25.48
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	योजना नहीं थी	योजना नहीं थी	2.50	0.20	2.50	1.09
अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना	योजना नहीं थी	योजना नहीं थी	2.50	0.64	2.50	0.03
आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की योजना	2.50	0.82	2.00	2.24	2.50	2.45
कुल	99.69	62.30	133.27	111.08	177.19	154.5

विवरण-III

राज्यवार सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	214	390	323
अंडमान और निकोबार	0	0	1
अरूणाचल प्रदेश	3	2	2
असम	10	29	37
बिहार	51	59	37
चंडीगढ़	1	12	5
दादरा और नगर हवेली	1	0	
दिल्ली	50	99	53
दमन और दीव	0	0	
गोवा	4	3	6
गुजरात	28	118	60
हिमाचल प्रदेश	2	4	4
हरियाणा	48	63	59
जम्मू और कश्मीर	5	7	9
कर्नाटक	92	94	133
केरल	58	74	82
लक्षद्वीप	4	0	
मध्य प्रदेश	39	88	60
महाराष्ट्र	81	132	151
मणिपुर	33	82	108
मेघालय	7	4	6
मिजोरम	6	5	9
नागालैंड	4	4	8
उड़ीसा	78	183	149
पांडिचेरी	2	4	8
पंजाब	25	46	49

1	2	3	4
राजस्थान	20	39	40
सिक्किम	1	1	1
तमिलनाडु	85	113	132
त्रिपुरा	9	9	11
उत्तर प्रदेश	262	338	349
पश्चिम बंगाल	128	167	155

कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

4094. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में चल रहे आर्थिक सुधार कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार परिणाम क्या निकला;

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं, जो सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में पीछे हैं; और

(घ) आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) जी, हां। जबकि आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों की सतत समीक्षा हो रही है, भारत सरकार ने अलग-अलग राज्यों में चल रहे आर्थिक सुधार कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा नहीं की है, क्योंकि ऐसे राज्यों को अपने संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

हालांकि, 19.2.1999 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में की गई एक पहल के अनुसरण में, भारत सरकार, कुछ राज्य सरकारों द्वारा उनकी वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता के लिए उनके द्वारा किए गए विशेष राजकोषीय सुधारों का समर्थन करती रही है। राज्यों के लिए राजकोषीय सुधारों का मुख्य उद्देश्य, मध्यम अवधि में राजस्व घाटे को कम करना है। अब तक, राज्य विशिष्ट राजकोषीय सुधारों के संबंध में, 13 राज्यों ने केन्द्र के साथ एक समझौता किया है। ये हैं, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैण्ड, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू एवं कश्मीर।

इन विशिष्ट राज्य स्तरीय राजकोषीय सुधारों की प्रगति की सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। समिति राज्य विशिष्ट राजकोषीय सुधार कार्यक्रमों को मानीटर करती है तथा राज्यों को अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए प्रदत्त अर्थोपाय, अग्रिम कर सुपुर्दगी तथा योजना सहायता के अग्रिम रिलीज के रूप में वित्तीय सहायता के पैकेज पर विचार करती है।

प्रसूति लाभ बढ़ाना

4095. डा. वी. सरोजा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिहाड़ी मजदूरों को प्रसूति अवकाश का लाभ देने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए निर्णय की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी संगठनों को निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को स्थायी तथा दैनिक वेतनभोगी कामगारों में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। किसी भी प्रतिष्ठान में सीधे तौर पर या किसी अन्य एजेन्सी के जरिए मजदूरी के लिए नियोजित महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के दायरे में पहले ही शामिल किया जा चुका है।

[हिन्दी]

प्रशासनिक जवाबदेही

4096. श्री रामटहल चौधरी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासन में जवाबदेही का प्रावधान न होने के कारण भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया

(ग) प्रशासन में जवाबदेही का भाव पैदा करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) क्या वर्तमान कार्यकरण प्रणाली बिलकुल असंतोषजनक है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रशासन प्रणाली में तत्काल पुनर्सुधार किये जाने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) से (च) सरकार ने प्रशासन में जवाबदेही संबंधी विभिन्न साधनों के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया है, जैसे कि सरकार के मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक कार्य योजनाएं, सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें, निर्णय लेने हेतु स्तरों का निर्धारण, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा तथा संसदीय समितियों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के कार्य निष्पादन का परीक्षण।

प्रशासनिक कार्य-कुशलता तथा प्रभावकारिता ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार का लगातार ध्यान रहता है। प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी तथा लोगों की जरूरतों और आशाओं के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए उपाय किये गये हैं।

सरकार ने संगठनों की कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए कानूनों, नियमों और कार्यविधियों को सरल बनाने का कार्य शुरू किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, 40 से अधिक विभागों ने विशेषज्ञ कार्य बलों अथवा आंतरिक कार्यवाही के माध्यम से उनके द्वारा प्रशासित कानूनों, विनियमों और कार्यविधियों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने कानूनों, विनियमों, कार्यविधियों, विधायी प्रक्रियाओं आदि को निरस्त करने/उनमें संशोधन करने हेतु सिफारिशें करने के लिए 8 मई, 1998 को प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया था। आयोग ने 30 सितम्बर, 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशों में, लगभग 50% केन्द्रीय कानूनों (2500 में से 1382 कानूनों) को निरस्त करना, 109 निर्दिष्ट अधिनियमों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करना, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक कानूनों (नियमों, विनियमों, कार्यकारी अनुदेशों) का प्रलेखन, संभावित अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और आयातकों के संदर्भ में सांविधियों और कानूनों का सामंजस्यीकरण तथा एक व्यवहार्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास करना शामिल है। सरकार ने रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया था। अधिकांश मंत्रालयों/विभागों ने उनके द्वारा प्रशासित अधिनियमों और कानूनों में उपयुक्त संशोधन/फेरबदल करने तथा उन्हें निरस्त करने से संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि सरकार की सेवा सुपुर्दगी में सुधार हो सके और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाई जा सके।

सरकार ने अपनी कार्य-प्रणाली में अधिकाधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिए भी उपाय किये हैं। व्यापक जन सम्पर्क वाले अनेक मंत्रालयों/विभागों ने नागरिक चार्टर तैयार कर लिये हैं जिनमें मोटे तौर पर यह बताया गया है कि एक निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जनता किस प्रकार की सेवा प्राप्त करने की हकदार होगी। 45 मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के संगठनों द्वारा सूचना और सुविधा काउंटर स्थापित किये गये हैं ताकि संबंधित संगठनों की कार्य-पद्धति तथा स्कीमों और विभिन्न मामलों की स्थिति के बारे में सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

उपर्युक्त विशिष्ट उपायों के अलावा, सरकार ने प्रशासन में बेहतर जवाबदेही के लिए कुछ और कदम उठाये हैं। इन कदमों

में सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण, फाइलों के संचलन पर नजर रखने के लिए साफ्टवेयर पैकेज, केन्द्र तथा राज्य सरकार के संगठनों आदि में उत्तम कार्य-प्रणालियों का प्रलेखन शामिल है।

केन्द्र सरकार के कार्य में लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने संबंधी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान पर्याप्त रूप से तेजी आई है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने हेतु तीन सूत्री योजना की परिकल्पना की गई है। इसे शुरू में 1985-86 में आरम्भ किया गया था और इसे वार्षिक आधार पर लागू रखा गया है। इस कार्य-योजना के प्रमुख तत्व निम्नानुसार हैं:

(1) निवारक सतर्कता

(2) निगरानी और खोज, तथा

(3) निरोधक दंडात्मक कार्रवाई।

इन तीन प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत, कार्य-योजना में सतर्कता तंत्र के यथासंभव अधिक से अधिक पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है। सरकार निवारक सतर्कता के क्षेत्र को उचित महत्व और प्राथमिकता दे रही है ताकि विवेक का क्षेत्र विशेष रूप से निम्न स्तरों पर निम्नतम किया जा सके। सरकार ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय सतर्कता कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं ताकि सतर्कता तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

[अनुवाद]

अवसंरचनात्मक क्षेत्र की समीक्षा

4097. श्री अर्नत गुड़े:
श्रीमती हेमा गमांग:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अवसंरचनात्मक क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान, परियोजना-वार और राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और कितने हासिल किए गए;

(ग) परियोजनाओं के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य-वार सरकारी क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास क्षेत्रों के लिए कितना आबंटन किया गया?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) जी हां।

(ख) दिसम्बर, 1999 तक क्रमश: 107, 95 तथा 105 परियोजनाओं की तुलना में 1997-98 में 34 परियोजनायें, 1998-99 में 26 परियोजनाएं तथा 1999-2000 में 28 परियोजनाएं पूरी की गई थीं। इन परियोजनाओं का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में हैं।

(ग) परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(1) सरकार द्वारा मासिक तथा त्रैमासिक प्रबोधन/अवरोधों को अभिज्ञात करने में ये प्रबोधन अभिकरणों को समर्थ बनाते हैं तथा प्रबंधकों को उपचारात्मक उपाय करने में सहायता प्रदान करते हैं।

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकारों, उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा।

(3) आपूर्तिकर्त्ताओं तथा साथ ही टर्नकी ठेकेदारों के साथ उपस्करों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा।

(4) अंतर मंत्रालयी समन्वय तथा संबंदित दलों के बीच सरलीकरण बैठकें।

(5) संविदा पैकेजों को शीघ्र अंतिम रूप देने, भूमि अधिग्रहण तथा अन्य समस्याओं के लिए शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन।

(6) परियोजनाओं को अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना।

(घ) वर्ष 2000-2001 के लिए योजना आयोग द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किए गए योजना आवंटन।

	क्षेत्र	2000-2001 के लिए आबंटन (रुपए करोड़ों में)
(1)	विद्युत	11,610.83
(2)	रेलवे	11,249.00
(3)	सड़कें एवं पुल	4827.35
(4)	बंदरगाह	1712.00
(5)	अंतर्देशीय जल परिवहन	57.41
(6)	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	835.53
(7)	दूरसंचार	19411.67

विवरण

1997-98 में पूर्ण होने वाली परियोजनाओं का विवरण

(स्थिति 31.03.1998 तक)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण	लक्ष्य तिथि	पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
क्षेत्र: नागर विमानन					
1.	हाउसिंग कॉम्प्लैक्स तथा अन्य नवी मुम्बई, महाराष्ट्र	भाविपप्रा	1997/12	1998/06	
2.	रडार का संस्थापन अहमदाबाद, गुजरात	भाविपप्रा	1997/12		पूर्ण
3.	एटीएस सर्विस मुम्बई का आधुनिकीकरण दिल्ली/महाराष्ट्र	भाविपप्रा	1998/03	1998/09	
4.	प्रशिक्षण केन्द्र इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	भाविपप्रा	1997/04		पूर्ण
5.	रडार संस्थापन कलकत्ता, पं. बंगाल	भाविपप्रा	1998/03	1998/03	
6.	रडार संस्थापन चेन्नई, तमिलनाडु	भाविपप्रा	1998/03	1998/03	
7.	मैटस बिल्डिंग चेन्नई, तमिलनाडु	भाविपप्रा	1998/03	1998/03	
8.	टर्मिनल निर्माण आईए, आईजीआई पालम, दिल्ली	भाविपप्रा	1997/12		पूर्ण
क्षेत्र: विद्युत					
9.	मेजिया टीपीपी बांकुरा प. बंगाल	डीवीसी	1998/03	1998/09	
10.	कैथलगुरी जीबी सीसी पीपी असम	निपको	1998/03	1998/05	
11.	कोफ्ली एचईपीआई विस्तार असम	निपको	1997/06		पूर्ण
12.	अगरतला जीडीपीपी त्रिपुरा	निपको	1998/02	1998/05	
13.	ठरी एचईपी टिहरीगढ़वाल, उ.क.	एनएचपीसी	1997/06		पूर्ण

1	2	3	4	5	6
14.	थलचर एसटीपीपी एसटी-I धेनकेनाल, उड़ीसा	एनटीपीसी	1996/12		पूर्ण
15.	अति. विन्धी पा. लाईन-I म.प./महा.	पी. ग्रिड	1997/12		पूर्ण
16.	डोंयाग पा. लाईन एनबी/एमएन/एएस	पी. ग्रिड	1997/04		पूर्ण
17.	गन्धार पा. सिस्टम एसटी-1 जीयू/एमए	पी. ग्रिड	1998/03		पूर्ण
18.	चमेरा-I किशेनपुर पा. चमरा, एचपी/जे.के.	पी. ग्रिड	1997/09		पूर्ण
19.	एचवीडीसी आगे का पीछे चन्द्रा, महाराष्ट्र	पी. ग्रिड	1997/11		पूर्ण
20.	रणगित पा. एम आई/प. बंगाल	पी. ग्रिड	1997/10		पूर्ण
क्षेत्र: रेल					
21.	गोदावरी पर नया पुल, एससीआर राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश	बी. एण्ड एस.	1997/09		
22.	जे. पुर-झाझ-एचएनआई उड़ीसा	बी. एण्ड एस.	1998/03	1998/06	
23.	एसएचबी-लिंक सीए बीन-मालदा पू.रे. भुवनेश्वर/पं.ब.	दो.	1997/10		
24.	विजयवाड-तंदूर, एससीआर आं.प्र.	दो.	1998/03		
25.	अलूआबारी-केजी एं. एन. एमबरी फसीकन, एनएफ, प. बं.	दो.	1997/09		
26.	क्वूलोन-टीवीएनडी.सीटीएल दोहरी एसआर, केरल	दो.	1998/03		
27.	कोवीली-गवपटानियां-ग्राम, द.प.रे. आं.प्र.	दो.	1997/09		
28.	गवपटानिया-नगारम-वीईबेड ग्रामम. द.पू. आ.प्र.	दो.	1997/12		

1	2	3	4	5	6
29.	बिलासपुर-अकलतारा द.प.रे. उड़ीसा	दो.	1997/09		पूर्ण
30.	रघुनाथपुर-राहामा, द.पू.रे. उड़ीसा	दो.	1998/03	1998/12	
31.	खन्ना-बोल-प, द.पु. फेज-1 और 2, पं.ब.	दो.	1998/03		
32.	दीवा-पनवेली म.रे. मुम्बई, महा.	दो.	1998/03		
33.	उरुकुरा-रायपुर-सरोना द.पू.रे., म.प्र./उड़ी.	दो.	1998/03		
34.	चेन्नई-चेंगल-त्रिचित द.रे. त.ना.	जीसी	1998/03	1998/06	
35.	लूनी-मारवाड उ.रे. राज.	बीसी	1998/01	1998/01	
36.	गुंटूर-गुंटाकल-गुटी. द.पू.रे. आं.प्र.	जीसी	1997/12		
37.	सिकंदराबाद-डरचेलम-बोलराम, द.प.रे. आं.प्र.	जीसी	1998/03		
38.	गोंडिया-चानरफोर्ट, द.पू.रे. महा.	बीसी	1998/03	1998/12	
39.	होसपेट-हुबलीगोवा, द.म.रे. गोवा/कर्ना.	बीसी	1997/09		
40.	लूमडिंग-डिब्रूगढ़, द.पू.फ.रे. असम	बीसी	1998/03		
41.	सगोलीनार-कटियागंज उ.पू.रे. बिहार	जीसी	1997/06		पूर्ण
42.	होटगी-गडक, द.म.रे. कर्ना/महा.	बीसी	1998/03		
43.	लूनी-जोधपुर, उ.रे. राज.	जीसी	1998/01		
44.	येलकाना-बागरपेट, एसआर कर्ना.	जीसी	1997/12		पूर्ण
45.	यशवंतपुर-सलेम, कर्ना/तमि.	जीसी	1997/09	1998/12	
46.	बागरा-बांदीकुई. प.रे. उ.प्र./राज.	जीसी	1997/12	1999/12	

1	2	3	4	5	6
47.	रूपसा-बांगर-ईपोसी, द.म.रे. उडी	जीसी	1998/03		
48.	मैसूर-हसन द.रे. कर्ना.	जीसी	1998/03	1998/05	
49.	वनकनेर-मालिया नियाना द.र. गुज.	जीसी	1997/12		
50.	गोंडिया-जबलपुर द.पू.रे. म.प्र., महा.	जीसी	1998/03	2002/03	
51.	सोलापुर-होटगी, म.रे. महा.	जीसी	1998/03	1998/12	
52.	एम.बिच-लूब आरटीएम लाईन चेन्नई, तमि.	एमटीपी	1997/10		
53.	तल्चर-संभलपुर, द.पू.रे. उडी	एनएल	1998/03		
54.	लक्ष्मीकांतापुर-नमखा, पू.रे., पं.ब.	एनएल	1997/12		
55.	बेस-गोइनइक्ल उ.रे., पंजाब	एनएल	1997/06		पूर्ण
56.	बगहा-चितोनी उ.पू.रे., उ.प्र., बिहार	एनएल	1997/09		
57.	कोंकण रेल, केआरसीएल को.गो.महा.	एनएल	1997/11		
58.	सोनागढ़-पतराटू वि. बिहार	आरई	1997/09		
59.	दिल्ली-अंबाला-लुधि-कालका दि./हरि./पब.	आरई	1997/09	1999/03	
60.	चंडील-मूरी-बकाकना बि./प.ब.	आरई	1998/03		
61.	बेंडल-कटवा पं.ब.	आरई	1997/12		
62.	विजयवाड़ा-विजाक आ.प्र.	आरई	1997/12		
63.	ईरोड-इरनाकुलम केरल/तमि.	आरई	1998/03	2000/03	
64.	अंबाला-मुरादाबाद पं./हरि./उ.प्र.	आरई	1998/03		
65.	गुमिया-पतराटू बिहार	आरई	1998/03		
66.	एचडब्ल्यूएच-बिडीसी मेनलाईन अगुमन. हावड़ा, पू.रे. पं. बंगाल	टी.एफ.	1997/12		
67.	बिलसोपकेपाग्मेंट, डब्ल्यूएपी बंगलोर, द.रे. कर्ना.	इ.एस/पीयू	1997/09	1999/03	
68.	60 लोको डीजल सेड अंगूल, द.पू.रे. उड़ीसा	इएसए.पीयू.	1998/03	1999/06	
69.	सीएसडब्ल्यू-एमएफआर हाई एचपी एसीयी लोको पू.रे. पं. बंगाल	इ.एस.ए.पी.यू.	1998/03	1999/06	
70.	बेसर-सीटीएल कोमन-सिलड पू.रे., पं. बंगाल	एस एं.टी.	1998/03		

1	2	3	4	5	6
71.	बेतार-सीटीएल कोमन हावड़ा, पू.रे. एमजीएस पीएच-5 पं.बं./बि./उ.प्र.	एस एं.टी.	1998/03		
72.	आरईपीएल मेगा. उ. गोरखपुर-केटीएच उ.पू.रे. बि./उ.प्र.	एस एं.टी.	1997/12		
73.	आरईपीएल मेगा. लिंक मुंबई-बाहक्ल म.रे. महा.	एस एं.टी.	1997/12	1998/06	
74.	आरईपीएल मुंबई-अहमदाबाद मेगा लिंक पं.रे. महा./गुजरात	एस.एं.टी.	1998/03	1998/05	
क्षेत्र: भूतल परिवहन					
75.	आरईपीएल पीरपाव तेल पीआईईआर मुंबई महा.	पोर्ट	1997/06	पूर्ण	
76.	3 नोर्गेट्रि क्रेन प्राप्त करना एमटीपी तमि.	पत्तन	1998/02	1998/02	
77.	ग्रेडेफेडर वीआईकेएल का प्रतिस्थापन, मुंबई महा.	पत्तन	1997/06	पूर्ण	
78.	7 नं. कारगो बर्थ का निर्माण, तूतीकोरन तमि.	पत्तन	1998/02	1998/02	
79.	विजाग में एलपीबी जैटी का निर्माण, आं.प्र.	पत्तन	1997/06	1998/08	
80.	एमआरपीएल मंगलोर के लिए कच्चा एवं पोल, कर्ना.	पत्तन	1998/03	1998/06	
81.	वेसल यातायात मुंबई का संस्थापन महा.	पत्तन	1997/04		
82.	7 सब मरीन लाइन का संस्थापन महा.	पत्तन	1998/01	1999/12	
83.	ड.बी.पी.ड. पं. बंगाल कास-पलास्टिक, पं. बंगाल	आर.डी.एं.बीआर	1998/03	1998/06	
84.	गंगा पर 2 बीआर वार बाईपास, वारपी. ट.प्र.	र.डी.एं.बीरा	1998/03	1998/06	
85.	4 लेन चौडीकरण अंकापल्ली विशा. एनएच-5 आं.प्र.	आरडीएं. बीआर	1997/06		पूर्ण
86.	दिल्ली-मथुरा की 4 लेनिंग दि., उ.प्र., हरि.	आरडीएं.बीआर	1998/03	1998/06	
87.	एनएच-8 का 4 लेनिंग, चौडाकरण जयपुर, राजस्थान	आरडीए.बी.आर.	1997/12	1997/12	पूर्ण
88.	एनएच-7 4 लेन चौडाकरण बंगलौर-हासन बंगलौर, कर्ना.	आरडीएं.बीआर	1997/12		पूर्ण
89.	एनएच-47 फेज-2 लिंक रोड ल.नि.वि. केरल	आरडीएं.बी.आर.	1998/03	1998/03	
90.	एनएच-24 : 2, निजामुद्दीन पूल दिल्ली	आरडीएं.बी.आर.	1998/03	1998/03	पूर्ण
91.	एसीक्यू: बूलकेरियर, एससीआई एचएसएल, विजाग आं.प्र.	शिप	1998/01	1998/01	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
क्षेत्र : दूरसंचार					
92.	एटीएं. टैक्स का संस्थापन रंगपुर अहमदाबाद, गुज	दूर.सं.	1998/03	1998/03	पूर्ण
93.	एचटीएल एक्स.रिले पुरा का संस्थापन अहम.गुज.	दूर.सं.वि.	1997/12		पूर्ण
94.	आसीबी मोदी एक्स. का संस्थापन लुधि. पंजाब	दूर.सं.वि.	1998/03	1998/03	पूर्ण
95.	आईटीआर एक्स सरदारपुर का संस्थापन जोधपुर.राज.	दूर.सं.वि.	1997/12		पूर्ण
96.	सीएसएन परि. मनकापुर उ.प्र.	आईटीआई	1998/03	1998/03	पूर्ण
97.	सीएसएन परि.बंगलोर कर्ना.	आईटीआई	1998/03	1998/03	पूर्ण
98.	ओसीबी 283 परि. पालाकड केरल	आईटीआई	1998/03	1998/03	पूर्ण
99.	गेटवे डीएस विस्तार-4 अखि.भार.	वीएसएनएल	1997/06		पूर्ण
00.	आईबीएस अर्थ स्टेशन-लिंक अखि.भार.	वीएसएनएल	1998/03	1998/03	पूर्ण
01.	फलैग सबमरीन ओएफसी अखि.भार.	वीएसएनएल	1997/12		पूर्ण
02.	आईओकोम तथा इंडो-यूएई का डिजिट अखि.भार.	वीएसएनएल	1997/09		
03.	इरीडियम गेटवे अखि.भार.	वीएसएनएल	1997/12	1998/09	
04.	इंमारसेट-पी मुंबई महा.	वीएसएनएल	1998/03		
05.	डीसीएमई फेज-2 की खरीद, मुंबई, महा.	वीएसएनएल	1998/03	1998/03	
06.	मुंबई-आरवी म.डब्ल्यू प्रणाली महा.	वीएसएनएल	1998/03	1998/06	
07.	नई दिल्ली-देहरादून म.व. प्रणाली दि./उ.प्र.	वीएसएनएल	1998/03	1998/06	

1998-99 में पूरी होने वाली परियोजनाओं का विवरण

(31.3.1999 तक स्थिति)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण	लक्ष्य तिथि	पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
	2	3	4	5	6
क्षेत्र : नागर विमानन					
1.	हाउसिंग कांप्लेक्स तथा अन्य नई मुंबई महा.	ए I	1999/03	1999/05	
2.	हैंगर न-4 सांताक्रुज मुंबई महा.	ए I	1998/12	1998/12	
3.	हैदराबाद विमान पत्तन का व्यय, आ.प्र.	एए I	1999/03	1999/03	
4.	आधुनिकीकरण एटीएस सेक्ष-मुंबई दि/महा.	एए I	1999/03	1999/06	
5.	कलकत्ता में राडार का संस्थापन पं.ब.	एए I	1998/07		पूर्ण
6.	चैन्नई में राडार की स्थापना त.ना.	एए I	1998/07		पूर्ण
7.	मैटस बिल्डिंग, चैन्नई, त.ना.	एए I	1998/12	2000/03	

1	2	3	4	5	6
8.	मंगलौर के नए निवासी आगमन भवन का निर्माण, कर्नाटक	एए I	1998/12	1999/09	
क्षेत्र : विद्युत					
9.	मीडिया टीपीपी बंकुरा, पं. बंगाल	डीवीसी	1998/12		पूर्ण
10.	कथलगुडी जीवी.सीसी.पीपी. असम	निप्पो	1998/07		पूर्ण
11.	अगरतला जीटीपीपी त्रिपुरा	निप्पो	1998/06		पूर्ण
12.	रंगित एचईपी-3 दक्षिण सिक्किम, सिक्किम	एनएचपीसी	1999/03	1999/06	
13.	कथलगुरी जीपीपी ट्रैक लाइन तिनसुकिया आ/पं.ब.	पी. ग्रिड	1999/03	1999/03	
14.	कोपिली-1 यू.प्रशि.प्रणाली कोपिली, असम	पी. ग्रिड	1998/07		पूर्ण
15.	किशनपुर मोगा प्रशिक्षण उधमपुर ज.क./पंजाब	पी.ग्रिड	1999/03	2000/03	
16.	एचवीडीसी बैक टू बैक ज.पुर गांजुवाका अ.प्र.	पी.ग्रिड	1999/03	1999/03	पूर्ण
17.	कैगा श्री सी प्रशि. प्रणाली कारवार, कर्नाटक	पी.ग्रिड	1999/03	1999/04	
18.	एयूजी.टू सिस्टम एनईआर बदरपुर एनईआर	पी.ग्रिड	1999/03	1999/03	
19.	कायमकुल्लम प्रशि. प्रणाली. एडमोन केरल	पी.ग्रिड	1999/03	1999/03	
क्षेत्र : रेल					
20.	जे.पुरा-ब्रह्म एचएन-1 आरईजी एसईआर उड़ीसा	बी एं. एस.	1998/09	1998/09	
21.	गंगा पर बलवाली पुल 1248 उ.रे. उ.प्र.	बी एं. एस.	1998/12	1998/12	
22.	एमएचजी लिंक सीए बिन-मालदा पू.रे. भूवने/पं.ब.	दो.	1999/02	1999/02	
23.	विकाराबाद-तंडूर, एससीआर आ.प्र.	दो.	1999/03		
24.	ढोहरी पुल लाइन जीएचईआर म.रे. म.प्र.	दो.	1999/03	1999/03	
25.	कुपम-वाईट फिल्ड द.रे., कर्ना/आ.प्र.	दो.	1999/03	1999/03	
26.	गज्जापटिया-नक्करम वीव इनग्राम एसई आ.प्र.	दो.	1998/12	1998/12	
27.	चंदनपुर-शुप 3 लाइन पू.रे. उ.प्र.	दो.	1998/12	1998/12	
28.	रजगढ़-रिगुडी उल चर द.पू.रे. उड़ीसा	दो.	1999/03	1999/03	
29.	सोनगढ़ मे.वा. 3 लाईन पू.रे. भूवन/उ.प्र.	दो.	1998/12	1999/12	
30.	डौंड-धीग-वन, म.रे. महा.	दो.	1999/03	2000/03	

1	2	3	4	5	6
31.	अकलतारा-चंपा 3 लाइन द.पू.रे. उड़ीसा	दो.	1998/12	1998/12	
32.	मुंबई-बोरीविली 5 और 6 लाईन, पं.रे. महा.	दो.	1999/03	1999/03	
33.	रघुनाथ पुर-रहमा, द.पू.रे. उड़ीसा	दो.	1998/12	1998/12	
34.	मक्सी-वैरागढ़ प.रे. म.प्र.	दो.	1999/03	1999/03	
35.	कोरबा-सरग-बुदिया, द.पू.रे. म.प्र., उड़ीसा	दो.	1998/12	1998/12	
36.	ऊरकुरा-रायपुर-सरोना द.पू.रे. म.प्र./उड़ीसा	दो.	1998/10	1998/10	
37.	प्रधानीपूर्ण-मुद्धखेड-आदिलबाग एससी आं.प्र./महा	जीसी	1999/03	2000/03	
38.	चैन्नई-चैनल-त्रिची द.रे. त.ना.	जीसी	1998/11	1998/11	
39.	सिकंदराबाद डीआर-चेलम बोलराम द.म.रे. आं.प्र.	जीसी			पूर्ण
40.	गोंडिया-चंद्रापोर्ट द.पू.रे. महा.	जीसी	1998/12	1998/12	
41.	होस्पेट-हुबलीगोवा द.म.रे. गोवा/कर्ना	जीसी			पूर्ण
42.	लुमडिंग-डिब्रुगढ़ उ.पू.फ.रे., असम	जीसी			पूर्ण
43.	अस्केरी-हसन मंगलौर द.रे. कर्नाटक	जीसी	1998/12	2000/03	
44.	खडडा-गोरखपुर, उ.पू.रे. उ.प्र.	जीसी	1999/02	1999/12	
45.	बाल्मीकीनगर-नरकटियागंज उ.पू.रे., उ.प्र./वि.	जीसी	1999/02	1999/06	
46.	त्रिची-डिंडीगुल द.रे. त.ना.	जीसी	1998/12	1998/12	
47.	यशवंतपुर-सलेम, द.रे. कर्ना/त.ना.	जीसी	1998/12		पूर्ण
48.	मैसूर-हासन, द.रे. कर्ना	जीसी	1998/05		पूर्ण
49.	सोलापुर-होटगी, म.रे., महा.	जीसी	1999/03	1999/03	
50.	एम.बिच-सूब आरटीएम लाइन चैन्नई त.ना.	एमटीपी			पूर्ण
51.	जोगीघोपा-गोवाहटी एनएफ असम	एनएल	1999/03	1999/03	
52.	तलचर-संभलपुर, द.पू.रे. उड़ीसा	एनएल	1998/08		पूर्ण
53.	कोंकण रेलवे केआरसीएल कर्ना.गो.महा.	एनएल			पूर्ण
54.	सोनगढ़-पतराटू वि. बिहार	आरई			पूर्ण
55.	दिल्ली-अंबाला-लुधियाना-कालका दि./हरि./पं.	आरई	1999/03	2000/03	
56.	बोकारो-किरीबुरु वि./पं.ब./उड़ीसा	आरई	1998/12	2000/03	
57.	विजयवाड़ा विभाग आं.प्र.	आरई			पूर्ण

1	2	3	4	5	6
58.	अद्रा-मिदनापुर आरई प.बं.	आरई	1999/03	1999/03	
59.	यार्ड फेज-1 का जीर्णोद्धार एसटी-I ईआर बर्दमान, पं.बं.	टीएफ	1998/12	1998/12	
60.	मुंबई म.रे. फेज-I का जीर्णोद्धार, महा.	टीएफ	1999/03	2000/03	
61.	व्हीलसोप केपगमेंट, वेप बंगलोर द.रे. कर्ना.	ड.एस.एं.पीयू	1999/03	1999/03	
62.	एम डब्ल्यू उपस्कर का प्रतिस्थापन, गोरखपुर कटिहार पू.रे. बि/उ.प्र.	एस एं.टी.	1998/12	1998/12	
63.	एम डब्ल्यू प्रतिस्थापन लिंक मुंबई-भूसावल म.रे. महा.	एस.एं.टी.	1998/12	1999/06	
64.	मुंबई-कल्याण ट्रेन डीईएस प्रणाली म.रे. महा.	एस.एं.टी.	1999/03	2001/03	
65.	लोनावाला-पूणे आटो बीएल सिंगनल म.रे. महा.	एस.एं.टी.	1999/03	1999/03	
क्षेत्र : भूतल परिवहन					
66.	पोतो का एसीक्यू, सीआईइ.टीसी कलकत्ता प.बं.	आई ड. टी.	1999/03	1999/03	
67.	राजा बगान बंदरगाह का आधु. सीआईइ.टीसी पं. बं.	आईड.टीसी	1998/04		
68.	3 नार्गोट्रि क्रेन का प्राप्त किया जाना एमपोटी त.ना.	पत्तन	1999/03	1999/06	
69.	कार्गो बर्थ नं. 7 का निर्माण तूतीकोरीन त.ना.	पत्तन	1998/05		पूर्ण
70.	एल पीजी के लिए एक जैटी का निर्माण विजाग आं.प्र.	पत्तन	1998/08	1999/12	
71.	एमआरपीएल के लिए क्रूड और पोल मंगलोर कर्ना.	पत्तन	1998/09		पूर्ण
72.	व्हार्फ सीआरए की प्राप्ति कांडला गुजरात	पत्तन	1999/02	1999/02	पूर्ण
73.	पी वे वाडला का नवीनीकरण मुंबई महा.	पत्तन	1999/03	2000/03	
74.	बहुउद्देशीय बर्थ का निर्माण विजाग आं.प्र.	पत्तन	1999/01	2000/03	
75.	कलकत्ता-फ्लासिट सैक्शन इ.बीपीडब्लयू	आरडी एं. बीआर	1999/03	1999/03	
76.	वाराणसी बाईपास गंगा पर 2बीआर वाराणसी, उ.प्र.	आरडी एं.बीआर	1999/03	1999/05	
77.	मरथल-करनाल, एनएच-1 का विकास हरि.	आरडी एं.बीआर	1998/06		पूर्ण
78.	दिल्ली-मथुरा की 4 लेनिंग दि, उ.प्र. हरि	आर डी. एं. बीआर	1998/11		पूर्ण

1	2	3	4	5	6
79.	एनएच 47 फेज-2, लिंक रोड लो.नि.वि. केरल	आरडीएं.बीआर	1999/03	1999/03	
80.	एनएच-47 : 4 लेनिंग केरल लो.नि.वि. केरल	आरडीएं.बीआर	1999/03	1999/03	
81.	एनएच 47 वराप-ठक्का बीडीजी+आरडी केरल	आरडीएं. बीआर	1999/03	1999/03	
82.	उएलआर 2 टैंकर की प्राप्ति सीएसएल एससीआई कोचीन केरल	शिप	1999/03	1999/05	
83.	उत्पाद केरियर 2 की प्राप्ति एससीआई सं.भा.	शिप	1999/01	1999/01	पूर्ण
क्षेत्र: दूरसंचार					
84.	अतिरिक्त अंतर.रा.गेटवे कानपुर उ.प्र.	वीएसएनएल	1999/03	1999/10	
85.	इरीडियम गेटवे सं.भा.	वीएसएनएल	1998/11		पूर्ण
86.	डीसीएमई फेज-2 की खरीद मुंबई, महा.	वीएसएनएल	1998/04		पूर्ण
87.	मुंबई-आरवी एम डब्ल्यू प्रणाली महा.	वीएसएनएल	1999/02	1999/07	
88.	नई दिल्ली-देहरादून एम डब्ल्यू प्रणाली दि./उ.प्र.	वीएसएनएल	1999/02	1999/07	
89.	इंटरसेट अर्थ स्टेशन आरवी महा.	वीएमएनएल	1999/02	1999/04	
90.	एसटीडी अर्थ स्टेशन एच सहर कलकत्ता पं.ब.	वीएसएनएल	1999/02	1999/06	
91.	एसटीडी एंटीना अंबातुर चैन्नई त.ना.	वीएसएनएल	1999/02	1999/05	
92.	गांधीनगर गुजरात में गेटवे	वीएसएनएल	1998/12		पूर्ण
93.	एसटीडी बी अर्थ स्टेशन बंगलौर कर्ना.	वीएसएनएल	1999/03	1999/05	
94.	इंट.नेटवर्क एमबीटी केन्द्र, मुंबई, महा.	वीएसएनएल	1999/01	2000/05	
95.	सी-मी-वी 3 अखिल भारतीय	वीएसएनएल	1999/03	1999/07	

1999-2000 में पूरी होने वाली परियोजनाएं

(31.12.1999 तक की स्थिति)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अभिकरण	लक्ष्य तिथि	पूर्ण होने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
क्षेत्र : नागर विमानन					
1.	हाऊसिंग काम्पलैक्स तथा अन्य नई मुंबई, महाराष्ट्र	एआई	1999/07		पूर्ण
2.	हैंगर सं. 4 का निर्माण-सां. क्रूज मुंबई, महाराष्ट्र	एआई	1999/12	1999/12	पूर्ण
3.	टर्मि. काम्पलैक्स फेज-III मुंबई, महाराष्ट्र	एएआई	1999/08		पूर्ण

1	2	3	4	5	6
4.	हैदरा एयरपोर्ट का विस्तार आंध्र प्रदेश	एएआई	1999/03		पूर्ण
5.	आधु.एटी.सेक्र-मुंबई दि/म.	एएआई	1999/10		पूर्ण
6.	वि. एवं म. एयरपोर्ट रनवे कालिकट, केरल	एएआई	2000/03	2000/03	
7.	मैटस बिल्डिंग चेन्नई, तमिलनाडु	एएआई	2000/03	2001/03	
8.	नई आगमन बिल्डिंग का निर्माण बंगलौर, कर्नाटक	एएआई	1999/10	1999/10	
9.	गुवाहाटी में टर्मि. का आधु. गुवाहाटी, असम	एएआई	1999/12	2000/07	
10.	एकीकृत कार्गो टर्मि. चेन्नई, तमिलनाडु	एएआई	2000/03	2000/03	
11.	ऐरो पुल, के 17, 18, 19 मुंबई, महाराष्ट्र	एएआई	2000/03	2000/03	
क्षेत्र : विद्युत					
12.	दोयांग, एच ई पी वोखा, नागालैंड	निपको	2000/03	2000/03	
13.	रंगित एचईपी-III द. सिक्किम, सिक्किम	एनएचपीसी	1999/12	1999/12	पूर्ण
14.	विंध्याचल एसटीपीपी-II सिद्दी, मध्य प्रदेश	एनटीपीसी	2000/03	2000/03	
15.	कायाकुलम, कम्ब चक्र एम डब्ल्यू (ओलपी) केरल	एनटीपीसी	2000/02	2000/02	पूर्ण
16.	ऊंचाहार टीपीपीएसटी-II रायबरेली, उत्तर प्रदेश	एनटीपीसी	1999/10	1999/10	पूर्ण
17.	नाथपा झाकरी ट्रे. प्रणाली किन्नौर, एचपी/एचबार्ड/दि	पी.ग्रिड	2000/03	2000/03	
18.	कथलगुड़ी बीपीपीट्रेलाइन तिनसुकिया, अ/पं.बं.	पी. ग्रिड	1999/10		पूर्ण
19.	रंगानदी, ट्रे. लाइन सुबांसिरी, अ/अ	पी. ग्रिड	1999/11		पूर्ण

2	3	4	5	6
20. दुलहस्ती कानटिनजैंसी किश्तवार. ज.क.	पी.ग्रिड	2000/03	2000/03	
21. विन्ध्याचल पा.च-II सटना, म.प्र.	पी.ग्रिड	1999/10	1999/10	पूर्ण
22. ऊंचाहार पा.च-II रायबरेली, उ.प्र.	पी.ग्रिड	2000/01	2000/01	पूर्ण
23. अग्रतला पा. सिस्टम अग्रवला, त्रिपुरा	पी.ग्रिड	2000/02	2000/12	
24. केरल सिरसो पा. सिस्टम करवार, कर्नाटक	पी.ग्रिड	1999/05		पूर्म
अगस्त पा. सिस्टम बदरपुर, उ.पू.रे.	पी.गिड	2000/01	2000/01	पूर्ण
रैप पीवी पा.प्रणाली कोटा रा./गु.	पी.ग्रिड	2000/03	2000/03	
कायाकुलम पा. प्रणाली ईडामोन, केरल	पी.ग्रिड	1999/09	1999/09	पूर्ण
रेलवे				
गंगा पर 1248 बलवाटी पल उ.रे. उ.प्र.	बी और एस	2000/03	2000/03	
कुइलान-त्रिवेन्द्रम, सी.टी.एल. दोहरी द.रे.-केरल	दोहरी	2000/03	2000/03	
कुपम-वाइट फील्ड द.रे. कर्ना/आं.-प्र.	दोहरी	1999/05		
चंदनपुर, गरूप 3 आर डी लाइन, पू.रे., उ.प्र.	दोहरी	2000/03	2000/03	
रजतगढ़-नरगुंदी, तलचर द.पू.रे. उड़ीसा	दोहरी	2000/03	2000/06	
सोनानगर एमबीएस 3 आर डी लाइन पू.रे., वि. उ.प्र.	दोहरी	2000/02	2000/02	
बौंड-बिग-खान. के.रे. महाराष्ट्र	दोहरी	2000/02	2000/02	
अकलतारा-च-अम्पा आर डी लाइन द.पू.रे., उड़ीसा	दोहरी	2000/02	2000/02	

1	2	3	4	5	6
36.	रघुनाथपुर-रक्सा, द.पू.रे. उड़ीसा	दोहरी	1999/07	1999/07	पूर्ण
37.	कालीकट-मंगलौर, द.रे. के/कर्ना	दोहरी	2000/03	2000/03	
38.	दलखोला-किशनगंज एनईएमआर, बि/प.बं.	दोहरी	2000/02	2000/02	
39.	मकसी-बैरागढ़ प.रे.-मध्य प्रदेश	दोहरी	2000/02	2000/02	
40.	फेज 3 : खाना बोलपुर, पू.रे., प.बं.	दोहरी	2000/03	2000/03	
41.	मुरादनगर-मेरठ उ.रे. उ.प्र.	दोहरी	2000/02	2000/10	
42.	तुंबला-यमुना पुल उ.रे. उ.प्र.	दोहरी	2000/02	2000/02	
43.	कोरबा-सरग-बूंदिया, र.प.रे. म.प्र.	दोहरी	2000/02	2000/02	
44.	दीवा पनवेल. के.रे. मुंबई महाराष्ट्र	दोहरी			पूर्ण
45.	उखकुरा-रायपुर-सरोना	दोहरी			पूर्ण
46.	चेन्नई, चेंगल-त्रिची द.पू.रे. म.प्र./उ.	बीसी	1999/10	1999/10	
47.	गोंदिया-चंदाफोर्ट-द.प.रे. महाराष्ट्र	बीसी	1999/06	1999/06	
48.	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर द.रे. कर्नाटक	बीसी	2000/03	2000/03	
49.	मिरज-लातूर मार्ग प.रे महाराष्ट्र	बीसी	2000/03	2000/03	
50.	तांकानेर-मालिया-मियाना प.रे. गुजरात	बीसी	2000/02	2000/02	
51.	बेलापुर-पनवेल मुंबई, महाराष्ट्र	एमटीपी	2000/03	2001/03	

1	2	3	4	5	6
52.	थाने-तुरबे-नेरुल-वाशी मुंबई, महाराष्ट्र	एमटीपी	2000/03	2001/03	
53.	जोगीघोपा गुवाहाटी, एन एफ असम	एनएल	2000/03	2000/03	
54.	नाडियाड-मोदसा तथा कापड़वंज य.रे.-गुजरात	एनएल	2000/02	2000/02	
55.	पेड्डापल्ली-के नगर-नज्मबाद द.के.रे., आंध्र प्रदेश	एनएल फोस	2000/03	2000/03	
56.	हावड़ा-आमटा-चंपादंगा द.पू.रे., पं. बंगाल	फोस	1999/12	1999/12	
57.	भाड़ा प्रचालन स. प्रणाली क्रिस संपूर्ण देश	फोस	2000/01	2000/01	
58.	दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना-कालका दि/हरि./पं.	आरई	2000/03	2000/03	
59.	बोकारो-किरोवरू बि./प.बं./उडि.	आरई	2000/03	2000/03	
60.	सीतारामपुई-मुगलसराय बि./उ.प्र.	आरई	2000/03	2000/12	
61.	इरोड-अरनाकलम के./त.ना.	आरई	2000/03	2000/03	
62.	पुर्न.आ. या. फेज-I च-I यू.रे. वर्द्धमान, प. बंगाल	टीएफ	1999/12	1999/12	
63.	व्हील शाप कैप ऑगमैंट, वैप बैंगलोर, द.रे. कर्नाटक	डब्बलएमपीयू	1999/06	1999/06	पूर्ण
64.	60 लोका डीबल-शेड. अंगल-द.पू.रे., उड़ीसा	डब्बलएसपीयू	1999/06	2001/03	
65.	अच्च एच पी ए बीबी कीसीएल डब्ल्यू-निर्माणलोको, प.रेश. प. बंगाल	डब्ल्यूएसपीयू	1999/06	2001/03	
66.	कावीपत-विद्युतलोको शेड, एस सी आंध्र प्रदेश	डब्ल्यूएसपीयू	2000/03	2001/03	
67.	लुधियाना विद्युत लोकाशेड उ.रे. पंजाब	डब्ल्यूएमपीयू	2000/03	2001/03	

1	2	3	4	5	6
68.	वायरलेस कंझोल कामन, सियालदाह प.रे. पं. बंगाल	एसटी	2000/03	2000/03	
69.	वायरलैस, कंट्रोल कोमन हावड़ा प्र.वि. एमजीएच फेज्ड/प.बं./वि.उ.प्र.	एसटी	2000/03	2000/03	
70.	आरईपीएल एमडब्ल्यू, ईक्यूपी, गोरखपुर-केटीएच उ.प.रे., बि/उ.प्र.	एसएं.टी.	1999/12	1999/12	
71.	आरईपीएल.एमडब्ल्यू लिंक मुंबई-बीएचडब्ल्यूएएल के.रे. महा.	एसएं.टी.	1999/10		
72.	ट्रैक सर्किटिंग: एफबीएसएल टीबाद-बी शन दिल्ली	एसएं.टी	2000/03	2000/03	
क्षेत्र: भूतल परिवहन					
73.	अधिग्रहण 3 नोगैंट्री क्रैनज एमपीटी, तमि.	पत्तन	1999/12	1999/12	
74.	8वीं कार्गो बर्थ कांडला, गुजरात	पत्तन	1999/12	1999/12	
75.	एलपीजी के लिए जैटी का निर्माण विजाग, आं.प्र.	पत्तन	2000/03	2000/03	
76.	4 तेल जैटी का निर्माण कांडला, गुजरात	पत्तन	2000/02	2000/02	
77.	पी.वे. वाइला का नवीनीकरण मुंबई, महा.	पत्तन	2000/03	2000/03	
78.	बहु-प्रयोजन बर्थ का निर्माण विजाग, आं.प्र.	पत्तन	2000/03	2000/03	
79.	आरटी, जीएम का बदलाव, मुंबई, महा.	पत्तन	2000/02	2000/02	
80.	रैप्ल एच टैक्स, अतुल एवं अंकुश, मुंबई, महा.	पत्तन	2000/02	2000/02	
81.	तेल बर्थ का निर्माण, पारादीप, उड़ीसा	पत्तन	2000/01	2000/01	
82.	दूसरी कार्गो बर्थ का निर्माण, पारादीप, उड़ीसा	पत्तन	2000/02	2000/02	
83.	पश्चिमी क्वे का निर्माण, पारादीप, उड़ीसा	पत्तन	2000/02	2000/02	
84.	बहुप्रयोजन बर्थ का निर्माण, हल्दिया, प.ब.	पत्तन	2000/01	2000/01	
85.	टम्स सुमति तथा धानुमजया विजाग, आं.प्र.	पत्तन	2000/02	2000/02	
86.	कैल-फ्लसिट सैक्शन, डब्ल्यू वीपी डब्ल्यू कलकत्ता, पं.ब.	आरडी एं.बीआर	1999/03		पूर्ण
87.	वाराणसी बाईपास, गंगा पर दो पुल वाराणसी, उ.प्र.	आरडी एं.बीआर	1999/03		पूर्ण
88.	रा.रा.-5 : च लेन कटक-जगतपुर, उड़ीसा	आरडी एं. बीआर	2000/03	2000/03	

1	2	3	4	5	6
89.	रा.रा.:47-फेज-2 लिंक मार्ग लो.नि.वि. केरल	आरडी एं. बीआर	1999/03		पूर्ण
90.	रा.रा. म. 47: 4 लेनिंग केरल लो.नि.वि. केरल	आरडी एं. बीआर	1999/03		पूर्ण
91.	रा.रा. 47 : तरप-उझी-प्रसं. केरल	आरडी एं. बीआर	1999/09	1999/09	
92.	रा.रा. 2 : 4 लेन मथुरा-आगरा आगरा, उ.प्र.	आरडी एं. बीआर	2000/02	2000/02	
93.	रा.रा. 14 लेन पं.किमी 212-252 आरडी पंजाब	एं.बीआर	1999/12	1999/12	
94.	3 एलआर-2 टैंकर्स का अधिग्रहण, सीएसएल एससीआई, कोचीन, केरल	शिप	1999/05		पूर्ण
95.	2 बस्क कार रीसेल अधि. एससीआई. स.देश	शिप	2000/03	2000/03	
क्षेत्र : दूरसंचार					
96.	चैन्नई-4-पुरम-सेलम तमि.	दूर.सं.वि.	2000/03	2000/03	
97.	अति.इन्टल-गेटवे कानपुर-उ.प्र.	वीएसएनएल	2000/01	2000/01	
98.	मुंबई-आखी एम डब्ल्यू प्रणाली दि/उ.प्र.	वीएसएनएल	2000/01	2000/01	
99.	नई दिल्ली-देहरादून एम डब्ल्यू प्रणाली, दि./उ.प्र.	वीएसएनएल	2000/01	2000/01	
100.	इंटलसेट अर्थ स्टे. आखी. महा.	वीएसएनएल	1997/07		पूर्ण
101.	एमटीडी.ए. अर्थ स्टे एच सहर कलकत्ता, पं.ब.	वीएसएनएल	1999/09	1999/09	पूर्ण
102.	एसटीडी एंटीना अम्बटूर चैन्नई, तमिलनाडु	वीएसएनएल	1999/06	1999/06	पूर्ण
103.	एमटीडी. बी अर्थ स्टे. बैंगलौर कर्नाटक	वीएसएनएल	1999/12	1999/12	पूर्ण
104.	सी-एम-ई-डब्ल्यू ई 3 संपूर्ण भारत	वीएसएनएल	2000/01	2000/01	
105.	डीसीएमईएस हुर्ब सभी गेटवे, संपूर्ण भारत	वीएसएनएल	2000/01	2000/01	

विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नति

4098. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में कितने विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ख) क्या विकलांगों को नियमानुसार पदोन्नति और अधिकारों के संरक्षण के मामले में समान अवसर प्राप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार को विकलांग व्यक्तियों की ओर से नियमानुसार पदोन्नति न मिलने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) इस मंत्रालय में 9 विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं। इस मंत्रालय के 11 कार्यालयों में 132 विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं। 13 कार्यालयों के मामले में सूचना की अभी प्रतीक्षा है।

उपलब्ध सूचना के आधार पर पदवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां, विकलांग व्यक्तियों को पदोन्नतियां दी जाती हैं, जैसा कि नियमों के अंतर्गत प्रावधान है।

(ग) उपलब्ध सूचना से 89 व्यक्तियों को लाभ मिला है। इसमें 13 कार्यालयों से सूचना शामिल नहीं है जहां से इसकी अभी प्रतीक्षा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रैंकवार कार्यरत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	समूह क	समूह ख	समूह ग	समूह घ
1.	सा.न्या. और वन मंत्रालय	0	0	7	2
2.	एन.आई.एस.डी. (अधीनस्थ कार्यालय)	0	0	1	0
	एन.सी.बी.सी.	0	0	0	0
4.	एन.सी.एस.के.	0	0	0	0
5.	एतिम्को	1	16	32	18
6.	एन.एच.एफ.डी.सी.	0	0	0	0
7.	एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	0	0	0	0
8.	एन.आई.एम.एच.	0	0	3	4
9.	एन.आई.वी.एच.एम.	4	1	24	2
10.	एन.आई.एच.एच.	1	1	5	5
11.	एन.आई.ओ.एच.	1	1	8	4
12.	ए.एफ.	0	0	0	0
	कुल	7	19	80	35

कुल क+ख+ग+घ = 141

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

4099. श्री गिरधारी लाल भार्गव:
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य को जल संसाधन के विकास में विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान को विशेष श्रेणी राज्य में शामिल करने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध किया है ताकि वह त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विशेष वित्त पोषण का लाभ उठा सके। इस राज्य को योजना आयोग से सम्पर्क करने की सलाह दी गई है क्योंकि ऐसे मामलों पर योजना आयोग ही विचार करता है।

"सेल" का आधुनिकीकरण

4100. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की इस्पात संयंत्रों की आधुनिकीकरण परियोजनाएं "सेल" के संयंत्रों की वित्तीय स्थिति सुधारने में विफल रही है और 1997-98 के पश्चात उनके लाभ में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजनाओं को ठीक से न चलाए जाने और निधियों की हेराफेरी में कुछ वरिष्ठ कार्यपाल को संलिप्त पाया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर व्यय की जांच कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का है; और

(च) यदि हाँ, तो समिति के निदेश पद दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) मुख्य रूप से इस्पात की मंद मांग, आयात से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में पूर्ति में वृद्धि और राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के पूंजीकरण पर अधिक ब्याज और मूल्यह्रास लागत के कारण 1997-98 से सेल के लाभ में कमी आई जबकि आधुनिकीकरण के लाभ चरणों में मूर्त रूप लेंगे। 1997-98 से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का निवल लाभ/हानि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	लाभ/हानि (कर पश्चात)
1997-98	133
1998-99	(-) 1574
1999-00*	(-) 2049

*(दिसम्बर, 99 तक)

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जल भराव

4101. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में जल भराव के कारण कुल कितनी हेक्टेयर भूमि प्रभावित है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों से भरे जल की निकासी हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए; और

(ग) इस अवधि के दौरान इनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए तथा कितने क्रियान्वित किए गए?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, बिहार राज्य में लगभग 9.41 लाख हेक्टे. भूमि जलजमाव से प्रभावित है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जल संसाधन मंत्रालय में पांच जलनिकास स्कीमें प्राप्त हुई थी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में इन स्कीमों की जाँच की गई थी और अपने सुझावों के साथ टिप्पणियां

अनुपालना हेतु बिहार राज्य सरकार को भेजी गई थी। इसके अलावा गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय में केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आने वाली शामिल सिंचाई परियोजनाओं में जलजमाव क्षेत्रों के सुधार के लिए गण्डक और कोसी परियोजनाओं से संबंधित तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से, 8313.6 हेक्टेयर कुल क्षेत्र तथा 102.38 लाख रु. की अनुमानित लागत के दो प्रस्ताव जिसमें गण्डक सिंचाई कमान में 39 मुख्य जलनिकास स्कीमें शामिल हैं, राज्य सरकार के क्रियान्वयन के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक रूप से अनुमोदित किए गए। ये स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कोसी सिंचाई कमान में 33 मुख्य जल-निकास स्कीमों संबंधी तीसरे प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की गई थी और उसमें सुधार करने संबंधी सुझावों सहित टिप्पणियां अनुपालना के लिए राज्य सरकार को भेजी गई थीं।

सुरक्षा परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन

4102. डा. अशोक पटेल:
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हेतु भारत के दावे का खुलेआम और अधिकारिक रूप से समर्थन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के पाँच स्थायी सदस्यों ने भारत के दावे का समर्थन नहीं किया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने अलग-अलग देशों के साथ इस मामले को उठाया है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) अब तक आठ देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की उम्मीदवारी का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है।

(ख) ये देश हैं मारीशस, भूटान, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, रूस, वियतनाम, लाओस और साइप्रस। इन आठ देशों में से अंतिम चार अर्थात रूस, वियतनाम, लाओस और साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 54वें सत्र के दौरान समर्थन के अपने वक्तव्य दिए थे।

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों में से रूस ने संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्शों के दौरान भारत की उम्मीदवारी का खुले रूप से समर्थन किया है। हम यह भी जानते हैं कि फ्रांस भारत की उम्मीदवारी को अत्यधिक महत्व देता है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में अभी तक समर्थन का खुले रूप में वक्तव्य नहीं दिया है परन्तु द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के दौरान अपना समर्थन व्यक्त किया है। ब्रिटेन, अमरीका और चीन ने अभी तक कोई वचनबद्धता नहीं की है।

(ङ) और (च) सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी हमारी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। चूँकि भारत आधिकारिक रूप से 1994 में 49वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर चुका है, हम द्विपक्षीय रूप से और उपयुक्त बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय रूप से समर्थन जुटा रहे हैं। इसमें उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। संयुक्त राष्ट्र में आठ सार्वजनिक वक्तव्यों जिनमें से चार वक्तव्य पिछली संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए थे, के अलावा हमें कई देशों से भी द्विपक्षीय विचार-विमर्शों के दौरान समर्थन की अभिव्यक्ति मिली है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि पिछली संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जापान और जर्मनी के अलावा यदि किसी अन्य देश के लिए सार्वजनिक समर्थन की अभिव्यक्ति की गई है तो वह केवल भारत है।

[अनुवाद]

छद्म युद्ध

4103. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीरी उग्रवादियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर मामले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा की बेला पर भारत के विरुद्ध अपने छद्म युद्ध को तेज कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके जवाब में क्या रणनीति अपनाई गयी थी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हाँ। 20 मार्च, 2000 को हुआ छत्तीसिंहपुरा नर संहार पाकिस्तान के कमाण्ड और नियंत्रणाधीन आतंकवादियों की ओर जम्मू और कश्मीर के प्रति और अधिक मात्रा में अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया एक निराशापूर्ण प्रयास का भाग था। इस आतंकवादी कृत्य की विश्व भर में निन्दा हुई है और भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य स्थानों पर सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन में पाकिस्तान की भूमिका को चित्रित किया गया है।

(ख) सीमा पार से आतंकवाद को मिल रहे पाकिस्तानी समर्थन और भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के उसके सतत् प्रयासों को सरकार प्रभावी तथा उपयुक्त रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाई है। आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकार के समर्थन से सम्बद्ध तथ्य अनेक अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर लाए गए हैं और विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी उन्हें उठाया गया है। अब अन्तर्सष्ट्रीय समुदाय खुले रूप में भारत में जम्मू और कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर आतंकवाद को पाकिस्तान के सरकारी समर्थन और हमारे देश तथा क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ रहे उसके दुष्प्रभाव को स्वीकार करता है। पाकिस्तान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में तथा अनेक सरकारों के अधिकारिक प्रवक्ताओं के वक्तव्यों में बड़ी मात्रा में हुई इस जागरूकता को प्रदर्शित किया जा रहा है।

अमरीका-भारत संधि

4104. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री जसवंत सिंह यादव:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने प्रौद्योगिकियों और इनकी सर्विसिज के संबंध में भारत को विश्व स्तर के प्रमुख निर्माताओं में माना है;

(ख) क्या सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और श्रीलंका के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें सॉफ्टवेयर व्यवसायिकों को किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) भारत के प्रधान मंत्री और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक विवरण पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें इक्कीसवीं शताब्दी में भारत-अमेरिकी संबंधों की रूपरेखा पर उनके विचार दिए गए हैं। दर्शन वक्तव्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्वीकार किया गया है कि दोनों देश सूचना युग में प्रमुख हैं तथा नई उच्च प्रौद्योगिकी की अर्थव्यवस्था में अग्रणी हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को उन्मुख करने में भारत की सफलता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसकी उपलब्धियों तथा आर्थिक प्रसार एवं सुधार की नई पहलुओं के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की सराहना की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

परमाणु विद्युत उत्पादन

4105. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में परमाणु विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालीन नीति क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु विद्युत उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से मौजूदा परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परमाणु विद्युत निगम ने सन् 2020 तक 20,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): (क) से (च) जी, हां। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और इस नवीं पंचवर्षीय योजनावधि से

आगे की अवधि में परमाणु विद्युत उत्पादन के कार्यक्रम का ब्यौरा निम्नानुसार है, बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहे।

	रिएक्टरों/यूनिटों का ब्यौरा	कुल क्षमता (मेगावाट)
I.	नवी पंचवर्षीय योजना तक	
(1)	परिचालनरत रिएक्टर (160 मेगावाट क्षमता वाले दो बायलिंग वाटर रिएक्टर तथा 8 दाबित भारी पानी रिएक्टर (1×100, 1×200, 2×170, 4×220 मेगावाट)	2280
(2)	निर्माणाधीन रिएक्टर (220 मेगावाट क्षमता वाले दो दाबित भारी पानी रिएक्टर)	440
(3)	वे रिएक्टर जिन्हें संस्वीकृति प्राप्त हो गई है और जिनमें काम शुरू हो गया है (500 मेगावाट क्षमता वाले दो दाबित भारी पानी रिएक्टर)	1000
(4)	वे रिएक्टर जिन्हें अभी संस्वीकृति प्राप्त होनी है (220 मेगावाट क्षमता वाले दो दाबित भारी पानी रिएक्टर, 1000 मेगावाट क्षमता वाले दो बीवीईआर तथा 500 मेगावाट क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर)	2940
		6660
2.	नवीं पंचवर्षीय योजना से आगे की अवधि	
(1)	वे रिएक्टर जिनके लिए अग्रिम प्रापण की कार्रवाई की जानी है	1440
(2)	वे रिएक्टर जिनके बारे में योजना बनाई जा रही है	
	(1) 500 मेगावाट क्षमता वाले 10 दाबित भारी पानी रिएक्टर	5000
	(2) 500 मेगावाट क्षमता वाले 4 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर	2000
	(3) 1000 मेगावाट क्षमता वाले 5 हल्का पानी रिएक्टर	5000
	जोड़	13440
	कुल जोड़	20100

मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्ट

4106. श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्टों को शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनसे जालसाजी के मामलों को रोकने में किस ढंग से मदद मिलेगी; और

(घ) इसे देश में कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी हाँ। मशीन से लिखे पासपोर्ट।

(ख) और (ग) मशीन से लिखे और मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्टों को लागू करने की एक प्रायोजिक परियोजना का अनुमोदन किया गया है और हाल ही में इसे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में लागू किया जा रहा है। मशीन से लिखे और मशीन से पढ़े जाने वाले पासपोर्ट पर आवेदक का फोटो और हस्ताक्षर होंगे जो पुस्तिका पर स्कैन किए हुए होंगे। इससे और नए तैयार किए गए पासपोर्टों में अन्य अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं से पासपोर्टों के साथ छेड़छाड़ सहित फोटो बदलने के मामलों की रोकथाम होगी।

(घ) यह प्रायोगिक परियोजना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में तीन माह के लिए चलेगी जिसके बाद परिणामों का आकलन किया जाएगा। परियोजना के अनुभव के आधार पर मशीन द्वारा पासपोर्ट लिखे जाने को सबसे पहले पूरी तरह से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में लागू किया जाएगा और बाद में देश भर में अन्य पासपोर्ट कार्यालयों में लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषकों के अनुदानों में कमी

4107. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राजनीतिक दल सरकार पर राजसहायता को कम अथवा समाप्त न करने के लिए भारी दबाव डाल रहे हैं क्योंकि यह गरीब कृषकों के हितों के विरुद्ध होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) और (ख) किसी भी राजनैतिक दल से राजसहायता न हटाने या कम न करने के अनुरोध के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों में कुछ स्थानों से इस प्रकार के अनुरोध की खबरें छपी हैं।

[अनुवाद]

सिलिकोन वैली

4108. **श्री आर.एल. भाटिया:**
श्री अब्दुल हमीद:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सिलिकोन वैली की ही तरह विकसित करने हेतु किन्हीं कदमों को उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास लक्ष्य को बढ़ाने के लिए किसी क्षेत्र से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सिलिकन घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय मूल के उद्यमियों की सफलता सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में भारत के प्राकृतिक लाभ की स्थिति का उपयोग करने का प्रतिमान प्रस्तुत करती है। इस संदर्भ में, सिलिकॅन घाटी में सफल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ अभिन्न संपर्क स्थापित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैलीफोर्निया के साथ समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर करना जो अन्य बातों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के चयन, उद्भवन सुविधाओं, विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा मानव संसाधन विकास की सुविधा प्रदान करेगा।

(2) सैन जोस में व्यवसाय केन्द्र की स्थापना करना ताकि सिलिकॅन घाटी स्थित अनिवासी भारतीय के साथ संपर्क स्थापित किया जा सके।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार को नीतिगत एवं प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों के उपादान उपलब्ध कराने के लिए सिलिकन घाटी स्थित विदेशी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के चुनिंदा समूह का गठन।

(ख) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की वृद्धि दर के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए सरकार को समय-समय पर विभिन्न वर्गों से अनेक सुझाव एवं उपादान प्राप्त होते रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यदल ने वर्ष 2008 तक सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हार्डवेयर निर्यात के लिए 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यदल ने कम्प्यूटर के प्रसार के वर्तमान स्तर को 3 प्रति हजार से बढ़ाकर वर्ष 2008 तक 20 प्रति हजार करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

सीएमसी लिमिटेड

4109. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि सीएमसी, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्ति के अभाव में, अपनी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रौद्योगिकी और डिलीवरी अवसंरचना में निवेश करने में सक्षम नहीं हो पा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सीएमसी खुले बाजार के माध्यम से अपने संसाधन जुटाने की योजना बना रही है और उसने इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या विशेषज्ञों ने सार्वजनिक निर्गम के पक्ष में अपनी राय नहीं दी है और धनराशि जुटाने के लिए कई अन्य विकल्प सुझाए हैं;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सीएमसी के साथ परामर्श करके सरकार पूरे मामले पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

विदेशों में प्रशिक्षण हेतु नामांकन

4110. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजकोष की कीमत पर और प्रयोजन के द्वारा सरकार अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विषयों में शैक्षिक, प्रबंधन, तकनीकी और प्रशासनिक योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कृषि मंत्रालय से दीर्घावधि और अल्प अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु विदेश भेजे गये लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं और भेजे गये कुल व्यक्तियों की संख्या में उनका प्रतिशत कितना है; और

(घ) यदि पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की उक्त प्रशिक्षण हेतु नामांकित नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए जिसका खर्च कृषि मंत्रालय द्वारा वहन किया गया (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग को छोड़कर जो हाल ही में कृषि मंत्रालय का अंग बना है) तथा कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान क्रियान्वित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत विदेश भेजे गए व्यक्तियों की कुल संख्या 419 है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में लघु उद्योग

4111. श्रीमती हेमा गमांग:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में लघु उद्योगों, कृषि, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए मौजूदा मानदंड क्या हैं;

(ख) उड़ीसा और बिहार में लघु उद्योग और कृषि ग्रामीण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा और बिहार के इन उद्योगों और केन्द्र प्रायोजित अन्य योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) वर्ष 2000-2001 के दौरान उड़ीसा और बिहार की जनजातियों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) लघु उद्योग प्लांट तथा मशीनरी में निर्धारित निवेश सीमा के अंदर लगाए जाते हैं जो वर्तमान में रुपये एक करोड़ है। खादी तथा ग्रामोद्योग इकाइयां उन

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहां की आबादी 20,000 से अधिक नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, इन उद्योगों को संबंधित राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के अन्य विद्यमान नियमों तथा विनियमों का पालन करना होता है।

(ख) 31 मार्च, 1999 तक पंजीकृत इकाइयों की संख्या उड़ीसा में 18,762 (अनुमानित) तथा बिहार में 1,17,573 (अनंतिम) थी। दिनांक 31.3.1999 को पंजीकृत खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं की संख्या उड़ीसा में 77 थी जिसमें 1.98 लाख व्यक्ति नियोजित थे तथा बिहार में 86 थी जिसमें 3.80 लाख व्यक्ति नियोजित थे।

(ग) और (घ) उड़ीसा तथा बिहार सहित सभी राज्यों में, नीतियों तथा कार्यक्रमों और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और स्कीमों में आवश्यक आशोधन, यदि अपेक्षित हों, समय समय पर किये जाते हैं।

(ङ) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जाएगी।

परती भूमि

4112. श्री मोहन रावले:
श्री मोइनुल हसन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितनी गैर-कृषि योग्य या परती भूमि बेकार पड़ी है;

(ख) क्या कृषि योग्य भूमि का प्रयोग गैर-उद्देश्य के लिए बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वास्तविक रूप से कृषि योग्य भूमि का कितना प्रयोग गैर-कृषि उद्देश्य के लिए हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे कुल भूमि की उर्वरता क्षेत्र घटने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो भूमि को उर्वर बनाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु कितनी धन-राशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. रत्नाराय राव): (क) परती भूमि के अंतर्गत आने वाले राज्यवार क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, हां। यह सही है कि कुछ अच्छी भूमि का भी शहरीकरण, औद्योगीकीकरण और संचार आदि जैसे गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। 1993-94 से 1995-96 के दौरान 0.67 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया गया है। हालांकि इससे देश में कुल बुआई वाले क्षेत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है और इस अवधि में बुआई क्षेत्र 142.0 मिलियन हेक्टेयर तक बना रहा।

(ङ) और (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग अपरदित भूमि की उत्पादकता में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है। स्कीमें हैं:

1. राष्ट्रीय भू उपयोग बोर्ड तथा राज्य भू उपयोग बोर्ड को सहायता
2. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम (एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.)
3. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
4. क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार
5. झूम खेती क्षेत्र में पनधारा विकास परियोजना
6. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से क्षारीय मृदा का पुनरुद्धार और विकास

2000-2001 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में इन स्कीमों के कारगर क्रियान्वयन के लिए 400.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

1996-97 के दौरान परती भूमि के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र को दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र हजार हे. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा. क्षेत्र	क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3990
2.	अरूणाचल प्रदेश	64
3.	असम	183

1	2	3
4.	बिहार	2857
5.	गुजरात	783
6.	हरियाणा	137
7.	हिमाचल प्रदेश	78
8.	जम्मू व कश्मीर	105
9.	कर्नाटक	1535
10.	केरल	85
11.	मध्य प्रदेश	1492
12.	महाराष्ट्र	2175
13.	मणिपुर	–
14.	मेघालय	234
15.	मिजोरम	163
16.	नागालैंड	190
17.	उड़ीसा	788
18.	पंजाब	75
19.	राजस्थान	3847
20.	सिक्किम	13
21.	तमिलनाडु	2257
22.	त्रिपुरा	5
23.	उत्तर प्रदेश	1899
24.	पश्चिम बंगाल	241
25.	गोवा	(एम)
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4
27.	चंडीगढ़	1
28.	दादरा व नागर हवेली	1
29.	दिल्ली	8
30.	दमन व दीव	(एम)
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	5
33.	डी.वी.सी.	–
34.	मुख्यालय	–
	योग:	23215

(एम) अलग से उपलब्ध नहीं।

पेंशन वृद्धि

4113. श्री कृष्णमराजू: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के कारण कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 के तहत गुड़गांव ग्रामीण बैंक के मृत कर्मचारियों की कानूनी वारिसों आश्रितों के देय पेंशन राशि को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत परिवार पेंशन के रूप में मृतक की पत्नी तथा दो बच्चों के लिए 750 रु. प्रतिमाह की न्यूनतम राशि निर्धारित है परिवार पेंशन की अधिकतम राशि 3,750/- रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है। योजना में पेंशन निधि तथा पेंशन लाभ की वार्षिक समीक्षा करने का प्रावधान है। तदनुसार, प्रथम वार्षिक मूल्यांकन के पूरा होने पर लाभभोगियों के लिए 16 नवम्बर 1996 से पेंशन के भुगतान में 4% की वृद्धि मंजूर की गई है। द्वितीय वार्षिक मूल्यांकन के पूरा होने पर, पेंशनभोगियों के लिए 1 अप्रैल 1998 से 5% की अतिरिक्त राहत की मंजूरी दी गई है। मंजूर राहत पात्र लाभभोगियों के साथ-साथ गुड़गांव ग्रामीण बैंक से संबद्ध लाभभोगियों को देय है। कर्मचारी पेंशन योजना एक अंशदायी योजना है, जिसके संसाधन सीमित हैं। यदि योजना को अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति से जोड़ा गया तो योजना पर हद से ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा और यह वीमांकन रूप से अपेक्षित नहीं है।

बेरोजगार युवक

4114. श्री जयभद्र सिंह:
श्री होलखोमांग हौकिप:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों विशेषकर उत्तर प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बेरोजगार व्यक्तियों की अनवरित बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर सरकार का विचार देश में कोई नई श्रमोन्मुखी औद्योगिक योजना आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। नौवीं योजना में उच्च बेरोजगारी एवं श्रमिकों के उत्तरोत्तर नैमित्तिकरण को देखते हुए एक राष्ट्रीय रोजगार आश्वासन योजना आरम्भ की गई है। रोजगार में वृद्धि तथा 10 वर्ष की अवधि में कम से कम 100 मिलियन (प्रत्येक वर्ष में 10 मिलियन) रोजगार के अवसरों के सृजन के उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. मोन्टेक सिंह आहलूवालिया की अध्यक्षता में एक श्रम बल का गठन किया गया है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में रोजगार चाहने वालों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	निम्नलिखित के अंत में संख्या हजार में		
		1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3087.5	3206.5	3225.7
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.8	13.7	15.9
3.	असम	1475.0	1489.3	1490.3
4.	बिहार	3351.3	3310.0	3179.9
5.	गोवा	109.0	111.8	106.5
6.	गुजरात	942.3	943.3	936.4
7.	हरियाणा	787.1	820.1	810.5
8.	हिमाचल प्रदेश	718.3	795.4	860.2
9.	जम्मू और कश्मीर	164.7	164.8	162.5
10.	कर्नाटक	1831.6	1812.7	1891.4
11.	केरल	3531.8	3672.1	3883.8
12.	मध्य प्रदेश	2377.4	2547.1	2617.6
13.	महाराष्ट्र	3923.5	4103.1	4181.5

1	2	3	4	5
14.	मणिपुर	318.1	334.7	385.6
15.	मेघालय	34.4	33.4	36.1
16.	मिजोरम	67.9	74.2	93.6
17.	नागालैण्ड	21.7	27.7	35.5
18.	उड़ीसा	977.3	970.9	990.3
19.	पंजाब	580.6	578.8	550.1
20.	राजस्थान	873.8	891.2	840.0
21.	सिक्किम*			
22.	तमिलनाडु	3896.1	4175.8	4367.8
23.	त्रिपुरा	212.5	246.3	285.8
24.	उत्तर प्रदेश	2696.8	2638.5	2585.1
25.	पश्चिम बंगाल	5739.0	5724.7	5601.2
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.0	27.0	27.8
27.	चंडीगढ़	124.7	110.4	105.4
28.	दादरा और नगर हवेली	5.5	6.0	4.1
29.	दिल्ली	1097.4	1128.2	955.3
30.	दमन और दीव	5.5	6.0	6.7
31.	लक्षद्वीप	8.8	9.3	9.7
32.	पाण्डिचेरी	144.5	116.6	129.0
	योग	39139.9	40089.6	40371.4

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।
हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

[हिन्दी]

बाल श्रम का उन्मूलन

4115. श्री मोहन रावले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रों में रोजगार की न्यूनतम आयु 14 वर्ष करने हेतु नया विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा विचार कब तक बन जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) परिवार में खेतीबाड़ी करने तथा अपने प्रयोग के लिए उत्पादन करने वाली लघु जोतों के अतिरिक्त सभी व्यवसायों में रोजगार और कार्य में भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित

करने के लिए सरकार का एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कानून के अनुसार ऐसी सभी प्रकार के रोजगारों में भर्ती के लिए सरकार न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करेगी जिनकी प्रवृत्ति या परिस्थितियों से नवयुवकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिकता पर दुष्प्रभाव पड़ता हो।

(ग) प्रस्तावित विधान पर अन्त: मंत्रालयी विचार विमर्श पूरा हो चुका है तथा इस आशय का मसौदा विधेयक शीघ्र ही तैयार किया जायेगा।

पत्थर खादान में कार्यरत श्रमिक

4116. **श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश भर की पत्थर खादानों में मंदी का दौर चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, हाल के वर्षों में पत्थर उत्पादन में गिरावट तथा इस क्षेत्र में मंदी के कारण, रोजगार छिन जाने के कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर सरकारी संगठनों हेतु न्यूनतम मजदूरी

4117. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गैर सरकारी संगठन अपने कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करते हैं;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाया गया है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों की आय में अंतर बढ़ जाएगा;

(ग) सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार अपने अपने क्षेत्र के सभी अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा संशोधन हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों समुचित सरकारें हैं। तदनुसार, अनुसूचित नियोजनों में जुड़े कामगारों की न्यूनतम मजदूरी को समय-समय पर निर्धारित व संशोधित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन केन्द्र व राज्य सरकारों दोनों के प्रवर्तन तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। अधिनियम के तहत, इन अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा वे नियमित रूप में निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान होने या न होने का मामला पाए जाने पर उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

वेतन आयोगों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वेतन/मजदूरी का निर्धारण व संशोधन स्वतंत्र रूप से होता है। वेतन आयोगों का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन की अनुशंसा के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जबकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन केन्द्र व राज्य क्षेत्र के अनुसूचित नियोजनों के कामगारों के लिए किया जाता है।

सी.बी.आई. को शक्तियाँ

4118. **श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "संघीय अपराधों" की अवधारणा को बढ़ावा देने का है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय जांच ब्यूरो बिना राज्यों की अनुमति के स्वत: कुछ विशेष अपराधों की जांच कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्पूर्ण सभा से अनुरोध करता हूं। कल हमने कार्यमंत्रणा समिति में निर्णय लिया था कि प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात् हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव समाप्त करेंगे जहाँ प्रधानमंत्री के उत्तर पर प्रतिपक्ष के नेता अपना भाषण देंगी। लेकिन, महोदय, सांस संबंधी संक्रमण और हल्के बुखार के कारण उनके गले में दर्द है। इसलिए, उन्हें पूरा आराम करने की सलाह दी गई है इस प्रकार, वे आज उत्तर देने के लिए सभा में नहीं आ सकते। अत: मैं सभा से प्रतिपक्ष की नेता के भाषण और प्रधान मंत्री के उत्तर को अगले सप्ताह तक स्थगित करने का अनुरोध करता हूँ। जैसे ही वे स्वस्थ होंगे वे सभा में वापस आएंगे और निश्चित तारीख तय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति में इस बात की सहमति हो गई है कि कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण पूरा करने के पश्चात् केवल प्रतिपक्ष की नेता के भाषण और माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उत्तर आज प्रश्न काल के पश्चात् दिए जाएंगे। चूंकि प्रधान मंत्री अस्वस्थ हैं, इसलिए श्रीमती सोनिया गाँधी का भाषण और श्री अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तर सोमवार 24 अप्रैल, 2000 को प्रश्न काल के पश्चात् दिया जाएगा। मुझे आशा है सभा इस अनुरोध पर सहमत होगी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, हम आपकी बात से सहमत हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि इसे 24 अप्रैल की जगह 25 अप्रैल को किया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत हो तो 25 अप्रैल 2000 को यह कार्य किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है इस पर सबकी सहमति है। इस पर 25 अप्रैल, 2000 को कार्यवाही की जाएगी।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

श्रम मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष महोदय, जून 1998 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 86वें सत्र में स्वीकृत लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य शर्तों के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश संख्या 189 पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1620/2000]

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1)(एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1621/2000]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

[हिन्दी]

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें)

संशोधन नियम, 2000 जो 3 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 86(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और अन्य सदस्यों के दुर्व्यवहार अथवा असमर्थता की जांच के लिए प्रक्रिया) नियम, 2000 जो 7 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 91(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह "क" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 जो 23 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 154(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2000 जो 14 मार्च, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 244(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1622/2000]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री संतोष कुमार गंगवार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

[हिन्दी]

नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

नौवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 48, दूसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1623/2000]

(दो) विवरण संख्या 40, तीसरा सत्र, 1990

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1624/2000]

दसवीं लोक सभा

(तीन) विवरण संख्या 40, तीसरा सत्र, 1992

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1625/2000]

(चार) विवरण संख्या 32, सातवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1626/2000]

(पांच) विवरण संख्या 26, ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1627/2000]

(छः) विवरण संख्या 23, बारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1628/2000]

(सात) विवरण संख्या 23, तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1629/2000]

(आठ) विवरण संख्या 20, चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1630/2000]

(नौ) विवरण संख्या 16, पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1631/2000]

(दस) विवरण संख्या 14, सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1632/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

(ग्यारह) विवरण संख्या 15, दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1633/2000]

(बारह) विवरण संख्या 14, तीसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1634/2000]

(तेरह) विवरण संख्या 13, चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1635/2000]

(चौदह) विवरण संख्या 11, पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1636/2000]

(पन्द्रह) विवरण संख्या 10, छठा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1637/2000]

बारहवीं लोक सभा

(सोलह) विवरण संख्या 9, दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1638/2000]

(सत्रह) विवरण संख्या 6, तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1639/2000]

(अठारह) विवरण संख्या 5 चौथा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1640/2000]

तेरहवीं लोक सभा

(उन्नीस) विवरण संख्या 2, दूसरा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1641/2000]

(बीस) विवरण संख्या 1, तीसरा सत्र, 2000

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1642/2000]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव): मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 182(अ) जो 29 फरवरी, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो यूरिया, जस्तायुक्त यूरिया और अमोनिया (एनहाइड्रस) की कीमत के नियतन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1643/2000]

अपराह्न 12.05 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 17 अप्रैल, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित खाद्य निगम संशोधन विधेयक 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 17 अप्रैल, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियाँ) निरसन विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं 17 अप्रैल, 2000 को राज्य सभा द्वारा पारित खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 और गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियाँ) निरसन विधेयक, 2000 भी सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.06 बजे

गैर सरकारी सदस्यों को विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद (लक्षद्वीप): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.06½ बजे

कार्यमंत्रणा समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 12.07 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

छठा, सातवां, आठवां, चौथा और इसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम (तंजावूर): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(4) कृषि मंत्रालय (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(5) जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 1999-2000 के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) 'उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान' विषय से संबंधित समिति के चौथे प्रतिवेदन (12वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन; और

(3) रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के संबंध में समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

उनसठवां, साठवां और इकसठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

1. गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी उनसठवां प्रतिवेदन।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी साठवां प्रतिवेदन; और

3. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी इकसठवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08$^{1}/_{2}$ बजे

परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति

इकतालीसवां, बयालीसवां और तैंतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मैं क्रमश: पर्यटन, नागर विमानन और जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) के बारे में परिवहन और पर्यटन संबंधी स्थायी समिति के इक्तालीसवें, बयालीसवें और तैतालीसवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बिजली-पानी के सवाल पर पूछ लिया था?

अध्यक्ष महोदय: जवाब दे दिया था।

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो ऑवर में एक दुखद मामले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं। हमारे सदस्यगणों ने बहुत ही भावुक होकर जामिया मिलिया के मामले को कल सदन में उठाया था। यह बड़े अफसोस की बात है और हम सब इसकी निन्दा करते हैं। जबकि विद्यार्थियों पर इतनी भारी ज्यादती हुई है, फिर भी सरकार की इस पर न कोई प्रतिक्रिया है और न सरकार ने कोई वक्तव्य देने की घोषणा की है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमारे सदस्यों को आश्वासन दिया था कि वे उनकी भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचायेंगे। लेकिन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वह वक्तव्य देंगे, क्या उस स्थिति के बारे में जानकारी देंगे, क्या ससंदीय कार्य मंत्री इस बारे में फिर से बतायेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, सिंधिया जी का उत्तरार्द्ध वक्तव्य सही नहीं है, रिकार्ड देखा जा सकता है। मैंने कहा था कि मैं सदस्यों की भावनाओं को गृह मंत्री जी से अवगत करूंगा और उसी समय लिख कर उनकी भावनायें अवगत कराई। आप आगे मांग कर सकते हैं लेकिन मैंने सदन से कोई वायदा करके उसकी वायदा-खिलाफी की है, यह सच नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया: मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी याद दिलाना चाहता हूं कि आज आप ट्रेजेरी बैंचेज पर बैठे हैं तो महत्वपूर्ण विषय आते हैं और जब आप कहते हैं कि आपकी भावनाओं को पूरी तरह से गृहमंत्री तक पहुंचाऊंगा तो यह माना जाता है कि इस गंभीर विषय पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी। ठीक है, आपने शब्द इस्तेमाल नहीं किये होंगे परन्तु जो आपने भावना व्यक्त की है, उसका संकेत यही है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को बुरी तरह से पीटा गया और यहां तक कि मस्जिद के इमाम को भी नहीं बख्शा गया।

जो लोग मस्जिद में नमाज कर रहे थे, उन्हें अंदर घुसकर, बाहर निकालकर पीटा गया, जबकि हॉस्टल में घुसकर विद्यार्थियों को बाहर खींचा गया, जबकि विद्यार्थियों को दूसरी मंजिल से पुलिस द्वारा फेंका गया। जबकि ये सब कार्यवाही और गतिविधियां चल रही थीं, उस समय साम्प्रदायिक रंग के और भारत विरोधी रंग के आरोप जामिया मिलिया के विद्यार्थियों के ऊपर लगाये जा रहे थे। सर, यह ट्रेजरी बैंचिज का एक रवैया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक रवैया है, सोचने की प्रवृत्ति है और यह पैटर्न पूरी तरह से दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेन्सीज में प्रतिबिम्बित हो रहा है। यह इनकी सोच का प्रतिबिम्ब है। यह एक तानाशाही और फासिस्ट तरीका है। इसलिए मैं डिमांड करना चाह रहा हूँ। विद्यार्थी आज भी धरने पर बैठे हैं। लोकतंत्र में इस तरह का आक्रमण इन्नोसेंट लोगों पर हो और उसकी कोई जवाबदारी सरकार न ले, उसका कोई जवाब न दे, यह हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यह लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता। इसलिए दिल्ली पुलिस ने इन्नोसेन्ट स्टूडेंट्स के ऊपर जो चार्जेज फ्रेम किये हैं वे ड्रॉप किये जाएं, जूडीशल इंक्वायरी हो, पुलिस अत्याचार... दोषी अधिकारियों को दंडित करना, परिसर से पुलिस को तुरंत वापस बुलाना, जब तक सामान्य स्थिति फिर से न बने, तब तक एग्जामिनेशन को स्थगित किया जाए। हम इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम मांग करते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री हमें बतायें कि सिर्फ यह भावना कृपया महा डाकपाल न बनें। कृपया इसे केवल माननीय गृहमंत्री जी के डाकखाने तक न पहुंचाएं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे मामले इस सभा में पहले भी कई बार उठाए जा चुके हैं। यह उठाये गये थे। सदस्य ने अपने दुख का इजहार किया था। मुझे यकीन है कि कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह महत्व का नहीं है। जिस तरह से नौजवानों की पिटाई हुई है वह किसी भी शासन व्यवस्था के लिए शर्मनाक है। इनके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। सभा की बैठक चल रही है। हमने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि उन्होंने एक लम्बा पत्र लिखने का कष्ट उठाया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार का कार्य पूरा हुआ, और उसके पश्चात कई दिनों के कोई उत्तर नहीं दिया गया।

हमारे अनुसार, वहाँ एक घृणित कार्य हुआ था जो कुछ भी वहाँ हुआ हम उसका पूरा विरोध करते हैं और उसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि वह केवल बयान न दे बल्कि इसके लिए कुछ उपाय करे और देखे कि कम से कम इस देश की राजधानी में तो नागरिक व्यवस्था कायम रहे। मैं श्री माधवराव सिंधिया के बयान का पूरा समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, श्री माधवराव सिंधिया और श्री सोमनाथ चटर्जी साहब ने जिस बात का जिक्र किया है, वहां जो स्टूडेंट्स थे, सचमुच में उनके ऊपर बहुत ज्यादती हुई है। उनमें से जो असली कल्प्रिट थे, जिन्हें पकड़ने जा रहे थे, वे निकल गये, परंतु जो वहां शरीफ, निर्दोष ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अल्वी (अमरोहा): यह गलत है। वे बाहर के लोग थे, वहां के लड़के कल्प्रिट नहीं थे...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने यह कब कहा, मैंने स्टूडेंट्स के लिए नहीं कहा। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनिये, हम भी आपकी बात सुन रहे थे। मैंने छात्र नहीं कहा कृपया मेरी बात सुनिये ...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): आप सुनने देंगे या नहीं सुनने देंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: साहिब सिंह जी, आप बैठ जाइये।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने कब कहा है कि वे स्टूडेंट्स थे, मैंने यही बात कही है कि जिनको पकड़ने के लिए गये थे, वे वहां से भाग गये। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, यह गलत कह रहे हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। श्री अलवी, मैं उन्हें अनुमति दे चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें अनुमति दे चुका हूं। अब आप व्यवधान नहीं डाल सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए कि मैंने उन्हें अनुमति दे दी है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बाद में कह सकते हैं लेकिन अभी नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, अजीब बात हो रही है, मैं इनकी बात का समर्थन कर रहा हूं और ये लोग बिना बात बोले चले जा रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जिन्हें पकड़ने गये थे, वहां जो भी थे, वे स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं कब कह रहा हूं कि वे स्टूडेंट्स थे *...(व्यवधान)* मैंने कब कहा कि वे स्टूडेंट्स थे। वहां कुछ लोगों को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई और वे वहां नहीं मिले तो वहां जिस तरह से निर्दोष छात्रों पर कार्रवाई की गई, वह निहायत गलत है, बहुत लज्जाजनक है और वहां जिस तरह से निर्दोष छात्रों को पीटा गया, जिस तरह से होस्टल में घुसकर उन्हें मारा गया, वह गलत है। वाइस चांसलर ने कहा है कि उन्होंने परमीशन नहीं दी थी, बिना परमीशन के किसी भी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि इस बारे में निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की जा रही है। परंतु जो विद्यार्थी निर्दोष हैं, उन पर केसिज को विदड्रा करना चाहिए और जिस-जिसने भी वहां ज्यादती की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, छात्रों पर ऐसे अत्याचार किए गए हैं, एक मस्जिद के इमाम को यातनाएं दी गई हैं और इन सब बातों के बावजूद, सरकार कोई बयान देने जा रही है *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, सरकार को बयान देना चाहिए, घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, जामिया मिलिया इस्लामिया में जो निहत्थे और निर्दोष छात्रों पर जुल्म ढहाया गया, इसकी कड़ी निन्दा करता है। माननीय मल्होत्रा जी ने भी उसकी निन्दा की है। दो बातें हैं कि एक तो संसदीय कार्य मंत्री जी कभी-कभी तो जब हम कहते हैं कि जवाब देना है, फलां विभाग को देना चाहिए, तब कहते हैं कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और अब आप गृह मंत्री जी पर बात टालते हैं। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं और संसदीय कार्य प्रणाली के विद्वान हैं। असेम्बली से लेकर यहां तक कभी परंपरा नहीं रही है कि संसदीय कार्य मंत्री कहें कि मैं संबंधित मंत्री को आपकी भावनाएं पहुंचा दूंगा। हम लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं। संसदीय कार्य मंत्री पूरी तरह से प्रधान मंत्री जी की जगह काम करता है और उनकी तरफ से जवाब देता है। आप अपनी जिम्मेदारी से न हटकर तत्काल इस पर जवाब दें और इसको गृह मंत्री जी पर नहीं टालें। दूसरा आपने देखा है कि आपके जिम्मेदार, केवल माननीय सदस्य नहीं हैं, नेता भी हैं जो छात्रों के जुल्म पर पुलिस को जिम्मेदार मानते हैं उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है तो तत्काल जो निर्दोष छात्र हैं, उनको रिहा करने की मांग की है। उन पर जितने मुकदमे हैं उनको वापिस करना चाहिए और आपको इसकी घोषणा यहां सदन में करनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या तर्क चाहिए? दूसरी बात है कि जो छात्र परीक्षाएं दे रहे थे, परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए थे, अध्ययन कर रहे थे, उन छात्रों को खींच कर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। इतने जुल्म हों, उसके बाद भी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जैसे वकीलों पर जुल्म हुआ तो आपने तो उसको गंभीरता से लिया लेकिन सरकार ने नहीं लिया। हमने यह भी कहा कि कानून मंत्री भी हैं। हाई कोर्ट कुछ भी फैसला करे लेकिन सवाल यह है कि पुलिस ने जुल्म किया है। क्या हाई कोर्ट ने फैसला किया कि पुलिस ने जुल्म नहीं किया है। कांस्टेबल को आप मुअत्तिल करेंगे और बड़े अधिकारियों को बचाएंगे? छात्रों पर, निहत्थे निर्दोष लोगों पर कभी भी अन्याय, अत्याचार और लाठीचार्ज या आश्रु गैस एवं गोली से हमला नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम भी छात्र जीवन में आंदोलन

[श्री मुलायम सिंह यादव]

करते थे, लेकिन पुलिस कभी भी सिर में लाठी नहीं मारती थी। सिर में लाठी मारने का मतलब है छात्रों की हत्या करने का प्रयास। उन छात्रों पर जितने मुकदमे हैं, उनको वापस लिया जाए और जितने दोषी पुलिस अधिकारी हैं, उनको हथकड़ी डाल कर जेल भेजा जाए। इससे ज्यादा और कोई सुबूत नहीं मिलेगा जब सभी दल इस बात पर एक हैं, जिम्मेदारी से एक ही बात कह रहे हैं फिर इस पर बहस की आवश्यकता नहीं है। आप मंत्री जी तक भावना मत पहुंचाइए। सीधे-सीधे अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अगर संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे कि भावना पहुंचाएंगे तो क्या वे यहां पर अपनी तस्वीर दिखाने आए हैं। तस्वीर तो उनकी बहुत अच्छी है, वे सुन्दर भी लगते हैं, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुन्दर कार्य करने में अपने को कमजोर साबित कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। सारी संसदीय परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप प्रधान मंत्री की तरफ से पूरे जिम्मेदार हैं। आप सही से जवाब दीजिए। गृह मंत्री जी अगर बीमार हो गए तो क्या हम लगातार इंतजार करते रहेंगे? इस पर आप कहते हैं कि हम सदन चलने नहीं देते हैं। अगर हमारी जायज बात को ि नहीं सुना जायेगा तो हम सदन को कैसे चलने देंगे? हमारी ात को नहीं सुना जायेगा तो यह सदन तब तक नहीं चलेगा जब तक सरकार सही जवाब नहीं देगी।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, जामिया मिलिया हमारे देश की एक बहुत प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था है। इस घटना ने हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों और अल्पसंख्यकों को चिन्तित कर दिया है।

महोदय, हम स्पष्ट रूप से मांग करते हैं कि जो छात्र अभी भी जेलों में हैं उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाना चाहिए। हम यह भी मांग करते हैं कि माननीय गृहमंत्री जी को सदन में आकर इस पर बायन देना चाहिए। विश्वविद्यालय को परीक्षाएं आयोजित करनी है लेकिन वहाँ हर काम रुक गया है। अत: जो पुलिस अधिकारी इस सब के लिए वास्तविक रूप से दोषी हैं और जिन्होंने छात्रों को निर्दयता से पीटा है—इस घटना की सभा के सभी पक्षों ने और हर तरफ से निंदा हुई है... दोषियों के साथ कठोरता से पेश आना होगा। दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए और बिना किसी विलम्ब के जांच की जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, आप इस मामले को कल उठा चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, मैं केवल दो वाक्य कहना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दें *...(व्यवधान)* सरकार को बयान देना ही होगा कि क्या कार्यवाही की जा रही है। सरकार उदासीन है। *...(व्यवधान)* छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं। कृपया इसे समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सरकार को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है लेकिन आप सरकार को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस बदनाम हो गई *...(व्यवधान)* वकीलों को पीटा गया, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में छात्रों को पीटा गया। *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी यहां पर आ चुके हैं। वे हमें अभी आश्वासन दे दें कि कब वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): ठीक है।

श्री माधवराव सिंधिया: क्या अभी देंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ठीक है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: झूठे मामले वापस लीजिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्री बनातवाला को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं अन्य सभी सदस्यों से अपना-अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन करता हूँ।

...(व्यवधान)

श्री जी.एम. बनातवाला: अध्यक्ष महोदय, जामिया मिलिया के निर्दोष छात्रों के विरुद्ध एक बहुत कठोर पुलिस कार्यवाही की गई है। उनकी मांगें बहुत उचित हैं... न्यायिक जांच कराई जाए, झूठे पुलिस मामले तुरंत वापस लिए जाएं, और बिना पूर्व चेतावनी के किए गए इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

महोदय, मैंने उस स्थल का दौरा किया था। वहाँ दिल को दहला देने वाला मंजर था। जब मैंने वहाँ का दृश्य देखा तो मेरे जैसे ठंडे दिमाग वाले, शांत व्यक्ति, मेरे जैसे कानून के नियमों पर विश्वास करने वाले व्यक्ति, मेरे जैसे शांति और शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति ने भी यह महसूस किया कि मुझे भी इस प्रकार कानून के नियमों को तोड़ने वालों के विरुद्ध आतंकवादी बन जाना चाहिए। महोदय, ऐसी स्थिति है और यहाँ, सरकार ने उस स्थिति पर, जैसा भी हो, कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में उच्च न्यायालय ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा है। इसी प्रकार यहाँ भी, उन्हें नियमों के आधार पर, न्यायालय की उसी सोच को ध्यान में रखते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और झूठे मामले वापस लिए जाने चाहिए।

महोदय, अब सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाना चाहिए। छात्र भूख हड़ताल पर हैं। सरकार जो भी कार्यवाही कर रही है उसे उस पर वक्तव्य देना चाहिए और छात्रों से उनकी भूख हड़ताल वापस लेने की अपील करनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए, आप मंत्री महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): मान्यवर अध्यक्ष जी, जामिया मिलिया के विद्यार्थियों के संदर्भ में जो विषय आज यहां उठाया गया है, उस बारे में कई विद्यार्थियों के ग्रुप मुझसे मिले हैं, दिल्ली की मुख्य मंत्री मुझसे मिली हैं, जामिया मिलिया के वाइस-चांसलर भी मुझे मिले हैं, मेरी अपनी पार्टी के सरकार में प्रतिनिधि श्री शाह नवाज भी मुझसे मिले हैं। उन सबसे बातचीत करने के बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरैक्टली दिल्ली सरकार के लिए पुलिस के इंचार्ज हैं। उन्होंने मुझे पहला आश्वासन यह दिया कि जब उनका मामला कोर्ट में आयेगा तो सिवाय उनके जिन्होंने किसी हिंसा में भाग लिया होगा, किसी विद्यार्थी की बेल को वे औपोज नहीं करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें समाप्त करने दें। उन्होंने अभी अपना उत्तर पूरा नहीं किया है। कृपया समझिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: दो चीजें प्रमुख रूप से कही गयी हैं कि अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मैजिस्टोरियत इंक्वायरी ऑर्डर की है। आपकी राय है कि ज्यूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि मैजिस्टीरियल इंक्वायरी जल्दी होती है, ज्यूडिशियल इंक्वायरी में समय लगता है। अगर आपकी राय है तो मैं जरूर लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करके उनको इस दिशा में प्रेरित करूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें पूरा करने दें। यह क्या है? उन्हें पूरा करने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है। यह क्या है? श्री अखिलेश, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लड़कों की जमानत का विरोध नहीं करने का निर्णय लिया है। ...*(व्यवधान)* यह साबित करता है कि लड़कों के साथ ज्यादती की गई है, उन पर फर्जी मुकदमा कायम किया गया है। ...*(व्यवधान)* इसलिए माननीय गृह मंत्री जी सदन में फर्जी मुकदमा वापिस लेने की घोषणा करें। ..*(व्यवधान)* उसके बाद न्यायिक जांच हो।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह निर्देश भी दिया है कि आखिर इन दिनों विद्यार्थियों की परीक्षायें होनी वाली हैं और परीक्षा के समय में इतने लोग जेलों में रहें या उनके ऊपर मुकदमा चले, यह कोई ठीक बात नहीं है। इसलिए सिवाय उनके जिनके खिलाफ कोई हिंसा या अनलाइसैन्स्ड हथियार होने का कोई आरोप हो, बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमे वापिस लेने की दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार के केसेस में उन ऐक्यूज्ड को ऐप्लीकेशन्स करनी होती हैं और वह भी वाइस-चांसलर को पूरा एक्सप्लेन किया गया कि इस-इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाने से ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): ये प्रक्रिया का विवरण दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं पहले ही यह कह चुका हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी माननीय मंत्री जी कहेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यही प्रक्रिया है और इसका पालन करना ही पड़ता है। मैंने उपराज्यपाल महोदय को सलाह दी है कि ऐसे अधिकांश मामलों में मामले वापस ले लेने चाहिए। उपराज्यपाल महोदय को यह सलाह दी गई है। प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब डा. बी.बी. रमैया बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अब डा. बी. बी. रमैय्या बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: मैं एक बात पूछना चाहता हूं। पुलिस से स्पष्टीकरण के बारे में क्या विचार है? क्या वे उप कुलपति की अनुमति के बिना विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने के लिए खेद प्रकट करते हुए कोई वक्तव्य देने जा रहे हैं? वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वे खेद प्रकट करने वाला कोई आवेदन दे रहे हैं या नहीं?

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि जब किसी जांच के आदेश दे दिये जाते हैं तो जब तक उस जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ऐसे मामले में कार्यवाही नहीं की जा सकती ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी डा. बी.बी. रमैया बोलेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डा. बी.बी. रमैया (एलूरु): महोदय, अभी हाल ही में नारियल की कीमतों में भारी गिरावट आई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय ने अभी समाप्त नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिए। आप मंत्री महोदय को भी उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री रमैया, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अहमद, अपना स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: माननीय गृह मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि जिसने क्राइम को परपेट्रेट किया है, बिना इजाजत यूनिवर्सिटी कैम्पस में पुलिस ने प्रवेश कैसे किया। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस को इन्नोसेंट, मासूम और निर्दोष लोग एप्लीकेशन दें, तब तो यह बहुत अपमानजनक है। पहले तो उनकी पिटाई हो, पुलिस उन्हें डंडे मारे, उन्हें डंडे मारने के बाद जिसने डंडे मारे, उनके सामने एप्लीकेशन रखी जाये, यह बहुत अपमानजनक है। इससे मैं नहीं समझता कि किसी का आत्मसम्मान रहेगा। वे केसेज विथड्रा होने चाहिए। जो इन्नोसेंट स्टूडेंट्स के खिलाफ केसेज हैं, वे केसेज विथड्रा होने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: और, महोदय, मामले के गुण-दोष का निर्धारण कौन करेगा? ...*(व्यवधान)* इस मामले को एक संसदीय समिति द्वारा देखा जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझिये आप मामले को अनावश्यक रूप से तूल रहे हैं। जब मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं। आप मामले को तूल दे रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री माधवराय सिंधिया: इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन दोषी है और कौन नहीं? जिन्होंने डंडे मारे हैं, वे तय करेंगे? इनके जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मेरा अनुरोध है कि गृह मंत्री जी को उत्तर देने दिया जाए। यदि उनके और प्रश्न होंगे, वे उनका भी उत्तर देंगे। इस प्रकार चिल्लाने का क्या मतलब है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय आगे उत्तर दे रहे हैं परंतु आप उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: ये साथ-साथ उत्तर दे सकते हैं महोदय। हम यह कह रहे हैं कि छात्रों के विरुद्ध मुकदमे चलाने या उन्हें जेल में डाले रखने से मजिस्ट्रेट द्वारा जांच या न्यायिक जांच कराए जाने का कोई संबंध नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं सहमत हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए, चाहे किसी भी प्रकार की जांच कराई जाए, हम यह मांग करते हैं कि छात्रों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और उनके विरुद्ध मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। यदि इसमें और कुछ बाकि बचता है तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन तब तक आप उन्हें केवल अंदेशे के आधार पर बंदी बनाकर नहीं रख सकते। जिस तरह ये सभी बातें घटित हुई हैं उनको छोड़कर—मैं उन सबको दोहराने नहीं जा रहा—प्रत्येक व्यक्ति उसके प्रति अपनी घृणा का इजहार कर रहा है लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने पुलिस के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा है। इन्होंने इस घटना की निन्दा में एक शब्द भी नहीं कहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार को इस पटना की निंदा करनी चाहिए। इसे बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे इसे उप राज्यपाल पर न छोड़ें। उनके पास पर्याप्त अधिकार हैं, उनसे तो कहीं अधिक हैं। उन्हें कृपया खुद यह देखना चाहिए कि वे लड़के आज ही रिहा हो जायें। दुर्भाग्यवश, जब वे कल दुबारा अपा विरोध दर्ज कराने पहुंचे तो उन्हें फिर से पीटा गया। आज भी यही हुआ। यह क्या है? क्या यह जामिया मिलिया के छात्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है? इसलिए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि यहीं अभी घोषणा करें—उनके पास अधिकार हैं कि उन्हें आज ही रिहा किया जाएगा और उनके विरुद्ध दर्ज सारे मामले वापस लिये जायेंगे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, मैं पूरे विपक्ष द्वारा की गई मांग का महत्व समझता हूँ। मैं उप राज्यपाल महोदय को निर्देश दूँगा और देखूँगा कि हिंसा या बिना लाइसेंस वाले हथियार रखने के मामलों के अलावा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा)**:** हम सरकार से कुछ नहीं सुनने जा रहे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप माननीय मंत्री जी को सुनना चाहते हैं? जब आपने मामला उठाया तो वे सुन रहे थे। जब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो आप उन्हें नहीं सुन रहे? यह कहा है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, मैं पूरे विपक्ष की ओर से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले पर पुनर्विचार करें और छात्रों को रिहा *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। हम इसके विरोध में सदन से बाहर जा रहे हैं।

अपराह्न 12.36 बजे

(तत्पश्चात् श्रीमती सोनिया गांधी और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, उत्तर से संतुष्ट न होने के कारण हम सदन का बहिष्कार कर रहे हैं।

अपराह्न 2.36 बजे

(तत्पश्चात्, श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न $2.36^{1}/_{2}$ बजे

(तत्पश्चात्, श्री इन्द्रजीत गुप्त और कुछ अन्य माननीय संसद सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

अपराह्न 12.36½ बजे

(तत्पश्चात, श्री जी.एम. बनातवाला सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, इतने निवेदनों के बावजूद सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

अपराह्न 12.37 बजे

(तत्पश्चात् श्री पी.सी. थामस सभा भवन से बाहर चले गये)

अपराह्न 12.37 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 12.37 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम गृह मंत्री जी भाषण सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह कहां तक उचित है जब आप न्यायिक या मजिस्ट्रेट की जांच कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष साबित हो जाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा...*(व्यवधान)* किन छात्रों के पास हथियार थे, अगर पुलिस के माध्यम से जांच होगी तो आप भी उसके भुक्तभोगी हैं, हम भी हैं। इसलिए गृह मंत्री जी इसको गंभीरता से लीजिए और विद्यार्थियों को बिना किसी शर्त के तत्काल रिहा कीजिए। उप राज्यपाल पर इसे न छोड़ें, उन पर छोड़ना अनुचित होगा। ये छात्र निहत्थे निर्दोष थे। हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और उनके ऊपर बनाए गए फर्जी मुकदमे वापिस लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब डा. बी.बी. रमैया बोलेंगे।

डा. बी.बी. रमैया: महोदय, अभी हाल ही में नारियल की कीमतों में भारी गिरावट आई है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह जी, जब आप मामला उठा रहे थे तो वे सुन रहे थे। लेकिन जब वे उत्तर देने जा रहे हैं तो आप नहीं सुन रहे हैं। यह क्या व्यवस्था है? यह मेरी समझ में नहीं आता। बहुत हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हम पर नाराज न हों, नाराज उन पर हों जो शोर मचाते हैं। हम राय दे रहे हैं कि विद्यार्थियों के साथ यह परम्परा कभी नहीं रही है। हम लोग भी सरकार में रहे हैं, निर्दोष छात्रों के मुकदमे वापस लिए गए हैं। विश्वविद्यालय में बाहर के लोग आए थे। आपके दल के वरिष्ठ नेता सीनियर लीडर मल्होत्रा जी ने भी कहा है कि वे दोषी अपराधी थे, उनको पुलिस पकड़ने गई थी। वे भाग गए और अपने हथियार छोड़ गए।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, अब समाप्त करें। यह कोई डिसीप्लिन नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव: छात्रों के ये केस वापिस करें।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: जितनी मांगें वाइस चांसलर ने मांगी, आडवाणी जी ने उनको मानने का यहां आश्वासन दिया है। उसके बाद भी ये लोग वाकआउट कर रहे हैं। अगर इनको अपने स्कोर सैटल करने थे तो इनकी विद्यार्थियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, सिवाय यहां हंगामा करने के। मुझ से भी विद्यार्थी मिले थे। विद्यार्थियों ने, वाइस-चांसलर ने जितनी मांगें रखीं ...*(व्यवधान)* उन्होंने तीन मांगें रखीं ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आप गृह मंत्री को देख कर बदल गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच कराएं, आडवाणी जी ने कहा कि मैं तैयार हूं। अगर विपक्ष चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवा सकता हूं, लेकिन अब ये इससे भी भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी विद्यार्थी निर्दोष हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव: गृह मंत्री जी जवाब देंगे या ये ही बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय: वे भी बोलेंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: जो भी विद्यार्थी निर्दोष हैं, उनके केस वापस लेने का उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन अगर किसी के पास कट्टा निकल आए, रिवाल्वर निकल आए तो उसका केस कैसे वापस लेंगे, कोर्ट भी नहीं लेगी। इसलिए उन्होंने जितनी मांगें रखी हैं, सबको पूरी करने का आश्वासन दिया है, फिर पता नहीं क्यों ये वाकआउट कर रहे हैं, समझ में नहीं आता।

श्री राशिद अलवी: स्पीकर सर, मैं भी एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा। महोदय, माननीय गृह मंत्री को बिना शर्त क्षमा याचना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। इस सदन में इस प्रकार व्यवहार उचित नहीं है। यह क्या है? कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, यह क्या है? आप इस बात को बार-बार उठा रहे हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठिए। आप हर बार सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आप मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं, यह उचित तरीका नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ दिन पहले हुई और उसके बाद से कई विद्यार्थी प्रतिनिधि मंडल जामिया मिलिया के मेरे पास आए। इनके साथ सबसे पहले शायद श्री शाहनवाज आए थे और बाद में फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आई थीं तथा परसों ही मेरे पास वाइस चांसलर आए थे। सब लोगों ने जितनी बातें कहीं हैं, प्राय: वे स्वीकार की गई हैं और वे संतुष्ट गए। आज यह पहली बार प्रसंग हुआ है, जहां पर लगता है कि ये तय करके आए हैं कि ऐसा करना है और वैसा करना है तथा उसके आधार पर कर रहे हैं। अन्यथा, मैं आपको कहता हूं कि जुडिशियल एन्क्वायरी मैजिस्टिरियल एन्क्वायरी से ज्यादा स्विफ्ट होती है। लेकिन मैजिस्टिरियल एन्क्वायरी स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महीनों चलेगी, हो जाए, नहीं तो तुरन्त कार्रवाई हो सकती है।

दूसरी बात, निरपराध विद्यार्थियों को छोड़ने का निर्देश दे दिया गया है। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अनुसार चलना होगा। इस प्रक्रिया के बारे में भी कहते हैं कि कैसे आवेदन देंगे। यह सारी बात समझाई गई है। किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन यहां पर आपत्ति उठायी जा रही है, जिस पर मुझे आश्चर्य है। मेरा फिर से निवेदन है कि यह घटना नहीं होनी चाहिए थी। जनवरी की घटना थी, उस संदर्भ में किसी को पकड़ने गए थे। पुलिस का कहना है कि हमने सही आदमी को पकड़ा, जिसको छुड़ाया गया। विद्यार्थियों का कहना है कि वह सही आदमी नहीं था। यह सारा विवाद का विषय है, जिसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकूंगा। बार-बार अदालतें कहती हैं, राजनीतिक नेता हर मामले में, इन्वैस्टिगेशन की स्टेज पर भी, दखलंदाजी करते रहे हैं, यह गलत है। आप लोग उस पर साधारणत: आपत्ति उठाते हैं और आज इस पर आग्रह हो रहा है कि निर्णय आप करें और निर्णय अभी करें। फिर भी सदन की भावनाओं का आदर करते हुए, मैंने कहा है कि मैं जुडिशियल एन्क्वायरी के लिए भी कहूंगा और जितने निरपराध विद्यार्थी हैं, उनको तुरन्त छोड़ने के लिए निर्देश दूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. बोला बुल्ली रमैया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। डा. बी.बी. रमैया।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उत्तर पूरा हो गया है। डा. बी.बी. रमैया।

डा. बी.बी. रमैया: माननीय अध्यक्ष महोदय, नारियल के मूल्य में हाल ही में तेज से गिरावट आई है। नारियल के मूल्य में आई इस गिरावट से नारियल उत्पादकों की कठिनाई और बढ़ गई है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि नारियल के पेड़ को बड़ा होने में काफी समय लगता है। इस प्रकार काफी समय बाद नारियल उत्पादकों को फसल का लाभ मिलता है।

इसके परिणामस्वरूप, किसान के जीवन का एक बड़ा भाग इस फसल को तैयार करने में लग जाता है और अन्त में यदि मूल्य लाभकारी नहीं होते हैं तो किसानों की आशाओं पर तुषारपात हो जाता है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तात में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.43 बजे

(इस समय श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया: पहले ही हम पूर्व के अन्य फसलों में लाभकर मूल्य न मिलने के कारण किसानों को दरपेश अत्यधिक कठिनाईयां देख चुके हैं। नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करके बाजार हस्तक्षेप कार्यनीति बनाना सरकार के लिए आवश्यक है ताकि किसानों को कोई कठोर कदम न उठाना पड़े। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, वह पढ़ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. बोला बुल्ली रमैया, आप शून्य काल के दौरान नहीं पढ़ सकते।

डा. बी.बी. रमैया: महोदय, कृषि मंत्री किसानों को दरपेश कठिनाईयां दूर करने के लिए या तो स्वयं सीधे अथवा नारियल बोर्ड के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप करने की कृपा करें ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: महोदय, किसान समुदाय संबंधी मुद्दे पर मैंने नोटिस भी दिया है। यह एक गम्भीर मुद्दा है। ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, पिछली लोक सभा में, इसी सदन में बहस हुई थी और पूरे सदन ने देश भर में विशेषकर चार अथवा पांच विशेष राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने पर चिन्ता प्रकट की थी। उस समय आपने सरकार को किसानों के लिए अपनी ऋण नीति की समीक्षा करने हेतु चेतावनी दी थी।

अपराह्न 12.44 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

हमने उस समय यहां कहा था कि हम इस सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण 150 किसान खो चुके हैं। महोदय, आंध्र प्रदेश, जहाँ के मेरे साथी, जो मुझसे पहले बोले हैं, में कल ही पांच किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसलिए मैं सरकार और उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि किसानों के लिए ऋण नीति की समीक्षा करने के लिए ही विशेष सत्र निर्धारित किया जाए ताकि पूरा सदन इसका हल ढूंढ़ सके और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या को रोका जा सके। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हेतु और नियम 193 के अंतर्गत भी नोटिस दिए हैं।

मैं इसे उपाध्यक्ष महोदय के विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन यह चर्चा अवश्य होनी चाहिए ताकि किसानों की इस पुरानी समस्या पर सदन में बातचीत हो सके। अन्यथा किसानों के जीवन का दांव पूर्ण रूप से गलत रास्ते पर लग जाएगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): कुछ वस्तुओं का बेरोकटोक आयात होने से किसानों को गम्भीर परेशानी हो रही है।

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): जबकि मैं इस मुद्दे पर श्री राजेश पायलट के विचारों से सहमत हूं लेकिन मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ वह यह मुद्दा नहीं है। तथापि जो श्री राजेश पायलट ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं।

महोदय, मैंने मैच फिक्सिंग के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण सूचना का प्रस्ताव किया है। माननीय गृह मंत्री जी जो स्वयं भी क्रिकेट प्रेमी हैं, यहां विराजमान हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी सूचना का क्या हुआ? प्रतिदिन नई घटनां घट रही हैं। यह कोई राष्ट्रीय मामला नहीं है यह अन्तरराष्ट्रीय मामला बन गया है। बड़े प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तियों के बड़ी संख्या में नाम उछाले जा रहे हैं। मैंने अपनी सूचना में कहा था कि हमें इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करनी चाहिए। खेल मंत्री कुछ बैठकें कर रहे हैं, वे बैठकें निजी हैं अथवा गुप्त, मैं नहीं जानता। अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कुछ बातें बताई हैं और भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने कुछ और बातें बताई हैं। गृह मंत्री जी यहाँ हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या वह इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने का आदेश देने लायक इसे गम्भीर मामला मानते हैं। हमने इस काम में कुछ एजेन्सियों को लगा रहा है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कह रहा है कि यह कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाएगा। दिल्ली पुलिस कह रही है कि वह इसे प्रवर्तन निदेशालय को दे रही हैं। इन मामलों में न केवल मैचों की छलपूर्ण फिक्सिंग हैं, बल्कि विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, आपराधिक सांठगांठ आदि भी है ये सट्टेबाज (बुकीज) कौन हैं? इस घटना में उनकी क्या भूमिका रही है? क्या इनका संबंध नशीले पदार्थों के व्यापार से है गृह मंत्री जी इन प्रश्नों का उत्तर दें। मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर सदन में कोई मतवैभिन्य नहीं है कि इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लंबित जांच तक क्रिकेट

मामलों को सरकार द्वारा नामित निकाय द्वारा अपने हाथ में लिए जाएं क्योंकि वही लोग जिनकी जांच की जा रही है आज ऐसे लोग हैं जो इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे ध्यानाकर्षण सूचना की अनुमति दे रहे हैं अथवा नहीं। दबाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। मेरा आरोप है कि मामले को दबाने की एक बड़ी साजिश हो रही है और हम यहाँ इस बारे में कुछ किए बिना बैठे हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने अपना मुद्दा उठा दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): कमलनाथ जी का कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराई जाती। अगर सीबीआई इंकवायरी हो तो ज्यादा तथ्य सामने आएंगे।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: इन्होंने दो बातों का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि पहली बात बिल्कुल सही है कि देश भर में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं और जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड कवर-अप करने में लगा हुआ है और पहले भी कवर-अप करने की कोशिश करता रहा। *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: आईसीसी भी कवर-अप करने में लगा रहा। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: ये सब करने के लिए इसकी अलग-अलग इंक्वायरियां हो रही हैं। सीबीआई की इंक्वायरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है और गृह मंत्री जी को इस बारे में विचार करना चाहिए। *...(व्यवधान)* सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि सारे मामले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। *...(व्यवधान)* साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का नाम आ गया और अब आस्ट्रेलिया का आ रहा है। *...(व्यवधान)* सीबीआई की इंक्वायरी करवाई जाए। मैं इसके हक में नहीं हूं कि गवर्नमेंट किसी बॉडी को टेकओवर कर ले। जहां तक गवर्नमेंट का इस बॉडी को टेकओवर करने की बात है, अगर यह होना शुरू हो जाएगा *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: मैंने टेकओवर नहीं कहा, मैंने कहा कि जब तक यह इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती तब तक वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जो इसमें भागीदार हैं। *...(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार मल्होत्रा: आपने अपनी बात कह दी, अब मुझे अपनी बात कहने दीजिए। स्पोर्ट्स बॉडीज को गवर्नमेंट का टेकओवर करना या उसके अंदर इंटरफियर करना निहायत गलत बात होगी। *...(व्यवधान)* गवर्नमेंट को इंक्वायरी करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं इस मुद्दे पर डा. विजय कुमार मलहोत्रा का समर्थन करता हूँ। सरकार इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करा सकती है और सरकार बोर्ड के कार्यकरण में दखल दे सकती है।

श्री कमलनाथ: इस मुद्दे पर सदन में पूर्ण सहमति है। गृह मंत्री जी इस पर सहमत क्यों नहीं होते हैं? वह स्वयं क्रिकेट प्रेमी हैं। सदन के दोनों पक्षों के सदस्य भी यही बात कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी यही बात क्यों नहीं कहते ताकि मंत्री जी खड़े हों और कहें कि वह भी इससे सहमत हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): इस मुद्दे पर जो कहा गया है मैं उससे सहमत हूँ। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्षों के बीच एक बैठक कल कलकत्ता में हुई। मैंने प्रेस रिपोर्टों से सुना कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने यह निर्णय केन्द्रीय सरकार के जिम्मे सौंप दिया कि न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए अथवा नहीं।

वे कह रहे हैं कि यदि माननीय मंत्री चाहेंगे तभी चन्द्रचूड़ समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जा सकता है और दूसरी तरफ माननीय मंत्री ने कहा है कि यदि क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड चन्द्रचूड़ समिति की रिपोर्ट को रखने अथवा पटल पर रखने से इंकार करेगा तो सरकार इस मामले को उठाएगी।

महोदय, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को तत्काल उठाए, कोई बयान दे और चन्द्रचूड़ समिति की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखे। यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच, यदि आवश्यक हो, करता है तो हम इसका विरोध नही करते।

श्री कमलनाथ: हर कोई इस बारे में कह रहा है। आप और क्या चाहते हैं? कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं समझता हूं कि यह जो मैच-फिक्सिंग का प्रकरण है उसके कारण देश और विदेश में बहुत से लोग चिंतित हैं और जैसे कमलनाथ जी ने कहा कि मैं भी क्रिकेट

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

का शौकीन हूं। मैं उनकी भावना को समझ सकता हूं। लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहां पर मिनिस्टरी ऑफ स्पोर्ट अलग है और इन दिनों वे इस प्रकरण को देख भी रहे हैं। मैं उनको सलाह दूंगा कि यहां जो बातें हुई हैं उनके संदर्भ में वे यहां आकर कोई न कोई जानकारी सदन को दें। चन्द्रचूड़ रिपोर्ट कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं थी, वह बी.सी.सी.आई. की रिपोर्ट थी। उसको भी सार्वजनिक करना उचित होगा और अभी जो प्रकरण हुआ है, अगर उसमें भारत के लोग हैं तो उसकी भी जानकारी होनी चाहिए और उस दिशा में जो भी जांच करना उचित हो, वह जांच करनी चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उन्होंने तो बैटिंग को भी लीगलाइज करने की बात कही है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: नहीं, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: खेल मंत्रालय इससे संबंधित मंत्रालय है। आप इसे जारी रखिए और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराइए *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: केन्द्रीय जांच ब्यूरो गृह मंत्रालय नहीं है। किसी न किसी रूप में खेल मंत्रालय इससे निपट रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: तब तो श्रीमती वसुंधरा राजे खड़ी हों और कहें *...(व्यवधान)* हम नहीं जानते कि सरकार में क्या आ रहा है *...(व्यवधान)* वह कहते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके मंत्रालय में नहीं आता है। क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो खाद्य मंत्रालय के तहत आता है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि यह मामला उनके मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस देश का दुर्भाग्य है कि किसानों के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति क्रिकेट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ: कौन किसके अंतर्गत है? *...(व्यवधान)* क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो उनके मंत्रालय के तहत नहीं आता है? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री की बात सुनी जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने कहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कह दूंगा।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: आप सी.बी.आई. से जांच कराने की स्वीकृति तो दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: देखिये, होम-मिनिस्टर ने कहा है कि कन्सर्न मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: हम जानते हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सभासदों, मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा): महोदय, मैं अलग मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। *...(व्यवधान)* बड़े दुःख की बात है कि आप भी क्रिकेट की बात पर खड़े हो गये। मैंने फार्मर्स के सुसाइड की बात कही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। पांच किसानों ने आत्महत्या की है और सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है। मैं जानता हूँ, क्रिकेट हर एक चीज पर हावी हो गई है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन किसानों के बारे में क्या किया जा रहा है। किसानों ने आत्महत्या कर ली है लेकिन सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है *...(व्यवधान)* क्रिकेट पर शोर मच रहा है। हद हो गयी है, देश में क्या हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: सर, प्राथमिकता के आधार पर माननीय राजेश पायलट जी ने किसानों की क्रैडिट समस्या के बारे में जो कहा है, मैं समझता हूं कि उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी मंशा ठीक है।

जहां तक सरकार का सवाल है, अगर आप कोई भी समय तय कर लें तो उस पर बहस हो सकती है और सरकार बहस

कराने के लिए तैयार है। अभी क्रैडिट पॉलिसी पर तुरन्त जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री राजेश पायलट: यह मेरा आर्ग्यूमैंट नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि हम एक साल से चेतावनी दे रहे हैं कि आपकी पॉलिसी एंटी फार्मर्स है। आप उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं?

श्री प्रमोद महाजन: हमारी पालिसी एंटी फार्मर्स नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट: हम कह रहे हैं कि वह है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: आप तो यही कहेंगे।

श्री राजेश पायलट: फिर इस विषय पर यहाँ बहस हो कि आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं?

[अनुवाद]

लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप किसानों के प्रति सरकार के नीतिगत रवैये की बात करते हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रमोद महाजन: दुर्भाग्यवश, कई राज्यों में आत्महत्याएं हुई हैं। इन राज्यों में मेरी पार्टी से लेकर आपकी पार्टी सहित विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें हैं। अत: इसे राजनैतिक मुद्दा न बनाएं। आपकी चिंता जायज है परन्तु जब तक सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कार्यमंत्रणा समिति इस पर चर्चा के लिए समय निकाले। हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री राजेश पायलट: कृपया, माननीय मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दें, मैं इन्हें सुनना चाहता हूँ।

श्री प्रमोद महाजन: श्री कमलनाथ द्वारा उठाए गए दूसरे मुद्दे पर मैं खेल मंत्री से कल वक्तव्य देने के लिए कहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री वक्तव्य दें।

श्री प्रमोद महाजन: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए मेरी सहमति आवश्यक नहीं है। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है या स्वप्रेरित वक्तव्य। यह काम मैं अध्यक्षपीठ के लिए छोड़ता हूँ कि वे निर्देश दें। हमें कोई दिक्कत नहीं है। *...(व्यवधान)* सही ही कहा गया है कि इस मुद्दे को सर्वप्रथम सुविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी श्री कीर्ति झा आजाद ने ही दो दिन पहले उठाया था। इसीलिए मैंने कहा था कि खेल मंत्री कल वक्तव्य देंगे। इसमें यहाँ की गई सभी माँगें शामिल होंगी। देखते हैं क्या होता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

फैसला बहस के बाद होगा। बहस से पहले कैसे हो सकता है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में एक माननीय सदस्य श्री रूडी जी के ऊपर किसी के हमले का जिक्र किया गया था। मैंने उसकी जांच करवाई और पाया कि यह बात सही है कि 16 अप्रैल को वह अपनी कार में जा रहे थे। उनके पर्सनल सिक्योरिटी आफिसर साथ में थे। पीछे से टाटा सूमो उनसे टकरा गई और उसने भागने की कोशिश की। रूडी जी के ड्राइवर ने अपनी कार से उनको फॉलो किया। हुमायूंपुर विलेज में जाकर उनको पकड़ा। उसके बाद टाटा सूमो के ड्राइवर ने उस पी.एस.ओ. और रूडी जी पर भी हमला किया। गांव के कुछ लोग आ गए उन्होंने उनका साथ दिया। कल इस बात का जिक्र यहां हुआ था। बाद में जब जांच की गई तो पता लगा कि टाटा सूमो का ड्राइवर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल था। उसे अरैस्ट किया गया है, सस्पैंड किया गया है और जांच जारी है। दूसरे लोग तो गांव के लोग थे। उनकी आईडैंटिटी अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई है लेकिन इस मामले में जांच की जा रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कल भी यहाँ एक मोबाइल फोन मिला था। जो भी यहाँ मोबाइल फोन लाना चाहते हों उनसे मेरा अनुरोध है कि सदन में आने से पहले ही फोन को बंद कर दें। यदि यहाँ कोई फोन पाया गया तो हम उसे जब्त कर लेंगे और फोन वापिस भी नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): जनाबेवाला, मैं आपके तवस्सुद से इस ऐवान के सामने एक अहम बात लाना चाहता हूं और वह यह है कि 25 मार्च को अनन्तनाग जिले के चट्टीसिंहपुरा में मिलिटैंट्स ने लगभग 40 सिखों को मारा। वहां एक इंसानियतसोज हरकत हुई जिससे सारे मुल्क में दुख की लहर दौड़ी। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सिज ने बहुत जल्दी ऐलान किया कि हमने पांच पाकिस्तानी मिलिटैंट्स पकड़ लिए और उनको मार दिया। इस बात को टेलीविजन में भी दिखाया गया। हमने भी देखा। आपने भी देखा होगा। बाद में पता चला कि वे लोकल आदमी थे जिन को फेक एनकाउंटर दिखा कर मारा गया।

[श्री अली मोहम्मद नायक]

अपराह्न 1.00 बजे

उसका नतीजा यह हुआ कि सारे अनंतनाग जिले में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला जो यह मतालबा कर रहे थे कि हमें इन लोगों की शक्लें दिखायी जायें। फिर उन लोगों पर फायरिंग हुई जिसमें 8 आदमी मारे गये। यह ठीक है कि हमारी सिक्यूरिटी फोर्सेज को अपने लोगों को, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, नहीं मारना चाहिए। जब वहां सिक्ख भाई मारे गये तो सारी गवर्नमेंट, पौलिटिकल पार्टीज के लीडर्ज अनंतनाग गये लेकिन जब मुसलमान मारे गये तो एक भी लीडर वहां नहीं गया और न ही कोई स्टेटमेंट आया। हालांकि लोकल गवर्नमेंट ने पुलिस के उन अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। मैं हुकूमते हिन्दुस्तान से यह जानना चाहता हूं कि जिन आर्मी वालों ने यह कहा कि हमने पार के मिलिटेंट्स को मारा है, तो उनके बारे में क्या एक्शन लिया जाएगा? हालांकि इन्क्वायरी कमीशन मुकर्रर हुआ है फिर भी मुझे इस बात का अफसोस है कि इस ऐवान में कई लोग अपने को सैकुलर कहते हैं लेकिन किसी भी शक्स ने इस बारे में आवाज नहीं उठायी। मैं हुकूमते हिन्दुस्तान से गुजारिश करूंगा कि वह सिक्यूरिटी फोर्सेज को सख्त हिदायत दे कि जो रियासते जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं और जो वहां रहना चाहते हैं, उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती न हो। यह ठीक है कि कुछ मिलिटेंट्स मारे गये हैं जिसका कोई अफसोस नहीं है लेकिन जो नार्मल सिटीजन्स हैं, उनकी सिक्यूरिटी की जिम्मेदारी खुद हुकूमते हिन्दुस्तान की है। लिहाजा सिक्यूरिटी फोर्सेज को सख्त हिदायत जारी करें कि वे हमारे लोगों के लिए मजीद मुस्किलात पैदा न करें।

[illegible]

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस समय सत्ता पक्ष से माननीय गृह मंत्री और माननीय कानून और न्याय मंत्री मौजूद हैं।

अभी उस दिन माननीय सदस्य श्री मुलायम सिंह यादव ने दिल्ली में वकीलों की हड़ताल और 24 फरवरी को पुलिस के साथ हुई उनकी झड़प का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था।

माननीय उच्च न्यायालय ने हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, यह मुद्दा रोजाना उठाया जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप मुझे अनुमति नहीं देंगे तो मैं चुप रहूँगा परन्तु इस मुद्दे को उठाना मेरा अधिकार है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस घटना को उजागर कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री रवीन्द्र सिंह और न्यायमूर्ति सिरियक जोसेफ के माध्यम से फैसला सुनाया है। वीडियो फिल्म में वे पुलिस अधिकारी वकीलों को इस प्रकार पीटते देखे गए मानो वे गली के पागल कुत्ते हों। पुलिस कार्रवाई पूरी तरह अनुचित, अकारण और अन्यायपूर्ण थी। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मंत्री को देखते ही मुद्दा क्यों उठाया जाता है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री महाजन, प्रश्न नहीं उठता। इसे उठाना मेरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को अपराधी ठहराया है और उसकी आलोचना की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पुलिस बल संबंधी नियमों का घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने आगे कहा है कि ये आरोप सच थे या झूठ, दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सरकार की ईमानदारी और सदाशयता संदिग्ध थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, कल श्री अरुण शौरी इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मुझे प्रक्रिया संबंधी गंभीर आपत्ति है। आप कृपया उनकी बात सुनकर, मेरी बात भी सुनें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि आप कहें तो मैं उच्च न्यायालय के फैसले की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने और इसे सदन के समक्ष रखने को तैयार हूँ।

फैसले में कहा गया है कि भारत सरकार जानबूझकर चुप रही और उसने न्यायालय से पुलिस अधिकारियों को निलम्बित करने का निदेश मिलने तक अत्याचारों को संज्ञेय नहीं समझा। विधि और न्याय मंत्री और गृह मंत्री को क्षमा याचना करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: संबंधित मंत्री ने जवाब दे दिया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उनका जवाब क्या था?

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने इन सब मुद्दों का जवाब दे दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार और पुलिस की कार्रवाई से शंकाएं उभरी हैं। इसलिए, माननीय विधि और न्यायमंत्री को इन चीजों के लिए वकीलों से क्षमा याचना करनी चाहिए। यह विधि और न्याय मंत्री का कर्त्तव्य है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: ये जो भी कह रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री दासमुंशी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, आप अपने विवेकानुसार किसी भी चीज को कार्यवाही-वृत्तांत से निकालने का आदेश दे सकते हैं। परन्तु, मैं कल फिर आऊँगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कल आ सकते हैं; यह एक अलग मसला है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आपने अभी-अभी सूचना दी है। मैं वस्तुत: यह समझा था कि आपने सूचना पहले ही दे रखी है। मैं गलत था; मुझे इसके लिए खेद है। जबकि आपने सूचना नहीं दी थी। आपका नाम सूची में नहीं है। यह मेरी गलती थी। इसके लिए मैं सदन से क्षमा याचना करता हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, आपको क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने सूचना नहीं दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मुझे स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दें।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैंने सचमुच यह समझा था कि आपने सूचना दे रखी थी; जबकि आपने सूचना नहीं दी थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। आप मेरा नोट देखें। मैं आज अध्यक्ष महोदय से मिला था।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे इस बात का खेद है कि मैंने आपको बोलने की अनुमति दी। इस मसले पर श्री अरुण शौरी कल जवाब दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति दूँगा। लेकिन, इस मसले पर कल ही जवाब दिया जा चुका है। आपका दिया हुआ आज कोई नोटिस नहीं है। एक पर्ची के कारण मैं समझा कि आप अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, और इसीलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति दी थी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं इसे स्पष्ट कर दूँ क्योंकि आपने इस प्रकार कहा है जैसे कि मैं सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं इस भ्रम को दूर कर दूँ। कल कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि आज 'शून्यकाल' नहीं होगा। लेकिन आज सुबह जब मैं अध्यक्ष महोदय के पास गया और उनसे पूछा कि आज प्रधान मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या वह 'शून्यकाल' हेतु सूचना प्राप्त करेंगे। और उनका उत्तर 'हां' में था। तब मैंने कहा कि हमने पहले से सूचना नहीं दे रखी है लेकिन हमारे पास चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मसला है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारी नेता और मैं 'शून्य काल' के दौरान मुद्दा उठा सकते हैं। तब मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखा। वह पत्र अध्यक्ष महोदय की मेज पर पड़ा है। मैंने एक नोट भी दिया था ...*(व्यवधान)* आप इसकी जाँच कर सकते हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय को पत्र दिया और अध्यक्ष महोदय ने मुझे 'शून्य काल' के दौरान मुद्दा उठाने की अनुमति दे दी। पहले से मैंने इसीलिए सूचना नहीं दी थी क्योंकि 'शून्यकाल' न होने का निर्णय लिया गया था। यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब अध्यक्ष महोदय से आपकी बात हुई तो मैं मौजूद नहीं था। सूची में 20 माननीय सदस्यों के नाम हैं जिसमें आपका नाम नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बताइए मुझे यह कैसे पता होगा कि अध्यक्ष महोदय से आपकी बात हुई है? मेरे पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं आया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय अध्यक्ष ने मुझे अनुमति दे दी थी। अध्यक्ष महोदय के बारे में, मैं कुछ नहीं कह सकता। *...(व्यवधान)* मैं अध्यक्षपीठ को गुमराह नहीं कर सकता। मैंने अपने संसदीय कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं किया। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपके नोट में ऐसा कुछ नहीं है कि अपने अध्यक्ष महोदय को पत्र दे रखा है। मैं आपको यह बता दूँ कि इस सूची में सूचना देने वाले 20 सदस्यों के नाम हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि आज 'शून्यकाल' न रखने का निर्णय लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक वास्तविक गलतफहमी है। लेकिन मैं अपनी ओर से सही हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, आपने सदन में कहा था कि मैंने अध्यक्षपीठ को गुमराह किया है। मैंने अध्यक्षपीठ को गुमराह नहीं किया है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मेरे कहे को बदलने की कोशिश मत कीजिए। श्री दासमुंशी आप ये सभी चीजें मेरे माध्यम से मत कहिए। मैंने यह कहा था कि आपका नाम सूची में नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यह सूची में क्यों नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ कि यह निर्णय लिया गया था कि आज 'शून्य काल' की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी राय गलत थी कि आपने पत्र नहीं दिया हो सचमुच आपने एक पत्र लिया है। आप इसे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उठा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हां।

उपाध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहा कि यह प्रक्रिया से हटकर है। जब मैंने सूची की जांच की तो वहां आपका नाम नहीं था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरा नाम वहां वहीं हो सकता क्योंकि मैंने कोई सूचना नहीं दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपने अध्यक्ष महोदय के साथ इसकी चर्चा की और मैं यदि उपस्थित नहीं हूँ तब इसे मैं कैसे जान सकता हूँ।

जो कुछ भी हो इसे अब समाप्त करें। आपने एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर कल दे दिया गया था। आपने इस मुद्दे को अध्यक्ष महोदय कीअनुमति से उठाया है। क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लेकिन आपने कहा कि सब कुछ कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल लिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। सिर्फ बाद काभाग। सब कुछ नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुनें। अगर मैं कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उठाता हूँ और अगर आप कहते हैं कि इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल लिया गया है तब मुझे दुख होता है।

जामिया मिलिया का मुद्दा दो दिन पहले उठाया गया था और इसे आज भी अनुमति प्रदान की गई। यह मुद्दा निर्णय आने के पहले ही श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाया गया था। मैंने सिर्फ फैसले पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। लेकिन आप कह रहे थे कि इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल लिया जाएगा। मुझे दुख है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप फिर इस मामले को उठा रहे हैं। मुझे कैसे मालूम किआपने अध्यक्ष महोदय से बात कर ली है? मैं यह कैसे जान सकता हूं जब मैं वहां था ही नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले को पूरी गंभीरता से उठा रहा हूं। विपक्षी दल के मुख्य सचेतक के रूप में मैं कल इस मुद्दे को माननीय अध्यक्ष के समक्ष उठाऊँगा। अगर मैंने अध्यक्षपीठ की अनुमति प्राप्त किए बिना इस मामले को उठाकर माननीय अध्यक्ष महोदय और अध्यक्षपीठ को गुमराह किया है तो मैं सार्वजनिक जीवन से सन्यास ले लूँगा। यही मैं कह रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने सूचना इसलिए नहीं दी थी क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि 'शून्य काल' आज स्थगित रहेगा। तब अध्यक्ष महोदय ने मुझ से कहा कि मैं इस मुद्दे को उठा सकता हूँ और मैं आपको अनुमति दूंगा। और तभी मैंने पहले घंटे से पत्र लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अध्यक्षपीठ छोड़े जाने के बाद मैंने यह पत्र लिया और तब मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आप सही हैं। क्या मैं गलत हूँ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: लेकिन परंपरा से हटकर मुझे बोलने का मौका प्रदान करने के लिए आप सभा से क्षमा याचना कर रहे थे। यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप फिर वही बात कर रहे हैं। श्री दासमुंशी, अगर आपने अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली थी तब मुझे पूर्णरूपेण सूचित किया जाना चाहिए था। मैं कैसे जानूं? क्या मैं आदमी नहीं हूँ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या मैंने अपने पत्र में नहीं लिखा था कि अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है?

उपाध्यक्ष महोदय: यह सच है। क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस मुद्दे पर कुछ कहना है?

श्री प्रमोद महाजन: नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मेरे समक्ष प्रक्रिया संबंधी कुछ मामला उठाना चाहते थे। मैंने इस पत्र के आधार पर अनुमति दी है। वे एक जिम्मेदार सदस्य हैं और अपनी पार्टी के मुख्य सचेतक हैं। हमें कुछ समझदारी से काम लेना चाहिए। आप दौड़ते हुए मेरे पास चले आए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैंने सिर्फ यह उजागर करने का प्रयास किया कि वकीलों की हड़ताल को गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है। लेकिन एक संदेश गया है कि वकीलों ने कुछ गलतियां की थी जो सही नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ है कि उच्च न्यायालय ने भी इसे न्यायसंगत ठहराया है कि पुलिस ने वकीलों के साथ गली के कुत्तों और बिल्लियों की तरह व्यवहार किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि भारत सरकार असफल रही है। उच्च न्यायालय द्वारा आलोचना किए जाने के बाद विधि मंत्री और गृह मंत्री जो पूरे मामले के प्रभारी हैं को वकीलों से गंभीरतापूर्वक क्षमायाचना अवश्य करनी चाहिए। विधि मंत्री बार के एक प्रतिष्ठित सदस्य हैं। वे कानून के अध्यापक हैं। और वे उच्च न्यायालय की आलोचनाओं की गंभीरता को जानते हैं। मैं उनके इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा हूँ। इसकी मांग दूसरे सदन में की गई थी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि शिष्टाचार के रूप में विधि मंत्री और गृह मंत्री को वकीलों से अवश्य विनम्र क्षमायाचना व्यक्त करनी चाहिए जिन्हें पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया है और जिसके लिए उच्च न्यायालय ने भी आलोचना की है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या विधि मंत्री प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, मैं बिना किसी सूचना के प्रतिक्रिया व्यक्त करना नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी तक फैसले की कोई प्रति भी नहीं मिली है। कल राज्य सभा में एक चर्चा हुई थी। अगर यहाँ किसी चर्चा की आवश्यकता होती है तब मैं किसी भी समय तैयार हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की बैठक अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.20 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** पीठासीन हुई]

मंत्री द्वारा वक्तव्य

इन्सेट-3बी उपग्रह का प्रक्षेपण

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): मुझे सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कौरू, फ्रेंच गियाना से एरियन-5 प्रमोचक राकेट द्वारा मार्च 22, 2000 को भारत द्वारा निर्मित इन्सैट-3बी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया। इसके तत्काल बाद, हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा ने उपग्रह प्रचालन का कार्य संभाल लिया और तीन आनुक्रमिक चरणों में उपग्रह में रखी नोदन प्रणाली का उपयोग करते हुए, उपग्रह को 36,000 कि.मी. की ऊंचाई पर भू-तुल्यकाली कक्षा में स्थापित किया गया। सौर पैनलों और एन्टेना परावर्तकों के प्रस्तरण कार्य को पूरा करने के पश्चात् संचार नीतभार की कक्षीय जांच सफलतापूर्वक पूरी की गई। अब उपग्रह अपने प्रचालन कार्यों को प्रारंभ करने के लिए तैयार है।

[श्रीमती वसुन्धरा राजे]

इन्सैट-3बी अनुवर्ती चार उपग्रहों सहित इन्सैट शृंखला की तृतीय पीढ़ी का प्रथम उपग्रह है। इन्सैट-3बी उपग्रह इन्सैट-2ई के साथ 83 डिग्री पूर्व देशांतर पर सह-स्थापित है। यह अपने साथ 12 विस्तृत सी-बैण्ड प्रेषानुकरण, तीन के.यू. बैण्ड प्रेषानुकर तथा एस-बैण्ड मोबाइल उपग्रह सेवा नीतभारों को ले गया है। यह उपग्रह मुख्य रूप में व्यावसायिक संचार, मोबाइल संचार और विकास संचार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह इन्सैट प्रणाली का उपयोग करते हुए तथा प्रशिक्षण और विकासात्मक संचार हेतु स्वर्ण जयंती विद्या विकास अन्तरिक्ष उपग्रह योजना (विद्या वाहिनी) के लिए प्रेषानुकरों का प्रथम सैट प्रदान करता है।

आज, मौसमविज्ञानीय उपयोगों के लिए 85 से अधिक संचार प्रेषानुकरों और नीतभारों से युक्त इन्सैट प्रणाली विश्व की बृहत्तम घरेलू बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणालियों में से एक है। यह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण, विकासात्मक संचार, शिक्षा, ग्रामीण विकास, मौसम का पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के क्षेत्रों में विविध सेवाएं प्रदान करता है। इस परिप्रेक्ष्य में, इन्सैट-3बी विकासात्मक आवश्यकताओं की विस्तृत रेंज के लिए अन्तरिक्ष क्षमताओं के [illegible] हेतु राष्ट्र के संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह जटिल मिशन प्रारंभिक चरण में कनाडा, आस्ट्रेलिया और इटली स्थित भू-केन्द्रों की सहायता से हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा द्वारा व्यावसायिक रूप में और दक्षतापूर्वक पूरा किया गया। इन्सैट प्रणाली अन्तरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन का एक संयुक्त उद्यम है।

मैं चाहूंगी कि यह सदन इस मिशन की सफलता के लिए अन्तरिक्ष विभाग के भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा इस कार्यक्रम में संलग्न अन्य सभी एजेंसियों को मेरे साथ बधाई दे।

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि यह एक महान उपलब्धि है और सभा निश्चित रूप से हमारे वैज्ञानिकों तथा उन सभी को जो इसमें शामिल थे, को उपलब्धियों के लिए हमारी बधाई देना चाहती है।

अपराह्न 2.25 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तर प्रदेश में जौनपुर में जाफरादाबाद-उतरेठिया के समपार पर एक रेलवे ऊपरि पुल के शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानंद स्वामी (जौनपुर): सभापति महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग-56, जो लखनऊ वाराणसी को जोड़ता है, अत्यन्त व्यस्ततम राजमार्ग है। यह राजमार्ग जौनपुर नगर के बीच से होकर निकलता है, जिस पर उत्तर रेलवे की जाफराबाद उतरेठिया लाइन की लेवल क्रासिंग पड़ती है। इस लाइन का दोहरीकरण भी होने जा रहा है। समपार के बन्द होने पर मीलों लम्बा जाम लगता है और शहर का यातायात घंटों प्रभावित होता है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय शासन से मांग करूंगा कि यथासम्भव शीघ्र ही उस समपार पर ओवरब्रिज बनाने के लिए तत्काल कदम उठाया जाये, जिससे नगरीय और लखनऊ वाराणसी राजमार्ग के यातायात से उत्पन्न गतिरोध को दूर किया जा सके।

(दो) तिलहन उत्पादकों विशेष रूप से राजस्थान के तिलहन उत्पादकों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा तेल का आयात करने से देश में किसान काफी प्रभावित हुए हैं। किसानों को सरसों व रायड़ा के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ डीजल, खाद व बिजली महंगी हो गई है। वहीं दूसरी ओर सरसों व रायड़ा के भाव गिरने से राजस्थान के किसान और खासतौर से जोधपुर के किसान अपने बिजली के बिल भरने की स्थिति में नहीं हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह किसानों की तरफ ध्यान दे तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाये।

[अनुवाद]

(तीन) राजस्थान में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): यह मुद्दा राजस्थान में लगातार तीसरे वर्ष पड़े भयंकर सूखे से संबंधित है जिससे लोगों की समस्याओं को कई गुना बढ़ा लिया है। मैं इस मुद्दे को संसद के सामने गत दो वर्षों से उठा रहा हूँ कि सूखे की स्थिति के कारण अधिकांश पेय जल आपूर्ति योजनाएं मृतप्राय हो गई हैं। चूँकि राजस्थान में जल का कोई चिरस्थायी स्रोत नहीं है और मौजूदा जल स्रोत भी या तो सूख रहे हैं या सूख चुके हैं। इससे लोगों का जीवन दयनीय हो गया है। विशेषकर तब जबकि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। पशुधन चारे के अभाव में मर रहे हैं।

समय के साथ स्थिति बदतर हो गई है। जैसाकि सरकार को पता है, राजस्थान के 32 जिलों में से 26 जिलों में जिनमें 24406 गांव हैं, वे भयंकर सूखे की चपेट में हैं तथा जिसने 2.5 करोड़ लोगों और 3.2 करोड़ पशुओं से भी अधिक को पूरी तरह प्रभावित किया है। इस भीषण चुनौती से मुकाबला करने के लिए राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को 1260 करोड़ रुपये लेने का अनुरोध किया है लेकिन केन्द्र सरकार ने सिर्फ 102.93 करोड़ रुपये जारी किये हैं जो प्रभावित जनसंख्या की 10 प्रतिशत आवश्यकता को भी पूरा करने में सक्षम नहीं है।

गर्मी के आते ही लोगों और पशुओं की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। मैं सरकार से ग्यारहवीं लोक सभा के समय से ही राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करने के लिए मांग करता रहा हूं लेकिन राजस्थान के गरीब लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए कोई ठोस कार्यवाई नहीं की गयी है।

इसलिए, मैं सरकार से लोगों के बहुमूल्य जीवन की रक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर पशुओं को चारा तथा पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार को पर्याप्त धन जारी करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) कर्नाटक में मंगलौर के निकट ताप विद्युत परियोजना का कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): महोदय, कर्नाटक राज्य को भयंकर बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है और अब दक्षिण कन्नड़ जिले के नन्दीकुट ग्राम में 1000 मेगावाट की प्रस्तावित कोजेन्ट्रिक्स ताप विद्युत परियोजना से मंगलौर पावर कंपनी के हट जाने के कारण यह कभी 2000 मेगावाट की हो गई है।

एक समय बिजली के मामले में समृद्ध राज्य कर्नाटक के सामने नई शताब्दी के आरंभ में अनेक बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों को बंद करने के अतिरिक्त कोई और चारा नहीं होगा।

सात वर्षों के बाद भी यह विद्युत परियोजना कार्य शुरू नहीं कर पाई है और इसके लिए मैं केन्द्र और राज्य दोनों को दोषी ठहराता हूं। इस चूक के कारण राज्य में औद्योगिक विकास का भविष्य खत्म हो सकता है।

निश्चित रूप से सात वर्षों के बाद कर्नाटक की इस स्वपनिल परियोजना को बंद करना ठीक नहीं है। विशेषकर तब जबकि राज्य सरकार और एमपीसी ने बुनियादी कार्य पर भारी धनराशि खर्च कर दी है।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह "चाईना लाईट पावर कंपनी' से बात करे और मंगलौर के निकट अत्यधिक विलंबित 1000 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना को चालू करें।

(पांच) बाल श्रमिकों विशेष रूप से उड़ीसा में इन श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए योजनाएं शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रभात सामन्तराय (केन्द्रपाड़ा): यह बड़ी चिंता का विषय है कि देश में, विशेष रूप से उड़ीसा में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 52 लाख बच्चे ऐसे समय में बाल श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं जब उन्हें स्कूल में होना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि औपचारिक शिक्षा के अभाव में ये बच्चे रेस्तरांओं और ढाबों में कार्य कर रहे हैं। उनमें से काफी बड़ी संख्या में बच्चे घरेलू नौकरों के रूप में और खेतों में कार्य कर रहे हैं। वे अपने दिन काफी मुश्किलों में गुजार रहे हैं। मालिकों द्वारा उनके लिए काम की स्थितियों के बारे में कोई निर्धारण नहीं किया गया है। उनमें से कई महाचक्रवात के पीड़ित हैं जिसने अक्टूबर, 1999 में उड़ीसा राज्य को बर्बाद कर लिया और वे केन्द्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिले के रहने वाले हैं।

यदि इन बच्चों की पहचान और उनका बचाव नहीं किया जाता तो ये बच्चे भविष्य में समाज के लिए गंभीर समस्या बन जाएंगे। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि इन बाल श्रमिकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें, निःशुल्क उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनके उचित प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए विशेष रूप से योजनाएं प्रायोजित की जानी चाहिए। इस उद्देश्य हेतु उड़ीसा राज्य को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाना चाहिए।

(छः) रसोई ईंधन से पैदा होने वाले आन्तरिक वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री विजय हान्डिक (जोरहाट): महोदय, रसोई ईंधन के प्रयोग के कारण घर के अन्दर पैदा होने वाले वायु प्रदूषण पिछले कुछ समय से बच्चों और महिलाओं के लिए मृत्यु का कारण बन गया है। विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष पांच वर्ष से कम उम्र के कम से कम आधा मिलियन बच्चों की मृत्यु घर के अन्दर के वायु प्रदूषण के कारण होती है। लेकिन इस विशाल संख्या में कम से कम 3,00,000 बच्चे एक वर्ष से ज्यादा जीवित नहीं रहते।

[श्री विजय हाण्डिक]

भारत में बाह्य वायु प्रदूषण से प्रत्येक वर्ष 84000 लोग मरते हैं। यद्यपि इसके प्रति नीति निर्माताओं को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है पर वास्तव में आंतरिक वायु प्रदूषण की अपेक्षा इससे स्वास्थ्य को कम खतरा है जिसके कारण गंभीर श्वसन संक्रमण, क्रोनिक आब्सट्रक्टिव पुल्मोनरी रोग और कार्डियोवेस्कुलर रोग होते हैं।

मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन स्टडीज) द्वारा कराए गए एक अध्ययन से पहले यह संकेत मिला था कि जो महिलाएं लकड़ी और गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले घरों में रहती हैं वे स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने वाली महिलाओं की तुलना में आंशिक और पूरी तरह से अंधा होने की घटनाओं से ज्यादा ग्रस्त होती हैं। फिर भी यह विचित्र बात है कि योजना आयोग द्वारा कराए गए एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छ गैसीय ईंधन का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि के साथ-साथ नहीं बढ़ता। यद्यपि विश्व बैंक के गोर्डन ह्युजेस और मेधन डनलेवी ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि रसोई गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के प्रयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर को घटाने में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। परिचालनात्मक और प्रतिष्ठापन संबंधी खामियों के कारण धुआंरहित चूल्हा के असफल होने से स्थिति और भी जटिल हो गई है।

इस स्थिति से सरकार के सामने भारी चुनौती पैदा हो गई है और सरकार को बेहतर जागरूकता पैदा करने और अधिक उन्नत प्रमाली लाकर इस समस्या से निपटने के लिए गंभीर प्रयास करना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं समझता हूँ कि कर्नल सोना राम चौधरी का वक्तव्य प्रस्तुत किये गये मूल पाठ से हटकर है। वक्तव्य के अनुमोदित पाठ अनुसार ही, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जायेगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): यह अंतिम वाक्य के संदर्भ में ही है। क्या हम एक या दो लाइनें नहीं जोड़ सकते?

सभापति महोदय: अनुमोदित पाठ वहाँ होगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: यह अंतिम वाक्य के संदर्भ में ही है। क्या हम एक या दो लाइनें नहीं जोड़ सकते?

सभापति महोदय: अनुमोदित पाठ वहाँ होगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: धन्यवाद।

अपराह्न 2.36 बजे

रेल बजट*–अनुदानों की मांगें 2000-2001

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम रेल बजट पर चर्चा आरम्भ करते हैं।

अब सभा चर्चा आरम्भ करेगी और वर्ष 2000-2001 के लिए बजट (रेल) के संदर्भ में अनुदानों की मांगों पर मतदान करेगी।

सभा में उपस्थिति जिन माननीय सदस्यों के वर्ष 2000-2001 के लिए बजट (रेल) के संदर्भ में अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिये गये हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों, तो वे कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली पार्टियाँ 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। उन कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा। अब हम चर्चा आरम्भ करेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची की स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000-2001 के लिए अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा द्वारा 14.3.2000 को स्वीकृत लेखा अनुदान की मांग की राशि रु.	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत मांग की राशि रु.
1	2	3	4
1.	रेलवे बोर्ड	10,14,67,000	50,73,33,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	30,38,67,000	151,93,33,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	4
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	242,21,49,000	1211,07,45,000
4.	रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	483,91,64,000	2419,58,21,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	274,35,61,000	1371,78,04,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	523,92,02,000	2619,60,11,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	262.17,81,000	1310,89,02,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	444,96,58,000	2224,82,89,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	1940,02,24,000	4140,11,21,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	1071,66,71,000	5358,33,52,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	195,20,50,000	976,02,49,000
12.	विविध संचालन व्यय	239,58,09,000	1197,90,43,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	888,72,23,000	4443,61,18,000
14.	निधियों में विनियोग	1437,21,20,000	7186,06,02,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिये गये ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	4,32,19,000	611,05,81,000
16.	परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव राजस्व	6,33,33,000	31,66,67,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	2238,56,22,000	11192,81,13,000
	रेलवे निधियां	811,50,00,000	4057,50,00,000
	जोड़	11105,21,20,000	50555,50,84,000

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदया, यद्यपि मैंने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया है, फिर भी मैं भारतीय रेलवे के एक अति महत्वपूर्ण पहलू का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ।

सभापति महोदया: आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री अनिल बसु: आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह इस सभा को यह बतायें कि भारतीय रेल में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस के संदर्भ में, जी.ई.सी. को ठेका दिया गया ...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री अनिल बसु, चर्चा चल रही है। आप बोल सकते हैं। यह अजीब स्थिति है कि आप यूँ ही खड़े हो जाते हैं और यह कहते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैं इसे देख लूँगी। कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: आपको कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी से कोई दूसरा बोल सकता है और इस विषय को उठा सकता है।

श्री अनिल बसु: मैंने कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। यदि मैं इसे प्रस्तुत करता हूँ, तो इससे आपको हानि होगी। मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप समझ सकते हैं। स्वदेशी सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्राथमिकता दी गयी है।

सभापति महोदय: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सीट पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: वह खड़े होकर कैसे उक्त मुद्दे पर चर्चा आरम्भ कर सकते हैं? वह बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

सभापति महोदय: आप खड़े होकर उत्तेजित हो रहे हैं। कृपया बैठ जायें। इसमें से कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री अनिल बसु, यदि आप बोलना चाहते हैं, तो आप अपना नाम भेज सकते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूँगी। हम चर्चा आरम्भ ही कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं। आप अपना नाम भेजें। मैं आपका नाम बोलूंगी।

अब श्री प्रियरंजन दासमुंशी बोलेंगे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): क्या सी.पी.आई. (एम) ने उनका नाम नहीं भेजा है?

सभापति महोदय: इस बारे में चिंता न करें। मैं इस मामले को देखूँगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदया, मैं रेल मंत्रालय के संदर्भ में अनुदान माँगों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पूरक माँगों पर पिछली बहस के दौरान, सम्पूर्ण सभा ने रेलवे और रेल बजट से संबंधित मामलों पर गहराई से चर्चा करने में काफी समय लगाया। पिछले अवसरों पर जो हमने कहा है, मैं समझता हूँ कि उसकी पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। संसदीय व्यवहार के अनुसार रेल बजट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, रेल संबंधी स्थायी समिति द्वारा इसकी गहन छानबीन की गयी है। मैं भी उस समिति का सदस्य हूँ। हमारे लब्ध प्रतिष्ठित सभापति श्री येरननायडू ने 17 तारीख को गहरी छानबीन और अध्ययन के बाद उक्त रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की।

माननीय रेल मंत्री जी रेलवे की कार्यप्रणाली में पहले से अधिक सुधार लाने के लिए उनके गंभीर और भरसक प्रयत्नों के लिए, संसाधनों में वृद्धि करने, कठोर मितव्ययता उपाय करने, आदि रेल संपर्क के लिए नये क्षेत्र और नये अवसर प्रदान करने के लिए सभी ओर से सहानुभूति और समर्थन के पात्र हैं। मैं यह कहना चाहूँगा कि उनके सद्प्रयत्नों के अतिरिक्त भी कुछ और किया जाना चाहिए।

पिछले बजट की बहस में भाग लेते हुए अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैंने रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली के संबंध में तीखी आलोचना की। इस अवसर पर मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा।

सबसे पहले, मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आयात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। यह सत्य है कि रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली को सुधारने, विभिन्न कारखानों में उन्नत प्रौद्योगिकी को बनाए रखने, अन्य विकसित राष्ट्रों की तरह रेलवे की समस्याओं से निपटने के लिए, कभी-कभी आयात आवश्यक हो जाता है। लेकिन भारतीय उद्योग ने, विशेषकर रेलवे ने, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्थापित बहुत मजबूत आयात प्रतिस्थापन तैयार किया है। मैं नहीं जानता कि आयात और स्वदेशी उत्पादन की आवश्यकता, जिनमें आयात प्रतिस्थापन शामिल है, के संबंध में कोई उत्तरदायित्व तय नहीं किया गया है।

पहली बात, मैं आयात बिल पर रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 1998-99 में, रेलवे का कुल आयात बिल 552.05 करोड़ रुपये था; 1997-98 में यह 291.23 करोड़ रुपये था। मात्र एक वर्ष में इसमें 200 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। वह क्षेत्र कौन सा है? 1997-98 में, मालवाहक डिब्बे, यू.वी. पार्ट्स और फिटिंग्स-10.56 करोड़ रुपये था; 1996-97 में, 3.27 करोड़ रुपये था, 1995-96 में 0.73 करोड़ रुपये था, 1994-95 में, 6.5 करोड़ रुपये था; और 1998-99 में, यह 211.46 करोड़ रुपये था। आप इस वृद्धि की व्यापकता को समझने का प्रयत्न करें। उचित जवाबदेही द्वारा रेलवे बोर्ड को औचित्य स्थापित करना है। एक ओर, आप सदन को विश्वास में ले रहे हैं, दूसरी ओर, आयात प्रतिस्थापन में वृद्धि हो रही है। 1994-95 से और 1998-99 से पहले, आयात केवल 6.5 करोड़ रुपये तक का था। लेकिन एक वर्ष में, इस श्रेणी का आयात 211.46 करोड़

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रुपये तक पहुँच गया है, और सम्पूर्ण आयात 552.05 करोड़ रुपये हो गया है। मैं बिना किसी आधार के ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत लेकिन मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह आपत्ति करूँगा कि वह आयात के हर चरण में और इसी प्रकार के मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करें। मैंने विगत में भी रेलवे बजट पर बहस में भाग लेते हुए कहा था कि माननीय मंत्री जी यह जानने के लिए कि समस्याओं को सुलझाने में कहाँ गड़बड़ी हुई है कठोर निर्णय लें।

माननीय रक्षा मंत्री जी ने सार्वजनिक घोषणा में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि सी.बी.आई. 1985 से आगे के रक्षा सौदों की जांच करेगी। यह बहुत उचित है। यदि सी.बी.आई. को कुछ गलत चीज का पता चलता है, तो उनकी खिंचाई की जाये। इसी प्रकार से, अगर माननीय मंत्री जी आयात में भारी वृद्धि के स्वरूप की जांच कराने का मामला सी.बी.आई. को नहीं सौंप रहे हैं, तो उन्हें आवश्यकता, उपयोग और लागत के बारे में किसी जाँच निकाय का स्वयं गठन करके कम-से-कम स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1994-95 में 6.5 करोड़ रुपये बढ़कर 1998-99 में 211.46 करोड़ रुपये हो सकता है। इसलिए, मेरा दृढ़ मत है कि रेलवे की वित्त व्यवस्था और रेलवे बोर्ड की संसद और माननीय मंत्री दोनों के प्रति जवाबदेही के संबंध में स्वतंत्र जाँच कराये जाने की आवश्यकता है।

रेलवे को संसाधनों की कमी रहती है। मैं माननीय रेल मंत्री जी को भूमि प्रबंधन, दृश्य प्रचार जैसे संसाधनों में वृद्धि करने के कतिपय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए धन्यवाद देता हूं ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): आपकी जनकारी के लिए, मैंने क्रेनों के आयात का मामला पहले ही सी.बी.आई. को सौंप दिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपको धन्यवाद कि आपने यह मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया है। मैंने ऐसी ही इच्छा व्यक्त की थी। मैं खुश हूँ कि आपने यह मामला उठाया।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या आप महाजोत में शामिल होने की योजना बना रहे हो?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: पहले रेलवे को तो जीवित रहने दें और फिर महाजोत के बारे में बात करें।

कृपया आप प्रधान मंत्री जी को उन्हें ज्यादा धन देने के लिए मनाइये ...*(व्यवधान)* आपको मान-मनौव्वल का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। हम प्रतिपक्ष के सदस्य, इसके लिए लड़ रहे हैं लेकिन आप यह काम नहीं कर रहे हैं।

अब मैं, भूमि प्रबंधन पर आता हूँ। भूमि ऐसा क्षेत्र है जिसमें रेलवे अपने संसाधनों में भली भाँति वृद्धि कर सकता है। लेकिन स्थायी समिति में हमने इस मामले से संबंधित चार समस्याओं की संवीक्षा की है। कुछ अनधिकृत बस्तियाँ हैं जो रेलवे परिसर में पहले से ही बसी हुई हैं और इस बात से कोई राजनेता इंकार नहीं कर सकता। हममें से प्रत्येक सदस्य ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में न केवल उनके मतों के लिए बल्कि मानवीय और सामाजिक कारणों से उनको संरक्षण प्रदान करना पड़ा है। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री जी को रेलवे के अंतर्गत भूमि प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का सुझाव दूँगा। भूमि से संबंधित मामलों में किस प्रकार बातचीत करनी है। इस संबंध में उस प्राधिकरण को स्पष्ट निदेशपद दिये जाने चाहिए। अनधिकृत रूप से रेलवे की भूमि पर बस चुके लोगों के लिए वैकल्पिक स्थानों का पता लगाने के लिए इन्हें राज्य सरकारों, जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की वैधानिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए ताकि रेलवे भूमि से उन्हें दूर हटाया जा सके।

दूसरे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेलवे परिसर पर दुकानें चलाकर आजीविका कमा रहे हैं। वे यह जानने के लिए अभ्यावेदन भेज रहे हैं कि यदि रेलवे भू प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हो जाता है तो क्या वह इन लोगों के साथ दीर्घकालीन पट्टे पर जमीन देने के लिए बातचीत कर सकता है। इन लोगों द्वारा हर दूसरे सप्ताह पुलिस को पैसा देने और कांस्टेबलों से मिलने की बजाय, इन्हें नियमित रूप से रेल विभाग को भुगतान करने दीजिए। इस प्रकार रेलवे इन दुकानदारों के साथ पट्टे का समझौता करके और अधिक राजस्व कमा सकता है।

तीसरे, रेलवे पुलिस और कुछ रेल अधिकारियों की मिलीभगत से समाज विरोधी तत्व रेलवे सम्पत्तियों का उपयोग तालाब, इत्यादि की तरह कर रहे हैं जहां वे मछली पकड़ रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अत:, यदि रेल विभाग के अधीन कोई भू प्रबंधन प्राधिकरण बना दिया जाता है तो वे इन चीजों को देख सकते हैं। वे इन सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी कर सकते हैं और उससे रेलवे को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।

चौथे, यह भू-प्रबंधन प्राधिकरण राज्य सरकारों और रेल विभाग के बीच बातचीत करवा सकता है और परियोजनाओं तथा रेलवे द्वारा अभिकल्पित परियोजनाओं के लिए भी भूमि प्राप्त कर सकता है। इस भूमि की आवश्यकता रेल विभाग को आगे चलकर पड़ सकती है। यह प्राधिकरण बातचीत करके रेलवे द्वारा निर्धारित कीमतों पर भूमि प्राप्त कर सकता है। इन तरीकों से रेलवे जमीन का प्रयोग कर राजस्व अर्जित कर सकती है। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पैसा कमाने के नाम पर भूमि की बिक्री न की जाए क्योंकि यदि कोई विशेष रेलवे जंक्शन 20 वर्षों

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

या कुछ इतने ही समय के बाद अपने क्रियाकलाप के क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है तो उन्हें उस समय और अधिक जमीन की आवश्यकता हो सकती है और हो सकता है कि तब वह जमीन उनके पास उपलब्ध न हो। इसलिए, भू प्रबंधन प्राधिकरण को भूमि की बिक्री करते समय रेल विभाग की भविष्य की आवश्यकता का अंदाजा होना चाहिए तथा इस संबंध में समुचित योजना बनाई जानी चाहिए।

इसके बाद मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान माल डिब्बों के आवंटन तथा उनके क्रयादेशों से संबधित निविदाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वैगन इंडिया लिमिटेड उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वहां यह निर्णय किया गया था कि वैगन इंडिया लिमिटेड को माल डिब्बों के लिए रेलवे से 75 प्रतिशत का क्रयादेश मिलेगा तथा शेष की खरीदारी रेलवे द्वारा खुली निविदाओं के द्वारा की जाएगी। यह भी फैसला किया गया था कि निविदाओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा क्रयादेश सरकारी क्षेत्र को दिया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले रेल मंत्री ने यह फैसला या था कि केवल 60 प्रतिशत निविदाएं ही सरकारी क्षेत्र को जाएंगी और शेष निजी क्षेत्र में जाएंगी। अब प्रेस में यह खबर छपी है कि सरकारी क्षेत्र का कोटा और कम करके 50 प्रतिशत कर दिया गया है तथा शेष क्रयादेश निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। यदि ऐसा है तो मैं माननीय रेल मंत्री से इस पर पुनर्विचार करने तथा सरकारी क्षेत्र के हितों की रक्षा करने का अनुरोध करूंगा।

उसके बाद, 30 मार्च, 2000 के "द इकोनामिक टाइम्स" में एक खबर छपी है कि रेल विभाग के कुछ शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ माल डिब्बों के ठेकों तथा रेलवे स्क्रैप की बिक्री को लेकर जांच शुरू होने जा रही है। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं।

मैंने स्वयं यह बात स्थायी समिति में की जा रही टिप्पणियों के दौरान महसूस की थी। समाचार-पत्रों से भी इसका पता चला है। रेलवे संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है जबकि वैगन उद्योग में रेल बोर्ड की गुपचुप सहमति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी पार्टियों के एक समूह को तरजीह दी जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, एक वैगन हेतु सबसे कम निविदा के रूप में 40,000 रु. का कोटेशन दिया जाता है और 42,000 रु. एल-2 के लिए दिया जाता है। जिन्होंने 40,000 रु. का कोटेशन दिया उन पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत लगेगा और जिन्होंने 42,000 रु. दिया उन पर उत्पाद शुल्क आठ प्रतिशत लगेगा। रेल बोर्ड के कर्मचारी एल-1 को बचाने के बहाने 40,000 रु. का प्रस्ताव करते हैं लेकिन बदले में रेलवे के ज्यादा पैसे का भुगतान करते हैं क्योंकि एक ही विनिर्दिष्टता और एक ही समूह वाले वैगन के लिए उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत लगता है। रेल विभाग निविदा में विनिर्दिष्टताओं का उल्लेख करते हैं अर्थात् उन्हें किस प्रकार का वैगन चाहिए तथा उसमें किस प्रकार के पहिए लगेंगे और इस प्रकार उनका निर्माण उनके द्वारा दी गई विनिर्दिष्टताओं के अनुसार किया जाना होता है। लेकिन संबंधित विनिर्माता रेल विभाग को संतुष्ट करता है और समझता है कि वैसी विनिर्दिष्टताओं के लिए उसे निजी ऑपरेटरों से इस-इस प्रकार की मदों को खरीदना पड़ेगा। यह एक खतरनाक गुट है। यह गुट रेलवे के संसाधनों को प्रति वर्ष हड़प रहा है। अतः, मेरी इच्छा है कि रेल वैगनों के लिए दी गई निविदाओं के समूचे मामले की जांच उच्चाधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए। गत पांच वर्षों के दौरान अभी तक निजी पार्टियों को दी गई सभी निविदाओं की भी जांच कराई जानी चाहिए। मैं किसी कंपनी 'ए' बनाम कंपनी 'बी' की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समूचे प्रकरण की बात कर रहा हूं।

मेरे पास यह भी जानकारी है कि विश्व बैंक द्वारा 30 करोड़ रु. का एक ब्याजमुक्त ऋण एक ऐसी इकाई को दिया गया है जोकि समय पर वैगनों की आपूर्ति भी नहीं करती है। मुझे जानकारी है कि जबकि एक कंपनी 1.5 करोड़ रु. के अन्दर प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है, रेलवे उस इकाई को लाभ पहुंचा रही है जो यह उचित बता रही है कि इसकी प्रौद्योगिकी समर्थन लागत अन्य समूह द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक है और इसके बावजूद रेलवे उसका भुगतान कर रही है। वैगनों की निविदाओं में ये सब धांधली चल रही है। इसमें ऐसी जांच और करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री, जोकि रेलवे के संसाधनों को बचाने के प्रति बहुत समर्पित हैं तथा पहले ही कई मामले जांच हेतु सी.बी.आई. को सौंप चुकी हैं, मेरी टिप्पणियों पर एक बार पुनः ध्यान देंगी।

इसके बाद मैं, स्क्रैप के संबंध में बोलूंगा। रेलवे में सबसे बड़ी धांधली स्क्रैप के माले में होती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि स्क्रैप के नाम पर किस चीज को बेचा जाता है और किस चीज को नहीं। इस मामले में मेरा अपना अनुभव है क्योंकि मैं पहले हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। सबसे बड़ा रेलवे स्क्रैप यार्ड बेल्लूर में है जहां लोगों के जीवन को खतरा है। भद्रेश्वर का एक पुलिस अधिकारी माफिया के हाथों मारा गया है। रेल अधिकारी समाज विरोधी तत्वों से मिले हुए हैं। यहां तक कि वे स्क्रैप के नाम पर नई वस्तुओं को भी बेच देते हैं। वहां बजरंग-बली नामक एक बाजार है। आप वहां कोई नई चीज उसकी आधी कीमत पर खरीद सकते हैं। वह माल स्क्रैप यार्ड से आकर बाजार में पहुंचता है। यह धांधली वहां वर्षों से चल रही है।

अब, शालीमार यार्ड के बारे में रिपोर्ट आ रही है। मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं और आज इसका उल्लेख किया है।

वहां लोग क्या करते हैं? गुड्स यार्ड वस्तुओं को बुक करता है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए उन्होंने सरसों का तेल लखनऊ तक, सीमेन्ट गाजियाबाद तक और चीनी कानपुर तक बुक की। धांधली करने वाले लोग शालीमार यार्ड में क्या करते हैं? वे लोग एक बोरी चीनी की और 90 बोरी रेत की बुक कर देते हैं एक दिन मिट्टी के तेल का 20 टिन पानी का बुक कर देते हैं।

इसके बाद वे क्या करते हैं? जब वैगन एक किलोमीटर तक चला जाता है तो उसके बाद वे इसे तोड़ देते हैं, नष्ट कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। आने के बाद वे पूरी मात्रा के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग वहां इस क्रियाकलाप में लिप्त हैं आप उनकी सूची लेकर देखिए। मैंने माननीय मंत्री जी को सुझाव दिया था कि जिस तरह विमानपत्तनों और पत्तनों पर वस्तुओं के निर्यात के मामले में आप विशेष अधिकारी नियुक्त करते हैं उसी तरह रेलवे के इस मामले में भी विशेष अधिकारी नियुक्त कीजिए ताकि गन्तव्य स्थल को भेजा जाने वाला माल रेलवे के गुड्स यार्ड के अधिकारियों तथा रेलवे वाणिज्यिक आसूचना कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित हो। उसके बाद यदि कोई गलती होती है तो दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि क्या ये माल वाकई बाहर जा रहा है अथवा नहीं। यदि आप रेलवे के वस्तु क्षतिपूर्ति बिल को देखें तो पाएंगे कि वस्तु क्षतिपूर्ति के नाम पर क्षतिपूर्ति राशि देकर बड़ी-बड़ी सौदेबाजी की जा रही है।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा अंतिम सवाल रक्षा एवं सुरक्षा को लेकर है। मैंने एक दिन पहले भी इसके बारे में उल्लेख किया था। जब तक सरकार द्वारा रेलवे को रक्षा विभाग के बाद विशेष सुरक्षा प्रबंध नहीं प्रदान किये जाते हैं तब तक रेल विभाग के लिए इस समय मौजूद खतरों तथा देश की समस्याओं से निपटना कठिन है। हर कोई रेलवे को अपना निशाना बना रहा है।

राज्य सरकारें लोगों को रेलवे में जी.आर.पी. के नाम पर भेजती हैं। जी.आर.पी. में कौन लोग हैं? राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक तिरस्कृत पुलिस कार्मिकों को जी.आर.पी. में भेजा जाता है। वे सोचते हैं कि चूंकि राज्य सरकार हमें नहीं चाहती है इसलिए अपना भाग्य यहां क्यों न आजमाया जाये। वे हर तरह की गतिविधियां करते हैं तथा बिल्कुल सहयोग नहीं करते हैं। रेल सुरक्षा बल के पास भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करने के लिए सांविधिक शक्ति नहीं है।

अत: मेरा सुझाव है कि इस समय देश के समक्ष मौजूदा खतरों, उग्रवाद, आतंकवाद, चरमपंथियों, सरगनाओं, जो हमेशा रेलवे को अपना निशाना बनाते हैं, को देखते हुए रेलवे की अपनी संविधि होनी चाहिए। रेलवे का अपना स्वयं का आसूचना स्कन्ध तथा सुरक्षा संबंध होना चाहिए। उसे इस काम के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। उसे कानूनी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार के समन्वयन से सांविधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए और उसे हर तरह से इस मामले में शक्ति सम्पन्न बनाया जाना चाहिए। जब तक रेल विभाग को इस प्रकार की शक्तियां नहीं प्रदान की जाएंगी तब तक स्थानीय पुलिस के साथ निपटना तथा देश के उस संबंधित भाग में समस्याओं से पिनटना कठिन होगा। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगी और रेलवे का कहना होगा वह उत्तरदायी नहीं है और यह कि रेलगाड़ी असम से गुजर रही थी, उसके बाद बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों से गुजरी थी। मरा मानना है कि रेल विभाग का अपनी स्वयं का स्वतंत्र सुरक्षा नेटवर्क होना चाहिए जिसका खर्च राष्ट्रीय बजट के राजकोष द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

महोदया, इन शब्दों के साथ, मुझे पक्का यकीन है कि रेल मंत्री जी इन मुद्दों पर और अधिक निष्ठा तथा गंभीरता के साथ काम करेंगी।

मैं रेल कर्मचारियों के बारे में भी दो एक शब्द बोलना चाहूंगा। मैं पिछले दो-तीन वर्षों से शिकायतें प्राप्त कर रहा हूं कि उनके समयोपरि भत्तों के बिल रेलवे के पास लम्बित पड़े हैं। वे घंटों तक लगातार काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें उनका पैसा नहीं मिल रहा है। यहां तक कि उनकी तिमाही किस्त भी नहीं दी जाती है। यदि किसी इंजिन चालक, तकनीकी स्टाफ, यांत्रिकी स्टाफ, रेल कर्मचारी को उसकी अपनी ही कंपनी अथवा प्रबंध वर्ग द्वारा उसके बिल का भुगतान आज तक नहीं किया गया हो तो वह कैसे रेलवे के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित हो सकता है। इस मसले पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे हल किया जाना चाहिए।

अंतत:, माननीय रेल मंत्री जी वास्तव में हमारे क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रही हैं। हमारा क्षेत्र विगत कई वर्षों से उपेक्षित और वंचित रहा है इसलिए वह जो वहां के लिए कर रही हैं, ठीक कर रही हैं। लेकिन मेरा उनसे अंतिम अनुरोध है कि वह उत्तर बंगाल की परियोजनाओं पर विशेष बल दें। यह क्षेत्र वास्तव में योजना विकास के संदर्भ में और अन्यथा भी उपेक्षित है। उन्होंने कुछ पहल की है और मैं पुन: अनुरोध करूंगा कि मेरी रेल परियोजना बरशी-राधिकापुर जिसकी पुष्टि माननीय रेल मंत्री ने पहले ही कर दी है, जल्द से जल्द उनकी स्वयं की पहल के जरिए पूरी हो जानी चाहिए।

धन्यवाद, महोदया।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा और संबलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में आने वाले आंगुल जिले में तलचेर-आंगुल-संबलपुर रेल लाइन के निर्माण से प्रभावित लोगों को ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" की नौकरियां देने में असफलता (1)

उड़ीसा के खनिज की प्रचुरता वाले तथा जनजातीय बहुलीय क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए योजना तैयार करने में असफलता (2)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतगंत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

भुवनेश्वर और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 8407 की बारम्बारता को सप्ताह में तीन बार बढ़ाकर प्रतिदिन करने की आवश्यकता (3)

पुरी और अहमदाबाद के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 8405 की बारम्बारता को सप्ताह में तीन बार करने की आवश्यकता (4)

आंगुल और हावड़ा बरास्ता ढ़ेंकनाल, रजतगढ़ बरांग, कटक और निरगुंडी के बीच प्रतिदिन एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता (5)

पुरी और द्वारक बरास्ता आंगुल, सबंलपुर, रायपुर, नागपुर, कटक और अहमदाबाद के बीच सप्ताह में दो/तीन बार मेल/एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ किए जाने आवश्यकता है। (6)

भुवनेश्वर और चेन्नई बरास्ता आंगुल संबलपुर, टिटलागढ़, रायागाड़ा और विशाखापत्तनम के बीच सप्ताह में दो/तीन बार मेल/एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता। (7)

भुवनेश्वर और मुम्बई बरास्ता आंगुल -संबलपुर-रायपुर और नगपुर के बीच सप्ताह में दो/तीन बार मेल/एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता। (8)

रेलगाड़ी संख्या 8407/8408-हीराकुड एक्सप्रेस में एक थ्री टीयर वातानुकूलित शयनयान लगाये जाने की आवश्यकता। (9)

रेलगाड़ी 8405/8406 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस में एक थ्री-ट्रीयर वातानुकूलित शयनयान लगाये जाने की आवश्यकता। (10)

दक्षिण-पूर्व रेलवे द्वारा जारी स्टैण्डर्ड सरकुलर यात्रा टिकट में भुवनेश्वर-ढेंकनाल-आंगुल-संबलपुर आने और जाने के मार्ग को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता (11)

आंगुल-सुकिंदा रोड बरास्ता कामख्यानगर, धुबाऊ नई रेल लाइन के लिए धनराशि को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किए जाने की आवश्यकता। (12)

ढेंकानाल और आंगुल को आदर्श स्टेशनों के रूप में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (13)

प्रास्तावित आंगुल-सुकिंदा रेल लाइन के लिए ढेंकनाल जिला मुख्यालय में सर्वेक्षण कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता। (14)

"कि परिसंपत्तियां-खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"

दक्षिण-पूर्व रेलवे के गोपालपुर पत्तन और पराद्वीप पत्तन को उड़ीसा के खनिज की प्रचुरता वाले तथा जनजातिय बहुल क्षेत्रों के साथ रेल संपर्क प्रदान करने में असफलता। (18)

"कि रेल परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 16.01.01-16.04.04) में 100 रुपये कम किये जाएं।"

ढेंकानाल शहर में सिमिटिया में ढेंकानाल गोडिया रोड रेलवे क्रासिंग पर सड़क ऊपरी पुल बनाये जाने की आवश्यकता। (19)

तलचर और गोपालपुर बरास्ता हिंडोल के बीच नई रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (20)

दक्षिण-पूर्व रेलवे के बाजी चौक के समीप ढेंकनाल टाउन लेवल क्रासिंग से ढेकनाल रेलवे स्टेशन तक विद्यामान रेलवे मालशेडों से होते हुए एक सड़क (लगभग 1/2 कि.मी.) के निर्माण की आवश्यकता। (21)

श्यामाचक्करणपुर में यात्री शेड बनाए जाने की आवश्यकता (22)

दक्षिण-पूर्व के आंगुल में वेगन वर्कशाप तथा लोकोशेड कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (23)

दक्षिण-पूर्व रेलवे के आंगुल में लोकोशेड को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (24)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

दक्षिण पूर्व रेलवे के श्यामाचरणपुर स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (26)

दक्षिण पूर्व रेलवे के श्यामाचरणपुर स्टेशन पर प्रतीक्षा हाल, विश्राम गृह, अल्पाहार गृह और अमानती समान घर की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (27)

दक्षिण पूर्व रेलवे के श्यामाचरणपुर स्टेशन पर उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (28)

दक्षिण पूर्व रेलवे के श्यामाचरणपुर स्टेशन पर पानी के कूलर की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (29)

दक्षिण पूर्व रेलवे के श्यामाचरणपुर स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर बैठने की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (30)

हाबड़ा–मद्रास मेल में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (31)

हाबड़ा चेन्नई-कोरामंडल एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (32)

पुरी–अहमदाबाद एक्सप्रेस में बोइंडा से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (33)

भुवनेश्वर–हजरत निजामुद्दीन-हीराकुड एक्सप्रेस बोइंडा से सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा को उचित रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (34)

पुरी-राउरकेला तपस्विनी एक्सप्रेस में बोइंडा से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (35)

पुरी–नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (36)

पुरी–नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (37)

भुवनेश्वर–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (38)

पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (39)

पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस में एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (40)

पुरी-राउरकेला तपस्विनी एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (41)

भुवनेश्वर-मुम्बई कोणार्क एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (42)

पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (43)

कोचीन-गुवाहाटी एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (44)

गुवाहाटी-कोचीन एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (45)

बंगलौर-गुवाहाटी एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (46)

गुवाहाटी-बंगलौर एक्सप्रेस में आंगुल से एसी-2-टियर, एसी-3-टियर और स्लीपर श्रेणी में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (47)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर प्लेटफार्म की लम्बाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (48)

ढेंकनाल स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (49)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर प्रतीक्ष हाल, विश्राम गृह, अल्पाहार गृह और अमानती सामान घर की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (50)

[श्री के.पी. सिंहदेव]

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (51)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर पानी के कूलर की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (52)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर बैठने की व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता। (53)

बंगलौर–गुवाहाटी एक्सप्रेस में ढेंकनाल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (54)

गुवाहाटी –बंगलौर एक्सप्रेस में ढेंकानाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (55)

हावड़ा–मद्रास मेल में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (56)

हावड़ा–चन्नई–कोरोमंडल एक्सप्रेस में ढेंकानाल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (57)

पुरी–अहमदाबाद एक्सप्रेस में अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में आठ सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (58)

भुवनेश्वर–हजरत निजामुद्दीन हीराकुड एक्सप्रेस में अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (59)

रेलगाड़ी संख्या 8405/8406 पुरी–अहमदाबाद एक्सप्रेस में वातानुकूलित 2–टीयर, 3–टीयर, कोच जोड़े जाने की आवश्यकता (60)

भुवनेश्वर–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (61)

पुरी–नई दिल्ली नीलांचल एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (62)

पुरी–नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (63)

भुवनेश्वर–नई दिल्ली–राजधानी में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (64)

पुरी–नई दिल्ली–पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (65)

पुरी–हावड़ा एक्सप्रेस में ढेंकनाल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (66)

पुरी–राउरकेला–तपस्विनी एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (67)

भुवनेश्वर–मुम्बई–कोणार्क एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (68)

पुरी–तिरूपति एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (69)

कोचीन–गुवाहाटी एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (70)

गुवाहाटी–कोचीन एक्सप्रेस में ढेंकनाल/अंगुल से वातानुकूलित 2–टीयर, वातानुकूलित 3–टीयर और स्लीपर क्लास में आरक्षण कोटा में दस सीटें बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (71)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों पर पर्याप्त मात्रा में लाईट और पंखों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (72)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म पर शेड के निर्माण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (73)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर स्टेशन पर ऊपरिपुल सहित दूसरे प्लेटफार्म की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (74)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर स्टेशन पर पीसीओ, एसटीडी और स्थानीय टेलीफोन की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (75)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर स्टेशन को आधुनिक बनाने और उसके आसपास वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता। (76)

अंगुल रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने जाने की आवश्यकता। (77)

यात्रियों के लिए उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर प्लेटफार्मों पर पर्याप्त मात्रा में लाइट और पंखों की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (78)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर प्लेटफार्म पर शैड की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (79)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर ऊपरिपुल सहित दूसरे प्लेटफार्म की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (80)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन पर पी.सी.ओ., एस.टी.डी. और स्थानीय टेलीफोन बूथ की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (81)

उड़ीसा में ढेंकनाल स्टेशन को सुन्दर बनाये जाने और उसके आसपास वृक्ष लगाये जाने की आवश्यकता। (82)

दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत श्यामचरणपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (83)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पूर्वी तट रेलवे जोनल मुख्यालय के उद्घाटन के पांच वर्ष पश्चात् भी ठसे चालू करने में असफलता। (184)

खुर्दा रोड़ डिवीजन के अंतर्गत ढेंकानाल रेलवे स्टेशन, दक्षिण-पूर्व रेलवे स्थित भारतीय खाद्य निगम साईडिंग में कोई प्लेटफार्म कवरशेड्स, लाईट, पानी उपलब्ध कराने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की चोरी के कारण भारी नुकसान हुआ है और इसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को भारी विलंब शुल्क चुकना पड़ा है। (185)

भुवनेश्वर, दक्षिण पूर्व रेलवे में एक सेटेलाइट कोचिंग टर्मिनल प्रदान करने में असफलता। (186)

संबलपुर में एक रेलवे डिवीजन प्रदान करने में असफलता। (187)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

जिला मुख्यालय में अंगुल रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षा कक्ष प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (188)

दक्षिण-पूर्व रेलवे में पुरी-ढेंकनाल पैसेंजर रेलगाड़ी को आंगुल तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (189)

दक्षिण पूर्व रेलवे में आंगुल रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक उद्घोषणा और श्रम व्यवस्था प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (190)

दक्षिण पूर्व रेलवे में आंगुल रेलवे स्टेशन पर रेलवे डाक सेवा और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता। (191)

बहादुरी पुरस्कार विजेता जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, धारकों/उनकी विधवाओं के लिए राजधानी एक्सप्रेस/शताब्दी एक्सप्रेस/मेट्रो रेलवे में एक साथी के साथ द्वितीय वातानुकूलित शयनयान/प्रथम श्रेणी के नि:शुल्क यात्रा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (192)

सरकुलर यात्रा टिकट में पुरी-भुवनेश्वर-ढेंकनाल-आंगुल-संबलपुर-झारसूगुढा-नागपुर-भोपाल-उज्जैन-नागदा-कोटा-सवाई-माधोपुर-जयपुर-अजमेर-चित्तौगढ़गढ़-उदयपुर-अहमदाबाद-मुम्बई-पुणे-सिकन्दराबाद-विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम-बेहरामपुर-खुर्दा रोड-पुरी कं शामिल किए जाने की आवश्यकता। (193)

पुरी और अजमेर के बीच बरास्ता ढेंकनाल/आंगुल/संबलपुर रायपुर, नागपुर, भोपाल, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, दूसरे/तीसं सप्ताह में मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता (194)

भीड़भाड़ और विलम्ब से बचने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे में ढेंकनाल रेलवे स्टेशन पर लाइन 1 से लाइन 4 तक एक "क्रास-ओवर" की व्यवस्था करने की आवश्यकता। (195)

भुवनेश्वर से मुम्बई के बीच बरास्ता ढेंकनाल, आंगुल, संबलपुर, रायपुर और नागपुर, दक्षिण-पूर्व रेलवे में तलचर-आंगुल-संबलपुर बड़ी लाइन पर एक शार्टर डायरेक्ट लिंक की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (196)

[श्री के.पी. सिंहदेव]

सूचना प्रौद्योगिकी स्थानांतरण और वाणिज्यिक कारणों को ध्यान में रखते हुए बंगलौर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भुवनेश्वर तक बढाये जाने की आवश्यकता। (197)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

दक्षिण पूर्व रेलवे स्टेशन के कटक जंक्शन पर राजस्व डिवीजन मुख्यालय में भारतीय खाद्य निगम के साईडिंग्स के बंद होने से रोकने में असफलता। (198)

"कि परिसम्पत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

दक्षिण पूर्व रेलवे में आंगुल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म 1 से प्लेटफार्म 2 तक पैदल उपरि पुल की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (199)

दक्षिण पूर्व रेलवे में आंगुल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या 2 पर पीने के पानी की आपूर्ति की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (200)

दक्षिण-पूर्व रेलवे के गुनुपुर और नोपाडा के बीच के छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता। (201)

रेलवे कालोनी से आलेखपटना आंगुल टाउन तक एक सड़क की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता ताकि रेलवे कर्मचारियों के लिए दूरी ढाई किलोमीटर कम हो सके। (202)

दक्षिण पूर्व रेलवे में आंगुल रेलवे स्टेशन पर 'डारमीटरी' आवास की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (203)

तलचर और गोपालपुर के बीच बरास्ता हिन्दुल, एक नई रेलवे लाइन की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (204)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड के शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

राजधानी गाडी जो वर्तमान में हाजीपुर होकर जाती है को मुजफ्फरपुर होते हुए चलाये जाने की आवश्यकता। (103)

यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए आरक्षण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता। (104)

यात्रा समय घटा कर 12 घंटे करने के लिए नई दिल्ली से कलकत्ता, चेन्नई, मुम्बई, बैंगलौर, और हैदराबाद तक तीव्र रेल सेवा शुरू करने की आवश्यकता। (105)

नई दिल्ली और पटना तथा नई दिल्ली और मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाये जाने की आवश्यकता। (106)

निर्धन वर्ग के लिए रेलवे द्वारा अधिक छूट दिये जाने की आवश्यकता। (107)

हाजीपुर, मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर बिठौली हाल्ट का नाम बदलकर एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर दीपनारायण नगर स्टेशन किये जाने की आवश्यकता। (108)

बिड्डूपुर स्टेशन का नाम बदल कर अक्षयवट नगर करने की आवश्यकता। (109)

हाजीपुर में रेलवे जोनल कार्यालय खोले जाने में तेजी लाने की आवश्यकता। (110)

रेलवे बोर्ड को भंग करने की आवश्यकता। (111)

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

हाजीपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाइन पर दिघी और अकारा गुमटी के निकट एक रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता। (112)

पटना में एक रेलवे पुल के निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता। (113)

पटना-बाढ़ रेल लाइन पर दीदारगंज (फतुहा) गुमटी पर एक रेल ऊपरि पुल के निर्माण की आवश्यकता। (114)

समस्तीपुर से हसनपुर होते हुए खगरिया रेल लाइन के आमान परिवर्तन की आवश्यकता। (115)

"बौद्ध सर्कल" पूरा करने के लिए हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल सैक्शनों के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (116)

दरभंगा-सीतामढ़ी-नरकटिया लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता। (117)

हसनपुर-कुशेश्वर अस्थान-साकरी मार्ग पर रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (118)

समस्तीपुर और शाहपुरपरोठी के बीच रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (119)

[अनुवाद]

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी (बारपेटा): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

नॉरदर्न फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत न्यू मोइनागुरी-जोगीघोपा नई लाइन का निर्माण शुरू करने के लिए अधिक निधियों के आवंटन की आवश्यकता। (120)

नॉरदर्न फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत अभयपुरी पर क्रासिंग स्टेशन पर शीघ्र कार्य करने की आवश्यकता। (121)

नॉरदर्न फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत बारपेटा रोड़ और न्यू बोंगाईगांव के मध्य रेल लाईन का नवीकरण तथा अन्य संबंधित कार्यों को शीघ्र किये जाने की आवश्यकता। (122)

श्री इब्राहम मोइस्लाह (उलूबेरिया): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

खड़गपुर मंडल में ई.एम.यू. लोकल गाड़ियों को समय पर चलाये जाने की आवश्यकता। (123)

खडगपुर और शालीमार के बीच ई. एम. यू. लोकल गाड़ियों को चलाने तथा शालीमार टर्मिनल को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (124)

दक्षिण पूर्व रेलवे तथा पूर्व रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से हल्दिया/खडगपुर और सियालदाह बरास्ता दानकुनि के बीच ई.एम.यू. लोकल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता। (125)

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा उड़ीसा की ओर जाने वाली मेल गाड़ियों को बाउरिया अथवा उलुबेरिया पर रोकने की आवश्यकता। (126)

दक्षिण पूर्व रेलवे के पंसकुरा तथा खडगपुर के बीच तीसरी रेल लाइन तथा हावड़ा और पंसकुरा के बीच चौथी रेल लाइन बिछाये जाने की आवश्यकता। (127)

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा और बरगाधिया के बीच ई.एम.यू. लोकल गाड़ियों की संख्या तथा उनकी गति बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (128)

दक्षिण पूर्व रेलवे के उलुबेरिया, फुलेश्वर, छेनगाइल तथा बाउरियां स्टेशनों की ओर जाने वाले पहुंच मार्गों की शीघ्र मरम्मत करने की आवश्यकता। (129)

दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा बागनान, उलुबेरिया, बाउरिया तथा रामराजाटोला पर फ्लाई ओवर का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता। (130)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हावड़ा-सियालदाह और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू किये जाने की आवश्यकता। (243)

हावड़ा मंडल के हावड़ा बंडेल सैक्शन के भद्रेश्वर वैद्यावाटी के बीच खुरीगाची पर एक नया रेलवे स्टेशन बनाये जाने की आवश्यकता। (244)

सियालदाह और लालगोला के बीच सिराज एक्सप्रेस नाम से एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू किये जाने की आवश्यकता। (245)

पूर्व रेलवे के अहमदपुर-कटवा और वर्धमान-कटवा सैक्शन का आमान परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता। (246)

बंदेल, चंदनगर मनकुंडू, भद्रेश्वर और श्रीरामपुर में भूमिगत पारपथों में जल के जमाव को रोकने के लिए रेलवे द्वारा स्थायी तथा संतोषजनक व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता। (247)

हावड़ा-वर्धवान मेनलाइन पर ईएमयू रेलगाड़ियों के चार और जोड़े उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (248)

मेनलाइन व हावड़ा और बंदेल के बीच ईएमयू रेलगाड़ियों के चार और जोड़े उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (249)

एचबी कार्ड होते हुए हावड़ा और वर्धवान के बीच ईएमयू रेलगाड़ियों के शुरू करने की आवश्यकता। (250)

नईहाट होते हुए बर्धवान और सियालदाह के बीच रेलगाड़ियों की बारम्बारता को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (251)

सियालदाह और नईहाटी के बीच चार और रेलगाड़ियों के जोड़े तथा सियालदाह और कृष्णानगर के बीच दो जोड़े शुरू करने की आवश्यकता। (252)

[श्री रूपचन्द पाल]

खडगपुर और सियालदाह के बीच और ईएमयू रेलगाड़ियां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (253)

बंदेल तथा बर्धवान से गुजरने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के लिए चूचूरा और चंदननगर पर तत्काल कम्प्यूटरीकृत बुकिंग प्रणाली शुरू किए जाने की आवश्यकता। (254)

अंदल-सैन्थीया होते हुए आसनसोल से रामपुरहाट के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को शुरू किये जाने की आवश्यकता। (255)

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के बंदेल-हावड़ा सैक्शन पर भद्रेश्वर और वैद्यवाटी के बीच खुरीगाची के पास एक नया रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (256)

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में हावड़ा बुर्दवान कॉर्ड लाइन पर बेलमूरी और शिबाईचांदी के बीच हाथीगोला पुल के पास एक नया रेलवे स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता। (257)

नलीकुल के पास हावड़ा-बर्दवान कॉर्ड लाइन और तार्केश्वर ब्रांच लाइन को जोड़ने की आवश्यकता ताकि तार्केश्वर ब्रांच लाइन के यात्री सीधे सियालदाह पहुंच सकें। (258)

अमृतसर मेल को बंदेल पर रोके जाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता। (259)

गणदेवता एक्सप्रेस को बंदेल पर रोके जाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता (260)

"कि परिसंपत्तियां--खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

सिलीगुढी जंक्शन और न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच विद्यमान मीटरगेज लाईन को बदलकर बड़ी दोहरी लाइन में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता। (261)

दिघा-तामलुक लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (262)

शियोराफुले-तारकेश्वर लाइन को दोहरा करने के कार्य को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता। (263)

आरामबाग होते हुए तार्केश्वर से विष्णुपुर के आगे रेलवे लाइन के कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (264)

बंदेल-कटवा रेलवे लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता। (265)

खन्ना जंक्शन और सैन्थिया के बीच दोहरी लाइन के कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता। (266)

हावड़ा और बंदेल के बीच चौथी रेल लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (267)

कृष्णानगर और करीमपुर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (268)

बंदेल-आजीमगंज के बीच रेलवे लाइन को दोहरा करने तथा कटवा से आजीमगंज तक की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (269)

बीडीआर रेल लाइन के आमान-परिवर्तन के कार्य में तेजी लाने तथा उसे तार्केश्वर तक बढ़ाये जाने और उसे बर्धमान और दुर्गापुर तक जोड़ने की आवश्यकता। (270)

बंदेल में एक पैदल ऊपरिपुल का शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता। (271)

मोगरा, कामरकुंडू और दनकुनी पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (272)

अंदल-सैथिया सैक्शन का विद्युतीकरण और दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता। (273)

अहमदपुर-कटवा और वर्धमान कटवा सैक्शन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता। (274)

कालीनारायणपुर से लालगोला के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता। (275)

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल से सियालदाह-लालगोल सैक्शन को जोड़ने के लिए आजीमगंज पर भागीरथी नदी पर एक रेलवे पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता। (276)

हावड़ा और बर्दवान तथा सियालदाह और नईहाटी तथा नईहाटी और बंदेल के बीच सभी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता। (277)

सभापति महोदय: मैं केवल यह घोषणा करना चाहता हूँ कि वाद विवाद 6 बजे समाप्त होगा, मंत्री जी 6 बजे उत्तर देंगे और मतदान सायं 6.30 बजे होगा। अत: मैं चाहता हूँ कि माननीय सदस्य प्रत्येक पार्टी के आवंटित समय नोट कर लें। कांग्रेस के 46 मिनट हैं और सूची में इसके 6 वक्ता है; एन.डी.ए. का एक घंटा

और 47 मिनट है; सी.पी.आई. (एम.) को 13 मिनट दिए गए हैं और 3 वक्ता हैं, टी.डी.पी. के 12 मिनट, समाजवादी पार्टी को 10 मिनट और बी.एस.पी. को 6 मिनट दिये गये है।

मैं इसे आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अध्यक्ष महोदय चाहते हैं कि हमारे लिए समय की एक सीमा होनी चाहिए कि हम कार्यमंत्रणा समिति के निर्णयानुसार बोल रहे हैं।

श्री अखिल बसु: लेकिन आये दिन गाड़ी पटरी से उतर जाती हैं।

सभापति महोदय: आये दिन गाड़ी पटरी से उतर जाती है, लेकिन अब हम रेलवे की सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए, आइये हमें पुन: लाइन पर आयें। श्री मुन्नूलाल मोहले—अनुपस्थित जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं, मैं उनके नाम काट रही हूँ। इसके बाद मैं उनका नाम दुबारा नहीं बुलाऊंगी।

श्री पी. राजेन्द्रन।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): इस सम्माननीय सभा में इस अवसर पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैडम आपका धन्यवाद।

रेल बजट प्रस्तुत करते समय, केरल राज्य के सभी सदस्यों ने रेल मंत्री और सरकार के रवैये का ध्वनिमत से विरोध किया था। जहां तक रेलवे का संबंध है हमारे राज्य की बिल्कुल उपेक्षा की गयी। हम संसद भवन के सामने धरने पर भी बैठे।

पहली बार में ही माननीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि केरल को उसकी आवश्यकता से अधिक दिया गया था।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने हमारी बात काफी धैर्य से सुनी। संसद के दोनों सदनों—राज्य सभा और लोक सभा के सभी सदस्यों की बैठक हुई और इस समय हमने केरल को संतुष्ट करने के लिए उनके समक्ष अपनी न्यूनतम मांगें रखी और उन्होंने बड़े आश्वासन दिये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि अनेक आश्वासनों का जिनका उन्होंने बैठक के दौरान वायदा किया था, सम्माननीय सभा के समक्ष रेल बजट पर चर्चा के अपने उत्तर में जिक्र तक नहीं किया। उदाहरण के लिए विद्युतीकरण का ही मामला लीजिए। हमारा राज्य रेल विद्युतीकरण के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर हुये रेल विद्युतीकरण में काफी पीछे है। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने का वायदा किया था लेकिन रेल बजट पर चर्चा के अपने उत्तर में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं अपने राज्य में दूर की गई विसंगतियों के संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं।

अपराह्न 3.01 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

महोदय, मंत्री जी ने रेलवे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार और केरल राज्य सरकार के बीच सभी कार्यों का समन्वय करने के उद्देश्य से केरल में एक नया कार्यालय खोलने का वायदा किया था और कहा था कि वहां तैनात अधिकारी केन्द्रीय स्तर के संयुक्त सचिव के रैंक के होंगे। मैं इन सब का सविस्तार वर्णन नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं।

महोदय, उन्होंने अपने रेल बजट में यह उल्लेख किया था कि रेल हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। सम्माननीय सभा में रखे जाने वाले इस बजट की इस बात को लेकर तीखी आलोचना हुई है कि वर्ष-दर-वर्ष रेलवे बोर्ड की बजटीय सहायता में कमी की गई है। हरेक जानता है कि केवल पर्याप्त बजटीय सहायता से ही रेलवे राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा कर सकती है। बजटीय सहायता बढ़ाए बिना रेलवे राष्ट्र की आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकती है? उन्होंने घोषणा भी थी कि उनका बजट इस सहस्राब्दि का पहला बजट है जो लोगों की आशाओं को पूरा करेगा। बिना पर्याप्त बजटीय सहायता के इस नई सहस्राब्दि में लोगों की मांगों और आकांक्षाओं को रेलवे बोर्ड कैसे पूरा कर सकता है?

स्पष्ट है कि रेलवे बजट में राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने और रेलवे का एक निश्चित स्टैंडर्ड जिसकी सम्पूर्ण देश के लोगों को आशा है, तक विकास करने की कोई दीर्घावधि आसार नहीं हैं।

उन्होंने अपने रेल बजट में इस बात का जिक्र किया था कि हमारी रेल प्रणाली के अधिकांश हिस्से का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता से पूर्व हुआ था। हमें इस पर शर्म आनी चाहिए कि 52 वर्षों के बाद भी हम उतना नहीं कर पाये हैं जितना उन्होंने हमारे देश के लिए किया था। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड और सरकार को कार्य करना होगा। लाखों, करोड़ों लोग अनेक चीजों की मांग कर रहे हैं लेकिन बजट में एक सब चीजों का कोई उल्लेख नहीं है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है।

केरल के सभी सदस्य रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग कर रहे हैं। यहाँ अनेक कठिनाइयां थी उनके कारण केरल में अधिक

[श्री पी. राजेन्द्रन]

से अधिक रेल लाइन शुरू नहीं की जा सकी। हमारा सरकार से कोट्टायम और अलेप्पी तक रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध है। हमने नई रेल लाइनें और मंगलौर से त्रिवेन्द्रम तक नई रेलगाड़ियों की भी मांग की थी। उन्होंने वायदा किया था कि नई रेलगाड़ी 1 मई से शुरू कर दी जाएगी। हम रेल मंत्री से नई रेल लाइन शुरू करने के बारे में सुनकर उत्सुक हैं।

मैं यह समाचार सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कोयम्बटूर से क्विलोन तक दोनों रेलगाड़ियों की सेवाएं एक कर दी गई। रेल मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया था। मैं क्विलोन से सांसद हूँ। यह मीटरगेज लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ी का अंतिम स्थान है। लेकिन मुझे सूचित नहीं किया गया। एक अन्य सांसद को झण्डी दिखाकर रेलगाड़ी रवाना करने के लिए आमंत्रित किया गया। रेल मंत्रालय ने इन दोनों छोरों पर दोनों उद्घाटन करके एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी थी। कृपया इस तरह की स्थिति पैदा न करें। दोनों रेलगाड़ियों की सेवाओं को साथ-साथ शुरू किया गया। जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): कौन मंत्री था? इसका किसने उद्घाटन किया?

श्री पी. राजेन्द्रन: यह किसी माननीय मंत्री द्वारा नहीं किया गया था। एक सांसद ने रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया था। मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई थी।

अंत में, मेरा प्रस्ताव केरल में रेलवे स्टेशनों पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए कदम उठाये जाने का है। वे बहुत बुरी हालत में हैं। प्लेटफार्म उचित स्तर के अनुरूप नहीं हैं। सरकार से पर्याप्त धनराशि के आबंटन से ही रेलवे क्विलोन तक आमान परिवर्तन कार्य सहित रेल विकास के संबंध में नई सहस्राब्दि की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, रेलों पर जितना भी पैसा खर्च हो, वह कम ही माना जायेगा, इसलिए कि रेल जिस ढंग से इस देश की सेवा करती है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये, उस प्रशंसा को करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है।

मैं आपके बीच कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन कुछ समस्याओं का जिक्र करूंगा। अभी-अभी जो बजटीय प्रावधान किये गये और जिस ढंग से रुपयों का बंटवारा देश के अन्य प्रान्तों में रेल के पुराने प्रोजैक्ट्स पर किया गया है, उसमें मेरी नजर में बिहार को उचित हिस्सा नहीं मिल पाया है। रेल मंत्री जी बिहार के हैं और मुझे लगता है कि ...*(व्यवधान)* राज्य मंत्री का नाम आप भी जानते हैं, सदन भी जानता है, दिग्विजय बाबू सदन के बहुत पुराने लोगों में हैं, वरिष्ठ लोगों में हैं। मेरी नजर में जो पुराने प्रोजैक्ट बिहार के थे और जो पैसा उनमें देना चाहिए था, वह पैसा नहीं दिया जा सका है और कुछ ऐसे प्रोजैक्ट, जैसे कटिहार में एक प्रोजैक्ट पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, मेरी जानकारी अगर सही है तो उस प्रोजैक्ट का काम शुरू ही नहीं होना है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजैक्ट जो पुराने रेल मंत्री के जमाने से बजट में भी लाये गये, प्लानिंग कमीशन ने भी उनकी स्वीकृति दी है, पता नहीं भारत सरकार की सी.सी.ई.ए. एक कमेटी है, हमें पता चला है कि उसमें पास नहीं होता है। यह तो पोलिटिकल निर्णय होता है। छपरा से कप्तानगंज, जो बजट में भी पास है, प्लानिंग कमीशन द्वारा भी पास किया गया है। लेकिन उस पर एक पैसा भी नहीं दिया गया इसलिए कि सी.सी.ए. की स्वीकृति नहीं हुई। मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस समय बजटीय प्रावधान में या योजना आयोग में प्रोजेक्ट आया तो क्या उसके बाद सी.सी.ए. की बैठक नहीं हुई। अगर हुई तो किस परिस्थिति में उस प्रोजेक्ट को स्वीकृति नहीं दी गई। सभापति जी, जब आप वहां रहते हैं तो गंगा ब्रिज के बारे में बड़े जोर-शोर से चर्चा करते हैं। गंगा ब्रिज उत्तर बिहार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उससे सिर्फ उत्तर बिहार ही नहीं, बल्कि यह कहा जाए कि बिहार के दो भागों को जोड़ने का काम वह पुल करेगा, तो गलत नहीं होगा। लेकिन नीतिश के जमाने में इसी सदन में बड़ा हंगामा हुआ था कि पुणे या मुम्बई वह गया हुआ है जांच के लिए, पता नहीं वह जांच कहां तक पहुंची। उसका शिलान्यास देवेगौड़ा जी ने किया था। उस समय राम विलास पासवान जी रेल मंत्री थे। कितने रेल मंत्री आए और कितने गए, प्रधानमंत्रियों के बदलने का सिलसिला भी जारी है, पता नहीं ममता जी के जमाने में उस पुल का कुछ होगा या नहीं। वह पुल बिहार की किस्मत से जुड़ा हुआ है। हम ममता जी और दिग्विजय बाबू से निवेदन करेंगे कि आप उसके लिए प्रयास करें और तेजी से काम कराएं। उसका कागजी शिलान्यास हुआ है, ओरिजनल शिलान्यास कराकर निधि देकर काम शुरू कराया जाए।

दिग्विजय बाबू आप महाराजगंज गए थे। वहां के लोगों को महाराजगंज से घरौंदा रेल लाइन चलाने का आश्वासन दिया था। पासवान जी के जमाने में कुछ रुपया उसके लिए मिला था और मिट्टी का काम हुआ था, उसके बाद पैसा नहीं दिया गया। अब बरसात आएगी तो मिट्टी का काम भी नहीं हो पाएगा। पता नहीं आपके अधिकारी आपकी मानते हैं या नहीं या ममता जी ने उनको

मना कर दिया है कि आपकी बात न मानी जाए। अगर नहीं किया है तो आप अपने अधिकारियों से उस पर अमल कराएं और उस रेल लाइन को चालू कराएं।

महाराजगंज और मिसरिख लाइन का दो बार सर्वे हो चुका है। रेल विभाग कहता है कि जब 12-14 प्रतिशत रिपोर्ट आती है तो उसके बाद स्वीकृति दी जाती है। जहां तक मुझे जानकारी है प्रथम सर्वे जब होता है उसमें 12-14 प्रतिशत रिपोर्ट आ जाती है। अगर फिर भी उस पर निर्णय नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि पोलिटिकल निर्णय इस पर हुआ है। अगर ऐसा ही होता है तो पता नहीं कौन मंत्री होगा और कब उसके क्षेत्र में काम होगा। मेरा निवेदन है कि आप उसमें शामिल होकर उस काम को कराएं। सर्वे रिपोर्ट आ गई है, उसको स्वीकृति दिलाएं। मात्र 35 किलोमीटर दूरी की छोटी सी रेल लाइन है। यह रेल लाइन दो जिलों को भी जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा यह सीमावर्ती इलाका है। उत्तर प्रदेश के लोग भी इससे जुड़ेंगे। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है इसका विस्तार किया जाना चाहिए। हम इसके लिए आपके आभारी होंगे और वहां के लोग भी आपके आभारी होंगे।

इसी तरह से छपरा से दिल्ली के लिए वैशाली एक्सप्रैस चलती है, जो काफी द्रुतगामी है। उसमें डिब्बों की कमी है। नीतीश जी ने कहा था कि हम विस्तार कराएंगे। उसमें पर्याप्त डिब्बे नहीं होने की वजह से यात्रियों को बड़ी कठिनाई होती है। कई बार तो लोग छत के ऊपर बैठकर यात्रा करते हैं। उसमें एस.सी. कोच की भी कमी है। एक ही बोगी को आधा ए.सी. कर दिया गया है। ...*(व्यवधान)* मुझे अभी पता लगा है कि पूरी बोगी ए.सी. हो गई है, अगर वास्तव में हो गई है तो हम आपको बधाई देते हैं।

हम चाहेंगे कि आम लोगों के लिए गाड़ियों में जो बोगीज होती हैं, उनमें विस्तार किया जाए। उत्तर बिहार के लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए, अपने परिवार की जीविका को चलाने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं। ममता जी, बंगाल में भी जाते हैं और कलकत्ता में तो आपके मतदाता भी हैं। बहुत संख्या में उत्तर बिहार के छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं। असम में भी बहुत लोग जाते थे, लेकिन असम में उग्रवाद का प्रभाव बढ़ने से, लोगों का जाना कम हुआ है। इस क्षेत्र को छोड़ कर गुजरात की ओर बढ़ने लगे हैं और महाराष्ट्र की ओर जाने लगे हैं। इसके बाद दिल्ली की तरफ उत्तर बिहार के लोग बहुत ज्यादा संख्या में जाते हैं। इन राज्यों में मजदूरी करके ये लोग अपने परिवार की जीविका चलाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए सीधी गाड़ी छपरा से बड़ोदरा, गुजरात के लिए नहीं है। वहां के लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है। इसलिए हम यह कहेंगे कि आप छपरा से बड़ोदरा, गुजरात के लिए एक गाड़ी चलवा दीजिए, जिससे उत्तर बिहार के लोग, जो मजदूरी करने के लिए यहां जाते हैं, उनको सुविधा हो सके और अपने परिवार की जीविका को सही तरीके से चला सकें।

महोदय, छपरा और बलिया के बीच सरयू नदी है। छपरा जिला का कुछ हिस्सा सरयू नदी के पार पड़ता है। यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव है। यहां से लोग बाजार करने के लिए छपरा तक जाते हैं। बरसात के दिनों में पीपा का पुल बनाया जाता है, लेकिन ज्यादा पानी होने से वह बह जाता है और आवागमन ठप्प हो जाता है। इसलिए इस परिस्थिति में एक लोकल ट्रेन इस क्षेत्र के लिए देना अति आवश्यक है। इसलिए हम चाहेंगे कि छपरा से वाराणसी तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाए, जिससे वहां के लोगों को सुविधा हो सके और बरसात के दिनों में आवागमन जो अवरुद्ध हो जाता है, वह न हो।

इसी तरह से एक रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है- समस्तीपुर से करपूरी ग्राम। उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और कुछ बीच के हिस्से का विकास हो चुका है। अगर समस्तीपुर से करपूरी ग्राम को बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उधर के लोगों को भी सुविधा होगी।

अंत में, हम माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे इस ओर ध्यान दें और ध्यान देकर जनता के लिए जो महत्वपूर्ण काम हैं, उनको करवाने की दिशा में कदम उठाएं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मुझे विश्वास है कि ममता जी इन समस्याओं की ओर ध्यान देंगी।

श्री चन्द्रभूषण सिंह (फरुखाबाद): सभापति महोदय, रेलवे पर आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि हिन्दुस्तान की रेलवे लाइनें और रेलें दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है, लेकिन जैसी अव्यवस्था सभी विभागों में चल रही है, उसी तरह बहुत सारी अव्यवस्थायें रेलवे में भी हैं। सबसे पहले मैं इनकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए 19 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें अकेले गेज परिवर्तन के लिए मंत्रालय को 900 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। जो भी वित्तीय साधन आपके पास हैं, उनको देखते हुए ये योजनायें अगले दस वर्षों में पूरी होने वाली हैं। होता यह है कि पुरानी योजनायें पड़ी रहती हैं और हर वर्ष उनके लिए रिवाइज्ड एस्टीमेंट बनता है और सरकार का हजारों करोड़ रुपया उन योजनाओं के ऊपर खर्च हो जाता है, लेकिन वे पूरी नहीं हो पाती हैं। इससे भी रेल मंत्रालय को घाटा होता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नई रेल लाइनें तो बिछाइए, लेकिन इन लाइनों की भी प्राथमिकता दर्ज करें।

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

ऐसा नहीं कि राजनैतिक दबाव के कारण ऐसी जगह पर रेलवे लाइन हो जहां बहुत आवश्यक न हों। योजनायें तभी लें जब पुरानी योजनाओं का अच्छे ढंग से कार्यान्वयन हो जाये। जो योजनायें अंतिम चरण में हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए। मैं ऐसा दुर्भाग्यशाली सांसद हूं कि जिस जनपद से आता हूं वहां ब्राज गेज और मीटर गेज दोनों हैं लेकिन इनमें से कोई भी दिल्ली या लखनऊ को नहीं जोड़ती है। विगत वर्ष फरुखाबाद से मथुरा रेल लाइन को ब्राड गेज में परिवर्तित करने के लिए 39 करोड़ रुपया से ज्यादा दिया गया था लेकिन इस वर्ष उस योजना में मात्र 26 करोड़ रुपया दिया गया है जबकि पूरी योजना के लिए 230 करोड़ रुपये लगना है। मेरा आग्रह है कि इस बड़े इलाके के लिए और अधिक रुपया उपलब्ध करा दें जिससे आमान परिवर्तन के बाद वहां के लोगों को दिल्ली और लखनऊ पहुंचने में सुविधा मिल सके। इसलिए यह राशि 26 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ज्यादा कर दें ताकि योजना पूरी होने में सहयोग मिल सके।

सभापति महोदय, मेरी जानकारी में आया है कि फरुखाबाद से गोला गोकरणनाथ तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए 1963 में सर्वेक्षण हुआ था जब डा. लोहिया सांसद थे और उन्होंने भी इस मांग को उठाया था। उसके बाद एक बार और सर्वे किया गया। उस रेल लाइन का महत्व इसलिए है कि यह सीधा चीन सीमा तक पहुंचती है और यह दक्षिण और मुम्बई के सभी मार्गों को जोड़ता है। मेरा निवेदन है कि जब दो बार इसका सर्वे हो चुका है तो रक्षा की दृष्टि से दुबारा सर्वे कराने का आदेश दिया जाये। यदि रक्षा विभाग के सलाहकार कहते हैं कि इस लाइन का बनना आवश्यक है तो प्राथमिकता के आधार पर इसे योजना में लिया जाये।

सभापति महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार 60 परसेंट रेल दुर्घटनायें रेल लाइन में फ्रेक्चर होने से होती हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि गर्मी या सर्दी के कारण रेल लाइन में फ्रेक्चर हो जाये लेकिन आज पता नहीं किस कारण से रेल लाइनों में फ्रेक्चर पाये जाते हैं। क्या रेल लाइन की क्वालिटी में कोई कमी आई है? आपको रेल लाइन की क्वालिटी के बारे में विचार करना चाहिए और ऐसी रेल लाइनें डालनी चाहिये जिससे रेल दुर्घटनाओं में कमी हो। जहां तक सुरक्षा का सवाल है और कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां रखी भी है कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसके लिए जब तक रेलवे में अलग से फोर्स नहीं बनेगा तब तक रेल में सुरक्षित यात्रा नहीं करवा सकते हैं। यदि कोई सिविल पुलिस कप्तान आर.पी.एफ. में जाता है तो वह रेलवे में नौकरी नहीं करना चाहता और उसका मन वहां नहीं लगता है। मेरा आग्रह है कि आप रेलवे में अलग से फोर्स बनाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैंने स्वयं देखा है और भुक्तभोगी हूं कि डैमरेज के नाम पर रेलवे हजारों हजार करोड़ रुपया देती है। इसमें माफिया ऐसा सक्रिय है कि उसमें माल कुछ लिखा जाता है जबकि माल कुछ और होता है। नतीजा यह होता है कि माल को डेमेज दिखाकर रेलवे से हजारों हजार करोड़ रुपया वसूला जाता है। इस पर आपको गौर करने की आवश्यकता है। इसकी मानिटरिंग करना आवश्यक है कि कौन क्या माल भेज रहा है, उस पर उसका साइन होना चाहिए। इस बात का निश्चय होना चाहिए कि जो सामान लिखा है, वह वास्तव में लादा गया है या नहीं?

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि कैटरिंग के बारे में बहुत सारे अखबारों में चर्चाएं हुई। रेलवे में जो खाना परोसा जाता है, उसकी गुणवत्ता पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उससे बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। गरमी का मौसम है, हिन्दुस्तान एक गरम मुल्क है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यात्रियों को जो भी खना सुलभ कराया जाए, उसके रख-रखाव की अच्छी व्यवस्था की जाए, ऐसा न हो कि उससे बीमारियां पैदा हों, जैसा कि रेलवे में आदमी पानी पीने से सकुचाता है। हमारे सारे एम.पी. साहेबान जब यात्रा करते हैं तो यदि रेलवे में पानी उपलब्ध होता है तो ठीक है, यदि नहीं उपलब्ध होता है तो वे मिनरल वाटर की बोतल खरीदकर अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यदि रेलवे में पानी से लेकर खाने तक की व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सके तो निश्चित ही इससे यात्रियों को बहुत बड़ा लाभ होगा। आपने बहुत सारी नई रेल लाइनों को स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं निश्चित ही आपको बधाई देता हूं और इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि कारगिल में जो लोग शहीद हुए, उनको आपने रेल भाड़े में 75 परसेंट छूट दी है और बच्चों के लिए के लिए भी आपने बहुत सारी छूट दी है। आपके आने से निश्चित रूप से रेलवे में सुधार हुआ है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।

अंत में, मैं अपने तक ही सीमित रखकर निवेदन करना चाहूंगा कि फरुखाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए ब्राड गेज आमान परिवर्तन करने के लिए आज ज्यादा रुपये की आवश्यकता है, इसलिए आपसे आग्रह है कि इसके लिए ज्यादा रुपया उपलब्ध करायें।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): सभापति महोदय, मैं 1980 से संसद सदस्य हूं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में गठित एन.डी.ए. सरकार से लेकर अब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी के साथ वाद-विवाद में हिस्सा लेने का मुझे अवसर मिलेगा। कुमारी ममता बनर्जी ने भी

श्री राम विलास पासवान सहित सभी की तरह बाबू जगजीवन राम द्वारा बनाई गई परम्परा का अनुपालन किया है और फिर पश्चिम बंगाल के हितों पर ही ध्यान दिया है। इसमें कोई गलत नहीं है कि यदि आप भारतीय रेल के इतिहास को देखें तो आप पायेंगे कि यह परम्परा रही है कि जो भी रेल मंत्री है वह सबसे पहले अपने क्षेत्र की ओर ध्यान देता है। उसके पश्चात सारे राज्य पर, और कभी-कभी कुछ मंत्रियों ने क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया है। हालांकि, इस समय, कुमारी ममता पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूल गई है। हालांकि उन्होंने अनेक चीजें दी हैं लेकिन वे संतोष मोहनदेव को भूल गई हैं।

648 करोड़ रुपए लागत की एक बड़ी रेल परियोजना सिल्चर बड़ी रेल लाइन जिसकी लम्बाई 198 कि.मी. थी। के आमान परिवर्तन को श्री देवगौड़ा सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। एक के बाद तीन रेल मंत्रियों ने लगभग 60 करोड़ रुपये दिये हैं। यदि इसी तरह धनराशि जारी की जाती रही तो सभापति महोदय, इसके पूरा होने तक, मैं लगभग 82 वर्षों का हो जाऊँगा लेकिन मैं इस बड़ी रेल लाइन पर यात्रा नहीं कर पाऊँगा; यही सच्चाई है।

संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान जब मंत्री जी ने सिल्चर का दौरा किया था तो उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़ेपन और इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए घोषणा की थी कि इसे ठीक उसी परियोजना की तरह राष्ट्रीय परियोजना के रूप में समझना चाहिए जिसे कश्मीर में शुरू किया गया था। आज, इस परियोजना पर धीमी गति से कार्य चल रहा है। 'राइट्स' जिसे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, ने रिपोर्ट का कुछ भाग प्रस्तुत किया है और अभी उन्हें शेष भाग का सर्वेक्षण करना है। ब्रिटेनवासियों ने इस रेलवे लाइन को बिछाया था, लेकिन बाद के रेल मंत्रियों, ज्यादातर कांग्रेस शासन के दौरान ने यह महसूस किया कि नई रेल लाइन को फिर से बिछाना मुश्किल था। श्री राम विलास पासवान का धन्यवाद, उन्होंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के निर्णय को नहीं माना और इस परियोजना को स्वीकृति दी। आज, इस परियोजना पर कुछ कार्य शुरू हो चुका है।

त्रिपुरा में कुमारघाट-अगरतला रेल लाइन के लिए भी यह सत्य है। भारत सरकार ने इसे बड़ी रेल लाइन बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन त्रिपुरा पहुंचने के लिए लाम्डिंग-बदरपुर, बदरपुर-धर्मानगर को पार करना होगा, उसके बाद ही कोई त्रिपुरा के अन्य हिस्से में पहुंच सकता है।

कुमारी ममता बनर्जी का ध्यान केवल पश्चिम बंगाल पर है। मैं नहीं जानता कि वे यहाँ कब तक रहेंगी। तथापि, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब तक वे यहाँ हैं उन्हें इस रेल लाइन के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि उनका ध्यान इसी परियोजना पर केन्द्रित है लेकिन धनराशि के मामले में उन्हें थोड़ा और उदार होना चाहिए। मुझे आशा है कि कम से कम अगले बजट में वे इस 40-60 के आंकड़े को पार कर देंगी और इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करेंगे। धनराशि गैर-व्ययगत पूल निधि से प्राप्त की जा सकती है जिसे प्रधानमंत्री ने उत्तरपूर्व के लिए बनाया है, जिसमें प्रत्येक मंत्रालय की 10 प्रतिशत बचत रखी जाती है। यह देखा जा सकता है कि कुछ परियोजनाएं उत्तर पूर्व में शुरू की जा रही है। सड़क परियोजनाएं और कतिपय कुछ अन्य परियोजनाएं जिन्हें शुरू किया जा रहा है उतने महत्व की नहीं है। रेल परियोजनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं को शुरू किया जाना चाहिए। मैं रेल मंत्री से इन परियोजनाओं को ईमानदारी से शुरू करने की अपील करता हूँ।

लाम्डिंग-हतीकल; हतीकल-लेंगटेंग; डिटेचुरा-चन्द्रनाथपुर; चन्द्रनाथपुर-बदरपुर और बदरपुर-सिल्चर आदि निम्न चरण हैं। इन चरणों में कुछ भूमि पर भराई कार्य चल रहा है और कुछ छोटे पुलों का निर्माण किया जा रहा है लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पुलों का निर्माण किया जाना है। इस लाइन का विशेष महत्व है। इस पर 32 सुरंगे हैं। मैं समझता हूँ कि राइट्स इन्हें मिलाने की कोशिश कर रहा है और जटिंगा नदी पर पुल बनाया जा रहा है और फिर जटिंगा की तलहटी की ओर जा सकते हैं जबकि सुरंगों की संख्या 32 से घटकर तीन या चार कम की जा सकती है। यह बहुत अच्छा विचार है।

माननीया रेल मंत्री ने रेल बजट में कहा है कि वे पर्यटन को वरीयता दे रही हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने में एक आदर्श रेल लाइन हो सकती है क्योंकि यह पहाड़ियों के बीच होकर गुजरती हैं तथा रमणीय हैं। लाइन के चारों तरफ नदियां हैं। यहाँ अत्यधिक सुंदर दृश्य हैं जिससे पर्यटक आकृष्ट होंगे। हम सिलचर, करीमगंज और हैलाखंडी, जिसे बराक घाटी के नाम से जाना जाता है, आते हैं। लोगों का कहना है कि यह एक कालोनी है। इंदिराजी ने हमें अत्यधिक सुविधाएं प्रदान करायीं। राजीव जी के काल में एक विश्वविद्यालय और अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना की गई। प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस क्षेत्र में गहरी रुचि ली है। उन्होंने विश्व बैंक से प्राप्त अधिकांश धनराशि सड़कों का निर्माण करने हेतु दिया है। उन्होंने हमारे चिकित्सा महाविद्यालय हेतु भी धनराशि दी है। तथापि असम सरकार द्वारा इस आवंटन में कटौती की गई है। हमारे अनुरोध पर प्रधानमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए दिए थे। इसे कतिपय अधिकारियों द्वारा कटौती करके 10 करोड़ रुपए किया गया है। मैं इसका कारण नहीं जानता हूँ। मुझे असम के उपरी क्षेत्रों के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

[श्री संतोष मोहन देव]

मैं चाहता हूँ कि स्पष्ट कारणों के मद्देनजर सिलचर में एक भर्ती बोर्ड होना चाहिए। हमें कभी-कभी अपने बच्चों को गुवाहाटी भेजने में कठिनाई होती है। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि मंत्री महोदया को असम की जानकारी है। मैं सिलचर में एक अपर मुख्य अभियंता की तैनाती करने का भी अनुरोध करता हूँ। यह रेल लाइन मुख्य रूप से सिलचर से लामडिंग, सिलचर से कुमारघाट और अगरतला तक है। यदि ऐसा हो जाए तो स्थानीय युवकों को ठेके दिये जा सकते हैं।

जब मैं रक्षा विभाग से संबद्ध था तो मैंने सिलचर में सीमा सड़क संगठन के अपर मुख्य अभियंता के कार्यालय की स्थापना की। अब वहाँ के युवकों को ठेके मिल रहे हैं। वहाँ सरकारी तथा गैर-सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी है। ठेके संबंधी यह कार्य कम से कम 10 वर्षों तक चलेंगे। अत: हमारे क्षेत्र के युवकों को ठेका कार्य प्राप्त करने के कुछ अवसर प्राप्त होंगे, हालांकि उन्हें संख्या 1, संख्या 2 इत्यादि के रूप में पंजीकृत किया गया है।

मुझे विश्वास है कि इन बातों पर हमें आपकी पूरी सहानुभूति प्राप्त होगी।

मेरे क्षेत्र में लोगों का आमतौर पर कहना है कि आप ममता जी से जो कुछ भी चाहते हैं, वह इसे आपको उपलब्ध करायेंगी। लेकिन मेरे क्षेत्र में ममता जी की ममता अभी तक नहीं पहुंची है। इसे भविष्य में और भी बेहतर रूप से पहुंचना चाहिए।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): हमने आपके क्षेत्र के लिए 44 करोड़ रुपये दिये हैं।

श्री संतोष मोहन देव: महोदया, 44 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। आपने पश्चिम बंगाल के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं। यह कई करोड़ रुपए है। आपने एक बंगाल पैकेज की घोषणा की है *...(व्यवधान)* श्री सुदीप बंद्योपाध्याय भी हँस रहे हैं। वे भी कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): मेरे क्षेत्र में मेरा धन लगा है *...(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: यह सभी जानते हैं कि असम के संसद सदस्य रेल बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने आपको एक ज्ञापन भी दिया था और आपने आश्वासन दिया था कि उनकी कुछ मांगों पर विचार किया जायेगा। लेकिन मैं सभा के समक्ष यह कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 52 वर्षों के पश्चात भी असम में एक किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ अथवा उपमार्ग लमडिंग तक यदि आप रेल लाइन में परिवर्तन कर सकें तो इससे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में अत्यधिक सहायता मिल सकेगी।

असम में एक धारणा बन रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर लमडिंग-सिलचर क्षेत्र के रेल लाइन का आधुनिकीकरण किए जाने में 'ट्रांसपोर्ट लॉबी' द्वारा अड़चन पैदा की जा रही है। लेकिन महोदया, आपके द्वारा रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि 'ट्रांसपोर्ट लॉबी' आपको भी प्रभावित कर सकेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कार्यकाल में आगामी तीन अथवा चार वर्षों में यह ट्रांसपोर्ट लॉबी समाप्त हो जायेगी।

सड़क मार्ग के परिवहनकर्त्ता अत्यधिक धन, विशेषकर रात्रि में यात्रियों को बस सेवा के माध्यम से कमा रहे हैं। वे अत्यधिक दर भी वसूल कर रहे हैं। यह दर बहुत अधिक है। किसी रोगी को गुवाहाटी लाने में कम से कम 2000 रुपए की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि कोई अच्छी रेलगाड़ी उपलब्ध हो जाए तो गुवाहाटी आने तथा वापसी में 750 रुपए अथवा अधिक से अधिक 800 रुपए का व्यय होगा। यह अंतर रात्रि में बस द्वारा यात्रा करने की तुलना में बहुत अधिक है। अत: आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक आधुनिक रेल सुविधाओं के साथ और अधिक प्रगति किये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने स्वयं कहा है कि भारतीय रेल परिवहन का सबसे बड़ा साधन है और इसका संबंध अत्यधिक गरीबों से भी है। कुछ सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। वे कुछ कदम उठा रहे हैं। यह अच्छी बात है।

महोदय, मैं सुरक्षा संबंधी एक अन्य पहलू पर भी अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं मंत्री महोदया की इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि वे रेलवे सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना चाहती हैं। गृह राज्य मंत्री के रूप में मैंने स्वयं श्री आर.पी. और स्थानीय पुलिस के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद को देखा है। यह किसके क्षेत्राधिकार में आता है। कुछ लोग कहेंगे कि यह राज्य सरकार के अधीन है और कुछ अन्य इसे रेलवे के अधीन बतायेंगे। अत: कार्यवाही किसे करनी है और किसे नहीं इस विषय पर जी.आर.पी. और राज्य पुलिस के बीच हमेशा विवाद रहता है। अत: मुझे विश्वास है कि इस विषय पर ध्यान दिया जायेगा और ऐसी सभी विसंगतियां दूर की जायेंगी। जब तक समुचित समन्वय नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होगा चाहे आप सुरक्षा संबंधी कितने भी उपाय कर लें।

महोदय, एक दिन मैंने स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने हेतु अमृतसर तक रेलगाड़ी से यात्रा की थी और मुझे रेलगाड़ी में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को देखकर अत्यधिक खुशी हुई। मैंने वहाँ के पुलिस अधिकारी से बात की। उसने कहा कि अब हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। राज्य तथा रेल पुलिस के बीच विचारों में मतभेद को स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक करके एक-एक कर सुलझा लिया गया। यह अच्छी बात है। मेरा कहना है कि इसी प्रकार के कुछ कदम पूर्वोत्तर रेल में भी उठाए जाने चाहिए। असम के बोडो आंदोलन के बारे में सभी को ज्ञात है। कई बार रेलगाड़ियों में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें कई व्यक्ति मारे गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ दुर्घटनाओं को रेलवे तथा राज्य सरकार के मध्य बेहतर समन्वय के द्वारा रोका जा सकता था। कभी-कभी राज्य सरकार सावधानी बरतने संबंधी उपाय अपनाने पर मना कर देती है। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तो वे कह देते हैं कि यह रेलवे की गलती है। अत: जब तक रेलवे और राज्य के अधिकारियों के बीच उचित समन्वय नहीं होगा तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी।

अब मैं रेलवे भूमि को खाली कराने के प्रश्न पर आता हूँ। यह सच है कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर असम में रेलवे की बहुत अधिक भूमि पर लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है।

लेकिन यह भी सच है कि वे वहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश व्यक्ति पूर्वी बंगाल के शरणार्थी हैं। वे आये और उन्होंने भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया। जब श्री माधवराव सिंधिया इस पद पर थे, हम संसद सदस्यों ने एक बैठक की थी और यह निर्णय लिया गया था कि विकास कार्य के लिए जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध करायी जायेगी और हम इसमें बाधा नहीं डालेंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र में, अभी ही मेरे आवास से सिर्फ तीन फर्लांग की दूरी पर अवैध कब्जे को समाप्त कराया गया है। मैंने रेल अधिकारियों का समर्थन किया। मैंने लोगों से कहा कि यदि आप बड़ी लाइन चाहते हैं तो यह निर्माण संबंधी भूमि है और आपको इसका समर्थन करना होगा। लेकिन क्या विभिन्न स्थानों के लिए विभिन्न नीतियां हैं। तीन प्रधान मंत्री जाकर कब्जा हटाने के कार्य को रोक चुके हैं। और फिर क्या हुआ? यह कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को जिससे भूमि का कब्जा मुक्त कराया जायेगा, 27000 रुपए दिये जाएंगे। वैकल्पिक भूमि भी दी जायेगी। यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। आप इसे राज्य सरकार के माध्यम से दे रहे हैं और उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। यदि यहाँ उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं तो अन्य क्षेत्रों के लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं और वहाँ तीन प्रधान मंत्री जा चुके हैं। मेरा कहना है कि आपको कम से कम राज्य सरकार से इस पर विचार कर लेना चाहिए था कि अवैध कब्जा कब समाप्त कराया जायेगा। उन्हें इसके बदले भूमि दी जानी चाहिए। मैं धनराशि दिए जाने के पक्ष में नहीं हूँ। वहाँ और अधिक अवैध कब्जा होगा। कम से कम वैकल्पिक भूमि दी जानी चाहिए। रेल मंत्री महोदया ने इसके लिए पूर्व में आंदोलन किया था। हम संबंधित अभिलेख देख सकते हैं। आप का कहना है कि आप अवैध कब्जा को हटाए जाने को रोकना नहीं चाहती हैं। लेकिन क्यों? यदि यह आवश्यक है तो आप ऐसा करें। लेकिन साथ ही साथ आप राज्य सरकार को यह निर्देश दें कि हटाए गए लोगों को वैकल्पिक भूमि दी जाए। राज्य सरकार का यह कहना है कि यदि रेल मंत्रालय उन्हें इस संबंध में कहती है तो उनके लिए इसे लाइन सलाहकार बोर्ड से पारित कराना आसान हो जायेगा क्योंकि इनमें से कुछ लोगों को बुक स्टाल चलाने के लिए रेलवे द्वारा लाइसेंस दिये गये हैं और उन्हें कानूनी रूप से हटाया जा रहा है। लेकिन यदि राज्य सरकार से संपर्क किया जाता है तो यह आसान हो जायेगा। लेकि मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहाँ तक सिल्चर का प्रश्न है, अवैध कब्जा को हटाये जाने में हमारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आप इसे खाली कराकर इन पर दस वर्षों पर कब्जा करते हैं। इसी बीच दूसरे लोग अवैध कब्जा करने आयेंगे क्योंकि रेलवे द्वारा भूमि का संरक्षण करना कठिन है। वे इसका संरक्षण नहीं कर सकते हैं। यह संभव नहीं है। मेरा कहना है कि रेलवे द्वारा भूमि पर कब्जा करके इन खाली स्थानों पर एक वर्ष के भीतर कार्य प्रारंभ कराना चाहिए। यह बेहतर कार्य स्थिति होगी।

अपने भाषण में आपने भूतपूर्व सैनिकों, कारगिल के वीरों और अत्यधिक गरीब व्यक्तियों को सुविधाएं दी हैं। यह अत्यंत अच्छी बात है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस प्रकार की सुविधाएं यात्री रेलगाड़ियों में दिया जाना ठीक है। माननीय खेल मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। मैंने हाल ही में उनको लिखा है कि आपके मंत्रालय द्वारा एक लड़की को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है। यह लड़की गत दस वर्षों से नियुक्ति हेतु दर दर भटक रही है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं। यदि उन्हें अपना जीविकोपार्जन करने हेतु कोई साधन मिलता है तो ये हमारे खेलकूद के स्तर को और ऊंचा उठा सकते हैं। इस श्रेणी में पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आप एक वयोवृद्ध भद्र पुरुष हैं। आप राज्य मंत्री हैं। आप राइफल की स्पर्द्धाएं आयोजित कर रहे हैं। मैंने उन्हें अपने इस्पात मंत्रीत्व काल में उनकी मदद प्रायोजकों की व्यवस्था करके तथा अन्य प्रकार से की थी। मध्यम आय वर्ग में भी अच्छे निशानेबाज हैं लेकिन वे इसके लिए आवश्यक अभ्यास करने की स्थिति में नहीं हैं।

खेलों का बेहतर वातावरण बनना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा कि आप खेलों का उचित वातावरण नहीं बना रहे। जब श्री माधवराव सिंधिया वहां थे तो मैं उनसे महिला क्रिकेट टीम बनाने के लिए कहा करता था ...*(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: अब क्रिकेट पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव: क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले गलत हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्रिकेट को पहले ही बहुत बढ़ावा मिल चुका है।

श्री संतोष मोहन देव: प्रतिबंध उस पर लगाओ, जहां कुछ गलत है। मैं खिलाड़ी था; राज्य स्तर का खिलाड़ी था। फुटबाल में, मैं अन्तरराष्ट्रीय स्तर का रैफरी था। भारत और रूस के एक मैच में, मैं रैफरी था। देश में एक गलत बात घर कर गई है। यदि आप इस मामले को सीबीआई को देंगे तो यह तेंदुलकर, अजहरुद्दीन और अन्य खिलाड़ियों को निचोड़ेंगी क्योंकि सीबीआई खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त एक संगठन है। यदि आप स्पष्ट आरोप लगाते हैं, तो आप कार्रवाई करें। ...*(व्यवधान)* श्री धनंजय कुमार हँस रहे हैं। वह उनमें से कुछ को जानते हैं। अब वह वित्त मंत्रालय में हैं। जब लोग परेशानी में होते हैं तो उनके पास आते हैं।

मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में था। मैं यह कह सकता हूं कि सरकारी क्षेत्र के बहुत से अधिकारी सीबीआई के शिकार हुए हैं। बीस हजार रुपये का एक मामला 15 वर्ष तक लटका रहा। मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री के पास गया जो सीबीआई के प्रभारी मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि उस आदमी को कब तक दण्डित किया जाता रहेगा। इस मामले के कारण वह बोकारो इस्पात संयंत्र का अध्यक्ष नहीं बन पाया। प्रधानमंत्री ने मुझे क्लीन चिट दे दी। श्रीमती मार्गरेट आल्वा उस समय सीबीआई की प्रभारी राज्यमंत्री थीं। मैंने उनसे भी क्लीन चिट ली।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: मैं कह रहा था कि क्रिकेट को प्रभावित करने वाले मैच-फिक्सिंग के अलावा इस देश में दूसरे खेलों की उपेक्षा हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: फिर तो मैं इस बात पर आपसे सहमत हूँ।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: आज देश में फुबाल, हॉकी और बास्केटबाल जैसे खेलों की क्या स्थिति है? हमारे अपने भारतीय खेलों की क्या स्थिति है? ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव: प्रिय मित्र, आप भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। एक समय सेना ही देश को अधिकतम खिलाड़ी दिया करती थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों की ही तरह खिलाड़ियों और कुछ श्रेणियों की महिलाओं की भी भर्ती के कारण इसे एक अर्हता माना जाना चाहिए।

हमने माननीय मंत्री को एक ज्ञापन दिया है। मेरी इच्छा है कि इसे रिकार्ड किया जाए क्योंकि मैंने असम के अपने मित्रों को इस बारे में आश्वासन दिया है। मैं चाहता हूँ कि निम्नलिखित माँगों पर विचार किया जाये:

(1) होयबर गाँव से भोयराबारी तक रेलबस

(2) बोगीबिल पुल

(3) रंगिया-मोकोकसेलंग आमान परिवर्तन

(4) लमडिंग-सिलचर आमान परिवर्तन

(5) मोरान-डिब्रूगढ़ नई लाइन

(6) बाडगारा रोड वाया खारुपेटिया नई लाइन

(7) गुड्स यार्ड के प्रस्तावित छोटी लाइन से बड़ी लाइन में उन्नयन सहित मरियानी में बुनियादी रेल ढाँचे का प्रस्तावित उन्नयन

(8) फकिआग्राम से धुबरी तक आमान परिवर्तन

(9) गोलपाड़ा से मनकाचार तक नई बड़ी लाइन

(10) काटारवाह से भैरवी तक आमान परिवर्तन

(11) बारक घाटी में बदरपुर रेल डिवीजन की काफी समय से लम्बित माँग

(12) बदरपुर से कुमारघाट तक आमान परिवर्तन

हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री इन प्रस्तावों पर विचार करें।

पूर्वोत्तर के बारे में बातें ही की जाती हैं। पूर्वोत्तर की उपेक्षा ही हुई है। जब कोई परियोजना तैयार की जाती है तो लोगों का जवाब न में होता है। पूर्वोत्तर के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। वर्तमान प्रधानमंत्री सहित सभी प्रधानमंत्री इसे जोरदार तरीके से उठाते रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री से कुछ धन मिलना चाहिए। मेरा

ऐसा मानना है कि आपकी प्रधानमंत्री से अच्छी पटती है। आप एक दिन उनके पास जाइए और बंगाल पैकेज की तरह ही पूर्वोत्तर के लिए पैकेज हासिल कीजिए। पूर्वोत्तर के लिए हमें धन चाहिए। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री आपको निराश नहीं करेंगे।

यदि आप वित्त मंत्रालय जाएंगे, तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा; योजना आयोग आप जाएंगे, वहाँ भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि वह पूर्वोत्तर की समस्याओं से परिचित हैं।

दूसरे, हम असम में रेल डिब्बा कारखाना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने 'सेल' के खिलाफ कार्रवाई की है। मैं इस्पात मंत्री था। इस्पात कारखानों द्वारा बनाए गए सभी रेल पथ खराब नहीं हैं, हो सकता है, एक या दो रेल पथ खराब हों। परन्तु, यह अलग बात है कि यह बताने के लिए कि 'सेल' द्वारा बनाए गए खराब रेल पथों की वजह से दुर्घटनाएं घटी हैं, कुछ धिकारी विदेशी दौरे करेंगे और वहाँ से कुछ खरीदारी करेंगे। दे कहीं कुछ गलत है तो उसे सुधारा जा सकता है, सुदृढ़ किया सकता है। जब पहले देश में निर्मित रेलपथ प्रयुक्त होते रहे तो अब क्यों नहीं? यह हो सकता है। मुझे भरोसा है कि आप सब चीजों का ध्यान रखेंगे।

मैंने रोजगार के अवसरों की बात की है। मुझे विश्वास है कि पने समक्ष आई सभी बातों पर ध्यान देंगे। यह सही है कि रातों- त कुछ नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्वार्थी और ष्टवादी हूँ। जब आप बंगाल की कई चीजों पर विचार करते तो भारत के पूर्वी हिस्से अर्थात् पूर्वोत्तर के सात राज्य और क्किम पर भी विचार करेंगे। पूर्वोत्तर में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ र्फ सिर्फ एक किलोमीटर का काम बाकी है। नागालैण्ड में दो कि.मी., अरुणाचल में तीन कि.मी. और कुछ इतना ही बाकी है। झे नहीं मालूम कि श्री चौबा सिंह वह रेल लाइन प्राप्त कर सके क नहीं जो वह मणिपुर में चाहते थे। क्या उन्हें यह मिली? तब ी अच्छा है। वह जीरीघाट रेल लाइन को और अधिक अंदर भी े जा सकते थे। वह ऐसा कर सकते हैं। अब संभावना उनके ाथ है। उनकी बहन वहाँ है। यदि वह एक बार पश्चिम बंगाल ली गई तो उन्हें यह नहीं मिल सकता। वह पश्चिम बंगाल जाने की कोशिश में हैं।

रेल मंत्री को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए, महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं इस आश्वासन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपको वहां पर हमारा सहयोग मिलता रहेगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवनचन्द्र खण्डूड़ी: सभापति जी, रेलवे बजट के समय मेरे जैसे सांसदों को बोलने का अवसर नहीं मिला था। इसलिए मैं अब अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छी ट्रेन द्वारिका से हरिद्वार–देहरादून तक शुरू की है। हालांकि यह ट्रेन अभी सप्ताह में एक दिन चलती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जायेगा।

मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं, जहां सबसे पहला स्टेशन 1900 में देहरादून का बना था जिसके शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए आप जाने वाली हैं। उसके बाद अंग्रेजों ने 1933 में कोटद्वार स्टेशन बनाया। उसके बाद 1992 तक कोई तरक्की रेल लाइन या अन्य में नहीं हुई। 1992 के बाद हमारे काफी जोर लगाने के बाद देहरादून से शताब्दी ट्रेन चलाई गई। हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग ट्रेन से सफर करते हैं। इस तरह से वे रेलवे के रेवेन्यू में काफी योगदान करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। थोड़ी बहुत अब हरकत हुई है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी संतोष मोहन देव जी बता रहे थे और मंत्री जी को याद दिला रहे थे कि उनके क्षेत्र को पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र पर्यटन का ऐसा क्षेत्र है, जहां पर्यटन का स्कोप इतना है, जितना दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। वहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुण्ड साहिब, एडवैंचर ट्यूरिज्म, हॉलिडे ट्यूरिज्म, रैस्ट एंड रिलैक्सेशन ट्यूरिज्म यानी किसी प्रकार के भी ट्यूरिज्म के लिए दुनिया भर से लोग वहां आ सकते हैं।

आज वहां जाने के लिए रेल सुविधा नहीं है। मैं समझता हूं, पहाड़ों पर एक दम रेल नहीं बन सकती है, लेकिन जहां तक हैं, वहां तक ध्यान देकर सुविधा दी जाए। इस दृष्टिकोण से मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्यायें आपके समक्ष रख रहा हूं।

मैं जानबूझकर अपनी पुरानी मांग को दोहरा रहा हूं। अंग्रेजों के समय में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग का सर्वे हुआ था। सन् 1991–1996 तक हमने लगातार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने आपसे कहा था कि कम से कम इस लाइन का सर्वे करा दीजिए, जिसका सर्वे अंग्रेजों के समय में हुआ था। इस बारे में मंत्रालय की तरफ से जवाब मिलता है कि यह लाइन वायबल नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस सर्वे पर कितना पैसा लगेगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि ऋषिकेश–कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का सर्वे

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी]

करा दीजिए और उसकी फिजिबिलिटी भी देख लीजिए। इसका सर्वे 1933-34 में हुआ था और अगर इसकी रिपोर्ट कहीं आपके मंत्रालय में मिल जाए, तो उसको भी देख लीजिए।

देहरादून में सन् 1900 में पहली ट्रेन चली थी और अब 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं तथा वहां आप समारोह में भी जाने वाली हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि देहरादून और दिल्ली के बीच एक इन्टरसिटी ट्रेन की आवश्यकता है। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, जो बाई रोड सफर करता है। बहुत सारी टैक्सियां चलती हैं और बाई रोड लोग भी अपनी कारों से आते हैं। जो व्यक्ति देहरादून से काम करने के लिए दिल्ली आना चाहता है, वह दिन भर काम करने के बाद शाम को वापिस जाना चाहता है। जिस वक्त देहरादून से शताब्दी ट्रेन चली थी, उस समय भी हमारा दृष्टिकोण था कि शुरू देहरादून से हो और शाम को दिल्ली से वापिस आए। लेकिन इसमें रेलवे की कुछ समस्यायें थीं। यह गाड़ी अभी दिल्ली से चलती है और शाम को वापिस आती है। एक ट्रेन देहरादून से सुबह चलकर चार-साढ़े चार घन्टे में दिल्ली पहुंच सकती है और फिर शाम को वापिस जाए। इस ट्रेन की बहुत आवश्यकता है और इससे लोगों को सुविधा होगी। इसके साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट पर अभी डीजल और पेट्रोल खर्च हो रहा है, वह बच सकता है। इसलिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आप देहरादून जाने वाली हैं, आप रेलवे बोर्ड से इसको एग्जामिन करा लीजिए और इस गाड़ी की घोषणा कर दीजिए कि आप देहरादून से दिल्ली के लिए एक इन्टरसिटी ट्रेन दे रही हैं। एक-दो महीने में आप जब भी करें, वह अलग बात है, लेकिन हम आपसे इस बारे में घोषणा करवाने वाले हैं, जिसकी सूचना हम आपको अभी से दे रहे हैं।

अन्य ट्रेन्स के बारे में हम आपको समय-समय पर कहते रहे हैं। कोटद्वार से दिल्ली के बीच में एक ट्रेन की जरूरत है। अभी मंसूरी एक्सप्रैस में आठ कोचेज लगती हैं और यह नजीबाबाद में रुकती है। यह दूरी 4-6 घंटे में पूरी होनी चाहिए, जिसको करीब 10-11 घन्टे लगते हैं। इस प्रकार कोटद्वार और दिल्ली के बीच में और दिल्ली से रामनगर के बीच एक ट्रेन की बहुत आवश्यकता है। एक अन्य समस्या जिसके बारे में हम आपको लिखते भी रहे हैं। नजीबाबाद हमारा एक ऐसा स्टेशन है, जहां पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं, और कोटद्वार के लिए उनको दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ती है। नजीबाबाद में बहुत सारी मेल और एक्सप्रैस ट्रेन्स नहीं रोकी जा रही हैं। आपने अभी एक ट्रेन रोकी है, लेकिन वह भी हफ्ते में एक दिन रुकती है। रेलवे बोर्ड वालों ने आपको कह दिया कि हम रोक रहे हैं, जैसे डंडी मारी जाती है, उन्होंने डन्डी मार दी कि हफ्ते में दो दिन रुकेगी, संतुष्ट कर दिया कि ट्रेन रुक रही है। इस जगह ईस्ट, वैस्ट और साउथ से बहुत सैनिक आते हैं, उनको ट्रेन पकड़ने के लिए या तो हरिद्वार आना पड़ता है या वापिस आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इसलिए जितनी भी ट्रेन्स हैं, मेल या एक्सप्रैस, उनको नजीबाबाद में रोकना चाहिए।

अगली बात, जो बहुत जरूरी है, वह है कम्प्युटर रिजर्वेशन से संबंधित है। हमारा आदमी देहरादून कोटद्वार और नजीबाबाद से आना चाहता है, तो उसको 15-20 दिन पहले रिजर्वेशन के लिए 400-500 रुपए खर्च करके रिजर्वेशन करता है। फिर जब ट्रेवल करने के लिए आएगा उस वक्त फिर उसको खर्च करना पड़ता है। कम्प्युटर रिजर्वेशन की सुविधा के लिए मैंने आपको पत्र भी लिखा है। कोटद्वार के अलावा हम तीन जगहों—श्रीनगर-गढ़वाल, गोपेश्वर और जोशीमठ—पर भी कम्प्युटर रिजर्वेशन चाहते हैं।

अपराह्न 3.59 बजे

[डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

महोदय, पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे आउट एजेंसी की बात भी कही गई है। दसवीं लोक सभा में मैंने इस बारे में चर्चा की थी। मंत्री जी ने बताया था कि इसके अन्दर खर्चा ज्यादा है और आमदनी कम है। हमने आपसे निवेदन किया था कि आप इसकी स्वीकृति दे दीजिए और गढ़वाल मंडल विकास निगम जो उत्तर प्रदेश की एक एजेंसी है, उसके माध्यम से इसको चला लेंगे। इसमें यदि कोई घाटा होता है, तोहम इसको बरदास्त कर लेंगे। यह व्यवस्था भी हमें तीन जगहों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और गोपेश्वर—पर देने की कृपा करें। इसके लिए गोपेश्वर नगरपालिका ने आफर किया है और मैंने आपको इसके बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि यदि इसमें घाटा भी होता है, तो भी हम इसको चलाने के लिए तैयार हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इसके लिए मात्र आपकी स्वीकृति चाहिये और रेलवे बोर्ड को इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होना चाहिये क्योंकि आप लोगों का इसमें कोई खर्चा नहीं हो रहा है।

मैंने इस रेल बजट पर चर्चा के समय कहा था और आज श्री संतोष मोहन देव जी ने भी कहा है कि एक्सर्विसमैन के लिए बहुत दिया गया है और आपने कह दिया कि हमने दे दिया है। अब पता नहीं कि आपने क्या दिया है? आप्रेशन विजय के बाद आपने उनके परिवारों के लिए 75 परसेंट सैकिंड क्लास में कंसैशन दिया है। मैंने आपसे बजट के तुरंतबाद कहा था कि यह अपमानजनक बात है। अगर आपका मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय शहीदों के परिवारों को सिर्फ इतना ही दे सकता है तो यह विदड्रा कर लीजिए। आप इनके परिवारों को केवल 75 परसेंट सैकिंड क्लास में दे रहे हैं जब कि फ्रीडम फाइटर्स को ए.सी.सी. सैकिंड

में विद कम्पैनियन दे रहे हैं और वह भी चाहे जहां और मर्जी से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपनी जानें सीमा पर दी हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। वे भी तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। मैंने इस विषय में आपको पत्र लिखा है और आज फिर हाइलाइट कर रहा हूं। आप कृपया रक्षा मंत्रालय से बात करके उनको भी वही सुविधायें दिलवायें जो फ्रीडम फाइटर्स को दी जा रही हैं।

सभापति महोदय, अंत में माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए एक ट्रेन हावड़ा से भी शुरू की है। एक बार पुन: आभार व्यक्त करते हुए अनुरोध करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिए कम से कम एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के लिए विचार करेंगी।

[अनुवाद]

श्री राजैया मल्याला (सिद्दीपेट): रेल बजट पर चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रेलवे करोड़ों लोगों की सेवा में, विशेषत: देश के गरीब लोगों की सेवा में लगा एक बड़ा संगठन है। मेरे हिसाब से यह बहुत अच्छा और संतुलित बजट है। न केवल मंत्री महोदया ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है बल्कि किराए में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। बल्कि इसमें यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मैट्रो रेल परियोजना के लिए और अधिक निधियाँ आबंटित की गई हैं।

कम आबंटन के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले की उपेक्षा से मैं दुखी हूँ। भुटखेड़ से सिकंदराबाद तक के मार्ग के प्रामान परिवर्तन की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। इस मार्ग के विकास से तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा। तेलंगाना जिले को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। यदि आंध्र प्रदेश के मानचित्र को देखें तो इस क्षेत्र में बहुत कम रेल लाइनें मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि पेडापल्ली से करीमनगर होते हुए निजामाबाद लाइन पर भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है जबकि इस रेल मार्ग के बारे में मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने हैदराबाद-सिकंदराबाद में बहुराष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था को भी अनुमति दे दी है जो आंध्र प्रदेश सरकार, रेल मंत्रालय और निजी पार्टी का संयुक्त उद्यम होगा। हमें इसकी खुशी है।

यह कहा गया था कि रेलवे 19 नई रेलगाड़ियाँ चलाएगा, 11 रेल गाड़ियों को आगे बढ़ोगा और पांच गाड़ियों की बारम्बारता बढ़ायी जायेगी। इससे यात्रियों को सुविधा होगी। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करूँगा कि वह प्लेटफार्मों, शौचालयों बोगियों की सफाई के आदेश जारी करें और इन कार्यों में रुचि लें। ये सब साफ-सुथरे होने चाहिए। लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में और अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में यातायात बढ़ने के कारण जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकन्दराबाद की बीच एक सर्कुलर गाड़ी चलाना आवश्यक हो गया है। इस पर ध्यान देना होगा। निधियों की कमी के कारण दक्षिण-मध्य रेलवे में 700 कि.मी. से अधिक रेल पथ का कार्य लंबित पड़ा है। इसके लिए अधिक निधियाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए और कार्य पूरा किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूँ कि एसी 2 टियर में संसद सदस्यों और विधायकों का कोटा दो बर्थ से बढ़ाकर 6 बर्थ किया जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मान्यताप्राप्त सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को मानद पास जारी किए जाएं। मैं कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा में सुधार का अनुरोध भी करता हूँ। मैं श्रीकाकुलम और पलासा रेलवे स्टेशनों पर अलग पूछताछ क्लर्क तैनात करने का भी अनुरोध करता हूँ। सोमपेट और श्रीकाकुलम से फलकनुमा एक्सप्रैस, विशाखा एक्सप्रैस और हावड़ा मेल गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक उपचार में पर्याप्त सुधार किया जाना है और लम्बी दूरी की गाड़ियों में स्थायी तौर पर एक डाक्टर की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। मैं आपसे दिल्ली से विजाग के बीच चलने वाली स्वर्णजयंती एक्सप्रैस की बारम्बारता बढ़ाने का अनुरोध करता हूँ। विशाखापत्तनम से डिवाइन केरल के लिए और हैदराबाद से डिवाइन के बीच नई रेलगाड़ी चलाई जाए। इससे आंध्र प्रदेश के तीर्थ यात्रियों को धार्मिक स्थानों की यात्रा करने में मदद मिलेगी। मेरे क्षेत्र के लोगों की ओर भी माँगें हैं। कुछ एक्सप्रैस गाड़ियाँ मेरे चुनाव क्षेत्र से गुजरती हैं। हमारे लोगों की मांग हैं कि कृष्णा एक्सप्रेस, गोदावरी एक्सप्रैस और गौतमी एक्सप्रैस घाटकेसर और मोलाली स्टेशनों पर रुकें। ऐसे बहुत सारे पुल हैं, जिनके रखरखाव के लिए बड़ी भारी निधियों की आवश्यकता है।

अब मैं अपने सुझाव देना चाहता हूँ। जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं उनको पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराई जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हों। कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो सालों से चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कुछ होगा भी; बल्कि इससे यातायात में काफी बाधा आ रही है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

सिकंदराबाद में हिन्दुपुर, सीताफल मंडी से और नेल्लूर में वितरागुंठा यार्ड में फ्लाईओवर पुलों का विकास किया जाना चाहिए। विशाल भू-क्षेत्र उपलब्ध है और यह बहुत आवश्यक है कि नेल्लूर में बितरागुंटा यार्ड का विकास किया जाना चाहिए। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो काफी लम्बे समय से लंबित पड़ी है।

[श्री राजैया मल्याला]

बिना चौकीदार वाले अनेक समपार हैं। प्रति वर्ष बिना चौकीदार वाले इन समपारों के कारण सैकड़ों व्यक्ति अपनी जानें गवाँ रहे हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वहां चौकदार तैनात करके बिना चौकीदार वाले समपारों का प्रबंध किया जाना चाहिए और इस संबंध में देखभाल की जानी चाहिए। हाल ही में इन समपारों के कारण कई स्कूली बच्चों ने अपनी जान गँवा दी। मैं मंत्री जी से इन समपारों को आधुनिक बनाने और वहां चौकीदार रखने और उनका रख-रखाव कराने का अनुरोध करता हूँ।

मैं किराया न बढ़ाने और यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देने के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे भविष्य में भी अच्छे उद्देश्य की पूर्ति होगी। उन्होंने हमारे पड़ौसी देशों जैसे चीन, थाइलैंड, बंग्लादेश और नेपाल के साथ रेल सम्पर्कों का भी प्रस्ताव किया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि पहले अपने देश में सुविधाओं में सुधार करें और फिर पड़ोसी देशों के साथ सम्पर्क के कार्यों को आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि यह बेहतर होगा।

हमें पता चला है कि अनेक माननीय सदस्य रेलवे बोर्ड को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड में अफसरशाहों का बोलबाला है। मैं यह बात मानता हूँ। इस पहलू की भी जांच की जानी चाहिए। मैं रेल भर्ती बोर्ड से अनुरोध करता हूँ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की भर्ती का प्रतिशत बढ़ाया जाए। मैं आशा करता हूँ कि इन सबसे अच्छा रेल बजट बनेगा।

महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, रेल विभाग दुनिया का सबसे बड़ा विभाग है। इसके साथ-साथ वह राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करने वाला भी विभाग है। रेल यातायात के विकास के बिना क्षेत्र का विकास भी नहीं होता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए, नहीं तो विकास नहीं होगा। हिन्दुस्तान में जो रेल यातायात है, उसमें एक करोड़ दस लाख लोग रोज यात्रा करते हैं। इसी तरह एक करोड़ टन से ज्यादा का सामान ढोते हैं। इसी तरह बैलगाड़ी से एक करोड़ पन्द्रह लाख टन सामान ढोया जाता है। बैलगाड़ी विभाग बड़ा पीछे चल रहा है क्योंकि उसका अनुसंधान नहीं हो रहा है। लेकिन रेल विभाग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। माननीय सदस्य इसमें बड़ी रुचि लेते हैं और रात भर बैठ कर बहस में भाग लेते हैं। हर किसी की अपेक्षा है कि उनके क्षेत्र में नयी रेल लाइन बने, ब्रॉडगेज हो, नयी रेल गाड़ियां चले और तेज गति से चलने वाली रेल गाड़ियां ज्यादा चलें। यह मांग सब लोग करते हैं। हम मांग तो कर देते हैं लेकिन उस पर कोई विचार नहीं होता। रेल पर जब पहले बहस होती थी तो लोगों में बड़ा उत्साह होता था लेकिन आज उनमें उत्साह कम है। लोग समझ गये हैं कि यहां कहने से कुछ नहीं होता है। मैं उदाहरण देता हं कि यहां पर जो भी रेल मंत्री आते हैं, वे कहते हैं कि हम बुद्ध सर्किट को पूरा करके वैशाली को रेल लाइन से जोड़ देंगे। चूंकि वैशाली ऐतिहासिक मामले में हिन्दुस्तान को गौरवान्वित करता है, वहां सबसे पहले डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था। आज से ढाई तीन हजार वर्ष पहले वहां लिछवी गणतंत्र था। भगवान बुद्ध ने उसकी प्रशंसा की थी वहां कानून का राज है। इसके साथ-साथ वहां भगवान महावीर का भी जन्म हुआ था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वैशाली ऐतिहासिक धरती है। जितने रेल मंत्री हुए हैं, वे सब कहते हैं कि हम वैशाली को रेल लाइन से जोड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि उसमें क्या बाधा है, कमियां हैं?

श्री राम विलास पासवान जी ने 17 फरवरी, 1997 को कर्पूरी ठाकुर के पुण्य दिवस के दिन वहां पर शिलान्यास किया था कि यहां नई रेल लाइन बनेगी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण नौ महीने में होता है लेकिन स्पेशल केस के कारण इसका सर्वेक्षण हम छः महीने में करा देंगे। उसका सर्वेक्षण भी हुआ था। एक बार हमको हमारे प्रश्न के उत्तर में जवाब आया कि वायेबल नहीं बुझाता है, इक्नोमिकल नहीं है। पता नहीं इनका क्या-क्या फार्मूला है। हमारी रेल लाइन में ही इनका फार्मूला ज्यादा चल जाता है और जहां यह चाहते हैं वहां बिना फार्मूले के बना देते हैं। हम भी इनकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने फिर नियम 377 में लिखा था। उसका जवाब आज ही आया है। उसमें कहा गया है कि टोही सर्वेक्षण हो रहा है। हमको नहीं बुझाता कि पहले कौन सा सर्वेक्षण हुआ था और अब यह टोही सर्वेक्षण क्या है? एक होने वाला सर्वेक्षण होता है और एक नही होने वाला सर्वेक्षण होता है। यह कौन सा टोही सर्वेक्षण है, होने वाला है या नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि

[अनुवाद]

जहां चाह वहां रेलवे है। जहां चाह नहीं वहां सर्वेक्षण है।

[हिन्दी]

यहां फार्मूला इनके विभाग के लोग बताते हैं लेकिन टोही सर्वेक्षण क्या है? वह बिल वाला सर्वे है या नो बिल वाला सर्वे है, बतायेंगे। उसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन इनको दरिद्रता से घेरा हुआ है। हालांकि रेल बजट बड़े, हम इसका समर्थन करेंगे। प्रधान मंत्री, प्लानिंग कमीशन, वित्त विभाग सभी को हम हड़कायेंगे कि नहीं साहब, रेल बजट बढ़ना चाहिए क्योंकि रेल लाइन की मांग बढ़ रही है।

अंग्रेजी सल्तनत में जितनी रेल लाइनें बिछाई गई थीं, आजादी के बाद रेल लाइन के विकास में हिसाब लगाने से वह कम बुझाता है। हमने इनकी फिगर्स भी देखी हैं। डिब्बे भी नहीं बढ़ते, घटते जा रहे। रेल लाइन की लम्बाई भी घटी है। हमको आश्चर्य हुआ कि पहले रेल लाइनें ज्यादा थीं अब घट कैसे गई हैं। क्या कहीं-कहीं रेल लाइन हटाने का काम भी कर रहे हैं? फिगर्स यही बता रहे हैं। हम डिटेल में नहीं जाना चाहते।

वैशाली को बुद्ध सर्किट से जोड़ने और वैशाली-लालगंज, हाजीपुर से वैशाली, लालगंज, सरैया, साहिबगंज, केसरिया के बारे में भी देखा जाए। श्री राधा मोहन सिंह जोर क्यों नहीं लगाते। मैं इनके क्षेत्र में जाऊंगा। आधा इनका है और आधा हमारा है। सुगौरी तक जोड़ने का सर्वेक्षण हुआ था। फिर आया कि टोही सर्वेक्षण हो रहा है। टोही सर्वेक्षण नया क्या हो रहा है। राधा मोहन जी आ गए हैं। हम जनता को बताएंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी): माननीय रघुवंश बाबू भारत सरकार में मंत्री थे। उस समय इन्होंने क्या किया, इनको पता है। अभी भारत सरकार के माननीय रेल राज्य मंत्री इलाके में गए थे। उन्होंने सर्वेक्षण के लिए लिखित आदेश भी दिया है। वहां घोषणा भी की है। आप कई वर्षों तक मंत्रिमंडल में रहे। श्री राम विलास जी उस समय थे, ये भी मंत्री थे। लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है, वह इस राज में हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमारे राज में शिलान्यास हुआ और इनके राज में सत्यानाश हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह: आपके राज में आसन में शिलान्यास हुआ।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: गंगा रेल पुल का 1997 में शिलान्यास हुआ। तीन वर्ष बीत गए हैं। अब तक क्या जांच हो रही है, कौन सी जांच हो रही है। हम मांग करते हैं कि इस पर मामला चलना चाहिए।

श्री राधा मोहन सिंह: शिलान्यास में बिहार सरकार ने गोली चलाई थी और तीन लोगों की हत्या हुई।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वही बता रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने शिलान्यास किया था। लाखों लोगों की वहां भीड़ थी। मैं भी गया था। श्री नीतीश कुमार जवाब दे रहे थे। जब हमने हाउस में सवाल उठाया तो कहा गया कि पूना में इसकी जांच होने गई है। जांच से पहले शिलान्यास, या तो उस समय फ्रॉड हुआ या बाद के मंत्री फ्रॉड वाला जवाब दे रहे हैं।

सभापति महोदय, आप पर निर्णय है कि दोनों में से असली ऐक्यूज्ड, 420 कौन है, यह पता करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* अगर सही शिलान्यास हुआ है तो वह बन क्यों नहीं रहा है।

सभापति महोदय: रघुवंशप्रसाद जी, आप 420 शब्द का प्रयोग न करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि वह बन क्यों नहीं रहा है। यहां यह गलत उत्तर दे रहे हैं कि जांच हो रही है, इसलिए जनता को ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बार-बार इंटरैप्ट मत करिये।

...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या पुल नहीं बनना चाहिए। वह क्यों नहीं बनता? शिलान्यास को हुए तीन वर्ष हो गये हैं। कोई माई का लाल है तो वह सीना तान कर कहे कि वह गलत हुआ था, फ्रॉड था या आज वाला जवाब सही था। वर्तमान सरकार उसे नहीं बनने देने के लिए कसूरवार है। तीन वर्ष से किस बात की जानकारी हो रही है। मैं लड़ूंगा और बोलूंगा। ये लोग जनता के सवाल को इस तरह हल्केपन से ले रहे हैं। पटना पुल बने, यह बिहार की मांग नहीं है। बिना मतलब सब लोग गलत समर्थन करते रहते हैं। सरकार के पक्षधर को कभी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। हाजीपुर में जोनल आफिस खुला था। गम्भीर चर्चा है और गर्म अफवाह है कि ये लोग उसको खत्म करने जा रहे हैं। यह गलत परिपाटी नहीं है? एक रेल मंत्री थे, उन्होंने उसको जोनल आफिस बनाया और दूसरे रेल मंत्री हो गये तो वे जोनल आफिस को खत्म कर देंगे। वहां उसका काम रुका हुआ है, लोगों के मन में आशंका है कि दिल्ली के खिलाफ हुकूमत हुई तो यह हिन्दुस्तान के इतिहास में काला अध्याय होगा कि पहले जो जनता को मिली हुई चीजें हैं, उनको खत्म कर दिया जाये।

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, आप सारे इतिहास पर मत जाइये, आप तो अपनी मूल बात कहिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम जल्दी-जल्दी खत्म करेंगे। हाजीपुर में जोनल आफिस का काम क्यों रुका हुआ है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): आप इतना अच्छा भाषण कर रहे थे, आप कहां पहुंच गये। वैशाली वाला प्रोजैक्ट इतना बढ़िया था। आप इन सब बातों को छोड़िये न, बढ़िया बातें बोलिये।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वैशाली वाला तो आप सुनते कहां हैं। हाजीपर जोनल आफिस का काम तेजी से चलना चाहिए, नहीं तो दी गई चीज वापस ली जायेगी तो उसे हम लोग और बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हाजीपुर तो जरुवा परगना है, वहां जब आग लगती है तो दिल्ली जल जाती है। यह भी मैं बता देना चाहता हूं।

कुशेश्वर स्थान से रेलवे को जोड़ने वाला काम, दरभंगा सीतामढ़ी नरकटियागंज लाइन ब्राडगेज क्यों नहीं हो रही है। सारे लोगों ने आश्वासन दिया। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर को रेलवे लाइन से जोड़ने के काम में विलम्ब क्यों हो रहा है। ये सारे सवाल हमारे हैं। इसके बाद रेलवे सेफ्टी का मामला है। रेलवे में बराबर दुर्घटनाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि मानवीय भूल होती है, कभी-कभी मशीनी भूल होती है। रेल यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और उस सबसे संबंधित जो कमेटियां बनी हैं, उनकी रिपोर्ट पर क्रियान्वयन होना चाहिए, नहीं तो बराबर रेल दुर्घटनाएं होती रहेंगी। कभी-कभी इंजन आपस में लड़ते हैं, लेकिन यहां पर हिन्दुस्तान में तो आसमान में हवाई जहाज ही लड़ जाते हैं। रेल में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इससे लोग रेल में चलने से घबराते हैं।

आरक्षण का सवाल है। एक बार टिकट कटता है तो 100 से ज्यादा वेटिंग लिस्ट हो जाती है, 150-200 वेटिंग लिस्ट हो जाती है, 200 के बाद कहता है कि नो रूम, हमको आकर लोग कहते हैं कि तनिक लिख दीजिए, लिख दिया है कि नो रूम, नो रूम मतलब गर्मी के दिनों में, लगन में, छुट्टी के दिनों में, पूजा त्यौहार के समय दिल्ली से पटना या दिल्ली से देश के अन्य हिस्सों में लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद लोग ज्यादा आना चाहते हैं तो उस हालत के लिए रेलवे में कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि जैसे ही फर्ज किया जाये कि एक बोगी में 43 सीटें होती हैं, हम लोग जैसे ए.सी. टू में जाते हैं तो जैसे ही 43 वेटिंग लिस्ट बढ़े तो एडीशनल बोगी का इन्तजाम होना चाहिए और ऐसा नहीं है, इसलिए आरक्षण में बड़ी गड़बड़ी, बड़ी धांधली, बड़ी तबाही होती है। हम लोगों को रोज 10-15 लोगों को आरक्षण के लिए लिखना पड़ता है। हम लोगों के यहां लोग आते हैं, लोगों को भटकना नहीं पड़े, दौड़ना नहीं पड़े, इसलिए आरक्षण का प्रबंध और उसमें फार्मूला बनना चाहिए कि जब इतने ज्यादा टिकट कट जायें तो एडीशनल बोगी लग जाये, जिससे लोगों को आरक्षण के लिए ज्यादा दौड़-धूप नहीं करनी पड़े। ...*(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं।

आम आदमी के लिए जो बोगी है, उसमें एकाध बार जाकर इन लोगों को देखना चाहिए। ए.सी. वन और ए.सी. टू में तो बड़े लोग चलते हैं, उनको कठिनाई कम होती है, कठिनाई नहीं होती, लेकिन आम आदमी जो देह पर देह कसाकर जाता है और कभी-कभी पेशाब करने, पाखाना जाने के लिए, पानी पीने के लिए भी उसको ससरने की जगह नहीं होती। कुली लोग लोगों को ठठाकर डिब्बे में कोच देते हैं। वे लोग असली टिकट कटाने वाले होते हैं, और लोग तो मुफ्त में सरकारी खर्चे पर चलने वाले होते हैं, उनको ज्यादा सहूलियत है, लेकिन अपनी जेब से जो टिकट कटाता है, उनको ज्यादा कठिनाई होती है। इसलिए जो आम बोगी है, जो आम यात्री के चलने वाली बोगी है, उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन यात्रियों का ज्यादा ख्याल किया जाना चाहिए। आम आदमी वाला मैं कहता हूं।

रेलवे की नियुक्तियां में बड़ा भारी घोटाला पहले हुआ। बड़े लोग घूस ले लेकर चले गये। लोग घूम रहे हैं कि एक लाख रुपये घूस ले ली, हम लोगों के यहां आते हैं, कुछ उपाय कराइये। हम किस मंत्री के पास जाएं, अभी वाले के पास जाएं या पहले वाले के पास जाएं। मेरा कहना यह है कि रेलवे में नियुक्तियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे पीटिशनर को भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वहां जो घूसखोरी हो रही है, वह बंद होनी चाहिए।

ट्रेन में भोजन दिया जाता है, उसकी क्वालिटी में गिरावट आ रही है। पता नहीं यह ठेकेदारी के चलते आ रही है या कोई और पेंच के कारण आ रही है। अगर हम एक बोतल पानी की अतिरिक्त लें तो उसके लिए दस रुपए लगते हैं। पानी पर इतना टैक्स उचित नहीं है।

पटना रेलवे जंक्शन पर आप जाएं, बराबर लगेगा कि वहां कोई मेला लगा है। हर रोज वहां भारी भीड़ होती है। इसलिए उस जंक्शन का विस्तार होना चाहिए। वहां के यात्रियों की संख्या और आवागमन को देखते हुए यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा वहां बहुत गंदगी है, उसकी सफाई होनी चाहिए। हाजीपुर में दिगही, मुजफ्फरपुर में गुमटी है और फतेहा में भी गुमटी है, आधा घंटा वहां गाड़ी रुकती है तो किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। पूछने पर पता चला कि आधा कानून राज्य सरकार का है और आधा रेलवे का है। अगर राज्य सरकार ने इनीशिएटिव नहीं लिया तो वहां गाड़ी रुक जाती है। इसलिए आप देखें कि कहां गड़बड़ है।

दिल्ली में वजीरपुर में रेल लाइन के पास की जमीन में पिछले 20-25 सालों से लोग बसे हुए हैं। उनको वहां से हटाने के लिए अगल-बगल के राज्यों से बुलडोजर लाए गए।

श्री दिग्विजय सिंह: यह हम लोगों ने नहीं किया है, न्यायालय का फैसला हुआ था और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैं रघुवंश प्रसाद जी से गुजारिश करूंगा कि यह न्यायालय का मामला है, इसे यहां न उठाएं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसीलिए मैं कह रहा हूं। न्यायालय की बात मैं बता रहा हूं।

सभापति महोदय: उनसे मिलकर बात कर लें, यहां विवाद न करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वहां 20-25 हजार गरीब आदमी झुग्गी-झोपड़ियां डालकर रह रहे हैं। किसी बड़े सेठ ने दरख्वास्त दी कोर्ट में कि इनके रहने से गंदगी होती है इसलिए इनको यहां से हटा दिया जाए। रेलवे ने दरख्वास्त दी कि हमको पुलिस मिले तो हम हटाने को तैयार है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस मिले, लेकिन हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा कि गरीबों को उजाड़ दिया जाए। वहां इसी को लेकर 25 तारीख को पूर्व प्रधान मंत्री वी.पी. सिंह जी धरने पर बैठे थे। ममता जी यहां नहीं थीं, कलकत्ता गई हुई थीं, दिग्विजय बाबू थे, काफी टेलीफोन किए और बाद में राजा साहब धरने पर बैठ गए, क्योंकि बुलडोजर लगा दिया था। सौंदर्यकरण के नाम पर गरीब आदमियों को उजाड़ने का काम किया जाता है, यह बड़ा भारी अंधेर है। एक नीति बनानी चाहिए जिससे इन लोगों को अगर हटाया जाए तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था भी हो। किसी अमीर की सुविधा के लिए गरीब को उजाड़ना बर्दाश्त से बाहर की बात है। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देता हूं, इन्होंने बुद्धि से काम लिया और उसको रोक दिया, नहीं तो वहां क्या-क्या हो जाता, खून बहता, ऐसा मुझे अंदेशा था।

कुमारी ममता बनर्जी: वी.पी. सिंह जी के बारे में जो कहा है, यह कोर्ट केस है। वहां के लोग तीन महीने पहले मेरे पास आए थे और कहा था कि हमें मार्च तक वहां रहने दें, क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षाएं हैं, मैंने कहा कि ठीक है। इसलिए तब मैंने नहीं करने दिया। मैंने सी.एम., अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री की रेलवे के साथ मीटिंग का बंदोबस्त कर दिया था। रेलवे बुलडोजर लेकर नहीं गई थी। रेलवे चाहती थी कि कोर्ट का आर्डर है, रेलवे को उसको इम्प्लीमेंट करना था, अब भी कोर्ट की डेट है, हम चाहते हैं कि इसका सैटलमेंट हो। इसलिए मैंने राज्य सरकार से मामला टेकअप किया है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: 24 तारीख को धरना और 25 तारीख को बुलडोजर घर तोड़ने के लिए लगे हुए थे, यह हमने देखा है। गरीब अपना कलेजा पीट रहा था। इसलिए पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था जब तक नहीं की जाती, तब तक यह काम नहीं करना चाहिए था। हम किसी काम में आड़े नहीं आयेंगे, लेकिन वैकल्पिक पुनर्वास की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आप गरीब पर बुलडोजर चलायेंगे, तो इस सरकार पर भी बुलडोजर चलेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): जनाबेवाला, मैं जम्मू-कश्मीर के हवाले से आपकी वसातत से आनरेबिल रेलवे मिनिस्टर की तवज्जह मकजूल करना चाहता हूं और इस मकसद से इस ऐवान में कुछ बातें रिकार्ड पर रखना चाहता हूं।

जनाबेवाला, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रेलवे डिपार्टमेंट की मेहरबानियों के हवाले से रियासत जम्मू-कश्मीर के साथ बहुत बड़ा जोक हुआ है। दो बार आनरेबिल प्रधानमंत्री साहेबान ने श्रीनगर में काजीगंड और बारामूला रेलवे लाइन का संगेबुनियाद रखा, लेकिन वह पत्थर पुलिस स्टेशन में महफूज है। दूसरी दफा प्रधान मंत्री गए, तो हमने बड़ा इस्तकबाल किया और लोगों के कहा कि अब नया दौर शुरू हुआ है और बारामूला में एक बहुत बड़ा जलसा मिलिटेंसी के चलते किया तथा लोगों ने इस कदम का बड़ी मोहब्बत से स्वागत किया, लेकिन वह संगेबुनियाद भी पुलिस स्टेशन में पड़ा हुआ है। आज के इस बजट में बदकिस्मती से मोहतरमा रेलवे मिनिस्टर साहिबा ने लिखा है कि जम्मू-उधमपुर रेलवे लाइन का काम बहुत सुस्त है, क्योंकि उस इलाके में मिलिटेंसी का खतरा है। यह सबको मालूम है, जम्मू-उधमपुर का इलाका सबसे सेफ इलाका है और वहां हर सूरत में काम शुरू होना चाहिए। पिछले 25 वर्षों में जम्मू से मजालता रेलवे लाइन हमारी जिन्दगी में उधमपुर तक जाएगी या नहीं, लेकिन काजीगंड और बारामूला रेलवे लाइन का काम जारी रहना चाहिए। अफसोस की बात है कि अगर यह नामूमकिन है, तो सीधे दयानतदारी के साथ इस बात का इकरार किया जाना चाहिए कि यह काम नहीं हो सकता है। लेकिन संगेबुनियाद भी रखो, चर्चा भी करो और काम भी न करो। हमारी उम्मीद थी कि मिलिटेंसी के दौर में जम्मू-कश्मीर, खासकर कश्मीर में, बेकारी को देखते हुए, हमने समझा था कि रेलवे में वहां के लोगों को नौकरी मिलेगी और नौकरी का सिलसिला जारी होगा। हमारे नौजवानों में उम्मीदे भरीं, लेकिन आज तक रिकार्ड में देख लीजिए, कश्मीर के ऐसे कितने लोग हैं, जिनको नौकरी मिलने की कोई गुंजाइश हो। आज भी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे कहने के बावजूद भी नहीं है, इसलिए मैं इस बात को रिकार्ड पर रखना चाहता हूं।

हमारे जम्मू का रेलवे स्टेशन, हैदराबाद फिल्म सिटी का अरायशी रेलवे स्टेशन बड़ा है। इस बात को सभी जानते हैं कि जम्मू स्टेशन से आर्मी मूव होती है। खुदा की मेहरबानी है, लोग वैष्णों माता के दर्शनों के लिए जाते हैं और बड़ी मुश्किल से स्टैम्पीड से बचते हैं। जब यात्री यात्रा शुरू करते हैं, तो हम दुआ करते हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई मुसीबत न आए। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस काम को फर्स्ट एटेंशन देनी चाहिए, वह आज तक नहीं हुआ है।

[श्री अब्दुल रशीद शाहीन]

मैं ज्यादा लम्बी तकरीर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं रेलवे मिनिस्टर की तवज्जह इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हमारी इनके साथ बहुत बड़ी उम्मीद बाबस्ता है। आज के बजट में अल्लाह का फजल है, मैं यह उम्मीद करता हूं कि इनकी तवज्जह इस बात की तरफ जाएगी और हमारे मसलों में जरूरी इकदामात करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेंकानाल): सभापति महोदय, रेल बजट पर बोलना सदैव एक विशेषाधिकार है क्योंकि 1924 से ही, जब रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, यह आम बजट जितना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसका देश के आर्थिक विकास पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है।

महोदय, मैं पुन: माननीया मंत्री जी को धनयवाद देना चाहता हूं उन्होंने 13 दिसम्बर 1999 को किए गए अपने वायदे को पूरा किया है और उन्होंने सम्बलपुर से भुवनेश्वर हीराकुंड तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की है और अंगुल और ढेंकानाल के बरास्ते इसका विचार किया है। अंगुल एक ऐसा स्थान है जिसने डी.एल. राय को धोना धाल पुष्पेवरा की रचना करने के लिए प्रेरित किया। मुझे उनका 29 फरवरी, 2000 का पत्र पाकर अति प्रसन्नता हुई जिसमें उन्होंने महाचक्रवात के बारे में दिसम्बर में पूरक मांगों पर चर्चा के दौरान मेरे सुझावों का उल्लेख किया है। उड़ीसा के महाचक्रवात, जो इस शताब्दी का सबसे भयंकर चक्रवात है, ने 14 जिलों का विनाश किया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया है। महोदय, आपके अपने राज्य मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों द्वारा नौ जिलों को अपनाया गया था। हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। मैंने यहां यह बताया था कि दो केन्द्रीय जिलों अर्थात् ढेंकानाल और अंगुल में महाचक्रवात ने मौत, विनाश और बर्बादी के मामले मे कोई भेदभाव नहीं किया था। मंत्री जी ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को अपनाने के प्रश्न का उल्लेख किया है। दूसरे पैराग्राफ में वह कहती हैं मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जैसाकि प्रधान रेजीडेंट आयुक्त, उड़ीसा सरकार और माननीय राज्यपाल ने सुझाव दिया गया है, कटक जिले के कनकपाड़ा प्रखंड में और जगतसिंहपुर जिले के गोविन्दपुर प्रखंड में जो अंगुल से सैकड़ों मील की दूरी पर हैं, स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत की गई है, यू जी प्राथमिक स्वास्थ्य की मरम्मत की गई है ...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): यह अभी भी कटक में है न कि जगतसिंहपुर में ...*(व्यवधान)*

श्री के.पी. सिंहदेव: यह अभी कटक में है, न कि जगतसिंहपुर में। मैंने सुधार लिया है। जगतसिंहपुर आपका निर्वाचन क्षेत्र है। सुधार के लिए आपका धन्यवाद। कुछ भी हो, महोदय, यह अंगुल से सैंकड़ों मील दूर है। मुझे खुशी है कि मेरे पुराने साथी और मित्र श्री त्रिलोचन कानूनगो के निर्वाचन क्षेत्र को लाभ हुआ है। लेकिन मुझे आशा है कि जहां तक ढेंकानाल और अंगुल का संबंध है, रेलवे द्वारा कोई भेद नहीं किया जाएगा।

महोदय, रेलवे प्रगति का दूत रहा है। यह वही बात है जो 1980 की बी.डी. पांडेय समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवहन समिति की रिपोर्ट में बताया गया था। इसमें यह भी उल्लेख था कि वर्ष 1853 में भारत में रेलवे ने कलकत्ता को फोर्ट सेंट जार्ज और फोर्ट विलियम्स से और बम्बई को कलकत्ता से जोड़ने की शाही आवश्यकता की पूर्ति के लिए शुरू किया था। स्वतंत्रता के बाद ही हमने इस तरफ राष्ट्रीय आवश्यकता के दृष्टिकोण देखना शुरू किया। महोदय, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं केवल ग्यारहवीं लोक सभा के रेलवे वित्त के बारे में नौवीं रिपोर्ट के बारे में टिप्पणी करूंगा और यह मेरे योग्य और कामरेड श्री बसुदेव आचार्य की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। मै पृष्ठ 53, 55 और 57 का हवाला दे रहा हूँ। एक यह है कि जहाँ तक रेलवे विकास का संबंध है रेलवे का कोई निगमित लक्ष्य नहीं है क्योंकि स्थायी समिति में शामिल स्वयं तेल अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यह कार्य राज्य सरकारों और संसद सदस्यों के दबाव में किया जाता है। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद आज भारतीय रेलवे विश्व में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। इसमें रक्षा मंत्रालय से भी अधिक कर्मचारी हैं।

दूसरी बात कि पांडेय समिति ने ऐसे क्षेत्रों के लिए एक एकीकृत योजना की भी सिफारिश की थी जहां नए विकास केन्द्रों का विकास करने और आर्थिक कार्यक्रमों का बढ़ावा देने के लिए भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। तब, बसुदेव आचार्य समिति की एक सिफारिश यह थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों, दूरदराज के क्षेत्रों और सुदूर के क्षेत्रों के लिए एक उपयोजना होनी चाहिए।

ऐसा योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की सहमति से किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर आज कुछ नहीं किया गया है। उसमें स्थायी समिति की एकमत सिफारिश के बारे में भी उल्लेख है कि सामाजिक दायित्व, जिसे रेलवे को निर्वाह करना है, को भारत सरकार और योजना आयोग द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। जब इसका उल्लेख किया तो माननीय मंत्री जी ने मुझे धन्यवाद दिया। मैं इसका उल्लेख उनसे करना चाहूँगा कि उस समय मेरे पास रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी और यह वही रिपोर्ट है जिसका मैं उद्धरण दे रहा हूँ। यह उद्धरण पृष्ठ सं. 53 पर है।

अब, मैं स्थायी समिति की अद्यतन रिपोर्ट पर आता हूँ जो कल ही संसद के समक्ष रखी गई है। यह तेरहवीं लोक सभा की पहली रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में इसके अध्यक्ष श्री के. येरननायडू और ग्यारहवीं लोक सभा के दल को छोड़कर दल के अन्य नए सदस्यों द्वारा बहुत गम्भीर टिप्पणियां की गई हैं। उन्होंने यह भी पुनः बता दिया है जो 1997 की इस रिपोर्ट में था। अतः पूर्व अध्यक्ष कह रहे थे कि रेलवे प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। किसी के द्वारा बेचारी रेल मंत्री जी को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जब हम होने वाली सभी दुर्घटनाओं के लिए श्री शिवराज वी. पाटील को फटकारते थे जब वह नागर विमानन मंत्री थे।

वह बेचारे दरवाजे के बाईं ओर खड़े होने वाले चपरासी को भी दरवाजे के दाहिनी ओर खड़ा करने तक का परिवर्तन नहीं कर सकते थे क्योंकि वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था और यही स्थिति रेलवे के साथ है। वहां स्वायत्तता और प्राधिकार है लेकिन कोई जवाबदेही और उत्तरदायित्व नहीं है। इसलिए ऐसा कब तक चलेगा?

महोदय, तेरहवीं लोक सभा की प्रथम रिपोर्ट में भी कहा गया है कि रेलवे की कोई व्यापक समेकित योजना नहीं है। यह सब उद्देश्यवाद है। अतः इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। समयाभाव के कारण मैं जल्दी अपनी बात पूरी करूंगा।

अब, मैं महाचक्रवात से प्रभावित उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर आता हूं। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का 33 प्रतिशत से अधिक भाग उड़ीसा में है। शेष भाग अन्य राज्यों में है। मध्य प्रदेश में 9.56 प्रतिशत है, आंध्र प्रदेश में 7.65 प्रतिशत है, पश्चिम बंगाल में 13.11 प्रतिशत है और बिहार में 13.11 प्रतिशत है। अतः महाचक्रवात के बाद उड़ीसा के महाचक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए माननीया मंत्री जी द्वारा प्रकट की गई चिंता के पश्चात हम यह आशा कर रहे हैं कि इस वर्ष के रेल बजट में उड़ीसा को अधूरी परियोजनाएं पूरी करने के लिए हमें कुछ खास धनराशि मिलेगी साठ प्रतिशत मालभाड़ा दक्षिण-पूर्वी रेलवे से आता है।

महोदय, यदि आप वर्ष 1997-98 के आंकड़े देखें तो नई लाईनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण हेतु 145.5 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वर्ष 1998-99 में यह खर्च 107 करोड़ रुपए था और वर्ष 1999-2000 में यह खर्च 155 करोड़ रुपए था और महाचक्रवात के बाद वर्ष 2000-2001 के लिए 191 करोड़ रुपए निर्धारित हैं जिसमें से 22 करोड़ रुपए बी ओ एल टी के लिए है। बी ओ एल टी का कार्यकरण निराशाजनक है। यह वह बात नहीं है जो श्री के.पी. सिंह देव कह रहे हैं बल्कि यहां वह बात है जो वर्ष 1997 और 2000 क दोनों स्थायी समितियां कह रही है। अतः वास्तविक रूप में यह वर्ष 1999 जैसी दी है।

अब, मैं विशिष्ट रूप से पूर्व समुद्र तट रेलवे विषय पर चर्चा करूंगा। पूर्वी समुद्रतट रेलवे उन सात नए जोनों में सबसे पुराना है जिनकी रचना अगस्त 1996 को हुई थी जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर था। अन्य रेलवे जोनों, जो इसके बाद शुरू किए गए थे, ने प्रभावी रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने यह भी अधिसूचित नहीं किया है कि यह रेलवे जोन अस्तित्व में आ चुका हूँ। अतः एक बार इसकी समुचित स्थापना हो जाती है तो यह रेलवे जोन जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है उड़ीसा और इसके आसपास के क्षेत्रों जिनमें आपके क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जो माननीया मंत्री जी का राज्य है में अनेक विकासात्मक कार्य शुरू कर सकता है। जोनल कार्यालय उड़ीसा से संबंधित सभी रेल परियोजनाओं की निगरानी और अनुवर्तन कलकत्ता की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है। उड़ीसा की परियोजनाओं पर रेलवे प्रशासन द्वारा पूरा और समग्र ध्यान दिया जाएगा जब मुख्यालय का कार्यालय अपना कार्य करना शुरू कर देगा। रेलवे जोन का मुख्यालय कार्यालय उस समय बहुत-से कार्यों, कार्यक्रमों और खरीद को मंजूरी प्रदान कर सकता था। लेकिन अब इसे कलकत्ता में जोनल कार्यालय से नियंत्रित किया जा रहा है क्योंकि उनके पास भुवेश्वर में केवल एक मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है जिसके पास प्रत्यायोजित शक्तियाँ नहीं है। महाप्रबंधक अल्पकालिक और स्थायी दोनों प्रकार का रोजगार प्रदान कर सकता था, और उड़ीसा में आज की तिथि में रोजगार आवश्यक है क्योंकि 3.19 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोग तबाह हो गये हैं। उनके पास घर नहीं हैं और उनमें से कुछ अनाथ हो गये हैं। हालाँकि मेरे बड़े भाई डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने अभी भारी भ्रष्टाचार की बात की है, तो भी यदि भर्ती बोर्ड की तुलना की जाये तो भुवनेश्वर में जब भर्ती बोर्ड नहीं था उस समय की तुलना में अधिक लोग भुवनेश्वर में भर्ती बोर्ड खुलने के बाद रेलवे में आए। अतः यही समय है जब हम इसे जल्दी खोलकर और इसे प्रभावी बनाकर चक्रवात प्रभावित लोगों को आराम, सहायता और मदद प्रदान कर सकते हैं। रेलवे जोन मुख्यालय कार्यालय खिलाड़ियों, सांस्कृतिक लोग, स्काउटों और गाइडों को नियुक्त कर सकता था जैसा कि अनुकंपा के आधार पर किया गया है, और इसीलिए यह मुख्यालय कार्यालय यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना है। एक बार जोनल कार्यालय काम करना आरंभ कर दे, तो सभी कार्यकलाप आरंभ किये जा सकते हैं। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। गत दो वर्षों में, वर्ष दर वर्ष नये जोन के लिए पूँजी आबंटन कम कर दिया गया है–मैं नहीं जानता क्यों। वर्ष 1996-97 में, यह 1.5 करोड़ रुपये था, वर्ष 1997-98 में, 4.5 करोड़ रुपये, वर्ष 1998-99 में, 2.93 करोड़ रुपये; वर्ष 1999-2000 में, 0.6 करोड़ रुपये अर्थात 60 लाख रुपये था; और 2000-2001 में, यह घटकर 0.3 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् 30 लाख रुपये। मैं नहीं जानता कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के निर्माण में कितनी शताब्दियों का समय लग जायेगा।

[श्री के.पी. सिंहदेव]

नये जोन के बारे में अनिश्चय के कारण ईस्ट कोस्ट में रेलवे के स्टाफ के लिए स्वीकृत किये गये 96 क्वार्टरों के निर्माण के कार्य को भी कम महत्व दिया जा रहा है। मैं उनकी आलोचना नहीं करता। इसके लिए मैं रेलवे बोर्ड की भी जरा भी आलोचना नहीं करता। वे सोच रहे होंगे कि श्री रामविलास पासवान वहाँ नहीं हैं तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन मुख्यालय संभवत: कहीं और खोला जायेगा। यह काम करने के लिए हम उनके आभारी हैं, हालांकि उन्हें रेल मंत्रालय के भीतर और बाहर, जो रेल विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके थे उनसे और जिन पर वर्ष 1982 से क्रियान्वयन का जिम्मा था उन लोगों से काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वर्ष 1996 तक इस कार्य को करने में विफल रहने के कारण, वे उन्हें प्रताड़ित करना चाहते थे। लेकिन हमारे प्रतिष्ठित अध्यक्ष के सहयोग से, हमने स्थायी समिति में ऐसा नहीं होने दिया।

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि नये जोन के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की अधिसूचना की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है। इसीलिए, राउरकेला में मंडल कार्यालय को और नये सम्बलपुर मंडल को अभी कार्य करना आरम्भ करना है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में हावड़ा-चेन्नई ट्रक रूट के हिमगिरी से जेराईकेला क्षेत्र का अभी विलय होना बाकी है। इन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) और मंचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशाप जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंग हैं, इस समय भी कलकत्ता से कार्य संचालन कर रहे हैं। इसलिए, यह अलग-अलग हैं और यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की तरह हैं जिनमें कुछ भी होता हुआ प्रतीत नहीं होता ...*(व्यवधान)*। हम चाहते हैं कि ईस्ट-कोस्ट मुख्यालय का निर्माण हो; दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्यालय को वहीं रहने दें। इसीलिए, महोदय ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा 2.5 करोड़ रुपये की माँग की गयी है और यह राशि अवश्य दी जानी चाहिए।

जारी रेलवे परियोजनाओं के बारे में बात करें एकमात्र यही समय है जब हमें बोलने का अवसर मिलता है क्योंकि रेलवे और संचार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम अपने राज्य के संदर्भ में बोल सकें। इसके अलावा बाकी विषय राज्य के विषय हैं और उनके बारे में बोलने की संसद में अनुमति नहीं है।

महोदय, लंजीगढ़-जूनागढ़ के लिए गत वर्ष केवल 2 करोड़ रुपये दिये गये थे और इस वर्ष भी 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की दर से, इसमें 50 वर्ष लगेंगे। खुरदा रोड-बोलनगीर, के लिए जो 353 करोड़ रुपये की परियोजना है, गत वर्ष 10 करोड़ रुपये दिये गये थे और इस वर्ष इसमें अल्प वृद्धि की गयी है और 14.5 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस प्रकार इसमें भी पुन: 20 वर्ष लगेंगे। हरिदासपुर-पारादीप के लिए, गत वर्ष 5 करोड़ रुपये दिये गये थे। आपने इस वर्ष 1 करोड़ रुपये दिये हैं। अंगुल-सुकिन्दा रेल परियोजना मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह 29.83 प्रतिशत की आंतरिक राजस्व दर पर सबसे ज्यादा दर प्राप्त करता है। ऐसा विश्व में अन्यत्र कभी भी कहीं नहीं हुआ है। 2 करोड़ रुपये गत वर्ष दिये गये थे। यह 245.5 करोड़ रुपये की परियोजना है। वर्ष 1996 में उस समय के रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान ने 5 करोड़ रुपये दिये थे। इस साल आपने 23 करोड़ रुपये का जिक्र किया है। इस राशि में से केवल 2 करोड़ रुपये दिये गये हैं। 23 करोड़ रुपये की धनराशि बोल्ट (बी.ओ.एल.टी.) योजना के लिए नियत की गयी है।

स्थायी समिति की इन दो रिपोर्टों में, 45 बोल्ट योजनाओं में से गत दस वर्षों में केवल तीन को आरम्भ किया गया है। मेरे विचार से प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की दर से, इस 245 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए 100 वर्षों से अधिक का समय लगेगा।

फिर, इस वर्ष आमान परिवर्तन के लिए एक करोड़ रुपया दिया गया है।

इसी बीच आपको मूल्य वृद्धि पर विचार करना है जो आपको 22वीं अथवा 23वीं शदी में ले जायेगा। इसे रिटर्न का उच्चतम दर माना जाता है। आप इसे बोल्ट—बिल्ड, ऑपरेट, लीज और ट्रांसफर-योजना को देना चाहते हैं। रेलवे इस पर दावा नहीं करना चाहती। चार वर्ष के समय में वे अपना धन वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। 29.83 प्रतिशत रिटर्न की दर से हम इसे चार वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं।

आप दोहरीकरण कार्य करते हैं। राज अठगढ़-निरगुण्डि के लिए एक करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है और रहामा-पारादीप के लिए 24 करोड़ रुपये दिये गये हैं और निरगुण्डि कटक-रघुनाथपुर के लिए गत वर्ष 33 करोड़ रुपये की धनराशि की तुलना में इस वर्ष 30 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

महानदी पर दूसरे पुल के लिए 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस पर 104 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इसके निर्माण में 10 वर्ष लगेंगे। 66.6 करोड़ रुपये में से लंजीगढ़ रोड-टिटिलागढ़ के लिए 15 करोड़ रुपये दिये गये हैं और इसमें पांच वर्ष लगेंगे। राजअठगढ़-बारंग योजना के लिए 0.1 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है। तालचेर हिन्दोल रोड के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी थी और इस वर्ष कुछ भी नहीं है।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। दो और बातें फिर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ।

वर्तमान समय में, भुवनेश्वर की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न दिशाओं की अतिरिक्त रेल गाड़ियों की बहुत ज्यादा माँग है। भुवनेश्वर स्टेशन से आगे जो कोचिंग टर्मिनल स्थित है उसमें विस्तार की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए, यह आवश्यक है कि भुवनेश्वर से दस किलोमीटर की दूरी के भीतर संतरागाछि (दक्षिण-पूर्व रेलवे) और टिकियापाड़ा (पूर्व रेलवे) की तरह ही एक नये समीपवर्ती कोचिंग टर्मिनल की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की जाये जो मंचेश्वर अथवा अन्यत्र स्थापित किया जा सकता है।

देतारी-बांसपानी और हरिदासपुर-पारादीप को दो अलग-अलग परियोजनाएं मानते हुए यद्यपि उनको अलग-अलग धन प्रदान किया जाता है, लेकिन वे लौह अयस्क की आजादी के लिए वैकल्पिक मार्ग स्थिर करते हैं। यदि ताल्चेर-सुकिंदा लाइन को हरिदासपुर लाइन से जोड़ दिया जाए, तो भारत के चार दक्षिणी राज्य-कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रेल और समुद्री मार्ग से होते हुए पारादीप के रास्ते सारा कोयला प्राप्त करेंगे। इससे इन राज्यों को सहायता मिलेगी। इसी कारण, 1 करोड़ रुपये की धनराशि के स्थान पर, माँग 15 करोड़ रुपये की है। मैं जानता हूँ कि माननीय मंत्री जी यह कार्य इस बजट में नहीं कर पायेंगी। किन्तु वह इस कार्य को अनुपूरक बजट के लिए नियत कर सकती हैं।

उस समय के प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने लंजीगढ़-जूनागढ़ परियोजना का उद्घाटन किया था जिसका उद्देश्य उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था। प्रगति की यदि इतनी धीमी गति रही तो, भगवान जाने इस कार्य में कितना समय लगेगा। उड़ीसा में 1967 चक्रवात के दौरान, आपके पुराने मित्र और मेरे वरिष्ठ, श्री पी.के. देव और श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने यह माँग की थी और इस प्रकार से कटक-पारादीप रेल लाइन को स्वीकृति मिली और 1973 में यह कार्य पूरा हुआ।

गत वर्ष दिसम्बर में मैंने भी इसी प्रकार की प्रार्थना की थी कि गोपालपुर पत्तन को विकसित किया जाना चाहिए। दो एकीकृत इस्पात मिलों का निर्माण हो रहा है। यदि वह हिन्डोल के रास्ते ताल्चेर-आंगुल-गोपालपुर के रास्ते से गुजरता है, तो यह न केवल रोजगार प्रदान करेगा बल्कि विकास कार्य भी करेगा तथा गोपालपुर पर बन रहे विशाल समुद्री पत्तन को जोड़ेगा। दूसरा हरिदासपुर-पारादीप के रास्ते आंगुल-सुकिन्दा जाना था।

लम्बे समय से, साठ के आरम्भिक दशक से, आप कृपया याद करें क्योंकि उस समय आप सदन के सदस्य थे, उस समय ताल्चेर-विमलागढ़ रूट की माँग की गयी थी। विमलागढ़ बोनाई जिले में है जहाँ एक समय हम भारत में 1971 में दूसरे सबसे सस्ते इस्पात संयंत्र के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसका निर्माण नया गढ़-बोलानी क्षेत्र में किया जाना था।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, इस ताल्चेर-बिमलागढ़ रेलवे लाइन को रद्द कर दिया गया था क्योंकि ताल्चेर-सम्बलपुर रेलवे लाइन का काम शुरू हो गया था। लेकिन यह पूरी तरह से पिछड़े हुए क्षेत्र में स्थित है जिसमें लौह अयस्क के भंडार हैं। श्री जुएल उराम सुन्दरगढ़ से संबंध रखते हैं। यदि इस कार्य को भी स्वीकार कर दिया जाए, इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में कुछ कहूँगा क्योंकि यही अवसर है जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बोल सकता हूँ। मैं दो स्टेशनों का उल्लेख करूँगा और ये स्टेशन दो मुख्यालयों में हैं–एक हैं आंगुल रेलवे स्टेशन जो कि एक नये जिले में है और दूसरा है ढेंकानेल रेलवे स्टेशन। पिछली बार, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ढेंकानेल को एक आदर्श स्टेशन में परिवर्तित किया जायेगा। ढेंकानेल रेलवे स्टेशन में, दक्षिण की ओर कोई सम्पर्क नहीं है अर्थात् चेन्नई और बंगलौर की ओर। इसके अलावा तकनीकी समस्याएं भी हैं। जोरान्दा रोड की ओर जाने वाला और आने वाला मार्ग छोटा है। लाइन नम्बर एक को लाइन नम्बर 4 से जोड़ देने पर ताल्चेर से पाराद्वीप को आने वाले कोयला लाने वाले यातायात में भीड़भाड़ कम होगी। माल को उतारने और भरने के लिए ताल्चेर कोयला खान और ढेंकानेल में एक मिनी यार्ड बनाने की आवश्यकता है।

मेरे पास फोटोग्राफ हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ प्रदर्शित नहीं कर सकता। महाचक्रवात के दौरान भारतीय खाद्य निगम का स्टॉक सड़ रहा था। इसकी चोरी की गयी थी। अब, भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) रेलवे को विलम्ब शुल्क के रूप में काफी पैसा देने वाला है क्योंकि न तो वहाँ प्लेटफार्म है और न शेड है, न बिजली है और न ही वहाँ बाड़ है। आज ही, प्रश्न काल के दौरान, हम कृषि संबंधी उत्पादन में कमी के बारे में काफी परेशान थे। यहाँ कृषि उत्पाद है, अनाज है जिसका हम न तो परिरक्षण कर सकते हैं और न इसकी रक्षा कर सकते हैं। अतः, मैं यह मांग करता हूँ, जिसे मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में प्रस्तुत किया है—मैंने अपने सभी कटौती प्रस्ताव पेश कर दिये हैं क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ज्यादा समय नहीं मिलेगा—इसीलिए इस तरह के एफ.सी.आई. यार्ड के लिए, एक लेवलिंग शेड अवश्य बनायी जानी चाहिए, इसे कवर अवश्य किया जाना चाहिए; थोड़ी-बहुत बाड़ भी अवश्य लगायी जानी चाहिए और बिजली भी अवश्य दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं स्टेशन मास्टर के कार्यालय में जो सन् 1927 में बनाया गया था, गया था। यह 10×8 वर्ग फुट का छोटा सा कमरा है जिसमें आरक्षण करने, सिग्नल देने, संदेश लेने-देने, पछताछ और

[श्री के.पी. सिंहदेव]

प्रबंधन संबंधी कार्य किये जाते हैं। स्टेशन मास्टर के कमरे में हर तरह का कार्य किया जाता है।

तब मैं अंगुल रेलवे स्टेशन की बात करता हूँ। यह एक नया रेलवे स्टेशन है जो 1995 में शुरू हुआ था। इसमें तल्चर-सम्बलपुर-अंगुल रेलवे स्टेशनों को जोड़ने के लिए एक लोको-शेड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस शेड का निर्माण कार्य अपने निर्धारित कार्यक्रम से दो वर्ष से भी अधिक पीछे चल रहा है। यदि और अधिक धनराशि निवेश की जाए तो वहाँ कम से कम 50 इंजिनों की मरम्मत, रख रखाव की जा सकती है और उन्हें वहां से भेजा जा सकता है। लेकिन 42 करोड़ रुपये में से केवल 27 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और संशोधित अनुमान की राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

महोदय, आपको यह जानकर दुःख होगा कि लगभग 700 रेल कर्मचारी यहाँ रह रहे हैं और उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए कोई डाक सुविधा नहीं है और अंगुल रेलवे स्टेशन के जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है और उन्हें तीन किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। उनके पास न तो कोई टेलीफोन सुविधा है और न ही बैंकिंग सुविधा है। मैंने विभाग के विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखें और मैं आशा करता हूँ कि इनका कोई हल निकलेगा।

महोदय, हिन्डोल रोड रेलवे स्टेशन सौ वर्ष से भी अधिक पुराना स्टेशन है। उस स्टेशन में कोई प्रतीक्षा कक्ष नहीं है। वहाँ बिजली की कोई सुविधा नहीं है। पानी नहीं है। उस स्टेशन की स्थिति बहुत ही दयनीय है।

मेरा अंतिम प्रश्न शौर्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में है। आज हममें से अधिकांश सदस्य यहाँ मौजूद हैं। मैं विंस्टन चर्चिल को उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था मनुष्य के संघर्षकाल के हिसाब में कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने कम लोगों के लिए ऋणी नहीं रहे हैं। अर्थात् बहुत कम लोगों ने बहुसंख्यक लोगों के लिए अपना परम बलिदान दिया है। उन्होंने यह बात ब्रिटेन युद्ध के फाइटर पायलटों के बारे में कही थी। यदि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं तो यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवानों द्वारा कारगिल की लड़ाई में दिए गए महान बलिदान, साहस और वीरता का परिणाम है। रेल विभाग ने उन लोगों को एक साथी के साथ ए.सी.-2 श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा प्रदान की है। लेकिन यह भेदभाव क्यों हैं? उन्हें शताब्दी एक्सप्रैस में यात्रा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें राजधानी एक्सप्रैस में यात्रा करने को अनुमति नहीं है। उन्हें मेट्रो रेलवे से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। यही स्थिति अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की है। वे शताब्दी एक्सप्रैस, राजधानी एक्सप्रैस और मेट्रो रेलवे को छोड़कर किसी भी राजधानी एक्सप्रैस और मेट्रो रेलवे दूसरी रेलगाड़ियों में यात्रा कर सकते हैं।

महोदय, रेलवे खेल-कूद को संरक्षण देता रहा है। यह सशस्त्र सेनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों को संरक्षण देता रहा है। जैसा कि मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी कह रहे थे कि क्या सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक किसी भी लिहाज में उन लोगों से जिन्होंने 1947 से पहले के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, से कम स्वतंत्रता सेनानी है। वे अपनी महान कुर्बानी देकर हमारे देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे हैं।

महोदय, रेलवे क्रिकेट, ऐथलीट, बास्केटबाल और हाकी को संरक्षण देता रहा है। इस वर्ष सिडनी ओलम्पिक में नौका-दौड़ ने क्वालीफाई किया है। मैं रेल राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जो स्वयं एक खिलाड़ी है, से अनुरोध करूंगा कि वे नौका-दौड़ को बढ़ावा देने के लिए खेलकूद के एक विषय के दौड़ रूप में इसे शामिल करें।

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): सभापति जी, धन्यवाद। आपने हमें देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज बोलने का अवसर दिया। हमारे क्षेत्र में भिण्ड और दतिया दो जिले हैं। दोनों जिले बहुत पिछड़े हुए हैं। भिण्ड के लिए करीब दस साल पहले गुना-इटावा नाम से नयी रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। गुना से लेकर ग्वालियर तक वह काम बहुत तेजी से चला और पूरा हो गया। पिछले समय ममता जी ने वहां रेल लाइन का भी शुभारम्भ कर दिया।

अपराह्न 5.06 बजे

[डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए]

लेकिन ग्वालियर से इटावा तक आगे का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है जबकि उस लाइन का मुख्य उद्देश्य भिण्ड जिले के लिए था क्योंकि भिण्ड बहुत पिछड़ा जिला है। उसका विकास हो सके, इस कारण उस रेलवे लाइन को मंजूर किया गया था लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। हम मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि वे उस काम में तेजी लायें और उसके लिए पैसा भी अधिक आवंटित किया जाये क्योंकि भिण्ड से इटावा के लिए जो लाइन बननी है उसमें तीन बड़ी-बड़ी नदियां पड़ती हैं जिन पर पुल बनना है। इस लाइन का टारगेट सन् 2002 तक पूरा करने का है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लाइन के लिए और अधिक पैसा आवंटित किया जाये ताकि पुलों का टैंडर लग सके और उस काम में तेजी आ सके।

कार्यकारी अभियन्ता का आफिस आगरा में है जिस कारण उस काम की देखरेख ठीक से नहीं हो पाती। हमारा निवेदन है कि उस आफिस को भिण्ड में शिफ्ट किया जाये जिससे काम में तेजी आ सके और उसकी मानीटरिंग ठीक से हो सके।

इसी संबंध में हमारा एक निवेदन और है कि कुछ समय से उस काम को समय के अंदर पूरा करने के नाम पर विभाग ने भ्रष्टाचार का जरिया भी अपना लिया है। मंत्री जी को पता होगा, जब गुना से ग्वालियर लाइन चालू करने का समय था तो उसमें बहुत दिक्कत आई, काम ठीक से नहीं हुआ। वही स्थिति ग्वालियर से भिण्ड में काम में हो रही है। उसमें न प्रॉपर वाटरिंग होती है और न ही प्रॉपर रोलिंग होती है जिसके कारण बाद में कठिनाई आती है। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि उस काम की ठीक से मौनीटरिंग हो। हमने पिछली बार आपको लिखकर भी दिया है।

ग्वालियर से मालनपुर तक की लाइन पूरी हो गई जो भिण्ड जिले के अंतर्गत आती है। वह औद्योगिक क्षेत्र है। वहां काफी संख्या में ग्वालियर से मजदूर और कर्मचारी आते हैं। यदि मालनपुर तक एक शटल ट्रेन चला दी जाये तो वहां के लोगों को काफी सुविधा होगी और औद्योगिक क्षेत्र को और विकास करने में मदद मिलेगी।

1998 में प्रधान मंत्री जी ग्वालियर गये थे। सदन में 1998 के बजट में एक नई रेलवे लाइन के सर्वे की घोषणा हुई थी। जो भिंड उरई मशोवर बरास्ता राठ के नाम से, प्रधान मंत्री जी जब ग्वालियर गये तो उन्होंने घोषणा की थी कि इस लाइन पर जल्दी ही काम शुरू करा दिया जायेगा, लेकिन अफसोस है कि अभी इस बजट में जब हमने देखा तो इस लाइन पर बजट तो आबंटित हुआ, लेकिन भिंड का नाम उसमें गायब है। वह लाइन सिर्फ उरई मशोवर बरास्ता राठ रह गई। उसमें से भिंड का नाम कैसे हट गया, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस लाइन को आप देखें और जो भिंड उरई मशोवर बरास्ता राठ नई रेलवे लाइन की घोषणा हुई थी और प्रधान मंत्री जी द्वारा भी घोषणा हुई, भिंड को उसमें जोड़ा जाये, जिससे आगे चलकर भिंड के लिए आगे विकास का काम हो सके।

अभी लगभग सभी सदस्यों ने चर्चा की कि कारगिल के युद्ध में जो सैनिक शहीद हुई, उनके लिए काफी रियायतें मंत्री जी ने दी हैं, और भी रियायतें देने की मांग की है। हमारा जिला एक ऐसा जिला है कि उस जिले में हर दूसरे घर से सेना में लोग भर्ती हैं, नौकरी करते हैं। अभी कारगिल युद्ध में भी लगभग 17 लोग भिंड जिले से शहीद हुए हैं। ऐसे जिले इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और इतने पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों लाइनों पर काम तेजी से हो सके, इस पर हम मंत्री जी से निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस पर ध्यान देंगी।

जहां तक हमारे दूसरे जिले दतिया का सवाल है, वहां पर पीताम्बर पीठ है, जो पूरे देश में विख्यात है। वहां पूरे देश से लोग दर्शन करने आते हैं। हम जब 1996 में पहली बार चुनकर आये थे, तब से लेकर अब तक, 1996 का ममता जी को शायद ध्यान हो कि जब यहां पर सुबह तक बहस चली थी तो मैं दो दिन तक लगातार बैठा था, तब जाकर हमारा सुबह छः बजे नम्बर आया था, तब भी हमने मांग की थी कि दतिया में पंजाब मेल को रुकना चाहिए। तब से लगातार मैंने पत्र लिखे, कई बार व्यक्तिगत तौर पर मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां पर पंजाब मेल का ठहराव होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि विभाग के लोग, अधिकारी लोग कौन सा तकनीकी कारण से यह सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। कई बार जनहित में कई निर्णय सरकार को लेने होते हैं। उसी नियम के तहत यह निर्णय भी लें और वहां के लोगों को यह सुविधा प्रदान करें। ऐसे ही बसई एक छोटा सा स्टेशन है। ...*(व्यवधान)* मुझे तो कभी-कभी समय मिलता है और आप बार-बार घंटी बजाकर हमें धमकाते हैं तो कैसे काम चलेगा। हमें भी आप थोड़ा समय दीजिए। कई लोग तो कई फालतू चीजों को बोलते हैं और उसे भी हम बड़े प्यार से सुनते हैं।

बसई एक छोटा सा स्टेशन है, वहां पर पठानकोट का पहले ठहराव होता था, वहां पर कई वर्ष तक वह ट्रेन रुकती थी। पिछले दो-तीन साल से वहां के तीन-चार स्टेशनों पर उस गाड़ी का ठहराव खत्म कर दिया गया। उनमें से तीन ठहरावों पर फिर से गाड़ी रुकने लगी, क्योंकि वहां पर आन्दोलन होने लगे, लेकिन चूंकि दतिया में आन्दोलन नहीं हुआ, मैं सिर्फ निवेदन करता चला आ रहा हूं, इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर पठानकोट को बसई में रोककर हमारे ऊपर कृपा करें और वहां की जनता को राहत दिलायें। उनको बाध्य न होना पड़े कि और लोगों ने जैसा किया, वैसा हमें करना पड़े। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आम तौर पर हमने देखा है कि भिंड में जो छोटी रेलवे लाइन है, जो पहले छुक-छुक करके चलती थी, उसको अब बड़ी लाइन कर रहे हैं। वहां उस रेलवे की पटरी को उखाड़ा गया। हमें बताया गया है कि रेल पटरी का एक चौथाई हिस्सा भी रेल विभाग में जमा नहीं हुआ।

बाकी पता नहीं लाइन कहां चली गई, विभाग जाने कहां गई। वहां स्टेशन की जमीन है, और भी जितने स्टेशन पड़ते हैं उनकी जमीनों पर भी अतिक्रमण हो रहा है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए आपको ठीक से कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। आप उस जमीन को बेच दें, अगर रखरखाव नहीं कर सकते या फिर उसे किराए पर दे दें। जो लोग युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को, युद्ध में विकलांग हुए व्यक्तियों को आप किराए पर दे कर उन लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं।

[डा. राम लखन सिंह]

वहां पर छोटी-छोटी रेल लाइन थीं, कई छोटे-छोटे स्टेशन थे, जहां गाड़ी रुकती थी। गांव के दूसरी तरफ किसानों की जमीन है, वे खेती करने जाते थे तो बीच में फाटक बना हुआ था। अब जो नई रेल लाइन बन रही है उससे वह फाटक खत्म कर दिया गया है। इसके कारण वहां के किसान बहुत परेशान हैं। भिण्ड में निरौरा स्टेशन था, वहां पर फाटक कायम किया जाए। इसी तरह से दतिया जिले में चितवा ग्राम है, वहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं इसलिए वहां भी फाटक लगाया जाए।

सभापति महोदय: अब समाप्त करें। छ: बजे मंत्री जी को उत्तर देना है, अभी 13 सदस्य और बाकी हैं।

डा. रामलखन सिंह: मेरा निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने मंत्री जी से जो चार-पांच बातें कही हैं, वे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके इन्हें पूरा करेंगी।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): जबलपुर रेलवे मंडल में मैहर में ओवरब्रिज का एस्टीमेट बन चुका है और भूतल मंत्रालय ने भी ओ.के. कर दिया है। ममता जी से अनुरोध है कि सप्लीमेंटरी में उसके लिए प्रावधान करके उसे बनवा दें। वहां संगीत सम्राट अलाउद्दीन की भी नगरी है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सदन का समय सात बजे तक बढ़ा दें। स्पीकर साहब से बात करके आए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय, प्रारम्भ में मैं रेल संबंधी स्थायी समिति के माननीय सभापति महोदय श्री के. येरननायडू को रिपोर्ट पेश करने और वर्ष 2000–01 के लिए रेल बजट की संवीक्षा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

उक्त रिपोर्ट में उन्होंने कई गम्भीर टिप्पणियां की हैं। पहली टिप्पणी उन्होंने भारतीय रेलों की वित्तीय स्थिति के बारे में की है। भारतीय रेलवे को अब बाजार से ऋण पर निर्भर होना पड़ रहा है। चालू वर्ष में 11,000 करोड़ रुपये की योजना में से 3,668 करोड़ रुपए का बाजार ऋण होगा। इसी प्रकार, पट्टा प्रभार के रूप में 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अदा की जानी है। अब तक, रेलवे विभाग ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान पट्टा प्रभार के रूप में किया है। अत: वह कर्ज के जाल में फंस जाएगा।

महोदय, यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई हैं। इसका एक कारण यह है कि रेलवे विभाग अपने आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है। रेल मंत्री ने हमेशा केवल एक उपाय किया है। उन्होंने या तो माल भाड़ा बकाया है या यात्री किराए में वृद्धि की है। इस बार माल भाड़े में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन मेरे विचार में आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है।

भारतीय रेल के अंतर्गत चल रही रेलगाड़ियों की औसतन गति कितनी है? मालगाड़ी की औसतन गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और यात्री गाड़ी की औसतन गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह तो न्यूनतम है। यदि आप मालगाड़ी तथा यात्री गाड़ी की औसतन गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो इनकी क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। यह किस तरह किया जा सकता है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1950–51 से यात्री यातायात तथा मालभाड़े के यातायात में कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन यात्री डिब्बों और मालडिब्बों में कम वृद्धि हुई है। 1950–51 में यह 100 किलोमीटर थे जबकि 1996–97 में यह बढ़कर 468 किलोमीटर हो गए। 1950–51 में निवल टन किलोमीटर 100 था। अब यह 635 हो गया है। यात्री डिब्बों के मामले में यदि 1950–51 में यह 100 किलोमीटर था तो अब यह केवल 229 किलोमीटर है। माल डिब्बे भी 257 किलोमीटर ही हैं। इंजिनों का ट्रेक किलोमीटर भी केवल 201 किलोमीटर है और मार्ग किलोमीटर केवल 117 किलोमीटर है।

रेलवे के नेटवर्क में प्रतिवर्ष केवल 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 1960–61 में यात्री डिब्बों और माल डिब्बों का उपयोगिता प्रतिशत 60.2 था। 1996–97 में यह 128.7 प्रतिशत था।

इसी तरह 1950–51 में प्रतिदिन माल डिब्बों की उपयोगिता प्रति मालडिब्बा निवल टन किलोमीटर 710 थी जो 1996–97 में बढ़कर 1840 हो गई।

बड़ी लाइन पर ट्रेक उपयोगिता मिलियन निवल टन किलोमीटर प्रत्येक मार्ग पर प्रति किलोमीटर 1.50 था जो अब घटकर 0.45 रह गया है।

रेल यातायात में वृद्धि हुई है। लेकिन उसकी तुलना में यात्री डिब्बों और माल डिब्बों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

मैं एक और बात जिसका उल्लेख मैंने पिछली बार किया था, वह रेल पटरियों के नवीनीकरण के बारे में है। कुंजरू, सीकरी, बउल, चाचू आदि की अध्यक्षता में कई समितियों का गठन किया गया और खन्ना समिति हाल ही में गठित की गई है। इन सभी समितियों ने कुछ सिफारिशें की। कुंजरू समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की:

> "समिति की निश्चित तौर पर यह राय है कि रेल पटरियों को बिछाने से संबंधित बकाया कार्य को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।"

यह 1955-56 की बात है। फिर सीकरी समिति ने भी निम्नलिखित सिफारिश की:

"लेकिन दस वर्ष के बाद स्थिति बिगड़ गई है। स्थिति में काफी अधिक गिरावट आई है और उसके दुष्प्रभाव पड़े हैं और रेल पटरियों को तोड़ने और गति पर रोक लगाने के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है।"

रेल पटरी की लम्बाई को बढ़ाकर हम रेलगाड़ी की गति किस तरह बढ़ा सकते हैं?

खन्ना समिति की नवीनतम रिपोर्ट में निम्नलिखित कहा गया है:

"सीकरी समिति ने जो यह शंका व्यक्त की थी कि जब तक रेल पटरियों को नवीनीकृत करने के बारे में बड़ी मात्रा में वित्तीय आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक बकाया कार्य का निपटान नहीं किया जा सकता है।"

उक्त समिति ने सभी गतायु प्राप्त रेल पटरियों, मालडिब्बों, इंजिनों और यात्री डिब्बों को बदलने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन की सिफारिश की है।

रेल प्रचालन की सुरक्षा और उसकी कार्यक्षमता के लिए इसकी तत्काल आवश्यकता है।

प्रत्येक वर्ष बजट दस्तावेजों के साथ रेल दुर्घटनाओं की रिपोर्ट पेश की जाती है। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो रही है। लेकिन सच क्या है? वे सभी आंकड़े गलत हैं। इस बात का पर्दाफाश खन्ना समिति ने किया है।

आपको सूचित की गई दुर्घटनाओं और सूचित न की गई दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में जानकर हैरानी होगी। 1996-97 में सूचित की गई दुर्घटनाओं की संख्या 381 और सूचित न की गई दुर्घटनाओं की संख्या 1019 थी, हालांकि एक जोनल रेलवे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। 1997-98 में, सूचित दुर्घटनाओं की संख्या 396 थी जबकि सूचित न की गई दुर्घटनाओं की संख्या 1011 थी। सूचित न की गई दुर्घटनाओं की संख्या से अधिक है।

मुझे तत्कालीन रेल मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ द्वारा बम्बई मेल में हुई आग लगने की घटना की जांच करने के लिए जांच समिति का सभापति नियुक्त किया गया था। कार्यकारी निदेशक (सुरक्षा) ने मुझे गैर-सरकारी तौर पर बताया था कि उन आंकड़ों को जिस तरह घटा-बढ़ाकर तैयार किया गया था। सभा में पेश की गई रिपोर्ट सही नहीं है। यह रिपोर्ट भारतीय रेलवे में मौजूदा सही रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं करती है। हमें इस संबंध में गम्भीरता से विचार करना होगा।

ये दुर्घटनायें क्यों होती हैं। जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है, तो इसे मानवीय भूल बताया जाता है। बेचारे स्विचमैन भूरे लाल ने गलती क्यों की? उसने गलती इसलिए की क्योंकि ट्रेक सर्किट प्रदान नहीं किया गया था। हालांकि ट्रेक सर्किट के लिए धन उपलब्ध था, पर उसे उपलब्ध नहीं कराया गया और वहां दुर्घटना हुई। जब मैं स्थायी समिति का सभापति था, हमने उस दुर्घटना की जांच की थी। हमने प्रमुख रेलवे सुरक्षा आयुक्त से इस बात को जानने के लिए एक सीधा प्रश्न पूछा कि यदि फिरोजाबाद में ट्रेक सर्किट प्रदान किया होता तो क्या कोई कार्रवाई की गई जाती। उन्होंने उत्तर दिया "नहीं"। अत: जब भूरे लाल ने जो गलती की उसे हम मानवीय भूल नहीं मान सकते हैं।

मैंने माननीय मंत्री महोदय तो महत्वपूर्ण पहलू के बारे में एक पत्र लिखा था और अभी दो या तीन दिन पहले उनका जवाब आया है। यह रेल चालकों के कार्य घंटों के बारे में है। मंत्री महोदय ने यह उत्तर भेजा है कि उन्हें आम तौर पर दस घंटों से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सभी तीनों समितियों कुंजरु समिति, खन्ना समिति और सीकरी समिति ने इस संबंध में जोरदार ढंग से सिफारिश की है। सीकरी समिति ने कहा है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा मामला जो सुरक्षा से सीधे संबंधित पड़ता है, के संबंध में तीस से चालीस वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रेलवे के इंजन चलाने वाले कर्मचारियों के साथ 1972 अथवा 1973 में एक समझौता किया गया था और उस समय तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र द्वारा सभापटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया गया था कि चल कर्मचारियों के कार्य करने के घंटों की संख्या दस घंटों से अधिक नहीं होगी जो उन कर्मचारियों के ड्यूटी आने पर रोस्टर पर हस्ताक्षर करने से लेकर ड्यूटी पूरी होते समय उसमें हस्ताक्षर करने तक होगी।

आप देखिए कि रेलवे बोर्ड द्वारा विभिन्न समितियों की सिफारिशों को किस ढंग से नजरअंदाज किया गया और उनका इस संबंध में क्या मत है।

दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलवे को छोड़कर जिन्हें स्थिति में सुधार लाने के लिए सलाह दी गई है, शेष जोनों में ड्यूटी पर आकर रोस्टर पर हस्ताक्षर करने से लेकर 12 घंटों की अवधि की ड्यूटी पर अमल किया जा रहा है। यह कब किया गया? यह 1990 में किया गया। अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। इस संबंध में स्थिति क्या है?

[श्री बसुदेव आचार्य]

मेरे पास 1997-98 के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं। रेल चालकों ने कुल 14,75,731 ट्रिपें लगाई, जिनमें से 10 से 12 घंटों के बीच ट्रिपों की संख्या 5,64,314 थी। यह केवल 38.2 प्रतिशत है। यह आमतौर पर किया जाता है। 12 से 14 घंटों की ट्रिपों की संख्या 91,152 है जो 6.18 प्रतिशत है। यदि चालकों को 12 घंटों से अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य किया जाता है तो इंसानी गलती होना स्वाभाविक है। उन समितियों की सिफारिशों को वर्षों तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं? रेलवे बोर्ड में ये रिपोर्टें धूल चाट रही हैं। मैंने कुंजरु समिति से लेकर खन्ना समिति तक की सभी रिपोर्टें देखी हैं। इन सभी रिपोर्टों में एक जैसी सिफारिशें की गई हैं।

रेल सुधार समिति तथा अन्य रेल दुर्घटना समितियों ने सभी स्टेशनों पर ट्रैक सर्किल लगाने हेतु सिफारिश की है। जब फिरोजाबाद दुर्घटना घटी तो हमें यही कहा गया था। हमें आगे यही कहा गया था कि इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अनेक स्टेशन ऐसे हैं जहां ट्रैक सर्किट की सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

मैंने पटरी के नवीनीकरण के बारे में उल्लेख किया है। रेलवे की सुरक्षा सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के रखरखाव पर निर्भर करती है। सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के संबंध में भी स्थिति यही है। वांचू समिति सहित उन सभी समितियों ने भी आवश्यक सुविधाओं से युक्त वाशिंग लाइनों की पर्याप्त संख्या की व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु इसके महत्व की सिफारिश की है और इसके महत्व को रेखांकित किया है ताकि रैको की सही तरीके से जांच की जा सके। हाल की खन्ना समिति ने भी ऐसी ही टिप्पणी की है जो अत्यंत गंभीर टिप्पणी है। उनका कहा है:

> "20 वर्ष बाद भी सवारी डिब्बों में इन बुनियादी सुविधाओं पर उचित गौर फरमाना, सुनिश्चित करना संतोषजनक स्थिति से बहुत दूर है। हम लोगों ने दूसरे अध्याय में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस मामले में हम सिर्फ यही दोहराएंगे कि सवारी डिब्बा रखरखाव संबंधी सुविधाएं आपात आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध करायी जानी चाहिए।"

विभिन्न सवारी डिब्बों के भंडारों में इन सुविधाओं को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके लिए कोई धनराशि नहीं है। हमारे पास संसाधनों की कमी है। रेल का प्राथमिकीकरण किया जाना चाहिए। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन-कौन से हैं? आंतरिक उत्पादनों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?

गत वर्ष का अवमूल्य आरक्षित निधि का प्रारंभिक बकाया 1446 करोड़ रुपये था और इस वर्ष का प्रारंभिक बकाया सिर्फ 76 करोड़ रुपये था। रेल सुधार समिति ने सिफारिश की है कि यह धनराशि रोलिंग स्टॉक के रखरखाव और पुराने पड़ चुके रोलिंग स्टॉक के प्रतिस्थापन के लिए है। लेकिन उसके लिए धनराशि उपलब्ध नहीं है।

मैं सिर्फ दो या तीन मिनट और लूंगा और मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि पिछली बार मैंने अन्य पहलुओं पर विस्तारपूर्वक बोला था।

अब मैं वैगन इंडिया की ओर प्रवृत होता हूं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने उसके बारे में उल्लेख किया है मैं 1997 में जब मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का सभापति था तो हमने इसकी जांच की थी ऐसा इसलिए हुआ कि रेल मंत्रालय ने अचानक 100 प्रतिशत ठेका प्रणाली अपनाने और इस संगठन को बन्द करने का निर्णय लिया। 1970 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी उस समय इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता थी लेकिन 1997 में सरकार ने वैगन इंडिया को बन्द करने का निर्णय ले लिये। हमने रेल मंत्रालय के सभी वैगन निर्माताओं निजी और सरकारी दोनों के साक्ष्य लिया। हमने पाया कि चार या पांच वर्षों के अन्दर कुछ नई वैगन निर्माता कम्पनियां सामने आई हैं। उन्हें कोई अनुभव नहीं है। 1997 में इन नई कम्पनियों को आर्डर दिया गया था और उन्हें कुछ अग्रिम धनराशि भी दी गई थी। लेकिन वे आदेशों को लागू करने में असफल रहीं। हमने सिफारिश की थी कि सी बी आई इस मामले की पूरी जांच करें वैगनों के अधिग्रहण में ठेका प्रणाली में खूब धोखाधड़ी हुई।

वैगन अभिग्रहण की संख्या 33000 तक बढ़ गई है। हो सकता है संशोधित बजट में यह घट जाये। जैसा कि पिछली बार हुआ है। गत वर्ष बजट में योजनागत अधिग्रहण 18000 था लेकिन अंत में यह 10000 घट गया। मैंने हाल ही में एक वैगन निर्माता कम्पनी बर्न स्टैण्डर्ड का दौरा किया था। मैंने पाया कि यह अधिष्ठापित क्षमता का मात्र साठ प्रतिशत प्राप्त कर रही है। इसने अधिकतम संख्या में वैगनों का निर्माण किया है लेकिन यह अत्यन्त कम मूल्यों पर मात्र 60 प्रतिशत आर्डर प्राप्त कर रही है। निजी कम्पनियों द्वारा कम मूल्य लगाने पर ऐसा हुआ है। निजी कंपनियां ऐसा करने में समर्थ हो सकती है क्योंकि उन्हें अग्रिम धनराशि दी जाती है। और क्रयादेश को कार्यान्वित भी नहीं करती हैं।

अभी कोई मूल्य संबंधी समिति नहीं है। पहले भारी उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक मूल्य संबंधी समिति हुआ करती थी और यह वैगनों का मूल्य निर्धारण किया करती थी चूंकि अब कोई मूल्य संबंधी समिति नहीं है सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को कम मूल्य को स्वीकारना पड़ता है जो उत्पादन के लागत से भी कम होता है। वे घाटा उठाती है।

माननीय मंत्री जी से वैगनों के अधिग्रहण की संख्या को कम न करने का अनुरोध करता हूँ। पश्चिम बंगाल 80 प्रतिशत वैगनों का उत्पादन करता है। पारम्परिक रूप से अधिकांश वैगन निर्माता उद्योग पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य में स्थित हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं एक दो मिनट लूंगा हमारे यहां एक बांकुरा से और एक पुरुलिया से दो ट्रेन्स का उद्घाटन किया गया। बजट पर बहस में हमने यह सुझाव रखा था।

[अनुवाद]

पुरूलिया और बांकुरा इस देश के दोनों पिछड़े जिले हैं। पुरुलिया हमारे देश के अत्यन्त पिछले जिलों में से एक है। रेल गाड़ी जो उस स्टेशन से बनकर चलती है, को एक्सप्रेस नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि लोग उसका उपयोग नहीं कर पायेंगे और वे उसमें यात्रा भी नहीं कर पाएंगे। आप इसे द्रुतगामी यात्री गाड़ी में बदल सकते हैं। महोदय, मुझे अंतिम बात पर आने दीजिए जब स्ट्रीम लोकोशेडोस को बन्द कर दिया गया, जब लोकोमोटिव इंजनों को हटा दिया गया तो बहुत से कामगार जो कोयला और राख हैंडलिंग में लगे हुए थे, फालतू हो गए।

अब वर्षों से वे बेरोजगार हैं, पूर्व रेल मंत्री द्वारा एक आश्वासन दिया गया था। आप जानते हैं कि यदि कोई आश्वासन सभा के पटल पर दिया जाता है तो इसे तीन महीने के अंदर-अंदर लागू किया जाना होता है, पहले ही छह वर्ष बीत चुके हैं। छंटनी किए गए कोयला और राख के काम से जुड़े इन कामगारों को रेल विभाग में खपाने वाला वह आश्वासन लागू नहीं किया गया है। यह कामगार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हमारे समाज के गरीब तबके से हैं। वे कुल मिलाकर लगभग 2500 कामगार हैं उनमें से अधिकांश मर चुके हैं। मैं रेल मंत्री से कम से कम उन्हें विभाग में खपाये जाने पर विचार करने का अनुरोध करता हूँ इस संबंध में तत्कालीन रेल मंत्री ने भी सिफारिश की थी और आश्वासन भी दिया था।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): सभापति महोदय, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह एक सच्चाई है कि उड़ीसा को पिछड़ा बनाकर रखा गया है। उड़ीसा आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं है लेकिन इसे अधिकांश क्षेत्रों में पिछड़ा बनाकर रखा गया है और रेलवे इसमें अपवाद नहीं हैं। रेलवे प्रमुख क्षेत्रों में से हैं। एक है। जहां तक रेलवे का प्रश्न है, उड़ीसा को लगातार और शायद जानबूझकर उपेक्षित किया गया है।

अंग्रेजी शासन के दौरान, पचास वर्षों के बाद शेष भारत में रेल मार्ग का विकास हुआ जबकि उड़ीसा में मात्र बारहवीं शताब्दी के प्रथम भाग में विकास हुआ। तथापि उड़ीसा में इन 46 वर्षों के दौरान आजादी से पहले 1400 कि.मी. से अधिक रेल मार्ग बिछाया गया था जबकि स्वतंत्र भारत में भाग 600 किमी. रेल मार्ग बिछाया गया है। जब कुमारी ममता बनर्जी ने कार्यभार संभाला तो हमें बहुत उम्मीदें थी। हमने सोचा था कि हमें उनसे न्याय मिलेगा लेकिन हमारी आशाएं बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। हम आकाश जैसी अप्राप्य वस्तु की मांग नहीं कर रहे हैं हम कुछ अप्राकृतिक चीज की भी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी क्या मांग है? हमारी अत्यन्त सीमित और उचित मांगें हैं। मैं सिर्फ उन्हीं मांगों का उल्लेख करूंगा जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उड़ीसा के लोगों का यही सबसे बड़ा दु:ख और दर्द है।

कोई चार वर्ष पहले ने रेल जोनों का निर्माण किया गया था। उस समय पूर्वी तटीय जोन का भी निर्माण किया गया था। हम चाहते हैं कि दक्षिण-पूर्व रेल का मुख्यालय वहां स्थानांतरित हो लेकिन हमें कहा गया कि इसे स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया गया जबकि उड़ीसा रेलवे की आय का 60 प्रतिशत योगदान करता है। पूर्वी तटीय जोन 1996 में बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा ने भुवनेश्वर में इसकी आधारशिला रखी थी। तब से लेकर चार वर्ष बीत चुके हैं लेकिन उस समय से लेकर अब तक इसके जमीनी अधिकार क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया गया है। मैंने अपने रेल मंत्री को कम से कम तीन पत्र लिखे हैं। हमें वही घिसा-पिटा उत्तर मिलता है जिसमें कहा जाता है कि इस मामले की जांच की जा रही है। इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि उड़ीसा के सभी रेल मार्गों को पूर्वी तटीय जोन से अंतर्गत लाया जाए। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। इसे अभी तक पूर्ण-रूपेण जोन नहीं बनाया गया है। इस जोन के भवन के निर्माण कार्य हेतु इस वर्ष मात्र 30 लाख रुपये प्रदान किये जाने से हमारी चिंता और बढ़ गई है।

नवीनतम अनुमानित लागत 42 करोड़ रुपये है। तो फिर यह कब तक पूरा होगा? यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। हमारी मांग है कि जमीनी क्षेत्राधिकार को जल्दी अधिसूचित किया जाए और भुवनेश्वर में इसका पूर्णरूपेण कार्यालय बनाया जाये ताकि हमें न्याय मिल सके।

महोदय, हम अप्राप्य वस्तु नहीं चाहते हैं। लेकिन भारत में जहां तक रेल मार्ग का प्रश्न है, हमारी स्थिति क्या है? विभिन्न राज्यों में प्रति हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राज्यवार रेल मार्ग की लंबाई इस प्रकार है। पंजाब में यह 42.45 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में 42.45 किलोमीटर, हरियाणा में 34.2 किलोमीटर, तमिलनाडु

[श्री त्रिलोचन कानूनगो]

30.8 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 30.3 किलोमीटर, बिहार–30.2 किलोमीटर, गुजरात–27.2 किलोमीटर और केरल में 27.02 किलोमीटर है। महोदय मैं ये सभी चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस राष्ट्रीय औसत तक आना चाहते हैं। हम पश्चिम बंगाल या पंजाब या फिर बिहार के बराबर नहीं आना चाहते हैं। हम कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर आना चाहते हैं। अखिल भारतीय औसत प्रति हजार वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश मात्र 13 किलोमीटर प्रति हजार वर्ग कि.मी. वाले क्षेत्र जहां कम से कम रेलवे लाईन हैं। हम पांच वर्षों अथवा छह वर्षों का समयबद्ध कार्यक्रम चाहते हैं और फिर उड़ीसा राष्ट्रीय औसत स्तर पर आ जायेगा। हम यह कार्यक्रम चाहते हैं। लेकिन इसके बदले इसे क्या मिला। वर्ष 2000–2001 के दौरान हमें बहुत कम मिल रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप अपने क्षेत्र वगैरह के बारे में रोल दीजिए।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो: महोदय, मेरा भी यह दुर्भाग्य है कि [illegible] भी मैं बोल रहा होता हूँ तब आप पीठासीन होते हैं। महोदय, [illegible]के मुझे कुछ समय दीजिए। हमारी एक समस्या है। हम [illegible] जानबूझकर कर उपेक्षित रखा गया है। इसलिए आप मुझे कुछ समय दीजिए। आप देखिए तो सही कि लांजीगढ़–जूनागढ़ क्षेत्र को सिर्फ 2 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। हरिदासपुर पाराद्वीप के लिए एक करोड़ रुपये प्रदान किया गया है और अंगुल–सुकिंदा के लिए एक करोड़ रुपया प्रदान किया गया है जबकि लांबीगढ़–जूनागढ़ की अनुमानित लागत 105 करोड़ रुपये है, हरिदासपुर और पाराद्वीप के लिए यह 301.64 करोड़ रुपये हैं और अंगुल–सुकिंदा के लिए यह 120 करोड़ रुपये हैं। महोदय क्या यह 21वीं शताब्दी के अंदर पूरा किया जा सकता है? बोल्ट परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाओं की कुल लागत सिर्फ 71 करोड़ रुपये हैं। मैं केवल छपे हुए आंकड़ों को ही उद्धृत कर रहा हूँ। इन्हें मैंने स्वयं नहीं बनाया है। जहाँ तक नई रेल लाइनों को बिछाये जाने का संबंध है, तदलचेर और बिमलगढ़ खंड को भुला दिया गया है। इस लाइन पर कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू होना चाहिए। वर्ष 1960 से ही यह हमारी मांग रही है।

जहाँ तक आमान परिवर्तन का संबंध है। भारत में लगभग 9000 किलोमीटर लम्बी छोटी लाइनों और मीटर लाइनों का बड़ी लाइनों में आमान परिवर्तन किया गया है। उड़ीसा में किसी भी मीटर लाइन का आमान परिवर्तन नहीं किया गया है। वहाँ केवल 143 किलोमीटर ही छोटी लाइन है। जिसमें रुपसा से बारिपदा होकर बांगरी पोसी तथा नौपाडा से पराल्लाकिमिडी होकर गुनुपुर तक के लाइन का निर्माण क्रमश: तत्कालीन महाराजा, मयूरभंज तथा महाराज, फरलाकिमिड़ी द्वारा कराया गया था।

हम इन दो छोटी लाइनों का आमान परिवर्तन किए जाने की मांग करते रहे हैं। लेकिन इस कार्य हेतु अत्यधिक कम आवंटन किया गया है। हम चाहते हैं कि इन रेल लाइनों का शीघ्रातिशीघ्र आमान परिवर्तन किया जाए।

रेल लाइनों के विद्युतीकरण के मामले में भी, हमारे प्रदेश की स्थिति भारत के रेल मानचित्र में पीछे हैं। आप देखेंगे कि उड़ीसा में 21000 किलोमीटर रेल लाइन में से राऊरकेला से झारसगुन्डा तक केवल 150 किलोमीटर रेल लाइन का ही विद्युतीकरण किया गया है। शेष रेल मार्ग का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। हमारा अनुरोध है कि इसे कम से कम आगामी पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय औसत, यदि इससे अधिक संभव न हो तो, तक लाया जाए। मुझे विश्वास है कि माननीया रेल मंत्री इस पर विचार करेंगी। हमने उन्हें लगभग आधे दर्जन पत्र लिखे हैं। हमने उनके साथ इस मामले पर चर्चा भी की है। हमने इस संबंध में पिछली बार जब सभा में अनुपूरक अनुदान मांगें पेश की गई थी तब भी उन्हें याद दिलाया था। उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया था कि वह हमसे जनवरी माह में विचार विमर्श करेगी। मैंने उन्हें फरवरी में पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्होंने हमसे विचार–विमर्श नहीं किया है तथा वे कृपया इन मामलों पर विचार करें।

अंत में, मैं लाइनों का आमान परिवर्तन करने, पूर्व तटीय जोन भवनों का निर्माण करने, प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी मांगों को पुन: रखना चाहता हूँ। हम खुर्दा रोड–बोलंगीर, जखनपुरा–बांसपनी, सुकिंदा–अंगुल, हरिदासपुर–पारादीप, तालचेर–बिमलगढ़, लंजीगढ़–जूनागढ़ रेल लाइन तथा खड़गपुर से विजाग तक रेल मार्ग का विद्युतीकरण करने संबंधी कतिपय मांग उनके सम्मुख रख रहा हूँ। हमें विश्वास है कि यदि यह अभी संभव नहीं हो सका तो भी हमें रेल मंत्री से कम से कम अनुपूरक बजट में न्याय प्राप्त हो जायेगा।

***श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन):** माननीय सभापति महोदय, देश की प्रगति में रेलवे की अहम भूमिका है। इससे हमारी एकता और अखंडता सुदृढ़ होती है। हमारे जैसे विशाल देश के लिए अच्छी रेल सुविधा की अत्यधिक आवश्यकता है।

महोदय, भारतीय रेल के मानचित्र पर अपना स्थान बनाने में कर्नाटक को काफी लम्बे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अंतत: इसने अपना स्थान बना लिया और इससे संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। जैसाकि आप जानते ही हैं कि कर्नाटक सर्वाधिक उपेक्षित राज्य है। उदाहरणस्वरूप, (1) हमारे पड़ोसी राज्यों की राजधानियों से नई दिल्ली के लिए प्रतिदिन लगभग आधा दर्जन

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

रेलगाड़ियां चलती है। बगलौर से दिल्ली के लिए प्रतिदिन केवल एक ही रेलगाड़ी चलती है। (2) बंगलौर और चेन्नई के बीच की रेल लाइन का विशिष्ट स्थान है। जोलारपेट्टै राज्य की इन दो राजधानियों के बीच स्थित है। एक तरफ जोलारपेट्टै से चेन्नई तक दोहरी रेल लाइन है और इसका विद्युतीकरण हो चुका है। दूसरी तरफ जोलारपेट्टै से बंगलौर तक रेल लाइन का दोहरीकरण कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है और इस मार्ग का विद्युतीकरण कार्य भी अधूरा है। इतनी असमानता क्यों है। कर्नाटक के चार शीर्ष नेता केन्द्र में रेल मंत्री रहे हैं। उनके द्वारा कठिन परिश्रम से कार्य किये जाने के बावजूद कर्नाटक में रेल संबंधी सुविधाओं में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

अब सुश्री ममता जी रेल मंत्री हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि वो हमारे राज्य के साथ न्याय करेंगी। मैं चालू बजट में हमें कतिपय सुविधाएं देने हेतु उनके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

(क) बंगलौर-शिमोगा रात्रि दैनिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू की गई है;

(ख) जोधपुर-बंगलौर के बीच साप्ताहिक रेलगाड़ी शुरू की जा रही है;

(ग) अजमेर-बंगलौर के बीच साप्ताहिक रेलगाड़ी शुरू की जा रही है;

(घ) बंगलौर-पुत्तपर्थी के बीच रेलगाड़ी की जा रही है।

लेकिन महोदया यह पर्याप्त नहीं है। यह नरकासुर को आधा कप छाछ दिये जाने के समान है। कर्नाटक के लोग सुश्री ममताजी जैसी प्रखर नेता से और अधिक सुविधाएं दिये जाने का सपना देख रहे हैं।

महोदया, बजट भाषण के भाग एक के मद सं. 6 में 'इंटर-माडल' परिवहन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जा चुका है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इस परियोजना की क्रमशः दो-तिहाई और एक-तिहाई लागत का वहन करेंगी।

अतः मैं माननीया मंत्री महोदया से इस अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र मंजूर करने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र हसन पर आता हूँ। हसन भौगोलिक दृष्टि से कर्नाटक के मध्य में स्थित है लेकिन महोदय वह औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा है। अच्छी सड़कों के अभाव में नारियल, कॉफी का निर्यात इत्यादि सहित कृषि उत्पादनों की ढुलाई अत्यधिक कठिन हो गई है। इस जिले में हलबाड़ू बेलूर और श्रावणबल गोला में विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं। इन मंदिरों की सुंदर मूर्तिकलाएं विभिन्न राज्यों तथा अन्य देशों के पर्यटकों को प्रतिदिन हजारों की संख्या में आकृष्ट कर रही हैं। अतः हसन से श्रावणबल गोला के रास्ते बंगलौर तक बड़ी लाइन बिछाए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हसन-मंगलौर तक की बड़ी लाइन सेवा यात्रियों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इससे चेन्नई से बंगलौर और हसन के रास्ते मंगलौर तक का मार्ग सीधा हो जायेगा। इस सीधी बड़ी रेल लाइन से न केवल समय, धन इत्यादि की बचत होती है बल्कि इससे अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और यह भारतीय रेल के इतिहास में सकारात्मक योगदान करेगी। चेन्नई, बंगलोर और अन्य आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को जोलारपेट्टै होकर केरल जाना पड़ता है और फिर मंगलौर पहुंचने के लिए एक घुमावदार रास्ते से यात्रा करनी पड़ती है। यह कोंकण होकर म्यालरा पहुंचने के समान है। उक्त आमान परिवर्तन पूरा होने से चेन्नई और मंगलौर जैसे दो पत्तन शहरों और बंगलौर से मंगलौर पत्तन शहर की दूरी में अत्यधिक कमी आयेगी। बंगलौर से हासन और श्रावणबेला होकर मंगलौर तक की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है तथा इसकी अनुमानित व्यय 480 करोड़ रुपए है। लेकिन कर्नाटक के लोगों को इस बात का आश्चर्य तथा खेद है कि इस आमान परिवर्तन कार्य में गत पांच वर्षों के दौरान 80 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो मैं समझता हूं कि आगामी दो दशकों में हम इस कार्य को पूरा कर पायेंगे। मुझे विश्वास है कि इससे पहले कि कर्नाटक के लोग आंदोलन, हड़ताल, धरना और रास्ता रोको जैसे कार्य शुरू करें केन्द्र इस पर त्वरित कार्यवाही करेगा।

महोदय, मैं माननीया मंत्री सुश्री ममता बनर्जी से इस सम्माननीय सभा में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि वो बंगलौर-हसन मंगलौर की सीधी रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए कम से कम 150 करोड़ रुपए देंगी। इसके साथ-साथ बंगलौर और नई दिल्ली के बीच शताब्दी एक्सप्रेस शुरू की जानी चाहिए। अन्यथा केरल राज्य के मेरे अच्छे मित्रों की तरह मैं भी शीघ्र ही अध्यक्षपीठ के आसन के समक्ष खड़ा हो जाऊँगा। उन्हें स्वतः ही यह आश्वासन देना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अन्य निम्नलिखित कार्य लम्बे समय से लम्बित हैं।

1. श्रावणबल गोला से अरकालगुदना, कुशालनगर और सोमवरपेट होकर मरकाटा तक रेल लाइन
2. मैसूर से मट्टूपल्लयान तक रेल लाइन
3. आरासकी से गंडास होकर त्रिपटूर और हसन तक रेल लाइन
4. मंगलौर-मदिकेरी रेल लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका निर्माण कार्य तुरंत शुरु किया जाना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभा की सहमति हो तो सदन का समय मंत्री जी का उत्तर पूरा होने तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव: समयबद्ध कर दें। हमें भी दो मिनट अपनी बात कहनी है, हम ममता बहन के खिलाफ बात नहीं करेंगे। सभी को दो-दो, चार-चार मिनट का मौका दे दें, भाषण की जरूरत नहीं है अपने अपने क्षेत्र की समस्या रखे इसलिए समयबद्ध करें, साढ़े छ: बजे तक सदन का समय बढ़ा दें।

[अनुवाद]

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: महोदय, बंगलौर की सड़कें अत्यंत संकरी हैं। इसे भले ही भारत की गार्डन सिटी कहा जाता हो लेकिन यहाँ दुर्घटनाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस शहर का निर्माण करने वाले मगडी केंपगौड़ा ने कंपे गौड़ा रोड, [illegible] रोड, एवेन्यू रोड सहित अन्य भीड़भाड़ वाले सड़कों पर इन दुर्घटनाओं से होने वाले मौतों का कभी भी पूर्वानुमान नहीं किया होगा। इन संकरी सड़कों को और अधिक चौड़ा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके किनारे बड़े भवन, सिनेमा हाल, शो-रूम इत्यादि हैं। इसी कारण से एशिया में तेजी से बढ़ते हुए बंगलौर शहर के लिए कर्नाटक के लोग सर्कुलर रोड की मांग कर रहे हैं।

हसन–मैसूर आमान परिवर्तन की अनुमानित व्यय 30 करोड़ है। लेकिन 280 करोड़ रुपए का कम किया गया है। अभियांत्रिकी विभाग ठेकेदारों के हित में कार्य कर रहा है। वे इस घटिया कार्य के लिए जिम्मेवार हैं। उन्होंने वास्तविक लागत से लगभग 130 प्रतिशत अधिक धनराशि व्यय की है। इस तथ्य की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा किसी अन्य उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा की जानी चाहिए।

अंतत: मैं सुरक्षा, सफाई तथा समय सारिणी के संबंध में कुछ कहना चाहूँगा। यात्रियों की सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और सभी रेल समपार फाटकों पर चौकीदार तैनात करने चाहिए। सुश्री ममता जी के कार्यकाल में साफ-सफाई में कुछ सुधार आया है। खाद्य सामग्री, जल, अल्पाहार इत्यादि में भी अत्यधिक साफ-सफाई रहनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर तैनात सफाईकर्मियों द्वारा रेल डिब्बों की सफाई की जानी चाहिए। भारतीय रेल समय-सारिणी के पालन में अत्यधिक सफल नहीं रही है। महोदय, शायद आपको याद हो कि एक जमाना था जब लोग रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय के अनुसार अपनी घड़ी का समय ठीक किया करते थे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): सभापति महोदय, मुझे भाषण नहीं देना है। मैं थोड़े समय में अपने क्षेत्रों की परेशानियों को मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं।

महोदय, माधवराव सिंधिया जी के समय में गुना–ग्वालियर–भिन्ड–इटावा रेल लाइन मंजूर हुई थी। इस लाइन पर तीन नदियां—क्वारी, चम्बल और यमुना—पड़ती हैं। इन तीनों नदियों की वजह से इटावा का नाम भी है और इटावा बदनाम भी है। डकैतों के छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। माननीय मंत्री जी बजट 70 करोड़ रुपये से 80 करोड़ रुपये हो गया है और बढ़ता चला जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इकट्ठा रुपया इस बारे में निर्माण हेतु लगाकर इस काम को करें।

दूसरी मांग, इटावा में गम्भीर रूप से ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस वजह से कुछ लोगों की शादियां समय पर नहीं हो सकीं हैं। पंडित जी जो शुभ महुर्त निकालते हैं, वह ट्रैफिक जमा होने की वजह से निकल जाता है। 6-6 घण्टे ट्रैफिक जाम हुआ है। इसके चलते बच्चों, महिलाओं की चाहे गरमी हो, सर्दी हो, बरसात हो, दुर्दशा हो जाती है। इटावा में यहां दो पुलों की मंजूरी हुई थी। एक का निर्माण कार्य चल रहा है जो 31 मार्च 1993 को समाप्त होना था और 1991 में उस समय के रेल मंत्री, श्री जनेश्वर मिश्र, ने दोनों का शिलान्यास किया था। दोनों पुलों का सर्वेक्षण हुआ और दोनों पुलों का शिलान्यास हुआ। एक का निर्माण कार्य अधूरा है और दूसरे का शुरू नहीं हुआ कि कहां बनेगा। जब हम मुख्यमंत्री थे, तो मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब और जितने भी सदस्य हैं, उनसे मिला था। मैंने कहा था, आप सब एक्सपर्ट्स हैं, जहां उचित समझें, बना दें, हमें तो पुल चाहिए। किसी का मकान जाता है, तो मुआवजा दे दें; किसी की खेती जाती है, तो मुआवजा दे दें। यह पुल 31 मार्च, 1993 को मंजूर हुआ था। मैं चाहूंगा कि इसको आप ही कर दें। वरना पता नहीं कि कितनी देरी हो जाए। आप दोनों पुलों का उद्घाटन कर दीजिए और रेल राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कर लीजिए। हमें आमंत्रित करेंगे, तो हमें खुशी होगी, क्योंकि हमारा वह गृह जनपद है। दूसरे पुल का भी आप उद्घाटन के साथ जल्दी से जल्दी शिलान्यास कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, आप पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, योग्य

हैं, हमारी बहन हैं और रेल मंत्री भी हैं। यदि आप यह काम कर देंगी, तो मुझे खुशी होगी।

तीसरी मांग, दिव्यापुर और फफूंद एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का उद्योग लग गया है, वहां पर एनटीपीसी का भी प्रोजैक्ट है, लेकिन कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं रुकती। इस तरफ ध्यान दें, रेल मंत्री जी अध्यक्षता कर दें, एक और रेल राज्य मंत्री उद्घाटन कर दे; एक शिलान्यास कर दे और एक भाषण कर दे इस प्रकार दोनों काम हो जायेंगे। सुपरफास्ट ट्रेन नहीं हैं, लेकिन गोमती को फिलहाल थोड़े समय के लिए रुकवा दें। काम चल रहा है। इसी तरह से अछल्दा में दो सुपरफास्ट गाड़ियां हैं, एक गाड़ी एक तरफ रुकती है और दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ रुकती हैं। आप किसी भी तरह से फरक्का में रुकवा दें। इसी तरह से इटावा में जोधपुर हावड़ा प्रयागराज एवं नीतांचल एक्सप्रेस की तरफ से रुकवा दें। ये तीन हमारी मांगें हैं, जनता की मांगें हैं, जो बरसों से चली आ रही हैं। इस ओर मंत्री जी ध्यान दें। इसी प्रकार एक हमारी मांग है, जोधपुर मरुधर गाड़ी को रोक दें। साथ ही आपने मेनपुरी इटावा रेलवे लाइन स्टेशन को स्वीकृति दे दी है और इसमें 120 करोड़ रुपया लगेगा। आपने दस लाख मंजूर किए थे, इसलिए मैंने सदन का आपके भाषण के समय वाक आउट किया था। हम चाहते हैं कि इसके लिए कम से कम 50 करोड़ स्वीकृत किए जाएं, क्योंकि दस लाख का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है और नौकरशाहों की व्यवस्था भी है तो दस लाख बर्बाद हो जायेंगे तथा कोई काम नहीं होगा। यह लाइन इटावा से मैनपुरी तक स्वीकृत है, उसे एटा तक कर दिया। यह इलाका उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, मिश्रा जी के पडरौना, देवरिया से मिलता है, क्योंकि आपके लोग कभी मुंबई और कलकत्ता चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इसी इलाके का सर्वे हुआ, यह इलाका खेती के अलावा रोजगार नहीं है न पंजाब जाता है, न मुंबई और न ही कलकत्ता जाता है। वे केवल खेती पर निर्भर हैं और इसलिए पिछड़ा हुआ है। वहां कोई महत्वपूर्ण रेल लाईन नहीं है, मैनपुरी से इटावा तक स्वीकृत है ही, 45 या 50 किलोमीटर मैनपुरी से एटा तक और बढ़ा दें, ये हमारी मामूली सी मांगें हैं इन मांगों पर गंभीरता से विचार करें। मुझे खुशी होगी मंत्री जी और राज्य मंत्री जी हमारे इलाके में दोनों का शिलान्यास तुरन्त कर दें। यही मुझे निवेदन करना है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं ममता जी द्वारा प्रस्तुत 2000-2001 के लिए अनुदानों की मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं। वैसे हमारे यहां उर्दू शायर के शब्दों में कहा जाता है:

"बुलबुल की जिन्दगी है चमन की बहार पर,
हिन्दुस्तान की जिन्दगी है रेलगाड़ी की रफ्तार पर।"

ममता जी, रेलगाड़ियों की सब प्रकार से संरक्षा, सुरक्षा और समय की पाबन्दी इत्यादि के पालन के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। वे संवेदनशील और साहसी भी हैं। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में रेलवे हिन्दुस्तान के अंदर कीर्तिमान स्थापित करेगी।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, परन्तु रेलवे की पटरियों की लंबाई और उसके हिसाब-किताब से अगर देखा जाए तो वास्तव में देश की आजादी के बाद राजस्थान रेलवे की दृष्टि से पिछड़ रहा है। जब से यूनिगेज सिस्टम लागू हुआ है तब से उस तरफ कुछ ध्यान जाने लगा है, लेकिन बीच में ही आधा तीतर, आधा बटेर कर दिया। जब एक बार नीति निर्धारित की गई थी कि सारे देश में यूनिगेज सिस्टम लागू हो जाएगा, एक प्रकार की गेज प्रणाली रहेगी तब राजस्थान में, जो मुख्य लाइफ लाईन कहलाती है, दिल्ली जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद, मुंबई, यह तो कर दी लेकिन इसके अलावा उसको जो एडज्वाइनिंग ऐरियाज की गाड़ियां थीं–जैसे दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों को मिलाने वाली जो खंडवा लाईन है, अजमेर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा लाईन है, वह मीटरगेज ही बनी हुई है। इसके लिए आपने पहले स्वीकृति प्रदान कर दी, आपने बजट में पैसे भी स्वीकृत किए हैं लेकिन वह पांच करोड़ रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी और रेल राज्य मंत्री जी तथा उनके सहयोगी मंत्रियों से प्रार्थना करूंगा कि इस संबंध में थोड़ा विचार करें। उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर है और यह दक्षिणी राजस्थान को जोड़ने वाली लाईन है तो इस दृष्टि से थोड़ा इस तरफ ध्यान दें। आपने अजमेर से पुष्कर रेल लाईन की घोषणा तो कर दी और इसे बड़ी लाईन से जोड़ा जाएगा, यह भी अच्छी बात है। पुष्कर के ब्रह्मा जी आप पर कृपा करें और अजमेर के ख्वाजा साहब भी कृपा करें, आपने सियालदा से अजमेर भी जोड़ दिया, बंगलौर से अजमेर भी जोड़ दिया बंगलौर से जोधपुर की गाड़ी चल गई, लेकिन बंगलौर से अजमेर वाली गाड़ी शायद अभी चली नहीं है उसके चलाने की तिथि मैं समझता हूं कि जल्दी घोषित होगी। पुष्कर वाला जो मामला है–मीराबाई का मेड़ता, अगर उसे पुष्कर से जोड़ दिया जो तो मेड़ता, पुष्कर, अजमेर सीधा जुड़ जाएगा। आपने मेड़ता और ब्यावर के सर्वे की बात कही है लेकिन अगर मेड़ता और पुष्कर भी जुड़ जाए तो बीकानेर से अजमेर सीधा जुड़ जाएगा, इस तरफ ध्यान दें।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

महोदय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। लाखों राजस्थानी प्रवासी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, सिकन्दराबाद या अन्यान्य नगरों में रहते हैं और वे प्रतिवर्ष आते हैं। उन्हें आने के लिए पूर्णा नामक स्टेशन पर उतरना पड़ता है, क्योंकि पूर्णा के पास में 60 मील का टुकड़ा ब्रोडगेज हो गया और बाकी काचीगुड़ा से पूर्णा तक और अजमेर से पूर्णा तक बीच में मीटरगेज का है। अब वह 60 किलोमीटर का टुकड़ा है। बच्चों को, माताओं को, बूढ़ों को रास्ते में चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है। इसलिए हैदराबाद से वाया कल्याण, सूरत, अहमदाबाद और अजमेर ब्रॉडगेज की नयी रेल सेवा शुरू हो जाये तो लोगों को सुविधा रहेगी और रेल विभाग को भी फायदा होगा।

दिल्ली–अहमदाबाद ब्रॉडगेज की बहुत पुरानी रेलगाड़ी है लेकिन उसमें प्रथम श्रेणी ए.सी. नहीं है। उसमें अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात वाले कई सांसद जाते हैं। उसमें पहले दो डिब्बे लगते थे लेकिन अगर अब एक ही लग जाये तो सुविधा होगी। जितने सांसद यहां बैठे हैं वे सभी पुष्कर और ख्वाजा साहब की दरगाह जाने के लिए अजमेर जाते हैं। शताब्दी अगर इतवार को चले और [illegible] की छुट्टी रखी जाये तो अच्छा रहेगा। कालेज में पढ़ने वाला को और तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी और सूफी दरगाह जाने वालों को भी दर्शन में सुविधा होगी।

ब्रॉडगेज से आम जनता को फायदा नहीं हुआ है। लम्बी दूरी की गाड़ियां राजधानी एक्सप्रेस, ओखा, द्वारका हरिद्वार तक की गाड़ियों से आम जनता को जो दिल्ली से महसाणा तक, अहमदाबाद से आगरा–फोर्ट चलती थी, उनके बंद होने से आम जनता छोटे-छोटे स्टेशनों पर लाभ नहीं उठा पाती है। बांदीकूई से आगरा फोर्ट तक की लाइन को मीटर गेज से ब्रॉडगेज होते-होते कितना समय हो गया है। चार-पांच साल ब्रॉडगेज को बनते-बनते हो गया है। मीटर गेज को ब्रॉड गेज में करने के लिए बी.ओ.टी. में दिया, उन्होंने कुछ काम धीरे शुरू किया, परिणामस्वरूप अब रेलवे विभाग ने उसे वापस अपने हाथ में ले लिया है। वह जल्दी कर दें तो अहमदाबाद आगरा–फोर्ट से जुड़ जायेगा। माननीय पाठक जी बैठे हुए हैं। कितनी गाड़ियां हैं, वैस्टर्न यू.पी. की, टुंडला, इटावा, एटा तक जाने वाली गाड़ियां हैं। आगरा को अजमेर से और आगरा को अहमदाबाद से जाने वाली वही गाड़ियां थी और यह बांदीकूई मीटर गेज का छोटा सा टुकड़ा अभी तक पूरा नहीं हुआ है मान्यवर, वह अगर ब्रॉडगेज का हो जाये तो सुविधा प्राप्त हो सकती है।

अजमेर, राजस्थान की केन्द्रस्थली है। आजादी की लड़ाई में अजमेर स्वाधीनता सेनानियों की संग्राम-स्थली था। उसको अगर उपेक्षित किया जाये तो किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। उसके पास ही ब्यावर जो एक लाख से ज्यादा की आबादी का शहर है। किशनगढ़ मार्बल लेने के लिए सारा देश आता है। लेकिन वहां कोई भी लम्बी दूरी की गाड़ी नहीं रुकती है। वहां न तो सुपर-फास्ट ट्रेन रुकती है और न ही कोई और दूसरी गाड़ी रुकती है। अगर वहां पर दो-तीन मिनट के लिए गाड़ियां रुकें तो व्यापारियों को अजमेर उतरकर फिर वापस किशनगढ़ या ब्यावर न जाना पड़े। इससे उन्हें बड़ी सुविधा होगी। नसीराबाद न केवल सैनिक छावनी है बल्कि वहां कैंटनमेंट बोर्ड भी है. वहां से सैनिकों को अजमेर उतरकर मीटर गेज से जाना पड़ता है। इसलिए अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर वाले ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉडगेज में बदला जाये।

दिल्ली से अहमदाबाद जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है वह सप्ताह में तीन दिन चलती है। अगर उसे सप्ताह में सातों दिन के लिए कर दिया जाये तो बहुत अच्छा होगा। हरियाणा और दिल्ली के जो लोग राजस्थान जाते हैं उनके लिए सुविधा होगी। यहां से शुक्रवार को जाकर रविवार को वे वापस आ सकते हैं। हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री यहां बैठे हैं उनको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे में आज डिब्बों की बड़ी कमी है। वहां लोको और कैरेज दो बड़े कारखाने हैं जिनमें 15 हजार से अधिक श्रमिक काम करते हैं और वे बड़े कुशल श्रमिक हैं। उन्होंने युद्ध के दिनों में भी देश की सेवा की है। अगर रेल के डिब्बे वहां बनाने का काम शुरू हो जाये तो उनके श्रम का भी उपयोग हो सकता है।

अभी दिग्विजय सिंह जी अजमेर में उसे देख कर आए हैं लोको और कैरिज जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाया जाए। आपने ब्रॉडगेज के अनुरूप तो बढ़ा दिए हैं लेकिन वहां के श्रमिकों को पूरा काम मिलना चाहिए। वहां रेल डिब्बे का काम होना चाहिए।

पूजा एक्सप्रेस दिन भर जयपुर खड़ी रहती है। अगर उसे अजमेर तक कर दिया जाए तो कोई खर्चा भी नहीं होगा और नए डिब्बे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे अजमेर अमृतसर और जम्मू से सीधा जुड़ जाएगा। पुष्कर और अजमेर की दरगाह शरीफ में लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। वहां रेल विभाग की तरफ से यात्री निवास बन जाए तो रेलवे की आमदनी बढ़ेगी और यात्रियों को ठहरने की सुविधा मिल जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं आपसे पहले ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बोलने के समय में कोई कटौती न की जो क्योंकि मैं इस विषय पर बोलने वाला अंतिम वक्ता हूं।

महोदय, मैं कुछेक सुझाव देना चाहता हूं। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत पांच राज्य आते हैं। पश्चिम रेलवे के 10000 किलोमीटर के मार्ग में से गुजरात में 5600 किलोमीटर का मार्ग और महाराष्ट्र में केवल 500 किलोमीटर का मार्ग पड़ता है लेकिन पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुम्बई में स्थित हैं। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आता है। मैं यह बात न केवल अपनी ओर से अपितु सभी संसद सदस्यों की ओर से गुजरात का सांसद होने की नाते से कह रहा हूं कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय गुजरात में होना चाहिए क्योंकि पश्चिम रेलवे का 10000 किलोमीटर के मार्ग में से गुजरात में 5600 किलोमीटर मार्ग पड़ता है न कि महाराष्ट्र में।

महोदय, भारतीय रेलवे का बड़ा इतिहास है। मैं इसके इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन देश में यह सबसे बड़ा नियोक्ता है और दस लाख से अधिक लोग रेल विभाग में नियोजित हैं। इस बात को ध्यान में रखा जाए कि भारत में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन अहमदाबाद में भरूच में स्थित है न कि कोलकटा अथवा मुम्बई में है। लेकिन जहां तक रेलवे का संबंध है, गुजरात की स्थिति अब क्या है? गुजरात ने इस देश को कई महान नेता जैसे कि दादा मावलंकर, सरदार, गांधी, एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री दिया है लेकिन गुजरात ने इस देश को रेल मंत्री नहीं दिया है जिसके परिणामस्वरूप गुजरात को रेलवे के मामले में नुकसान उठाना पड़ रहा है।

गुजरात में कई सुधार कार्य करने की आवश्यकता है लेकिन गुजरात सरकार की मुख्य मांग जिसके बारे में मैं गुजरात सरकार की ओर से कह रहा हूँ रेलवे के संबंध में उनके कई मामले लंबित पड़े हैं। छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइनों में परिवर्तित करने के बारे में 15 अनुरोध किए गए हैं। ये अनुरोध किसी सांसद अथवा यात्री संघ द्वारा नहीं किए गए हैं अपितु गुजरात सरकार द्वारा किए गए हैं। ये सभी अनुरोध पिछले दस वर्षों से लंबित पड़े हैं। मैं यह बात माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, माननीय रेल मंत्री भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): मैं उनकी बात सुन रहा हूं।

सायं 6.23 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय जब एक वरिष्ठ सदस्य बोलता है अथवा जिस समय उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कोई चर्चा चल रही होती है, माननीया मंत्री सभी प्वाइंट्स नोट करते हैं लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ, वे नोट नहीं कर रहे हैं। यदि वे मेरे प्वाइण्टस को नोट नहीं करते हैं तो वे उनका उत्तर कैसे देंगे।

श्री दिग्विजय सिंह: मैं उन्हें नोट कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय आपकी बात अब सुन रहे हैं, आप कृपया मुख्य बात करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, 15 अनुरोधों में से, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच पूरी रेलवे लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है, लेकिन पाटन और मेहसाना के बीच 40 किलोमीटर के टुकड़े को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप पाटन के समूचे जिले जहाँ मोधरा सन टेम्पल, रानी की बाबली स्टेप-वेल जैसे कई ऐतिहासिक स्थल और पाटन जैसा मशहूर शहर है, की उपेक्षा हो रही है। उक्त परियोजना अनुमोदित की जा चुकी है लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार, वीरमगम-बेडराजी से मेहसाना और तारंगा रेलवे लाइन को परिवर्तित करने के लिए रेल परियोजना भी अनुमोदित की गई है लेकिन इसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। अहमदाबाद और उदयपुर के बीच रेलवे लाइन को परिवर्तित करने के लिए भी मांग की गई है। ये सभी महत्वपूर्ण परिवर्तन योग्य लाइनें हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कम से कम पाटन-मेहसाना रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य एक या दो वर्ष में पूरा किया जाए क्योंकि यह मुश्किल से 40 किलोमीटर का मार्ग है।

मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान ऊंझा शहर की ओर दिलाना चाहता हूँ। ऊंझा एशिया की बड़ी मार्किटों में से एक है।

यहाँ से देशभर में इसबगोल, जीरा, किराना, अरेंडी तिलहन और दूसरी नकदी फसलें भेजी जाती हैं। ऊंझा में केवल एक रेलगाड़ी रुकती है। ऊंझा एशिया की सबसे बड़ी मार्किटों में से एक है। एक और स्थल सिद्दापुर है। यह मथरू श्राद के लिए मशहूर है। सिद्दापुर में केवल एक रेलगाड़ी रुकती है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली और अहमदाबाद के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियां सिद्दापुर और ऊंझा में रुकें।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

इसी प्रकार मेहसाना और मुम्बई तथा पालनपुर और मेहसाना के बीच बहुत कम रेलगाड़ियां चलती हैं। उत्तरी गुजरात और मुम्बई के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। सिद्दापुर अथवा पालनपुर से लगभग एक व्यक्ति हर रोज मुम्बई जाता है। मुम्बई के आदमी को अहमदाबाद और अहमदाबाद से पालनपुर जाना पड़ता है। श्री हरिनभाई मेरी बात से सहमत होंगे।

पालनपुर में हीरा-तराशने का उद्योग है। पालनपुर, सिद्दापुर और ऊंझा में हीरा तराशने का कारोबार किया जाता है। यह मुम्बई से सीधे जुड़ा हुआ है। यदि उत्तरी गुजरात और मुम्बई के बीच सीधी रेलगाड़ी नहीं होगी तो इससे न केवल यात्री प्रभावित होंगे अपितु इससे राज्य और देश के कारोबार और व्यापार से होने वाली आमदनी पर भी असर पड़ेगा क्योंकि हम हीरों का निर्यात करते हैं और इससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह मुम्बई और पालनपुर के बीच मुम्बई और मेहसाना के बीच सीधी रेल लाइन बिछाने के बारे में विचार करे। इन सभी के संबंध में पहले ही अनुरोध किया जा चका है।

माननीय रेल मंत्री को एक और बात बता देना चाहता हूँ जब कभी भी हम रेल मंत्री और महाप्रबंधक, मुम्बई को पत्र लिखते हैं, हमें एक माह के बाद उसकी पावती प्राप्त होती है और हमें कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है। महाप्रबंधक को मुम्बई में बैठने दीजिए लेकिन हम चाहते हैं कि वे गुजरात में महीने में कम से कम तीन या चार दिन अपना कार्यालय लगाएं। गुजरात एक बड़ा राज्य है। हम अभ्यावेदन देने के लिए मुम्बई नहीं जाना चाहते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के द्वारा गुजरात में कैम्प कार्यालय लगाने के बारे में वह निर्णय लें। वे पालनपुर अथवा अहमदाबाद में बैठें ताकि वे यात्री संघों और लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त कर सकें।

मैं एक बार पुन: अनुरोध करता हूँ कि गुजरात सरकार द्वारा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के बारे में भेजे गए अनुरोध को मान लिया जाए और उसे अतिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

गुजरात में बड़ी संभाव्यताएं हैं। यहां कई दर्शनीय स्थल हैं। राजस्थान की भांति, गुजरात में कई ऐतिहासिक स्थल हैं। गुजरात एकमात्र राज्य है जहाँ छोटी लाइन, मीटर लाइन और बड़ी लाइन हैं। मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति है। इसे यथासंभव क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार पुन: माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे द्वारा किये गये अनुरोध पर विचार करें। मैंने तीन-चार पत्र लिखे हैं लेकिन मुझे एक भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे गुजरात सरकार द्वारा भेजे गए अनुरोध पर विचार करने की कृपा करें।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे कर्मियों का 10 तारीख को सम्मान करके बहुत अच्छा काम किया है। हमारे महाराष्ट्र के तमाम सदस्य उनके पास गये थे और उनकी जो दिक्कतें थीं, उनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुना। मैंने रोजा रखा हुआ है और महाराष्ट्र की तरफ से रोजा छोड़ने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। पुणे एक बड़ा नगर है, औद्योगिक क्षेत्र है। इसके अलावा पिंपरी, नासिक दोनों महानगर पालिका हैं यहां रेलवे का सर्वे हो चुका है। इसके लिए मांग है कि बजट में सुविधा प्रदान की जाये। हमारी दूसरी मांग यह है कि मनमाड, मालेगांव और इन्दौर से हमारे क्षेत्र को जोड़ा जाये। ये बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन हैं। यह हमारी मांग है। माननीय जेठमलानी जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमारी वकालत की थी और आपने बड़ी प्रसन्नता से बोल दिया कि हम इसके बारे में सोचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, नासिक शहर एक डिस्ट्रिक्ट है। नासिक बहुत बड़ा तथा पौराणिक शहर है। यह शहर प्रभु रामचंद्र जी के पुण्य से पवित्र हो गया है। वहां कुम्भ मेला भी लगता है, लेकिन नासिक में गाड़ियां नहीं रुकती है। वहां बहुत यातायात होता है। हमारी मांग है कि वहां दो गाड़ियों की सुविधा होनी चाहिए। नासिक शहर में पुष्पक गाड़ी और एक और दूसरी गाड़ी ठहरनी चाहिए। नासिक में अंगूर और प्याज बहुत होता है और यातायत के लिए रेलों की बहुत जरूरत होती है, लेकिन रेलों के न होने से वहां के किसानों का बहुत नुकसान होता है। इसलिए वहां और रेलें होनी चाहिए। महाराष्ट्र में लगभग दो से तीन हजार किलोमीटर रेल यातायात है, लेकिन वहां शुरू से ही क्रासिंग नहीं हैं। अब अधिक यातायात हो गया है, इसलिए बहुत कठिनाई होती है और एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं। केवल नासिक में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में इसका सर्वे होना चाहिए, चूंकि जगह-जगह रेलों की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नांदगांव शहर है, वहां के लिए रेल पुल मंजूर हुआ है, लेकिन वह मामला महाराष्ट्र और केन्द्र सरकार के बीच में लटका हुआ है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए जल्दी कुछ किया जाए। इसे महाराष्ट्र सरकार पर मत छोड़िये। इसे केन्द्र सरकार को जल्दी करना चाहिए। नांदगांव में बाजार समिति है, वहां यातायात में बहुत दिक्कत आती है। वहां

रेलवे ने एक दीवार खड़ी कर दी है, जो वहां 15 फीट छोड़नी चाहिए, ऐसा करने से वहां यातायात खुला हो जायेगा।

मेरा आखिरी निवेदन है कि रेलवे ने मनमाड शहर में एक राष्ट्रीय शाला के लिए जगह दी है। लेकिन अब स्कूल का काम बढ़ गया है। बाबासाहेब उधर गये थे, उन्होंने वह भेंट दी है। रेलवे ने अच्छा काम किया है कि उसके लिए जगह दी है, लेकिन अब उन्हें और जगह चाहिए। वहां रेलवे की जगह खाली है। मैं निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र के संसद सदस्यों के द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उन मांगों को पूरा करना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि छितौनी पुल बड़ी मुद्दत के बाद बना है और रक्सौल से होते हुए दिल्ली तक ट्रेनें आ रही हैं तथा कप्तानगंज होते हुए गोरखपुर जा रही है। कप्तानगंज से सीवान तक छोटी लाइन है, जो पहले से स्वीकृत है। इसके लिए दस लाख रुपये टोकन मनी स्वीकृत है। मैं चाहूंगा कि जो काम पहले से स्वीकृत है, उसे वरीयता के आधार पर पूरा किया जाए। इसके पूर्व भी यह मांग आई है। यह पहले से स्वीकृत है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): आप अधूरा मांग रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र: महोदय, कप्तानगंज से सीवान तक जो बड़ी लाइन मंजूर है, उसे प्राथमिकता के आधार पर बनवा दीजिए, उसके लिए दस लाख रुपये स्वीकृत हैं।

मेरा दूसरा निवेदन है कि गोरखपुर स्टेशन पर इतनी भीड़ होती है कि पुलिस को उसे कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ता है। वहां के लोगों की मांग है कि या तो वैशाली को डुप्लीकेट करें, यदि यह संभव नहीं हो तो बिहार से ही सही, नहीं तो गोरखपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। पूर्वांचल के लोगों की यह सबसे बड़ी मांग है।

एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र लिखा था, मैं जहां का रहने वाला हूं वहां कटकुईयां, पडरौना और लक्ष्मीगंज रोड से बहुत दूर हैं। आश्चर्य यह है कि वहां के अधिकारियों ने लिखकर दिया कि वह बन गया। फिर मंत्री जी को लिखा। संयोग से उस वक्त ममता जी मंत्री नहीं थीं। मैंने कहा कि यह गलत है, इसकी जांच कराइए। जांच रिपोर्ट आई कि सड़क नहीं बनी है, खराब है, बनवाई जाएगी। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। तीनों सड़कें निदायत बदतरहालत में हैं। हमें लोगों से बुरा-भला सुनना पड़ता है। वह रेल सड़क बनवा दें यही निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु (आरामबाग): धन्यवाद, महोदय। मैं चार या पांच विशेष बातों पर आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

शुरुआत से, रेल विभाग के सम्मुख मुख्य समस्या संसाधनों की कमी है। रेलवे को बाजार से ऋण लेना पड़ रहा है और बाजार से लिए जाने वाली ऋण राशि में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। यदि रेलवे अपने आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने में विफल रहती है तो भविष्य में उसके सभी विकास संबंधी कार्य रुक जायेंगे। अत: मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यदि माननीय रेल मंत्री, मेरे प्रस्ताव को रेलवे के लिए उपयुक्त समझे तो वे उस पर विचार कर सकती हैं। मेरा सुझाव है कि नामी यात्री रेलगाड़ियों के रखरखाव और मरम्मत संबंधी कार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योग अथवा वित्तीय निवेश कम्पनियों को सौंपा जाए। क्योंकि ये रेलगाड़ियां समूचे देश में चल रही हैं और क्योंकि ये कम्पनियां विज्ञापनों पर बहुत अधिक धन खर्च कर रही है, अत: यदि पूरी रेलगाड़ी किसी भी कम्पनी को विज्ञापन के लिए दे दीजिए और वही कम्पनी उस रेलगाड़ी के मरम्मत और रखरखाव संबंधी व्यय को वहन करने के लिए तैयार हो जाए, तो इस प्रकार से संसाधनों को जुटाया जा सकता है और रख-रखाव और मरम्मत संबंधी कार्य वांछित स्तर तक किया जा सकता है?

मेरा दूसरा प्वाइण्ट रेलवे बोर्ड के कार्यकरण के बारे में है। अब रेलवे का नेटवर्क इतना बढ़ गया है कि रेलवे बोर्ड को प्रचालन संबंधी कार्य की पूरी जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है और दूसरी ओर मंत्रालय द्वारा स्वयं विकास और कार्य निष्पादन संबंधी कार्य किया जा सकता है। अत: रेलवे बोर्डों के दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। मैंने रेल मंत्रालय में एक विशेष बात देखी है। रेल मंत्रालय पूरे मंत्रालय को चलाता है। लेकिन हर बात के लिए रेलवे बोर्ड से सम्पर्क करना पड़ता है। इसमें कई कठिनाइयां उत्पन्न होती है। अत: रेलवे बोर्ड को प्रचालन दायित्व सौंपा जाए और बाकी सभी मामलों का निपटान रेल मंत्रालय द्वारा किया जाए।

मेरा तीसरा प्वाइण्ट महाप्रबंधकों को शक्तियां देने के बारे में है। रेलवे जोन के महाप्रबंधकों के पास कोई शक्ति नहीं है। छोटे-छोटे मामलों के लिए भी, उन्हें रेलवे बोर्ड या मंत्री महोदय से सम्पर्क करना पड़ता है। अत: जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को कुछ शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि जब कभी संसद सदस्य अथवा जन प्रतिनिधि अथवा यात्री संघ उनसे सम्पर्क करें, वे उनके क्षेत्रों में छोटा-मोटा काम कर सकें। अत: महाप्रबंधक के स्तर पर कुछ दायित्व सौंपे जाने चाहिए।

[श्री अनिल बसु]

मेरी अपनी भी एक शिकायत है जिस पर रेल मंत्री गम्भीरता से विचार करें। मैंने जो महसूस किया है और श्री दासमुंशी ने भी जिसकी शिकायत की है, वह है रेलवे विभाग द्वारा इस वर्ष अधिक आयात करना। 1998-99 में विदेशों से 250 करोड़ रुपए से भी अधिक का आयात किया गया और आयात की मात्रा में बढ़ोत्तरी हो रही है। रेल मंत्री ने इस पर ध्यान देते हुए अपने उत्तर में यह उल्लेख किया कि उन्होंने इस मामले की केन्द्रीय जांच आयोग से जांच करवाने के आदेश दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी, मेरे पास यह बहुत निश्चित सूचना है कि वाराणसी लोकोमोटिव वर्कस ने भारतीय कम्पनी को अनदेखा करते हुए अमरीका की जी ई सी कंपनी को क्रयादेश दिया है। निविदा समिति ने उस भारतीय कम्पनी, जिसने सबसे कम दरें उद्धृत की थी, के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे अनदेखा करते हुए अमरीकी कम्पनी को क्रयादेश दिया गया।

एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अनुमति दी गई। हम सभी समान [illegible] बात करते हैं। समान अवसर है कहाँ। भारतीय कम्पनी [illegible] वर्षों तक संतोषजनक ढंग से कार्य किया और जिसे सफलता भी मिली, लेकिन उसे क्रयादेश न देकर अमरीकन कम्पनी को क्रयादेश दिया गया। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इस तरह अनुमति क्यों दी जाती है और उन्हें प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदया अपना उत्तर देते समय इस विशिष्ट मामले में स्थिति स्पष्ट करेंगी।

महोदय, मेरा अंतिम प्वाइण्ट मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। माननीय मंत्री महोदया ने आरामबाग के रास्ते तारकेश्वर से बिशनुपुर तक नई रेल लाइन बिछाने की घोषणा की है। तारकेश्वर–आरामबाग हिस्से का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसकी अनुमानित लागत 76 करोड़ रुपए है। इस परियोजना पर विचार किया जा चुका है और इसे अनुमोदित किया जा चुका है। आरामबाग-बिशनुपुर के शेष कार्य का सर्वेक्षण कार्य बहुत समय पहले किया गया था। उक्त सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे आरामबाग-बिशनुपुर नाम के सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा की घोषणा करें।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। गुंटकल और रेणिगुंटा के मध्य 309 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य 30 वर्ष पूर्व शुरू किया गया गया था। इसमें से 190 किलोमीटर को दोहरीकरण का शेष कार्य पिछले कई वर्षों से लम्बित है। यह मामला माननीय रेल मंत्री जी की जानकारी में भी लाया गया है और माननीय रेल मंत्री जी ने लम्बे समय से लम्बित इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। इस लम्बित परियोजना का 1996-98 के बीच सर्वेक्षण किया गया था। लगभग 29 सर्वेक्षण किए गए और सभी में इसे बहुत सकारात्मक बताया गया और इसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट दे दी गई। बाकी बचे हिस्से की रेल लाइन के दोहरीकरण की लागत 340 करोड़ रुपये है। इस लाइन से भारी आय होगी। इस रेल लाइन से प्रतिवर्ष 87 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। इस कार्य पर माननीय मंत्री जी द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इसे वर्तमान बजट में सम्मिलित किया है। लेकिन, दुर्भाग्यवश इसके लिए केवल एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं जबकि इस अति महत्वपूर्ण परियोजना से 14.64 प्रतिशत अर्जन होता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, इस रेल लाइन से 87 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होती है। मैं अनुरोध करूंगा कि रेल लाइन के दोहरीकरण की इस अति महत्वपूर्ण परियोजना हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएं। हमें आशा है कि माननीय मंत्री महोदया, कुमारी ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान ही यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

मुम्बई और चेन्नई के बीच यह एक अति महत्वपूर्ण मार्ग है। चेन्नई और मुम्बई के इस पूरे मार्ग के बीच ही मेरा चुनाव क्षेत्र पड़ता है। इस मार्ग पर यातायात की असीम संभावनायें हैं। इस कुडप्पा बेसिन में खनिजों के अपार भंडार हैं। इतनी अधिक संभावनाओं वाले इस मार्ग पर एक भी अतिरिक्त रेल नहीं चलाई गई है। एक भी अतिरिक्त रेल चलाने के लिए, एक रेल हटानी पड़ती है। आजादी के बाद से अभी तक इस लाइन पर एक भी अतिरिक्त रेल नहीं चलाई गई है क्योंकि इस लाइन पर मालगाड़ियों की भारी भीड़ रहती है। इस मार्ग से हॉस्पेट क्षेत्र से चेन्नई हार्बर के लिए लौह अयस्क की ढुलाई की जाती है। इस सरकार और विशेषकर माननीया रेल मंत्री जी द्वारा इस अति महत्वपूर्ण परियोजना पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं, आपके द्वारा, माननीया मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस परियोजना को वरीयता प्रदान करें।

महोदय, इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपये आवंटित किये जाने चाहिएं। नई लाईन के लिए योजना बनाने हेतु 20 वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था और अंततः माननीया नरसिम्हा राव 'गारु' जी के कार्यकाल के दौरान नंदयाल-येरगुंटला रेल लाईन के सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई थी।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े छः बजे मंत्री जी को रिप्लाई देना था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: महोदय, मैं आपके द्वारा माननीया रेल मंत्री जी से अपील करता हूं कि भू-अधिग्रहण के लिए आवश्यक अनुदान उपलब्ध कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगणों, अभी तीन सदस्यों ने और बोलना है। उनमें से प्रत्येक को केवल दो मिनट का समय दिया जाएगा। अर्थात, इसमें केवल छः मिनट का समय लगेगा। उसके बाद, माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री राम मोहन गाड्डे (विजयवाड़ा): महोदय, मैं कुमारी ममता बनर्जी को उनके द्वारा बेहतरीन जनोन्मुखी रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। समय की कमी के कारण मैं अपनी कुछ समस्यायें उठाने के लिए केवल एक मिनट का समय लूंगा। मैं केवल दो समस्याओं का उल्लेख करूंगा। इनमें से पहली महत्वपूर्ण समस्या है सत्यनारायणपुर रेलवे स्टेशन सेरेल लाइन को हटाना, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र विजयवाड़ा में पड़ता है। जनसुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि सत्यनारायणपुर रेलवे स्टेशन से रेल लाइन को हटाया जाएगा और नगर निगम इसके लिए रेलवे को पचास लाख रुपये और 25 एकड़ जमीन क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। यह सर्वविदित है कि शहर के बीचोंबीच रेलवे स्टेशन होने से विजयवाड़ा के लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस समस्या को रेलवे विभाग की जानकारी में लाया गया था। रेलवे विभाग द्वारा इसके लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया गया और इस मामले की जांच कर वह इस नतीजे पर पहुँचा कि रेल लाइन को वहाँ से हटा लेना उपयोगी है। रेल प्राधिकरण ने मुआवजे की मांग की और नगर निगम ने उन्हें इसका भुगतान कर दिया है। मैं कुमारी ममता बनर्जी से इस रेल लाइन को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए विशेष प्रयास करने का अनुरोध करूँगा।

दूसरे, हमारे मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडु जी आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम स्थित पत्तन का विकास करने को बहुत उत्सुक हैं। मछलीपट्टनम से पत्तन तक नई रेल लाईन के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार का 2 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। मैं कुमारी ममता बनर्जी जी से इस 2 करोड़ रुपये को इस बजट में शामिल करने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट की तारीफ या आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैंने रेल बजट का बड़ा गहन अध्ययन किया है। ममता जी को शेर-ओ-शायरी का बहुत शौक है। पूरा रेल बजट पढ़ने पर मैंने उसमें अपने को और जलेसर को कहीं नहीं पाया। मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं:

आपके पहलू में गुल ही गुल हों,
इधर तो गुल की खुशबू ही काफी है।

कम से कम खुशबू तो आने देते। हमारे यहां श्री रोहन लाल चतुर्वेदी रेल मंत्री रहे थे। उन्होंने टूण्डला से एटा एक रेल लाइन डलवाई थी। उस पर केवल एक ट्रेन चलती थी—1 बी.टी.एन. 2 बी.टी.एन., 3. बी.टी.एन. और 4 बी.टी.एन.। मैंने पिछले सत्र में भी कहा था। वह दो चक्कर लगाती थी। वहां बसों के कहीं परमिट नहीं हैं। चार-पांच जिलों के लोग उसी रेल पर निर्भर हैं। शादी-ब्याह, तेरहवीं, भागवत कथा, बाजार, जो भी होता है, वह उसी रेल से होता है। इन्होंने उसके दो चक्कर काट दिये हैं। इनका कहना है कि रेवन्यू नहीं मिल रहा है। यह सरकार, जी.आर.पी. और रेल प्रशासन की जिम्मेदारी है। वह सबसे छोटी गाड़ी है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि 3 बी.टी.एन. और 4 बी.टी.एन. को चला दिया जाये।

पिछले सत्र में कहने के बावजूद एक महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि रेल बजट पर अगर क्रियान्वयन न हो तो हमारी चर्चा केवल एक औपचारिकता मात्र रह गई है।

हमारा जैन धर्मावलम्बी बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे यहां देहात में भी चार-पांच जिलों में, आगरा मंडल में जैन लोग रहते हैं। अगर आप नीलांचल एक्सप्रैस को टूण्डला स्टेशन पर रोक दें तो आगरा फिरोजाबाद, टूण्डला, एटा अबागढ़, जलेसर आदि के जो लोग शिखर जी के दर्शन करने जाते हैं, उन्हें लाभ हो जायेगा। ये छः -सात जिलों के जैन धर्मावलम्बियों के लोगों की बहुत बड़ी मांग है। मेरा निवेदन है कि इसको आप एक मिनट के लिए वहां जरूर रोक दें।

दूसरी मेरा मांग है कि शताब्दी एक्सप्रैस दिल्ली से भोपाल चलती है। वह 200 किलोमीटर पर आगरा में रुकती है, उसका पहला स्टापेज आगरा है। फिर 100 किलोमीटर पर ग्वालियर और फिर 200 किलोमीटर पर झांसी में रुकती है। मेरा कहना है कि 400 किलोमीटर में उसके तीन स्टापेज हैं। दूसरी शताब्दी एक्सप्रैस दिल्ली से कानपुर में 460 किलोमीटर पर जाकर रुकती है। टूंडला

[प्रो. एस.पी. सिंह बघेल]

एक बहुत अच्छा जंक्शन है, इससे आगरा मंडल के सभी जिले जुड़ते हैं। शताब्दी एक्सप्रैस को टूंडला में भी अगर आप रोक दें तो यह पहला स्टापेज आपका 220 किलोमीटर पर जाकर होगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या उस रेल के आने में बहुत ज्यादा कटौती होगी। पहला स्टापेज आप आगरा में 200 किलोमीटर पर दे रहे हैं तो 220 किलोमीटर पर टूंडला में दे दीजिएगा। इससे आगरा मंडल के सातों जिलों के यात्री लाभान्वित होंगे। आगरा में जो टूरिस्ट आते हैं, उसके बाद वे लखनऊ भी जाते हैं तो उनके लखनऊ जाने के लिए यह ट्रेन हो जायेगी।

तीसरी मांग मेरी यह है कि टूंडला से एटा रेलवे लाइन है, जो रोहन लाल चतुर्वेदी ने करवाई थी। उनको श्रद्धांजलि के तौर पर एक गाड़ी चला दीजिएगा। एटा से कासगंज मात्र 38 किलोमीटर पर है। हम लोग भी सांसद हैं, कई बार गांव के लोग हमसे सड़क मांगते हैं। कुछ गांव ऐसे होते हैं कि चार किलोमीटर सड़क देने पर केवल एक गांव जुड़ता है और कई बार डेढ़ किलोमीटर सड़क से चार गांव जुड़ जाते हैं। यह 38 किलोमीटर अगर आप [illegible] लाइन बना देंगे तो एक रिंग रेल टाइप की हमारी बन इससे आगरा मंडल और बदायूं मंडल दोनों कानपुर, लखनऊ और आगरा, दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। मेरा निवेदन है कि 38 किलोमीटर जरूर आप जोड़ दीजिए।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बाकी बातें मुलायम सिंह जी ने इटावा से संबंधित कह दी हैं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मसला माननीया रेल मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। पुलिस ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक से लगभग एक करोड़ रुपया जब्त किया है परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए, मैं माननीया मंत्री जी से महा प्रबंधक के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का, रिप्लाई देने का मौका दिया। मैं माननीय सदस्यगण की भी आभारी हूं, क्योंकि माननीय सदस्यगण ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। उसमें इंडीविजुअल्स भी हैं, स्टेट की बात भी है, देश की बात भी है। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और अगर जैन्युइन डिमांड होगी तो जैन्युइन बात के बारे में हम लोग कुछ कर सकते हैं। यह बात सच है कि

[अनुवाद]

रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और इस देश में आवागमन का मुख्य साधन है। इसलिए, लोगों का इससे बहुत अधिक उम्मीदें हैं। क्या आप रेलवे की वर्तमान स्थिति से वाकिफ हैं? भारतीय रेलवे प्रतिदिन कम से कम 12000 यात्री और मालवाहक गाड़ियां चलाती हैं। हमारे पास 7,000 स्टेशन हैं और प्रतिदिन 1.2 मिलियन लोग भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं। इसके मार्गों की कुल लम्बाई 62,800 किलोमीटर है और भारतीय रेलवे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे है।

दुर्भाग्यवश, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद से भारतीय रेलवे को कम वरीयता प्रदान की गई जबकि आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। इसलिए, लोगों की इससे भारी अपेक्षा है। जन प्रतिनिधियों की मांग बहुत उचित है। जन प्रतिनिधि होने के नाते अतिरिक्त रेलों की मांग, गाड़ियों को स्टेशनों पर रोकने की मांग, कुछ विकास कार्य अभी की मांग करना उनके लिए स्वाभाविक है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं हैं। लेकिन वास्तविक समस्या यह है कि इन सभी मांगों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।

गत छः महीनों के दौरान मुझे विभिन्न माननीय संसद सदस्यों से विभिन्न रेलों के 800 ठहरावों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह सभा को निर्णय करना चाहिए कि क्या ये 800 ठहराव दिये जा सकते हैं। यदि ऐसा किया गया तो लम्बी दूरी की रेलों का क्या हाल होगा? लम्बी दूरी की रेलों के यात्रियों का क्या हश्र होगा? रेलवे में यात्री रेलें, स्थानीय रेलें और लम्बी दूरी की रेलें भी हैं। हमारी भी कुछ वास्तविक समस्यायें हैं। हम नई रेलें शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी क्षमता कम है। कोई वैकल्पिक क्षमता नहीं है। हमें तीन और चार लाइनें डालनी हैं; हमें एक वैकल्पिक 'पिट' लाइन डालनी है; हमें वैकल्पिक आवास सुविधाओं की व्यवस्था करनी है; और हमें वैकल्पिक रख रखाव सुविधाओं की भी व्यवस्था करनी है। अन्यथा, हम नई रेलें शुरू नहीं कर सकते। भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। अब समय आ गया है कि संसद इस मसले पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। खन्ना समिति ने सिफारिश की थी कि यदि भारतीय रेलवे को चलाये रखना है तो इसे एक मुश्त अनुदान देना होगा। यदि भारतीय रेलवे को एक मुश्त अनुदान दे दिया जाता है तभी वे सृजनात्मक विचारों और कुछ अपारम्परिक स्रोतों से अपने लिए संसाधन जुटा सकेंगे। लेकिन समस्या यह है कि हमें वह एक मुश्त अनुदान नहीं मिल पा रहा है। किसी ने कहा है कि भारतीय रेलवे लाभांश नहीं देती है। बंगाल के मेरे माननीय मित्र ने भी यह मामला उठाया है। लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा 1979-80, 1983-84 और 1984-85 में भी हुआ था। उस समय

भी वित्तीय स्थिति खराब थी और भारतीय रेलवे ने लाभांश का भुगतान आगामी वर्षों के लिए टाल दिया था। रेलवे ने 1992-93 में लाभांश दिया था। कोई यह नहीं कह सकता कि रेलवे अपने बकाये का भुगतान नहीं करती। वह हमेशा देय राशि का भुगतान करती है। रेलवे से विद्युत शुल्क भी अधिक लिया जाता है परन्तु हमेशा उसका समय से भुगतान किया गया है। इस बार वित्त मंत्री जी की सलाह से लाभांश के भुगतान इसे टाल दिया गया था। वित्त मंत्री जी इस बात से सहमत थे कि जब रेलवे इसका भुगतान करने की स्थिति में होगी तब इसका भुगतान कर देगी। मैंने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था। संसद से कुछ भी छुपाया नहीं गया है। हम इस मंत्रालय में देश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। देशहित और जनहित की रक्षा करने के अलावा हमारे और कोई हित नहीं है।

इसलिए, वित्तीय रूप से मजबूर होने के बावजूद भी हमने यात्री भाड़े में एक पैसे की भी बढ़ोत्तरी नहीं की। मालभाड़े के बारे में भी डोलामाइट के भाड़े में पांच प्रतिशत की वृद्धि का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। मोटर कारों से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि इस्पात और कोयले के मालभाड़े में दो प्रतिशत की वृद्धि भी नगण्य है और हमने वैकल्पिक रास्ता भी रखा है। मैंने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि हम एक पेशेवर प्रबंधन निगम की स्थापना करने जा रहे थे। हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। बजट दो महीने से लम्बित था क्योंकि स्थायी समिति ने इस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। अब हमने इस पर दूसरी बार विचार किया है। इसलिए सब कुछ विलम्ब से हुआ। लेकिन हमने पूरी प्रक्रिया शुरू की और यह प्रगति कर रही है।

कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे। यदि वे इस समय सभा में उपस्थित होते तो मुझे बहुत खुशी हुई होती। मैं श्री संतोष मोहन देव जी ने निवेदन करूंगी कि वे यह सूचना उन तक पहुँचा दें। उन्होंने पूछा था कि मालडिब्बों का क्रय आदेश वैगन इंडिया आदि के माध्यम से क्यों नहीं दिया जा रहा है। महोदय, इस बारे में न्यायालय का निर्णय यह है कि चूंकि वैगन इंडिया एक विनिर्माण कम्पनी न होकर केवल एक अनुशंसा करने संबंधी निकाय है अत: उसे इस प्रक्रिया में शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। माननीय सदस्य ने कहा था कि 1998-99 में आयात बहुत अधिक था। मैं उस समय रेल मंत्री नहीं थी। मैं जो कुछ कर रही हूं उसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुकी हूं। क्रेनों के संबंध में कांग्रेस के माननीय संसद सदस्य श्री गाडगिल जी ने एक शिकायत की थी।

सायं 7.00 बजे

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान क्रय आदेश दिया गया था। लेकिन जब मुझे इसके बारे में एक गंभीर शिकायत मिली तो मैंने यह मामला जांच के लिए सीबीआई के पास भेज दिया।

महोदय, मैं इस पुनीत सभा को बता रही हूं कि यदि किसी भी माननीय सदस्य को किसी के भी विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत है तो वह कृपया मेरे पास उस विशिष्ट विवरण सहित आए और मैं उस पर कार्यवाही करूंगी। लेकिन किसी को भी किसी के भी विरुद्ध बिना किसी सबूत के कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। बिना किसी सबूत के किसी पर आरोप लगाना सही नहीं लगता।

महोदय, मैं भी इसी समस्या का सामना कर रही हूं। मेरा इन वैगनों के क्रय आदेश में कोई रुचि नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में, खुद को कभी भी निविदा आदि के झमेलों में नहीं डाला है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि ऐसे प्रत्येक निविदा के मामले में, जो भी मेरे सामने आता है, कुछ लोग एक व्यक्ति के लिए कहते हैं और कुछ दूसरे के लिए।

[अनुवाद]

यदि संसद "रेलवे निविदा संबंधी समिति" का गठन कर ले तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। मैं इस सभा के माननीय सदस्यों को "रेलवे निविदा संबंधी समिति" का गठन करने के लिए खुला आमंत्रण दे रही हूँ। मैं इस सभा को विश्वास दिला सकती हूँ कि हमें जो भी आदेश रेलवे से मिलेंगे, वे इस निविदा संबंधी समिति के माध्यम से ही मिलेंगे। तो मैं पुन: कह रही हूं कि यदि रेलवे निविदा संबंधी समिति का गठन हो जाता है तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। यह हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ है और हम इसे अच्छा नहीं समझते। जो भी दिशानिर्देश आप बनायेंगे हम उन्हें स्वीकार करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैडम, आप मेरे लिए समस्या खड़ी करेंगी ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: कम से कम हमें राहत तो मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: उसको हम सुचारू बनाएंगे। आप चिन्ता न करें।

कुमारी ममता बनर्जी: खुले आर्डर के बारे में उन्होंने कहा कि "इस बार सरकारी क्षेत्र को आदेश और ये सब चीजें नहीं मिली। लेकिन महोदय, यह वास्तविकता नहीं है यदि हमने सरकारी नियमों के अनुसार आदेश दिये होते तो सरकारी क्षेत्र को इतना नहीं मिलता। बजट प्रावधानों के अनुसार माल डिब्बों का आदेश तीन हजार ही होना चाहिए था। लेकिन हमने सरकारी क्षेत्र के

[कुमारी ममता बनर्जी]

30 प्रतिशत उत्पाद शुल्क के बारे में नहीं सोचा। हम सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस बार सरकारी क्षेत्र को लगभग 9300 माल डिब्बों का आदेश मिल रहा है। आपको यह मानना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह 60 प्रतिशत है।

कुमारी ममता बनर्जी: आप क्यों चिल्ला रहे हैं? ...*(व्यवधान)* आपने बर्न स्टैंडर्ड के बारे में कुछ पूछा है। क्या मैं आपको आंकड़े बताऊँ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): वह उस समय रेलवे स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।

कुमारी ममता बनर्जी: ठीक है।

क्या वह बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी, जेसप कम्पनी और ब्रेथवेट कम्पनी के बारे में जानते हैं। हमारे पास आर सी एफ, आई सी एफ और अन्य कम्पनियों जैसी अपनी रेल के डिब्बे बनाने वाली [illegible]यां हैं। हमारे पास देशी क्षेत्र भी हैं। उन्होंने उनकी कैसे [illegible] की है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. भी है। कृपया याद [illegible] कि इस बार हम भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. को 88000 मीट्रिक टन का आर्डर दे रहे हैं। ऐसा करके हम सरकारी क्षेत्र को जीवित रखेंगे अन्यथा कुछ लोग आएंगे और सरकारी क्षेत्र को बंद कर देंगे। सरकारी क्षेत्र को बचाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, करेंगे। अपने देशी उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इस बार हम सरकारी क्षेत्र की सहायता करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने रद्दी का मुद्दा उठाया है। मैं भी रद्दी और नीलामी को लेकर परेशान हूँ। इस संबंध में हमने पहले ही निर्णय लिया है कि नीलामी का स्थान बदलना होगा, उसका कोई विकल्प और तरीका होना चाहिए। हम जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को रद्दी और इसी प्रकार के अन्य कामों में लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस सभा के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि कोई भ्रष्ट पाया गया चाहे वह ऊपर के स्तर पर हो या निचले स्तर पर, हमें इसकी परवाह नहीं, विभाग उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेगा।

महोदय, हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। हम धन की शक्ति तथा बाहुबल के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बहुत कठिन कार्य है। लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, श्री बसुदेव आचार्य ने बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी का उल्लेख किया ...*(व्यवधान)* कृपया अब आप सुन लीजिए क्योंकि आपने यह मुद्दा उठाया है। कृपया अपनी राज्य सरकार से सरकारी क्षेत्र के अपने उन उपक्रमों को बचाने के लिए कहें जो उनके पास हैं।

महोदय, वर्ष 2001 के दौरान बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी को 1431 माल डिब्बों का [illegible]ार्डर दिया गया था, जो पिछले वर्ष के 779 माल डिब्बों की अपेक्षा 84 प्रतिशत अधिक है। उनके पास भी पिछले वर्ष का 203 माल डिब्बों का आर्डर लंबित हैं। अत: बर्न स्टैंडर्ड के पास लंबित कुल आर्डर 1634 माल डिब्बों का है। महोदय, उन्होंने इसके बारे में पूछा है। इसीलिए मैंने ये आंकड़े दिए हैं। अन्यथा मैं उन्हें परेशान नहीं करती।

अब मैं खेल नीति के मुद्दे पर आती हूँ। मैं श्री संतोष मोहन देव की आभारी हूं जिन्होंने यह मुद्दा उठाया। इस बार हमने निर्णय लिया है कि हम पहले की खेल नीति में संशोधन करेंगे।

हम खिलाड़ियों को प्रोन्नतियां और अधिक महत्व देंगे। रेलवे की हमेशा खेल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार हमने अन्य खेलों को शामिल किया है। अपने खेलों के बारे में जो भी कहा है हम उस पर भी गौर करेंगे।

किसी ने विकेन्द्रीकरण और निगरानी समिति के बारे में भी बात उठाई है और कहा है कि रेलवे से भी कोई होना चाहिए ताकि वह रेलवे के मामलों की देखभाल कर सकें। हमने निगरानी समिति जो प्रत्येक राज्य में है, को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। हम प्रत्येक राज्य में कुशल अफसरों वाली निगरानी समिति गठित कर रहे हैं ताकि राज्य को नुकसान न हो। निगरानी समिति की सिफारिशों को उचित समय पर कार्यान्वित किया जाएगा। कुछ मामलों में हम पैसा देने में असमर्थ हैं। मैं सदस्यों की चिन्ता को समझती हूँ। लेकिन क्या किया जाए? यदि हम यह परियोजना पूरी करें तो 50 हजार करोड़ रुपए देने होंगे। हमें यह पैसा कहां से मिलेगा?

जम्मू और कश्मीर के हमारे माननीय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि उन्हें अनदेखा किया गया है। इस बार एक रेलवे लाइन के लिए हम करोड़ रुपये दे रहे हैं और दूसरी रेलवे लाइन के लिए हम 35 करोड़ रुपये दे रहे हैं। लेकिन समस्या यह है जब इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी तो श्री देवगौड़ा प्रधान मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि यह पैसा योजना आयोग से आएगा न कि रेल मंत्रालय से हमें कहाँ से पैसा मिलेगा? इसीलिए हमने परियोजनाओं को स्वीकृति मिले बिना आधार-शिला रोक दी और अच्छी लोकप्रियता नहीं चाही क्योंकि जब तक परियोजना को स्वीकृति नहीं मिलती है तब हम परियोजना की आधार शिला नहीं रखेंगे और इस बार बजट में कोई प्रियोजना नहीं है जहां सितारे के निशान के साथ यह उल्लेख हो कि ऐसा स्वीकृति के अध्यधीन है। हर चीज साफ है और फिर हम देश भर की 11 परियोजना के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव ने सिल्चर के बारे में एक वैध प्रश्न उठाया है मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मुझे मालूम है कि सिल्चर और जिन समस्याओं का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, के बारे में कुछ समस्याएं हैं। इस बार उत्तर पूर्व के लिए परिव्यय 14 प्रतिशत है। हमने इसमें वृद्धि की है। हमें उत्तर पूर्व क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ समस्याएं हैं। सरकार को उत्तर-पूर्वी समस्या पर भी ध्यान देना होगा। मैं इस मामले को प्रधानमंत्री के साथ भी उठाऊंगी क्योंकि उत्तर पूर्व पर विशेष ध्यान और विचार करने की जरूरत है।

जहां तक सिल्चर का संबंध है, माननीय सदस्य ने कुमार घाट अगरतला और सिल्चर-लुम्बडिंग परियोजना के देखने के लिए एक कार्यालय खोलने का उल्लेख किया है। हम उसका भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं कि जो कुछ भी हम अपनी ओर से कर सकते हैं हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने उन दुर्घटनाओं का प्रश्न उठाया जिनकी कोई खबर नहीं है। दुर्घटना हमेशा दुर्घटना होती है और यह सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। भारतीय रेलवे में 16 लाख कर्मचारी हैं। यह तथ्य है क्योंकि मानव की विफलता अथवा तोड़फोड़ के कारण आजकल रेलवे इसका सीधा निशाना बन गया है। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। लेकिन इस बार आप इस बात की सराहना करेंगे कि हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत कठिनाई का सामना कर रहा है। हमारे जीवन में तोड़फोड़ अत्यंत सामान्य घटना है और रेलवे इसका सीधा निशाना बन चुका है।

जहां तक सुरक्षा संबंधी समस्याओं का संबंध है, मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी मुख्य सचिवों और राजकीय रेलवे पुलिस के लोगों की बैठक बुलाई थी। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। यह हमारा विषय नहीं है। श्री लालकृष्ण आडवाणी यहां बैठे हुए थे। मैंने गृह मंत्रालय को भी अनेक पत्र लिखे हैं। लेकिन गृह मंत्रालय क्या करेगा? इसीलिए हमने कृतिक बल समिति का भी गठन किया था और हमने उनसे कुछ सुझाव देने के लिए कहा है ताकि हम अपने सुरक्षा कार्यों को मजबूत कर सकें। जब तक कानून में संशोधन नहीं होता है तब तक हम सभी प्राथमिकी नहीं लिखवा सकते और आर पी एफ में सभी फार्म नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति नहीं है और राजकीय रेलवे पुलिस राज्य सरकार की पुलिस है सरकार की अपनी पुलिस है। इसीलिए हम राजकीय रेलवे पुलिस, आर पी एफ को रेलवे सम्पत्ति की देखभाल करने के लिए निश्चित रूप से पचास प्रतिशत देते हैं लेकिन वे सुरक्षा नहीं करते। हमारी यह समस्या है। कृत्रिक बल समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद हम इस समस्या पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य ने बेखबर दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया। यदि कुछ विशेष है तो आप वह हमारे ध्यान में आ सकती है। ऐसे अनेक पुल हैं जिनकी समयावधि समाप्त हो चुकी है, बहुत से रैक पुराने हो चुके हैं और पटरियों में दरार पड़ गई हैं और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। समस्या यह है कि हमें रेलवे पर अधिक ध्यान देना है लेकिन हम पर्याप्त ध्यान नहीं देते। रेलवे को जीवित रखना होगा क्योंकि यह सस्ता और प्रदूषण मुक्त परिवहन का माध्यम है। इसलिए यदि रेलवे को रेल सुरक्षा के लिए धन नहीं मिले तो इससे बहुत कठिनाई होगी। मैं सभा को सूचित कर रही हूँ कि मैं योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने इस बजट में एक हजार करोड़ रु. तक आवंटन में वृद्धि की है, यद्यपि सामाजिक दायित्व और सुरक्षा निधि की व्यवस्था नहीं की गई है। हम इस मामले को फिर उठाएंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने रोलिंग स्टाक के बारे में प्रश्न उठाया है। कभी कभी हम इसे कम कर देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो भी हमने बजट में कहा वह पहले से ही व्यवस्थित था। हमने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया है ताकि उद्योग और रेलवे को नुकसान न हो।

श्री बसुदेव आचार्य: यदि आप मान लें तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बार मासिक आधार पर आर्डर जारी किया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी: नहीं, यह वर्ष 2000–2001 के लिए है।

श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत छोटा सा मुद्दा उठाया है। मैं इस पर उनसे पहले ही चर्चा कर चुकी हैं। वह मेरे कार्यालय में आए थे और मैं इसके लिए आभारी हूं। हमने विस्तार से चर्चा की। मैं उन्हें विश्वास दिला सकती हूँ कि हम उन छोटी परियोजनाओं पर ध्यान देंगे जो उन्होंने उठायी है।

मेरे बजट प्रस्तुत करने के बाद हमें वित्तीय कार्यनिष्पादन की जानकारी मिली। इसकी आलोचना करना बहुत आसान है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: माननीय मधु लिमये जी इस लोक सभा के सबसे बड़े सांसदों में से एक थे। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। गोवा की लड़ाई की इसी सदन में सूचना आई थी। उनकी हत्या कर दी गयी। आजादी के बाद उन्होंने कोई भी सुविधा नहीं ली। वे इमरजेंसी में जेल में बंद थे।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

उनका कार्यकाल 6 साल के लिए बढ़ाया गया लेकिन उन्होंने मना किया और इस्तीफा दे दिया।

आपने पास बंद किये, अच्छी बात है। माननीय मधुलिमये जी की पत्नी चम्पा जी को रेलवे पास की सुविधा कर दी जाये तो अच्छा रहेगा। उन्होंने भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया है। दिग्विजय सिंह जी, आप उनके साथ रहे हैं। ममता जी, अगर आप पास की बात यहां कह दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बात से पूरा हाउस सहमत होगा कि चम्पा जी को पास दे दिया जाये।

कुमारी ममता बनर्जी: मुलायम सिंह जी, आपने जो बात कही है वह अच्छी बात है। लेकिन मैंने जब से कार्यभार संभाला है, मिनिस्टर के डिस्क्रिशन के पास की सुविधा उठा दी है जिससे आम जनता को कोई दिक्कत न हो। मैं आपसे बात करके अगर कुछ हो सकता है तो जरूर करूंगी। हम आपके पास जायेंगे और कोई तरीका इसके लिए निकालेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव: ठीक है।

कुमारी ममता बनर्जी: बजट प्रस्तुत करने के बाद इस वर्ष का वित्तीय कार्यनिष्पादन हमारे हाथ में आया। मुझे इस सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1999-2000 के दौरान रेलवे का कार्यनिष्पादन बहुत संतोषजनक रहा है। हम 450 मिलियन टन के अपने भार लक्ष्य से आगे निकल गए हैं और छह मिलियन टन अतिरिक्त भार ले गए। पिछले वर्ष हमने 35 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है जो इन पचास वर्षों में किसी एक वर्ष में भारतीय रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक है। यह हमारे 16 लाख समर्पित कर्मचारियों और कामगारों और ग्राहकों के कारण है। इसका श्रेय उन्हें जाता है।

22091 करोड़ रुपए के मालभाड़े की कमाई का लक्ष्य प्राप्त किए जाने की संभावना है। इसी प्रकार, 9480 करोड़ रु. के यात्री कमाई के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जायेगा। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माह अप्रैल में भी देश भर से चार और कमाई के बहुत उत्साहवर्धक संकेत मिल रहे हैं। अत: मुझे विश्वास है कि हमने जो अपने लिए 475 मिलियन टन मालभाड़े का लक्ष्य रखा था, वह और बढ़ेगा। क्योंकि इस बार हम सारे रिकार्डों से आगे बढ़ गए हैं। हम पहले ही नई मालभाड़ा नीति की घोषणा कर चुके हैं। अपने समर्पण और माननीय सदस्यों को सहायता से हम निश्चित रूप से सफल होंगे।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था। हम राज्य सरकारों और रेलवे के बीच संयुक्त उद्यमों का हमेशा स्वागत करते हैं। यदि निजी क्षेत्र रेलवे के विकास के लिए निवेश करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने जमीन का मुद्दा उठाया था। हम अपनी कोई जमीन नहीं बेच रहे हैं। हमने कृषिक बल का गठन कर दिया है। यह बल नीति तैयार करेगा और नीति के अनुसार ही हम अपने विकास कार्यों के लिए जमीन और वायु क्षेत्र का उपयोग करेंगे। हम इसका निजीकरण नहीं कर रहे। कुछ लोगों को ऐसी आशंका हो सकती है किन्तु यह तथ्य नहीं है।

उड़ीसा में चक्रवात के बाद कुछ समस्याएं हैं। उड़ीसा से निर्वाचित माननीय सदस्यों ने उन्हें उठाया है। यदि मुझे ठीक से याद है तो अपनी प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों में मैंने उड़ीसा के लिए 75 प्रतिशत निधियां उपलब्ध कराई थीं क्योंकि हम उड़ीसा के लोगों के लिए कुछ अधिक करना चाहते थे। हालांकि, पिछली बार राज्य के लिए बजट आवंटन केवल 228 करोड़ रुपये था जबकि इस बार इसे बढ़ाकर 270 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब भी कुछ समस्याएं बची रह सकती हैं। माननीय सदस्यों ने दैतारी-बांसपानी, रूपसा बांगिरीपोसी, खुरदा रोड-बोलनगीर परियोजनाओं का उल्लेख किया है। इस समय तो मैं इतना ही कह सकती हूं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: पूर्वी तट जोन के क्षेत्राधिकार संबंधी अधिसूचना का क्या हुआ? इसे शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाए।

कुमारी ममता बनर्जी: हमारे पास पैसा नहीं है। पहले हम परियोजना को देखेंगे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: मैं पूर्वी तट जोन क्षेत्राधिकार की अधिसूचना के बारे में कह रहा हूं, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा।

श्री के.पी. सिंहदेव: पूर्वी तट जोन सबसे पहले स्थापित हुआ था लेकिन अधिसूचित होने में सबसे पीछे रह गया। यह एक अजीब विरोधाभास है।

कुमारी ममता बनर्जी: यह समीक्षाधीन है। मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी राज्य से सुविधा हटाने नहीं जा रहे। हम आपको बता रहे हैं कि सुविधाएं वापस लेने की बजाय हम प्रत्येक राज्य में निगरानी समिति गठित कर रहे हैं। किसी एक राज्य को नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य को श्रेय मिलना चाहिए। हम एक ढांचा बनाने जा रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री के.पी. सिंह देव ने रूपसा-बांगरीपोसी, खुरदा रोड-बोलनगीर, हरिदासपुर-पारादीप परियोजनाओं का उल्लेख

किया। श्री स्वाई ने भी इसका उल्लेख किया। वह व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिले और उन्होंने अनुरोध किया।

श्री त्रिलोचन कानूनगो: तालचेर-बिमलागढ़ मार्ग का क्या हुआ? यह पिछले 45 वर्षों से लंबित पड़ा है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, कैसे करेंगे? इतना हम नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* यदि आपकी कोई ऐसी डिमांड है तो आप हम से मिलिए। मैं आपसे बात कर लूंगी। लक्ष्मी नारायण पांडेय जी ने नीमच-रतलाम रेल लाइन के बारे में बार-बार निवेदन किया था। हम इसे भी प्राथमिकता देंगे। जबलपुर-गोंदिया इनक्लूडिंग बालघाट रेल लाइन के बारे में भी रिकवैस्ट की गई। हम इसे प्रॉयरिटी देंगे। मैं महाराष्ट्र विकास कार्पोरेशन का 29 तारीख को उद्घाटन करने जा रही हूं। मैं चाहती हूं कि विदर्भ महाराष्ट्र के साथ जुड़ जाए। हम इसके बारे में भी रिव्यू कर रहे हैं। इस बारे में बाद में जरूर कुछ करेंगे। विदर्भ को महाराष्ट्र से जोड़ने के लिए हम एग्जामिन कर रहे हैं। हमें इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा था।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): ऐसा क्या है कि गुजरात की बात नहीं होती है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि यह बजट यहां पास नहीं होगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: यह तो अति है।

[हिन्दी]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आज हमारे गुजरात की बात होनी चाहिये, नहीं तो हम यहां से बाहर नहीं जायेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी: ठीक है, आपको जो करना है, करें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: बजट में भी अन्याय है और यहां पर भी अन्याय है। यहां केवल नार्थ ईस्ट की बात होती है, यू.पी. की बात होती है।

कुमारी ममता बनर्जी: हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लिए इस बार 100 करोड़ रुपया ज्यादा रखा है लेकिन लाल कुआं-बरेली गेज कनवर्जन फेज-1 एक्शन प्लान में होगा। मैंने मेजर जनरल खंडूड़ी की मांग के मुताबिक ऋषिकेश कर्णप्रयाग लाइन का सर्वेण कराने का निर्णय लिया है। एक नई लाइन अमेठी से शाहगंज वाया सुलतानपुर ले लेते हैं। जैसा श्री मुलायम सिंह जी ने कहा, इटावा से मैनपुरी को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा कई छोटे छोटे इश्यूज हैं परन्तु पार्लियामेंट का ज्यादा समय बरबाद नहीं करना चाहती और वैसे भी अब टाइम ज्यादा हो गया है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उसका ध्यान रखा जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बहुत सारे मुद्दे हैं। समय खत्म हो रहा है इसलिए मैं प्रत्येक मांग का जवाब नहीं दे सकती। ...*(व्यवधान)* मैं माननीय सदस्यों की मांगों की जाँच करूँगी और उन्हें अलग से जवाब दूँगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि रेलवे की वर्ष 2000-2001 की अनुदान मांगों को पारित करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि कोई बिन्दु शामिल नहीं हुआ है तो माननीय मंत्री उन बिन्दुओं पर जवाब भेज देंगी।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: प्रत्येक सदस्य को जवाब देना संभव नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदया प्रत्येक सदस्य को जवाब नहीं दे सकतीं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैं मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने से संबंधित केवल एक जवाब चाहता हूं। यह राष्ट्रीय नीति है। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय सदस्यों से रेलवे की वर्ष 2000-2001 की अनुदान मांगों को पारित करें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बहुत से माननीय सदस्यों ने वर्ष 2000-2001 की रेलवे की अनुदान मांगों पर कई कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। क्या मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए एक साथ रख दूँ? अथवा कोई माननीय सदस्य किसी विशेष कटौती प्रस्ताव को अलग से पेश करना चाहते हैं?

श्री के.पी. सिंह देव: महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव सं. 1 प्रस्तुत किया है:

> "कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अंतर्गत की गयी मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए"

[श्री के.पी. सिंह देव]

दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुरदा और संबलपुर डिवीजन के क्षेत्राधिकार में आने वाले आंगुल जिले में तलचेर-आंगुल-संबलपुर रेल लाइन के निर्माण से प्रभावित लोगों को समूह 'ग' और समूह 'घ' की नौकरियां देने में असफलता। (1)

मैं कटौती प्रस्ताव सं. 1 पर जोर दूँगा। यदि माननीय मंत्री जी इससे सहमत हों तो मैं इसे वापिस ले लूंगा। इस कटौती प्रस्ताव को समझाने के लिए मुझे एक मिनट समय दीजिए। श्री सी.के. जाफर शरीफ सहित 1992 से आज तक चार रेल मंत्री यह आश्वासन देते रहे हैं कि आंगुल जिले में तालचेर-आंगुल-संबलपुर रेल लाइन के निर्माण से प्रभावित होने वाले लोगों को ग्रुप 'ग' और ग्रुप 'घ' की नौकरियां दी जाएंगी। परन्तु मंडल रेल प्रबंधक खुरदा और संबलपुर का कहना है कि मंत्री महोदय ने सदस्यों को कुछ भी कहा हो या लिखा हो, वे इस आश्वासन का कार्यान्वयन तब तक नहीं करेंगे जब तक कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष उनको लिखित में नहीं देते।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूँ कि यह प्रक्रियाधीन है।

श्री के.पी. सिंहदेव: धन्यवाद। तब मैं इसे वापिस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा श्री के.पी. सिंह देव द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव सं. 1 को वापिस लेने की अनुमति देती है?

कटौती प्रस्ताव सं. 1, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैंने कटौती प्रस्ताव सं. 265 प्रस्तुत किया है:

> "कि परिसम्पत्ति खरीद, निर्माण और बदलाव शीर्ष के अंतर्गत मांग (16.01.01-16.04.04) में 100 रुपये कम किए जाएं।"

बैडेल-कटवा रेलवे लाइन को दोहरा करने की आवश्यकता। (265)

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी (बारपेटा): मैं अपने कटौती प्रस्ताव सं. 120 पर बोलना चाहता हूँ। इस बार, माननीय मंत्री ने न्यू-मोयनागुरी-जोगीघोप के लिए एक परियोजना स्वीकृत की है, इस महत्वपूर्ण परियोजना का काम हाथ में लेने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। परन्तु, केवल 4 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको नहीं बोलना है। आपने कटौती प्रस्ताव पेश कर दिया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री गुलाम उस्मानी द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव सं. 120 को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव सं. 120 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पाल, क्या आप अपने कटौती प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं?

श्री रूपचन्द पाल: मैं इसे वापिस नहीं ले रहा। यह पिछले बजट में भी था। यदि माननीय मंत्री आश्वासन दें तो मैं इसे वापिस लेने के लिए तैयार हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 265 को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 265 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं अन्य सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखता हूँ।

सभी कटौती प्रस्ताव मतादन के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं 2000-2001 के लिए अनुदान मौंगों (रेलवे) को मतदान के लिए सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रश्न यह है:

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.27 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 17 पर विचार करेगी।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): मैं प्रस्ताव करती हूँ कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करती हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदया विधेयक को विचारार्थ रखें।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000-2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी ममता बनर्जी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 20 अप्रैल, 2000/31 चैत्र, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड-2, दिनांक 19.4.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

पी.एल.एस.–48/5/20/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।